ुर्दश माला, खंड 3, अंक 17

मंगलवार, 17 अगस्त, 2004
26 श्रावण, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 17, मंगलवार, 17 अगस्त, 2004/26 श्रावण, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्न का मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 303	6–8
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 302 और 304 से 321	8–43
अतारांकित प्रश्न संख्या 2682 से 2907	43–492
सभा पटल पर रखे गए पत्र	492–495
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	495
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
पहले से चौथा प्रतिवेदन	495–496
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
(एक) मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति	496–497
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	496–497
(दो) असम के धीमाजी जिले में बम विस्फोट की घटना	500–502
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	500–501
समितियों का निर्वाचन	
(एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	502
(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद्	503
(तीन) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड	503–504
सदस्य द्वारा निवेदन	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा वीर सावरकर के विरुद्ध की गई कथित टिप्पणी के बारे में	504–510
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर में कथित रूप से की गई कमी	510
श्री गुरूदास दासगुप्त	510, 511–519

विषय कॉलम

श्री शीश राम ओला 510-511, 524-532

श्री बसुदेव आचार्य 520-522

श्री रूपचन्द पाल 523

श्री वरकला राधाकृष्णन 524-525

श्री शैलेन्द्र कुमार 525-526

श्री खारबेल स्वाईं 526-527

श्री सुशील कुमार मोदी 527

नियम 377 के अधीन मामले 536-540

(एक) तमिलनाडु में मदुरै और डिंडीगुल जिलों के नीलाकोटई तथा उसीलमपट्टी तालुकों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए पेरानई रेगुलेटर के निकट एक नए पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन 536-537

(दो) उड़ीसा के गंजम जिले में क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत विशेष निधि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रशेखर साहु 537

(तीन) फुलेरा-जोधपुर रेलवे खंड को स्वचालित सिगनल प्रणाली से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई 537-538

(चार) बिहार के कटिहार जिले में दूरदर्शन-2 के कार्यक्रमों का प्रसारण किए जाने की आवश्यकता

श्री निखिल कुमार चौधरी 538

(पांच) बीड़ी उत्पादों पर उत्पाद शुल्क कम किए जाने और केरल में बीड़ी कर्मकारों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. करूणाकरन 538-539

(छह) बिहार राज्य के पटना में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के समान संस्थान स्थापित किए जाने और इसे शीघ्रातिशीघ्र चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव 539

(सात) झांसी-बांदा, बांदा-माणिकपुर और बांदा-कानपुर रेल मार्गों का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद 539-540

(आठ) सामुदायिक स्वास्थ्य मार्गदर्शक कर्मकारों को संदेय मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री बीर सिंह महतो 540

विषय	कॉलम
नियम 193 के अधीन चर्चा	
(एक) देश में बिजली की कमी से उत्पन्न स्थिति	540–568, 614
श्री प्रबोध पाण्डा	541–544
कुंवर मानवेन्द्र सिंह	545–550
श्री लक्ष्मण सिंह	551–557
श्री बसुदेव आचार्य	557–563
प्रो. राम गोपाल यादव	563–568
श्री राम कृपाल यादव	614
(दो) देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति	568–614
श्री शिवराज वि. पाटील	569–608, 611–614
श्री जय प्रकाश नारायण यादव	608–611
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	619–620
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	620–626
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	627–628
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	627–628

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

मंगलवार, 17 अगस्त, 2004/26 श्रावण, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): उपाध्यक्ष जी, हमने प्रश्नकाल को स्थगित करने की सूचना दी है। सरकार के एक मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर जी ने नौ अगस्त को पोर्ट ब्लेयर में सेल्यूलर जेल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर जी का अपमान किया है, राष्ट्र पुरुष का अपमान किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप इसे प्रश्न काल के बाद उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको 'शून्य काल' के दौरान अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सरकार की ओर से यह हुआ है, सरकार के एक मंत्री ने किया है। सरकार की ओर से, सरकार के मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर जी ने अपमान किया है ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने हिन्दुस्तान के क्रान्तिकारियों का अपमान किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको 'शून्य काल' के दौरान अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: हमने 15 अगस्त को आजादी की सालगिरह मनाई और इस आजादी को दिलाने वाले जो-जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका अपमान सरकार की ओर से किया जाता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं आपको 'शून्य काल' के दौरान समय दूंगा, प्रश्न काल के समाप्त होने से पहले नहीं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 302।

श्री निखिल कुमार—उपस्थित नहीं हैं।

श्री कैलाश बैठा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सरकार की ओर से एक मंत्री ने सावरकर जी का अपमान किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं। अभी मैं बोल रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः आप जो कुछ कह रहे हैं, वह रिकार्ड पर नहीं आयेगा। कृपया बैठ जाएं, अभी मैं बोल रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः अभी रिकार्ड कुछ नहीं हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः मैं आपको आश्वासन देता हूं कि प्रश्न काल के पश्चात् मैं आपको 'शून्य काल' में अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: उपाध्यक्ष जी, हमने प्रश्न काल स्थगित करने की सूचना दी है, आप दो मिनट मुझे सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः यह अस्वीकृत कर दिया गया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः आपने जो एडजर्नमेंट मोशन दिया था।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः आप पहले मेरी बात सुनें। अभी रिकार्ड पर कुछ नहीं जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः गीते जी, आप पहले मेरी बात सुनें। आप दो मिनट बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): क्या उन्होंने कोई सूचना दी है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: आप तय करने वाले कौन हैं, आप बैठिये। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: आप गांधी जी का अपमान कर रहे हो। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: हमने नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: उन्हें कैसे अनुमति दी गई है? ...*(व्यवधान)* महोदय, आप कृपया प्रश्न काल शुरू कीजिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया मुझे कार्यवाही चलाने दें। श्री मधुसूदन मिस्त्री कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: हमने क्वैश्चन आवर सस्पेंशन का नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: उपाध्यक्ष महोदय, ये हर बार क्वैश्चन आवर को डिस्टर्ब करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: उपाध्यक्ष महोदय, ये आपके निर्णय को यहां पर चैलेंज कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* ये आसन को चैलेंज कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः गीते जी, आपको जो कहना है, वह कहिये।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न काल स्थगित करने के लिए आपको सूचना दी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः श्री गीते, यह अस्वीकृत हो चुका है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: 9 अगस्त को 'क्रान्ति दिवस' पर स्वतंत्र ज्योति का उद्घाटन अंडमान एंड निकोबार की सेलुलर जेल में पेट्रोलियम मंत्री श्री मणि शंकर अय्यर जी के हाथों से हुआ। ...*(व्यवधान)* पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री राम नाइक जी ने सेलुलर जेल में स्वतंत्र ज्योति का निर्माण करने का निर्णय लिया था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: उन्हें किसी भी हालत में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ...*(व्यवधान)* आप सभा में एक गलत प्रथा स्थापित कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं चलेगा। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: गीते जी, आपका प्वाइंट हो गया है।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: उस स्वतंत्र ज्योति के ऊपर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर, श्री मदन लाल ढींगरा और शहीद भगत सिंह के वचनों को वहां पर लिखने का निर्णय लिया गया। जब वहां श्री मणि शंकर अय्यर जी उस स्वतंत्र ज्योति का उद्घाटन करने गये, दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदेश दिया कि सावरकर जी के वचनों को हटाया जाये। ...*(व्यवधान)* उस स्वतंत्र ज्योति से वीर सावरकर जी के वचनों को हटाने के लिए कहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गीते, आपने अपनी बात कह दी है। अब आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: उपाध्यक्ष महोदय, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)* वहां श्री मणि शंकर अय्यर जी ने वक्तव्य दिया कि पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट जो कि वीर सावरकर जी के नाम से है, उसमें वीर सावरकर जी का नाम नहीं होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, हमने 15 अगस्त को आजादी के 57वीं सालगिरह मनाई है। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): उपाध्यक्ष महोदय, वीर सावरकर जी ने तो अंग्रेजों से लिखित रूप में माफी मांगी थी। ...*(व्यवधान)* आप उनके बारे में बोल रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं कर सकती। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: उपाध्यक्ष महोदय, श्री मणि शंकर अय्यर जी को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कैलाश बैठा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 303, श्री अनंत नायक।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.07 बजे

प्रश्न का मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

आदिम जातियों की जनसंख्या में कमी

***303. श्री अनन्त नायक:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्राकृतिक मौतों के कारण कतिपय आदिम जातियों की जनसंख्या में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन आदिम जातियों को अप्राकृतिक मौतों से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) आदिम जातियों के उत्थान हेतु तैयार की गई योजनाओं का राज्यवार और आदिम जाति-वार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) और (ख) आदिम जनजातीय

समूहों की कुल जनसंख्या वर्ष 1981 से 1991 में 20,42,767 से बढ़कर 24.12.664 हो गई। 2001 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातीय समूहों की संख्या अभी प्रकाशित नहीं की गई है। 1981 और 1991 की जनगणना के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में ग्रेट अंडमानियों और कर्नाटक के जेनु कोरवा की जनसंख्या में मामूली गिरावट आई है और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में सेंटाइलिज की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। गिरावट के कई कारण हैं।

(ग) से (घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना से जनजातीय उपयोजना कार्यनीति के अंतर्गत 18 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 75 आदिम जनजातीय समूहों के उत्थान के लिए कृषि, पशुपालन, लघु और कुटीर उद्योगों, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल आदि के क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय केवल आदिम जनजातीय समूहों के लाभ के लिए 1998-99 से "आदिम जनजातीय समूहों का विकास" नामक एक विशेष केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अधीन आदिम जनजातीय समूहों के सामाजिक/आर्थिक, शैक्षिक विकास और स्वास्थ्य-रक्षा हेतु विभिन्न कार्यकलापों के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों और गैर-सरकारी संगठनों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

श्री अनंत कुमार: महोदय, भारत के गह मंत्री जी यहां उपस्थित हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं उन पर कैसे दबाव दे सकता हूं?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.09 बजे

(इस समय श्री मोहन रावले और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण कृपया अपने स्थान पर जायें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी स्थगन प्रस्ताव की सूचना अस्वीकृत हो चुकी है फिर भी मैंने आपके नेता को बोलने का समय दिया है। अब आप कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपके लीडर को समय दे दिया।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विद्यालयों/कालेजों में अग्नि सुरक्षोपाय

***302. श्री निखिल कुमार:**
श्री कैलाश बैठा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में केन्द्रीय और नवोदय विद्यालय आग बुझाने वाले उपकरणों से सुसज्जित नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु में कुम्भकोणम के एक विद्यालय में हाल में लगी आग और त्रासदी के मद्देनजर, सरकार का विचार देश भर के सभी केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में अग्नि सुरक्षोपाय की उपलब्धता सुनिश्चित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश के सभी विद्यालयों/कालेजों में अविलम्ब उपयुक्त अग्नि सुरक्षोपाय करने हेतु राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (च) केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति द्वारा इस बात का पता लगाने के लिए एक प्रारंभिक आकलन किया गया है कि क्या उनके नियंत्रणाधीन विद्यालयों में अग्निशामक उपकरण है अथवा नहीं। केन्द्रीय विद्यालय ने जानकारी दी है कि उनके अधिकांश स्कूलों में उपकरणों को या तो लगाया जाना है अथवा उनका रखरखाव किया जाना है। नवोदय विद्यालय समिति ने जानकारी दी है कि उनके 508 नवोदय विद्यालयों में से 238 में अग्निशामक उपकरण लगाए जा चुके हैं और ये कार्य कर रहे हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे तीन माह के भीतर यह सुनिश्चित करें कि उनके विद्यालय भवन अपेक्षित अग्नि सुरक्षा मानदंडों पर खरे उतरते हों।

तमिलनाडु के कुम्भकोणम में एक सहायता प्राप्त निजी स्कूल में हाल ही में घटित त्रासदी से अग्नि सुरक्षोपायों को पुख्ता करने की आवश्यकता उजागर हो गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने इस संबंध में सभी मुख्यमंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों को पत्र लिखा है, जिसकी प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

अर्जुन सिंह

अ.शा. पत्र संख्या 6-14/2004-ईई.5 (एमडीएम)
मानव संसाधन विकास मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली-110001

प्रिय

दिनांक 16 जुलाई की कुम्भकोणम त्रासदी ने पूरे देश को हिला दिया है।

2. यदि हम अपने बच्चों की सुरक्षा तथा कल्याण को सुनिश्चित नहीं कर सकते तो ऐसी स्थिति में सर्वसुलभ प्रारम्भिक शिक्षा का हमारा लक्ष्य दुःस्वप्न हो जाएगा। हमारे लिए अपने स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के सुनिश्चियन के लिए राष्ट्रीय संकल्प करना अत्यावश्यक है ताकि इस प्रकार की त्रासदी की पुनरावृत्ति न हो। इस संबंध में सभी शैक्षिक संस्थाओं में पर्याप्त व्यवस्था तो अपेक्षित है ही लेकिन प्रारम्भिक स्कूलों जिनमें सामान्यत: बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वे अपनी देखभाल सवयंमेव नहीं कर सकते हैं, के संबंध में विशेष ध्यान दिया जाना उससे भी अधिक जरूरी है।

3. स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिए अनेक पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनमें शिक्षण-प्रशिक्षण, विद्यालय भवन तथा मध्याह्न भोजन योजना जैसे तीन विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। इन क्षेत्रों में कुछ मुख्य बिन्दुओं पर कार्य करने की जरूरत है:-

शिक्षक:-

सभी शिक्षकों को स्कूली समय के दौरान अपने छात्रों की सुरक्षा तथा कल्याण एवं पाठ्यक्रम पाठ्येत्तर गतिविधियों के लिए अपनी जिम्मेदारी के प्रति संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है। आपातकाल के समय अपने छात्रों के बचाव के लिए वे पर्याप्त ज्ञान तथा साधन से युक्त हों।

विद्यालय भवन:-

(1) विद्यालय भवनों में ज्वलनशील तथा जहरीली सामग्री नहीं होनी चाहिए। यदि किसी ज्वलनशील सामग्री (उदाहरणार्थ मध्याह्न भोजन पकाने के लिए ईंधन) को रखना जरूरी हो तो उसे सुरक्षात्मक ढंग से रखा जाए।

(2) स्कूल में पर्याप्त आपातकालीन निकास होने चाहिए।

(3) स्कूलों में आग बुझाने के लिए पानी तथा रेत की पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए।

(4) स्कूलों में शुद्ध पेय जल की पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए तथा आवश्यकता होने पर पेयजल में क्लोरीन डाली जानी चाहिए।

मध्याह्न भोजन:-

(1) खाद्यान्नों के भण्डारण तथा भोजन पकाने तथा परोसने में स्वच्छता का ध्यान रखा जाना चाहिए।

(2) पके हुए भोजन को बच्चों को परोसने से पर्याप्त पहले उसे किसी बड़े व्यक्ति द्वारा चखा जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का दूषण हो, तो यथा समय उसे दूर किया जा सके।

4. उक्त पहलुओं पर पूर्ण तथा नियमित रूप से तभी ध्यान दिया जा सकेगा जब कि राज्य सरकार में उच्च स्तर से नियमित मानीटरिंग जिसमें क्षेत्र स्तर पर नियमित निरीक्षण तथा उपचारात्मक प्रयास किए जा सकेंगे; करने का स्पष्ट निदेश दिया जाएगा।

वस्तुतः उक्त कार्यों में कुछ धन खर्च अवश्य होगा, लेकिन अधिकांश मामलों में इस खर्च को निर्माण कार्यों के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध निधियों तथा वार्षिक आवर्ती विद्यालय अनुदान राशि से पूरा किया जा सकता है।

5. मैं आभारी रहूंगा यदि आप अपने राज्य में स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के सुनिश्चयन में वैयक्तिक नेतृत्व तथा निर्देशन प्रदान करेंगे। 16 जुलाई को प्रतिवर्ष "स्कूल स्वास्थ्य तथा सुरक्षा दिवस" के रूप में मनाया जाना और इस दिन शिक्षकों तथा छात्रों में स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की भावना को दृढ़ करने के लिए सुरक्षात्मक ड्रिल तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित करना भी अच्छा रहेगा।

6. कृपया इस पत्र के संदर्भ में अपने राज्य में की गई कार्रवाई से हमें अवगत कराएं।

आपका
हस्ता.
(अर्जुन सिंह)

सभी राज्यों के मुख्यमंत्री

दिल्ली तथा पण्डिचेरी संघ राज्य प्रशासन के मुख्यमंत्री

आपदा प्रबंधन नीति

***304. श्री अधीर चौधरी:**
श्री उदय सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से आपदा प्रबंधन नीतियां तैयार करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मुद्दे पर हाल ही में नई दिल्ली में गृह सचिवों और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राहत आयुक्तों का कोई सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इस सम्मेलन में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) गृह मंत्रालय का आपदा-प्रबंधन नीतियां तैयार करने में किस तरह से राज्य सरकारों की मदद करने का प्रस्ताव है;

(च) गत दो वर्षों के दौरान आज तक केन्द्र सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित राज्यों को पुनर्वास और राहत कार्य के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(छ) क्या सरकार प्रभावित राज्यों के लिए उक्त राशि को पर्याप्त समझती है; और

(ज) यदि नहीं, तो राहत और पुनर्वास कार्य के लिए राज्यवार कितनी अतिरिक्त धनराशि प्रदान किए जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) और (ख) भारत सरकार ने राज्यों को जोर देकर कहा है कि चूंकि आपदा प्रबंधन एक बहु-आयामी गतिविधि है, जिसमें अनेक विभाग/एजेन्सियां अन्तर्ग्रस्त हैं, अतः उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे एक नीति तैयार करें। किसी राज्य की आपदा प्रबंधन नीति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी संबद्ध विभागों/एजेंसियों के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए आधार ढांचे का काम दे। राज्यों को यह बताया गया है कि मोटे तौर पर नीति का उद्देश्य यह होना चाहिए कि जान हानि तथा सामाजिक, निजी तथा सामुदायिक परिसंपत्तियों की हानि कम से कम हो तथा इससे विकास के क्रम को जारी रखने में मदद मिले।

(ग) आपदा न्यूनीकरण, तैयारी तथा उससे निपटने की कार्रवाई से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार तथा पुनरीक्षा करने के लिए नई दिल्ली में 3 जुलाई, 2004 को राज्यों के सचिवों (आपदा प्रबंधन) तथा राहत आयुक्तों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया।

(घ) सम्मेलन में, केन्द्र सरकार द्वारा संस्थानिक/नीति परिवर्तनों, भूकम्प, भू-स्खलन तथा चक्रवात के लिए अल्पीकरण रणनीतियों, बाढ़ के मौसम में तैयारी उपायों, बहु-जोखिम अल्पीकरण के लिए प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण, आपातकालीन आपरेशन केन्द्रों की स्थापना, आपदा प्रबंधन तथा आपातकालीन सहयोग कार्यकारी योजनाएं तैयार करना, घटना कमान प्रणाली का संचालन, खोजी एवं बचाव दलों का गठन, आपदा अनुक्रिया संसाधनों की आन लाइन नेशनल इन्वेन्ट्री के लिए सूचनाओं की अपलोडिंग तथा उन्हें अद्यतन बनाना तथा आपदा राहत निधि तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि के संचालन/उपयोग से संबंधित मुद्दों पर केन्द्र सरकार द्वारा की गई सिफारिशों पर राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा शुरू की गई कार्रवाई/की गई प्रगति पर विचार-विमर्श किया गया।

(ङ) गृह मंत्रालय ने राज्यों को इस बात पर बल दिया है कि बचाव, अल्पीकरण, तैयारी, कार्रवाई, राहत एवं पुनर्वास को सम्मिलित करके राहत-केन्द्रित दृष्टिकोण से हट कर एक समग्र दृष्टिकोण अपना कर स्थिति निर्धारण में परिवर्तन लाया जाना

चाहिए। इस दृष्टिकोण के अनुपालन में राज्य सरकारों द्वारा की गई विशिष्ट पहलों/उपायों के संबंध में मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर, राज्य सरकारों को सिफारिशें/मार्ग निदेशक सिद्धान्त जारी किए गए हैं। आशा की जाती है कि राज्य सरकारें अनुशंसित दृष्टिकोण तथा उनकी अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं तथा कमजोरियों के मद्देनजर अपनी आपदा प्रबंधन नीतियां तैयार करेंगी।

(च) प्रत्येक राज्य के लिए एक आपदा राहत निधि स्थापित की गई है जिसके लिए केन्द्र सरकार 75% अंशदान करती है। प्रत्येक राज्य के लिए निधि की मात्रा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की गई है। इन निधियों का प्रयोग राज्यों द्वारा बाढ़ सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किए गए व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। भीषण स्वरूप की प्राकृतिक आपदा के मामले में तथा ऐसी स्थिति में जहां आपदा राहत निधि में उपलब्ध निधि राहत एवं पुनर्वास पर किए जाने वाले व्यय को पूरा करने हेतु अपर्याप्त सिद्ध हो, तो राज्यों को केन्द्रीय आपदा आकस्मिक निधि से अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 (13.8.2004 तक) के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा रिलीज की गई धनराशि का ब्यौरा दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(छ) और (ज) राज्यों को उनकी आपदा राहत निधि के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर आवंटित निधियां पर्याप्त समझी गई हैं। भीषण आपदा के मामले में जहां यह राशि पर्याप्त नहीं समझी गई, तो निर्धारित कार्यविधि का पालन करके केन्द्रीय आपदा आकस्मिक निधि से अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई गई।

विवरण

केन्द्र सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित राज्यों को रिलीज की गई धनराशि

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002-03		2003-04		2004-05	
		सी आर एफ	एन सी सी एफ	सी आर एफ	एन सी सी एफ	सी आर एफ	एन सी सी एफ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	163.77	—	171.96	—	180.56	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.94	12.78	10.44	29.79	10.96	—
3.	असम	83.92	—	88.12	—	95.52	55.00
4.	बिहार	55.37	—	58.14	—	61.05	55.00
5.	छत्तीसगढ़	22.72	—	23.85	—	25.03*	—
6.	गुजरात	133.46	—	140.13	20.08	147.14	—
7.	हरियाणा	67.23	—	70.59	—	74.12	—
8.	हिमाचल प्रदेश	35.96	—	37.75	—	39.64	—
9.	कर्नाटक	61.66	—	64.74	7.54	67.98	—
10.	केरल	55.60	—	58.38	-	61.30	—
11.	मध्य प्रदेश	51.78	—	54.39	12.84	57.10	—
12.	महाराष्ट्र	129.99	—	136.49	—	143.31	—

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	मणिपुर	2.37	7.07	2.49	—	2.62*	—
14.	मेघालय	3.26	—	3.42	—	3.59	—
15.	मिजोरम	2.46	—	2.58	—	2.71*	—
16.	उड़ीसा	90.52	—	95.04	104.43	99.79	—
17.	पंजाब	101.47	—	106.55	—	111.87	—
18.	राजस्थान	171.16	—	179.72	—	188.71	—
19.	त्रिपुरा	4.30	—	4.51	—	4.74*	—
20.	उत्तर प्रदेश	120.95	—	127.00	40.89	133.36	—
21.	उत्तरांचल	26.76	—	28.10	—	29.50	—
22.	पश्चिम बंगाल	83.60	—	87.78	—	92.17	—

*1.5.04 को रिलीज के लिए देय 2004-05 के लिए आपदा राहत निधि के केन्द्रीय हिस्से की पहली किश्त (ऊपर निर्देशित राशि का 50%) उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के फलस्वरूप राज्यों को रिलीज नहीं की गई है।

उर्वरक संयंत्रों का कार्य-निष्पादन

***305. श्री दुष्यंत सिंह:**
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में देश के सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन संयंत्रों को संयंत्रवार कितना घाटा और लाभ हुआ है;

(घ) उनके घाटे के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा घाटे में चलने वाली इकाइयों को लाभार्जक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) जी हां। उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा मासिक, तिमाही और वार्षिक आधार पर तथा उनके निदेशक मंडल की बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ और उनको हुई हानि तथा हानि के कारण दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उर्वरक उपक्रमों अर्थात् बरौनी, दुर्गापुर, हल्दिया इकाइयों और एफपी एंड एआरडी प्रभाग को शामिल करते हुए हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एचएफसी), एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लि. (एफएजीएमआईएल) के नाम से एक नई कंपनी के रूप में पृथक कर दिए गए जोधपुर खनन संगठन (जेएमओ) को छोड़कर तथा सिंदरी, गोरखपुर, रामागुंडम और तालचर इकाइयों को शामिल करते हुए फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफसीआई) और पाइराइट्स फास्फेट्स एंड कैमिकल्स लि. (पीपीसीएल) को बंद कर दिया गया है क्योंकि इन्हें प्रौद्यो-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया था। सरकारी क्षेत्र के अन्य रुग्ण उपक्रम नामत: प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लि. (पीडीआईएल) का पुनरुद्धार, इसके अव्यवहार्य प्रभागों/इकाइयों को बंद करने के पश्चात् किया गया है और वर्ष 2003-04 के दौरान कंपनी ने 8.05 करोड़ रुपये का अनुमानित लाभ अर्जित किया है।

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (बीवीएफसीएल) मुख्य रूप से इसकी पुनरुद्धार परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के कारण हानि में चल रही है। इस पुनरुद्धार परियोजना जिसके लिए भारत सरकार बजटीय सहायता प्रदान कर रही है, के पूरा होने के पश्चात् बीवीएफसीएल के उत्पादन और वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार होगा।

मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एमएफएल) के वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार ने इस कंपनी को संयंत्रों में समस्याएं उत्पन्न करने वाले उपकरणों के नवीकरण/प्रतिस्थापन के लिए बजटीय सहायता प्रदान की है। इसके अलावा, भारत सरकार ने जुलाई, 2002 में सरकारी ऋणों पर 31.3.2002 तक 65 करोड़ रुपये की ब्याज राशि को बट्टे खाते डाल दिया था। पुनः जुलाई 2003 में सरकार ने भारत सरकार के ऋणों पर 31.3.2003 तक ब्याज और शास्ति ब्याज की 89.23 करोड़ की राशि का परित्याग कर दिया था और 1.4.2003 से ऋणों पर ब्याज की दर को घटाकर 7% वार्षिक कर दिया था। सरकार ने एमएफएल के पुनरुद्धार के लिए तृतीय और दीर्घकालिक वित्तीय पुनर्गठन पैकेज को अंतिम रूप देने की भी प्रक्रिया शुरू की है।

फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावणकोर लि. (एफएसीटी) के वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार ने मार्च, 2002 में 226.88 करोड़ रुपये की बकाया ब्याज राशि तथा कंपनी द्वारा लिए गए सरकारी ऋणों पर 31.3.2002 तक शास्ति ब्याज की 13.59 करोड़ रुपये की राशि का परित्याग कर दिया था। पुनः अक्तूबर, 2003 में सरकार ने बकाया ब्याज की 87.80 करोड़ की राशि तथा सरकारी ऋणों पर 31.3.2003 तक शास्ति ब्याज की 0.58 करोड़ रुपए की राशि का परित्याग कर दिया था, दिनांक 1.4.2003 से ब्याज दर को घटाकर 7% कर दिया गया था और मूल तथा ब्याज की अदायगी पर 31.3.2004 तक स्थगन प्रदान कर दिया गया था तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना जिसके माध्यम से इसकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने हेतु कंपनी की नामावली से लगभग 940 अतिरिक्त कर्मचारियों की कमी कर दी गई है, का कार्यान्वयन करने हेतु वर्ष 2003-04 में 60 करोड़ रुपए का योजनाभिन्न ऋण भी प्रदान किया गया था। सरकार ने एफएसीटी के पुनरुद्धार के लिए तृतीय और दीर्घकालिक वित्तीय पुनर्गठन पैकेज को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी शुरू की है। केन्द्र सरकार, एफएसीटी द्वारा राज्य शुल्कों/करों में कटौती के लिए कतिपय रियायतों के लिए केरल सरकार से भी संपर्क कर रही है और इससे इसके कार्यनिष्पादन में सुधार होगा।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों को वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान हुए लाभ/हानि का ब्यौरा तथा हानि के कारण

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लाभ/हानि (-) (करोड़ रुपये)			हानि के कारण
	2001-02	2002-03	2003-04 (अनंतिम)	
1	2	3	4	5
एचएफसी	-799.66	-1059.56	-1058.90	प्रौद्योगिकीय, डिजाइन और उपकरण त्रुटियां, बारम्बार उपकरण खराबी, तरल पैट्रोलियम उत्पादों की लागत में वृद्धि, विद्युत की कमी, औद्योगिक संबंध समस्याएं और अतिरिक्त जनशक्ति तथा संसाधन बाधाएं।
एफसीआई	-1104.11	-1166.31	-1113.70	प्रौद्योगिकीय, डिजाइन और उपकरण त्रुटियां, बारम्बार उपकरण खराबी, तरल पैट्रोलियम उत्पादों की लागत में वृद्धि, विद्युत की कमी, औद्योगिक संबंध समस्याएं और अतिरिक्त जनशक्ति तथा संसाधन बाधाएं।
पीपीसीएल	-114.20	-143.15	-130.00	आयात विकल्प प्रोत्साहनों को समाप्त करना, पाइराइट्स आधारित सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन की आंतरिक हानि, अमझोर

1	2	3	4	5
				में पाइराइट्स खनन की प्रचालनगत लागत में वृद्धि, देहरादून में गहरे-भूमिगत खनन की बढ़ी हुई लागत के साथ दूरस्थ विपणन क्षेत्रों तक बढ़ी हुई ढुलाई लागत।
पीडीआईएल	-36.66	-37.59	8.05	सिन्दरी स्थित केटेलिस्ट प्रभाग तथा इंजीनियरिंग एवं परामर्शी प्रभाग के अव्यवहार्य प्रचालनों के साथ-साथ सिंदरी स्थित अनुसंधान एवं विकास प्रभाग की गैर-वाणिज्यिक प्रकृति।
एनएफएल	40.61	286.27	59.84	-
आरसीएफ	24.21	-48.07	167.79	-
एफएसीटी	0.57	-199.93	-167.25	अमोनिया उत्पादन की उच्च लागत, उच्च ब्याज और ऋण अदायगी, देयताएं, कम मूल्य वसूली के कारण केप्रोलेक्टम और अमोनियम सल्फेट के कम लाभ, फेक्टमफास के लिए मूल्य रियायत योजना के तहत अपर्याप्त मुआवजा, अतिरिक्त जनशक्ति, नेफ्था मूल्यों में बढ़ोत्तरी के रुझान और अधिक बिक्री कर एवं प्रवेश कर।
एमएफएल	-66.10	4.12	-60.02	पुनरुद्धार एवं मिलान कार्य हेतु संयंत्रों को बंद करने की अवधि में बढ़ोत्तरी किए जाने और लंबी स्थिरीकरण अवधि के कारण कम उत्पादन, बारम्बार उपकरण समस्याएं, दक्षिणी राज्यों में अभूतपूर्व सूखे के कारण कम बिक्री, जल का अभाव, आदानों के मूल्यों में वृद्धि तथा रुपये के मूल्यह्रास के कारण मिश्रित उर्वरकों पर तदर्थ रियायत में कटौती, तदर्थ रियायत के संवितरण में विलम्ब।
बीवीएफसीएल*	-	-32.06	-2.47	पुनरुद्धार कार्यान्वयनाधीन है।
एफएजीएमआईएल**	-	-	4.12	-

*एचएफसी से अलग करने के बाद 1.4.2002 से गठित।

**एफसीआई से अलग करने के बाद 1.4.2003 से गठित।

[हिन्दी]

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद

***306. श्री निखिल कुमार चौधरी:**
श्री सीताराम सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इतिहास में उच्च स्तरीय अनुसंधान को प्रोत्साहन देने हेतु भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा दिए गए लाखों रुपए के अनुदानों में इस संस्था की त्रुटिपूर्ण नीति के कारण गड़बड़ी हुई है जैसा कि कुछ राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ने वर्ष 1995-96 तथा 2000-01 के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ 41 अनुसंधानकर्त्ताओं को 21.77 लाख रुपये की धनराशि संवितरित की थी लेकिन अगस्त, 2003 तक न तो उन्होंने अपनी अनुसंधान रिपोर्ट प्रस्तुत की और न ही इस धनराशि को लौटाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त राशि की वसूली हेतु आज तक क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ङ) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने अनुदानों में किसी भी प्रकार के दुरुपयोग का इस आधार पर खंडन किया है कि ये अनुदान परिषद में शोध निधियन नियमावली का अनुपालन करते हुए ही प्रदान किए गए थे। इस परिषद ने 1995-96 तथा 2000-2001 के बीच की अवधि के दौरान 41 शोधकर्त्ताओं को अपने ''संबद्ध संस्थाओं'' के माध्यम से कुल 21.77 लाख रु. के अनुदान जारी किए थे। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अनुसार, 3 अध्येताओं ने अपने-अपने शोधकार्य पूरे कर लिए हैं और शेष अध्येताओं से सभी शोध रिपोर्टें आनी बाकी हैं। परिषद ने जानकारी दी है कि उसने अनुस्मारक जारी किए हैं और ''संबद्ध संस्थाओं'' के माध्यम से अनुदान प्राप्तकर्त्ताओं के संबंध में आगे कार्रवाई की जा रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने परिषद से आवश्यक उपचारी कदम उठाने को कहा है जिसमें किसी भी प्रकार की कमी के लिए जिम्मेदारी तय करना भी शामिल है।

नक्सली हिंसा

*307. **श्रीमती करूणा शुक्ला:**
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसी घटनाओं में हताहत नागरिकों एवं सुरक्षा कर्मियों तथा सम्पत्ति की हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा प्रतिबंधित नक्सली संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ राज्यों ने नक्सली संगठनों पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा देश में नक्सली संगठनों की गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) और (ख) वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2003 के दौरान नक्सली हिंसा में 8.6% की वृद्धि हुई है। गत तीन वर्षों के दौरान नक्सली हिंसा की घटनाओं और उसके परिणामस्वरूप हुई मौतों की राज्यवार संख्या निम्न प्रकार है:

राज्यों के नाम	2001		2002		2003		2004 (31.7.04 की स्थिति के अनुसार)	
	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें
आंध्र प्रदेश	461	180	346	96	575	139	257	72
बिहार	169	111	239	117	249	128	211	97
छत्तीसगढ़	105	37	304	55	255	74	248	52
झारखंड	355	200	353	157	342	117	248	119
मध्य प्रदेश	21	2	17	3	13	1	5	1
महाराष्ट्र	34	7	83	29	74	31	49	9
उड़ीसा	30	11	68	11	49	15	28	7
उत्तर प्रदेश	22	12	20	6	13	8	4	5
पश्चिम बंगाल	9	4	17	7	6	1	4	8
अन्य राज्य	2	—	18	1	16	—	2	1
कुल	1208	564	1465	482	1592	514	1056	371

(ग) गत तीन वर्षों में हताहत हुए सिविलियनों, सुरक्षा बल कार्मियों और नष्ट हुई संपत्ति के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

घटनाओं का स्वरूप	2001	2002	2003	2004 (31.7.04 की स्थिति के अनुसार)
मारे गए सिविलियनों की संख्या	439	382	410	305
मारे गए सुरक्षा बल कार्मियों की संख्या	125	100	104	66
नष्ट हुई संपत्ति का मूल्य (रु. लाखों में)	25.44	29.24	14.18	49.9

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के तहत सी पी आई- (एम एल)- पी डब्ल्यू और एम सी सी तथा इनके सभी घटकों और प्रमुख संगठनों को आतंकवादी संगठनों के रूप में घोषित किया गया है।

(ङ) और (च) आंध्र प्रदेश की सरकार ने आंध्र प्रदेश लोक सुरक्षा अधिनियम, 1992 के तहत सी पी एम एल-पी डब्ल्यू और इसके प्रमुख निकायों पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंधन 22 जुलाई, 2004 को समाप्त हो गया और राज्य सरकार ने इसे आगे और नहीं बढ़ाया है।

(छ) केन्द्र सरकार ने नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए त्रि-आयामी रणनीति अपनाई है- (क) राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ करना, अर्द्ध सैनिक बलों की दीर्घकालीन तैनाती, गहन आसूचना के आधार पर सुसमन्वित नक्सल-रोधी अभियान चलाना, (ख) प्रभावित क्षेत्रों के एकीकृत विकास पर ध्यान केन्द्रित करना, और (ग) लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक अलगाव को दूर करना, लोक शिकायतें दूर करने संबंधी प्रणाली को सक्रिय करना और स्थानीय प्रतिरोधी ग्रुपों (लोकल रिजिस्टेन्स ग्रुपों) का सृजन करना।

[अनुवाद]

विनियंत्रित उर्वरक उद्योग हेतु समान नीति

*308. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रियायत/राजसहायता के संबंध में उर्वरक उद्योग की विनियंत्रित इकाइयों पर भिन्न नीति लागू है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी एन.पी.के. फासफोरस उर्वरक विनिर्माताओं हेतु एक समान नीति आरंभ करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) सरकार रियायत योजना के तहत नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों पर राजसहायता अदा करती है। इस योजना के तहत डीएपी, एमओपी, एसएसपी और विभिन्न श्रेणी के ग्यारह मिश्रित उर्वरक (एनपीके) शामिल हैं। उत्पादकों/आयातकों को प्रत्यक्ष कृषि उपयोग हेतु इन उर्वरकों की बिक्री पर रियायत/राजसहायता अदा की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए त्रिपक्षीय समझौता

*309. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में तेजी से ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए एक ग्रामीण विद्युतीकरण नीति बनाने का है, जैसा कि दिनांक 16 जुलाई, 2004 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, पावर ग्रिड कारपोरेशन, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ङ) इससे राज्य-वार कितने गांवों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(च) इसमें कुल कितना निवेश हुआ है; और

(छ) इसका कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) जी हां। पांच वर्षों के भीतर ग्रामीण विद्युतीकरण के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक नई रणनीति तैयार की गई है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) 33/11 केवी (या 66/11 केवी) उपकेन्द्र के ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन का गठन, जहां ऐसे प्रत्येक ब्लाक में एक उप-केन्द्र को राज्य पारेषण प्रणाली से समुचित तरीके से जोड़ा जाएगा।

(2) एक वितरण ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराकर ग्रामीण विद्युत अवसंरचना का निर्माण, जहां प्रत्येक गांव में ऐसा कम-से-कम एक ट्रांसफार्मर होगा।

(3) ग्रामीण वितरण ट्रांसफार्मर से गैर-विद्युतीकृत ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण।

(4) ऐसे गांव, जहां ग्रिड कनेक्टिविटी संभव नहीं है या मंहगी है, के लिए विकेन्द्रित वितरित विद्युत उत्पादन।

(ग) जी, हां।

(घ) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ने पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) और दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के साथ ग्रामीण विद्युतीकरण की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु राज्यों को इनकी सेवाएं मुहैया कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने विभिन्न राज्य सरकारों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों की मदद के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के निरूपण एवं क्रियान्वयन के लिए अपनी सेवा देने की सहमति दी है। यह राज्य सरकार/यूटिलिटी द्वारा तय किया जाना है कि वे किस हद तक इन केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं।

(ङ) से (छ) पश्चिम बंगाल ने पहले चरण में आरईसी के वित्तपोषण से 140.8 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1791 गांवों के विद्युतीकरण हेतु एक कार्य योजना तैयार कर ली है। इन गांवों में इस वर्ष के अंत तक कार्य आरंभ होने की संभावना है।

बिहार में पीजीसीआईएल को राज्य सरकार द्वारा पीएमजीवाई/एमएनपी/राज्य योजना की निधियों से वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले में लगभग 2400 गांवों का विद्युतीकरण का कार्य सौंपा जा चुका है। इसमें से सितंबर, 2004 से मई, 2005 तक 1200 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना निर्धारित है, जबकि शेष 1200 गांवों के विद्युतीकरण के लिए सितंबर, 2004 तक ठेका सौंपे जाने की संभावना है।

झारखंड सरकार ने भी आरईसी से वित्तपोषित नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सेवा लेने की इच्छा व्यक्त की है।

उत्तर प्रदेश ने भी कुछ ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सेवा प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की है।

एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के साथ शांति वार्ता

***310. श्रीमती मनोरमा माधवराज:**
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.एस.सी.एन. (इसाक-मुईवा) और भारत सरकार के वार्ताकार के बीच हाल ही में एम्सटरडम में शांति और युद्धविराम वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो वार्ता के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने भी अपनी हाल की यात्रा के दौरान बैंकाक में एन.सी.सी.एन. के नेताओं से मुलाकात की थी;

(घ) यदि हां, तो इनके साथ हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) और (ख) भारत सरकार के प्रतिनिधियों और एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के नेताओं की 29-30 जुलाई, 2004 को थाईलैंड में च्यांग-माई में बैठक हुई। इस बात पर सहमति हुई कि नागा मुद्दे का स्थायी और शान्तिपूर्ण हल खोजने के लिए वार्ताएं जारी रखी जाएं। विचार-विमर्श के बाद संघर्ष विराम की अवधि 31 जुलाई, 2005 तक एक और वर्ष के लिए बढ़ाने पर परस्पर सहमति हुई।

(ग) प्रधानमंत्री ने अपनी हाल की बैंकाक यात्रा के दौरान एन एस सी एन (आई.एम.) के नेताओं से मुलाकात नहीं की।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की समीक्षा

***311. श्री जुएल ओराम:**
श्री मोहन सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार व्यय में कमी लाने की दृष्टि से कुछ अतिविशिष्ट व्यक्तियों को प्राप्त सुरक्षा कवच की समीक्षा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा;

(ग) देश में कुल कितने व्यक्तियों को एस.पी.जी. और ब्लैक कैट सुरक्षा मिली हुई और ऐसी सुरक्षा प्रदान किए जाने के मानदंड क्या हैं;

(घ) इस पर कितना वार्षिक व्यय हो रहा है; और

(ङ) ऐसी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कुल कितने व्यक्तियों के आवेदन विचाराधीन हैं?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) और (ख) अतिविशिष्ट और संरक्षण प्राप्त अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा की समीक्षा करना एक निरंतर प्रक्रिया है और खतरे की विद्यमान आशंका को ध्यान में रखते हुए इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ग) जिन व्यक्तियों को एस.पी.जी. कवच और एन.एस.जी. का मोबाइल संरक्षण प्रदान किया गया है उनकी संख्या क्रमशः 9 और 14 है। एस.पी.जी. कवच एस.पी.जी. अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है और संरक्षण प्राप्त संबंधित व्यक्तियों को एन.एस.जी. मोबाइल संरक्षण खतरे की आशंका की गंभीरता के आधार पर प्रदान किया गया है।

(घ) चूंकि संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों की सुरक्षा में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के सुरक्षा कर्मचारी, संचार उपकरण, परिवहन वाहन, आसूचना एकत्र करने तथा समग्र पर्यवेक्षण आदि करने में लगने वाला व्यय शामिल होता है इसलिए अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर व्यय होने वाली सही-सही राशि ज्ञात करना कठिन है।

(ङ) सुरक्षा कवच प्रदान करने की मांग समय-समय पर परिवर्तित होती रहती है। गृह मंत्रालय, निर्धारित नीति के आधार पर दिल्ली में रह रहे व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें केन्द्रीय मंत्रियों, माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और सरकार के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को स्थिति के अनुसार सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। खतरे की आशंका के आधार पर उस समय सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है जब ऐसा खतरा मुख्य रूप से आतंकवादियों, उग्रवादियों या आपराधिक माफिया की ओर से होता है। दिल्ली से बाहर रहने वाले जिन व्यक्तियों और गणमान्य व्यक्तियों को खतरा होता है उन्हें उन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है जहां वे रह रहे हैं।

राष्ट्रीय विद्युत नीति

***312. श्री राजेन्द्र कुमारः**
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहाः

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत नीति की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तैयार की गई इस "राष्ट्रीय विद्युत नीति" और प्रशुल्क नीति को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पुनरीक्षित नीति के कार्यान्वयन से देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर में कितनी कमी आने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (घ) विद्युत अधिनियम, 2003 जो कि 16.6.2003 को लागू हुआ था, की धारा 3(1) में प्रावधान किया गया है कि केन्द्रीय सरकार कोयला, प्राकृतिक गैस, न्यूक्लीयर पदार्थ अथवा सामग्री, ऊर्जा के जल विद्युत एवं अक्षय स्रोतों जैसे संसाधनों के इष्टतम समुपयोजन पर आधारित विद्युत प्रणाली के विकास हेतु राज्य सरकारों और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ परामर्श करके राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति को समय-समय पर तैयार करेगी।

पूर्व प्रारूप पर प्राप्त टिप्पणियों और राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के उद्देश्यों के आधार पर अब राष्ट्रीय विद्युत नीति का एक संशोधित प्रारूप तैयार किया गया है। स्टेकहोल्डरों से प्राप्त विचारों पर भी विचार किया गया है।

राष्ट्रीय विद्युत नीति के प्रारूप का उद्देश्य अगले पांच वर्षों तक सभी घरों तक विद्युत पहुंचाने, विद्युत की मांगों को पूरा करने, युक्ति संगत दरों पर विश्वसनीय व गुणवत्ता वाली विद्युत की आपूर्ति उपलब्ध कराने और वर्ष 2012 तक प्रति व्यक्ति खपत को बढ़ाकर 1000 यूनिट से अधिक करने आदि के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इससे ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत उत्पादन, पारेषण वितरण, प्रौद्योगिकी विकास, वित्तपोषण, निजी क्षेत्र भागीदारी, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा के अक्षय व अपरंपरागत स्रोतों को प्रोत्साहन, उपभोक्ता हितों की रक्षा इत्यादि की समस्या दूर हो जाती है।

राष्ट्रीय विद्युत नीति के संशोधित प्रारूप, जिसे कि अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है, के संबंध में राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया गया है। तत्पश्चात्, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रीय विद्युत नीति के आधार पर टैरिफ नीति पर कार्रवाई इसे अंतिम रूप प्रदान किये जाने हेतु आरंभ की जायेगी।

राष्ट्रीय विद्युत नीति के प्रारूप का उद्देश्य न्यूनतम 5% आरक्षित विद्युत के साथ सन् 2012 तक विद्युत की मांग को पूर्णतः पूरा करना है।

भोपाल गैस त्रासदी के शिकार लोगों को धनराशि का वितरण

***313. श्री के.एस. रावः**
श्री कैलाश मेघवालः

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने 20 वर्ष के बाद भोपाल गैस त्रासदी के शिकार लोगों को मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इससे कितने पीड़ित लोगों को लाभ मिलने की संभावना है;

(घ) सरकार द्वारा धनराशि के वितरण के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) प्रत्येक लाभार्थी को कितनी मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है;

(च) क्या मुआवजा राशि को बढ़ाने हेतु विभिन्न पक्षों से कोई अनुरोध/मांग की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) 14/15 फरवरी, 1989 से अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अतीत, वर्तमान और भविष्य के दावों के निपटान के लिए यूनियन कार्बाइड को 470 मिलियन अमरीकी डालर जमा करने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार यूनियन कार्बाइड कंपनी ने मार्च 1989 में 470 मिलियन अमरीकी डालर (420 मिलियन अमरीकी डालर और लगभग 69 करोड़ भारतीय रुपए) जमा किए। मुआवजा देने की प्रक्रिया 1992 में शुरू हुई। मुआवजे के लिए 10,29,515 मामले निबंधित थे। सभी मामलों का निपटारा कर दिया गया है। 5,72,173 मामलों में कल्याण आयुक्त, जो कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश हैं, के द्वारा मुआवजा दिया गया है। 31.7.2004 तक मुआवजे के रूप में 1536.27 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। सभी मामलों में निर्णय के बाद, अपील और पुनरीक्षा याचिका के अलावा, कुछ राशि अनुप्रयुक्त पड़ी है। इस राशि के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अब 19.7.2004 के अपने आदेश में कल्याण आयुक्त को निपटाये गए, नहीं निपटाये गए और लंबित मामलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यथानुपात के आधार पर बची हुई राशि को उन व्यक्तियों को जिनके दावे निपटाए जा चुके हैं, वितरित करने का निदेश दिया।

(ग) से (ज) सरकार को विभिन्न स्रोतों से मुआवजे की राशि में वृद्धि तथा मुआवजे की राशि पर ब्याज के भुगतान के अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे थे। कल्याण आयुक्त के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के 19.7.2004 के आदेश से 31.7.2004 तक 5,72,173 पीड़ित लाभान्वित होंगे। पैसे के वितरण का मानदंड कल्याण आयुक्त द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के 19.7.2004 के आदेशों के आलोक में तय किया जाएगा।

[हिन्दी]

प्रबंधन और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश

***314. श्री शैलेन्द्र कुमारः** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रबंधन/इंजीनियरिंग/डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को 8 से 10 प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्यार्थियों को इन सभी प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने के लिए काफी धनराशि व्यय करनी पड़ती है;

(ग) क्या सरकार विद्यार्थियों द्वारा इस पर व्यय की जा रही राशि को न्यूनतम करने के लिए एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा जैसा कोई ठोस कदम उठाने जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ङ) वर्ष 2002 के बाद से केंद्रीय तकनीकी संस्थाओं (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के अतिरिक्त), सम-विश्वविद्यालयों तथा इस परीक्षा पद्धति को स्वीकार करने वाले राज्यों के इंजीनियरी, फार्मेसी तथा वास्तुकला में विभिन्न स्नातकपूर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु एक अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए 300 रुपये का शुल्क लिया जाता है।

वर्ष 2004-05 से प्रबंधन संस्थाओं में व्यापार प्रशासन निष्णात (एम.बी.ए.) तथा प्रबंधन कार्यक्रमों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय स्तर के पांच प्रबंधन प्रवेश परीक्षाओं, अर्थात् समान प्रवेश परीक्षा (सी.ए.टी.), प्रबंधन प्रवेश परीक्षा (एम.ए.टी.), संयुक्त प्रबंधन प्रवेश परीक्षा (जे.एम.ई.टी.), एक्स.एल.आर.आई. रूझान परीक्षा (एक्स.ए.टी.) और प्रबंधन प्रवेश हेतु ए.आई.एम.एस. परीक्षा (ए.टी.एम.ए.) में से किसी एक के आधार पर अखिल भारतीय स्थानों में प्रवेश दिया जाएगा।

विद्युत उत्पादन क्षमता

***315. श्री सुरेश चन्देल:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पनविद्युत परियोजना की हिस्सेदारी बढ़ाकर देश में 50 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में, विशेषकर हिमाचल प्रदेश में, पनविद्युत परियोजनाओं की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता के दोहन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ग) हमारा देश बृहत उपयोग करने योग्य जल विद्युत क्षमता से संपन्न है। व्यवस्थित तरीके से देश में व्यवहार्य जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के उद्देश्य से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने देश में सभी अविकसित जल स्थलों का क्रम व्यवस्था अध्ययन किया। इस क्रम व्यवस्था अध्ययन के आधार पर मई, 2003 में एक 50,000 मेगावाट जल विद्युत पहल की शुरूआत की गई जिसके अधीन 162 स्कीमों की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रथम दृष्टांत के रूप में 2.50 प्रति किलोवाट घंटा तक की प्रथम वर्ष की निर्देशात्मक शुल्क वाली 73 आकर्षक जल विद्युत स्कीमें, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 33,000 मेगावाट है, के विस्तृत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण पर विचार करने तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करने का प्रस्ताव है। इन स्कीमों को लाभ 11वीं योजना अवधि के दौरान एवं उसके बाद प्राप्त होगा।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने देश में जल विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) जल विद्युत परियोजनाओं का विकास करने के लिए निम्नांकित निगमों, अर्थात् नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन एच पी सी) और मध्य प्रदेश सरकार के साथ इसका संयुक्त उपक्रम-नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन एच डी सी), नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको), सतलुज जल विद्युत निगम लि. (एस जे वी एन एल), (भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन (टी एच डी सी), का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने जल विद्युत परियोजनाओं के विकास का कार्य भी हाथ में लिया है।

(2) संयुक्त उद्यम आदि के प्रोत्साहन, क्लीयरेंस के स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया के सरलीकरण, भौगोलिक जोखिम को कम करने, अंतरराज्यीय मुद्दों पर सर्वसम्मति विकसित करने, बेसिन-वार विकास आदि पर बल देते हुए अगस्त, 1998 में जल विद्युत नीति की घोषणा की गई।

(3) समय एवं आवश्यकता से अधिक व्यय में कमी लाने के लिए सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले जल विद्युत परियोजनाओं के लिए तीन चरणीय क्लीयरेंस प्रक्रिया भी अनुमोदित की है। चरण-1 के अधीन केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सर्वेक्षण, अन्वेषण करेंगे एवं पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करेंगे। चरण-2 के अधीन केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विस्तृत अन्वेषण से संबंधित गतिविधियां एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयारी, साथ ही निर्माण गतिविधियां एवं आधारिक रचनात्मक विकास, जिसमें भूमि अधिग्रहण शामिल हैं, भी किए जाएंगे। चरण-3 के अधीन पी आई बी/सी सी ई ए का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् निवेश निर्णय की मंजूरी प्रदान की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में 18,820 मेगावाट जल विद्युत संभाव्य क्षमता आंकी गई है। 5,768 मेगावाट (30.7%) की

क्षमता पहले ही विकसित की जा चुकी है तथा 3,154 मेगावाट (16.8%) की अतिरिक्त क्षमता विकास के विभिन्न चरणों में है। 50,000 मेगावाट जल विद्युत पहल के अधीन 3358 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ 15 स्कीमें हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। इनमें से कुल 2,790 मेगावाट की 10 स्कीमें डी पी आर तैयार करने के लिए विचार किए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

जेनेरिक औषधियां

***316. श्री वी.के. ठुम्मर:**
डा. राजेश मिश्रा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में औषधियों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए मूल्य सीमा के मानदंड को बदलने हेतु कोई नीतिगत निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आपरेशन रिसर्च ग्रुप (ओ.आर.जी.) जेनेरिक औषधियों की बिक्री को नियंत्रित नहीं करता है;

(घ) क्या पश्चिमी देशों की कुछ बड़ी जेनेरिक औषधि-निर्माता कंपनियां भारत में इन ब्रांडों का निर्माण शुरू करने वाली हैं;

(ङ) यदि हां, तो इससे ऐसा ही फार्मूलेशन का निर्माण करने वाली भारतीय भेषज कंपनियों पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (च) सरकार ने संकल्प दिनांक 29.8.1997 द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी पी सी ओ, 1995) के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों की कीमतें निर्धारित करने और उसमें हुए किसी परिवर्तन यदि कोई हो, तो अधिसूचित करने के लिए विशेषज्ञों की एक अधिकार प्राप्त निकाय राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन पी पी ए) का गठन किया है। संकल्प के अनुसार एन पी पी ए को इसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए अपनी प्रक्रिया अपनाने का अधिकार होगा। गैर-सूचीबद्ध सूत्रयोगों की कीमतों को मानीटर करने के लिए प्रक्रिया और पद्धति का समय-समय पर प्राधिकरण में निर्णय किया जाता है। इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं को समानरूप से संपूर्ण भेषज-बाजार को मानीटर करने के लिए ओ आर जी आई एम एस रिसर्च प्रा.लि. की मासिक खुदरा लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अनुपालन किया जाता है। कुछ ही जेनरिक उत्पाद मासिक लेखा परीक्षा में शामिल किए जाते हैं। इस मंत्रालय को किसी पश्चिमी देश से किसी बड़ी जेनरिक औषध कंपनी का भारत में विनिर्माण आरंभ करने की संभावना के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

[हिन्दी]

आई.एस.आई./अल-कायदा की गतिविधियां

***317. श्री हरिभाई राठौड़:**
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जुलाई, 2004 के 'दी ट्रिब्यून' में पूर्वोत्तर के विभिन्न आतंकवादी संगठनों के आई.एस.आई. और अल-कायदा के साथ सम्पर्कों के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में आई.एस.आई. और अल-कायदा की गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में आई.एस.आई. की गतिविधियों पर एक श्वेत-पत्र लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) अल-कायदा के पूर्वोत्तर भारत के भारतीय विद्रोही ग्रुपों के साथ संबंधों के बारे में सरकार के पास कोई रिपोर्ट नहीं है। तथापि, उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि पाकिस्तानी आई एस आई कुछेक भातरीय विद्रोही ग्रुपों की मदद कर रही है।

(ग) सरकार ने एक सुसमन्वित बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें घुसैपठ रोकने हेतु सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना,

आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, केन्द्र और राज्यों, दोनों में सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरण, सुसमन्वित आसूचना के आधार पर अभियान चलाकर आतंकवादी ग्रुपों/राष्ट्र-विरोधी तत्वों/आई एस आई एजेंटों की योजनाओं को विफल करना शामिल हैं। केन्द्रीय और राज्य आसूचना तथा सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई समन्वित कार्रवाई के फलस्वरूप, पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न भागों में बहुत से पाक समर्थित आतंकवादी/जासूसी माड्यूलों का पता लगाया गया है/उन्हें निष्क्रिय किया गया है।

(घ) से (च) जबकि देश में आई एस आई गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, समग्र राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया है कि इस समय ऐसी गतिविधियों पर श्वेत पत्र को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक आपदा सहायता के लिए मानदंड

***318. श्री जी.एम. सिद्धेश्वरः**
श्री पी. राजेन्द्रनः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक आपदा सहायता से संबंधित मानदंडों के पुनरीक्षण हेतु एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में प्राकृतिक आपदा-प्रवण क्षेत्रों की पहचान की है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा उन क्षेत्रों में आपदा से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) भारत सरकार ने 20 जुलाई, 2004 को आपदा राहत निधि (सी आर एफ)/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एन सी सी एफ) से व्यय के मानदंडों की पुनरीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था। यह समिति कृषि एवं सहकारिता विभाग के सचिव को अध्यक्ष तथा व्यय विभाग, ग्रामीण विकास, सीमा प्रबंधन, गृह मंत्रालय के सचिवों तथा गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्तों को सदस्य के रूप में लेकर गठित की गई है।

(ग) और (घ) समिति की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

समिति की सिफारिशें इस आशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई हैं कि उन क्षेत्रों में, जहां अन्य स्कीमें/परियोजनाएं नहीं चल रही हैं, प्रत्येक ग्रामीण परिवार में से एक व्यक्ति को एक महीने में 15 दिन के लिए राहत पारिश्रमिक रोजगार दिया जाए लेकिन जैसी कि समिति ने अनुशंसा की है इसके लिए शर्त यह है कि प्रत्येक मामले के आधार पर वास्तविक आवश्यकता का आकलन कर लिया जाए।

(ङ) और (च) भारत अपनी अद्वितीय भू-मौसमी परिस्थितियों के कारण विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए अति संवेदनशील है। बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप तथा भू-स्खलन की घटनाएं बार-बार होती रहती हैं। लगभग 60% आबादी विभिन्न तीव्रताओं वाली भूकम्पीय गतिविधियों की जोखिम में है, 40 मिलियन हैक्टेयर से अधिक भूमि चक्रवात-प्रवण है तथा 68% क्षेत्र में सूखा पड़ सकता है।

(छ) प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत और पुनर्वास के लिए मुख्यतया राज्य सरकारें जिम्मेवार हैं। भारत सरकार, जहां कहीं आवश्यक होता है, वित्तीय और सम्भारिकी सहायता उपलब्ध करा कर, राज्य सरकारों के प्रयासों में, सहायता करती है।

भारत सरकार ने तैयारी तथा अल्पीकरण को शामिल करते हुए अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किए हैं जिनमें संस्थागत तंत्र, जन-जागरूकता तथा सामुदायिक सहभागिता, पूर्व चेतावनी प्रणाली, मानव संसाधन विकास, आपातकालीन आपरेशन केन्द्र, आपातकालीन कार्रवाई के लिए विशेषज्ञता प्राप्त टीमें तथा अल्पीकरण उपाय शामिल हैं।

विवरण

आपदा राहत निधि/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से व्यय के मानदंडों की आगे पुनरीक्षा करने के लिए समिति की सिफारिश

बड़े किसानों को निवेश इमदादः लगातार दूसरे वर्ष (अथवा अनुवर्ती वर्ष में) होने वाली भीषण प्राकृतिक आपदा के मामले में छोटे तथा सीमान्त किसानों के अतिरिक्त निवेश इमदाद बशर्ते कि प्रति किसान दो हैक्टेयर की सीमा की शर्त के तहत प्रति हैक्टेयर 1000 रुपया इमदाद दी जा सकती है।

राहत रोजगार के मानदण्डों को उदार बनाना: विभिन्न प्लान स्कीमों के अंतर्गत, रोजगार सृजन के घटक सहित उपलब्ध धनराशि को हिसाब में लेने के बाद केवल आपदाओं से संबंधित अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए दैनिक पारिश्रामिक, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अकुशल मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम पारिश्रामिक के बराबर होना चाहिए। राहत निधियों से अंशदान प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 5 किलोग्राम खाद्यान्न (एस जी आर वाई-विशेष घटक) तथा प्रति व्यक्ति प्रति दिन 15 रुपये (सी आर एफ/एन सी सी एफ) माह में दस दिन तक सीमित रखा जाना चाहिए। न्यूनतम पारिश्रमिक तथा इस सहायता के बीच शेष यदि कोई हो, तो संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। प्रत्येक मामले के आधार पर, वास्तविक मांग की आकलन की शर्त के तहत प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण परिवार में से एक व्यक्ति को कार्य दिया जाएगा।

पशु पालन—छोटे तथा सीमान्त किसानों/कृषि मजदूरों को सहायता: मौजूदा मदों तथा पशु पालन से संबंधित व्यय के मानदंडों में अस्पष्टता को दूर करने के लिए समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

	मद		प्रस्तुत मानदंड
(1)	दूध न देने वाले/दुधारू पशुओं अथवा ढुलाई के लिए वास्तव में प्रयोग किए जाने वाले पशुओं को बदलना।	(1)	ग्रामीण विकास मंत्रालय की यथोचित योजनाओं के तहत निर्धारित दरों के अनुसार
(2)	पशु शिविरों में चारे की व्यवस्था	(2)	बड़े जानवर - 12 रुपए प्रतिदिन अन्य जानवर - 6 रुपए प्रतिदिन
(3)	पशु शिविरों में जल आपूर्ति	(3)	प्रत्येक मामले के आधार पर आकलन के अनुसार
(4)	दवाईयों और वैक्सीन की अतिरिक्त लागत (आपदा संबंधित आवश्यकताएं)	(4)	प्रत्येक मामले के आधार पर आकलन के अनुसार
(5)	पशु शिविरों के बाहर चारे की आपूर्ति	(5)	आपदा संबंधित मूल्य वृद्धि को निष्प्रभावी करने के लिए परिवहन पर अतिरिक्त व्यय प्रत्येक मामले के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
(6)	उपयोगी पशुओं की अन्य क्षेत्रों को आवाजाही	(6)	इस संबंध में संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत एक स्कीम पर पशु पालन एवं डेयरी विभाग के विशेषज्ञ आकलन पर।

नेपाल में विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता

***319. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार नेपाल में कुछ पन विद्युत परियोजनाओं को सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इससे विद्युत की हिस्सेदारी के संबंध में कितना लाभ होने की संभावना है; और

(छ) भारत सरकार द्वारा इन परियोजनाओं में किए गए निवेश/प्रस्तावित निवेश का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ङ) जी हां। भारत सरकार नेपाल को उनकी जल विद्युत क्षमताओं के विकास में सहायता दे रहा है। कुल संस्थापित क्षमता 51.1 मे.वा. की

4 जल विद्युत परियोजनाएं भारत की सहायता से कार्यान्वित की गई हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

जल विद्युत घटक वाली चार बड़ी जल संसाधन परियोजनाएं, जिनके नाम करनाली, पंचेश्वर, सप्त कोशी तथा बूढ़ी गंडकी परियोजनाएं हैं, जो विभिन्न स्तरों पर चर्चा के अधीन हैं। इसके अलावा, नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) द्वारा नेपाल में ऊपरी करनाली परियोजना के विकास की संभावना भी एक स्वतंत्र विद्युत परियोजना के रूप में विचाराधीन है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(च) महाकाली संधि के अनुसार पंचेश्वर परियोजना से उत्पन्न ऊर्जा का दोनों देशों अर्थात् भारत तथा नेपाल के द्वारा बराबर-बराबर हिस्सा लेना है। हालांकि, अन्य परियोजनाओं से विद्युत बांटे जाने के बारे में दोनों देशों के बीच अभी तक कोई करार नहीं हो पाया है।

(छ) विचाराधीन विभिन्न परियोजनाओं में निवेश के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण I

नेपाल में विद्युत परियोजनाओं को सहायता

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	जल विद्युत परियोजनाओं के नाम	क्षमता (मे.वा.)	कमीशनिंग वर्ष	एमईए द्वारा अनुदान (भारत सरकार)
1.	पोखरा	1 मे.वा.	1968	0.44
2.	त्रिशूली	21 मे.वा.	1969	15.19
3.	पश्चिमी गंडक	15 मे.वा.	1979	8.00
4.	देवी घाट	14.1 मे.वा.	1983	42.18

विवरण II

नेपाल में कार्यान्वयन हेतु विचाराधीन जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

(1) करनाली बहु-उद्देश्यीय परियोजना (10,800 मे.वा.)

यह परियोजना नेपाल में करनाली नदी पर बनाई जानी प्रस्तावित है। परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट महामहिम नेपाल सरकार (एचएमजी) ने 1989 में विदेशी सलाहकार मै. हिमालयन पावर कंसलटेंटस (एचपीसी) से तैयार करवा ली थी। भारत सरकार एवं महामहिम नेपाल सरकार के बीच चर्चाएं हो रही हैं तथा कई मुख्य पैरामीटर्स पर अभी भी निर्णय लिया जाना है।

(2) पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना (5600 मे.वा.)

पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना महाकाली नदी पर प्रस्तावित है तथा फरवरी, 1996 में महामहिम नेपाल सरकार तथा भारत के बीच हस्ताक्षर की गई महाकाली संधि के अंतर्गत आती है। नेपाल के साथ शेष मुद्दों को हल करने तथा पारस्परिक सहमति से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

(3) सप्तकोशी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना (3300 मे.वा.) तथा सन कोशी भंडारण एवं व्यावर्तन योजना

सप्तकोशी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना तथा सनकोशी भंडारण एवं व्यावर्तन योजना नेपाल में कुरूले के पास सनकोशी नदी पर बनाई जानी प्रस्तावित है। परियोजना बिहार में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण लाभ उपलब्ध कराएगी तथा उसके विद्युत उत्पादन का अधिकांश भाग भारत को उपलब्ध होगा। जैसी कि आपसी सहमति बनी है, नेपाल में एक संयुक्त परियोजना कार्यालय की स्थापना की जा रही है तथा इस कार्यालय के खुलने के बाद 30 महीनों के भीतर स्थलीय जांच एवं डी पी आर को तैयार किए जाने का कार्य पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

(4) बूढ़ी गंडकी जल विद्युत परियोजना (600 मेगावाट)

बूढ़ी गंडकी जल विद्युत परियोजना गंडक की सहायक नदी बूढ़ी गंडकी नदी पर बेनीघाट के पास मध्य-पश्चिमी नेपाल में बनाई जानी प्रस्तावित है। अब महामहिम नेपाल सरकार ने परियोजना का भारतीय सहयोग से विकास हेतु प्रस्ताव रखा है। जल संसाधन मंत्रालय ने स्थलीय जांच/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य वाप्कोस (डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस.) को सौंपने का प्रस्ताव रखा है।

(5) ऊपरी करनाली जल विद्युत परियोजना (300 मेगावाट)

ऊपरी करनाली जल विद्युत परियोजना नेपाल के पश्चिमी भाग में करनाली नदी पर बनाई जानी प्रस्तावित रन आफ दि रिवर योजना है। ऊपरी करनाली जल विद्युत परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट कनाडियन इंटरनैशनल वाटर एंड एनर्जी कंसल्टेंट्स (सी.आई.डब्ल्यू.ई.सी.) द्वारा तैयार की गई थी। एक स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आई.पी.पी.) के बतौर एन एच पी सी के माध्यम से इस परियोजना के विकास की संभावना वर्तमान में विचाराधीन है।

विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी

***320. श्री प्रबोध पाण्डा:**
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र में आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्युत उत्पादन में निजी और सरकारी क्षेत्र की क्या भूमिका होगी और आगामी पांच वर्षों में इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने पुराने विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम) के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु दिशा-निर्देश अक्टूबर 1995 में जारी किये थे। नीति में निजी क्षेत्र भागीदारी के विभिन्न विकल्पों जैसे (1) लीज, अधिग्रहण, प्रचालन और हस्तांतरण (एल आर ओ टी), (2) संयंत्र की बिक्री और (3) राज्य विद्युत बोर्डों (रा.वि. बोर्डों) और निजी कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम की परिकल्पना की गई है। तथापि ये विकल्प निदर्शन मात्र हैं। चयन और पहल स्पष्टतः राज्यों और संयंत्रों पर स्वामित्व रखने वाली विद्युत यूटीलिटियों पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, ताप विद्युत संयंत्रों के संबंध में आर एण्ड एम और जीवन विस्तार कार्यों को आरंभ के लिए भी जनवरी, 2004 में दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

(ग) दसवीं योजना के दौरान निजी क्षेत्र के जरिये ताप विद्युत में 5951 मे.वा. और जल विद्युत में 1170 मे.वा. क्षमता अभिवृद्धि अभिज्ञात की गई है। इसी प्रकार इसी अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र (केन्द्र व राज्य) के जरिये ताप विद्युत में 19466 मे.वा. और जल विद्युत में 13223 मे.वा. क्षमता अभिवृद्धि अभिज्ञात की गई है। अगले पांच वर्षों (अर्थात् 2004-05 से 2008-09) में इस प्रयोजनार्थ निधि की मात्रा लगभग 242000 करोड़ रुपये अपेक्षित है जिसमें 11वीं योजना की परियोजनाओं, जिन्हें कि इसी अवधि में ही आरंभ किया जा रहा है, की आवश्यकता भी शामिल है।

बांग्लादेश सीमा पर संयुक्त गश्त

***321. श्री रायापति सांबाशिवा राव:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश सरकार भारत की सीमा पर संयुक्त गश्त करने के प्रस्ताव पर सहमत नहीं है जबकि दोनों देश मादक द्रव्यों, हथियारों की तस्करी और मानव-दुर्व्यापार को रोकने पर सहमत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गत वर्ष मार्च में ढाका में बीएसएफ और बीडीआर की महानिदेशक स्तर की बैठक में गश्त का समन्वय करने का प्रस्ताव किया था;

(ग) यदि हां, तो संयुक्त गश्त के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं; और

(घ) बंगलादेश सीमा पर मदक द्रव्यों, हथियारों की तस्करी और मानव-दुर्व्यापार को रोकने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) से (ग) सीमा सुरक्षा बल ने सीमा पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए बांग्लादेश राइफल्स (बी.डी.आर.) से भारत-बांग्लादेश सीमा पर समन्वित/संयुक्त गश्त करने का प्रस्ताव किया है। भारत सरकार द्वारा तौर-तरीकों के मसौदे का अनुमोदन करने के पश्चात् उसे जून, 2003 में बी.डी.आर. को भेज दिया गया था। इस मुद्दे पर सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश राइफल्स के बीच 28 अप्रैल, 3 मई, 2004 को आयोजित महानिदेशक स्तर की बैठक के दौरान पुनः चर्चा की गई थी। महानिदेशक, बी.डी.आर. ने बताया कि संयुक्त समन्वित गश्त का मुद्दा सक्रिय तौर पर बांग्लादेश सरकार के विचाराधीन है।

(घ) भारत-बांग्लादेश सीमा पर नशीली दवाओं, हथियारों की तस्करी और मानव के अवैध व्यापार की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) गश्त द्वारा सीमा की चौबीसों घंटे निगरानी;

(2) विशेष अभियान चलाना;

(3) आसूचना तंत्र का उन्नयन;

(4) गश्त/नाका ड्यूटियों के लिए नफरी में वृद्धि;

(5) सीमा पर बाड़ लगाना और सीमा सड़कों का निर्माण; तथा

(6) सीमा सुरक्षा बल और अन्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण।

अवैध निर्माण

2682. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में कतिपय मंत्रियों के सरकारी आवासों और राजनैतिक दलों के कार्यालयों में अवैध निर्माण हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे आवंटनों को रद्द करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है जैसी कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने सरकारी आवास में एक कमरा या उससे अधिक का निर्माण करने के मामले में की जा रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों के साथ एक जैसा व्यवहार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरों का विवरण संलग्न विवरण में है।

(ग) से (ङ) विभिन्न पक्षों से प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार होने तक अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई को आस्थगित रखा गया है। पूरे मामले पर एक नीति तैयार की जा रही है।

विवरण

माननीय मंत्रियों के बंगलों में अनधिकृत निर्माण

क्र.सं.	परिसर का पता	अनधिकृत निर्माण की प्रकृति (वर्ग मी. में)
1	2	3
1.	30, पृथ्वीराज रोड	3 शैड-27.30 ढका हुआ बरामदा-23.40
2.	9, तालकटोरा रोड	3 शैड-170.00
3.	4, लोधी एस्टेट	दो कमरों का कार्यालय-50.00
4.	2, तुगलक रोड	शौचालय ब्लाक-4.00 फाइबर ग्लास शीट शेड का निर्माण 38.00 एक कमरा बना-12.00
5.	23, तुगलक रोड	किचिन के सामने ए सी शेड का निर्माण-20.00
6.	15, लोधी एस्टेट	एक कमरा 22.73 एक कमरा 31.85 पी वी सी ढांचा-7.13 बैठक हाल-75.00

1	2	3
		फव्वारे का निर्माण किचिन को बड़ा बनाया गया
7.	16, तीनमूर्ति लेन	ए सी शीट शेड 17.00
8.	7, एस.जे. रोड	3 कमरे-26.51 बंगले की बांई तरफ लकड़ी की शेड-22.00 बंगले की बांई तरफ शौचालय को बढ़ा दिया गया-5.70
9.	12, जनपथ	2 हाल-60.00 3 शेड-50.00 बाथरूम-6.00 पक्का हाल-140.00 कार्यालय के पीछे ए सी शेड के स्थान पर एक कमरे का निर्माण-36.00 के./आ. बंगले की सामने एक कमरे का निर्माण-16.00
10.	9, तीनमूर्ति मार्ग	शेड-108.00 2 शौचालय ब्लाकों का नवीकरण
11.	3, कुशक रोड	अतिथि गृह-37.16 2 कमरे-40.00 शेड-41.81 शौचालय तथा शेड-15.00 3 कमरे व 3 शौचालय-99.00 फाइबर ग्लास शीट का रास्ता-17.00 पीछे की तरफ फाइबर ग्लास शीट का निर्माण-28.00 बंगले के पीछे की तरफ (दाहिनी ओर) 2 छोटे ए सी शेड का निर्माण-3 किचिन गार्डन में ए सी शेड-14.00 लान में शेड का निर्माण-100.00
12.	12, पी पी मार्ग	शौचालय-5.04
13.	8, एस.जे. लेन	3 कमरे-68.00
14.	20, कापरनिक्स लेन	आगन्तुक कक्ष-50.00 शेड-10.00
15.	ए बी-87, शाहजहां रोड	शेड-28.00
16.	30 औरंगजेब रोड	सर्वेन्ट क्वार्टर में 2 कमरे व शौचालय-18.00
17.	7, तुगलक रोड	सर्वेन्ट क्वार्टर में 2 कमरे व शौचालय-18.00 सर्वेन्ट क्वार्टर के पीछे एक कमरे का निर्माण-10.00 दो शेड का निर्माण-30.00 दो कमरे के आगन को एसी शीट से ढका गया

1	2	3
		शौचालय सहित कमरा-32.00 शेड 66.00 शौचालय-6.05 कार्यालय के निकट शौचालय-6.00 एक शेड का निर्माण-8.00 बंगले के दाहिनी तरफ ए सी शीट-50.00
18.	36, औरंगजेब रोड	कार्यालय के निकट एक कमरा-20.00
19.	9, अशोक रोड	ए सी शीट शेड 18.62 बरामदे को ढकना फाइबर शीट शेड से आंगन को ढकना-24.00
20.	3, सुनहरी बाग रोड	कार्यालय के पीछे तीन छोटे कमरों का निर्माण-15.00
21.	28, महादेव रोड	(1) बंगले के सामने लान में दो शौचालय-7.50 (2) सैंड स्टोन रूफिंग सहित ईंट चिनाई से एक कमरा व शौचालय 4.50 × 4.00 मी. (3) ईंट चिनाई तथा स्टोर रूफिंग से एक कमरा 6.6 × 4.00 मी. (4) एक कमरा 4.00 × 6.60 मी.
22.	1-मौलाना आजाद रोड	बरामदे के सामने किचिन का निर्माण-25.00
23.	1, बी डी मार्ग	सर्वेन्ट क्वार्टर के निकट एक शौचालय का निर्माण 3.75 आफिस ब्लाक के सामने ए सी शीट शेड का निर्माण 28.00 आफिस ब्लाक के पीछे शेड का निर्माण 8.50
24.	10, तालकटोरा रोड	लान में शेड-30.00
25.	3, बी.डी. मार्ग	सामने की तरफ 3 ए सी शीट शेड का निर्माण-51.15 बंगले के पीछे-38.73 बंगले के दाहिने तरफ-45.89 कार्यालय के सामने दो कमरों का निर्माण-45.00 शौचालयों का निर्माण-4.00 सर्वेन्ट क्वार्टर के निकट शौचालय ब्लाक का निर्माण-6.00
26.	21, विलिंग्डन क्रिसेंट	दो शेड का निर्माण-30
27.	3, एम एल एन मार्ग	बंगले के पीछे दो कमरों व 1 शौचालय का निर्माण-45.00
28.	21, केनिंग लेन	मौजूदा शेड को बड़ा करना-20.00
29.	ए बी-97, शाहजहां रोड	सर्वेन्ट क्वार्टर के निकट एक कमरे का निर्माण 50.00 बंगले के खुले क्षेत्र में छोटे स्नानघर का निर्माण-7 × 8 फीट
30.	22, अकबर रोड	मेन गेट के निकट दाहिनी तरफ दो ढांचों का निर्माण-84.50 वर्ग मी.

1	2	3
31.	7, टी एम मार्ग	क्षेत्रफल-150 वर्गमीटर
32.	8, जी आर जी रोड	शेड का निर्माण-15.00 ए सी शीट शेड का निर्माण-9.00
33.	7, महादेव रोड	अस्थाई ढांचा-10.00 × 4.50 मी.
34.	30, महादेव रोड	बंगले के सामने शेड का निर्माण-8.50 × 3.50 मी.
35.	6, महादेव रोड	ईंट दीवार तथा लाल पत्थर की छत-वाला कमरा-3.3 × 5 मी.
36.	24, अकबर रोड	अतिरिक्त कार्यालय तथा बंगले का विस्तार (1050 वर्ग मी.)
37.	11, अशोक रोड	(क) कार्यालय ब्लाक के लिए विभाजन (815 वर्ग मी.) (ख) डब्ल्यू सी बाथ, कैन्टीन, दुकान तथा अस्थाई कार्यालय ब्लाक का निर्माण (ग) स्थाई ढांचे का निर्माण (8.5 × 8.5 मी.) (घ) जी आई शीट शेड-43 × 5.5 मी. और 18 × 55 मी.
38.	14, पी.पी. मार्ग	(1) ईंट दीवार व लाल पत्थर की छत वाला कार्यालय वारा (2) ईंट दीवार वाला शौचालय ब्लाक (5.5 × 3.00 मी.) (3) जी आई शीट छत वाला अस्थाई शेड 62.50 × 2.35 मी.) (4) ईंट दीवर व लाल पत्थर की छत वाले एक कमरे का कार्य प्रगति पर (4.88 × 4.50 मी.)

उग्रवाद से प्रभावित रेल परियोजना

2683. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतकंवादी हमने ने महत्वाकांक्षी जम्मू-बारामूला रेल परियोजना को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि 23 वर्षों के बाद और लगभग 13.00 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी जम्मू और ऊधमपुर के बीच 53 किलोमीटर के पहले चरण का काम भी पूरा नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सामने आ रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय या एहतियाती कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। भारतीय रेल निर्माण कंपनी (इरकान) के एक इंजीनियर तथा उनके भाई का आतंकवादियों द्वारा अपहरण कर लिया गया तथा बाद में पुलवामा जिले में 23.6.2004 को उनकी हत्या कर दी गई।

(ग) जम्मू-उधमपुर (53 कि.मी.) नई रेल लाइन परियोजना 515 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर पूरी कर ली गई है। उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला सैक्शन पर कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 5000 करोड़ रु. है। 30 जून, 2004 तक 1572.57 करोड़ रु. की निधि का उपयोग कर लिया गया है।

(घ) राज्य सरकार ने रेलवे प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके एक सुरक्षा परियोजना प्रारंभ की है। इस योजना में वैयक्तिक सुरक्षा, क्षेत्रीय प्रभुत्व, संवेदनशील क्षेत्रों, संचार आवश्यकताओं आदि पर विचार किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए बल स्तर में वृद्धि की गई है।

एन.एस.एल.आर.एस. के अंतर्गत धनराशि का उपयोग

2684. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेशनल स्कीम आफ लिब्रेशन एंड रिहेब्लिटेशन आफ स्केवेंजर्स के अंतर्गत वर्ष 2001-02 के दौरान 74 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान में से केवल 9.20 करोड़ रुपये का ही उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्कीम को पूरी तरह से लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) वर्ष 2001-02 में मैला ढोने वालों व उनके आश्रितों की इस कार्य से मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना (एनएसएलआरएस) के अंतर्गत किए गए बजट प्रावधान इस प्रकार थे:-

(करोड़ रु. में)

बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	जारी की गई राशि
74.00	8.21	9.20

(ख) कुछ कारण इस प्रकार हैं:-

(1) राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों (एससीडीसी)/ राज्य सरकारों अर्थात् कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित बकाया राशि होना।

(2) राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों/राज्यों से नई योजनाएं/प्रस्ताव प्राप्त न होना।

(3) राज्यों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र न भेजा जाना।

(ग) मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे पूर्ववर्ती वर्षों में एन.एस.एल.आर.एस. के तहत जारी की गई धनराशि खर्च करें और उपयोग प्रमाणपत्र शीघ्र भेजें।

स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

2685. श्री तापिर गाव: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक देश के विभिन्न भागों विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी महिलाओं के लिए शैक्षिक केन्द्र चलाने वाले कुछ स्वैच्छिक संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) और (ख) जी हां। जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए शैक्षिक परिसर स्थापित करने एवं चलाने के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान और इस वर्ष अब तक वित्तपोषित संगठनों में निर्मुक्त की गई धनराशि के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	नाम	पता	अवस्थिति	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश							
1.	चैतन्य रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन	3/881, वाई.एम.आर. कालोनी, प्रोद्दतूर, जिला-कुडप्पा	प्रोद्दतूर, जिला-कुडप्पा	888000	594000	-	-
2.	हाई टेक यूथ एसोसिएशन	3/6/492, फ्लैट नं. 101, रवि किरन एपार्टमेंट, गली नं. 6, हिमायतनगर, हैदराबाद	कुशमानची, जिला-खम्माम	-	30000	-	-
3.	इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एजेंसी	रैथूपेट, नन्दीगामा, जिला-कृष्णा	ग्राम-रेडलाकुन्टा, कोडाडा मंडल, जिला-नालगोण्डा	1230000	1230000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	जागृति एजूकेशनल एण्ड कम्यूनिटी डेवलपमेंट सोसायटी	9/4/131/1/बी/15, नदीन कालोनी, टोलीचौकी, हैदराबाद	ग्राम-चिकमलाया पलम, जिला-खम्मम	9,12,000	10,82,000	-	-
5.	नवोदय इन्टीग्रेशन कल्चरल सोशल, एजूकेशनल एण्ड वाल्यूंटरी आर्गेनाइजेशन	डोर नं. 3/92/31, टीचर्स कालोनी, धोने, जिला-कुरनूल	धोने, जिला-कुरनूल	6,18,000	8,36,037	5,94,000	-
6.	प्रियदर्शिनी सर्विस आर्गेनाइजेशन	डोर नं. 45/56/9, शालिग्रामपुरम, नरसिंहानगर, अक्कयापालेम विशाखापट्टनम	ग्राम-पेन्दुरथी, जिला-विशखापट्टनम	6,53,175	-	-	-
7.	रूरल महिला वेलफेयर सोसायटी	11/765, आदित्य नगर, कल्लूर, आई.टी.सी. के पास, कुरनूल	कल्लूर, जिला-कुरनूल	3,18,000	4,59,000	8,58,000	
8.	सरोजनी देवी हरिजन महिला मंडली	11/10/635, बुरहानपुर, खम्मम	तेजा पब्लिक स्कूल, मोनीगुडम, डोरनाकुलम मंडल, जिला-वारंगल	-	30,000	1,59,000	-
9.	सोशल एक्शन फार सोशल वेलफेयर	131 बी, सूर्य निलय एपार्टमेंट, संजीव रेड्डी नगर, हैदराबाद	ग्राम एवं पोस्ट-हकीमपेट, मंडल-बोमरसपेट; ग्राम एवं पोस्ट-श्रीधाम चन्द्रपुर; ग्राम एवं पोस्ट-पोडाडिहा; ग्राम एवं पोस्ट-हकीमपेट, मंडल-बोमरसापेट, जिला-महबूबनगर	3,85,000	-	-	-
10.	सोशल इन्टीग्रेटेड एण्ड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी	7/9/160, श्रीराम नगर कालोनी, पांगल, जिला-नालगोण्डा	मंडल-मनुगोडवा, जिला-नालगोण्डा	8,88,000	11,58,000	-	-
11.	वेनेला एजूकेशन एण्ड रूरल डेपलपमेंट सोसायटी	309/सी, अंसारी काम्पलेक्स, हुमायूं नगर, हैदराबाद	ग्राम-नालकोण्डापल्ली, जिला-खम्माम	9,00,000	10,30,000	-	-
अरुणाचल प्रदेश							
12.	ओजू वेलफेयर एसोसिएशन	पुलिस स्टेशन के पास, सेक्टर-बी नाहरलागुन, जिला पापमपारे	ग्राम-वेसांग, सेप्पा, जिला-वेस्ट कमांग	-	9,04,000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
छत्तीसगढ़							
13.	विवेकानंद इंस्टीट्यूट आफ सोशल हेल्थ एण्ड वेलफेयर	नारायणपुर, जिला-बस्तर	ग्राम-ओरछा (अबूझमाड़), जिला-बस्तर	8,82,000	9,73,400	9,20,400	-
गुजरात							
14.	ग्राम स्वराज संघ	ग्राम-नीलपुर, जिला-कच्छ	ग्राम-नीलपुर, जिला-कच्छ	4,37,730	-	-	-
15.	लोक निकेतन	ग्राम-रतनपुर, तहसील-पालनपुर, जिला-बनासकांठा	ग्राम-वीरमपुर, तहसील-पालनपुर, जिला-बनासकांठा	7,93,000	9,21,000	5,85,900	-
16.	श्री एम.जी. पटेल सर्वोदय केंद्र	ममता काया आश्रमशाला, ग्राम-अमीरगढ़, तहसील-पालनपुर, जिला-बनासकांठा	ममता काया आश्रमशाला, ग्राम-अमीरगढ़, तहसील-पालनपुर, जिला-बनासकांठा	-	4,08,116	-	-
17.	श्री सर्वोदय आश्रम	ग्राम एवं पोस्ट-सनाली, तहसील-दांता, जिला-बनासकांठा	ग्राम एवं पोस्ट-सनाली, तहसील-दांता, जिला-बनासकांठा	4,23,752	4,85,000	-	-
18.	श्रीमती सुशीलाबेन मेमोरियल ट्रस्ट	ग्राम एवं पोस्ट-सोनेतकारी नीलपुर, तालुका-रापार, जिला-कच्छ	ग्राम-रतनपुर, तहसील बछाऊ, जिला-कच्छ	7,01,060	7,20,000	4,05,000	-
19.	उत्तम ग्राम्य विकास सेवा ट्रस्ट	ग्राम एवं पोस्ट-अम्बेटी, वाया-वापी, तालुका-कपराडा, जिला-बलसाड	ग्राम-कजाली, तालुका कपराडा, जिला-बलसाड	-	30,000	1,59,000	-
20.	जरपन नसरपुर विभाग केलवानी मंडल	केलवानी मंडल, ग्राम एवं पोस्ट-वाडी, तालुका-उमरपाड़ा, जिला-सूरत	-	-	30,000	-	-
कर्नाटक							
21.	कर्नाटक रेजीडेंसियल एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसायटी	ग्राम-गुरुगुण्डा, जिला-रायचुर, बंगलौर, ग्राम-हुसकरमाला, जिला-मैसूर, बंगलौर	ग्राम-गुरुगुण्डा, जिला रायचुर, बंगलौर; ग्राम हुसकरमाला, जिला-मैसूर, बंगलौर	1,56,000	-	-	-
मध्य प्रदेश							
22.	आदर्श लोक कल्याण समिति	ग्राम-बाकिया, तहसील-रामपुर बाघलान, जिला-सतना	ग्राम-हरदुआ कला, वाया-खोह, जिला-सतना	21,48,000	19,38,000	11,57,500	-
23.	बंधवाल शिक्षा समिति	92, पुराना नारियल खेड़ा, भोपाल	ग्राम-बुढानी, जिला-सिहोर	8,79,000	11,58,000	-	-
24.	मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ	166 ई, मुनिनगर, उज्जैन	हाट सिहोर, जिला-सिहोर	-	30,000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	राजेन्द्र आश्रम ट्रस्ट	ग्राम एवं पोस्ट-काठियावाड़, जिला-झाबुआ	ग्राम एवं पोस्ट-कठियावाड जिला झाबुआ	5,62,800	5,62,800	-	-
26.	सब्यसांची सेंटर फार अर्बन एण्ड रूरल डेवलपमेंट	अमर निकुंज, करोडिया नार्थ, सीधी	ग्राम-सरेठी, जिला-सीधी	5,90,000	4,09,500	-	-
27.	सेवा भारती	मातृ छाया, स्वामी रामतीर्थ नगर, मैदा मिल के पास, होशंगाबाद रोड, भोपाल	भोपाल	-	6,75,000	-	-
28.	स्वामी रामकृष्ण विवेकानंद सेवाश्रम संघ	माई की बगिया, अमरकंटक, जिला-शहडोल	ग्राम-लालपुर, जिला-शहडोल	4,50,000	5,93,000	-	-
महाराष्ट्र							
29.	ए.बी.एम. समाज प्रबोधन संस्था	16, प्रकाश एपार्टमेंट, कटेमानीवाली कल्याण, जिला-थाणे	ग्राम-सखादवाळो, जिला-थाणे	8,80,000	5,94,000	-	-
30.	पीपुल्स एजूकेशन सोसायटी	18, सरकुलर रोड के पास, बुलडाना	बुलडाना	-	30,000	1,59,000	-
31.	शांति निकेतन शिक्षण संस्था	वाडगांव, तालुका-मुखेद, जिला-नांदेड	वाडगांव	-	30,000	1,59,000	-
32.	श्रीमती लक्ष्मीबाई राघोबाजी इंगले शिक्षण प्रसारक मंडल	मोरचांदी, जिला-यवतमाल	चांगी	-	30,000	-	-
दिल्ली							
33.	दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट	7 ई, स्वामी रामतीर्थ, नगर, रानी झांसी रोड, झण्डेवाला, नई दिल्ली	ग्राम-मझगवां जिला-सतना (म.प्र.)	3,90,000	8,84,359	-	-
उड़ीसा							
34.	अग्रगामी	ग्राम-कौडागुडा, पोस्ट-टेन्दुलीखूंटी जिला-नवरंगपुर	ग्राम-कौडागुडा, पोस्ट-टेन्दुलीखूंटी, जिला-नवरंगपुर	1,76,032	2,25,000	-	-
35.	अरुण इंस्टीट्यूट आफ रूरल अफेयर्स	ग्राम-असवाखोला, पोस्ट-कारामुल, वाया-महिलागाड़ी, जिला-धनकनाल	बाटागांव	6,18,000	8,88,000	5,94,000	-
36.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ	ठक्कर बापा स्मारक सदन, डा. अम्बेडकर मार्ग, लिंक रोड, नई दिल्ली	ग्राम एवं पोस्ट-श्रीधाम चन्द्रपुर; ग्राम एवं पोस्ट-पोडाडिहा; ग्राम एवं पोस्टा-अम्बाडिहा, जिला-मयूरभंज	6,30,000	3,78,000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	ब्राइट कैरियर एकेडमी	डोलामंडुप गली, पोस्ट-जैपोर, जिला-कोरापुट	मीरागंली, पोस्ट-ड्रागुडा, बोईपारीगुडा, जिला-कोरापुट	10,92,000	16,98,000	13,07,000	-
38.	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट	उत्कल ब्रांच, पोस्ट-सत्यभामापुर, जिला कटक	ग्राम-गोपालबाड़ी, पोस्ट-अन्दामोड़ा, जिला-रायगड़ा	3,74,789	2,30,000	-	-
39.	क्योंझर इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	ग्राम-हरिश्चन्द्रपुर, जिला-क्योंझर	बुढ़ाबामन	-	30,000	-	-
40.	कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन	लिंगराज नगर, जयपुर, जिला-कोरापुट	ग्राम एवं ब्लाक-नन्दापुर, जिला-कोरापुट	2,47,500	6,30,000	-	-
41.	मारमनिंग आश्रम	अरविंद नगर, जयपुर, जिला-कोरापुट	ग्राम एवं पोस्ट-पेद्दावाल्डा, वाया-बंदूगाठ	9,64,575	9,64,595	4,91,000	-
42.	न्यासड़ी	संतापुर, वाया-गोंडिया, धनकनाल	हुकुम टोला, ब्लाक-मुनिगुडा, जिला-रायगडा	6,49,984	9,20,000	-	-
43.	प्रकल्प	ज्योतिपुर, जिला-क्योंझर; एवं कालेज रोड, क्योंझर	ग्राम-मशीनाबिला, ब्लाक-घटगांव जिला-क्योंझर	43,211	5,93,111	4,59,000	-
44.	सर्वोदय समिति	गांधीनगर, कोरापुट	ग्राम एवं पोस्ट-कोरापुट	10,54,843	12,39,600	7,20,000	-
45.	सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसायटी	ग्राम-ठक्कर बापा आश्रम, रायगाडा	रायगाडा	4,01,802	2,82,552	2,33,128	
46.	सेवा समाज	ग्राम एवं पोस्ट-गुनुपुर, जिला-रायगड़ा	ग्राम-गुनुपुर	4,50,000	4,55,000	3,75,500	
47.	श्री रामाकृष्णा	ग्राम-बदरोहिला, पोस्ट-कदालीमुंडा, जिला-आंगुल	ग्राम-बदरोहिला, पोस्ट-कदालीमुंडा, जिला-आंगुल	3,24,000	11,52,992	-	-
48.	सोशल एजूकेशन फार इनवायरमेंट एण्ड डेवलपमेंट	एन. 2/152, आई.आर.सी. विलेज, नयापाली, भुवनेश्वर	ग्राम-टांडापाली ब्लाक-कुक्कुण्डा जिला-मलकानगिरि	-	5,67,000	-	-
49.	सोशल वेलफेयर एण्ड रूरल डेवलपमेंट	ग्राम-बालीजोरोण्डा, पोस्ट-बेनसिया, वाया-महिमागाड़ी, जिला-धनकनाल	ग्राम-रामई	-	3,09,000	3,24,000	-
50.	सोसायटी फार नेचर एण्ड हेल्थ	ए.-17, भाउमा नगर, यूनिट-4, भुवनेश्वर	ग्राम-बारागुडा पोस्ट-चाटी कोना जिला-रायगाड़ा	5,96,000	4,29,500	10,02,000	-

1	2	3	4	5	6	7	8
51.	टैगोर सोसायटी फार रूरल डेवलपमेंट	ए.-47, रामेश्वर पटनम, मौसिमा स्कवायर, भुवनेश्वर	पार्किलगुडा, वाया-कामपेडा, कोरकोण्डा, जिला-मलकानगिरि	6,59,653	5,25,500	-	-
राजस्थान							
52.	जनजाति महिला विकास संस्थान	अनुराग निवास, रणथम्भोर रोड, सवाई माधोपुर	ग्राम-मेनपुरा	6,82,500	8,52,000	10,92,000	-
53.	लोक भारती प्रतिष्ठान	ग्राम एवं पोस्ट-डूगंला, जिला-चित्तौड़	बनसी, चित्तौड़गढ़	-	30,000	1,47,000	-
54.	मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति	हिंटा, तहसील-बाला नगरी, जिला-उदयपुर	भिण्डर, जिला-उदयपुर	12,06,000	7,23,000	13,02,660	-
55.	राजस्थान बाल कल्याण समिति	झालोड़, जिला-उदयपुर	झालोड़	3,90,000	8,49,000	5,37,000	-
तमिलनाडु							
56.	सेंटर फार रूरल इकोनामिक डेवलपमेंट एण्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग	24, ग्राम-गुडापक्कम, पोस्ट-पुधुचथिरम, तिरूवल्लूर, पिन-602107, तमिलनाडु	चिन्ना अरूवंगडु, जिला-तिरूवन्नामलाई, तमिलनाडु	0	30,000	-	-
उत्तर प्रदेश							
57.	अग्रगामी सेवा संस्थान	तिवारीगंज, पो.-जुगौर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	ग्राम-राजदर्व, पोस्ट-मनकपुर, जि.-बलरामपुर	65,000	450,000	5,59,000	
58.	मानव विकास एवं सेवा संस्थान	261, हिंद नगर, कानपुर रोड, लखनऊ-23	कटघरी, हुजूरपुर, जिला-बहराइच, उ.प्र.	61,8000	-	-	-
पश्चिम बंगाल							
59.	भारत सेवाश्रम संघ (बेलदंग)	बेलदंग जनजातीय कल्याण केंद्र, पोस्ट-बेलदंग, जिला-मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	ग्राम-सागरदीघी, जिला-मिदनापुर (पश्चिम बंगाल)	2,01,8000	44,56,000	-	-

विशेष सशस्त्र बल अधिनियम, 1958

2686. श्री मणि चारेनामैः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ भागों विशेषकर नागालैंड और मणिपुर में विशेष सशस्त्र बल अधिनियम, 1958 प्रख्यापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नागालैंड और मणिपुर से विशेष सशस्त्र बल अधिनियम, 1958 को रद्द करने या वापस लेने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष रूप से मणिपुर में मानव अधिकार की स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958, जिसे "सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष शक्तियां (संशोधन) अधिनियम, 1972" के रूप में यथासंशोधित किया गया है, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों पर लागू है। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इंफाल नगर पालिका क्षेत्र, त्रिपुरा के 34 पुलिस स्टेशनों (28 पुलिस स्टेशन पूर्ण रूप से और 6 पुलिस स्टेशन आंशिक रूप से), अरुणाचल प्रदेश में तिरप और चांगलांग जिलों तथा असम से लगी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की 20 कि.मी. पट्टी को छोड़ कर असम, नागालैंड, मणिपुर के पूरे राज्यों को "अशांत क्षेत्र" के रूप में घोषित किया गया है।

(ख) और (ग) इंफाल नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर नागालैंड और मणिपुर पर लागू संदर्भगत अधिनियम को वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सुरक्षा बलों को इस आशय के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे भारत के उच्चतम न्यायालय के 27.11.1997 के निर्णय में निर्धारित दिशा निर्देशों और सेना मुख्यालय द्वारा जारी "क्या करें और क्या न करें" का पूरा पालन करें। ये बाध्यकारी हैं।

नर्मदा नदी से पेयजल की आपूर्ति

2687. श्री कैलाश जोशी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नर्मदा जलविद्युत विकास निगम द्वारा नर्मदा नदी के शाहगंज, भोपाल में पेयजल की आपूर्ति हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(घ) परियोजना की अनुमानित लागत और परियोजना के वित्तपोषण के तरीकों सहित मध्य प्रदेश सरकार के हिस्से का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और पर्यावरण संगठन ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) परियोजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और इसके पूरा होने की प्रस्तावित तारीख क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) नर्मदा जलविद्युत विकास निगम ने 285 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से नर्मदा नदी से शाहगंज के निकट हीरानी गांव में प्रतिदिन 196 मिलियन लिटर कच्चा पानी निकालने और शोधन के बाद उसे जेल हिल स्थित प्रस्तावित मास्टर बलेंसिंग रिजर्वोयर तक 67 कि.मी. लंबी पाइप लाइन द्वारा पंप करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग ने बाद में उसी स्रोत अर्थात् नर्मदा नदी से शाहगंज के निकट हीरानी गांव से 298 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाली एक संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

(घ) राज्य सरकार ने बताया है कि वर्तमान मूल्यों पर अनुमानित लागत करीब 300 करोड़ रु. है जिसका वित्त प्रबंध इस प्रकार करने का प्रस्ताव है:-

(1)	भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता	-	100 करोड़ रुपए
(2)	हडको से ऋण सहायता	-	100 करोड़ रुपए
(3)	राज्य सरकार से बजट सहायता	-	100 करोड़ रुपए

(ङ) जी नहीं।

(च) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन (सी पी एच ई ई ओ) द्वारा तकनीकी दृष्टि से जांच की गई है और आवश्यक अभ्युक्तियां स्पष्टीकरण/अनुपालन के लिए राज्य सरकार को भिजवा दी गई हैं।

(छ) राज्य सरकार ने परियोजना शुरू करने और पूरी करने का कोई निर्धारित समय सीमा नहीं बतायी है।

विशेष संघटक योजना के अंतर्गत आने वाले परिवार

2688. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-03 के दौरान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए बनाई गई विशेष संघटक योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) उक्त अवधि हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) से (घ) जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त, जनजातीय उपयोजना कार्यनीति के अधीन अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए राज्यों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा अनेक केन्द्रीय/राज्य क्षेत्रीय स्कीमें चलाई जा रही हैं। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 20-सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र 11(ख) के अंतर्गत वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

कुछेक राज्यों ने वित्तीय कमियों सहित विभिन्न राज्यों के विशिष्ट कारणों से अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं किए। इसके अतिरिक्त, नवगठित झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों ने इन वर्षों में अपनी उपलब्धियां सूचित नहीं कीं जिससे कुल उपलब्धियों में भी गिरावट आई।

विवरण

वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान 20-सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र 11(ख) के अंतर्गत राज्य-वार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001-02		2002-03	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	155000	51870	155000	96440
2.	असम	40000	55022	40000	42928
3.	बिहार	10900	5199	5165	5429
4.	गुजरात	88600	107356	85000	96762
5.	हिमाचल प्रदेश	4500	8459	4600	4888
6.	जम्मू व कश्मीर	1200	3228	1200	—
7.	कर्नाटक	29000	31625	29000	16589
8.	केरल	5000	1435	5000	1066
9.	मध्य प्रदेश	209100	213979	210000	220299
10.	महाराष्ट्र	135000	48777	135000	53799
11.	मणिपुर	5000	3683	5000	2425
12.	उड़ीसा	107696	73764	107696	75732
13.	राजस्थान	73000	85256	73500	87217
14.	सिक्किम	5000	5015	5000	3979
15.	तमिलनाडु	11250	14824	11250	9870
16.	त्रिपुरा	12200	13905	12200	10616

1	2	3	4	5	6
17.	उत्तर प्रदेश	927	1133	927	486
18.	पश्चिम बंगाल	33700	29289	33700	32234
19.	झारखंड	115100	—	115100	-
20.	छत्तीसगढ़	98000	122	98000	—
21.	उत्तरांचल	3500	1106	3500	2415
22.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1629	1009	1629	1881
23.	दमन व दीव	565	615	600	783
	जोड़	1145867	756671	1138067	765838

[हिन्दी]

पेयजल परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक से सहायता

2689. **श्री वाई.जी. महाजन:**
श्री हरिभाई राठौड़:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने देश में पेयजल आपूर्ति परियोजना के लिए कोई वित्तीय सहायता स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पेयजल परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन पर उक्त राशि खर्च किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ, पेयजल सप्लाई के लिए वित्तीय सहायता हेतु निम्नलिखित मामलों में एशिया विकास बैंक के साथ करार सम्पन्न किए गए हैं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ऋण राशि मिलियन (अमेरिकी डालर)	जल आपूर्ति के लिए अनुमानित राशि मिलियन (अमेरिकी डालर)
1.	कर्नाटक शहरी अवसंरचना विकास परियोजना	80.00	40.00
2.	राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास	250.00	180.00
3.	कर्नाटक शहरी विकास तथा तटीय पर्यावरण प्रबंध परियोजना	145.00	60.00
4.	गुजरात भूकंप पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण	350.00	120.00
5.	मध्य प्रदेश में शहरी जल आपूर्ति तथा पर्यावरणीय सुधार	200.00	115.00

[अनुवाद]

अनाज बैंकों की स्थापना

2690. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के उन भागों में अनाज बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया है जहां पर सदैव अनाज की कमी रहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु विशेषकर पलानी में किसी स्थान की पहचान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय वर्ष 1996-97 से 13 राज्यों में केन्द्रीय योजना समिति द्वारा चुने हुए दूर-दराज व पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण के कारण बच्चों की मौतों को रोकने के उद्देश्य से ग्रामीण अन्न बैंक योजना कार्यान्वित कर रहा है। सामान्त: ये खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्र हैं। समिति ने 13 राज्यों के 52 जिलों में 370 ब्लाक चुने हैं जिनकी राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। तथापि, यह सूची निर्देशात्मक है और जहां कहीं खाद्यान्न की कमी का खतरा हो राज्य इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र है।

(ग) से (ङ) तमिलनाडु में केन्द्रीय योजना समिति ने निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया है:

जिला	ब्लाक
(1) बिल्लुपुरम, आर.पी. जिला	(1) वेल्लीमलाई (कलरायन हिल्स)
(2) सेलम	(2) वलबंधीनानू (कोली हिल्स)

जैसाकि पहले ही बताया गया है, यह 'सूची निर्देशात्मक है और जहां कहीं खाद्यान्न की कमी और कुपोषण हो वहां राज्य सरकार यह स्कीम कार्यान्वित कर सकती है।

विवरण

पिछड़े और दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों की मौतों को रोकने संबंधित केन्द्रीय योजना समिति द्वारा चुने गए क्षेत्रों में ब्लाकों की सूची

क्र.सं.	जिला	मण्डल "ब्लाक"
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1.	महबूब नगर	1. अमराबाद
		2. बालामूर
		3. असामपेट
		4. लिंगाला
2.	कुरनुल	1. अत्माकुर
		2. पेडा गोटापल्ली
		3. बंदी अत्माकुर
		4. वेलुगुडु
3.	प्रकाशम	1. डोरनाल
		2. येरागोंडापालेम
		3. पुलाला चेरूवु
		4. पेडा आरडा वेडु
		5. आरडा वेडु
		6. गिडालुर
		7. सांथामागुलुर
		8. मारटुर
		9. चिनागांजाम
		10. बुलापाडु
		11. कांडुकुर
		12. टांगुटुर
		13. ओंगोली
4.	गुंटुर	1. बेलडुरथी
		2. माचेरला

1	2	3
		3. दुर्गी
		4. तानाली
		5. रेपाली
		6. बापातला
		7. कारलापालेम
		8. पोन्नुर
		9. गुंटुर
		10. ताडीकोंडा
		11. ताडेपाल्ली
		12. मंगलागीरी
		13. साथेनापल्ली
		14. कोसुरू
		15. आचामपेटा
		16. बेलामकोंडा
		17. नारसारोपेटा
		18. नेकेरकालु
		19. चिलकालुरीपेटा
		20. रोमपिचेरला
		21. बोलापलली
		22. पेड्डुगुराला
		23. दातचिपलली
		24. माचावरम
		25. माचेरला
		26. दुर्गी
		27. वालडुरथी
5.	नालगोंडा	1. चानाडामपेटा
6.	रंगारेड्डी	1. विकाराबाद
		2. पुडुर

1	2	3
		3. पदामुल
		4. कुलकचेरला
		5. गेनडीडु
		6. पारगी
		7. बाशेराबाद
बिहार		
1.	गुमला	1. बिशनपुर
		2. घाघरा
		3. चैनपुर
		4. डुमरी
		5. रायडीह
		6. गुमला
		7. सिसई
		8. बेरनो
		9. कामधारा
		10. बासिया
		11. पालकोट
		12. सिमडेगा
		13. कोलीबेरा
		14. बानो
		15. जालडेगा
		16. टेहटानगर
		17. कुरडाग
		18. बोलबा
2.	दुमका	1. सरियाहट
		2. आरमुडी
		3. जामा
		4. रामगढ़

1	2	3
		5. गोपीकांडेर
		6. काटनीकुंड
		7. दुमका
		8. सिकरीपारा
		9. रामेश्वर
		10. मसालिया
		11. कुंडसिट
		12. नाला
		13. जामतारा
		14. नरायणपुर
3.	गोड्डा	1. महारामा
		2. मेघामा
		3. बोराईजोर
		4. सुन्दरपहरी
		5. पथरगामा
		6. गोड्डा
		7. पोरैयाहाट
		8. ठाकुर गंटी
4.	साहेबगंज	1. साहेबगंज
		2. बोराई
		3. रालजरी
		4. राजमहल
		5. बरहरवा
		6. पथना
		7. बरहैत
		8. लिटियापारा
		9. अमरपारा

1	2	3
		10. हिरनपुर
		11. पाकुड़
		12. महेशपुर
		13. पाकुड़िया
5.	गढ़वा	1. भवान्तीपुर
		2. माझीओ
		3. उन्तारी
		4. धुकरी
		5. मिराल ''पिपराकलाल''
		6. गढ़वा
		7. रांका
		8. बांदारिया
6.	पलामु	1. चैनपुर
		2. विश्रामपुर
		3. हुसैनबाद
		4. हरिहरगंज
		5. छत्तरपुर
		6. पाटन
		7. मांटु
		8. पांकी
		9. लासलीगंज
		10. डालटेनगंज
		11. बरवाडीह
		12. बालुमठ
		13. मानीका
		14. धानडवा
		15. लातेहार

1	2	3
		16. गारू
		17. माहुआडनर
गुजरात		
1.	भरूच	1. वालिया
2.	कच्छ	1. भाचाव
		2. रापर
3.	दानसांता	1. पालनपुर "अमरीगढ़"
		2. दांता
केरल		
1.	पालाकाड	1. आटापेड्डी
2.	वायनाड	1. मानानथायेडु
		2. स. बाथेरी
		3. कालपेटा
3.	इदुक्की	1. थोडुपुझा
		2. देवीपुलम
		3. इदुक्की
		4. नेदुमकानदम
		5. काथापुआ
		6. आजुलटा
		7. असिमाली
		8. ऐलामदेसाम
4.	मालापुरम	1. निलामबुर
5.	कोझीकोड	1. कोडुवल्ली
		2. कुन्नामल
		3. पेरामबारा
मध्य प्रदेश		
1.	झाबुआ	1. झाबुआ
		2. रामा
		3. रानापुर
		4. मेघनगर
		5. थानडले
		6. पेटलावड
		7. उदयगढ़
		8. भाबरे
		9. जोबट
		10. काठियावाडा
		11. सोनडवा
		12. अलीराजपुर
2.	माण्डला	1. माण्डला
		2. नैनपुर
		3. मोहगांव
		4. बिच्छा
		5. मावाई
		6. घुघरी
		7. डिंडोरी
		8. सामनापुर
		9. बाजग
		10. अमरपुर
		11. कारंजिया
		12. निवास
		13. साहपुर
		14. महाडवानी
		15. विजाडंडी नारायणगंज
3.	बस्तर	1. जगदलपुर

1	2	3
		2. बस्तर
		3. बाकेवांड
		4. लोहानडीगुडा
		5. थोकपाल
		6. बस्तानर
		7. गिडम
		8. डेनटावांडा
		9. कुआकोंडा
		10. काटाकलयाण
		11. बिजापुर
		12. बैरामगढ़
		13. भोपाल पाटनम
		14. ऊसुर
		15. सुकमा
		16. कोंटा
		17. दारबा
		18. चिन्दगढ़
		19. कानेकर
		20. नरहरपुर
		21. चारेमा
		22. भानुप्रतापपुर
		23. दुर्गकोंडल
		24. कासकल
		25. बादेरजपुर
		26. फरासगांव
		27. कोंडागांव
		28. माकडी
		29. अहतागढ़
		30. कोइलीबेडा
		31. नरायणपुर
		32. द्रोचा
4.	सुरगुजा	1. अम्बिकापुर
		2. बातोली
		3. सितापुर
		4. राजपुर
		5. लखनपुर
		6. लुनडरी
		7. मैनपेट
		8. सुरजपुर
		9. उदयपुर
		10. प्रतापपुर
		11. प्रामनगर
		12. रामानुजनगर
		13. ओदगी
		14. बैयाथान
		15. बैकुंठपुर
		16. सोनहाट
		17. मानेन्द्रगढ़
		18. खादगावा
		19. भरतपुर
		20. रानचंद्रापुर
		21. बलरामपुर
		22. वालद्रेभनगर
		23. कुसमी
		24. संकेरगढ़

1	2	3
महाराष्ट्र		
1.	अमरावती	1. धारनी
		2. चिकालधारा
2.	गढ़चिरोली	1. गढ़चिरोली
		2. बेमरागढ़
		3. आहरी
3.	नासिक	1. नासिक
		2. कालवान
4.	धुलिया	1. थालडाई
5.	थाना	1. जवाहर
		2. दहानु
6.	नानडेड	1. किनवट
मणिपुर		
1.	चंदेल	1. चंदेल
		2. चकपिकरांग
		3. तेंगनोपाल
		4. माची
2.	चुराचंदपुर	1. थनलोन
		2. तिपाईमुख
		3. हेंगलेप
		4. सिंघत
3.	तामेंगलांग	1. तमाई
		2. तौसेम
		3. तामेंगलांग
		4. लांगपी
		5. नुगबा
4.	सेनापती	1. सेनापती

1	2	3
		2. सैकुल
		3. कांगपोकपी
		4. माओ
उड़ीसा		
1.	कोरापुट	1. कोरापुट
		2. पोटंगी
		3. सेमलीगुडा
		4. दसमंथपुर
		5. लमटपुट
		6. नंदापुर
		7. नरायणपटना
		8. लक्ष्मीपुर
		9. बंधुगांव
		10. जयपुर
		11. बोईपारीगुडा
		12. कुन्द्रा
		13. बोरीगुमा
		14. कोटपाड
2.	मलकानगिरी	1. मलकानगिरी
		2. कोरकुडा
		3. कालीमाल
		4. पाडीया
		5. पाथीली
		6. खैरपुट
		7. कुडमालगुमा
3.	नवरंगपुर	1. नवरंगपुर
		2. चांददी

1	2	3
		3. दाबुगांव
		4. धारीगांव
		5. कोसगुमुडा
		6. नंदाहांडी
		7. पापड़हांडी
		8. रायघर
		9. तंतुलीखुंटी
		10. उमेरकोट
4.	रायगडा	1. रायगडा
		2. कल्याणसिंहपुर
		3. कोसीपुर
		4. कोलनारा
		5. गुनुपुर
		6. गुदरी
		7. पदमपुर
		8. रमनगुडा
		9. बिसम-कटक
		10. मोनीगुडे
		11. चंदनपुर
5.	कालाहांडी	1. थुआमुल रामपुर
		2. लांजीगढ़
6.	नोआपाटा	1. नोआपाड़ा
		2. खरीआर
		3. सिनापाली
		4. बोदेन
		5. कोमने
7.	बोलनगिर	1. बोलनगिर
		2. पुनईनताला
		3. लुईसिंगा
		4. अगलपुर
		5. तंतुलीखुंटी "गुडवोला"
		6. दौमांग
		7. तितिलगढ़
		8. सैनताला
		9. दोराईकेला
		10. बांगेमुडा
		11. मुरीबहल
		12. पटनागढ़
		13. खपरखोले
		14. बलपेडा
8.	सोनेपुर	1. सोनेपुर
		2. तारवा
		3. बिनका
		4. दुगरीपल्ली
		5. बेरमा हरजपुर
		6. उलुनदा
राजस्थान		
1.	बांसवाड़ा	1. खुशहालगढ़
		2. पिपलखुट
		3. सज्जनगढ़
2.	उदयपुर	1. कोटरा
त्रिपुरा		
1.	नार्थ डिस्ट्रीक्ट	1. कुमारघाट

1	2	3
		2. पानीसागर
		3. दासदा
		4. पाचरथाल
2.	धालाई	1. सालेमा
		2. धुमबुरगर
		3. चाउमानु मानु
3.	वेस्ट डिस्ट्रीक्ट	1. जिरांनिया
		2. मोहनपुर
		3. बिसेलगढ़
		4. जामुपुईजाला
		5. मंडल
		6. खोवाई
		7. तुलेशिखर
		8. तालीमुरा
		9. मालाभर
4.	साऊथ डिस्ट्रीक्ट	1. अमरपुर
		2. कारबुक
		3. साचंद
		4. रूपाईचारी
		5. मातारबारी
		6. किले
		7. बागभा
तमिलनाडु		
1.	विल्लुपुरम आर पी जिला	1. वेलीमाली "कालरायण हिल्स"
2.	सेलम	1. वालवाधिनानु "कोली हिल्स"
उत्तर प्रदेश		
1.	देहरादून	1. जानसार भाभर
पश्चिम बंगाल		
1.	पुरूलिया जिला	1. बलरामपुर-अरहा
		2. बारमुडी
		3. बर्दवान

[हिन्दी]

मदरसा बोर्ड की स्थापना

2691. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्रीय मदरसा बोर्ड स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) बोर्ड के लक्ष्य और उद्देश्य क्या होंगे; और

(ङ) बोर्ड के कार्यकरण पर प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

शहरों का विकास

2692. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री बीरसिंह महतो:
श्री काशीराम राणा:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों के शहरों का विकास करने हेतु इस वर्ष के दौरान प्रस्तावित की गई योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया जा रहा है;

(ङ) क्या विश्व बैंक इस प्रयोजनार्थ कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार ब्यौरा क्या है और किन-किन परियोजनाओं पर काम प्रगति पर है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

शहरी जनसंख्या

2693. श्री ए.के. मूर्ति: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2025 में देश की आधी जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी अनुमान लगाया गया है कि एक-तिहाई जनसंख्या मलिन बस्तियों और गरीबी की रेखा से नीचे की स्थिति में रहेगी; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी चिंताजनक स्थिति से बचने के लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय के पास वर्ष 2025 के लिए शहरी आबादी/स्लम आबादी के संबंध में ऐसे कोई अनुमानित आंकड़े नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना

2694. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना हेतु परियोजना के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी सहायता मांगी गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उत्कृष्टता की क्षमता वाले विश्वविद्यालयों की स्कीम के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों से सात प्रस्ताव तथा उत्कृष्टता की क्षमता वाले कालेजों की स्कीम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के कालेजों से 16 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनका ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। उत्कृष्टता की क्षमता वाले विश्वविद्यालयों की स्कीम के अंतर्गत एक विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय का चयन किया गया है। तथापि, उत्कृष्टता की क्षमता वाले कालेजों की स्कीम के अंतर्गत अभी तक कोई चयन नहीं किया गया है।

विवरण

उत्कृष्टता के लिए प्रस्ताव देने वाले विश्वविद्यालयों और कालेजों (आंध्र प्रदेश राज्य) की सूची

विश्वविद्यालयों का नाम:

1. काकातिया विश्वविद्यालय
2. नागार्जुन विश्वविद्यालय
3. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ
4. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय
5. आंध्र विश्वविद्यालय
6. ओसमानिया विश्वविद्यालय
7. श्री सत्य साई उच्चतर शिक्षा संस्थान

आंध्र प्रदेश के संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा संस्तुत कालेजों का नाम:

1. उस्मानिया यूनिवर्सिटी कालेज फार वूमेन, कोटी, हैदराबाद
2. निजाम कालेज, हैदराबाद

3. सेंट फ्रांसिस कालेज फार वूमेन, बेगमपेट, हैदराबाद
4. जे.एस.डी. सेंट थेरेसाज आटोनोमस कालेज फार वूमेन, एलुरू, पश्चिम गोदावरी जिला
5. सेंट जोसेफ आटोनोमस कालेज फार वूमेन, विशाखापटनम
6. डी.के. गवर्नमेंट डिग्री कालेज फार वूमेन कालेज, नेल्लौर
7. बसन्त थियोसे कालेज, मदनापल्ली
8. जवाहर भारती कालेज, कावली
9. सिंगरेनी कोलियरिज वीमेन्स डिग्री कालेज, कोथागुडेम डोस्ट, खम्माम
10. एस.आर.आर. गवर्नमेंट डिग्री कालेज, करीमनगर
11. यूनिवर्सिटी आर्ट्स एंड साइंस कालेज, सुबदेरे, वारंगल
12. आंध्र लोयला कालेज, विजयवाडा
13. मारिस स्टेला कालेज, विजयवाडा
14. पी.एस. सिद्धार्थ कालेज आफ आर्ट्स एंड साइंस, विजयवाडा
15. एस.एस.बी.एन. डिग्री कालेज, अनन्तपुर
16. श्री रामकृष्ण डिग्री कालेज, नंदयाल, कुरूनूल

स्काई बस परियोजनाएं

2695. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड ने सार्वजनिक परिवहन के विकल्प के रूप में स्काई बस की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) क्या सरकार ने परियोजना को पूरा करने हेतु कोई लक्षित तारीख निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन सी आर पी बी) ने यह सूचित किया है कि सार्वजनिक परिवहन के विकल्प के रूप में स्काई बस के लिए इसके द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना

2696. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण भारत से विदेश जाने की इच्छा रखने वाले छात्रों को पृष्ठांकन और सत्यापन के लिए दिल्ली आना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण के राज्य इस प्रयोजनार्थ हैदराबाद या चेन्नई में क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने की मांग कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) शैक्षिक अर्हता के प्रमाणीकरण के लिए दिल्ली के केन्द्र के अतिरिक्त तिरुवनन्तपुरम में एक क्षेत्रीय अधिप्रमाणन केन्द्र पहले ही जनवरी, 2004 से कार्य कर रहा है।

(ख) से (घ) हैदराबाद और चेन्नई में क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, विदेश जाने के महत्वाकांक्षी छात्रों की समस्याओं को कम करने के लिए, भारत सरकार ने पहले ही जुलाई, 2004 में राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों को विदेश जाने वाले लोगों के शैक्षिक प्रमाण-पत्रों को अधिप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान में अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों का दाखिला

2697. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान में नामांकित और दाखिल किए गए श्रेणीवार छात्रों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आरक्षण की तुलना में अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों की दाखिला संख्या काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा आरक्षण नीति के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों का दाखिला सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आदिकालीन जनजातियों के विकास में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन

2698. श्री परसुराम माझी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** 20 जुलाई, 2004 के तारांकित प्रश्न संख्या 219 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में आदिकालीन जनजातियों के विकास में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कितना अनुदान प्राप्त किया गया है; और

(ग) इन वर्षों में आदिकालीन जनजातियों के विकास में इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा क्या विशेष कार्य किए गए?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों का नाम और पता, निर्मुक्त धनराशि और स्वीकृत कार्यकलापों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	वर्ष (लाख रुपए में)	धनराशि	स्वीकृत गतिविधियां
1	2	3	4	5
1.	सोशल फार वेलफेयर आफ वीकर सैक्शन, पलेखमुंडी, जिला गजपति, उड़ीसा	2001-02	4.41	- माइक्रो प्लानिंग - स्व सहायता समूह - एक्सपोजर - रिवोल्विंग फंड - बागवानी - लीगल एंड कैम्प - कृषि प्रशिक्षण - सिंचाई - प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण - प्रशासनिक लागत
2.	परकल्पा, गौरोटोटा साही (टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे) पो. क्योंझर, जिला: क्योंझर, उड़ीसा	2001-02	10.84	- समेकित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए परियोजना (स्व-सहायता समूह, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्रशिक्षण, कार्यक्रम आदि)
		2003-04	4.00	- रिवोल्विंग फंड और कृषि कार्यकलाप
3.	आर्गेनाइजेशन फार सोशल चेंज एंड रूरल डेवलपमेंट (आसकार्ड), ए/85, साहिद नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	2001-02	4.59	- स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन - ग्राम स्वच्छता कार्यक्रम - एग्रो डिमोंस्ट्रेशन फार्म के लिए कार्यशील व्यय - ऊनी/जूट/बांस/टेराकोटा शिल्प में प्रशिक्षण/स्व-सहायता समूह - एग्रो डिमोस्ट्रेशन फार्म की लागत - कार्यक्रम प्रबंधन का वेतन

1	2	3	4	5
				- टी.ए., टेलीफोन, प्रिंटिंग प्रभार आदि - आवास किराया
4.	कलिंगा इंस्टीट्यूट आफ इंडस्ट्रीयल टैक्नोलाजी (किट) पो. किट, भुवनेश्वर-751024, उड़ीसा	2001-02	23.00	- लीडरशिप प्रशिक्षण - उपयुक्त कृषि गतिविधियों का प्रशिक्षण - स्व-सहायता पर महिला प्रशिक्षण - मधुमुक्खी पालन पर प्रशिक्षण - बीज और खाद्य का वितरण - जड़ी बूटियां उगाना - किचन गार्डन - लघु वन उत्पाद के लिए रिवोल्विंग फंड - वेतन - प्रोजेक्ट आफिस किराया - टीए, डीए और अन्य आकस्मिक व्यय - मानीटरिंग की लागत - प्लांटिशन - भू-विकास
5.	बनबासी सेवा परकल्पा, ब्रज विहार, भवानीपटना, जिला कालाहांडी, उड़ीसा	2003-04	15.60	- सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम

असम से विकास प्रस्ताव

2699. **श्री नारायण चन्द्र वरकटकी:** क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान असम सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डी ओ एन ई आर) को कितने प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत किये गये प्रस्तावों की वर्ष-वार संख्या और अनुमोदित धनराशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार की निकट भविष्य में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यालय खोलने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक खोले जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) सितम्बर, 2001 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग की स्थापना से लेकर वर्ष 2003-2004 तक असम सरकार ने 285 प्राथमिकता प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और जारी की गई राशियां इस प्रकार हैं:-

(लाख रुपयों में)

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशियां
2001-2002	31	3915.00
2002-2003	11	3915.00
2003-2004	10	3547.17
कुल	52	11377.17

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय विशिष्ट विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। यह मंत्रालय परियोजनाएं कार्यान्वित नहीं करता और इसलिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कार्यालय की आवश्यकता नहीं है।

पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन

2700. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष में आज की तारीख तक महाराष्ट्र को पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा स्रोत क्षेत्र के अंतर्गत परियोजनाओं को लागू करने के लिए इरेडा द्वारा कुल कितना ऋण उपलब्ध कराया गया;

(ख) महाराष्ट्र में इस समय पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा स्रोत के माध्यम से कितना विद्युत उत्पादन किया जा रहा है और उसकी प्रति यूनिट उत्पादन लागत क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) ने गत दो वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष में 31 जुलाई, 2004 तक महाराष्ट्र में विभिन्न अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 117.30 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है तथा 106.34 करोड़ रुपये के ऋण का संवितरण किया है।

(ख) दिनांक 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र में 645 मेवा. की समग्र क्षमता वाली ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना की गई है। इन परियोजनाओं से लगभग 20% के औसत क्षमता उपयोग घटक पर प्रतिवर्ष लगभग 1122 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होने की आशा है। ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन का क्रय राज्य उपयोगी सेवाओं द्वारा बायोमास विद्युत के लिए 3.05 रु. तथा पवन विद्युत के लिए 3.50 रु. प्रति यूनिट की दर पर किया जा रहा है।

(ग) और (घ) मंत्रालय विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्कीमों के प्रावधानों के अनुसार, महाराष्ट्र सहित राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का समर्थन देता रहा है।

प्रतिभा पलायन

2701. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आई.आई.टी. से प्रशिक्षित व्यक्तियों का बड़े पैमाने पर अन्य देशों को प्रतिभा पलायन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश के कितने आई.आई.टी. प्रशिक्षित व्यक्ति उक्त अवधि के दौरान बाहर गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति पर नियंत्रण रखने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) देश छोड़कर जाने वाले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान व्यावसायिकों की संख्या का कोई रिकार्ड एक साथ नहीं रखा जा रहा है। अधिकांश छात्र अपना स्नातकपूर्व अध्ययन पूरा करने के बाद उच्च अध्ययन अथवा रोजगार के लिए विदेश जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से व्यावसायिकों के विदेश चले जाने को न्यूनतम बनाने के लिए और विदेशों में बस गए वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों को भारत लौट आने के प्रति आकर्षित करने के लिए सरकार ने समय-समय पर अनेक उपाय किए हैं। ऐसे कुछ उपाय इस प्रकार हैं:-

(1) विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा संस्थाओं में उत्कृष्टता/उच्च अध्ययन केंद्रों की और अधिक स्थापना।

(2) उद्यमशीलता संबंधी विकास के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण।

(3) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अग्रणी तथा उभरते क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने हेतु लघु अवधि के तकनीकी कार्यों के लिए विदेशों में बस गए भारतीय मूल के लब्ध प्रतिष्ठित पुरुषों तथा महिलाओं को निमंत्रण।

(4) एम.टेक. कार्यक्रम के लिए अध्येतावृत्तियों की संख्या तथा राशि में वृद्धि जिसके परिणामस्वरूप अधिक छात्रों ने एम.टेक. कार्यक्रम में भाग लेना शुरू कर दिया है।

(5) संकाय के रूप में शीघ्र प्रवेश कार्यक्रम जिसका उद्देश्य प्रतिभावान तथा युवा स्नातकपूर्व छात्रों को इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी/फार्मेसी/वास्तुकला आदि में आकर्षित करना ताकि वे अध्यापन को अपनी आजीविका बना सकें।

(6) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्थायी संकाय पदों पर अनिवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के लोगों की नियुक्ति।

(7) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में नवाचारी तथा उद्भवन केंद्रों की भी स्थापना की है जो छात्रों को स्नातक शिक्षा पूरी करने के बाद अपना स्वयं का उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

(8) स्नातक छात्रों को विभिन्न एजेंसियों से आर्थिक सहायता प्राप्त प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना।

(9) छात्रों के आजीविका संबंधी विकल्पों के चुनाव के लिए परामर्शी सत्र आयोजित करना और भारतीय उद्योगों तथा भारत में पंजीकृत संगठनों में छात्रों की भर्ती के लिए आवश्यक कदम उठाना।

[हिन्दी]

श्रमिक विद्यापीठ

2702. श्री गणेश सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में सतना जिला मुख्यालय में श्रमिक विद्यापीठ है जिसका नाम बदलकर जन-शिक्षण संस्थान कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्थान का नाम जन-शिक्षण संस्थान रखने के बाद उसे आज तक कुल कितनी निधियां आवंटित की गई हैं;

(ग) श्रमिकों के कुल कितने परिवारों को प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया;

(घ) सतना जिले में स्थित विभिन्न इकाइयों द्वारा उक्त संस्थान को प्रदत्त सामग्री का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त संस्थान में भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है;

(छ) क्या उक्त संस्थान की गतिविधियां बंद कर दी गई हैं; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी हां।

(ख) जन-शिक्षण संस्थान, सतना को जारी की गई कुल अनुदान राशि का विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	राशि (रु. लाख में)
2000-2001	18.00
2001-2002	23.28
2002-2003	05.00
2003-2004	10.00
कुल	56.28

(ग) जन-शिक्षण संस्थान की योजना के अनुसार नव-साक्षरों तथा समाज के सामाजिक-आर्थिक रूप से सुविधाविहीन वर्ग के लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों में, जन-शिक्षण संस्थान, सतना ने विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रमों में 3165 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया।

(घ) जन-शिक्षण संस्थान, सतना की सूचना के अनुसार विभिन्न इकाइयों द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण तथा कार्यालय उपस्कर, फर्नीचर आदि प्रदान किए गए हैं।

(ङ) और (च) इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है।

(छ) और (ज) जन-शिक्षण संस्थान, सतना के अध्यक्ष पद के संबंध में विवाद है और यह मामला निर्णय हेतु राज्य सरकार के पास लम्बित है। इसी कारण संस्थान के कार्यकलाप कम हो गए हैं।

जन-शिक्षण संस्थान के प्रबन्धन की देख-रेख के लिए भारत सरकार ने एक अन्तरिम प्रशासक को नियुक्त किया है।

आश्रम स्कूलों को वित्तीय सहायता

2703. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार कितने आश्रम स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ख) उन स्वैच्छिक संगठनों का विषय-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान आज तक सेमिनार और वर्कशाप आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

होमगार्डों का कार्यकरण

2704. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देशभर में राज्य-वार कितने होमगार्ड्स कार्यरत हैं;

(ख) आज की तिथि के अनुसार इनमें से कितने होमगार्ड स्थायी हैं कितने अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत 20 वर्षों से कार्यरत हजारों होमगार्डों को अभी तक भी नियमित नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें नियमित करने के लिए कोई योजना बना रही है;

(ङ) यदि हां, तो यह योजना कब तक बनाए जाने की सम्भावना है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(छ) क्या ये कार्मिक पुलिस के साथ भी कार्य करते हैं और उन्हें पुलिस थानों, सरकारी भवनों तथा कभी-कभी सीमाओं पर भी तैनात किया जाता है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) होम गार्ड्स स्वयंसेवकों का एक निकाय है जिसे राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जाता है और ये उन सरकारों के नियंत्रण में होते हैं। जब कभी जरूरत पड़ती है तब राज्य सरकारों द्वारा होम गार्डों को अपेक्षित संख्या में ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है। किसी समय विशेष में विभिन्न राज्यों में ड्यूटी के लिए बुलाए गए होम गार्डों की वास्तविक संख्या का विशिष्ट ब्यौरा केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ख) होम गार्ड्स, स्वंयसेवकों का एक संगठन है। इन स्वयंसेवकों को जीवन के हर क्षेत्र से लिया जाता है जो पंजीकृत होते हैं और जो, जब कभी जरूरत पड़ने पर विनिर्दिष्ट ड्यूटी और कार्य करने में प्रशिक्षित होते हैं। ऐसे स्वयं सेवकों का नियमित यह अस्थाई स्टेटस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता है।

(छ) जी हां, श्रीमान।

(ज) केन्द्र सरकार द्वारा ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

अध्यापकों को विदेश भेजना

2705. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव विदेशों में रहने वाले उत्तर भारतीयों को संस्कृत, हिन्दी और हिन्दुस्तानी संगीत पढ़ाने के लिए अध्यापकों को विदेश भेजने का है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न देशों को ऐसे कितने अध्यापक भेजे गए और उनके भुगतान की शर्तें तथा सेवा शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में तमिल दक्षिण अफ्रीका और इंग्लिश गुयाना इत्यादि में रह रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव इन देशों में रहने वाले तमिल लोगों के लाभ के लिए तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु तमिल अध्यापक और कर्नाटक संगीत के अध्यापकों को वहां भेजने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) वर्ष 1993-94 के दौरान, एजुकेशनल कंसलटेन्ट्स इंडिया लिमिटेड ने भारत से 20 तमिल शिक्षकों के

अनुसमर्थन हेतु शिक्षा मंत्रालय, सिंगापुर सरकार के साथ एक समझौता किया था। 20 शिक्षकों की आवश्यकता के स्थान पर केवल 18 शिक्षकों ने यह कार्यभार ग्रहण किया था। अनुसमर्थन सेवाओं के लिए एड.सिल. को सेवा शुल्क का भुगतान किया गया।

तथापि, इस समय तमिल शिक्षकों तथा कर्नाटक संगीत शिक्षकों को किसी भी देश में भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आईसीडीएस के अंतर्गत सहायता

2706. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आईसीडीएस के अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या राज्य सरकार, विशेषकर गुजरात ने केन्द्र सरकार तथा विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का उपयोग कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनमें इन निधियों का उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो अभी तक निधियों का पूरी तरह उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में प्रशिक्षण घटक (उदिशा) सहित बिहार और मध्य प्रदेश में विश्व बैंक सहायता-प्राप्त आईसीडीएस-2 परियोजना, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्गठन कार्यक्रम के आईसीडीएस घटक तथा केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं उत्तरांचल में आईसीडीएस-3 परियोजना का कार्यान्वयन किया गया है। इन परियोजनाओं में विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता इस प्रकार है:-

(अमेरिकी डालर मिलियन में)

परियोजना	2001-02	2002-03	2003-04
आईसीडीएस-2	32.93	15.98	शून्य
आईसीडीएस-एपीईआर	शून्य	38.34	17.58
आईसीडीएस-3	33.31	60.88	1.66
कुल	66.24	115.20	19.24

(ख) से (घ) आईसीडीएस (सामान्य), विश्व बैंक सहायता-प्राप्त आईसीडीएस परियोजनाओं तथा आईसीडीएस कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण (उदिशा) हेतु निर्मुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I से III में दिया गया है। विगत तीन वर्षों में संस्वीकृत तथा परिचालित परियोजनाओं की राज्य-वार तथा वर्ष-वार संख्या संलग्न विवरण IV में दी गई है। एक वित्तीय वर्ष में अप्रयुक्त बकाया निधियों का उपयोग आगामी वर्ष में किया जाता है।

विवरण I

वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 के अंतर्गत आईसीडीएस स्कीम (सामान्य) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त राशियां एवं राज्यों द्वारा बताए गए व्यय ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03		2003-04
		निर्मुक्त	व्यय	निर्मुक्त	व्यय	निर्मुक्त
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	6580.61	6873.30	8564.65	8814.51	8364.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	1895.39	1760.00	2522.72	1525.33	1552.73
3.	असम	6188.61	4476.29	7988.33	3891.78	4388 91
4.	बिहार	2145.11	1863.42	1934.97	2096.66	1754.59

1	2	3	4	5	6	7
5.	गोवा	339.35	336.92	430.75	343.50	418.72
6.	गुजरात	8070.09	4365.43	6905.28	7850.31	9112.10
7.	हरियाणा	3660.50	3261.57	4297.19	3839.45	4019.04
8.	हिमाचल प्रदेश	1984.42	1605.23	1233.77	1753.07	1588.66
9.	जम्मू व कश्मीर	2739.16	2199.85	3666.22	2215.91	2074.09
10.	कर्नाटक	7660.68	7329.77	10541.29	9783.50	10622.14
11.	केरल	3516.30	3497.13	5895.08	5175.53	5527.08
12.	मध्य प्रदेश	3771.08	3879.80	6040.51	6588.83	7457.79
13.	महाराष्ट्र	10193.48	8916.65	12199.16	12253.85	13824.43
14.	मणिपुर	901.07	1099.64	2360.055	1381.33	1413.99
15.	मेघालय	1060.15	694.32	1156.87	724.84	876.52
16.	मिजोरम	572.95	737.98	1139.16	876.66	832.80
17.	नागालैंड	1907.00	1657.00	2376.47	1932.72	1486.21
18.	उड़ीसा	6881.86	6992.37	8676.42	7101.40	10387.11
19.	पंजाब	3730.77	2985.66	3677.09	4026.29	4432.80
20.	राजस्थान	5947.07	5267.88	7324.27	7330.94	8042.75
21.	सिक्किम	192.35	174.26	280.965	177.61	173.69
22.	तमिलनाडु	9289.80	8084.64	13410.76	10000.63	8453.73
23.	त्रिपुरा	1481.36	738.69	1333.22	1063.93	1797.81
24.	उत्तर प्रदेश	12696.42	9870.26	9249.89	13477.74	14303.96
25.	पश्चिम बंगाल	12650.02	9829.23	16229.63	14761.01	14820.34
26.	छत्तीसगढ़	1800.79	1789.09	2934.24	2736.43	3157.19
27.	उत्तरांचल	1246.76	836.21	836.21	1228.09	1282.83
28.	झारखंड	1961.66	3307.85	4767.38	928.00	1881.25
संघ राज्य क्षेत्र						
29.	दिल्ली	796.41	781.23	986.18	1083.75	1159.21
30.	पांडिचेरी	154.85	181.11	237.09	229.63	203.36

1	2	3	4	5	6	7
31.	अण्डमान व निकोबार	154.85	138.11	164.32	149.08	189.70
32.	चण्डीगढ़	93.35	93.35	121.50	121.50	140.11
33.	दादरा व नगर हवेली	31.85	30.60	42.00	41.61	48.50
34.	दमन व दीव	37.45	35.00	43.24	38.70	41.41
35.	लक्षद्वीप	31.62	27.78	30.83	30.95	38.58
	कुल	122365.19	105717.62	150497.71	135575.07	145867.51

विवरण II

विश्व बैंक सहायता प्राप्त आईसीडीएस-2/3/ए.पी.ई.आर. परियोजनाएं

विगत तीन वर्षों के दौरान परियोजना/राज्य-वार एवं वर्ष-वार निर्मुक्त राशियां एवं किए गए व्यय का ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य	2001-02		2002-03		2003-04		कुल	
		निर्मुक्त	व्यय	निर्मुक्त	व्यय	निर्मुक्त	व्यय	निर्मुक्त	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क.	आईसीडीएस-2 परियोजना (30.9.2002 को समाप्त)								
1.	मध्य प्रदेश	6000.00	5161.00	7885.83	7401.50	0.00	0.00	13885.83	12562.50
2.	छत्तीसगढ़	600.00	1910.65	3763.69	1331.07	0.00	0.00	4363.69	3241.72
3.	बिहार	1000.00	2765.63	5251.20	2665.43	0.00	0.00	6251.20	5431.06
4.	झारखंड	400.00	1588.51	1432.25	520.01	0.00	0.00	1832.25	2108.52
5.	आंध्र प्रदेश (*)	5000.00	2515.28	4749.60	722.98	0.00	0.00	9749.60	3238.26
	उप-जोड़-1	13000.00	13941.07	23082.57	12640.99	0.00	0.00	36082.57	26582.06
ख.	मूल आईसीडीएस-3 परियोजना								
1.	उत्तर प्रदेश	2526.00	4206.09	4053.00	2231.55	4500.00	3937.98	11079.00	10375.62
2.	राजस्थान	3500.00	3406.00	3355.00	3914.22	3200.00	3434.78	10055.00	10755.00
3.	महाराष्ट्र	0.00	2399.16	6124.00	5209.06	5200.00	4087.01	11324.00	11695.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	केरल	2900.00	1801.44	426.00	2738.36	4000.00	2393.28	7326.00	6933.08
5.	तमिलनाडु	0.00	569.86	0.00	1076.12	2000.00	559.40	2000.00	2205.38
	उप-जोड़-2	8926.00	12382.55	13958.00	15169.31	18900.00	14412.45	41784.00	41964.31
ग. पुनर्गठित आईसीडीएस-3 परियोजना (1.10.2002 से 30.9.2004 तक)									
1.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	858.00	1495.70	7900.00	7642.30	8758.00	9138.00
2.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	347.00	1070.00	3300.090	1037.50	3647.00	2107.50
3.	बिहार	0.00	0.00	569.00	413.36	3600.00	4116.49	4169.00	4529.85
4.	झारखंड	0.00	0.00	196.00	526.03	1200.00	1122.31	1396.00	1648.34
5.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
6.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
घ. माडल आंगनवाड़ी केन्द्र									
1.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00	0.00	737.00	0.00
3.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
4.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	344.00	0.00
5.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
6.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	469.00	0.00	469.00	0.00
	उप-जोड़-3	0.00	0.00	1970.00	3505.09	20450.00	13918.60	22420.00	17423.69
ङ.	आईसीडीएस-3/ए.पी.ई.आर.								
	आंध्र प्रदेश(*)	0.00	0.00	790.00	4136.40	1745.00	3751.90	2535.00	7888.30
	कुल जोड़	21926.00	26323.62	39800.57	35451.79	41095.00	32082.95	102821.57	93858.36

नोट : 1. आंध्र प्रदेश 30.9.2002 तक आईसीडीएस-2 परियोजना में शामिल था। तत्पश्चात्, राज्य को 31.3.2004 तक आईसीडीएस-एपीईआर में शामिल किया गया।

2. वर्ष 2003-2004 के दौरान झारखण्ड का व्यय फरवरी, 2004 तक, छत्तीसगढ़ का सितम्बर 2003 तक तथा आंध्र प्रदेश का व्यय दिसम्बर, 2003 तक है।

विवरण III

विश्व बैंक सहायता प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम-उदिशा परियोजना

उदिशा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त सहायता-अनुदान

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02		2002-03		2003-04	
		निर्मुक्त राशि	किया गया व्यय	निर्मुक्त राशि	किया गया व्यय	निर्मुक्त राशि	किया गया व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	950.00	575.07	780.00	1283.47	1026.78	731.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	75.00	22.54	8.00	17.10	—	—
3.	असम	55.00	117.02	132.75	96.94	101.26	98.00
4.	बिहार	—	—	78.77	116.99	—	110.65
5.	छत्तीसगढ़	300.00	225.16	250.00	232.55	124.00	76.68
6.	गोवा	5.00	3.75	5.00	5.21	1.98	3.79
7.	गुजरात	100.00	176.00	150.00	165.55	182.44	27.70
8.	हिमाचल प्रदेश	45.00	46.09	60.63	55.86	15.00	33.34
9.	हरियाणा	70.00	68.93	52.22	85.38	83.84	52.50
10.	जम्मू व कश्मीर	85.00	83.26	62.53	52.24	41.79	4.49
11.	झारखंड	20.00	30.06	100.00	38.20	—	—
12.	कर्नाटक	50.00	189.07	158.00	196.64	219.73	113.31
13.	केरल	250.00	235.58	300.00	221.39	58.42	138.68
14.	मध्य प्रदेश	575.00	356.53	744.17	508.50	644.98	215.89
15.	महाराष्ट्र	450.00	464.67	611.93	686.80	574.44	338.43
16.	मणिपुर	60.00	33.00	0.00	60.00	39.56	44.50
17.	मेघालय	45.00	34.81	25.00	30.56	5.00	30.38
18.	मिजोरम	45.00	27.28	10.28	37.64	19.83	18.06
19.	नागालैंड	50.00	50.00	40.00	28.84	23.07	26.24
20.	उड़ीसा	250.00	105.86	50.00	110.26	136.70	82.16
21.	पंजाब	0.00	51.32	100.00	73.27	41.41	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	राजस्थान	550.00	304.63	946.27	812.75	484.90	261.16
23.	सिक्किम	—	6.00	—	9.58	—	3.18
24.	तमिलनाडु	—	115.86	48.42	400.59	401.54	390.12
25.	त्रिपुरा	40.00	47.64	70.73	50.00	25.01	45.74
26.	उत्तर प्रदेश	750.00	454.50	356.15	560.23	291.27	452.04
27.	उत्तरांचल	—	19.99	110.94	44.66	80.00	82.38
28.	पश्चिम बंगाल	150.00	195.24	400.00	314.41	316.35	233.10
29.	अण्डमान व निकोबार	—	—	—	—	3.48	0.77
30.	चण्डीगढ़	4.00	4.00	—	2.00	2.43	—
31.	दमन व दीव	—	—	—	—	—	—
32.	दादरा व नगर हवेली	2.00	0.59	—	—	—	—
33.	दिल्ली	25.00	57.23	28.00	19.70	13.21	11.68
34.	लक्षद्वीप	1.50	0.00	—	—	1.06	—
35.	पांडिचेरी	5.00	2.70	3.96	2.72	2.18	—
	कुल	5007.50	4104.38	5683.75	6320.03	4961.66	3626.49

विवरण IV

विगत तीन वर्षों के दौरान परिचालित आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं, परिचालन हेतु लक्षित परियोजनाओं तथा स्वीकृत परियोजनाओं की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02 आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की संख्या			2002-03 आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की संख्या			2003-04 आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की संख्या		
		स्वीकृत	परिचालन हेतु लक्षित	परिचालित	स्वीकृत	परिचालन हेतु लक्षित	परिचालित	स्वीकृत	परिचालन हेतु लक्षित	परिचालित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	363	286	251	363	352	350	363	354	351
2.	अरुणाचल प्रदेश	58	56	49	58	56	56	58	56	57
3.	असम	196	196	107	196	196	151	196	165	195
4.	बिहार	394	203	171	394	233	171	394	239	183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	छत्तीसगढ़	152	144	152	152	152	152	152	152	152
6.	गोवा	11	11	11	11	11	11	11	11	11
7.	गुजरात	227	203	218	227	227	227	227	227	227
8.	हरियाणा	116	116	116	116	116	116	116	116	116
9.	हिमाचल प्रदेश	72	72	72	72	72	72	72	72	72
10.	जम्मू व कश्मीर	121	121	113	121	121	120	121	120	120
11.	झारखण्ड	204	152	152	204	152	152	204	168	152
12.	कर्नाटक	185	185	185	185	185	185	185	185	185
13.	केरल	163	163	163	163	163	163	163	163	163
14.	मध्य प्रदेश	336	315	332	336	336	336	336	336	336
15.	महाराष्ट्र	370	370	268	370	370	363	370	365	368
16.	मणिपुर	34	34	34	34	34	34	34	34	34
17.	मेघालय	32	32	32	32	32	32	32	32	32
18.	मिजोरम	21	21	21	21	21	21	21	21	21
19.	नागालैण्ड	54	54	52	54	54	52	54	53	54
20.	उड़ीसा	326	308	308	326	326	308	326	314	326
21.	पंजाब	142	142	142	142	142	142	142	142	142
22.	राजस्थान	257	257	257	257	257	257	257	257	257
23.	सिक्किम	5	5	5	5	5	5	5	5	5
24.	तमिलनाडु	434	431	431	434	431	431	434	432	434
25.	त्रिपुरा	40	40	31	40	40	39	40	40	39
26.	उत्तर प्रदेश	836	561	518	836	568	518	836	614	742
27.	उत्तरांचल	99	54	54	99	54	54	99	68	96
28.	पश्चिम बंगाल	358	336	318	358	336	340	358	346	352
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	5	5	5	5	5	5	5	5	5
30.	चण्डीगढ़	3	3	3	3	3	3	3	3	3
31.	दिल्ली	29	28	28	29	28	28	29	28	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	दादर व नगर हवेली	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33.	दमन व दीव	2	2	2	2	2	2	2	2	2
34.	लक्षद्वीप	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35.	पाण्डिचेरी	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	अखिल भारत	5,652	4,913	4,608	5,652	5,087	4,903	5,652	5,132	5,267

[हिन्दी]

नई लौह खानों का अधिग्रहण करना

2707. **श्री चन्द्र शेखर दूबे:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झारखंड राज्य में नई लौह-अयस्क खानों के अधिग्रहण के मुद्दे पर निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) भारत सरकार की झारखंड राज्य में नई लौह अयस्क खानों के अधिग्रहण की कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जनजातीय लोगों में असंतोष

2708. **श्री गिरिधर गमांग:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न समितियों तथा आयोगों ने देश में जनजातीय लोगों में असंतोष के कारणों तथा अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में फैले असंतोष का पता लगाने के लिए गहन अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और उनकी समस्याओं का निपटारा करने के लिए क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) केन्द्र तथा राज्यों द्वारा जनजातीय लोगों की समस्या का समाधान करने तथा उन क्षेत्रों में असंतोष को नियंत्रित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव अनुच्छेद 19(5) में उप-खंड (घ) तथा (ङ) में यथा सुविचारित कानून के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय लोगों का शोषण करने में शामिल लोगों और संगठनों का बे-रोक-टोक प्रवेश रोकने तथा निःशुल्क पुनर्वास करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) से (ग) जी हां। अनुसूचित क्षेत्रों में असंतोष एवं उपद्रव से निपटने के लिए मुख्य निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं ज्यादातर भूमि का नुकसान, जंगलों में जनजातियों के अधिकारों में कटौती, ऋणग्रस्तता एवं ब्याज की उच्च्व दर, लगान वसूली के निष्ठुर कानून तथा बिचौलियों द्वारा शोषण से संबंधित हैं। समस्याओं को सुलझाने तथा अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा कल्याण/विकास की कई योजनाएं चलायी जा रही हैं।

(घ) और (ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बाल यौन-शोषण संबंधी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यशाला

2709. **डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2003-04 के दौरान बाल यौन-शोषण तथा बलात्कार के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यशाला में निष्कर्ष निकाला गया है कि विधिक अर्थ में बलात्कार और बाल यौन-शोषण को पुनः परिभाषित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्ष 2003-2004 के दौरान बाल यौन-शोषण तथा बलात्कार के संबंध में कोई भी कार्यशाला आयोजित नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

बांग्लादेश सीमा पर चौकी

2710. श्री अनवर हुसैन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की दो चौकियों के बीच कितनी दूरी रखी गई है;

(ख) भारत-बांग्लादेश सीमा की कुल लम्बाई कितनी है;

(ग) क्या सी.सु.ब. की दो चौकियों के बीच की दूरी पूरी तरह सुरक्षित और घुसपैठ रोकने के लिए एक ठोस उपाय है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का प्रस्ताव घुसपैठ रोकने तथा बांग्लादेश के लुटेरों, सेंधमारों तथा अन्य अपराधिकों की बे-रोकटोक आवाजाही को प्रभावी ढंग से रोकने हेतु दो चौकियों के बीच की दूरी कम करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ङ) भारत-बांग्लादेश सीमा (आई बी बी) की कुल लम्बाई 4,095.7 किलोमीटर है। इस समय, इस सीमा पर दो सीमा सुरक्षा बल चौकियों के बीच की औसतन दूरी 4.95 किलोमीटर है। भारत बांग्लादेश सीमा की सुभेद्यता को दृष्टिगत रखते हुए इस दूरी को और घटाने का प्रस्ताव है। तदनुसार अनेक सीमा सुरक्षा बल चौकियां स्थापित की गई हैं ताकि सीमा पार से घुसपैठ तथा अन्य अवैध गतिविधियों को रोका जा सके।

घुसपैठ तथा सीमा पार से अपराधों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) गश्त द्वारा सीमा की चौबीसों घंटे निगरानी;

(2) विशेष अभियान चलाना;

(3) आसूचना तंत्र का उन्नयन करना;

(4) गश्त तथा नाका ड्यूटियों के लिए नफरी में वृद्धि;

(5) सीमा पर बाड़ लगाना तथा सीमा सड़कों का निर्माण; और

(6) सीमा सुरक्षा बल तथा राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण।

[हिन्दी]

राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

2711. श्री संतोष गंगवार: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अधीन पड़ने वाले नगरों के विकास हेतु गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन परियोजनाओं के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं; और

(ख) एनसीआर के अधीन पड़ने वाले बरेली शहर के विकास हेतु किन-किन परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने बताया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों/प्राधिकरणों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कस्बों के विकास के लिए 44 परियोजनाएं प्रस्तुत की गई जिनमें से 35 स्वीकृत की गई थीं।

(ख) बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा रा.रा.क्षे. योजना बोर्ड की ऋण सहायता से बरेली शहर में निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं:-

(1) ट्रेंचिंग ग्राउंड रिहायशी योजना

(2) ट्रांसपोर्ट नगर-फेस-1

(33) रामपुर रोड रिहायशी योजना।

[अनुवाद]

डी.डी.ए. फ्लैटों की पैरापिट वाल्स का रखरखाव

2712. श्री महबूब जाहेदी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्वारका, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली और विशेषकर पाकेट-1, सैक्टर-12 में विभिन्न श्रेणियों के डी.डी.ए. फ्लैटों की पैरापिट वाल्स का रखरखाव इतना खराब है कि इनसे वहां से गुजरने वालों को गंभीर चोटें लग सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में डी.डी.ए. द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या डीडीए को द्वारका के विभिन्न पाकेटों के रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशनों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) डी.डी.ए. द्वारा अविलम्ब द्वारका के निवासियों की जायज शिकायतों की सुनवाई को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि द्वारका, दक्षिण पश्चिम दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के डीडीए फ्लैटों की पैरापिट दीवारें सामान्यतः संतोषजनक स्थिति में हैं। पाकेट-1, सेक्टर-12, द्वारका के ग्रुप हाउसिंग फ्लैटों के पैरापिट प्लास्टर कुछ स्थानों पर विशेषकर शाफ्ट एरिया में कहीं-कही खराब हो गया है, जहां पानी के टैंकों से ओपरफ्लो होने और बरसाती पानी के पाइपों में अवरोध आने के कारण सामान्यतः सीलन रहती है। पानी के टैंकों का रखरखाव आबंटियों/रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशनों द्वारा किया जाता है। डी डी ए जैसा है जहां है के आधार पर फ्लैट देता है और एक बरसाती मौसम समाप्त होने के बाद अथवा छः माह के बाद जो भी बाद में हो, रिसाव/बरसात के कारण हुई किसी भी क्षति को संबंधित आबंटियों/किराएदारों अथवा संबंधित रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों द्वारा सुधारा/ठीक कराया जाना होता है। चूंकि ये फ्लैट वर्ष 1997 में बने थे और 1998 में आबंटित किए गए थे, इसलिए डीडीए की ओर से कोई कार्रवाई लंबित रहने की सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) पाकेट-1 सेक्टर-12, द्वारका के रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन से एक अनुरोध डीडीए में प्राप्त हुआ है। चूंकि ये फ्लैट पांच वर्षों से अधिक समय पहले, अर्थात् 1998 में संबंधित आबंटियों को सौंपे गए थे, अतः रखरखाव अवधि समाप्ति के बाद इन फ्लैटों के रखरखाव का दायित्व रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन व आबंटियों/किराएदारों का है।

(ङ) डीडीए ने यह भी सूचित किया है कि द्वारका के निवासियों की जायज शिकायतों पर सूचना मिलते ही कार्रवाई की जाती है। डीडीए द्वारा विभिन्न संघों तथा रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशनों के साथ नियमित विचार-विमर्श भी किया जाता है।

वर्षा जल संचयन

2713. श्री सुब्रत बोस: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा दिल्ली में जल संकट से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन पर भारी धनराशि खर्च करने के बावजूद भी उपलब्धियां संतोषजनक नहीं रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में विशेषकर द्वारका और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि द्वारका की रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशनों ने पुराने कुंओं के रखरखाव हेतु अपने मोहल्लों की परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या डी.डी.ए. ने इन मोहल्लों में पुराने, कुंओं, जहां भी ये हैं, के रखरखाव हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के साथ-साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने बताया है कि उन्होंने बरसाती पानी संग्रहण और भूमिगत पानी की कृत्रिम प्रतिपूर्ति करने के लिए उन्होंने विभिन्न उपाय/योजनाएं शुरू की हैं। बरसाती पानी संग्रहण का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के बरसाती पानी के बहाव को कम करना और भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना है। ये उपाय प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं। तथापि बरसाती पानी के संग्रहण की किसी विशेष योजना के कार्य निष्पादन पर अभी से टिप्पणी नहीं की जा सकती।

(ग) से (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि द्वारका की एक ग्रुप हाउसिंग रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने पुराने कुंओं को विकसित करने का अनुरोध किया है जिसकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

सोनिया विहार जल संयंत्र से जलापूर्ति

2714. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सोनिया विहार जल संयंत्र का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो जल आपूर्ति कब तक शुरू होने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) दक्षिण तथा पूर्वी दिल्ली में कालोनी-वार कब तक आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने हेतु कि उक्त जल संयंत्र से दिल्ली विकास प्राधिकरण की मयूर विहार कालोनी, फेज-3 (कोंडली-घड़ौली आवासीय योजना) को भी आपूर्ति की जाए, क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि सोनिया विहार जल-संयंत्र की सभी प्रमुख जल शोधन इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तथापि, जल आपूर्ति, उत्तरांचल में टिहरी बांध से कच्चे पानी की उपलब्धता पर निर्भर है। संयंत्र चालू होने पर दिल्ली जल बोर्ड से पूर्वी व दक्षिणी दिल्ली को शोधित पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

(ङ) घरौली में भूमिगत टैंक/बूस्टर पम्पिंग स्टेशन बनाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड का प्रस्ताव है, जिसे डीडीए की कोंडली घरौली आवास स्कीम और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों को शोधित जल की आपूर्ति हेतु भागीरथी जल शोधन संयंत्र से जल की आपूर्ति की जाएगी।

[अनुवाद]

उग्रवादियों द्वारा कश्मीरी युवाओं की भर्ती

2715. श्री राजेन गोहेन:
श्री राजेश वर्मा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाक आधारित उग्रवादी जम्मू और कश्मीर में अपने आधार की पुनर्स्थापना करने के लिए युवाओं की भर्ती कर रहे हैं, जैसाकि 2 अगस्त, 2004 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2003-2004 के दौरान और आज तक ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(घ) उग्रवादियों की गतिविधियां रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। सरकार को इस समाचार की जानकारी है। ऐसे युवकों को उग्रवादी गुटों के सक्रिय कार्यकर्त्ताओं द्वारा शिक्षा-दीक्षा या प्रलोभन देने के पश्चात् आतंकवादी गुटों में शामिल होने के कारण लुभाया जाता है। अधिकांशत: गरीब/पददलित परिवारों से ताल्लुक रखने वाले बेरोजगार युवक ऐसी साजिशों के आसानी से शिकार हो जाते हैं। ऐसे युवकों को प्राय: स्थानीय रूप से विध्वंसकारी गतिविधियों में प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाता है और इन्हें शुरू-शुरू में ग्रेनेड फेंकने और भाड़े के विदेशी सैनिकों के मार्गदर्शक के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ऐसी भर्ती के लिए अन्य मुख्य कारण सीमा से प्रायोजित चालू आतंकवादी हिंसा को और ज्यादा 'स्थानीय रंग' देने का प्रयास करना है।

(ग) अनुमानों से यह पता चलता है कि वर्ष 2003 में 276 युवक भर्ती किए गए थे और 2004 के दौरान (10 अगस्त तक), 113 युवक भर्ती किए गए हैं।

(घ) आतंकवादियों की ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए निम्नलिखित सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं:-

(1) जम्मू और कश्मीर पुलिस तथा सुरक्षा बल बराबर ऐसी गतिविधियों में लिप्त आतंकवादियों और राष्ट्र-विरोधी तत्वों (ए एन ई) के सहायक ढांचे को निशाना बनाते रहे हैं और कानून के तहत उनके विरुद्ध उचित कार्रवाईयां कर रहे हैं।

(2) नियंत्रण रेखा के साथ-साथ अगम्य क्षेत्रों के मार्गों पर कारगर रूप से नजर रखना जिससे ऐसे युवकों को प्रशिक्षण लेन के लिए नियंत्रण रेखा को पार करने से पहले ही रोक लेना।

(3) ऐसी गतिविधियों के संबंध में आसूचना एकत्र करना और जानकारियों के आधार पर निवारक कार्रवाई करना।

(4) ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करने के लिए अलग-थलग पड़े क्षेत्रों में रह रहे लोगों के साथ सुरक्षा बलों/जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा जनसंपर्क कार्यक्रम।

(5) रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए आर्थिक और विकासात्मक नीतियों को बढ़ाना।

स्वायत्तशासी जिला परिषदों को प्रत्यक्ष केन्द्रीय निधियां देना

2716. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत सभी स्वायत्तशासी जिला परिषदों विशेषकर बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला तथा बोडोलैंड टैरिटोरियल काउंसिल के प्रशासनिक तंत्र को प्रत्यक्ष केन्द्रीय निधियां प्रदान करने हेतु एक नया तंत्र बनाने का है ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में संवैधानिक रूप से जनजातीय बहुल (अनुसूचित) मान्यताप्राप्त सर्वाधिक पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्र में समग्र आर्थिक विकास में असंतुलन के विशाल अंतर को पाटने में मदद मिल सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक उचित कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) से (घ) फिलहाल छठी अनुसूची क्षेत्रों में स्वायत्तशासी जिला परिषदों को सीधे निधियों की निर्मुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह राज्य सरकारों को निर्मुक्त की जाती है।

मंत्री के विरुद्ध आरोप-पत्र

2717. श्री पी.सी. थामस:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. अथवा किसी अन्य एजेंसियों ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कुछ मंत्रियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों का स्वरूप क्या है तथा जांच किस स्तर पर है?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उड़िया भाषा

2718. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि झारखंड में उग्रराष्ट्रवादियों द्वारा उड़िया भाषी लोगों को हिंदी भाषी दर्ज कराने अथवा परिणाम भुगताने के लिए कहा गया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़िया समुदाय उस राज्य में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक भाषा समुदाय है; और

(घ) यदि हां, तो झारखंड में उड़िया समुदाय के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) स्वयं को हिन्दी भाषी के रूप में दर्ज न कराने पर झारखंड के उड़िया भाषी लोगों को धमकाए जाने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) और (घ) उड़िया समुदाय, झारखंड राज्य में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक भाषा समुदाय नहीं है। तथापि, झारखंड में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे राज्य स्तरीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन, जिसका उपाध्यक्ष उड़िया समुदाय से है, उड़िया सहित मातृ भाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ करना, उड़िया सहित बहुत से अल्पसंख्यक भाषाई स्कूल चलाना और राज्य में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए उड़िया भाषा में पुस्तकों की खरीद और वितरण।

इस्पात नीति

2719. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने सरकार को इस्पात की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने की आवश्यकता में संतुलन बनाने वाली इस्पात नीति बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या नीति को विश्व व्यापार संगठन तथा अन्य बहुपक्षीय नीतियों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए;

(ग) क्या सरकार ने उद्योग के इस दृष्टिकोण पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) इस्पात उद्योग के पुनरुद्धार के लिए वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (एसोचैम) ने जुलाई, 2002 को एक 5-सूत्री कार्यक्रम से संबंधित नोट प्रस्तुत किया था। एसोचैम द्वारा उठाए गए मुद्दे सामान्यत: प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर कच्ची सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता, उत्पाद शुल्क एवं अन्य राज्य करों में कमी करने, उचित मूल्य पर विद्युत की सुनिश्चित सप्लाई, परिवहन ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता तथा पूंजीगत परियोजनाओं के निधियन के लिए ब्याज दरों में कमी करने से संबंधित है।

(ग) और (घ) ये मुद्दे केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के कई विभागों से संबंधित हैं ये सुझाव जल-भूतल परिवहन, वित्त, पोत परिवहन, विद्युत मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के ध्यान में ला दिए गए हैं ताकि समीक्षा के समय अथवा नई नीति बनाते समय इन्हें ध्यान में रखा जाए।

जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश को वित्तीय पैकेज

2720. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश को विशेष वित्तीय पैकेज देने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य किन राज्यों को इसी प्रकार का पैकेज दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) से (ग) केन्द्र द्वारा विभिन्न राज्य विशिष्ट आवश्यकता आधारित विशेष वितरण के लिए निधियों का आवंटन जब कभी आवश्यकता होता है, तो पांच वर्षीय योजना के तहत मौजूदा कार्यक्रमों और स्कीमों के माध्यम से किया जाता है।

पी.एम.टी. पर्चा लीक होने के मामले की सी.बी.आई. जांच

2721. श्री जी. वेंकटस्वामी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सी.बी.आई. ने हाल ही में पी.एम.टी. पर्चा लीक होने के मामले में लिप्त पाए गए अभियुक्त व्यक्तियों के अभिभावकों से रिश्वत लेते हुए दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अधिकारियों के नाम क्या हैं;

(ग) उक्त अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस मामले से जुड़े जांचकर्त्ता अधिकारी के कार्य की देखरेख कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध भी कोई कार्रवाई की गई थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। दिल्ली पुलिस ने उप निरीक्षक तथा प्री-मेडिकल टेस्ट पेपर के लीक होने संबंधी मामले के जांच अधिकारी संजय गुप्ता को उक्त मामले में अभियुक्तों में से एक के पिता से 2 लाख रु. की रिश्वत मांगने और लेने के कारण केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक राजेश कुमार तथा कांस्टेबल उम्मेद सिंह को भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रिश्वत के लिए सैदेबाजी करने तथा स्वीकार करने में सहायता करने के लिए गिरफ्तार किया गया।

(ग) उपर्युक्त सभी तीनों पुलिस कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के पूरा होने पर निर्भर करेगी।

(घ) और (ङ) जी हां, श्रीमान। मामले का पर्यवेक्षण करने वाले सहायक पुलिस आयुक्त को यूनिट से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया है।

मेट्रो ट्रेन का पटरी से उतरना

2722. श्री विजयकृष्णा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 17.3.2004 को शाहदरा स्टेशन दिल्ली के पास मेट्रो ट्रेन के दो डिब्बे पटली से उतर गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं और सुरक्षा मानदंडों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 17.3.2004 को शाहदरा स्टेशन से समीप साइडिंग में एक मैट्रो गाड़ी के खाली रेक के दो डिब्बे पटरी से उतर गए थे।

(ग) जी, हां।

(घ) इस दुर्घटना की जांच करने वाली जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि दुर्घटना का कारण ड्राइवर की चूक थी, जो खतरे दिखा रहे साइडिंग सिगनल को पार कर गिया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार की दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो, शाहदरा-रिठाला खण्ड पर स्टेशन की सभी साइडिंग "आटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन" (एटीपी) प्रणाली के अंतर्गत लाई गई हैं, जिसमें यह सुनिश्चित होता है कि सुरक्षा की स्थिति होने पर ही गाड़ी चलेगी और यदि आगे "खतरे" का सिग्नल हो तो गाड़ी चल ही नहीं सकती क्योंकि गाड़ी चलाने के किसी भी प्रयास से आटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे।

[हिन्दी]

आई.सी.डी.एस.-3 परियोजना का अनुमोदन

2723. श्रीमती नीता पटैरिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्यों विशेषकर मध्य प्रदेश राज्य के लिए आई.सी.डी.एस.-3 परियोजना के अंतर्गत राज्य परियोजना निगरानी इकाई और जिला स्तरीय समेकित बाल विकास सेवा प्रकोष्ठ को अनुमोदन देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुमोदन कब तक दिए जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (ग) आरम्भ में विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस.-2 परियोजना में शामिल किए गए पांच राज्यों यथानाम केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में राज्य परियोजना अनुवीक्षण एकक तथा जिला स्तरीय समेकित बाल विकास सेवा प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। तथापि आई.सी.डी.एस.-3 परियोजना के पुनर्गठन के समय उसमें शामिल किए गए राज्यों, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल हैं, को ऐसा कोई अनुमोदन न तो दिया गया और न ही उस पर कोई विचार किया गया।

(घ) यह निर्णय लिया गया था कि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तरांचल में आई.सी.डी.एस.-3 परियोजना का पर्यवेक्षण भी आई.सी.डी.एस. (सामान्य) स्कीम के अंतर्गत स्थापित मौजूदा राज्य/जिला स्तरीय अवसंरचना के माध्यम से किया जाएगा।

(ङ) पुनर्गठित आई.सी.डी.एस.-3 परियोजना के अंतर्गत बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड तथा मध्य प्रदेश को परिचालन लागतों, निर्माण कार्यों, अभिनव स्कीमों तथा किशोरी स्कीम हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जबकि उड़ीसा एवं उत्तरांचल को केवल निर्माण कार्यों, अभिनव स्कीमों तथा किशोरी स्कीम हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। आरम्भ में शामिल पांच राज्यों तथा पुनर्गठनोपरांत शामिल छह राज्यों हेतु वित्तीय आबंटन क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दर्शाए गए हैं।

विवरण I

आई.सी.डी.एस.-3 परियोजना के पुनर्गठनोपरांत मूल पांच राज्यों हेतु घटक-वार आबंटन

(रुपये लाखों में)

राज्य	व्यय श्रेणी							
	निर्माण कार्य	वस्तुएं एवं उपकरण: एस.पी.एम.यू. हेतु वाहन	औषधि किटें एवं चिकित्सा आपूर्ति	परामर्श एवं प्रचार सेवाएं (सूचना, शिक्षा, संचार, अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यकलाप)	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला (सूचना, शिक्षा, संचार को छोड़कर गुणवत्ता सुधार कार्य कलाप)	बढ़ती हुई लागत एवं परिचालन लागत (कर्मचारी, पी ओ एल, किराया आदि)	क्षेत्रीय कर्मचारियों हेतु वाहन	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर प्रदेश	5,819.75	3,115.63	1,628.16	515.38	1,232.00	13,589.27	823.50	26,723.69
राजस्थान	4,021.49	1,591.85	850.98	625.00	938.68	9,519.14	442.00	17,989.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	4,699.69	2,444.67	1,114.83	625.00	514.00	12,378.27	561.00	22,337.45
तमिलनाडु	1,621.88	955.99	872.59	625.00	794.66	1,502.46	1,180.50	7,553.08
केरल	2,020.00	1,105.37	577.15	750.00	559.00	8,454.05	274.00	13,739.57
समस्त राज्य	18,182.80	9,213.51	5,043.71	3,140.38	4,038.34	45,443.19	3,281.00	88,342.93

विवरण II

राज्य	पुनर्गठित आईसीडीएस-3 परियोजना में शामिल किए गए राज्यों हेतु घटक-वार आबंटन							
	आधारभूत लागत	अतिरिक्त मानदेय	निर्माण कार्य			अभिनव स्कीमें	किशोरी स्कीम	कुल
			आंगनवाड़ी केन्द्र	बा.वि.प.अ. कार्यालय	हैण्डम्प			
मध्य प्रदेश	10,974.62	4,175.51	1,354.69	50.00	578.00	189.00	168.30	17,490.12
छत्तीसगढ़	4,667.74	1,684.78	379.69	15.00	162.00	85.50	92.40	7,087.11
बिहार	8,703.59	3,452.83	1,340.63	50.00	572.00	131.25	122.10	14,372.40
झारखंड	2,953.73	975.40	544.69	25.00	232.40	96.00	171.60	4,998.82
उड़ीसा	0.00	0.00	1,746.56	80.00	745.20	183.75	353.10	3,108.61
उत्तरांचल	0.00	0.00	890.63	65.00	380.00	55.50	97.35	1,488.48
समस्त राज्य	27,299.68	10,288.52	6,256.89	285.00	2,669.60	741.00	1,004.85	48,545.54

[अनुवाद]

रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विशेष पैकेज

2724. श्री गुरुदास कामत: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के अंतर्गत महानगरों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न राज्यों को विशेष पैकेज देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फ्रांसीसी विमानवाहक पोत को भंजन की अनुमति देना

2725. श्री अजीत कुमार सिंह: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवा से हटाया गया फ्रांसीसी विमानवाहक पोत क्लीमेन्क्यू खतरनाक पदार्थ के साथ भंजन हेतु भारत आ रहा है;

(ख) क्या इसे तुर्की और चीन ने अपने यहां प्रवेश करने से मना कर दिया था;

(ग) क्या सरकार का विचार इस विमानवाहक पोत को अपने जल क्षेत्र में भंजन हेतु अनुमति देने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पोत के भारतीय जल क्षेत्र में भंजन की स्थिति में पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ङ) सरकार का भारतीय तटों पर पर्यावरणीय सुरक्षा मानदंडों को किस प्रकार बनाए रखने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास ने सूचित किया है कि अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में फ्रैंच एयरक्राफ्ट कैरियर क्लीमेन्क्यू को विखंडित करने के लिए मैसर्स शिप डिकमीशनिंग इंडस्ट्री कारपोरेशन, पनामा सिटी और अलंग के एक पोत भंजक के बीच एक समझौता करार हस्ताक्षरित हुआ है। तथापि पोर्ट आफिसर अलंग को फ्रैंच एयरक्राफ्ट कैरियर के पहुंचने का संभावित समय (ई टी ए) नहीं मिला है।

(ख) इस मंत्रालय को इस बात की जानकारी नहीं है कि टर्की और चीन द्वारा इस एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रवेश को मना कर दिया गया है।

(ग) और (घ) पोत को तोड़ने के लिए सरकार को भारतीय समुद्र में प्रवेश करने पर कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते गुजरात मेरीटाइम बोर्ड, केन्द्र/राज्य प्राधिकारियों अर्थात् राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; सीमा शुल्क से संबंधित विनियमों आदि के सभी सांविधिक नियमों और विनियमों को पूरा किया जाए। पोत भंजन एक वाणिज्यिक उद्यम है जो संबंधित राज्य को राजस्व सृजित करने के अतिरिक्त स्थानीय लोगों को रोजगार भी देता है। फ्रैंच एयरक्राफ्ट कैरियर क्लीमेन्क्यू के खरीददार को इस एयरक्राफ्ट कैरियर को विखंडित करने के लिए कानून द्वारा निर्धारित नियमों और पद्धतियों का पालन करना होगा।

(ङ) सुरक्षा और पर्यावरणीय संबंधी पहलुओं के प्रबंधन के लागू स्थानीय विधान और सांविधिक प्राधिकारियों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैरीटाइम बोर्ड आदि द्वारा बनाए गए सांविधिक नियमों और आदेशों तथा पोत भंजन के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए निदेशों का पोतों के भंजन में पालन किया जाता है।

पश्चिम बंगाल में दूसरा पेट्रो रसायन परिसर

2726. श्री डी. विट्टल राव: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अपना दूसरा पेट्रो रसायन परिसर पश्चिम बंगाल में स्थापित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परिसर के कब तक स्थापित होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, अपर सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अध्यक्षता और रसायन और पेट्रोरसायन मंत्रालय, उद्योगों के विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार और तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की भागीदारी में हल्दिया को रसायन बंदरगाह के रूप में तथा हल्दिया क्षेत्र में रसायन आधारित उद्योग को विकसित करने पर विचार करने के लिए संयुक्त कार्यकारी समूह के गठन का निर्णय लिया गया है।

संघ राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

2727. प्रो. एम. रामदास: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को फ्रांसीसियों के विरुद्ध जंग लड़ने और उनसे स्वतंत्रता दिलाने वाले संघ राज्य क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों की अनेक समस्याओं की जाकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानियों की तरह पांडिचेरी के स्वतंत्रता सेनानियों को 3000 रु. प्रतिमाह की पेंशन का भुगतान करना सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ग) पांडिचेरी सरकार ने संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी में स्वतंत्रता सेनानियों के सामने आ रही कुछ कठिनाइयां भारत सरकार के ध्यान में लाई हैं तथा उस संघ शासित क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानियों को देय राज्य पेंशन को 2200 रु. से बढ़ाकर 2500 रु. प्रतिमाह करने का भी प्रस्ताव किया है। पांडिचेरी सरकार के उक्त प्रस्ताव की भारत सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

अनुसंधान कार्य हेतु निधियों का आबंटन

2728. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसंधान कार्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया है तथा विश्वविद्यालयों से व्यक्तिगत, सामूहिक और विभागीय स्तर पर अनुसंधान कार्य का समर्थन करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय ने दसवीं योजना के दौरान अनुसंधान कार्य हेतु संगठित रूप में अधिक धनराशि की आवश्यकता पर भी बल दिया है; और

(घ) यदि हां, तो दसवीं योजना के दौरान निधियों के आबंटन का ब्यौरा क्या है और इसमें नौवीं योजना की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न स्कीमों के तहत पात्र विश्वविद्यालयों/कालेजों के शिक्षकों को वैयक्तिक/सामूहिक स्तर तथा विभागीय स्तर पर अनुसंधान सहायता के लिए अनुदान प्रदान करता रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:-

(1) वैयक्तिक/सामूहिक स्तर

(i) संकाय सुधार कार्यक्रम

(ii) अनुसंधान पुरस्कार

(iii) रिसर्च फेलोशिप

(iv) एमरिट्स फेलो

(2) विभागीय स्तर

(i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए बुनियादी सुविधाएं सुदृढ़ करने संबंधी सहायता

(ii) विज्ञान, मानविकी और समाज विज्ञानों के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम

(iii) विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिए उच्च केन्द्र

(iv) अनुसंधान कार्यशालाएं, सेमिनार और सम्मेलन/पुनश्चर्या/प्रबोधन पाठ्यक्रम।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नेट हेतु यूजीसी की पात्रता परीक्षा में पर्यावरण विज्ञान विषय

2729. श्री महावीर भगोरा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के लिए पर्यावरण विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) की परीक्षा में सम्मिलित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जुलाई, 2000 से इस विषय को कनिष्ठ अनुसंधान फेलोशिप प्रदान करने और लेक्चररशिप की पात्रता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के विषयों की सूची में शामिल कर लिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशियों का आबंटन

2730. श्री रामजीलाल सुमन:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्री रामदास बंडु आठवले:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, आज तक केन्द्र सरकार द्वारा त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को वर्षवार और राज्यवार धनराशि आबंटित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु उक्त योजना को किन शहरों में लागू किया गया है और राज्यवार उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान अब तक विभिन्न राज्यों को वर्ष-वार व राज्य-वार जारी धनराशि तथा साथ ही राज्यों द्वारा

प्रस्तुत उपयोग प्रमाण-पत्रों के आधार पर राज्यों द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाण-पत्रों के आधार पर उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ग) जिन कस्बों के लिए जल आपूर्ति परियोजनाएं दिनांक 6.8.2004 तक कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित की गई है, उनके नाम व साथ ही इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा सूचित व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

दिनांक 6.8.2004 की स्थिति के अनुसार

शहरी विकास मंत्रालय

केन्द्रीय प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी केन्द्रीय अंश					राज्यों द्वारा उपयोग की गई राशि (प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र के अनुसार
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	361.30	385.90	492.57	0.00	1239.77	361.30
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	124.16	0.00	124.16	0.00
3.	असम	0.00	571.60	256.22	0.00	827.82	0.00
4.	बिहार	0.00	419.05	386.05	0.00	805.10	50.90
5.	छत्तीसगढ़	311.42	430.52	337.87	0.00	1079.81	725.59
6.	गोवा	75.31	75.29	0.00	0.00	150.60	0.00
7.	गुजरात	464.34	664.47	918.08	0.00	2046.89	1183.65
8.	हरियाणा	647.31	579.94	469.71	0.00	1696.96	1507.89
9.	हिमाचल प्रदेश	320.78	297.60	79.46	0.00	697.84	561.19
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	290.14	0.00	290.14	0.00
11.	झारखंड	0.00	445.97	0.00	0.00	445.97	118.26
12.	कर्नाटक	708.09	1055.35	1119.84	0.00	2883.28	2545.93
13.	केरल	127.67	268.21	268.21	0.00	664.09	159.07
14.	मध्य प्रदेश	590.44	1236.466	1509.09	0.00	3335.99	1554.59
15.	महाराष्ट्र	593.68	563.76	705.84	0.00	1863.28	980.68

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मणिपुर	241.26	174.80	269.36	0.00	685.42	233.19
17.	मेघालय	96.52	0.00	0.00	0.00	96.52	0.00
18.	मिजोरम	120.82	46.57	46.57	0.00	213.96	120.82
19.	नागालैंड	0.00	85.42	0.00	0.00	85.42	85.42
20.	उड़ीसा	245.73	254.81	409.36	0.00	909.90	91.87
21.	पंजाब	0.00	0.00	50.46	0.00	50.46	0.00
22.	राजस्थान	539.73	568.48	1012.85	0.00	2121.06	849.93
23.	सिक्किम	28.92	83.97	83.97	0.00	196.86	226.86
24.	तमिलनाडु	855.58	813.16	653.41	0.00	2322.15	2322.15
25.	त्रिपुरा	344.39	241.66	213.43	0.00	799.48	436.20
26.	उत्तरांचल	219.25	2426.09	2710.48	0.00	7355.82	5192.88
27.	उत्तर प्रदेश	327.03	320.97	331.61	0.00	979.61	718.53
28.	पश्चिम बंगाल	280.43	184.95	417.62	0.00	883.00	387.63
	योग	9500.00	12195.00	13156.36	0.00	34851.36	20414.53

विवरण II

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

2001-2002 से 6.08.2004 तक अनुमोदित स्कीमें

(लाख रु. में)

राज्य : आंध्र प्रदेश

क्र.सं.	कस्बे का नाम	व्यय (सितंबर, 2003)
1	2	3
1.	सिरपुर (टी)	61.00
2.	पलसा	0.00
3.	काशीबग्गा	0.00
4.	मंथानी	111.15
5.	यातगरिरिगट्टा	31.50
6.	बानुस्वाडा	132.50
7.	मधिरा	135.76
8.	आशिफबाद	सूचित नहीं
9.	मोथुगुडेम	सूचित नहीं
10.	लक्ष्येटीपेट	सूचित नहीं
11.	कोद्ठापल्ली हवेली	सूचित नहीं
12.	वेमुलवाडा	सूचित नहीं
13.	भट्टीपरोलू	सूचित नहीं
14.	कईकालूर	सूचित नहीं
15.	रेनीकुंटा	सूचित नहीं
16.	पीरांगीपुरम	सूचित नहीं

1	2	3
17.	कनकीपडु	सूचित नहीं
18.	धास्टकेसर	सूचित नहीं
19.	नगरगरनूल	सूचित नहीं
20.	कोलापुर	सूचित नहीं
21.	सिगारयंकोडा	सूचित नहीं
22.	कुमबुम	सूचित नहीं
		471.91

राज्य: अरुणाचल प्रदेश

1.	हपोली (जीरो)	सूचित नहीं

क्र.सं.	कस्बे का नाम	व्यय (दिसम्बर, 2003 तक) (लाख रुपये में)
1	2	3
राज्य : असम		
1.	नालबाड़ी	सूचित नहीं
2.	बिजनी	सूचित नहीं
3.	पाठशाला	सूचित नहीं
4.	अमगुरी	सूचित नहीं
5.	अभयपुरी	सूचित नहीं
6.	ढेखियाजुली	सूचित नहीं
राज्य : बिहार		
1.	नसारिगंज	0.02
2.	नोखा	0.02
3.	महाराजगंज	0.02
4.	मोती पुर	0.02
5.	जानीपुर	0.00
6.	मीरगंज	सूचित नहीं
7.	चनपटिया	सूचित नहीं
8.	कांति	सूचित नहीं

1	2	3
9.	पीरो	सूचित नहीं
10.	खुशरूपुर	सूचित नहीं
11.	बेहिया	सूचित नहीं
12.	दलसिंगसराय	सूचित नहीं
13.	सिलाव	सूचित नहीं
14.	गाजीपुर	सूचित नहीं
15.	कहलगांव	सूचित नहीं
		0.08

राज्य : छत्तीसगढ़

क्र.सं.	कस्बे का नाम	व्यय (मार्च, 2004 तक) (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	गौरेला	58.15
2.	कुम्हारी	13.52
3.	पंडारिया	0.00
4.	थंखामारिया	0.02
5.	बेमेतारा	64.99
6.	बट्टाल गांव	52.21
7.	लोरमी	0.08
8.	चौकी	55.12
9.	अक्कलतारा	54.63
10.	बलोडा	0.00
11.	अरंग	0.00
12.	धरमजयगढ़	0.03
13.	बोडरी-चक्करभाटा	7.09
14.	नया बराद्वारा	13.13
15.	बलोडाबाजार	0.00

1	2	3
16.	तखतपुर	0.00
17.	सिगमा	0.00
18.	खेरागढ़	सूचित नहीं
19.	रामनुजगंज	सूचित नहीं
20.	सुरजपुर	सूचित नहीं
21.	जसपुरनगर	सूचित नहीं
22.	चुईखदान	सूचित नहीं
23.	सरायपली	सूचित नहीं
24.	धमधा	सूचित नहीं
		318.97

राज्य : गोवा

क्र.सं.	कस्बे का नाम	व्यय
1.	पोंडा	सूचित नहीं
2.	पेरनेम	सूचित नहीं

राज्य : गुजरात

क्र.सं.	कस्बे का नाम	व्यय (मार्च, 2004 तक) (लाख रु. में)
1	2	3
1.	दामनगर	12.30
2.	लाठी	27.79
3.	बेयत	34.91
4.	बाबरा	12.30
5.	संतरामपुर	48.19
6.	पलियाड	20.07
7.	लालपुर	19.74
8.	पडधारी	25.00
9.	चोटीला	56.19
10.	रनपुर	41.96
11.	मंडल	80.10
12.	बघई	33.19
13.	बोडली	19.97
14.	हरीज	29.48
15.	चंसमा	58.73
16.	देलवड़ा	0.47
17.	अम्बाजी	223.18
18.	कनोडर	84.31
19.	छापी	28.48
20.	विनचिया	35.88
21.	जेतालसर	19.32
22.	दिगविजयग्राम	0.00
23.	सिक्का	23.29
24.	वरतेज	10.27
25.	शिवराजपुर	14.50
26.	सोनगढ़	5.18
27.	सींगारवा	10.29
28.	तलाला	16.19
29.	नन्देज	0.00
30.	वसो	0.00
31.	कथलाल	0.00
32.	पाली	0.00
		991.28

राज्य : हरियाणा

1.	लोहारू	163.13
2.	समालखा	121.58
3.	फाहरूख नगर	256.33

1	2	3
4.	पुन्हाना	97.28
5.	हसनपुर	141.45
6.	कलायत	52.26
7.	लाडवा	110.18
8.	बुरिया	9.12
9.	हथिन	22.31
10.	बावल	0.00
11.	हटेली	0.00
12.	जाखल	0.00
		973.64

राज्य : हिमाचल प्रदेश

1.	हमीरपुर	980.37
2.	नूरपुर	328.87
3.	थियोग	114.31
4.	पोन्टा साहिब	101.75
		1525.30

राज्य : जम्मू कश्मीर

क्र.सं.	कस्बे का नाम	व्यय
1.	कटरा	सूचित नहीं

राज्य : कर्नाटक

क्र.सं.	कस्बे का नाम	व्यय (मार्च, 2004 तक) (लाख रु. में)
1	2	3
1.	एचडी कोटे	405.26
2.	गुब्बी	251.65
3.	के.आर. पेट	194.25
4.	रायबक	124.54
5.	पावगडा	899.54
6.	गुडीबन्डे	163.49
7.	मुद्गल	0.90
8.	येल्लापुर	0.00
9.	जगलूर	0.00
10.	होलालकेरे	0.00
		2039.63

राज्य : केरल

1.	कोलाझी	—
2.	कोट्टूर	17.98
3.	पोट्टोर	—
4.	मंजेसवरम	144.86
5.	चेलकारा	0.00
		162.84

राज्य : मध्य प्रदेश

1.	बेरसिया	22.61
2.	पंढाना	12.78
3.	बगली	12.56
4.	भोरसा	0.00
5.	खड़गपुर	0.00
6.	लोहारडा	8.60
7.	उन्हेल	0.00
8.	बडावडा	0.13
9.	पिपलोडा	0.00
10.	मनपुर	0.00
11.	ताल	2.82
12.	बड़गांव	0.00
13.	कनड	10.07

1	2	3
14.	रायपुर	0.00
15.	मंसा	62.96
16.	सिगोली	3.33
17.	जीरन	0.00
18.	रतनगढ़	0.00
19.	पोलायकलन	0.00
20.	सतवास	14.95
21.	खांड	सूचित नहीं
22.	कक्सी	70.94
23.	अकोडिया	0.00
24.	लहर	18.75
25.	आलमपुर	सूचित नहीं
26.	रायगढ़	0.00
27.	पीपलया मंडी	सूचित नहीं
28.	रामपुरा	31.69
29.	पेटालवड	0.00
30.	नारायणगढ़	सूचित नहीं
31.	दिक्कन	सूचित नहीं
32.	जवार	सूचित नहीं
33.	मल्हारगढ़	सूचित नहीं
34.	करेरा	सूचित नहीं
35.	नामली	सूचित नहीं
36.	बक्सवाह	सूचित नहीं
37.	पिछौर	सूचित नहीं
38.	बिलूआ	सूचित नहीं
39.	मऊ	सूचित नहीं
40.	मेहगांव	सूचित नहीं
41.	अंतारी	सूचित नहीं
42.	सतई	सूचित नहीं
43.	गढीमल्हेरा	सूचित नहीं
44.	आलोट	सूचित नहीं
45.	बडा मल्हेरा	सूचित नहीं
		272.19

राज्य : महाराष्ट्र

क्र.सं.	कस्बे का नाम	व्यय (सितम्बर, 2003 तक) (लाख रु. में)
1.	राजापुर	0.39
2.	नारखेड	0.05
3.	वडागांव	0.00
4.	सिरिडीह	0.00
5.	महाडोला	0.00
6.	बेंगूरला	सूचित नहीं
7.	कुडाल	सूचित नहीं
8.	जेजुरी	सूचित नहीं
		0.44

राज्य : मणिपुर

क्र.सं.	कस्बे का नाम	व्यय (दिसम्बर, 2003 तक) (लाख रु. में)
1	2	3
1.	ओइनम	3.17
2.	वानजिग	सूचित नहीं
3.	थोंगखोंग-लक्ष्मीबाजार	सूचित नहीं
4.	सेकनी	सूचित नहीं
5.	समुराऊ	सूचित नहीं
6.	लमलई	सूचित नहीं

1	2	3
7.	कुम्बी	सूचित नहीं
8.	सिकोंगशेकमई	सूचित नहीं
9.	कोकचिंग खुनऊ	सूचित नहीं
		3.17
राज्य : मिजोरम		
1.	लैंगपुई	93.10
राज्य : उड़ीसा		
1.	पाटनगढ़	87.93
2.	सोनेपुर	0.00
3.	रायरंगपुर	0.45
4.	कविसूर्या नगर	सूचित नहीं
5.	पूर्षोत्तम पुर	सूचित नहीं
6.	बेलागेंथा	सूचित नहीं
7.	नीलगिरि	सूचित नहीं
8.	बुगुडा	सूचित नहीं
9.	उदाला	सूचित नहीं
		88.38
राज्य पंजाब		
1.	भोगपुर	सूचित नहीं
2.	बदानीकलां	सूचित नहीं
राज्य राजस्थान		
1.	भुसावर	64.44
2.	वेर	61.86
3.	सूरजगढ़	117.65
4.	सलूम्बर	247.02
5.	बेरीसदरी	100.41

1	2	3
6.	दोओली	81.14
7.	टोड़ाभीम	80.39
8.	जहाजपुर	50.23
9.	गुलाबपुरा	45.08
10.	परतापुर	40.18
11.	बांदीकुई	196.33
12.	छपरा	0.00
13.	देशनोक	0.00
14.	शिवगढ़	0.00
15.	माउंटआबू	94.48
16.	बिसौ	0.00
17.	नैनवा	0.00
18.	बग्गर	0.00
19.	कुशालगढ़	0.00
20.	मंडलगढ़	0.00
21.	ऋषभदेव	0.00
22.	खानपुर	0.00
23.	मंगरौल	0.00
24.	चिप्पाबरौड़	0.00
25.	कुम्हेर	सूचित नहीं
26.	कोलबी राजेन्द्रपुर	सूचित नहीं
		1183.21

राज्य : सिक्किम

क्र.सं.	कस्बे का नाम	व्यय (मार्च, 2004 तक) (लाख रु. में)
1	2	3
1.	जोरेथंग	251.91

1	2	3
राज्य : तमिलनाडु		
1.	मुत्तुपेट	739.64
2.	श्रीपेरमबदुर	409.72
3.	अदुथुरई	133.99
4.	रिरुवुवनम	135.43
5.	थिरवीडईमारूथुर	116.67
6.	पोराथंडु	8.83
7.	अंडीपट्टी	130.86
8.	पेरीयूर	140.12
9.	कयाथर	1.93
10.	कालूगमलाई	2.03
11.	एटयापुरम	1.93
12.	नाथम	64.37
13.	निलाकोट्टई	0.05
14.	केरानूर	0.31
15.	अनूर	0
16.	मुगासीपीडेरीयूर	0
17.	ओट्टापरई	0
18.	सिंगामपुनेरी	2.17
19.	नन्डीबरम-गुडुवंनचरी	सूचित नहीं
20.	आरकंडंनलूर	सूचित नहीं
21.	मलूर	सूचित नहीं
22.	वेनादूर	सूचित नहीं
23.	पीलानल्लूर	सूचित नहीं
24.	एलनगुड्डी	सूचित नहीं
25.	अलवर्थीरूनागरी	सूचित नहीं
26.	एरल	सूचित नहीं
27.	केरानूर	सूचित नहीं
28.	मुधुकुलाथुर	सूचित नहीं
		1888.05
राज्य : त्रिपुरा		
1.	खोवई	0.00
2.	सबरूम	0.00
3.	अमारपुर	0.00
4.	कैलाशहर	0.00
राज्य : उत्तर प्रदेश		
1.	खरखौदा	27.25
2.	सालोदा	44.74
3.	बाबुगढ़	30.15
4.	चरथावल	6.00
5.	जलालाबाद	29.65
6.	सिसवाबाजार	19.84
7.	आनन्द नगर	34.82
8.	निजामाबाद	35.21
9.	अतरौलिया	35.77
10.	रामपुर-कारखाना	21.22
11.	टिकैत नगर	19.63
12.	चितबरा गांव	15.70
13.	बलहौर	51.19
14.	अग्रवाल मंडी	8.81
15.	मीरगंज	41.00
16.	फूलपुर	14.50
17.	सरसवान	18.56

1	2	3
18.	ककौरी	26.81
19.	अमेठी	18.68
20.	गौरीबाजार	38.50
21.	चाकिया	30.56
22.	हैदरगढ़	40.14
23.	कादीपुर	6.64
24.	कोरान	3.97
25.	पिनहट	49.65
26.	दोस्तपुर	22.43
27.	मछली शहर	44.08
28.	शमशाबाद	33.53
29.	माधोगंज	11.10
30.	बबराला	20.00
31.	शाहावर	41.34
32.	मोहनपुर	11.00
33.	साकित	35.09
34.	लावर	3.28
35.	पहासु	7.50
36.	बारूआ सागर	70.30
37.	अमनपुर	14.16
38.	भारगेन	36.86
39.	अमेठी	4.98
40.	सत्याबाद	25.63
41.	चर्कगुरमा	0.00
42.	जरवाल	19.80
43.	निवाड़ी	10.76
44.	मनियार	16.02
45.	घोसियाबाजार	13.99
46.	बिथारा रोड	16.29
47.	शाहत वर	13.11
48.	हंडिया	0.00
49.	सादत	25.38
50.	पक्षपेवरा	15.91
51.	वर्षाना	11.66
52.	नाकूर	26.73
53.	खमारिया	15.90
54.	महाराजगंज	5.67
55.	बिलराम	10.35
56.	आवागढ़	17.92
57.	धनौरा	26.64
58.	साहसपुर	15.13
59.	जोया	24.93
60.	मारयाहु	16.74
61.	पट्टी	14.12
62.	बौआ	1.87
63.	डासना	17.89
64.	केमारी	16.41
65.	केदौरा	23.00
66.	दातागंज	19.34
67.	महावन	9.43
68.	केरवली	18.29
69.	एकदिल	8.00
70.	केम्पील	12.99
71.	कटरा मदिनगंज	2.65

1	2	3
72.	जांगीपुर	14.70
73.	गरौथा	0.00
74.	जानसठ	8.66
75.	रामपुरा	15.50
76.	बलदेव	6.99
77.	फरा	1.50
78.	गोवर्धन	0.03
79.	कोदा जहानाबाद	16.86
80.	जसवंत नगर	22.50
81.	कुरारा	16.07
82.	अंटु	0.00
83.	सखानु	10.00
84.	रूदायन	8.95
85.	जेथरा	6.30
86.	कुसुमारा	12.83
87.	कोटारा	9.90
88.	मादोगढ़	8.26
89.	उमारी	20.00
90.	बोसावन	2.96
91.	मुंडिया	7.84
92.	देवर	26.09
93.	बाबेरू	9.32
94.	जगनेर	0.14
95.	बाहा	2.96
96.	रूरा	18.00
97.	सिकन्द्रा	8.90
98.	सिवाली	7.50
99.	अमारूधा	6.30
100.	मैंहू	16.95
101.	सुमेरपुर	71.46
102.	जलालाबाद	20.63
103.	कमालगंज	9.97
104.	उझारी	7.74
105.	कुंडरकी	30.69
106.	गंगापुर	21.45
107.	सिद्धपुरा	11.46
108.	छाता	12.21
109.	किसनी	14.84
110.	कुरसेथ	6.10
111.	दिगपुर	2.34
112.	ज्ञानपुर	11.32
113.	मिलख	10.61
114.	टिकारी	10.57
115.	अलापुर	6.59
116.	वजीरगंज	10.14
117.	नेहोना	0.00
118.	भोगांव	24.54
119.	टुंजा	0.00
120.	दोघाट	8.66
121.	शिवराजपुर	2.30
122.	उग्गु	14.78
123.	औरंगाबाद	5.00
124.	किशनपुर	0.00
125.	बहासुमा	0.00

1	2	3
126.	एरिच	0.00
127.	गुरसराय	सूचित नहीं
128.	महाराजगंज	सूचित नहीं
129.	परसेदपुर	सूचित नहीं
130.	टिटरोन	सूचित नहीं
131.	बचरावन	सूचित नहीं
132.	गंनौर	सूचित नहीं
133.	सालोन	सूचित नहीं
134.	कुंडा	सूचित नहीं
135.	ओएल धाकुवा	सूचित नहीं
136.	नानोता	सूचित नहीं
137.	अनुप शहर	सूचित नहीं
138.	धारोहाड़ा	सूचित नहीं
139.		सूचित नहीं
140.		सूचित नहीं
141.		सूचित नहीं
142.	कंठ	सूचित नहीं
143.	तिरिया-निजामातखा	सूचित नहीं
144.	बाधादुरगंज	सूचित नहीं
145.	भारवारी	सूचित नहीं
146.	मंझनपुर	सूचित नहीं
147.	भगवंतनगर	सूचित नहीं
148.	लाल गोपालगंज	सूचित नहीं
149.	न्योरिया हुसैनपुर	सूचित नहीं
150.	शीश गढ़	सूचित नहीं
151.	रीक्षा	सूचित नहीं
152.	माहोली	सूचित नहीं

1	2	3
153.	थगा	सूचित नहीं
154.	मानिकपुर	सूचित नहीं
155.	फतेहगंज (ईस्ट)	सूचित नहीं
156.	तम्बोर	सूचित नहीं
157.	दालमऊ	सूचित नहीं
158.	सिरसा	सूचित नहीं
159.	पेंटापुर	सूचित नहीं
160.	भोकेरहेडी	सूचित नहीं
161.	मऊमा	सूचित नहीं
162.	प्रतापगढ़ सिटी	सूचित नहीं
163.	कचौना	सूचित नहीं
164.	बेनीगंज	सूचित नहीं
165.	गोपीगंज	सूचित नहीं
166.	मिश्रिख एवं नीमसर	सूचित नहीं
167.	देवा	सूचित नहीं
168.	आलागंज	सूचित नहीं
169.	नंदगांव	सूचित नहीं
170.	चेल	सूचित नहीं
171.	मैलानी	सूचित नहीं
172.	गोपामऊ	सूचित नहीं
173.	शाही	सूचित नहीं
174.	गुसाईगंज	सूचित नहीं
175.	अझुआ	सूचित नहीं
176.	सिकन्द्रपुर	सूचित नहीं
177.	कनवरगांव	सूचित नहीं
		2097.63

राज्य : उत्तरांचल

क्र.सं.	कस्बे का नाम	व्यय (मार्च, 2004 तक) (लाख रु. में)
1.	बागेश्वर	70.43
2.	महुआ दाबरा	17.01
3.	महुआ-खेड़ा	33.00
4.	लक्सर	92.55
5.	दुगड्डा	72.10
6.	द्वारहाट	50.57
7.	डोइवाला	92.20
8.	केलाखेरा	0.00
		427.86

राज्य : पश्चिम बंगाल

1.	उत्तर लताबारी	32.03
2.	खातरा	150.25
3.	उत्तर कामाख्यागुड़ी	सूचित नहीं
4.	शहजादपुर	सूचित नहीं
5.	दुसारीपारा	सूचित नहीं
6.	सेरपुर	सूचित नहीं
7.	चाचंडा	सूचित नहीं
8.	झालदा	सूचित नहीं
9.	मिरिक	सूचित नहीं
10.	दारापुर	सूचित नहीं
11.	उत्तर बागडोगरा	सूचित नहीं
		182.28

ऐश-डाइक का निर्माण

2731. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कहलगांव, बिहार में एनटीपीसी के दूसरे ऐश-डाइक के निर्माण से निकटवर्ती क्षेत्र के पचास से अधिक गांवों के डूब जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या स्थानीय लोगों द्वारा किए गए विरोध के कारण ऐश-डाइक के निर्माण कार्य को फिलहाल रोक दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का विचार ऐश-डाइक प्रभावित गांवों में जल निकासी व्यवस्था का विकास करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) शेष ऐश-डाइक के निर्माण से गांव के डूबने का कोई खतरा नहीं है। जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार के दो संगठनों नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाइड्रोलाजी (एनआईएच), रुड़की और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र (सी डब्ल्यू पी आर एस), पुणे द्वारा किए गए अध्ययनों पर आधारित सभी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इस डाइक का निर्माण शुरू किया गया है।

(ग) शेष डाइक का निर्माण कार्य जनवरी, 2004 में आरंभ किया गया और मार्च, 2004 तक निर्विघ्न रूप से काम चलता रहा। स्थायी रोजगार और अन्य मुद्दे उठाकर जैसे ग्रामीण विकास कार्यों, बाढ़ की आशंका के कारण बाढ़ के जल के लिए जल निकास आदि की मांग करते हुए स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अप्रैल, 2004 से निर्माण कार्य रोक दिया गया। इस समय स्थायी रोजगार के लिए अतिरिक्त श्रम शक्ति (मैन पावर)/रिक्ति की जरूरत नहीं है: तथापि, एन.टी.पी.सी. द्वारा ग्रामीण विकास का कार्य और बाढ़ जल निकासी का कार्य किया जा रहा है।

(घ) एन.टी.पी.सी. के कहलगांव संयंत्र सहित ऐश डाइक क्षेत्र के चारों ओर बाढ़ के पानी की निकासी के लिए मै. केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र (सी डब्ल्यू पी आर एस), पुणे और नैशनल इंस्टीट्यूट आफ हाइड्रोलाजी (एनआईएच), रुड़की द्वारा व्यापक अध्ययन किया गया था। उनकी सिफारिशों के आधार पर अनेक बाढ़ सुरक्षा कार्य तैयार किए गए जो ऐश डाइक क्षेत्र सहित एन टी पी सी के कहलगांव संयंत्र में मैसर्स लार्सेन और टूब्रो (एल एंड टी) द्वारा निष्पादनाधीन हैं।

(ङ) भारी वर्षा/बाढ़ के दौरान समुचित प्रवाह सुनिश्चित करने और क्षेत्र की यथास्थिति बनाए रखने के लिए एन टी पी सी द्वारा निम्नलिखित कार्रवाईयां आरंभ की गई हैं:

(1) रीइन्फोर्सड सीमेंट कंक्रीट (आर सी सी) ब्रिज/पुलिया के आकार में ऐश डाइक के लिए पहुंच मार्ग के

तटबंधों के आर-पार कुल 300 मीटर जल मुहाने (वाटर ओपनिंग) का प्रावधान।

(2) नरिया और खरिया नाला के प्राकृतिक बहाव को रास्ता देने के लिए डाइक तटबंधों के मध्य में 75 मीटर मुहाने (ओपनिंग) का प्रावधान किया जा रहा है।

(3) नरिया नाला में मौजूदा 35 मीटर चौड़ी पाइप पुलिया को बदलकर 75 मीटर तक चौड़ाई बढ़ाकर रि-इनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट (आर सी सी) पुल बनाना।

(4) गंगा नदी के निकट रोड ब्रिज एंड पूर्वी रेलवे ब्रिज की अप्रयुक्त उप-संरचना को हटाना।

हिंदुस्तान इन्सक्टिसाइड्स लिमिटेड में आग लगने की घटनाएं

2732. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादवः क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान तथा हाल ही में हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के संयंत्रों में बार-बार आग लगने वाली घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो संयंत्रवार और दुर्घटनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान जान और माल की हानि का ब्यौरा क्या है और लाभार्थियों को कितना मुआवजा दिया गया;

(घ) क्या इन दुर्घटनाओं की कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(च) भविष्य में इस प्रकार की आग लगने की घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) पिछले तीन वर्षों में, आग लगने की केवल एक घटना हुई है जब एचआईएल की उद्योग मंडल यूनिट में इंडोसल्फान संयंत्र में 6 जुलाई, 2004 को आग लग गई।

(ख) प्राथमिक जांच के अनुसार, उद्योगमंडल यूनिट के इंडोसल्फान संयंत्र में एक रिएक्शन वेसेल की वाष्प रेखा से टोलीन वाष्प निकला जिसने संग्रहित स्टेटिक इलेक्ट्रसिटी के परिणामस्वरूप इलेक्ट्रोस्टेटिक डिस्चार्ज के चलते आग पकड़ लिया।

(ग) 06.07.2004 को हुई अग्नि दुर्घटना में कोई जान की क्षति नहीं हुई। कोई मुआवजा देय नहीं है। तथापि, संस्थान को अनुमानित हानि लगभग 5.51 करोड़ तथा प्रसंस्करण सामग्रियों सहित सामग्रियों की क्षति लगभग 0.75 करोड़ रु. की हुई।

(घ) एक जांच का आदेश दिया गया है और गठित समिति ने यूनिट का दौरा किया है।

(ङ) समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों को प्राप्त किया जाना है।

(च) विद्यमान सुरक्षा तंत्र को और सुदृढ़ करने के लिए सभी यूनिटों के संयंत्रों की बाह्य एजेंसियों द्वारा सुरक्षा लेखा परीक्षा के आदेश दिए गए हैं।

[अनुवाद]

शरणार्थियों का पुनर्वास

2733. श्री सांताश्री चटर्जीः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से शरणार्थियों के समुचित पुनर्वास हेतु कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) जुलाई, 2004 में पश्चिम बंगाल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें भूतपूर्व पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के भौतिक तथा आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए 5010.60 करोड़ रु. की मांग की गई है। प्रस्ताव में कालोनियों का अवसंरचना विकास, भूमि अधिग्रहण, तथा विस्थापित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता शामिल है। प्रस्ताव पर निर्णय ले लिए जाने के संबंध में समय सीमा बताना संभव नहीं है।

दिल्ली में अतिक्रमणाधीन जल निकाय

2734. श्री प्रभुनाथ सिंहः क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली में 794 जल निकायों पर अतिक्रमण किया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन अतिक्रमणों को हटाने और जल निकायों का पुनरुद्धार करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने विनोद कुमार बनाम भारत संघ नामक न्यायिक मामले में कुछ निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन निर्देशों को क्रियान्वित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने "विनोद कुमार जैन बनाम संघ सरकार" नामक सिविल रिट याचिका संख्या 3502/2000 में दिनांक 4.2.2004 के आदेशों द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत 794 जल निकायों की सूची की जांच करने और अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय को प्रस्तुत करने के लिए विकास आयुक्त, दिल्ली सरकार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। समिति की आवधिक बैठकें की गई और 588 जल निकायों को सही पाया गया तथा विकास आयुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को स्थिति सूचित कर दी गई है।

अतिक्रमण हटाने/दुरूपयोग तथा समुचित विकास योजनाएं तैयार करने की कारवाई दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वास्तविक स्थिति की जांच के बाद अपने अधिनियम और नियमों के अनुसार की जाएगी।

बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र

2735. श्री राजेन्द्र कुमारः
श्री नकुल दास राईः
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादवः
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिकः
श्री वाई.जी. महाजनः
श्री रतिलाल कालीदास वर्माः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में प्रत्येक नागरिक को बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रयोजन का ब्यौरा क्या है और इस कार्य पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है;

(ग) इन पहचान-पत्रों को कब तक जारी किया जाएगा;

(घ) क्या गैर-भारतीय नागरिकों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है;

(ङ) क्या हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस योजना में राज्य सरकारों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है; और

(छ) यदि हां, तो इसमें राज्य सरकारों की कितनी भागीदारी सुनिश्चित की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र योजना को कार्यान्वित करने में अंतर्ग्रस्त जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 13 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के विभिन्न जिलों के कुछ चुनिंदा उप-जिलों में प्रयोगात्मक आधार पर एक पायलट परियोजना शुरू की है। इस पायलट परियोजना के दिसम्बर, 2004 तक पूरा हो जाने की आशा है। इस पायलट परियोजना से प्राप्त अनुभवों और सीख को ध्यान में रखते हुए मुख्य योजना सम्पूर्ण देश में कार्यान्वित की जाएगी।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा स्थितियों को सुधारने हेतु विश्वसनीय व्यक्तिगत पहचान प्रणाली प्रदान करना और नागरिक-सरकार के अन्तः संबंधों में सुधार करके ई-गवरनेंस पहल की मदद करना है।

(घ) और (ङ) सरकार का जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान नागरिकों के साथ-साथ गैर-नागरिकों की गणना करने का प्रस्ताव है।

(च) और (छ) जी हां, श्रीमान। गांव तथा जिले से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकार के अधिकारी इस पायलट परियोजना के कार्यान्वयन से सीधे जुड़े हुए हैं।

कोंकण क्षेत्र में पिछड़ापन

2736. श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः
श्री संजय धोत्रेः
श्री प्रकाशबापू वी. पाटिलः
श्री तुकाराम गंगाधर गदाखः
श्री आनंदराव विठोबा अडसूलः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार कोंकण और विदर्भ क्षेत्रों के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए कोंकण और विदर्भ क्षेत्रों हेतु पृथक विकास बोर्ड के गठन के लिए निरंतर जोर दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने महाराष्ट्र में वर्तमान 3 विकास बोर्डों की रिपोर्टों के अनुभव के संदर्भ में उक्त बोर्डों के गठन हेतु मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा किए गए अध्ययन के संदर्भ में बोर्ड के गठन हेतु क्या निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र के लिए अलग से एक विकास बोर्ड, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 371(2) के उपबंधों के तहत किया गया था, इस समय महाराष्ट्र में कार्य कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 371(2) में संशोधन करके कोंकण क्षेत्र (जो अब शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्ड का भाग है) के लिए अलग से एक विकास बोर्ड स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र की राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। योजना आयोग ने महाराष्ट्र में मौजूदा तीन विकास बोर्डों के कार्यकरण पर एक निष्पादन मूल्यांकन अध्ययन किया था और सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) योजना आयोग द्वारा किए गए अध्ययन के मद्देनजर बोर्ड के गठन अथवा गठन न करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सलाल और उरी पनबिजली परियोजना

2737. **सुश्री महबूब मुफ्ती**: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में सलाल और उरी (1) पनबिजली परियोजनाओं के विनिर्माण में नेशनल हाइड्रो पावर कार्पोरेशन द्वारा कुल कितना निवेश किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं द्वारा पृथक-पृथक कितना राजस्व अर्जित किया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का इन परियोजनाओं को जम्मू और कश्मीर सरकार को सौंपने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) ने जम्मू व कश्मीर में सलाल जल विद्युत परियोजना तथा उड़ी चरण-1 जल विद्युत परियोजना में क्रमशः 940.60 करोड़ रुपये तथा 3487.92 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

(ख) विगत 3 वर्षों के दौरान उक्त दो परियोजनाओं से सकल बिक्री राजस्व के ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04
सलाल	168.61	176.19	209.88
उड़ी चरण-1	611.26	630.89	620.13

(ग) और (घ) उक्त परियोजनाएं जम्मू व कश्मीर सरकार को सौंपने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

डी.डी.ए. में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान

2738. **श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
मो. मुकीम:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री काशीराम राणा:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने हेतु कोई विशेष अभियान चलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और उसके बाद से अब तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कितने अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान डीडीए, सतर्कता विभाग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा उनमें से कितनों की भ्रष्ट अधिकारी के रूप में पहचान की गई और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(च) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत डीडीए में कितने मामले लंबित हैं और प्रत्येक मामले की स्थिति क्या है;

(छ) क्या कुछ निलंबित अधिकारियों को पुन: बहाल करने हेतु कोई निर्णय लिया गया या लिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि संगठन में भ्रष्टाचार रोकने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने की एक सतत प्रक्रिया हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा 12 अगस्त, 2004 तक भ्रष्टाचार ड्यूटी के प्रति लापरवाही, पर्यवेक्षण की कमी आदि के आधार पर इसके अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध 467 विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। इस अवधि के दौरान, 181 मामलों में बड़े दण्ड दिए गए हैं तथा 245 मामलों में लघु दण्ड दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) डी डी ए ने यह सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद आज तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत इसके 26 अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया/पकड़ा गया था। जांच अभिकरणों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार उक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया था। डी डी ए ने यह सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा 12.8.2004 तक 426 मामलों में दण्ड दिया गया है।

(च) डी डी ए के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत इसके अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध 29 मामले लंबित है। इन मामलों की मौजूदा स्थिति इस प्रकार है:-

जारी अभियोजन शास्ति	-	13
चल रही अभियोजन शास्ति	-	06
अभिकरणों में जांचाधीन	-	10

(छ) और (ज) डी डी ए द्वारा निलम्बित अधिकारियों के मामलों पर विचार करने के लिए समीक्षा समिति गठित की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निलम्बित किए गए डी डी ए के 26 अधिकारियों/कर्मचारियों में से समीक्षा समिति की सिफारिशों, जांच अभिकरणों से अनापत्ति मिलने तथा लंबित मामलों के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना चार अधिकारियों को बहाल कर दिया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण पर विद्युत मंत्रियों का सेमिनार

2739. श्री वी.के. दुम्मर: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में विद्युत मंत्रियों का सेमिनार आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गईं और किन सिफारिशों को क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है; और

(ग) इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ग) राज्यों में अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 29 जून, 2004 को नई दिल्ली में विद्युत एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नई पहलों का समर्थन किया गया तथा उनके कार्यान्वयन की सिफारिश की गई। इनमें विद्युतीकरण सहित अक्षय ऊर्जा आधारित ग्राम ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम का विकास करना; 20 अगस्त को राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाना; प्रत्येक जिले में अक्षय ऊर्जा के लिए जिला सलाहकार समिति का गठन करना; तथा प्रत्येक राज्य में अक्षय ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना करना शामिल हैं। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है। इस सम्मेलन के दौरान कुछ अन्य सुझाव भी दिए गए जिन्हें विभिन्न स्कीमें में, जहां आवश्यक होगा, उचित रूप से शामिल किया जाएगा।

मेजिया ताप विद्युत परियोजना के कारण विस्थापित लोग

2740. श्री सुनील खां: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार और मेजिया ताप विद्युत परियोजना के प्रबंधन के बीच मेजिया ताप विद्युत संयंत्र के कारण विस्थापित हुए परिवारों के पुनर्वास हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस परियोजना की चौथी इकाई शुरू कर दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कब तक शुरू होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अन्तिम सितंबर, 2004 निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का संवर्धन

2741. श्री पंकज चौधरी: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन के संवर्धन तथा बिजली की बचत के मद्देनजर शहरों में सड़कों के किनारे लगे विज्ञापनों, नियान साइन बोर्डों, होर्डिंगों इत्यादि के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के इस्तेमाल को अनवार्य बनाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ग) सौर प्रकाशवोल्टीय प्रौद्योगिकी में सड़कों के किनारे लगे विज्ञापनों के प्रदर्शन, होर्डिंग आदि की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने की संभाव्यता मौजूद है और इस प्रकार पारंपरिक बिजली की बचत होती है। प्रणाली की वित्तीय व्यवहार्यता होर्डिंग के आकार और प्रकार तथा स्थल दशाओं पर निर्भर करती है। आंध्र प्रदेश सरकार ने विज्ञापन होर्डिंग और सड़क रोशनी के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करने हेतु राज्य में नगर-निगमों, नगर-पालिकाओं और शहरी विकास प्राधिकरणों को हाल ही में आदेश जारी किया है। शहरों में सौर प्रकाशवोल्टीय के व्यापक रूप से इस्तेमाल के लिए योजना तैयार करने हेतु केन्द्र सरकार को नगर-निगमों और शहरी विकास प्राधिकरणों के साथ निरंतर परामर्श करना है। मेयरों और नगर पालिका आयुक्तों के विचारों को जानने के लिए 6 सितम्बर, 2004 को नगर निगमों और शहरी विकास प्राधिकरणों के साथ ऐसी एक परामर्श बैठक आयोजित की जा रही है।

[अनुवाद]

लालबत्ती वाली गाड़ियां

2742. श्री दरोगा प्रसाद सरोज:
श्री रामकृपाल यादव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली यातायात पुलिस ने गाड़ियों पर लाल बत्ती के कथित दुरूपयोग के लिए कई वाहनों का चालान किया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई विशिष्ट व्यक्ति जो लाल बत्ती लगाने के पात्र नहीं हैं, उन्हें इसका दुरूपयोग करते हुए पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो लाल बत्ती लगी गाड़ियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) 1 जनवरी, 2004 से 31 जुलाई, 2004 तक की अवधि के दौरान, दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 की धारा 97(2) तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 के तहत अनधिकृत रूप से लाल बत्ती का प्रयोग करने के लिए मात्र एक व्यक्ति का चालान किया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1980 अथवा दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए अपने वाहनों के ऊपर फ्लेशिंग लाइट का प्रयोग करते पाए जाने वाले वाहन चालकों पर उनकी हैसियत का ध्यान न करते हुए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 के तहत मुकदमा चलाया जाता है।

न्यू टैरिफ विद्युत परियोजनाओं को बंद किया जाना

2743. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इण्डिया पावर कान्क्लेव 2004 में घोषित किया है कि सरकार ने देश में 8000 मेगावाट के न्यून टैरिफ विद्युत परियोजनाओं को आर्थिक रूप से बन्द करने के लिए अंशधारकों की एक बैठक बुलायी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी प्रत्येक परियोजना के बंद किए जाने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ग) पिछले कुछ महीनों में, 10,000 करोड़ रुपयों के निवेश वाली, लगभग 2450 मे.वा. की अधिष्ठापित क्षमता वाली निजी क्षेत्र की 9 विद्युत परियोजनाओं के वित्तीय समापन को सुगम बनाया गया है। दसवीं योजना में संभावित निजी क्षेत्र परियोजनाओं की वित्तीय बंदी को सुगम बनाने के लिए जनवरी, 2004 में एक इंटर इंस्टीट्यूशनल ग्रुप (आईआईजी) गठित किया गया था। आईआईजी ने विद्युत परियोजनाओं, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं और विद्युत मंत्रालय के प्रोमोटरों के बीच विचार-विमर्श हेतु एक मंच की व्यवस्था की है। विद्युत परियोजनाओं के प्रतिनिधि विभिन्न आईआईजी बैठकों के दौरान विचार-विमर्शों के लिए बुलाए गए हैं। विशेष रूप से, विद्युत मंत्रालय ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय आदि के पास लंबित स्वीकृतियों/मंजूरियों को शीघ्र निपटाने के लिए हस्तक्षेप किया है। आईआईजी उपयुक्त एजेन्सियों के साथ अच्छे समन्वय के माध्यम से तीव्र वित्तीय समापन लाने में सहायक रही है।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशनभोगी

2744. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में स्वतंत्रता सेनानी पेंशनभोगियों की राज्यवार संख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): स्वतंत्रता सेनानियों, जिनके मामले में केन्द्र सरकार द्वारा द्वारा 31.7.2004 की स्थिति के अनुसार पेंशन मंजूर की गई हैं, का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मंजूर की गई पेंशनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13,665
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	4,436
4.	बिहार	24,868
5.	गोवा	1,268
6.	गुजरात	3,590
7.	हरियाणा	1,684
8.	हिमाचल प्रदेश	614
9.	जम्मू और कश्मीर	1,806
10.	कर्नाटक	10,063
11.	केरल	3,082
12.	मध्य प्रदेश	3,447
13.	महाराष्ट्र	16,723
14.	मणिपुर	62
15.	मेघालय	86
16.	मिजोरम	04
17.	नागालैंड	03
18.	उड़ीसा	4,187
19.	पंजाब	7,004
20.	राजस्थान	806
21.	तमिलनाडु	4,096
22.	त्रिपुरा	887
23.	उत्तर प्रदेश	17,988
24.	पश्चिम बंगाल	22,472
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	03
26.	चंडीगढ़	89
27.	दादरा और नगर हवेली	83
28.	दमन और दीव	33
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,042
30.	पांडिचेरी	316
31.	इंडियन नेशनल आर्मी (आई एन ए)	22,466
	कुल	1,67,873

[अनुवाद]

पुलिसकर्मियों को पांचवें वेतन आयोग का लाभ

2745. श्री हरिकेवल प्रसादः
श्री आलोक कुमार मेहताः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए की गई पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो उन पुलिस सेवाओं का ब्यौरा क्या है जहां इन सिफारिशों को पूर्णतः क्रियान्वित किया गया है;

(ग) क्या दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा (डीएएनपी) के कर्मियों को पांचवें वेतन आयोग के लाभ नहीं दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है/की जानी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार के अधीन अखिल भारतीय सेवाओं सहित विभिन्न समूह "क" और "ख" सेवाओं के बीच विद्यमान तदनुरूप संबंधों (वर्टिकल और होरिजोन्टल रिलोटिविटिज) और इन तीनों सेवाओं के सदस्यों के कार्यात्मक कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र की तीन संगठित पुलिस सेवाओं नामतः भारतीय पुलिस सेवा, दानिप्स (डी ए एन आई पी एस) और पांडिचेरी पुलिस सेवाओं से संबंधित पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को आशोधनों के साथ लागू कर दिया गया है।

(ङ) दानिप्स से संबंधित पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में आशोधन करने संबंधी मामला न्यायाधीन है।

व्यावसायिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

2746. श्री चेंगरा सुरेन्द्रनः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से व्यावसायिक उच्चतर माध्यमिक शाखाओं के अंतर्गत 100 विद्यालयों और 200 पाठ्यक्रमों को स्वीकृति दिए जाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां। वर्ष 2004-2005 के लिए 100 नए स्कूलों में 200 व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा विद्यमान स्कूलों में 200 पाठ्यक्रम शुरू करके माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने संबंधी योजना का विस्तार करने के लिए केरल राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव पर अनुमानतः 37.36 करोड़ रु. की राशि खर्च होगी।

(ख) इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

कुपोषण के कारण जनजातीय बच्चों की मौत

2747. श्री नीतीश कुमारः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में कई राज्यों में कुपोषण के कारण जनजातीय बच्चों की मौतें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान जनजातीय लोगों की मौतों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन मौतों के वास्तविक कारणों की जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) किसी भी राज्य सरकार ने कुपोषण के कारण जनजातीय बच्चों की मौतों के बारे में सूचित नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार बच्चों, जिनमें जनजातीय क्षेत्रों के बच्चे भी शामिल हैं, के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार के लिए अनेक स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है। उदाहरणार्थ, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के लिए 759 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसी प्रकार, अभिनिर्धारित पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों की मौतों को रोकने के उद्देश्य से वर्ष 1996-97 से जनजातीय कार्य मंत्रालय 13 राज्यों में खाद्यान्न बैंकों की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का क्रियान्वयन कर

रहा है। परिवार कल्याण विभाग प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य का राष्ट्र-व्यापी कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बाल एवं मातृ स्वास्थ्य संवर्धन के अतिरिक्त शिशु मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर तथा मातृ दर में कमी लाना है।

[अनुवाद]

अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पेयजल की कमी

2748. श्री मनोरंजन भक्त: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह पेयजल की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अंडमान व निकोबार द्वीपसमूहों में कुल जलापूर्ति उपलब्धता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या फ्लैट बे वाटर सप्लाई स्कीम और रूटलैंड आइलैंड वाटर ड्राइंग स्कीम के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बे समय से लंबित हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) अंडमान व निकोबार प्रशासन ने बताया है कि वहां पानी की कोई गंभीर कमी नहीं है हालांकि अत्यधिक गरमी के मौसम में अर्थात् मध्य फरवरी से मध्य मई तक द्वीप समूह के कुछ क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी देखी जाती है। इस कमी का कारण कम अथवा बिल्कुल वर्षा न होना है जिसके कारण नदियों/नालों में कम मात्रा में पानी पहुंचता है।

(ग) अंडमान व निकोबार प्रशासन ने बताया है कि पोर्ट ब्लेयर नगर में 300 लाख लिटर की दैनिक आवश्यकता की तुलना में 240 लाख लिटर पानी रोजाना सप्लाई किया जाता है। अन्य क्षेत्रों में पानी निकटवर्ती स्रोतों जैसे नदियों, नालों, कुंओं आदि से सप्लाई किया जाता है।

(घ) से (च) जी नहीं। मंत्रालय में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं। अंडमान व निकोबार प्रशासन ने बताया है कि मंत्रालय को प्रस्तुत की गई फ्लैट बे स्कीम संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मैनग्रोव वनों पर उसके प्रभाव के बारे में कुछ अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए लौटा दी गई है। अंडमान व निकोबार प्रशासन द्वारा मैनग्रोव वनों पर शून्य प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए और सर्वेक्षण किया जा रहा है। तथापि पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका क्षेत्र में पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए धानीखाड़ी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जो जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी, को अभी अनुमोदन नहीं मिला है।

[हिन्दी]

विदेशों में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना पर व्यय

2749. श्री रामकृपाल यादव:
श्री काशीराम राणा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने पर सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) इस संबंध में सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) उन संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जो चालू हो गए हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने विदेश में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई व्यय नहीं किया है। तथापि, देश की दो उर्वरक सहकारी समितियां इफको तथा कृभको, ओमान आयल कम्पनी के साथ 969 अमरीकी डालर की अनुमानित लागत से ओमान में एक संयुक्त उद्यम यूरिया परियोजना स्थापित कर रहे हैं जिसमें इफको और कृभको प्रत्येक की 80-80 मिलियन अमरीकी डालर की साम्या भागीदारी है। यह परियोजना 15.8.2002 से प्रारम्भ हो गई है तथा यह परियोजना 35 महीनों में अर्थात् 15.7.2005 तक चालू हो जायेगी।

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजाति के लिए आयोगों की नियुक्ति

2750. श्री एम.वी. वीरेन्द्र कुमार:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के समाज के वंचित वर्ग की दशा सुधारने के लिए आरंभिक अध्ययन हेतु आयोगों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इन आयोगों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) आयोगों द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक दे दिया जाएगा;

(घ) इनकी सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि अधिसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिए जाने से पहले ही सरकार ने जनजातियों संबंधी मसौदा राष्ट्रीय नीति परिचालित कर दी है; और

(च) यदि हां, तो जनजातियों संबंधी मसौदा राष्ट्रीय नीति की वर्तमान स्थिति क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) से (घ) जी, हां। अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग (एसए व एसटी) का गठन प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए किया गया था और उसे 16.7.2004 तक एक वर्ष और विस्तारित अवधि दी गई थी। एसए एवं एसटी आयोग के गठन का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित सामाजिक-आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, विकास की रणनीतियों, संवैधानिक प्रावधानों और/या देश में अनुसूचित जनजातियों के विकास की जांच करना तथा एक सक्षम समग्र जनजातीय नीति की रूपरेखा तैयार करना था। हाल ही में एसए एवं एसटी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 16.7.2004 को प्रस्तुत कर दी है। उसकी अनुशंसाओं की जांच करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ङ) और (च) जनजातियों के लिए बनाई गई मसौदा राष्ट्रीय नीति का एक सामान्य दिशानिर्देश होगा जो जनजातीय विकास एवं अन्य संबंधित मुद्दों के लिए दिए जाने वाले निर्देशों पर सलाह देगा। प्रारूप नीति के कागजात सुधार के लिए टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए विशेषज्ञों एवं सलाहकारों के पास भेज दिए गए हैं। टिप्पणियों/सुझावों के लिए इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाला गया है जिससे उसे ज्यादा लोग देख सकें।

यह प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा जनजातियों के लिए मसौदा राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप देने के लिए प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों तथा एसए एवं एसटी आयोग के प्रेक्षणों/अनुशंसाओं का उपयोग किया जाए।

[हिन्दी]

एनएसडीपी के अंतर्गत अतिरिक्त वित्तीय सहायता

2751. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के पास राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 336 निकायों के लाभार्थ राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 3.50 करोड़ रु. की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को वित्तीय सहायता की राशि दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक दिए जाने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

इफको और कृभको के लिए विस्तार योजना

2752. श्री देविदास पिंगले: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषक उर्वरक निगम लिमिटेड (इफको) और कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको) ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विस्तार योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इफको और कृभको द्वारा जिन स्थानों पर अपने नए संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है उन स्थानों के नाम क्या हैं और इस पर कितना खर्च आने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (घ) इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) की अपने उर्वरक व्यवसाय को बढ़ाने की कोई तत्काल योजना नहीं है लेकिन यह आरंभिक व्यवहार्यता अध्ययन करा रहा है ताकि यह विशेषकर कलोल, आंवला और फूलपुर में अपने मौजूदा संयंत्रों के आसपास गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने की संभावना की तलाश कर सके। कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (कृभको) ने हजीरा, जिला सूरत, गुजरात में

1750 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से हजीरा उर्वरक परियोजना चरण-2 की स्थापना द्वारा प्रति वर्ष 10.56 लाख टन यूरिया उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी

2753. श्री मदन लाल शर्मा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू-कश्मीर राज्य में अशांति का मुख्य कारण बेरोजगारी है जहां असंतुष्ट युवक आतंकवादी और अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस कारण उग्रवाद प्रभावित लोगों को जीविकोपार्जन प्रदान करने के लिए सेना, अर्द्ध सैनिक बलों और सम्बद्ध केन्द्रीय सेवाओं में विशेष भर्ती अभियान चलाने के अलावा रोजगार दिए जाने पर से प्रतिबंध हटाने के लिए केन्द्र सरकार से बार-बार अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सार्वजनिक और आधिकारिक दोनों तरीके से यह आश्वासन भी दिया गया था कि सीमांत क्षेत्रों के शिक्षित युवाओं को भारत के अन्य राज्यों के तकनीकी संस्थाओं में कश्मीर विस्थापितों के समान आरक्षण दिया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) और (ख) ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चलता है कि केवल बेरोजगारी ही युवकों को आतंकवाद तथा अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की ओर आकर्षित करने का मूल कारण है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय पुलिस बलों सहित भर्ती पर कोई प्रतिबंध नहीं है। केन्द्रीय पुलिस बलों में कांस्टेबलों की भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर की जाती है। प्रत्येक राज्य को रिक्तियों का आबंटन उसकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

विगत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में केन्द्रीय पुलिस बलों में भर्ती का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

2001	2002	2003
968	1344	1960

(ङ) ऐसे कोई आश्वासन नहीं दिए गए थे।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

मेट्रो रेल के संचालन के कारण घाटा

2754. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में मेट्रो रेल के कारण लाखों रुपये का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके शुरू होने से लेकर तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं; और

(ग) इस घाटे को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, नहीं। दिल्ली मेट्रो रेल को लाखों रुपए की हानि नहीं हो रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति

2755. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री राजेन्द्र कुमार:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्रीमती ऊषा वर्मा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों के लिए एक नयी स्थानांतरण नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को भी विशेषत: महिला शिक्षिकाओं को अनावश्यक तनाव न हो, क्या तौर-तरीके तैयार किए गए हैं;

(घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन और केन्द्र सरकार को गत वर्ष के दौरान अब तक कर्मचारियों विशेषत: महिला शिक्षिकाओं का 500 किलोमीटर से अधिक दूरी के कारण दिल्ली में स्थानांतरण के संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) इस संबंध में अब सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन को निम्नलिखित परिस्थितियों में शैक्षिक वर्ष 2004-05 के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थानान्तरण नीति में संशोधन करने संबंधी दिशा-निर्देश हाल ही में जारी किए हैं:-

(i) प्रशासनिक कारणों से अथवा शिक्षकों द्वारा अनुरोध करने की स्थिति को छोड़कर केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इस उद्देश्य के लिए चयनित स्थान अथवा क्षेत्र के बाहर कोई स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा;

(ii) स्थानान्तरण के लिए अनुरोध प्राप्त होने के आधार पर रिक्तियां होने पर ही अधिकतर स्थानान्तरण किए जाएंगे;

(iii) पति अथवा पत्नी में से किसी के भी केन्द्र सरकार का कर्मचारी होने पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के किसी कर्मचारी का तब तक स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा जब तक कि दूसरे का भी स्थानान्तरण न हो जाए। यही नियम केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा राज्य सरकार की सेवा में पति अथवा पत्नी में से किसी एक के कार्यरत होने की स्थिति में भी शिक्षकों के साथ लागू होना चाहिए;

(iv) विगत में महिला शिक्षकों का जहां भी 500 कि.मी. से अधिक दूरी वाले स्थान पर स्थानान्तरण किया गया है, उन्हें 500 कि.मी. की दूरी के अन्दर रिक्ति होने की स्थिति में स्थानान्तरण के चयन का विकल्प दिया जाएगा।

तदुपरांत उपर्युक्त के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश 7 जुलाई, 2004 को जारी किए जा चुके हैं।

(घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए नई स्थानान्तरण नीति लागू किए जाने पर वर्ष 2004-05 के लिए स्थानान्तरण के लिए 13,554 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनमें से 565 अनुरोध ऐसी महिला कर्मचारियों से प्राप्त हुए हैं जिनका स्थानान्तरण 500 कि.मी. से अधिक दूरी वाले स्थान पर किया गया था और जो 500 कि.मी. की दूरी के अन्दर वाले स्थान पर आने की इच्छुक हैं। विशेष तौर पर दिल्ली के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन को 48 महिला कर्मचारियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ङ) क्षेत्र के अन्दर/बाहर पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए अनुरोधों पर पहले ही विचार किया जा चुका है और आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद अतिरिक्त शिक्षकों का समायोजन और स्पष्ट रिक्तियों के लिए शिक्षकों का स्थानान्तरण किया जाएगा।

एन.सी.ए.ई.आर. की रिपोर्ट

2756. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) ने हाल ही में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को कोई रिपोर्ट सौंपी है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने "विद्युत उत्पादन में प्रतिस्पर्धा की प्रस्तुति" संबंधी विमर्श-पत्र तैयार करने के लिए मई, 2004 में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) की शुरूआत की है। एनसीईआर ने उक्त विषय पर सीईआरसी को एक प्रारूप-पत्र प्रस्तुत किया है। आयोग ने जनसाधारण के सूचनार्थ पत्र को परिचालित किया है।

[हिन्दी]

डी.डी.ए. के खाली पड़े फ्लैट

2757. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) के ऐसे कितने फ्लैट मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण खाली पड़े हुए हैं;

(ख) ऐसे खाली पड़े फ्लैटों के टाइपों का ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां खाली पड़े हुए हैं तथा खाली किस तिथि से पड़े हुए हैं;

(ग) सरकार को इन फ्लैटों के खाली पड़े रहने के कारण कितना वित्तीय घाटा हुआ;

(घ) सरकार द्वारा इन खाली पड़े फ्लैटों में मूलभूत सुविधाएं कब तक प्रदान की जाएंगी; और

(ङ) इन फ्लैटों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) डीडीए ने सूचित किया कि आज की तारीख में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण कोई भी फ्लैट खाली नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुच्छेद 371 में संशोधन

2758. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 371 में संशोधन करने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर अब तक क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार मामला किस चरण में है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ग) संघ सरकार ने कर्नाटक सरकार को सूचित किया था कि कर्नाटक में रोजगार में और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के संबंध में क्षेत्रवार आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 371घ के उपबंधों की तर्ज पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में संशोधन करने के संबंध में राज्य सरकार का प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया है। तदोपरांत, मुख्यमंत्री तथा कर्नाटक विधान मंडल के दोनों सदनों के सभी दलों के नेताओं ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने भारत सरकार से, इस मामले पर बनाए गए मत पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। ज्ञापन की जांच की जा रही है।

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड की व्यवस्था करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 371(2) में संशोधन करने का प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव की भी जांच की जा रही है।

जनजातीय क्षेत्रों में भूमि का निपटारा

2759. श्री दिन्शा पटेल:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री काशीराम राणा:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति समुदाय के कल्याण के लिए गठित समिति ने सिफारिश की है कि जनजातीय और पहाड़ी ढाल वाले क्षेत्रों में भूमि का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को हजारों जनजातीय गांवों का पुनः सर्वेक्षण करने के लिए गुजरात सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति तथा कार्यक्रम की अनुमानित लागत कितनी है;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता भी मांगी है;

(च) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) और (ख) राज्यपालों की समिति ने सिफारिश की है कि जहां ऐसे सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नहीं किए गए हैं उन जनजातीय एवं ढलान वाले पहाड़ी क्षेत्रों में केन्द्रीय निधि से भूमि के सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का समयबद्ध कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर चलाया जाए।

(ग) से (छ) गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों की पुनः सर्वेक्षण-परियोजना प्रस्ताव के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए वर्ष 2003-2004 के दौरान गुजरात सरकार के राजस्व विभाग से इस मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। यह प्रस्ताव 350.65 लाख रु. की लागत से 2,788 गांवों के पुनःसर्वेक्षण के लिए था जो पूरी दसवीं योजना (2002-2007) के दौरान चलने वाली थी। उपर्युक्त प्रस्ताव को राज्य की पात्रता के अंतर्गत 2003-04 के दौरान गुजरात के जनजातीय कल्याण विभाग जो कि इस मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करने वाला नोडल विभाग है द्वारा प्रस्तावों की अनुशंसित सूची में शामिल नहीं किया गया।

विद्युत कंपनियों को ऋण

2760. **श्री नकुल दास राई:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विद्युत वित्त निगम द्वारा विद्युत कंपनियों को कितनी ऋण राशि प्रदान की गई; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उनको कितनी ऋण राशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गयी ऋण धनराशि निम्नवत है:

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	संवितरण
2001-02	5150
2002-03	7338
2003-04	8975

(ख) पीएफसी ने विद्युत मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है जिसके अनुसार चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2004-05 के दौरान ऋण संवितरण हेतु 7620 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

साक्षरता दर

2761. **श्री लालचन्द्र कोल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों में साक्षरता के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन जातियों के लोगों में साक्षरता को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में राज्य-वार साक्षरता दर दर्शाने वाले एक विवरण संलग्न है।

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित देश की साक्षरता दर में वृद्धि के लिए प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण और प्रौढ़ निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम दोधारी रणनीति का निर्माण करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में जिले पर बल देते हुए मिशन रूप में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए समग्र और संकेन्द्रित दृष्टिकोण के साथ सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के शैक्षिक विकास पर विशेष दल दिया जाता है। सभी सामाजिक समूहों विशेषकर सर्वाधिक वंचित समूहों द्वारा अभियान का स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए स्कूल के कामकाज में दलितों और आदिवासियों की सहभागिता को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए इनमें से कुछेक कार्यक्रम इस प्रकार हैं:-

- स्कूल बाह्य बालिकाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को मुख्य धारा में लाने हेतु शिविर, एच.आई.ई. केंद्र।
- जरूरत के मुताबिक विशेष शैक्षिक सहायता।
- समुदाय शिक्षकों से काम लेना।
- जनजातीय क्षेत्रों में काम करने के लिए गैर-जनजाति शिक्षकों हेतु विशेष प्रशिक्षण जिसमें जनजातीय बोली का ज्ञान और शिक्षकों के प्रयोग के लिए सेतु भाषा सूची शामिल है।
- यथा अपेक्षित प्रोत्साहन या विशेष सुविधा के तहत छात्रावास के रूप में संदर्भ विशिष्ट कार्यक्रम और मध्याह्न भोजन योजना।
- प्रति बच्चा 150/- रु. की अधिकतम सीमा के भीतर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के सभी बालिकाओं/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रावधान।
- एक जिले में अधिकतम 50 लाख रु. तक बालिकाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए संदर्भ विशिष्ट नवाचारी कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम पर प्रतिवर्ष खर्च की अधिकतम सीमा 15.00 लाख रु. है।
- पोशाक और छात्रवृत्ति जैसे प्रोत्साहन राज्य योजना से दिये जाते हैं।

- जहां बच्चे क्षेत्रीय भाषा नहीं समझते हैं वहां प्राथमिक शिक्षा के शुरू में बच्चों के लिए मातृभाषा में पाठ्यपुस्तक।
- 6-14 आयु-वर्ग में कम से कम 15 बच्चों वाली बस्ती या पहाड़ी, दूरस्थ तथा आदिवासी क्षेत्रों में 10 बच्चों वाली बस्ती में भी एक किलोमीटर के भीतर शिक्षा गारंटी योजना केंद्र स्थापित करना।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य 15-35 आयु-वर्ग के निरक्षरों को कार्यसाधक साक्षरता प्रदान करना है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति की साक्षरता दर	अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर
1	2	3	4
भारत		54.7	47.1
1.	जम्मू और कश्मीर	59.0	37.5
2.	हिमाचल प्रदेश	70.3	65.5
3.	पंजाब	56.2	एन.एस.टी.
4.	चंडीगढ़	67.7	एन.एस.टी.
5.	उत्तरांचल	63.4	63.2
6.	हरियाणा	55.4	एन.सी.टी.
7.	दिल्ली	70.8	एन.सी.टी.
8.	राजस्थान	52.2	44.77
9.	उत्तर प्रदेश	46.3	35.1
10.	बिहार	28.5	28.2
11.	सिक्किम	63.0	67.1
12.	अरुणाचल प्रदेश	67.6	49.6
13.	नागालैंड	एन.एस.टी.	65.9
14.	मणिपुर*	72.3	65.9
15.	मिजोरम	89.2	89.3
16.	त्रिपुरा	74.7	56.5
17.	मेघालय	56.3	61.3
18.	असम	66.8	62.5
19.	पश्चिम बंगाल	59.0	43.4
20.	झारखंड	37.6	40.7
21.	उड़ीसा	55.5	37.4
22.	छत्तीसगढ़	64.0	52.1
23.	मध्य प्रदेश	58.6	41.2
24.	गुजरात	70.5	47.7
25.	दमन और दीव	85.1	63.4
26.	दादरा और नागर हवेली	78.2	41.2
27.	महाराष्ट्र	71.9	55.2
28.	आंध्र प्रदेश	53.5	37.0
29.	कर्नाटक	52.9	48.3
30.	गोवा	71.9	55.9
31.	लक्षद्वीप	एन.एस.सी.	86.1
32.	केरल	82.7	64.4
33.	तमिलनाडु	63.2	41.5
34.	पांडिचेरी	69.1	एन.एस.टी.
35.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	एन.एस.सी.	66.8

*मणिपुर के सेनापति जिले के माओ मारम, पाओमाता और पुरुल सब-डिविजनों को शामिल नहीं किया गया है।

एन.एस.सी. - कोई अधिसूचित अनुसूचित जाति नहीं।

एन.एस.टी. - कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं।

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण

2762. श्री जे.एम. आरुन रशीद: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में सौर प्रकाश वोल्टेज प्रणाली के माध्यम से कितने गांवों को विद्युतीकृत किया गया है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान राज्य में कितने गांवों को विद्युतीकृत किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) राज्य में सौर विद्युतीकरण के लिए वित्त पोषित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र और राज्य के योगदान का अनुपात कितना है तथा उपभोग की प्रतिशतता क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) चूंकि तमिलनाडु में सभी जनगणना गांवों के विद्युतीकरण कर लिया गया है, अतः राज्य में सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के माध्यम से जनगणना गांवों के विद्युतीकरण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। तथापि सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के माध्यम से 152 दूरस्थ अविद्युतीकृत बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए एक परियोजना को वर्ष 2003-04 के दौरान मंजूरी दी गई। अन्य 106 दूरस्थ अविद्युतीकृत बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए भी राज्य एजेंसी से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) 152 दूरस्थ बस्तियों में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 734.19 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता मंजूर की गई है जिसमें से राज्य एजेंसी को 367.00 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

(घ) कुछ बेंचमार्कों के अध्यधीन, परियोजना लागत का 90% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है तथा शेष राशि राज्य द्वारा पूरी की जाती है। चूंकि, अभी इस परियोजना का कार्यान्वयन किया जाना है, अतः जारी की गई धनराशि का अभी उपयोग किया जाना है।

एन.सी.टी.ई. बंगलौर

2763. श्री मंजुनाथ कुन्नूर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के शैक्षिक सत्र के लिए डी.एड. पाठ्यक्रम की शुरूआत करने हेतु कर्नाटक में कितने शैक्षिक संस्थानों में दक्षिण क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद के पास आवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) अन्य दक्षिण राज्यों विशेषकर कर्नाटक में कितने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 के शैक्षिक सत्र के लिए डी.एड. पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु इन शिक्षण संस्थानों को कब तक मान्यता प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) इन संस्थानों को मान्यता प्रदान किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) 684 संस्थाएं।

(ख) दक्षिण क्षेत्रीय समिति ने अब तक 362 आवेदक संस्थाओं के मामले में निरीक्षण कराने की व्यवस्था की है, जिसमें कर्नाटक राज्य की 104 आवेदक संस्थाएं शामिल हैं।

(ग) अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को केंद्र सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी जाती।

(घ) शैक्षिक सत्र 2004-2005 के लिए मान्यता हेतु आवेदन पत्रों का बहुत अधिक संख्या में प्राप्त होना।

औषधियों के लिए अधिक मूल्य वसूलना

2764. मो. मुकीम:
श्री मुनव्वर हसन:
मोहम्मद शाहिद:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.पी.पी.ए. को कुछ निर्माताओं द्वारा औषधियों/फार्मुलेशन के अधिक मूल्य वसूलने के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और उसके बाद एन.पी.पी.ए. की जानकारी में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अधिक राशि लिए जाने की वसूली करने के मामले सहित प्रत्येक मामले में कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या कुछ बड़ी कंपनियां निर्धारित प्रपत्रों में सूचना नहीं दे रही हैं जो कि डी.पी.सी.ओ. 1995 के अंतर्गत अनिवार्य है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) उन निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गांधीवादी अध्ययन संस्थान को अनुदान

2765. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 23.07.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 535 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गांधीवादी अध्ययन संस्थान, वाराणसी के प्राधिकारियों से उक्त हेतु अनुदान और सहायता बहाल करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो संस्थान के सुचारू कार्यकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने दिनांक 27 अगस्त, 1999 के उस आदेश को वापस ले लिया है जिसके अंतर्गत भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद को संस्थान के लिए नियत सहायता अनुदान को रोकने का निदेश दिया गया था। राज्य सरकार से इस बात का अनुरोध किया गया है कि संस्थान के पंजीकरण को नवीकृत किया जाए जिससे कि वह अनुदान प्राप्त कर सके।

धनराशि का आवंटन

2766. **श्री बिक्रम केशरी देव:** क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा को 2.25 लाख आवासों और 30,000 समुदाय शौचालयों के निर्माण हेतु "वाम्बे" के अंतर्गत स्वीकृत कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इसमें उड़ीसा सरकार का कितना हिस्सा है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत उड़ीसा को केन्द्रीय राजसहायता के आवंटन को बढ़ाने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) "वाम्बे" के अंतर्गत 2001-02 से 15.32 करोड़ रु. के कुल नियतन की तुलना में, जिसमें वर्तमान वर्ष 2004-05 के लिए 5.09 करोड़ रु. का नियतन शामिल है, अभी तक उड़ीसा राज्य को 638 मकानों के लिए उनके सभी तरह से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों में से केवल 1.61 करोड़ रु. की केन्द्रीय सब्सिडी जारी की गई है। "वाम्बे" एक मांग आधारित स्कीम है और केन्द्रीय सब्सिडी केवल तभी जारी की जाती है, जबकि संबंधित राज्य सरकार पूर्ण रूपेण प्रस्ताव प्रस्तुत करे और निर्दिष्ट "वाम्बे" खाते में अपेक्षित राज्य अंश जमा करे। उड़ीसा को अधिक नियतन पर तभी विचार किया जा सकता है, धन की उपलब्धता की शर्त पर यदि उड़ीसा राज्य से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होता है।

करगिल निधि से अर्ध-सैनिक बलों के परिवारों को मुआवजा

2767. **श्री मधुसूदन मिस्त्री:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) करगिल शहीदों के परिवारों के कल्याण हेतु मुआवजा देने के लिए किन-किन राज्यों ने धनराशि जुटाई है;

(ख) क्या इस धनराशि का उपयोग अर्ध-सैनिक बलों के शहीद हुए जवानों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो अब तक ऐसे जवानों के राज्यवार कितने परिवारों को मुआवजा दिया गया है;

(घ) क्या इस धनराशि को किसी बैंक में जमा किया जाता है और इस पर ब्याज लगता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या ऐसे किसी बैंक ने चूक की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे बैंकों में कितनी धनराशि जमा है और इस राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या अक्षरधाम मंदिर के शहीदों को करगिल शहीद निधि से कोई मुआवजा दिया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उन राज्यों के नाम जिन्होंने कारगिल के शहीदों के परिवार के कल्याण हेतु मुआवजा प्रदान करने के लिए कोष बनाया है और उन राज्यों के नाम जिन्होंने अर्द्ध-सैनिक बलों के सैनिकों, जो शहीद हो गए, के परिवारों को मुआवजा देने

के लिए निधियों का उपयोग किया है। निम्न प्रकार हैं:-

उन राज्यों के नाम जिन्होंने कारगिल के शहीदों के परिवारों के कल्याण हेतु मुआवजा देने के लिए कोष बनाया है:

हरियाणा

पंजाब

महाराष्ट्र

हिमाचल प्रदेश

आंध्र प्रदेश

राजस्थान

बिहार (झारखंड सहित)

कर्नाटक

उड़ीसा

मध्य प्रदेश

पश्चिम बंगाल

केरल

तमिलनाडु

उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)

असम

जम्मू और कश्मीर

चंडीगढ़

पांडीचेरी

छत्तीसगढ़

गुजरात

असम

त्रिपुरा

मिजोरम

उन राज्यों के नाम जिन्होंने अर्द्ध-सैनिक बलों के सैनिकों, जो शहीद हो गए, के परिवारों को मुआवजा देने के लिए निधियों का उपयोग किया है:

हरियाणा

पंजाब

महाराष्ट्र

हिमाचल प्रदेश

राजस्थान

उड़ीसा

मध्य प्रदेश

तमिलनाडु

गुजरात।

(ग) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारत शिक्षा कोष

2768. श्री खारेबल स्वाईं:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत शिक्षा कोष की समीक्षा करने तथा एल्यूमनी एसोसिएशनों द्वारा शिक्षा संस्थान को कर मुक्त प्रत्यक्ष तौर पर दिये जाने वाले चंदे पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या रिपोर्ट तैयार की गई है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) 21.2.2003 को जारी अनुदेशों के अनुसार माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत सभी स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जो शैक्षिक तथा शोध संबंधी कार्यकलापों के लिए किसी बाह्य स्त्रोत (सरकारी सहायता के अलावा) से डोनेशन/अनुदान प्राप्त करते हैं, से यह अपेक्षा है कि वे डोनेशन/अनुदान, भारत शिक्षा कोष के माध्यम से प्राप्त करें। इस मामले की समीक्षा की गई तथा 27.7.2004 को अनुदेश जारी किए जाने के पश्चात् उक्त अनुदेशों को वापस ले लिया गया है।

गैर-अनुसूचित संपाकों का मूल्य

2769. श्री मुनव्वर हसनः क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.पी.पी.ए. गैर-अनुसूचित संपाकों के मूल्यों की निगरानी करता है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान गैर-अनुसूचित संपाकों के मूल्यों में वृद्धि के उल्लंघन के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चूककर्त्ताओं के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) की पहली अनुसूची में 74 प्रपुंज औषधों को विनिर्दिष्ट किया गया है। गैर अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों का मूल्य स्वयं विनिर्माताओं द्वारा कई पहलुओं यथा उत्पन्न लागत, विपणन/बिक्री लागत, आर एण्ड डी लागत, व्यापार कमीशन, बाजार स्पर्धा, उत्पाद नवनिर्माण, उत्पाद गुणवत्ता आदि को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। जहां पाया जाता है कि जनहित प्रभावित हो रहा है, वहां सरकार सुधारात्मक उपाय करती है।

जाली अंकतालिका

2770. श्री सुग्रीव सिंहः क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/दिल्ली विश्वविद्यालय ने डिग्री क्लासों में प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों द्वारा मूल अंक तालिकाओं और प्रमाण-पत्रों के साथ उनकी प्रतियां जमा किए जाने के लिए अपने सम्बद्ध कालेजों को कोई आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके पीछे क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या मूल अंक तालिका और अन्य प्रमाण-पत्रों को वापस करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो विद्यार्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों को कब तक लौटा दिया जाएगा;

(च) क्या कुछ विद्यार्थियों द्वारा जमा किए गए प्रमाण-पत्र जाली पाए गए हैं;

(छ) यदि हां, तो आज तक जाली अंक तालिकाओं के कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ज) ऐसे विद्यार्थियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, यद्यपि विश्वविद्यालय द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, अतः बहु प्रवेशों को रोकने और प्रमाण-पत्रों की प्रमाणिकता की जांच को ध्यान में रखते हुए, एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में विद्यार्थियों को दाखिले के समय अंक तालिकाओं और प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां संलग्न करनी होती हैं। ये प्रमाण-पत्र कालेज द्वारा दाखिले की प्रक्रिया पूरी होने तक रखे जाते हैं और बाद में विद्यार्थियों को लौटा दिए जाते हैं।

(च) से (ज) इस वर्ष जाली प्रमाण-पत्रों/अंक तालिका का कोई भी मामला इस विश्वविद्यालय के सामने आज तक नहीं आया है।

[हिन्दी]

'लवाना' जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाना

2771. श्रीमती प्रतिभा सिंहः क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार और जन प्रतिनिधियों ने केन्द्र सरकार के पास लवाना जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान प्रस्ताव किस स्तर पर है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) और (ख) जी, हां। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लवाना समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। उक्त सिफारिश पर ऐसे दावों पर निर्णय लेने की अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

[अनुवाद]

महिला अध्ययन केन्द्र

2772. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने महिला अध्ययन केन्द्रों के संबंध में कार्यसूची में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार को कोई प्रतिवेदन विशेषकर महिलाओं की शिक्षा संबंधी सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के संबंध में प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को देश के किसी भी विश्वविद्यालय से महिला अध्ययन केन्द्रों से संबंधित एजेन्डे को परिवर्तित करने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

लक्षद्वीप में बाढ़/चक्रवात

2773. **डा. पी.पी. कोया:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल में लक्षद्वीप समूह में आई भयंकर बाढ़ और चक्रवात की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आपदा के परिणामस्वरूप विस्थापित परिवारों के अलावा जान माल, फसलों, मछली पकड़ने वाली नावों की क्षति के संबंध में आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) चक्रवात प्रभावित लोगों के परिवारों को किस तरह की राहत दी गई है और कितना मुआवजा दिया गया है; और

(ङ) अब तक कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया है और शेष परिवारों का कब तक पुनर्वास किए जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) लक्षद्वीप प्रशासन ने चक्रवात से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक समिति नियुक्त की है ताकि प्रभावित परिवारों को उचित वित्तीय सहायता दी जा सके। उक्त समिति ने लक्षद्वीप प्रशासन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। बताया गया है कि कोई जन-हानि नहीं हुई है। लक्षद्वीप प्रशासन से कहा गया है कि वे समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संदर्भ में चक्रवात से हुए नुकसान तथा ऐसे मामलों में सरकार द्वारा जारी मदों की संशोधित सूची और सहायता के लिए व्यय के मानदंडों के आधार पर प्रभावित परिवारों को प्रदान की जाने वाली मुआवजे की राशि का अंतिम आकलन करें।

(घ) मई, 2004 के शुरू में जैसे ही लक्षद्वीप समूह में चक्रवात आया वैसे ही लक्षद्वीप प्रशासन ने छः द्वीपों नामत: कावारती, अमिनी, किल्टन, चेतलत, कदमत और एंड्रोट में राहत शिविर आयोजित किए जिनमें प्रभावित परिवारों को आश्रय, भोजन आदि प्रदान किया गया। चक्रवात से हुए नुकसान और भुगतान की जाने वाली मुआवजे की राशि की मात्रा का अंतिम आकलन लंबित रहने के कारण प्रभावित परिवारों को अभी तक मुआवजे का कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(ङ) सभी प्रभावित व्यक्ति एक हफ्ते के अंदर अपने घरों को लौट गए थे किसी भी व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर स्थाई पुनर्वास कराये जाने की जरूरत नहीं थी।

ओसवाल कैमिकल्स और फर्टिलाइजर फैक्ट्री से गैस का रिसाव

2774. **श्री ब्रह्मानन्द पंडा:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा के पाराद्वीप में ओसवाल कैमिकल्स फर्टिलाइजर फैक्ट्री से कई बार खतरनाक अमोनिया गैस के रिसाव होने की जानकारी है;

(ख) क्या इस बार-बार होने वाली दुर्घटना की जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) सरकार द्वारा कामगारों तथा आस-पास के निवासियों के सुरक्षापायों को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) गत पांच वर्षों के दौरान इसमें हताहत हुए व्यक्तियों और प्रत्येक को दिए गए मुआवजे का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) पारादीप, उड़ीसा स्थित ओसवाल कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (ओसीएफएल) के संयंत्र से अमोनिया रिसाव की सूचना मिलने पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किए गए निरीक्षण में पाया गया था कि यह संयंत्र निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं कर रहा है। सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक निवारक उपाय के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा जुलाई 2000 में तथा उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी मई 2001 में ओसीएफएल को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे और प्रदूषण को नियंत्रित एवं न्यूनतम करने के लिए पर्याप्त उपाय करने के लिए कहा गया था। उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तत्पश्चात् निदेशों का अनुपालन न किए जाने के कारण इस इकाई को बंद करने के निदेश जारी किए तथा इसके प्रचालनों को फरवरी, 2003 में बंद कर दिया गया था। ओसीएफएल पारादीप के संयंत्र पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपनाने के पश्चात् 17 मार्च, 2004 को पुनः शुरू हो गए थे और 31 मार्च, 2004 तक परीक्षण चालन के दौरान उनके कार्यनिष्पादन को उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संतोषप्रद पाया गया था। उपर्युक्त के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कोई मुआवजा अदा नहीं किया गया है।

सरकारी आवास को किराए पर देना

2775. श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक आबंटियों द्वारा किराए पर दिए गए सरकारी बंगलों, फ्लैटों और क्वार्टरों की टाइपवार पूलवार संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार ने उक्त आवासों को खाली कराने के लिए क्या कार्रवाई की है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे सरकारी आवासों के आबंटियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) मंत्रालय और संपदा निदेशालय के उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जिनकी सांठ-गांठ से ऐसे आवासों को किराए पर दिया गया था?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) वर्ष 2002, 2003 और 2004 (31.7.2004 तक) के दौरान किराये पर दिए गए अनुमानित क्वार्टरों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ख) और (ग) उक्त अवधि के दौरान 970 क्वार्टरों के संबंध में आवंटन रद्द कर दिए गए थे तथा 1206 मकानों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खाली करा लिया गया था (क्वार्टरों को खाली कराने की संख्या में 2002 से पूर्व रद्द किए गए मकानों की संख्या शामिल है)

(घ) सरकारी आवास को किराये पर देने में शहरी विकास मंत्रालय और सम्पदा निदेशालय के किसी अधिकारी की सांठगांठ नहीं पायी गई है।

विवरण

वर्ष 2002, 2003 और 2004 (31.7.2004 तक) के दौरान सम्पदा निदेशालय के नियंत्रणाधीन किराये पर दिए गए अनुमानित क्वार्टरों की संख्या

अनुमानित उपकिराएदारी

वर्ष	टाइप-I	टाइप-II	टाइप-III	टाइप-IV	कुल
2002	338	245	81	04	668
2003	165	155	73	06	399
2004 (31.7.2004 तक)	176	99	46	03	324

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग व्यक्तियों को दुकानों, स्टालों और पार्किंग स्थलों का आबंटन

2776. श्री सुदाम मरन्डी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्/दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार को अगस्त, 2003 से ही दुकानों, स्टालों किओस्क और पार्किंग स्थलों आदि के आवंटन के आरक्षण हेतु ''इंडिया एसोसिएशन फार एससी/एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड पिपुल्स अपलिफ्टमेंट द्वारा संपर्क किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड आफ एजुकेशन

2777. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पुनर्गठित सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड आफ एजुकेशन की कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) पुनर्गठित बोर्ड की प्रथम बैठक 10-11 अगस्त, 2004 को हुई थी। बैठक में विचार-विमर्श के दौरान उठने वाले निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों की जांच-पड़ताल के लिए सात केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समितियों के गठन का निर्णय लिया गया:-

(1) निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े अन्य मुद्दे।

(2) बालिका शिक्षा और सह-शिक्षा प्रणाली।

(3) माध्यमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण।

(4) उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता।

(5) संस्कृति शिक्षा का स्कूल पाठ्यक्रम में समेकन।

(6) पाठ्यपुस्तकों के लिए नियामक क्रियाविधि और सरकारी तंत्र से बाहर के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली समानांतर पाठ्यपुस्तकें।

(7) उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए वित्त प्रबंध।

[हिन्दी]

विश्व बैंक की सहायता से विद्यालयों की स्थापना

2778. **कुंवर मानवेन्द्र सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से स्थापित या स्थापना हेतु प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालयों का स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में विश्व बैंक की सहायता से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित प्राथमिक स्कूलों का जिलावार विवरण संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत इस प्रयोजनार्थ 3314.49 लाख रु. की राशि आबंटित की गई।

विवरण

क्र.सं.	जिला	पिछले तीन वर्षों (2001-02, 2002-03 तथा 2003-04) के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्थापित नए प्राथमिक स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	लखीमपुर खेरी	30
2.	शाहजहांपुर	35
3.	बदायूं	36
4.	महाराजगंज	20
5.	सोनभद्र	20
6.	बाराबंकी	27
7.	बहराइच	69
8.	श्रावस्ती	9
9.	आगरा	112
10.	अम्बेडकर नगर	20
11.	आजमगढ़	96

1	2	3
12.	बागपत	8
13.	बलिया	75
14.	बिजनौर	58
15.	बुलन्दशहर	74
16.	एटा	59
17.	फैजाबाद	50
18.	फर्रूखाबाद	20
19.	फतेहपुर	100
20.	गौतमबुद्ध नगर	11
21.	गाजियाबाद	8
22.	गाजीपुर	113
23.	हमीरपुर	24
24.	जालौन	45
25.	जौनपुर	48
26.	झांसी	51
27.	कन्नौज	20
28.	कानपुर देहात	47
29.	महोबा	30
30.	मैनपुरी	33
31.	मथुरा	41
32.	मऊ	35
33.	मेरठ	16
34.	मिर्जापुर	31
35.	मुजफ्फरनगर	67
36.	प्रतापगढ़	40
37.	राय बरेली	30
38.	सुल्तानपुर	15
39.	उन्नाव	26
	कुल	1649

[अनुवाद]

तटरक्षक पुलिस

2779. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न तटवर्ती राज्यों से तटीय क्षेत्र में पुलिस तंत्र और गश्त की विद्यमान अवसंरचना की मजबूती के उद्देश्य से तटरक्षक पुलिस के गठन का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) तटवर्ती क्षेत्रों में पुलिस तंत्र और गश्त लगाने संबंधी अवसंरचना की मजबूती के लिए एक योजना तैयार करने हेतु तटवर्ती राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तटवर्ती राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों में तटीय पुलिस स्टेशनों के लिए भवनों का निर्माण करने, सुभेद्य क्षेत्रों में चेक पोस्ट और आउट पोस्ट स्थापित करने, समुद्री कार्यों में प्रशिक्षित कार्मिकों से सज्जित समुद्री पुलिस का गठन करने, तटवर्ती गश्त लगाने के लिए पोतों और अन्य उपकरणों की व्यवस्था करने की परिकल्पना की गई थी। चूंकि इसमें काफी वित्तीय निहतार्थ शामिल थे इसलिए प्रस्तावित तटवर्ती सुरक्षा योजना को सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने के बाद ही तटवर्ती राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

जयपुर में सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नालाजी की स्थापना

2780. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान के लघु उद्योग की आवश्यकताओं के मद्देनजर जयपुर में सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी की स्थापना का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस सेन्टर की स्थापना न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्थान खनिज एवं निवेश निगम ने केन्द्र सरकार से तत्संबंधी व्यय के बंटवारे के आधार पर राज्य में इस संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आर आई आई सी ओ (राजस्थान इंडस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन) से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राजस्थान में सिपेट केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव आर आई आई सी ओ से वर्ष 2003-04 (दसवीं पंचवर्षीय योजना) के दौरान प्राप्त हुआ है।

जयपुर (राजस्थान) में राजस्थान राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच लागत हिस्सेदारी आधार पर सिपेट केंद्र की स्थापना के लिए 2376.00 लाख रु. की परियोजना लागत सिपेट द्वारा निर्धारित की गयी है।

[अनुवाद]

औषधियों हेतु सिलिंग पैकेज

2781. मोहम्मद शाहिद: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषधियों की सिलिंग पैक्स की पहचान करने और इनके अधिकतम मूल्यों के निर्धारिण कार्य एक ही अधिकारी द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो नेशनल फर्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथारिटी ने कितने अतिरिक्त सिलिंग पैक्स की पहचान की है;

(ग) क्या मंत्रालय ने टेबलेट और कैप्सूलों के लिए संपाक के गैर-सिलिंग पैक्स की घोषणा की है;

(घ) क्या यह सही है कि अन्य खुराक की प्रचार जैसे द्रव्य, इंजेक्शन योग्य और मलहम इसमें सम्मिलित नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने इस भेदभाव को हटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (च) औषधियों की सिलिंग पैक्स की पहचान तथा अधिकतम मूल्यों का निर्धारण राष्ट्रीय औषध मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995, (डीपीसीओ, 1995) के उपबंधों के तहत किया जाता है। विभिन्न खुराक के प्रकार जैसे टैबलेट, कैप्सूल, द्रव्य, इंजेक्शन योग्य, मलहम आदि के सिलिंग पैक और गैर-सिलिंग पैकों के दरों को विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा फार्म-3 (डीपीसीओ 1995 के) पर प्राप्त आवेदनों या अपने आप आधार पर निर्धारित या संशोधित किया जाता है। अब तक, शुरूआत से लेकर, ऐसी सभी खुराक प्रकारों को मिलाकर एनपीपीए ने 1285 गैर-सिलिंग पैक तथा 1272 सिलिंग पैकों के मूल्य निर्धारित/संशोधित किए हैं। संपाकों के मूल्य निर्धारण/संशोधन की प्रक्रिया में पैकों के प्रकार में कोई विभेद नहीं किया जाता है।

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी

2782. श्री मोहन जेना: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (एच एस सी एल) के लगभग 2000 कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन नहीं मिल रहा है और उन्हें उनके वैध महंगाई भत्ते से भी वंचित किया गया है जबकि अन्य 67 सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के कर्मचारियों को इसका भुगतान कर दिया गया है;

(ख) क्या 1999-2003 के दौरान एच एस सी एल से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त 12,000 से अधिक कर्मचारियों को सांविधिक बकायों सहित अंतिम भुगतान नहीं मिला है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार के पास एच एस सी एल का सेल में विलय करने का कोई प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (एचएससीएल) की वित्तीय स्थिति पिछले कुछ वर्षों से प्रतिकूल रही है। कंपनी इस्पात इकाइयों में कार्यरत अपने कर्मचारियों को नियमित रूप से मासिक वेतन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त संसाधन सृजित करने में सक्षम नहीं है। तथापि, गैर-इस्पात इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित रूप से मासिक वेतन का भुगतान किया जा रहा है। सरकार ने कंपनी को निम्नलिखित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है ताकि कंपनी अपने कर्मचारियों का वेतन/सांविधिक देयों का भुगतान कर सके:-

- 2000-01 के दौरान 89.44 करोड़ रुपए का गैर-योजना ऋण
- 2002-03 के दौरान 61.11 करोड़ रुपए का गैर-योजना ऋण

जुलाई, 1999 में सरकार द्वारा कंपनी को उपलब्ध कराए गए वित्तीय पुनर्संरचना पैकेज की शर्तों के अनुसार कंपनी द्वारा नकद लाभ अर्जित किए जाने तक महंगाई भत्ते के भुगतान को रोक दिया गया है।

(ख) और (ग) जिन कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए विकल्प दिया था उन सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति संबंधी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है। तथापि, कंपनी द्वारा किए गए वेतन संशोधन के कारण मजदूरी/वेतन की बकाया राशि का कंपनी द्वारा अपनी प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के कारण भुगतान नहीं किया गया है। तथापि, एच एस सी एल के लिए 2004-05 के बजट अनुमान में 71.89 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि कंपनी पृथक किए गए अपने कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान कर सके।

(घ) एच एस सी एल को सेल में विलय करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में कम्प्यूटरीकरण की विफलता

2783. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवासीय स्कंध में कम्प्यूटरीकरण की विफलता हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं और प्राधिकरण द्वारा कितने मामलों में दोबारा आवंटन किया गया है; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कम्प्यूटरीकरण पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि हाउसिंग विंग के निम्नलिखित क्रियाकलाप पहले ही कंप्यूटरीकृत किए जा चुके हैं--

(1) फ्लैटों का आबंटन

(2) फ्लैटों की लागत

(3) मांग-पत्रों की कार्रवाई व मुद्रण

(4) कुछ स्कीमों के लिए कब्जा-पत्र

(5) आवासीय विभाग की लेखाकरण रसीदें और आनलाइन सत्यापन

(6) वेबसाइट और सूचना किओस्क के जरिए जनता को पूछताछ की सुविधाएं

(7) पता परिवर्तन, निरस्तीकरण, भुगतान के तरीके में परिवर्तन इत्यादि जैसे आवंटन बाद के क्रियाकलाप।

डीडीए ने यह भी सूचना दी है कि कुछ मामलों में पुराने रिकार्ड/फाइलें/सम्पत्ति, पंजीकाएं उपलब्ध न होने के कारण डबल आबंटन हो गए हैं। इन डबल आबंटनों के मामलों में नीति दिशानिर्देशों के तहत डीडीए द्वारा उसी लागत पर दूसरे फ्लैट आबंटन किया जाता है।

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान डीडीए द्वारा कंप्यूटरीकरण पर करीब 2 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

पद्मश्री सम्मान

2784. श्री अलीमाऊ चर्चील: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार पद्मश्री सम्मान देने के लिए किन-किन मानदंडों का पालन करती है;

(ख) क्या खेल-कूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए इन सम्मानों की संख्या की कोई सीमा है; और

(ग) यदि हां, तो इन सम्मानों को खेल प्रशासकों को न दिए जाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) कोई भी व्यक्ति जाति, व्यवसाय, हैसियत या लिंग का भेद किए बिना पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र होता है। पद्म विभूषण विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्चकोटि की विशिष्ट सेवा के लिए तथा पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इस मंत्रालय में प्राप्त सभी सिफारिशों पर पद्म पुरस्कर समिति, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, द्वारा विचार किया जाता है। समिति विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों को चुनाव करते समय उच्चतम मानदंडों का पालन करती है और अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) खेल-कूद के क्षेत्र में संस्तुत व्यक्तियों सहित पद्म पुरस्कारों के लिए प्राप्त सभी नामांकन/सिफारिशें पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष रखी जाती हैं। प्रत्येक मामले में, योग्यता को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को चुनना समिति का विशेषाधिकार है।

[हिन्दी]

सरकार द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण

2785. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने अभी तक बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए कितनी भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) भूमि के अधिग्रहण के कारण कितने परिवार बेरोजगार और बेघर हुए हैं;

(ग) इस संयंत्र में कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और अभी तक कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया है; और

(घ) कितने लोगों को अभी रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है और आज की तारीख तक कितने परिवारों का पुनर्वास किया जाना बाकी है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) सरकार ने बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए 31287.24 एकड़ भूमि ग्रहण की थी।

(ख) निदेशक, परियोजना भूमि एवं पुनर्वास (डी पी एल आर) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण 13.5.1988 की स्थिति के अनुसार विस्थापित परिवारों की संख्या 13309 थी।

(ग) बोकारो इस्पात संयंत्र में 31.7.2004 तक 16199 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर दिया गया है।

(घ) बोकारो इस्पात संयंत्र ने विस्थापित हुए परिवारों की संख्या से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दे दिया है।

[अनुवाद]

टिहरी बांध में दुर्घटना

2786. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**
श्रीमती प्रतिभा सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में टिहरी बांध में दुर्घटना हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त दुर्घटना के कारण से कितने लोग हताहत हुए और कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या सरकार ने इस दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जांच के कब तक पूरे हो जाने की संभावना है;

(च) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा पृथक-पृथक रूप से दुर्घटना के शिकार प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को कितनी क्षतिपूर्ति दी गई है/दिए जाने का विचार है; और

(छ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी, हां।

(ख) टिहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 (1000 मे.वा.) में 2 अगस्त, 2004 को रात लगभग 10.30 बजे एलीवेशन स्तर (ईएल) 695 मी. से स्पिलवे के टी-3 शाफ्ट में भारी मात्रा में चट्टानें गिरी। चट्टानों का ढेर ईएल 678 मी., स्तर पर बनाए गए "स्लिपफार्म" के प्लेटफार्म पर गिरा। स्लिप फार्म चट्टानें गिरने के साथ स्वर्लिंग डिवाइस क्षेत्र पर गिरा। परिणामस्वरूप, स्वर्लिंग डिवाइस क्षेत्र के ऊपर का सुरक्षा प्लेटफार्म भी ढह गया।

(ग) 28 कार्मिकों और एक एक्जीक्यूटिव की मृत्यु हुई है और मैसर्स जेपीआईएल के 11 कार्मिकों को इस घटना के दौरान चोटें आई हैं।

(घ) और (ङ) श्री एम.एस. रेड्डी, पूर्व-अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में और पूर्व सचिव, जल संसाधन मंत्रालय और केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और केन्द्रीय

विद्युत प्राधिकरण प्रत्येक की ओर से एक-एक सदस्य को लेकर उच्च स्तरीय जांच समिति निम्नलिखित विचारार्थ विषय की जांच हेतु भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2004 को गठित की गई है:-

(1) टिहरी जल विद्युत परियोजना के भूमिगत स्थल पर होने वाली दुर्घटना के मानवीय, मशीनी, भू-वैज्ञानिक आदि कारणों की जांच।

(2) मरम्मत एवं पुन: निर्माण हेतु उपचारात्मक उपायों का सुझाव।

(3) गलतियों का निर्धारण यदि कोई है और उनकी जिम्मेवारी निर्धारित करना।

(4) भावी भूवैज्ञानिक आश्चर्यों के मापन हेतु सरकार को उपायों का सुझाव।

समिति से एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने की अपेक्षा की गई है।

(च) मैसर्स जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ने मृत कार्मिकों के कानूनी उत्तराधिकारी को दस-दस लाख रुपये और मृत एक्जीक्यूटिव के कानूनी उत्तराधिकारी को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके अलावा, भारत सरकार ने मृत कार्मिक/कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी को एक लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल कार्मिक को 50,000 रुपये और हल्की चोट वाले कार्मिक को 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। खर्च परियोजना निधियों से पूरा किया जाएगा।

(छ) उच्च स्तरीय जांच समिति का एक विचारार्थ विषय भावी भूवैज्ञानिक आश्चर्यों के मापन हेतु सरकार को सिफारिश करना भी है।

हिन्दुस्तान एंटी बायोटिक लिमिटेड, भोपाल में दवाइयों को जलाना

2787. **श्री राम चन्द्र पासवान:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में भोपाल के आवासीय क्षेत्र में हिन्दुस्तान एंटी बायोटिक लिमिटेड द्वारा दवाइयों और कीटनाशी जलाए गए हैं;

(ख) यदि हां, इन्हें जलाए जाने से उत्पन्न धुंए के कारण कितने लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो प्राप्त परिणामों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने गैर-जिम्मेदाराना ढंग से दवाइयों और कीटनाशी को जलाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) जी, हां। भोपाल शहर से 15 कि.मी. दूर सानखेड़ी में 4 लोगों को उल्टी के लक्षणों के साथ अस्पताल में 29.7.2004 और 3 लोगों को 1.8.2004 को भर्ती किया गया। पहले चार लोगों को 2.8.2004 को छुट्टी दे दी गई। अन्य तीन लोगों का लाक्षणिक उपचार किया गया और उसके बाद छुट्टी दे दी गई।

(ग) से (ङ) हिंदुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) ने उस स्थल पर अपने दो वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति कर विस्तृत जांच की है। जांच रिपोर्ट से पता चला कि एक्सपायर्ड दवाओं को खाली भूमि में शहर से दूर जलाया गया न कि किसी रिहायशी इलाके में जिस चिकित्सक ने मरीजों का उपचार किया उसने कहा है कि उनमें विष का कोई लक्षण नहीं था।

भारत-पाक सीमा पर संयुक्त गश्त

2788. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समझौते के अनुसार भारत-पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा संयुक्त गश्त की जानी थी;

(ख) यदि हां, तो अभी तक इसका क्रियान्वयन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

नैमित्तिक श्रमिकों का नियमितीकरण

2789. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विद्युत मंत्रालय और इसके अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यथा पावर ग्रिड कारपोरेशन, एनटीपीसी में काम कर रहे नैमित्तिक मजूदरों जिनकी सेवाएं को इन संगठनों द्वारा 240 दिनों के न्यूनतम अवधि की शर्त पूरी करने के बावजूद समाप्त कर दिया गया था, के अनेक मामले विभिन्न न्यायालयों में सन् 1998 से लेकर आज की तारीख तक लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी न्यायालयवार और वर्षवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये संस्थान कार्मिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन संगठनों को इन नैमित्तिक मजूदरों की सेवाओं को पुन: बहाल करने का निदेश देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नैमित्तिक मजदूर से हटाये गये चार मामले श्रम न्यायालय, सीधी और उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित हैं। विवरण संलग्न हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	मामला सं./ न्यायालय	पार्टी का नाम	मामले का विवरण
1	2	3	4
1.	1220/वर्ष 2003, जबलपुर उच्च न्यायालय	एनटीपीसी-विंध्याचल बनाम नकुल कुमार तिवारी व अन्य	नकुल कुमार तिवारी को दिनांक 01.12.1984 से मस्टर रोल पर नियुक्त किया गया था। उसने दिनांक 17.08.1985 तक काम किया था इसके बाद नियमित ड्राइवरों की नियुक्ति हो हो जाने पर उसे काम से हटा दिया गया। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में फिर से उसकी नियुक्ति की गई थी। तथापि, स्थायी कर्मचारी की श्रेणी में रखने के लिए उच्च न्यायालय में एक मामला लंबित है।
2.	511/2003 उच्च न्यायालय जबलपुर	जी.एम. द्वारा एनपीटीसी विंध्याचल, बनाम जे.पी. सिंह और पीठासीन अधिकारी, एल.सी.	जयपाल सिंह को दिनांक 23.09.90 से 23.07.95 तक डाटा ईट्री आपरेटर के रूप में मस्टर रोल पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद काम की जरूरत न होने पर उसे सेवा से हटा दिया गया था। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उस कार्मिक की पुन: नियुक्ति की गई है। तथापि, स्थायी कर्मचारी के श्रेणी में रखने के लिए मामला उच्च न्यायालय में लंबित है।
3.	15/2000 श्रम न्यायालय, सीधी	के.के. श्रीवास्तव बनाम जीएम (वी)	के.के. श्रीवास्तव को दिनांक 01.08.90 से 15.02.1994 तक मस्टर रोल पर डाटा इंट्री आपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था। काम की जरूरत न होने पर उसे सेवा से हटा दिया गया था। तथापि स्थायी, कर्मचारी की श्रेणी में रखने के लिए एक मामला श्रम न्यायालय में लंबित है।

1	2	3	4
4.	16/2000 श्रम न्यायालय, सीधी	डी.के. मिश्रा बनाम जी एम-वी एनटीपीसी	डी.के. मिश्रा को दिनांक 18.01.91 से 15.02.1994 तक मस्टर रोल पर डाटा इंट्री आपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था। काम की जरूरत न होने पर उसे सेवा से हटा दिया गया था। उसके बाद श्रम न्यायालय से आदेश पर उसे पुन: नियुक्त किया गया। तथापि, स्थायी कर्मचारी की श्रेणी में रखने के लिए एक मामला श्रम न्यायालय में लंबित है।

नाप्था आधारित विद्युत परियोजनाएं

2790. श्री अधीर चौधरी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में निजी क्षेत्र की भागीदारी से विद्युत उत्पादन के लिए बनाई गई दीर्घकालिक योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में यदि कोई योजना बनाई गई है तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार देश में नाप्था आधारित विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र भागीदारी की अनुमति के लिए नीति पहली बार 1991 में घोषित की गई थी और निजी विद्युत परियोजनाओं के विकास को सुगम बनाने के लिए, प्राप्त अनुभव के आधार पर समय-समय पर इसकी समीक्षा की गई और इसे संशोधित किया गया है। हाल ही के समय में उठाए गए नीतिगत कदमों की कुछ मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं-

1. नए विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत:-

(1) विद्युत उत्पादन के लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया है।

(2) कैप्टिव उत्पादन को स्वतंत्र अनुमति दी गई है।

(3) विद्युत के क्रय-विक्रय को एक स्वतंत्र और लाइसेंस शुदा गतिविधि के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

(4) पारेषण में अत्यधिक खुली पहुंच की अनुमति निजी विद्युत उत्पादन हेतु दी गई है।

2. विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण की विद्युत परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग पर 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है।

3. मेगा नीति के अंतर्गत सीमा शुल्क में छूट सहित वित्तीय रियायतों की अनुमति कुछ शर्तों को पूरा करने पर थर्मल हेतु 1000 मेगावाट या उससे अधिक की और जल विद्युत परियोजनाओं हेतु 500 मेगावाट या उससे अधिक की प्रारंभिक क्षमता वाली अंतराज्यीय परियोजनाओं को दी गई है।

(ग) और (घ) विद्युत उत्पादन हेतु नाफ्था और कुछ रेजीड्यूल तरल ईंधनों के प्रयोग की अनुमति नवम्बर, 1995 में विद्युत मंत्रालय द्वारा घोषित तरल ईंधन नीति के अंतर्गत दी गई थी। नाफ्था पर आधारित अधिकतम 12000 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि पर विचार किया गया था। तथापि, नाफ्था के अधिक मूल्य के कारण इसका प्रयोग अब व्यवहार्य नहीं माना गया है और इसके प्रयोग को हतोत्साहित किया जा रहा है।

लोअर सुबनसिरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से विद्युत बंटवारा

2791. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **विद्युत मंत्री** 18.12.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2551 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एन.एच.पी.सी. लोअर सुबनसिरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से विद्युत बंटवारे के संबंध में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी, नहीं।

(ख) लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना (2000 मेगावाट) से 12% निःशुल्क विद्युत को असम तथा अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच विभाजित किया जाएगा। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) के पास शेष विद्युत के लिए न तो असम और न ही उत्तर-पूर्वी राज्यों ने ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तथापि, एनएचपीसी ने नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार भावी लाभार्थी राज्यों/यूटिलिटियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं-

1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी)	-	600 मेगावाट
2.	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड (डब्ल्यूबीएसईबी)	-	500 मेगावाट
3.	झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी)	-	400 मेगावाट
4.	ग्रिड कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि. (ग्रिडको)	-	300 मेगावाट
5.	विद्युत विभाग, सिक्किम सरकार	-	300 मेगावाट
6.	दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी)	-	300 मेगावाट

भारत सरकार राज्यों/यूटिलिटियों, जिन्होंने एनएचपीसी के साथ विद्युत क्रय करार किया है, को अंतिम रूप से आबंटन परियोजना आरंभ होने पर ही करेगी।

बाल अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर

2792. श्री ए.के. मूर्तिः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने बाल अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) और (ख) भारत ने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन पर 11 दिसम्बर, 1992 को हस्ताक्षर किए। इस कन्वेंशन में स्वस्थ्य एवं अनुकूल वातावरण में बच्चों की उत्तरजीविता एवं विकास के लिए उनके विभिन्न अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारत ने आवश्यकतानुसार बच्चों की स्थिति के संबंध में अपनी पहली कन्ट्री रिपोर्ट वर्ष 1997 में तथा दूसरी कन्ट्री रिपोर्ट वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र को प्रस्तुत की। रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ग) बच्चों के संरक्षण के लिए कतिपय संवैधानिक उपबंध तथा कानून मौजूद हैं। इनके अतिरिक्त, विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा बच्चों के लिए अनेक स्कीमें तथा कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन स्कीमों तथा कार्यक्रमों में समेकित बाल विकास सेवा; सर्व शिक्षा अभियान; प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम; राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना; निराश्रित बच्चों तथा किशोर अपराध न्याय हेतु समेकित स्कीम आदि शामिल हैं।

वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत आवासों की स्वीकृति

2793. श्री असादुद्दीन ओवेसीः क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार हुडको के माध्यम से वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत 66,707 आवासों की स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने 2003-04 तक 66,707 आवासों में से 49,895 आवासों की स्वीकृति दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से शेष 16812 आवासों की तत्काल स्वीकृति के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उपर्युक्त योजना के अंतर्गत शेष आवासों को स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए हैं या उठाए जाने का विचार है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में अब तक 55,125 रिहायशी इकाइयों और 392 शौचालय सीटों के निर्माण के लिए 129.55 करोड़ रु. की भारत सरकार सब्सिडी वाली कुल 8 योजनाएं अनुमोदित दी गई हैं। इसमें से आंध्र प्रदेश को सभी प्रकार से पूर्ण उनके परियोजना प्रस्ताव के आधार पर 53,895 रिहायशी इकाइयों और 392 शौचालय सीटों के निर्माण/उन्हें बेहतर बनाने के लिए 127.09 करोड़ रु. की भारत सरकार सब्सिडी (2001-02 में 12 करोड़ रु., 2002-03 में 55.35 करोड़ रु. तथा 2003-04 में 59.74 करोड़ रु.) दे दी गई हैं।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश सरकार से वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के तहत 15582 रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए 33.61 करोड़ रु. की भारत सरकार सब्सिडी हेतु प्राप्त दो प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

2794. श्री कैलाश बैठा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सभी संकायों में कार्यरत वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहित शिक्षक तथा गैर-शिक्षक कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) उपर्युक्त में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कोटा पूरा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे कब तक भरे जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षण तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) वर्ष 1999 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षणेतर पदों को भरने पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण विश्वविद्यालय में इस समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कुछ पद रिक्त हैं।

(ङ) तत्पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय को 25 प्रतिशत रिक्त पदों को भरने की अनुमति प्रदान की है और विश्वविद्यालय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कोटे को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। तथापि, सभी बकाया रिक्तियों को भरने के संबंध में कोई निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों	अनुसूचित जनजातियों	अन्य पिछड़े वर्गों*
			से संबंधित कर्मचारियों की संख्या		
1	2	3	4		
शिक्षण कर्मचारी					
1.	प्रोफेसर	414	-	-	-
2.	रीडर	365	03	-	-
3.	व्याख्याता (चयन स्केल)	28	-	-	-

1	2	3	4		
4.	व्याख्याता (वरिष्ठ स्केल)	87	09	01	-
5.	व्याख्याता	200	31	06	-
शिक्षणेत्तर कर्मचारी					
6.	समूह-क	103	09	01	04
7.	समूह-ख	87	19	01	08
8.	समूह-ग	2135	94	13	124
9.	समूह-घ	3044	872	89	95

*शिक्षण पदों में अभी तक अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

माध्यमिक शिक्षा के लिए निधियों का आबंटन

2795. **श्री एस.के. खारवेणथन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रमों पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम पर खर्च की गई धनराशि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में इसके लिए और धनराशि खर्च करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) विशेषकर, नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय और समानता के साथ सुलभता कार्यक्रम पर होने वाले व्यय में सामान्य बजट के अंतर्गत और साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त आबंटन करके वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रमों पर हुए खर्च का ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
1.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	10.00	9.67	8.37	15.40	17.90
2.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	87.98	95.00	81.10	85.00	103.57
3.	नवोदय विद्यालय समिति	304.00	344.99	350.49	360.00	439.56

1	2	3	4	5	6	7
4.	केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन	2.92	2.61	2.45	2.45	2.93
5.	राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्थान	7.00	2.37	5.30	5.33	9.00
6.	समानता के साथ सुलभता	1.99	2.14	5.65	17.82	7.00
7.	विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा	12.90	14.91	21.31	33.84	38.47
8.	स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार/ विज्ञान ओलम्पियाड	24.92	21.11	17.58	16.30	6.97
9.	विद्यालयी शिक्षा में पर्यावरणीय प्रबोधन	1.98	1.93	2.56	1.74	2.55
10.	स्कूलों में योग शिक्षा शामिल करना	0.10	0.20	0.25	0.23	0.00
11.	राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना	3.50	2.00	1.15	0.49	0.85
12.	विद्यालय में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन	3.64	4.24	74.00	18.95	0.00
13.	शैक्षिक प्रौद्योगिकी	15.61	10.85	7.62	5.55	9.00
	कुल	476.54	512.02	577.83	563.10	637.80

सरकारी कालोनियों में सी.पी.डब्ल्यू.डी. सेवा

2796. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली की सरकारी कालोनियों विशेषकर आर.के. पुरम, नई दिल्ली के निवासियों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा संतोषजनक सेवा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो निवासियों ने किस प्रकार की शिकायतें दर्ज कराई हैं और इन शिकायतों पर कार्रवाई करने में कितना समय लगा था बार-बार शिकायतें प्राप्त होने के क्या कारण हैं; और

(ग) निवासियों की शिकायतों का संतोषजनक रूप से निपटारा करने के लिए केन्द्र सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) सरकार का प्रयत्न इस संबंध में सर्वोत्तम संतोषजनक सेवाएं उपलब्ध कराने का बना हुआ है।

(ख) निवासियों द्वारा कई प्रकार की शिकायतें दर्ज की जाती हैं (सूची विवरण के रूप में संलग्न है)। छोटी-मोटी प्रकृति के कार्य 48 घंटे के अंदर ठीक कर दिए जाते हैं जबकि बड़े-बड़े कार्य अपेक्षित औपचारिकताओं का अनुसरण करने के बाद ठेके द्वारा कराए जाते हैं। शिकायतें दूर करने में देरी होने अथवा फिर से खराबी होने के मामलों में निवासी शिकायतें दोहराते रहते हैं।

(ग) किए गए उपायों में शिकायतों की प्राप्ति और मानीटरिंग प्रणाली का कंप्यूटरीकरण, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मोनीटरिंग तथा इस संबंध में अधीनस्थ कार्यालयों को दिशानिर्देश जारी करना शामिल है।

विवरण

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

शिकायतें दर्ज करना तथा मानीटरिंग प्रणाली

एनआई/सीपीडब्ल्यूडी 12/08/04 12:43:38 (पी.एम.)

शिकायत कोड	शिकायत का विवरण
1	2
श्रेणी : विद्युत	
101	बिजली न होना
102	स्पार्किंग

1	2
103	करंट लीक होना
104	बेल खराब होना
105	साकेट अथवा स्विच की खराबी
106	पंखा काम न करना
107	रेगुलेटर की खराबी
108	एमसीबी काम न करना
109	मेन स्विच में खराबी
110	वायरमैन की आवश्यकता होना
111	लिफ्ट में खराबी
112	बल्ब बदलना
113	ट्यूब बदलना
171	गेट लाईट में खराबी
172	एग्जास्ट फैन में खराबी
173	गीजर में खराबी हीटर में खराबी
174	एयरकंडीशनर में खराबी
श्रेणी : सिविल	
201	नाली बंद होना
202	डब्ल्यूसी बंद होना
203	सीवरमैन की आवश्यकता
301	पानी न आना
302	फ्लश काम न करना
303	नल में खराबी
304	पाइप लीक होना
305	टैंक ओवरफ्लो होना
306	फ्लश ओवरफ्लो होना
307	डब्ल्यूसी सीट बदलना
308	बेसिन वेस्ट पाइप टूटना
309	सिंक वेस्ट पाइप टूटना
310	डब्ल्यूसी बदलना
311	ड्रेन पाइप में रिसाव
312	नलसाज की जरूरत
351	अनफिल्टर पानी न होना
352	अनफिल्टर पानी पाइप रिसाव
401	प्लास्टर मरम्मत
402	ईंटों की मरम्मत
403	रिसाव
404	छत से पानी टपकना
405	दीवार पर टाइलों की मरम्मत
406	मिस्त्री की जरूरत
451	एसी ओपनिंग बनवाना
452	दीमक से बचाव करना
501	गलास पेन टूटना
502	दरवाजे या खिड़की का अटक जाना
503	दरवाजे पर वोल्ट की खराबी
504	टावर वोल्ट की खराबी
505	परदे की राड बदलना
506	वायरमेश टूटना
507	वेल्डिंग की जरूरत
508	शीशा टूटना
509	ग्लास शेल्फ टूटना
510	पेलमेट की मरम्मत
511	विविध कार्यों के लिए बढ़ई
512	जाफरी की मरम्मत
551	टावल राड बदलना

1	2
601	सफेदी
602	पालिश अथवा रंगाई
603	पेंटर की जरूरत
651	जाफरी पेंट करवाना
801	फर्नीचर की मरम्मत
802	परदों की धुलाई
803	सोफा कवर की धुलाई
804	कालीन की धुलाई
805	फर्नीचर पालिश करना
806	बंगले से पुराना फर्नीचर लौटाना
807	पुराना फर्नीचर भेजना
808	पेलमेट की मरम्मत
809	सेनिटरी बाक्स पेंट करना
810	फ्रिस्किंग शेड पेंट करना
811	सेन्टर टेबल के ग्लास पेन की मरम्मत
812	डायनिंग टेबल के गल पेन की मरम्मत
813	फ्रिस्किंग शेड के ग्लास पेन की मरम्मत
814	ड्रपरी राड की मरम्मत
815	पुराने (परदा) की मरम्मत
816	सोफा सेट के टेपस्ट्री क्लाथ बदलना
817	डायनिकंग कुरसी के टेपेस्ट्री क्लाथ बदलना
818	रिवाल्विंग चेयर के टेपेस्ट्री क्लाथ बदलना
819	पलंग की मरम्मत
820	सोफा की मरम्मत
821	लकड़ी की अलमारी की मरम्मत
822	साईड बोर्ड की मरम्मत
823	रिवाल्विंग चेयर की मरम्मत
824	टैबल/डायनिंग टेबल की मरम्मत
825	चेयर/डायनिंग चेयर की मरम्मत
826	ड्रेसिंग टेबल की मरम्मत
827	पेग/स्टूल टेबल की मरम्मत
828	फोल्डिंग बेड की मरम्मत
829	दीवान की मरम्मत
830	बेडसाईड टेबल की मरम्मत
831	स्टील अलमारी के ताले की मरम्मत
832	साईड बोर्ड ताले की मरम्मत
833	चिक की मरम्मत
834	सेनिटरी बाक्स की मरम्मत
835	फ्रिस्किंग शेड की मरम्मत
836	मेट्रेस आरसी बदलना
837	काटन मेट्रेस बदलना
838	टेबल टाप ग्लास बदलना
श्रेणी : बागवानी	
901	कटाई की जरूरत
902	माली की जरूरत

भोपाल गैस पीड़ितों में वितरण के लिए पड़ी राशि

2797. **श्री कैलाश जोशी:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भोपाल शहर के कितने वार्डों में अब तक राहत राशि का भुगतान किया गया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं कि शहर के बीस वार्डों को अभी तक राहत राशि का भुगतान नहीं किया गया है जबकि कासलीवाल समिति द्वारा पूरे भोपाल को गैस पीड़ित घोषित किया गया;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) प्राप्त सूचना के अनुसार 36 प्रभावित और 20 अप्रभावित वार्डों के गैस पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। 56 वार्डों में रजिस्टर्ड मामलों और घायलों की श्रेणी में मुआवजे के भुगतान का विवरण संलग्न है। तथापि, 20 अप्रभावित वार्डों के दावेदारों के, उन्हें घाव तथा गैस रिसाव के सबूत देने के बाद मुआवजा दिया गया है।

(ग) और (घ) 36 वार्डों को गैस प्रभावित क्षेत्र घोषित करने का फैसला मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मृत्यु और अस्वस्थता के आधार पर लिया गया। शेष 20 वार्डों को भी गैस प्रभावित वार्ड घोषित करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए। अतिरिक्त वार्डों को गैस प्रभावित क्षेत्रों में शामिल करने के मामले का राज्य सरकार के परामर्श से निरीक्षण किया गया और यह फैसला लिया गया कि इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	वार्ड सं.	रजिस्टर्ड मामले	अवार्डेड मामले
1	2	3	4
1.	01	15292	10896
2.	02	16494	53
3.	03	15236	32
4.	04	12855	25
5.	05	23406	18489
6.	06	13611	10886
7.	07	20930	17404
8.	08	19025	15427
9.	09	17986	15195
10.	10	22825	17968
11.	11	34011	24090
12.	12	23329	18872
13.	13-बीपीएल से बाहर	24672	18683
14.	14	15256	12320
15.	15	15081	12134
16.	16	12457	10791
17.	17	15781	12246
18.	18	14245	11669
19.	19	18089	14307
20.	20	25088	19827
21.	21	14195	12072
22.	22	18186	15547
23.	23	15715	13301
24.	24	14440	11533
25.	25	16517	14076
26.	26	20046	14928
27.	27	18413	15731
28.	28	22178	17851
29.	29	18587	14041
30.	30	15608	344
31.	31	13483	783
32.	32	13204	1729
33.	33	27565	548
34.	34	14083	76
35.	35	17571	84
36.	36	10317	149
37.	37	15097	282
38.	38	15690	11717
39.	39	20802	16214
40.	40	28994	22530

1	2	3	4
41.	41	18734	15389
42.	42	17603	14770
43.	43	17234	13479
44.	44	23558	18901
45.	45	21536	17503
46.	46	14020	12007
47.	47	26540	18090
48.	48	22445	174
49.	49	12140	24
50.	50	14957	25
51.	51	15469	31
52.	52	9063	01
53.	53	14474	338
54.	54	21062	324
55.	55	13673	45
56.	56	12855	10
	कुल	10,01,723	5,55,961

उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति

2798. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सम्पूर्ण देश के उर्दू स्कूलों में लगभग 1,50,000 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय कितने उर्दू स्कूल चल रहे हैं तथा उनमें कितने शिक्षकों की आवश्यकता है;

(घ) क्या सरकार उर्दू स्कूलों के छात्रों को यूनीफार्म तथा पुस्तकें वितरित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संविधान के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। स्कूलों में शिक्षा का माध्यम राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है। केन्द्र सरकार उर्दू स्कूलों सहित विभिन्न भाषाओं के स्कूलों की संख्या और उनके लिए शिक्षकों की आवश्यकता से संबंधित कोई आंकड़े नहीं रखती है।

(घ) इस समय ऐसा कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

महिला विकास कार्यक्रमों के लिए निधियों का आबंटन

2799. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान महिला विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को आबंटित/जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी राज्यों, विशेषकर गुजरात सरकार ने आबंटित राशि का उपयोग कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए कार्यों का वास्तविक सत्यापन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) से (ग) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चालू वर्ष (2004-05) सहित विगत तीन वर्षों के दौरान महिला विकास कार्यक्रमों हेतु निर्मुक्त/उपयोग में लायी गयी निधियों का राज्य-वार, वर्ष-वार तथा स्कीम-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों, अनुवीक्षण अभिकरणों तथा समय-समय पर संबंधित स्कीम के अधिकारियों/क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से परियोजनाओं के कार्यान्वियन की प्रगति की समीक्षा की व्यवस्था मौजूद है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)				राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उपयोग में लायी गई/व्यय की गई राशि (संचयी)
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 (11.08.04 तक की स्थिति के अनुसार)	
1	2	3	4	5	6	7
स्कीम का नाम : **स्वयंसिद्धा**						
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	38.60	0.00	0.00	100.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.05	9.00	0.00	0.00	6.11
3.	असम	0.00	71.50	0.00	0.00	34.00
4.	असम	0.00	76.00	0.00	0.00	96.70
5.	छत्तीसगढ़	55.00	0.00	39.00	0.00	64.71
6.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	38.34
7.	हरियाणा	1.20	18.00	69.00	0.00	30.72
8.	हिमाचल प्रदेश	27.36	0.00	3.63	19.70	86.85
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	33.05	0.00	0.00	18.90
10.	झारखंड	45.00	34.00	51.01	0.00	95.86
11.	कर्नाटक	0.00	64.00	99.06	0.00	124.40
12.	केरल	15.64	35.00	33.89	0.00	71.85
13.	मध्य प्रदेश	64.72	51.00	0.00	0.00	85.83
14.	महाराष्ट्र	55.25	0.00	81.00	0.00	81.00
15.	मणिपुर	7.00	4.00	12.3	0.00	18.66
16.	मेघालय	15.60	0.00	6.00	5.00	18.51
17.	मिजोरम	0.00	11.00	5.00	8.74	18.41
18.	नागालैण्ड	14.00	9.00	11.41	9.27	37.57
19.	उड़ीसा	23.30	51.00	50.00	0.00	124.60
20.	पंजाब	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
21.	राजस्थान	87.34	0.00	0.00	0.00	38.89
22.	सिक्किम	7.00	4.00	8.00	7.00	20.95
23.	तमिलनाडु	15.00	62.00	70.00	0.00	143.66
24.	त्रिपुरा	7.00	4.00	9.00	0.00	21.62
25.	उत्तर प्रदेश	159.18	0.00	122.44	0.00	131.93
26.	उत्तरांचल	22.00	16.00	0.00	0.00	20.29
27.	पश्चिम बंगाल	0.00	49.94	76.96	0.00	60.29
संघ राज्य क्षेत्र						
1.	अण्डमान व निकोबार	0.00	7.90	0.00	0.00	2.18
2.	चण्डीगढ़	0.00	0.90	0.00	0.00	0.60
3.	दिल्ली	0.00	0.00	5.68	0.00	0.0
4.	दादरा व नगर हवेली	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00
5.	लक्षद्वीप	0.00	7.90	0.00	0.00	7.50
6.	पाण्डिचेरी	4.73	4.00	0.00	0.00	8.33

नोट: (*) 2000-01 से स्वयंसिद्धा के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदानों तथा इंदिरा महिला योजना की अव्ययित शेष राशि सहित।

स्कीम का नाम : **स्वशक्ति परियोजना**

1.	बिहार	34.00	130.00	75.00	0.00	234.00
2.	छत्तीसगढ़	30.00	75.00	50.00	0.00	118.59
3.	गुजरात	225.00	200.00	250.00	100.00	725.01
4.	हरियाणा	65.50	200.00	20.00	0.00	303.35
5.	झारखंड	100.00	175.00	75.00	0.00	298.95
6.	कर्नाटक	235.00	535.00	500.00	0.00	1142.52
7.	मध्य प्रदेश	350.00	425.00	400.00	0.00	1073.40
8.	उत्तर प्रदेश	225.00	392.82	50.00	0.00	946.79
9.	उत्तरांचल	30.00	105.00	145.00	0.00	212.78

1	2	3	4	5	6	7
स्कीम का नाम : **बालिका समृद्धि योजना**						
1.	बिहार	140.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2.	छत्तीसगढ़	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
3.	गोवा	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
4.	गुजरात	70.00	0.00	0.00	0.00	115.30
5.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	114.80
6.	हिमाचल प्रदेश	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	जम्मू व कश्मीर	31.25	0.00	0.00	0.00	7.27
8.	झारखण्ड	100.00	0.00	0.00	0.00	60.61
9.	कर्नाटक	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
10.	केरल	30.25	0.00	0.00	0.00	90.75
11.	मध्य प्रदेश	100.00	0.00	0.00	0.00	643.55
12.	मणिपुर	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	मिजोरम	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
14.	उड़ीसा	263.00	0.00	0.00	0.00	260.98
15.	पंजाब	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	191.77
17.	सिक्किम	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	त्रिपुरा	29.25	0.00	0.00	0.00	29.25
19.	उत्तरांचल	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20.	पश्चिम बंगाल	—	0.00	0.00	0.00	101.02
संघ राज्य क्षेत्र						
1.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95
2.	दादरा व नगर हवेली	2.38	0.00	0.00	0.00	3.17
3.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
4.	लक्षद्वीप	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

समान विद्युत शुल्क नीति

2800. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में विद्युत की प्रति व्यक्ति मांग और आपूर्ति कितनी है;

(ख) इस समय प्रत्येक परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता तथा प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन की लागत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में समान विद्युत शुल्क नीति लाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) नौवीं योजना के दौरान देश में विद्युत की राज्य-वार प्रति व्यक्ति खपत संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) 31.7.2004 की तिथिनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। वर्ष 2002-03 के लिए विद्युत आपूर्ति की औसतन लागत का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) से (ङ) उपयुक्त विद्युत विनियामक आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा वितरण लाइसेंसधारी को की जाने वाली विद्युत आपूर्ति, पारेषण, विद्युत की फुटकर बिक्री और व्हीलिंग के लिए टैरिफ करने की शक्तियां प्राप्त हैं। अधिनियम की धारा 3 में अपेक्षा है कि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति तैयार करेगी।

विवरण I

प्रति व्यक्ति वार्षिक सकल विद्युत खपत

(कि.वा.घं.)

राज्य/यूटी का नाम	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6
हरियाणा	488.02	502.41	530.2	544.31	532.9
हिमाचल प्रदेश	322.62	334.98	339.95	342.67	397.66
जम्मू व कश्मीर	270.23	291.58	269.33	286.19	292.82
पंजाब	798.22	861.47	924.11	841.54	835.69
राजस्थान	314.34	330.28	339.51	349.54	284.71
उत्तर प्रदेश	199.53	198.79	179.06	191.08	189.02
उत्तरांचल	—	—	—	—	284.05
चंडीगढ़	807.76	843.81	821.66	801.51	815.45
दिल्ली	612.68	606.17	646.28	671.89	696.54
गुजरात	704.61	790.24	840.88	853.97	817.18

1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश	377.51	398.17	353.13	294.82	273.04
छत्तीसगढ़	—	—	—	—	394.51
महाराष्ट्र	577.37	594.07	571.55	551.5	507.9
गोवा	739.45	723.1	724.92	809.72	1067.89
दमन व दीव	2720.69	3559.08	3927.36	4540	4622.88
दादरा व नगर हवेली	3226.83	3727.45	3691.63	4105.68	3722.13
आंध्र प्रदेश	391	405.33	433.96	433.14	494.13
कर्नाटक	387.09	350.64	367.02	411.74	427.76
केरल	261.8	301.68	315.03	328.88	280.8
तमिलनाडु	484.11	498.07	547.95	599.01	623.25
लक्षद्वीप	217.86	231.14	244.57	248.29	290.5
पाण्डिचेरी	931.85	1020.5	1149.94	1277.44	1624.87
बिहार	141.79	134.11	146.73	144.73	36.29
झारखण्ड	—	—	—	—	363.67
उड़ीसा	308.18	321.16	334.24	342.89	324.55
पश्चिम बंगाल	202.41	209.72	206.94	207.65	218.1
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	206.84	217.62	222.26	230.82	253.19
सिक्किम	177.83	184.91	192.38	184.2	224.22
असम	99.81	93.68	101.2	103.91	99.42
मणिपुर	138.87	74.66	69.5	69.39	69.43
मेघालय	143.47	149.55	161.02	169.59	235.35
नागालैंड	86.57	81.2	83.25	96.76	57.19
त्रिपुरा	90.15	109.93	95.48	79.11	108.75
अरुणाचल प्रदेश	101.2	87.39	68.6	84.59	68.33
मिजोरम	95.14	113.59	121.03	142.5	147.09
कुल (अखिल भारत)	348.5	360.01	364.45	366.12	360.97

1	2	3
16.	तखतपुर	0.00
17.	सिगमा	0.00
18.	खेरागढ़	सूचित नहीं
19.	रामनुजगंज	सूचित नहीं
20.	सुरजपुर	सूचित नहीं
21.	जसपुरनगर	सूचित नहीं
22.	चुईखदान	सूचित नहीं
23.	सरायपली	सूचित नहीं
24.	धमधा	सूचित नहीं
		318.97

राज्य : गोवा

क्र.सं.	कस्बे का नाम	व्यय
1.	पोंडा	सूचित नहीं
2.	पेरनेम	सूचित नहीं

राज्य : गुजरात

क्र.सं.	कस्बे का नाम	व्यय (मार्च, 2004 तक) (लाख रु. में)
1	2	3
1.	दामनगर	12.30
2.	लाठी	27.79
3.	बेयत	34.91
4.	बाबरा	12.30
5.	संतरामपुर	48.19
6.	पलियाड	20.07
7.	लालपुर	19.74
8.	पडधारी	25.00
9.	चोटीला	56.19
10.	रनपुर	41.96
11.	मंडल	80.10
12.	बघई	33.19
13.	बोडली	19.97
14.	हरीज	29.48
15.	चंसमा	58.73
16.	देलवड़ा	0.47
17.	अम्बाजी	223.18
18.	कनोडर	84.31
19.	छापी	28.48
20.	विनचिया	35.88
21.	जेतालसर	19.32
22.	दिगविजयग्राम	0.00
23.	सिक्का	23.29
24.	वरतेज	10.27
25.	शिवराजपुर	14.50
26.	सोनगढ़	5.18
27.	सींगारवा	10.29
28.	तलाला	16.19
29.	नन्देज	0.00
30.	वसो	0.00
31.	कथलाल	0.00
32.	पाली	0.00
		991.28

राज्य : हरियाणा

1.	लोहारू	163.13
2.	समालखा	121.58
3.	फाहरूख नगर	256.33

1	2	3	4	5
25.	हिमाचल प्रदेश	चमेरा	एच	540
26.	हिमाचल प्रदेश	चमेरा-2	एच	300
27.	हिमाचल प्रदेश	नाथपा-झाकड़ी	टीजी	1500
28.	जम्मू व कश्मीर	पाम्पोर जीटी	एच	175
29.	जम्मू व कश्मीर	लोअर झेलम	एच	105
30.	जम्मू व कश्मीर	अपर सिंध	एच	127
31.	जम्मू व कश्मीर	गांडेरबल	एच	15
32.	जम्मू व कश्मीर	चेनानी	एच	23
33.	जम्मू व कश्मीर	मोहरा	एच	9
34.	जम्मू व कश्मीर	कारगिल	एच	3.8
35.	जम्मू व कश्मीर	सीवा	एच	9
36.	जम्मू व कश्मीर	स्टकना	एच	10
37.	जम्मू व कश्मीर	सलाल	एच	690
38.	जम्मू व कश्मीर	उड़ी	एच	480
39.	पंजाब	जीएनडीटीपी (भटिंडा)	टीसी	440
40.	पंजाब	जीएचटीपी (लेहरा मुहब्बत)	टीसी	420
41.	पंजाब	रोपड़	टीसी	1260
42.	पंजाब	शानन	एच	110
43.	पंजाब	आनंदपुर साहिब	एच	134
44.	पंजाब	रंजीत सागर	एच	600
45.	पंजाब	यूबीडीसी	एच	90
46.	पंजाब	मुकेरियां	एच	207
47.	पंजाब	भाखड़ा	एच	1250
48.	पंजाब	गंगूवाल	एच	77.5
49.	पंजाब	कोटला	एच	77.5
50.	राजस्थान	कोटा	टीसी	1045

1	2	3	4	5
51.	राजस्थान	सूरतगढ़	टीजी	1250
52.	राजस्थान	रामगढ़ जीटी	टीसी	76
53.	राजस्थान	रामगढ़ एसटी	टीजी	37.8
54.	राजस्थान	राणा प्रताप सागर	एच	172
55.	राजस्थान	जे. सागर	एच	99
56.	राजस्थान	माही बजाज	एच	140
57.	राजस्थान	अनूपगढ़	एच	9
58.	राजस्थान	सूरतगढ़	एच	4
59.	राजस्थान	आरएमसी मंगरोल	एच	6
60.	राजस्थान	अंता जीटी	टीजी	413
61.	राजस्थान	आरएपीएस	एन	740
62.	उत्तर प्रदेश	ओबरा	टीसी	1482
63.	उत्तर प्रदेश	पनकी	टीसी	242
64.	उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज	टीसी	425
65.	उत्तर प्रदेश	परीचा	टीसी	220
66.	उत्तर प्रदेश	अनपरा	टीसी	1630
67.	उत्तर प्रदेश	स्माल थर्मल	टीसी	10
68.	उत्तर प्रदेश	रिहंद	एच	300
69.	उत्तर प्रदेश	ओबरा	एच	99
70.	उत्तर प्रदेश	माताटीला	एच	30
71.	उत्तर प्रदेश	गंगा कैनाल	एच	15.6
72.	उत्तर प्रदेश	खारा	एच	72
73.	उत्तर प्रदेश	सिंगरौली	टीसी	2000
74.	उत्तर प्रदेश	रिहंद	टीसी	1000
75.	उत्तर प्रदेश	ऊंचाहार	टीसी	840
76.	उत्तर प्रदेश	दादरी (एनसीटीपीपी)	टीसी	840
77.	उत्तर प्रदेश	टांडा	टीसी	440

1	2	3	4	5
78.	उत्तर प्रदेश	औरैया जीटी	टीजी	652
79.	उत्तर प्रदेश	दादरी जीटी	टीजी	817
80.	उत्तर प्रदेश	एन.ए.पी.एस.	एन	440
81.	उत्तरांचल	रामगंगा	एच	198
82.	उत्तरांचल	खटीमा	एच	41.4
83.	उत्तरांचल	पथरी	एच	20.4
84.	उत्तरांचल	चिबरो (यमुना)	एच	240
85.	उत्तरांचल	खोदरी	एच	120
86.	उत्तरांचल	चीला	एच	144
87.	उत्तरांचल	मनेरी भाली	एच	90
88.	उत्तरांचल	धकरानी	एच	33.8
89.	उत्तरांचल	धालीपुर	एच	51
90.	उत्तरांचल	कुल्हल	एच	30
91.	उत्तरांचल	मुहम्मदपुर	एच	9.3
92.	उत्तरांचल	सोबला	एच	6
93.	उत्तरांचल	टनकपुर	एच	120
94.	गुजरात	धुव्रण	टीसी	534
95.	गुजरात	उकाई	टीसी	850
96.	गुजरात	गांधीनगर	टीसी	660
97.	गुजरात	वनाकबोरी	टीसी	1260
98.	गुजरात	सिक्का रिप.	टीसी	240
99.	गुजरात	कच्छ लिग्नाइट	टीसी	215
100.	गुजरात	धुव्रण जीटी	टीसी	27
101.	गुजरात	उकाई	एच	305
102.	गुजरात	कदाना	एच	240
103.	गुजरात	जीएसईसीएल (जी. 5)	टीसी	210
104.	गुजरात	जीएसईसीएल (डब्ल्यू 7)	टीसी	210

1	2	3	4	5
105.	गुजरात	उतरान जीटी	टीजी	144
106.	गुजरात	धुव्रण सीसीपीपी	टीजी	105.9
107.	गुजरात	हजीरा सीसीपीपी	टीजी	156.1
108.	गुजरात	सरदार सरोवर	एच	450
109.	गुजरात	ए.ई. कंपनी	टीसी	60
110.	गुजरात	वटवा जीटी	टीजी	100
111.	गुजरात	साबरमती	टीसी	330
112.	गुजरात	जीआईपीसीएल जीटी	टीजी	305
113.	गुजरात	सूरत लिग्नाइट	टीसी	250
114.	गुजरात	जीटीई कारपोरेशन	टीजी	655
115.	गुजरात	कवास	टीजी	644
116.	गुजरात	गांधीनगर जीटी	टीजी	648
117.	गुजरात	काकरापारा	एन	440
118.	मध्य प्रदेश	सतपुड़ा	टीसी	1142.5
119.	मध्य प्रदेश	अमरकंटक	टीसी	50
120.	मध्य प्रदेश	अमरकंटक विस्तार	टीसी	240
121.	मध्य प्रदेश	संजय गांधी	टीसी	840
122.	मध्य प्रदेश	गांधी सागर	एच	115
123.	मध्य प्रदेश	बारगी	एच	90
124.	मध्य प्रदेश	पेंच	एच	160
125.	मध्य प्रतेश	राजघाट (एमपी)	एच	45
126.	मध्य प्रदेश	बाणसागर (1)	एच	315
127.	मध्य प्रदेश	बाणसागर (2)	एच	30
128.	मध्य प्रदेश	बाणसागर (3)	एच	60
129.	मध्य प्रदेश	बीरसिंहपुर	एच	20
130.	मध्य प्रदेश	तवा	एच	13.5
131.	मध्य प्रदेश	विंध्याचल एसटीपीएस	टीसी	2260

1	2	3	4	5
132.	मध्य प्रदेश	इंदिरा सागर	एच	625
133.	छत्तीसगढ़	कोरबा-2	टीसी	160
134.	छत्तीसगढ़	कोरबा-3	टीसी	240
135.	छत्तीसगढ़	कोरबा-वेस्ट	टीसी	840
136.	छत्तीसगढ़	हसदेवबांगो	एच	120
137.	छत्तीसगढ़	गंगरेल	एच	10
138.	छत्तीसगढ़	कोरबा एसटीपीएस	टीसी	2100
139.	महाराष्ट्र	नासिक	टीसी	910
140.	महाराष्ट्र	कोराडी	टीसी	1080
141.	महाराष्ट्र	खापरखेड़ा-2	टीसी	840
142.	महाराष्ट्र	पारस	टीसी	58
143.	महाराष्ट्र	भुसावल	टीसी	478
144.	महाराष्ट्र	पारली	टीसी	690
145.	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	टीसी	2340
146.	महाराष्ट्र	उरान जीटी	टीजी	672
147.	महाराष्ट्र	उरान डब्ल्यूएचपी	टीजी	240
148.	महाराष्ट्र	कोयना	एच	1920
149.	महाराष्ट्र	वैतरणा	एच	60
150.	महाराष्ट्र	तिल्लारी	एच	60
151.	महाराष्ट्र	भीरा टेल रेस	एच	80
152.	महाराष्ट्र	इलदारी	एच	22.5
153.	महाराष्ट्र	वीर	एच	9
154.	महाराष्ट्र	भाटगढ़	एच	16
155.	महाराष्ट्र	पैथान	एच	12
156.	महाराष्ट्र	भंडारधारा	एच	44
157.	महाराष्ट्र	पवाना	एच	10
158.	महाराष्ट्र	राधानगरी	एच	4.8

1	2	3	4	5
159.	महाराष्ट्र	खड़गवासला (पंचेट)	एच	16
160.	महाराष्ट्र	खड़गवासला (वार्सा)	एच	8
161.	महाराष्ट्र	भाटसा	एच	15
162.	महाराष्ट्र	कन्हेर	एच	4
163.	महाराष्ट्र	उज्जैयिनी	एच	12
164.	महाराष्ट्र	सूर्या	एच	6
165.	महाराष्ट्र	माणिकडोह	एच	6
166.	महाराष्ट्र	धोम	एच	2
167.	महाराष्ट्र	वैतरणा बांध	एच	1.5
168.	महाराष्ट्र	डिम्भे	एच	5
169.	महाराष्ट्र	वारना	एच	16
170.	महाराष्ट्र	दूधगंगा	एच	24
171.	महाराष्ट्र	धनु	टीसी	500
172.	महाराष्ट्र	डाभोल जीटी	टीजी	740
173.	महाराष्ट्र	ट्राम्बे	टीसी	1150
174.	महाराष्ट्र	ट्राम्बे जीटी	टीजी	180
175.	महाराष्ट्र	भीरा	एच	132
176.	महाराष्ट्र	भीरा पीएसएस	एच	150
177.	महाराष्ट्र	भिवपुरी	एच	72
178.	महाराष्ट्र	खोपोली	एच	72
179.	महाराष्ट्र	तारापुर	एन	320
180.	आंध्र प्रदेश	कोठागुडम	टीसी	680
181.	आंध्र प्रदेश	कोठागुडम न्यू	टीसी	500
182.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	टीसी	1260
183.	आंध्र प्रदेश	रामागुंडम बी	टीसी	62.5
184.	आंध्र प्रदेश	नैल्लोर	टीसी	30
185.	आंध्र प्रदेश	रायलसीमा	टीसी	420

1	2	3	4	5
186.	आंध्र प्रदेश	मचकुंड	एच	114.7
187.	आंध्र प्रदेश	अपर सिलेरू	एच	240
188.	आंध्र प्रदेश	लोअर सिलेरू	एच	460
189.	आंध्र प्रदेश	टीबी बांध	एच	36
190.	आंध्र प्रदेश	हम्पी	एच	36
191.	आंध्र प्रदेश	नागार्जुनसागर	एच	810
192.	आंध्र प्रदेश	नागार्जुनसागर आरबीसी	एच	90
193.	आंध्र प्रदेश	नागार्जुनसागर एलबीसी	एच	60
194.	आंध्र प्रदेश	दोंकरयाई	एच	25
195.	आंध्र प्रदेश	श्रीसेलम	एच	770
196.	आंध्र प्रदेश	श्रीसेलम एलबी	एच	900
197.	आंध्र प्रदेश	पोचमपेड	एच	27
198.	आंध्र प्रदेश	निजामसागर	एच	10
199.	आंध्र प्रदेश	पेन्ना अहोबेलन	एच	20
200.	आंध्र प्रदेश	सिंगुर	एच	15
201.	आंध्र प्रदेश	स्माल हाइड्रो	एच	30
202.	आंध्र प्रदेश	विजेश्वरम जीटी	टीजी	272.3
203.	आंध्र प्रदेश	पेद्दापुरम सीपी	टीजी	220
204.	आंध्र प्रदेश	जेगरूपाडु जीटी	टीजी	235.4
205.	आंध्र प्रदेश	कोंडापल्ली जीटी	टीजी	350
206.	आंध्र प्रदेश	एलवीएस पावर डीजी	टीडी	36.8
207.	आंध्र प्रदेश	गोदावरी जीटी	टीजी	208
208.	आंध्र प्रदेश	रामागुंडम एसटीपीएस	टीसी	2100
209.	आंध्र प्रदेश	सिम्हाद्री	टीसी	1000
210.	केरल	ब्रह्मपुरम डीजी	टीडी	106.5
211.	केरल	कोझीकोड डीजी	टीडी	128.8
212.	केरल	कुटियाडी	एच	125

1	2	3	4	5
213.	केरल	इडुक्की	एच	780
214.	केरल	सबरीगिरि	एच	300
215.	केरल	इदमलयार	एच	75
216.	केरल	काकड	एच	50
217.	केरल	शोलयार	एच	54
218.	केरल	सेंगुलम	एच	48
219.	केरल	नरीमंगलम	एच	45
220.	केरल	पल्लीवसल	एच	37.5
221.	केरल	पोरिंगलकुथू	एच	32
222.	केरल	पोरिंगलकुथू	एच	16
223.	केरल	पन्नियार	एच	30
224.	केरल	कल्लडा	एच	15
225.	केरल	लोअर पेरियार	एच	180
226.	केरल	मालनाखेड़ा	एच	10.5
227.	केरल	चेम्बूकड़ावू	एच	6.5
228.	केरल	उरमी	एच	6.2
229.	केरल	पेप्पारा	एच	3
230.	केरल	मुधपट्टी	एच	2
231.	केरल	अन्य हाइड्रो	एच	5
232.	केरल	कोचिन सीसीजीटी	टीजी	174
233.	केरल	कसरगोड डीजी	टीडी	21.9
234.	केरल	मनियार	एच	10
235.	केरल	कुथूंगल	एच	21
236.	केरल	कायमकुलम जीटी	टीजी	350
237.	कर्नाटक	रायचूर	टीसी	1470
238.	कर्नाटक	शरावती	एच	891
239.	कर्नाटक	कदारा	एच	150

1	2	3	4	5
240.	कर्नाटक	कोंडासल्ली	एच	120
241.	कर्नाटक	कालीनदी	एच	810
242.	कर्नाटक	कालीनदी सुपा	एच	100
243.	कर्नाटक	लिंगनामक्की	एच	55
244.	कर्नाटक	वाराही	एच	230
245.	कर्नाटक	भद्रा	एच	33.4
246.	कर्नाटक	घाटप्रभा	एच	32
247.	कर्नाटक	मणि डीपीएच	एच	9
248.	कर्नाटक	मल्लारपुर	एच	9
249.	कर्नाटक	गेरूसुप्पा	एच	240
250.	कर्नाटक	अलमाटी डीपीएच	एच	15
251.	कर्नाटक	येलहंका (डीजी)	टीडी	120
252.	कर्नाटक	जोग	एच	120
253.	कर्नाटक	शिवसमुद्रम	एच	42
254.	कर्नाटक	शिमसापुर	एच	17.2
255.	कर्नाटक	मुनिराबाद	एच	27
256.	कर्नाटक	बेल्लारी डीजी	टीडी	25.2
257.	कर्नाटक	तनीर बावी	टीजी	220
258.	कर्नाटक	तोरांगल्लू इम्प.	टीसी	260
259.	कर्नाटक	बेलगांव डीजी	टीडी	81.3
260.	कर्नाटक	शिवपुरा	एच	18
261.	कर्नाटक	शाहपुर	एच	6.6
262.	कर्नाटक	हारंगी	एच	9
263.	कर्नाटक	माधवमंत्री	एच	3
264.	कर्नाटक	नारायणपुर	एच	6.6
265.	कर्नाटक	कैगा	एन	440
266.	तमिलनाडु	एन्नौर	टीसी	450

1	2	3	4	5
267.	तमिलनाडु	तूतीकोरिन	टीसी	1050
268.	तमिलनाडु	मेत्तूर	टीसी	840
269.	तमिलनाडु	नार्थ चेन्नई	टीसी	630
270.	तमिलनाडु	बेसिन ब्रिज जीटी	टीजी	120
271.	तमिलनाडु	नरीमन जीटी	टीजी	10
272.	तमिलनाडु	वलुथूर जीटी	टीजी	95
273.	तमिलनाडु	कुद्टालम जीटी	टीजी	100
274.	तमिलनाडु	कोविलकल्लपल	टीजी	107
275.	तमिलनाडु	पाइकारा	एच	70
276.	तमिलनाडु	पाइकारा बांध	एच	2
277.	तमिलनाडु	मोयार	एच	36
278.	तमिलनाडु	कुंडा	एच	555
279.	तमिलनाडु	मेत्तूर बांध	एच	40
280.	तमिलनाडु	मेत्तूर टनल	एच	200
281.	तमिलनाडु	पेरियार	एच	140
282.	तमिलनाडु	कोडयार	एच	100
283.	तमिलनाडु	शोलयार	एच	95
284.	तमिलनाडु	अलियार	एच	60
285.	तमिलनाडु	सरकारपथी	एच	30
286.	तमिलनाडु	पापनासम	एच	28
287.	तमिलनाडु	सुरूलियार	एच	35
288.	तमिलनाडु	सेरलवार	एच	20
289.	तमिलनाडु	लोअर मेत्तूर	एच	120
290.	तमिलनाडु	करदमपराई	एच	400
291.	तमिलनाडु	वारगी	एच	6
292.	तमिलनाडु	लोअर भवानी	एच	16
293.	तमिलनाडु	सतनूर बांध	एच	7.5

1	2	3	4	5
294.	तमिलनाडु	पार्सन्स वैली	एच	30
295.	तमिलनाडु	समयानल्लूर	टीडी	106
296.	तमिलनाडु	नैवेली टीपीएस (जेड)	टीसी	250
297.	तमिलनाडु	पी. नल्लूर सीसीजीटी	टीजी	330.5
298.	तमिलनाडु	समलपट्टी डीसी	टीडी	105.7
299.	तमिलनाडु	बेसिन ब्रिज डीजी	टीडी	200
300.	तमिलनाडु	नैवेली चरण-1	टीसी	600
301.	तमिलनाडु	नैवेली चरण-2	टीसी	1470
302.	तमिलनाडु	नैवेली प्रथम विस्तार	टीसी	420
303.	तमिलनाडु	एमएपीपी	एन	340
304.	पांडिचेरी	कराईकल	टीजी	32.5
305.	बिहार	बरौनी	टीसी	310
306.	बिहार	मुजफ्फरपुर	टीसी	220
307.	बिहार	कोसी	एच	20
308.	बिहार	सोन पश्चिम नहर	एच	6.6
309.	बिहार	सोन पूर्वी नहर	एच	3.3
310.	बिहार	इ.जी. कैनाल	एच	15
311.	बिहार	कहलगांव	टीसी	840
312.	झारखंड	पतरातू	टीसी	770
313.	झारखंड	तेनुघाट	टीसी	420
314.	झारखंड	सुबर्णरेखा	एच	130
315.	झारखंड	चांडिल	एच	8
316.	झारखंड	चंद्रपुरा	टीसी	750
317.	झारखंड	बोकारो ए	टीसी	175
318.	झारखंड	बोकारो बी	टीसी	630
319.	झारखंड	मैथान जीटी	टीजी	90
320.	झारखंड	पंचेट	एच	80
321.	झारखंड	तिल्लैया	एच	4
322.	उड़ीसा	इब वैली	टीसी	420
323.	उड़ीसा	बालीमेला	एच	360
324.	उड़ीसा	हीराकुड	एच	307.5

1	2	3	4	5
325.	उड़ीसा	रेंगाली	एच	250
326.	उड़ीसा	अपर कोलाब	एच	320
327.	उड़ीसा	इंद्रावती	एच	600
328.	उड़ीसा	तालचेर	टीसी	460
329.	उड़ीसा	तालचर एसटीपीएस	टीसी	2500
330.	पश्चिम बंगाल	डीपीएल	टीसी	390
331.	पश्चिम बंगाल	बांडेल	टीसी	530
332.	पश्चिम बंगाल	संथालीडीह	टीसी	480
333.	पश्चिम बंगाल	कोलाघाट	टीसी	1260
334.	पश्चिम बंगाल	बक्रेश्वर	टीसी	630
335.	पश्चिम बंगाल	कस्बा जीटी	टीजी	40
336.	पश्चिम बंगाल	सिलीगुड़ी जीटी	टीजी	20
337.	पश्चिम बंगाल	हल्दिया जीटी	टीजी	40
338.	पश्चिम बंगाल	जलढाका	एच	35
339.	पश्चिम बंगाल	मस्सनजोर	एच	4
340.	पश्चिम बंगाल	राम्मम	एच	50
341.	पश्चिम बंगाल	तीस्ता	एच	37.5
342.	पश्चिम बंगाल	मुलाजोर	टीसी	60
343.	पश्चिम बंगाल	न्यूकोसीपुर	टीसी	130
344.	पश्चिम बंगाल	टीटागढ़	टीसी	240
345.	पश्चिम बंगाल	सदर्न रिप.	टीसी	135
346.	पश्चिम बंगाल	बजबज	टीसी	500
347.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर	टीसी	350
348.	पश्चिम बंगाल	मेजिया	टीसी	630
349.	पश्चिम बंगाल	फरक्का एसटीपीएस	टीसी	1600
350.	पश्चिम बंगाल	मैथान	एच	60
351.	सिक्किम	एल. लागयप	एच	12
352.	सिक्किम	यू. रोंगचू	एच	8
353.	सिक्किम	मोयांचू	एच	4
354.	सिक्किम	रंगीत	एच	60
355.	अंडमान निकोबार	कलपोंग	एच	5.5

1	2	3	4	5
356.	असम	चन्द्रपुर	टीसी	60
357.	असम	नामरूप एसटी	टीजी	30
358.	असम	बोंगाइगांव	टीसी	240
359.	असम	नामरूप जीटी	टीजी	81.5
360.	असम	नामरूप डब्ल्यूएचपी	टीजी	22
361.	असम	लकवा जीटी	टीजी	120
362.	असम	मोबाइल गैस टीजी	टीजी	21
363.	असम	डीएलएफ प्राइवेट	टीजी	24.5
364.	असम	कैथालगुड़ी जीटी	टीजी	291
365.	असम	कोपिली	एच	225
366.	मेघालय	किरदमकुलई	एच	60
367.	मेघालय	उमियाम	एच	114
368.	मेघालय	उमत्रु	एच	11.2
369.	मेघालय	खांडोंग	एच	50
370.	मणिपुर	लीमाखोंग डीजी	टीडी	36
371.	मणिपुर	लोकतक	एच	105
372.	त्रिपुरा	बारामूरा	टीजी	21
373.	त्रिपुरा	रोखिया जीटी	टीजी	69
374.	त्रिपुरा	गुमटी	एच	15
375.	त्रिपुरा	अगरतला जीटी	टीजी	84
376.	नागालैंड	लिकिमरो	एच	16
377.	नागालैंड	दोयांग	एच	75
378.	अरुणाचल प्रदेश	टैंगो	एच	4.5
379.	अरुणाचल प्रदेश	नूरांज	एच	6
380.	अरुणाचल प्रदेश	रंगानदी	एच	405
381.	मिजोरम	बैराबी डीजी	टीडी	22.9
	कुल जोड़			109910.9

प्रकार:

टीसी (TC)—कोयला आधारित स्टेशन

टीजी (TG)—गैस आधारित स्टेशन

टीडी (TD)—लिक्विड फ्यूल आधारित स्टेशन

एच (H)—हाइडल पावर स्टेशन

एन (N)—न्यूक्लीयर पावर स्टेशन

विवरण III

योजना आयोग में वार्षिक योजना चर्चा हेतु प्रस्ताव पर आधारित उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति की औसत लागत निम्नानुसार है

विद्युत आपूर्ति की औसत लागत

(पैसे/कि.वा. घं.)

क्र.सं.	राज्य यूटिलिटी	2002-03 (एपी)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	236.80
2.	असम	338.65
3.	बिहार	270.49
4.	छत्तीसगढ़	305.00
5.	दिल्ली (डीवीबी)	359.75
6.	गुजरात	270.00
7.	हरियाणा	252.38
8.	हिमाचल प्रदेश	249.44
9.	जम्मू व कश्मीर	151.08
10.	झारखंड	390.00
11.	कर्नाटक	221.46
12.	केरल	255.40
13.	मध्य प्रदेश	287.49
14.	महाराष्ट्र	288.23
15.	मेघालय	199.70
16.	उड़ीसा	158.70
17.	पंजाब	215.65
18.	राजस्थान (ट्रांस्को)	295.34
19.	तमिलनाडु	256.50
20.	उ.प्र. (पावर कारपोरेशन)	293.00
21.	पश्चिम बंगाल	296.26
	औसत एसईबी	271.77
2. विद्युत विभाग		
1.	अरुणाचल प्रदेश	243.00
2.	अंडमा नव निकोबार	225.22
3.	चंडीगढ़	268.00
4.	दादर व नगर हवेली (यूटी)	270.96
5.	दमन व दीव (यूटी)	254.96
6.	लक्षद्वीप	386.00
7.	गोवा	275.97
8.	मणिपुर	282.00
9.	मिजोरम	210.00
10.	नागालैंड	257.12
11.	पांडिचेरी	195.76
12.	सिक्किम	172.81
13.	त्रिपुरा	148.89
	औसत (ईडी)	236.15
		0.00
	अखिल भारत औसत	270.95

कोचिंग तथा सम्बद्ध स्कीम का विस्तार

2801. श्री परसुराम माझी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय छात्रों के लिए कोचिंग तथा सम्बद्ध स्कीम का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनूसूचित जनजाति के छात्रों को परीक्षा-पूर्व कोचिंग देने के लिए कोचिंग तथा सम्बद्ध स्कीम पहले ही प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने और उन्हें चलाने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराती है।

(ख) अनुदानग्राही संस्थानों और परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों की अवस्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ विश्वविद्यालय/एनजीओ	स्थान का नाम
1.	अंडमान व निकोबार	जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर
2.	कर्नाटक	पीईटी, अम्बेडकर विधि, बंगलौर
3.	एम पी भोज विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश	रेडक्रास भवन, शिवाजी नगर, भोपाल
4.	दिल्ली एजुकेशन सेंटर, दिल्ली (एनजीओ)	हौज खास, नई दिल्ली; रांची, झारखंड
5.	उड़ीसा	उड़ीसा आईएएस स्टडी सर्किल, भुवनेश्वर
6.	मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय कालेज, इलाहाबाद	मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय कालेज, इलाहाबाद
7.	चाणक्य अकादमी, दिल्ली	वसंत विहार, नई दिल्ली
8.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश
9.	एच.एन. बहुगुणा विश्वविद्यालय, उत्तरांचल	एन.एन. बहुगुणा विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तरांचल
10.	तमिलनाडु	पीईटीसी, चेन्नई, तमिलनाडु
11.	असम	असम प्रशासनिक स्टाफ कालेज, जवाहर नगर, गुवाहाटी
12.	आंध्र प्रदेश	पीईटीसी, हैदराबाद, उतनूर, एटुनुगम, भद्राचलम, विशाखापत्तनम

झोडिया समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना

2802. **श्री गिरिधर गमांग:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने झोडिया समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस समुदाय को उक्त सूचना में शामिल न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त समुदाय को कब तक अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) से (ग) जी, हां। इस मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार से झोडिया जनजाति के लोगों को परोजा के पर्याय के रूप में अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जानी है। अत: इसे टिप्पणी हेतु भारत के महापंजीयक को भेजा गया है। तथापि, कोई समय-सीमा सूचित नहीं की जा सकती चूंकि इस मामले में राज्य सरकार, भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श किया जाना है।

देश में मलिन बस्तियां

2803. **श्री चन्द्र शेखर दूबे:** क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मलिन बस्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड द्वारा चलाई गई मलिन बस्ती सुधार परियोजनाओं की संख्या तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, (टीसीपीओ) के अनुसार वर्ष 2001 के लिए देश की राज्यवार अनुमानित स्लम आबादी का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले 3 वर्षों में स्मल सुधार परियोजनाओं (वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) के अलावा) में हडको द्वारा स्वीकृत की गई ऋण राशि का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	ऋण राशि	जारी ऋण	रिहायशी इकाईयां
वर्ष 2001-2002 राज्य : कर्नाटक			
1.	201.84	201.84	360
वर्ष 2002-2003 राज्य : तमिलनाडु			
2.	366.41	367.00	2729
वर्ष 2003-2004 राज्य : कर्नाटक			
3.	5500.00	0.00	233167
कुल	6069.25	568.84	236255

पिछले तीन वर्षों के दौरान वाम्बे के अंतर्गत हडको द्वारा स्वीकृत किए गए ऋण का ब्यौरा संलग्न विवरण 2 में दिया गया है।

विवरण I

राज्य-वार स्लम आबादी का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2001 के लिए अनुमानित स्लम आबादी (टीसीपीओ के अनुसार) (आबादी लाख में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	60.166
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.375
3.	असम	5.826
4.	बिहार	26.583
5.	छत्तीसगढ़	7.548
6.	गोवा	1.141
7.	गुजरात	34.388
8.	हरियाणा	10.067
9.	हिमाचल प्रदेश	1.614
10.	जम्मू व कश्मीर	7.783
11.	झारखंड	8.861
12.	कर्नाटक	17.761
13.	केरल	16.452
14.	मध्य प्रदेश	20.406
15.	महाराष्ट्र	107.367
16.	मणिपुर	1.132
17.	मेघालय	1.161
18.	मिजोरम	1.156
19.	नागालैंड	0.609
20.	उड़ीसा	11.207
21.	पंजाब	18.936
22.	राजस्थान	32.651
23.	सिक्किम	0.123
24.	तमिलनाडु	43.585
25.	त्रिपुरा	0.893
26.	उत्तरांचल	3.855
27.	उत्तर प्रदेश	73.243
28.	पश्चिम बंगाल	65.78
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.512
30.	चण्डीगढ़	2.133
31.	दादरा व नगर हवेली	0.039
32.	दमन व दीव	0.139
33.	दिल्ली	32.566
34.	पांडिचेरी	2.128
35.	लक्षद्वीप	0.072
	कुल	618.258

विवरण II

वाम्बे स्कीमों के अंतर्गत हडको द्वारा स्वीकृत किया गया वर्ष-वार ऋण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02	2002-03	2003-04	कुल
1.	छत्तीसगढ़	6.00	14.00	15.20	35.20
2.	गुजरात	0.00	0.00	23.15	23.15
3.	झारखंड	1.00	0.00	40.00	41.00
4.	कर्नाटक	35.56	61.24	6.66	103.46
5.	मध्य प्रदेश	0.00	7.25	0.00	7.25
6.	पंजाब	20.00	0.00	0.00	20.00
7.	राजस्थान	2.97	0.00	0.00	2.97
8.	तमिलनाडु	10.07	18.00	0.00	28.07
9.	उत्तरांचल	0.36	2.14	3.88	6.38
10.	पश्चिम बंगाल	8.32	0.00	0.00	8.32
	कुल	84.28	102.63	88.89	275.80

आदिवासियों के विकास के लिए योजनाएं

2804. **श्री बी. विनोद कुमार:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण हेतु चल रही योजनाओं के अतिरिक्त दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा तैयार की जा रही नई विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रकृति/क्षेत्र तथा लक्षित समूहों का विशेष ब्यौरा क्या है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए योजना आयोग से कितनी धनराशि प्राप्त करने का प्रस्ताव है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक ऐसी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के अंतर्गत क्या उपलब्धियां रहीं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बोडोलैंड के लिए विकास पैकेज

2805. **श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:** क्या गृह मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम के संवैधानिक रूप से मान्यताप्राप्त सबसे पिछड़े और उपेक्षित अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र ''बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला'' के लिए वार्षिक न्यूनतम 1000 करोड़ रु. के एक विशेष आर्थिक तथा विकास पैकेज की घोषणा करने हेतु एक प्रभावी कार्ययोजना तैयार की है जिससे कि शेष देश के समान ही बोडो जनजातीय क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि हो सके तथा विकास हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक उचित कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) सरकार, क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक आधारभूत संरचना के विकास के लिए बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले (बी टी ए डी) को पांच वर्ष के लिए (योजना आवंटन के अतिरिक्त), 100 करोड़ रुपए वार्षिक की सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गई है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

राउरकेला इस्पात संयंत्र का पुनरुद्धार

2806. **श्री मोहन सिंह:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राउरकेला इस्पात संयंत्र के पुनरुद्धार के लिए एक बड़ा पैकेज तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की राउरकेला इस्पात संयंत्र की तर्ज पर सरकारी क्षेत्र के अन्य रुग्ण उपक्रमों का पुनरुद्धार करने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो संयंत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रायबरेली, अमेठी, इलाहाबाद में नैनी तथा गोरखपुर की बंद पड़ी फैक्टरियों के पुनरुद्धार के लिए किसी पैकेज की घोषणा किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) जी, नहीं। राउरकेला इस्पात संयंत्र ने समग्र परिवर्तन कर लिया है और 2004-05 की पहली तिमाही में इसने सीमान्त निवल लाभ अर्जित किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सेल ने मिश्र इस्पात संयंत्र, (ए एस पी), सेलम इस्पात संयंत्र (एस एस पी) तथा विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वी आई एस पी) में हानि को न्यूनतम करने की योजना बनाई है तथा उसे कार्यान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (इस्को) के मामले में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) ने पुनरुद्धार योजना मंजूर कर दी है तथा उसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ङ) और (च) निजी क्षेत्र के इस्पात क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए कोई विशेष पैकेज सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

शहरों में मलिन बस्तियों की जनसंख्या

2807. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के महापंजीयक ने वर्ष 2001 की जनगणना में देश की मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या के बारे में एक सर्वेक्षण कराया था;

(ख) यदि हां, तो उन शहरों का ब्यौरा क्या है जहां मलिन बस्तियों की जनसंख्या 50,000 से अधिक तथा कम है; और

(ग) उनके जीवनस्तर में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) भारत के महापंजीयक द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर 50,000 या इससे अधिक आबादी वाले शहरों/कस्बों में ही देश की स्लम आबादी के बारे में विस्तृत आंकड़े एकत्र करने के लिए भारत की जनगणना 2001 के दौरान पहली बार प्रयास किया गया है।

(ख) भारत की जनगणना, 2001 के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 50,000 से अधिक और इससे कम स्लम आबादी वाले शहरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) स्लम विकास एक राज्य विषय है। राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न शहरों में स्लमों के विकास के लिए विशिष्ट योजनाएं, कार्यक्रम और स्कीमें तैयार करती हैं तथा अपनी संबंधित राज्य योजनाओं में आवश्यक प्रावधान करती हैं। तथापि, स्लम वासियों के जीवन दशाओं में सुधार लाने के लिए सरकार ने शहरी स्लमों के विकास हेतु अगस्त, 1996 में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) नामक एक कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि स्लम आबादी के यथानुपात आधार पर विभिन्न राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीपी) के रूप में आवंटित की जाती है।

इसके अतिरिक्त, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे शहरी स्लम वासियों, जिनके पास पर्याप्त शेल्टर नहीं है, की दशाओं में सुधार लाने के लिए 2.12.2001 को वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) नामक एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम शुरू की गई थी। स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य स्लम वासियों के लिए रिहायशी इकाइयों का निर्माण और उन्नयन करना तथा निर्मल भारत अभियान, स्कीम का एक घटक के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से स्वास्थ्य और अच्छा शहरी पर्यावरण मुहैया कराना है।

विवरण

स्लम वाले कस्बों की आबादी, स्लम आबादी/संघ राज्य क्षेत्र कुल अनन्तिम

आबादी के अनुसार भारत की जणगना, 2001

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/कस्बे	कुल आबादी	कुल स्लम आबादी
1	2	3	4
	जम्मू व कश्मीर		
1.	बारामुला टी.सी.	61,941	12,476
2.	सोपोर टीसी	53,246	16,301
3.	श्रीनगर टी.सी.	894,940	132,120

1	2	3	4
4.	अनंतनाग एमसी	63,437	24,748
5.	जम्मू एमसी	378,431	84,439
पंजाब			
1.	पठानकोट एमसी	159,559	15,664
2.	गुरदासपुर एमसी	67,455	9,523
3.	बटाला एमसी	126,646	33,553
4.	अमृतसर एमसी	975,695	229,628
5.	लुधियाना एमसी	1,395,053	314,759
6.	मुक्तसर एमसी	83,099	529
7.	मलोंत एमसी	70,958	22,154
8.	मनसा एमसी	72,608	4,588
9.	भटिंडा एमसी	217,389	40,354
10.	संगरूर एमसी	78,717	14,257
11.	मलेरकोटा एमसी	106,802	23,231
12.	बारमला एमसी	96,397	7,204
13.	फरीदकोट एमसी	71,986	24,557
14.	कोटकपुरा एमसी	80,741	23,787
15.	फगवाड़ा एमसी	95,626	1,676
16.	कपूरथला एमसी	84,361	18,167
17.	होशियारपुर एमसी	148,243	8,368
18.	फिरोजपुर एमसी	95,451	25,026
19.	फिरोजपुर कैंट	57,418	1163
20.	फाजिल्का एमसी	67,424	24,011
21.	अबोहर एमसी	124,303	43,857
22.	नाभा एमसी	61,953	7,152
23.	राजपुर एमसी	82,551	13,353
24.	मोगा एमसी	124,624	255,932
25.	जालंधर एमएल	701,223	134,918
26.	खन्ना एम.सीएल	103,059	16,275
27.	पटियाला एमसी	302,870	68,178
चंडीगढ़			
1.	चंडीगढ़ एमसी	808,796	107,098
उत्तरांचल			
1.	देहरादून एमसी	447,808	91,937
2.	हल्द्वानी व काठगोदाम एमबी	129,140	6,342
3.	काशीपुर एमबी	92,978	18,360
4.	रूद्रपुर एमबी	88,720	53,438
5.	रूड़की एमबी	97,064	18,156
6.	हरद्वार एमबी	175,010	7,371
हरियाणा			
1.	पंचकुला अरबन एस्टेट	140,992	25,140
2.	अंबाला सदर एमसीआई	106,378	6,693
3.	अंबाला एमसीआई	139,222	22,043
4.	यमुनानगर एमसीआई	189,587	40,202
5.	जगाधरी एमसीआई	101,300	37,878
6.	थानेसर एमसीआई	120,072	50,400
7.	कैथल एमसी	117,226	28,276
8.	करनाल एमसीआई	210,476	58,949
9.	पानीपन एमसीआई	261,665	102,813
10.	सोनीपत एमसीआई	216,213	75,454
11.	जींद एमसीआई	136,089	37,279
12.	हिसार एमसीआई	256,810	77,757
13.	हांसी एमसीआई	75,730	32,174
14.	भिवानी एमसीआई	169,424	41,443

1	2	3	4
15.	रोहतक एमसीआई	286,773	90,645
16.	बहादुरगढ़ एमसीआई	119,839	39,478
17.	नारनौल एमसीआई	62,091	11,279
18.	रेवाड़ी एमसीआई	100,946	51,754
19.	सिरसा एमसीआई	160,129	51,892
20.	गुड़गांव एमसीआई	173,542	33,570
21.	फरीदाबाद एमसी	1,054,981	491,131
22.	पलवल एमसीआई	100,528	15,589
दिल्ली			
1.	नई दिल्ली म्युनिसिपल का. एमसीएल	294,783	39,793
2.	दिल्ली छावनी (सीबी)	124,452	18,619
3.	दिल्ली म्यूनिसिपल कारपो.	9,817,439	1,854,685
4.	भलस्वा जहांगीरपुर (सीटी)	151,427	32,815
5.	साहिबाबाद दौलत (सीटी)	35,977	1,693
6.	पूंठ कलां (सीटी)	50,587	400
7.	सुल्तान पुर माजरा (सीटी)	163,716	13,837
8.	जाफराबाद (सीटी)	57,460	9,505
9.	घरौंडा नीमका बांगड अलियास पटपड़ गंज (सीटी)	34,409	5,364
10.	दल्लो पुरा (सीटी)	132,628	9,866
11.	नांगल देवत (सीटी)	13,168	372
12.	समालका (सीटी)	11,064	3,223
13.	टिकरी (सीटी)	44,895	24,954
14.	पुल प्रहलाद (सीटी)	47,336	10,764
राजस्थान			
1.	हनुमानगढ़ एम	129,654	25,318
2.	बिकानेर एमसीएल	529,007	76,964
3.	सरदार शहर एम	81,378	29,877
4.	रतनगढ़ एम	63,463	5,168
5.	सुजानगढ़ एम	83,808	11,369
6.	नवलगढ़ एम	56,482	205
7.	अलवर एमसी	260,245	15,923
8.	भरतपुर एमसी	204,456	29,474
9.	सवाई माधोपुर एम	97,491	2,190
10.	जयपुर एमसी	2,324,319	350,353
11.	सीकर एमसीएल	184,904	7,224
12.	फतेहपुर एम	78,471	19,659
13.	नागौर एम	88,313	9,547
14.	मकड़ाना एम	83,289	2,650
15.	जौधपुर एमसी	846,408	156,770
16.	बाड़मेर एम	83,517	22,316
17.	पाली एमसीएल	187,571	35,589
18.	किशनगढ़	116,156	40,796
19.	अजमेर एमसीएल	485,197	120,431
20.	ब्यावर एमसीएल	123,701	3,797
21.	उदयपुर एमसीएल	389,317	43,180
22.	बांसवाड़ा एम	85,638	10,329
23.	चित्तौड़गढ़	96,028	11,517
24.	कोटा एमसी	695,899	151,955
25.	बारन एम	78,372	23,522
उत्तर प्रदेश			
1.	सहारनपुर एमबी	452,925	162,681
2.	देवबंध एमबी	81,706	13,080

1	2	3	4
3.	कैराना एमबी	73,046	8,835
4.	मुज्जफर नगर एमबी	316,452	72,926
5.	शामली एमबी	89,861	25,478
6.	मुरादाबाद एमसी	641,240	70,653
7.	संभाय एमबी	182,930	20,098
8.	चंदौसी एमबी	103,757	26,159
9.	रामपुर एमबी	281,549	40,709
10.	अमरोहा एमबी	164,890	35,569
11.	मेरठ एमसी	1,074,229	471,316
12.	मवाना एमबी	69,199	65,788
13.	गाजियाबाद एमसी	968,521	258,834
14.	पिल्खुआ एमबी	67,191	25,424
15.	हापुड़ एमबी	211,987	90,964
16.	मोदीनगर एमबी	112,918	33,103
17.	नोएडा सीटी	293,908	26,824
18.	सिकन्दराबाद एमबी	69,902	31,852
19.	बुलंदशहर एमबी	176,256	50,292
20.	खुर्जा एमबी	98,403	22,208
21.	अलीगढ़ एमसी	667,732	303,284
22.	हाथरस एमबी	123,243	78,411
23.	मथुरा एमबी	298,827	40,662
24.	आगरा एमसी	1,259,979	121,890
25.	फिरोजाबाद एमबी	278,801	72,726
26.	कासगंज एमबी	92,485	15,132
27.	एटा एमबी	107,098	32,058
28.	मैनपुरी एमबी	89,535	63,913
29.	साहशवां एमबी	58,194	3,344
30.	बदायूं एमबी	148,138	9,894
31.	बरेली एमसी	699,839	155,840
32.	पीलीभीत एमबी	124,082	17,864
33.	शाहजहांपुर एमबी	297,932	187,509
34.	सीतापुर एमबी	151,827	10,260
35.	हरदोई एमबी	112,474	8,661
36.	साहबाद एमबी	67,661	4,614
37.	उन्नाव एमबी	144,917	60,121
38.	गंगाघाट एमबी	70,817	33,017
39.	लखनऊ सीबी	59,593	1,303
40.	राय बरेली एमबी	169,285	49,966
41.	फरूखाबाद व फतेहगढ़ एमबी	227,876	97,186
42.	कन्नौज एमबी	71,530	39,687
43.	इटावा एमबी	211,460	40,483
44.	कानपुर एमसी	2,532,138	368,808
45.	उरई एमबी	139,444	20,893
46.	झांसी एमबी	383,248	158,412
47.	ललितपुर एमबी	111,810	31,858
48.	बादा एमबी	134,822	35,415
49.	फतेहपुर एमबी	151,757	25,552
50.	इलाहाबाद एमसी	990,298	127,766
51.	नवाबगंज एमबी	75,087	10,613
52.	फैजाबाद एमबी	144,924	3,685
53.	टांडा एमबी	83,079	6,635
54.	सुल्तानपुर एमबी	100,085	24,430
55.	बलरामपुर एमबी	72,220	6,979
56.	गौंडा एमबी	122,164	1,535

1	2	3	4
57.	गोरखपुर एमसी	624,570	53,498
58.	दओरिया एमबी	104,222	15,577
59.	आजमगढ़ एमबी	104,943	4,673
60.	मौठ भंजन एमबी	210,071	43,667
61.	बलिया एमबी	102,226	10,111
62.	जौनपुर एमबी	159,996	12,825
63.	वाराणसी एमसी	1,100,748	138,183
64.	भदौई एमबी	74,439	1,084
65.	मिरजापुर व विध्यांचल एमबी	205,264	53,203
बिहार			
1.	बेतिया एम	116,692	7,032
2.	सीतामगढ़ी एम	56,769	27,352
3.	किशनगंज एम	85,494	54,267
4.	पुर्णिया एम	171,235	22,607
5.	कटिहार एम	175,169	76,811
6.	दरभंगा एमसी	266,834	54,503
7.	मुजफ्फरपुर (एमसी)	305,465	14,329
8.	सिवान एम	108,172	31,214
9.	छपरा एम	178,835	10,078
10.	हाजीपुर एम	119,276	8,993
11.	समस्तीपुर एम	55,590	9,693
12.	बेगुसराय एम	93,378	40,202
13.	भागलपुर एमसी	340,349	7,385
14.	लखीसराय एम	77,840	31,818
15.	बिहार एम	231,972	13,701
16.	पटना एम	1,376,950	3,511
17.	दिनापुर निजामत एम	130,339	1,373

1	2	3	4
18.	मोकमेह एम	56,400	25,244
19.	अराह एम	203,395	9,848
20.	बक्सर एम	82,975	3,129
21.	देहरी एम	119,007	26,321
22.	गया एमसी	383,197	18,871
23.	नवादा एम	82,291	9,101
त्रिपुरा			
1.	अगरतला एमसीएल	189,327	29,378
मेघालय			
1.	शिलोंग यूए	267,881	110,714
असम			
1.	धुबरी एमबी	63,965	19,604
2.	गुवाहाटी एमसी	808,021	7,867
3.	तेजपुर एमबी	58,240	1,053
4.	तिनसुखिया एमबी	85,519	5,305
5.	डिब्रूगढ़ एमबी	122,523	9,191
6.	जारहाट एमबी	66,450	11,514
7.	सिल्चर एमबी	142,393	30,110
पश्चिम बंगाल			
1.	दार्जलिंग एम	107,530	8,296
2.	सिलीगुडी (एमसी)	470,275	173,111
3.	जलपाईगुड़ी एम	100,212	4,777
4.	रायगंज एम	165,222	68,015
5.	बेलुरघाट एम	135,516	40,484
6.	इंगलिश बाजार एम	161,488	58,124
7.	जंगीपुर एम	74,464	15,7711
8.	बहरामपुर एम	160,168	31,455

1	2	3	4
9.	आसनसोल एमसी	486,304	159,946
10.	कुल्टी एम	290,057	40,702
11.	दुर्गापुर एम	492,996	149,429
12.	कटवा एम	71,573	24,869
13.	बर्धमान एम	285,71	59,719
14.	कृष्णनगर एम	139,070	21,158
15.	नवाद्वीप एम	115,036	49,321
16.	राणाघाट एम	68,754	4,963
17.	चकदाहा एम	86,965	31,070
18.	कल्याणी एम	81,984	39,429
19.	गायशपुर एम	55,028	14,283
20.	कंचरपाड़ा एम	126,118	14,223
21.	हलिसाहर एम	124,479	18,733
22.	हबरा एम	127,695	19,923
23.	नार्थ बैरकपुर एम	123,523	13,774
24.	बैरकपुर एम	144,331	5,432
25.	टीटागढ़ एम	124,198	98,062
26.	खरदाहा एम	116.252	24,303
27.	पनीहाटी एम	348,379	93,554
28.	न्यू बैरकपुर एम	83,183	19,865
29.	कमरहाटी एम	314,334	3,607
30.	बाड़ानगर एम	250,615	55,987
31.	नार्थ दम दम (एम)	220,032	2,662
32.	साऊथ दम दम (एम)	392,150	97,579
33.	बिधाननगर एम	167,848	49,173
34.	राजरहाट गोपालपुर एम	271,781	24,817
35.	बासबेरिया एम	104,453	18,232
36.	हुगली चिनसुराह एम	170,201	17,921
37.	चंदननगर एम	162,166	42,894
38.	भद्रेश्वर एम	105,944	56,589
39.	चंपदानी एम	103,232	75,583
40.	सेरमपुर एम	197,955	61,219
41.	रिसड़ा एम	113,259	53,755
42.	कोन्नागर एम	72,211	11,026
43.	मेदिनीपुर एम	153,349	41,533
44.	खड़गपुर एम	207,984	41,873
45.	हल्दिया एम	170,695	24,594
46.	कोनटई एम	77,497	16,461
47.	बेल्ली एम	261,575	70,073
48.	हौरा (एमसी)	1,008,704	118,235
49.	अलबेरिया (एम)	202,095	119,468
50.	कोलकाता (एमसी)	4,580,544	1,490,811
51.	बुज-बुज (एम)	75,465	26,486
झारखंड			
1.	हजारीबाग एम	127,243	16,345
2.	झमरी तल्लैया	69,444	6,507
3.	गिरीडीह एम	98,569	12,251
4.	धनबाद (एम)	198,963	5,523
5.	सिंदरी (एनए)	76,827	3,618
6.	झरिया (एनए)	81,979	28,772
7.	रांची (एमसी)	846,454	71,783
8.	चैबासा (एम)	63,615	2,992
9.	आदित्यपुर (एनए)	119,221	75,190
10.	जमशेदपुर (एनए)	570,349	69,975
11.	मांगो (एनए)	166,091	16,601

1	2	3	4
उड़ीसा			
1.	बारगढ़ टाऊन (एम)	63651	32,644
2.	बडाराजाराजनगर टाऊन (एम)	76,941	38,289
3.	झारसुगुदा टाऊन (एम)	75,570	27,257
4.	संबलपुर टाऊन (एम)	154,164	45,345
5.	राऊरकेला इंडस्ट्रियल टाउनशिप	206,566	74,717
6.	राऊरकेलाटाऊन (एम)	224,601	72,907
7.	बालेश्वर टाऊन (एम)	106,032	12,926
8.	कटक टाऊन (एम)	535,139	91,368
9.	भुवनेश्वर टाऊन (एमसी)	647,302	65,988
10.	पुरी टाऊन (एम)	157,610	34,623
11.	बहरामपुर टाऊन (एम)	289,724	70,509
12.	बांलगीर टाऊन (एम)	85,203	19,159
13.	भवानीपटना टाऊन (एम)	60,745	17,212
14.	सुनाबेदा टाऊन (एनएसी)	58,647	21,636
15.	जयपुर टाऊन (एम)	776,560	10,620
छत्तीसगढ़			
1.	चिमीरी (एम)	91,312	3,995
2.	अंबिकापुर (एम)	65,999	14,845
3.	बिलासपुर (एमसी)	290,417	96,428
4.	कोरबा (एमसी)	315,695	108,505
5.	रायगढ़ (एम)	110,987	39,672
6.	राजनन्दगांव (एमसी)	143,727	77,572
7.	दुर्ग (एमसी)	231,182	70,170
8.	भिलाई नगर (एमसी)	553,837	63,185
9.	राजहारा झारांदलाई (एम)	50,615	35,700
10.	रायपुर (एमसी)	669,210	216,397

1	2	3	4
11.	धमतरी (एम)	82,099	45,666
12.	जगदलपुर (एम)	87,532	15,992
मध्य प्रदेश			
1.	मुरैना (एम)	150,890	120,617
2.	भिंड (एम)	153,768	38,020
3.	ग्वालियर (एमसी)	826,919	193,635
4.	दतिया (एम)	82,742	15,122
5.	शिवपुरी (एम)	146,859	50,225
6.	गुना (एम)	137,132	51,501
7.	टीकमगढ़ (एम)	68,572	29,978
8.	छतरपुर (एम)	99,519	26,432
9.	सागर (एमसी)	232,321	8,563
10.	बिना ईटावा (एम)	51,189	22,800
11.	दामोह (एम)	112,160	28,023
12.	सतना (एमसी)	225,468	35,539
13.	रेवा (एमसी)	183,232	13,032
14.	शहदो (एम)	78,583	4,609
15.	बुरहर धानपुरी (यूए)	91,952	10,247
16.	सिंगरौली (एमसी)	185,580	3,134
17.	नीमच (एम)	107,498	23,434
18.	मंदसौर (एम)	116,483	21,025
19.	जौरा (एम)	63,736	52,111
20.	रतलाम (एमसी)	221,267	63,932
21.	नागदा (एम)	96,525	24,026
22.	उज्जैन (एमसी)	429,933	121,028
23.	देवास (एमसी)	230,658	95,411
24.	धार (एम)	75,472	9,888

1	2	3	4
25.	इंदौर (एमसी)	1,597,441	259,577
26.	खरगौन (एम)	86,443	40,145
27.	खंडवा (एमसी)	171,976	111,360
28.	बुरहानपुर (एमसी)	194,360	194,360
29.	विदिशा (एम)	125,457	35,743
30.	भोपाल (एमसी)	1,433,875	126,346
31.	सिहौर (एम)	90,930	32,656
32.	सरनी (एम)	95,015	58,421
33.	बेतुल (एम)	83,287	62,049
34.	ईटारसी (एम)	93,783	10,125
35.	होशंगाबाद (एम)	97,357	14,532
36.	मुरवाड़ा (कटनी) एमसी	186,738	36,652
37.	जबलपुर (एमसी)	951,469	275,454
38.	जबलपुर (कैंट)	66,482	6,680
39.	छिंदवाड़ा (एम)	122,309	12,049
40.	आचकली कलां पारसिया यूए	93,071	17,382
41.	स्योनी (एम)	89,799	28,307
42.	बालाघाट (एम)	75,061	4,347
गुजरात			
1.	अहमदाबाद (एमसी)	3,515,361	439,843
2.	भावनगर (एमसी)	510,958	79,315
3.	जामनगर (एमसी)	447,734	24,457
4.	राजकोट (एमसी)	966,642	150,552
5.	सूरत (एमसी)	2,433,787	406,018
6.	बड़ौदरा (एमसी)	1,306,035	107,289
7.	पाटन (एम)	112,038	2,251
8.	सिद्धपुर (एम)	53,581	1,727
9.	उंझा (एम)	53,868	922
10.	विसनगर (एम)	65,826	4,046
11.	मैहसाना (एम)	98,987	4,141
12.	कादी (एम)	56,241	2,345
13.	गांधीनगर (एनएसी)	195,891	10,859
14.	सुरेन्द्रनगर दुधा (एम)	156,417	3,073
15.	गोंडल (एम)	95,991	3,788
16.	धोराजी (एम)	80,807	1,722
17.	जैतपुर नवागढ़ (एम)	104,311	3,985
18.	नवसरी (एम)	134,009	31,330
19.	बालीमोड़ा (एम)	51,087	629
20.	दीसा (एम)	83,340	9,956
21.	पालनपुर (एम)	110,383	18,524
22.	आनन्द (एम)	130,462	8,361
23.	खम्भात (एम)	80,439	6,342
24.	हिम्मतनगर (एम)	58,267	8,855
25.	जुनागढ़ (एम)	168,686	5,187
26.	किशोड़ (एम)	63,253	3,930
27.	बोटाद (एम)	100,059	4,824
28.	नाडियाड (एम)	192,799	2,438
महाराष्ट्र			
1.	ग्रेटर मुंबई एमसी	11,914,398	5,823,510
2.	थाना एमसी	1,261,517	420,276
3.	कल्याण दोम्बिवली एमसी	1,193,266	34,854
4.	उल्हासनगर एमसी	472,943	53,717
5.	अमरनाथ एमसीएल	203,795	64,195
6.	बादलपुर (एमसीएल)	97,917	7,670

1	2	3	4
7.	मीरा भयंदर एमसीएल	520,301	37,241
8.	नवी मुम्बई एमसी	703,947	138,621
9.	पुणे (एमसी)	2,540,069	531,337
10.	पिंपरीचिंचवाड़ एमसी	1,006,417	129,357
11.	नागपुर एमसी	2,051,320	726,664
12.	नासिक एमसी	1,076,967	142,234
13.	औरंगाबाद एमसी	872,667	136,276
14.	सोलापुर एमसी	873,037	231,420
15.	भिवंडी एमसी	598,703	111,304
16.	अमरावती एमसी	549,370	232,619
17.	कोलहापुर एमसी	485,183	67,462
18.	सागली मिर्जा कुपवाड़ा एमसी	436,639	26,358
19.	नांदेड़ वघाला एमसी	430,598	82,715
20.	मालेगांव एमसीएल	409,190	212,577
21.	अकोला एमसीएल	399,978	135,009
22.	जलगांव एमसीएल	368,579	62,696
23.	अहमदनगर एमसीएल	307,455	21,852
24.	धुले एमसीएल	341,473	92,718
25.	लातुर एमसीएल	299,828	71,040
26.	चन्द्रपुर एमसीएल	297,612	50,795
27.	ईछाल्करांजी एमसीएल	257,672	18,118
28.	परभनी एमसीएल	259,170	76,324
29.	जालना एमसीएल	235,529	56,157
30.	भुसावल एमसीएल	172,366	20,110
31.	नलसोपारा एमसीएल	184,6664	3,167
32.	यावतमल एमसीएल	122,906	43,232
33.	बीड़ एमसीएल	138,091	74,283
34.	कांपती एमसीएल	84,340	78,854
35.	गोडिया एमसीएल	120,878	38,942
36.	वीरार एमसीएल	118,945	18,101
37.	वर्धा एमसीएल	111,070	32,042
38.	सतारा एमसीएल	108,043	6,1777
39.	अचलपुर एमसीएल	107,304	66,790
40.	बरसी एमसीएल	104,786	36,300
41.	पनवेल एमसीएल	104,031	7,5541
42.	नंदुरबार एमसीएल	94,365	16,807
43.	हिंगनघाट एमसीएल	92,325	25,360
44.	उदगीर एमसीएल	91,908	13,465
45.	अमालनेर एमसीएल	91,456	18,655
46.	पंढारपुर एमसीएल	91,381	12,146
47.	चालीसगांव एमसीएल	91,094	7,396
48.	बेल्लारपुर एमसीएल	89,995	49,298
49.	श्रीरामपुर एमसीएल	81,270	15,096
50.	खमगांव एमसीएल	88,670	36,090
51.	पारली एमसीएल	88,510	25,834
52.	बांद्रा एमसीएल	85,034	46,271
53.	अकोट एमसीएल	80,796	17,753
54.	उस्मानाबाद एमसीएल	80,612	13,622
55.	मांमाद एमसीएल	72,412	10,378
56.	रतनागीरी एमसीएल	70,335	12,023
57.	हिंगौली एमसीएल	69,552	23,954
58.	अम्बेजोगाई एमसीएल	69,277	9,877
59.	पुसाद एमसीएल	67,152	19,360
60.	बुलंदाना एमसीएल	62,979	28,189

1	2	3	4
61.	संगमनेर एमसीएल	61,958	1,036
62.	मल्कापुर एमसीएल	61,015	21,320
आंध्र प्रदेश			
1.	आदिलाबाद (एम)	108,233	63,913
2.	कागजनगर (एम)	59,549	39,194
3.	निरमल (एम)	74,017	29,113
4.	बेल्लापल्ले (एम)	66,660	30,624
5.	मंदामाड़ी एम	66,176	25,539
6.	मंचेरीयाल एम	70,231	49,077
7.	निजामाबाद एम	286,956	164,01
8.	बोदान एम	71,355	34,452
9.	रामागुडम एम	235,540	94,868
10.	जगतियाल एम	89,438	50,528
11.	करीमनगर एम	203,819	34,252
12.	सिचिल्ला एम	65,016	11,204
13.	सिद्दीपेट एम	61,150	33,924
14.	सांगरेड्डी एम	56,691	28,698
15.	हैदराबाद एमसी	3,449,878	601,336
16.	सिकन्दराबाद छावी सीबी	204,182	28,881
17.	सेरीलिंगंमपल्ली एम	150,525	73,866
18.	कुकटपल्ली	290,591	19,585
19.	कुतुबुल्लापुर एम	225,816	138,360
20.	अलवाल एम	106,424	62,585
21.	मलकाजगिरी एम	175,00	47,396
22.	कपरा एम	159,178	47,064
23.	उप्पल कलांक एम	118,259	43,586
24.	एल बी नगर एम	261,987	23,478
25.	राजेन्द्रनगर एम	143,184	84,287
26.	हमहबूबनगर एम	130,849	51,481
27.	सूर्यपेट एम	94,797	54,069
28.	नलगोंडा एम	110,651	14,296
29.	मिरयालागुडा एम	90,247	38,245
30.	वारंगल एम	528,570	230,190
31.	पिलवांचा एम	68,561	41,338
32.	काठगोदाम एम	79,727	74,087
33.	खम्माम एम	158,022	64,062
34.	श्रीकाकुलम एम	109,666	48,632
35.	विजियानागरम एम	174,324	67,525
36.	विशाखापत्तनम एम	969,608	171,211
37.	अनाकापाल्ले एम	84,523	25,779
38.	राजमुद्री एम	331,347	112,003
39.	काकीनाडा एम	289,920	58,369
40.	ताडेपालीगुडम एम	102,303	43,268
41.	येलेरू एम	189,772	104,716
42.	तानुकु एम	66,779	25,261
43.	भीमावरम एम	137,327	45,762
44.	नरसापुर एम	58,508	29,615
45.	पालाकोल एम	57,171	18,970
46.	विजयवाड़ा एम	825,436	263,973
47.	गुडीवाड़ा एम	112,245	35,349
48.	मछलीपटनम एम	183,370	99,798
49.	मंगलागिरी एम	59,443	30,826
50.	नरसोयापेटा एम	95,002	58,008
51.	चिलकालुरीपेट एम	89,888	34,851

1	2	3	4
52.	गुंटूर एम	514,707	170,772
53.	तेनाली एम	149,839	75,831
54.	पोन्नूर एम	56,504	22,664
55.	बपाटला एम	68,103	13,814
56.	चिराला एम	85,455	84,482
57.	ओंगोल एम	149,589	3,487
58.	कावेली एम	78,351	12,621
59.	नल्लौर एम	378,947	156,346
60.	गुदुर एम	69,303	21,360
61.	परोदातूर एम	164,932	47,421
62.	कुड्डापाह एम	125,725	33,994
63.	यम्मीगानुर एम	76,428	55,174
64.	कुरनूल एमसी	267,739	120,387
65.	अदोनी एम	155,969	22,132
66.	नांदयाल एम	151,771	55,648
67.	गटाकल	117,403	56,821
68.	ताड़पत्री एम	86,641	34,094
69.	अनंतपुर एम	220,951	67,545
70.	धर्मावरम एम	103,400	72,616
71.	कादीरी एम	76,261	49,415
72.	हिन्दुपुर एम	125,056	62,887
73.	श्रीकालाहस्ती एम	70,876	53,902
74.	तिरूपति एम	227,657	75,528
75.	मदनापाल्ले एम	97,964	22,625
76.	चित्तूर एम	152,966	56,211
कर्नाटक			
1.	बेलगाम एमसी	399,600	12,380

1	2	3	4
2.	निपानी सीएमसी	58,061	1,241
3.	गोकक सीएमसी	67,166	13,115
4.	बागलकोट सीएमसी	91,596	10,150
5.	रबकवि बनहत्ती सीएमसी	70,242	17,117
6.	बीजापुर सीएमसी	245,946	34,548
7.	गुलबारबा एमसी	427,929	26,053
8.	बिदार सीएमसी	172,298	34,452
9.	रायचुर सीएमसी	205,634	52,823
10.	गंगावती सीएमसी	93,249	44,695
11.	गडक बेतगिरी सीएमसी	154,849	8,644
12.	हुबली धारवाड़ एमसी	786,018	107,666
13.	करवार सीएमसी	62,960	1,598
14.	डांडेली सीएमसी	53,287	3,580
15.	रानीबेन्नूर सीएमसी	89,594	9,907
16.	होसपेट सीएमसी	163,284	67,938
17.	बेल्लारी सीएमसी	317,000	81,367
18.	चित्रदुर्ग सीएमसी	122,594	27,160
19.	दावनगेर सीएमसी	363,780	74,637
20.	हरिहर सीएमसी	75,042	10,059
21.	शिमोगा सीएमसी	274,105	32,797
22.	भद्रावती सीएमसी	160,392	28,495
23.	चिकमागालुर सीएमसी	101,022	9,960
24.	टुमकुर सीएमसी	248,592	14,035
25.	रोबर्ट सोनपेट सीएमसी	141,294	7,305
26.	कोलार सीएमसी	113,299	24,977
27.	चिंतामणी सीएमसी	65,456	14,684
28.	बंगलौर एमसी	4,292,223	345,200

1	2	3	4
29.	चनापटान सीएमसी	63,561	3,756
30.	रामनग्राम सीएमसी	79,365	8,281
31.	दोड़ बेल्लापुर सीएमसी	71,509	10,588
32.	मांदा सीएमसी	131,211	15,759
33.	हसन सीएमसी	117,386	38,846
34.	मंगलौर एमसी	398,745	2,394
35.	मैसूर एमसी	742,903	71,552
गोवा			
1.	मुरमुगांव एमसीएल	97,085	12,137
2.	मरगांव एमसीएल	78,393	2,392
केरल			
1.	कसारागोड एम	52,683	3,097
2.	कन्नूर एम	63,795	3,255
3.	पालाक्कड़ एम	130,736	2,426
4.	थ्रिसूर एमसी	317,474	169
5.	कोची एमसी	596,473	7,901
6.	अलपुझा एम	177,079	14,584
7.	कोल्लम एमसी	361,441	483
8.	त्रिवेन्द्रम एमसी	744,739	11,677
9.	कयामकुलम एम	65,299	1,755
तमिलनाडु			
1.	चेन्नई एमसी	4,216,268	747,936
2.	तिरूवोटियुर एम	211,768	81,363
3.	अवादी एम	230,913	57,269
4.	अम्बात्तूर एम	302,492	36,124
5.	अलंदूर एम	146,154	4,582
6.	ताम्बरम एम	137,609	56,161
7.	पालावरम एम	143,984	48,222
8.	कांचीपुरम एम	152,984	31,555
9.	गुडीयात्तम एम	91,376	10,973
10.	वनियामबड़ी एम	85,459	15,732
11.	वेल्लौरे एम	177,413	30,829
12.	सालेम एमसी	693,236	138,771
13.	कुमारापलायम एम	65,640	9,810
14.	इरोडएम	151,184	18,251
15.	तिरूपुर एम	346,551	8,922
16.	कोंयबट्टूर एम	923,085	59,890
17.	करूर एम	76,328	14,313
18.	तिरूचिरापल्ली एम	746,062	162,133
19.	छिदमबरम एम	58,968	20,502
20.	कुम्बाकोनम एम	140,021	25,759
21.	करईकुड्डी	86,422	35,036
22.	मदुरई एमसी	922,913	199,276
23.	शिवकाशी एम	72,170	22,841
24.	थूथूकुड्डी एम	216,058	21,370
25.	त्रिरूनेलवेली एम	411,298	56,958
26.	चेंगलपट्टू एम	62,631	10,342
27.	कराकोनम एम	77,453	7,657
28.	अम्बुर एम	99,855	29,819
29.	तिरूपत्तूर एम	60,803	12,819
30.	कृष्णागिरी एम	65,024	11,213
31.	धरमपुरी एम	64,444	8,509
32.	अरानी एम	60,888	4,372
33.	तिरूवन्नामलाई एम	130,301	26,892

1	2	3	4
34.	टिंडीवनम एम	67,826	7,695
35.	विल्लूपुरम एम	95,439	25,652
36.	पनरूति एम	55,400	9,556
37.	वृद्धाचलम एम	59,300	7,383
38.	कुड्डालोर एम	158,659	18,967
39.	अट्टूर एम	58,150	4,289
40.	तिरूचेंगोडू एम	80,177	14,613
41.	उधागामंडलम एम	93,921	7,194
42.	मेट्टपलायम एम	66,313	12,599
43.	पलानी एम	67,175	21,728
44.	डिंडीगुल एम	196,619	70,663
45.	मयिल्लादुतुरई एम	84,290	10,890
46.	नागापट्टीनम एम	92,525	17,538
47.	मन्नारगुड़ी एम	61,588	4,649
48.	पट्टूकोटयी एम	65,453	655
49.	थंजावुर एम	215,725	34,806
50.	पुदुलकोट्टाई एम	108,947	23,533
51.	बादिनायाक्कन्नूर एम	73,430	35,285
52.	कम्बम एम	58,713	19,798
53.	थेनी अलीनाग्राम एम	85,424	25,655
54.	श्रीविलीपुट्टूर एम	73,131	6,233
55.	विरुद्धनगर एम	73,003	18,223
56.	अरूपकोट्टयी एम	83,999	2,678
57.	राजापलायम एम	121,982	14,987
58.	परमकुडी एम	82,239	14,443
59.	रामन्नाथपुरम एम	61,976	6,763
60.	पुलियाकुंडी एम	60,142	17,467
61.	कडायानाल्लूर एम	75,604	21,464
62.	तेनकाशी एम	62,828	20,567
63.	नागेरकोयल एम	208,149	8,095
पांडिचेरी			
1.	पांडिचेरी एम	220,749	31,123
2.	ओझूकराई एम	217,623	10,489
3.	कराईकल एम	74,333	30,663
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह			
1.	पोर्ट ब्लेयर एमसीएल	100,186	16,265

नोट:

1. हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के संबंध में भारत की जनगणना, 2001 में किसी स्लम आबादी के बारे में सूचित नहीं किया गया है।
2. दिल्ली में ग्यारह जनगणना कस्बे शामिल हैं तथा उत्तर प्रदेश में एक।
3. सात कस्बों, बिहार, महाराष्ट्र और मेघालय में एक-एक, गुजरात और मध्य प्रदेश में दो-दो में अन्य वृद्धि/शहरी समूह की आबादी शामिल है।

मुंबई शहरी अवसंरचना परियोजना

2808. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल:

क्या **शहरी विकास मंत्री** 2.12.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 124 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मुंबई शहरी अवसंरचना परियोजना के विभिन्न घटक क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा किस सीमा तक धनराशि जारी की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त मुंबई शहरी अवसंरचना परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु प्रस्ताव की योजना आयोग के परामर्श से जांच की गई। योजना आयोग का कहना है कि अवसंरचना परियोजनाओं के लिए काफी निवेश अपेक्षित है और वित्तीय प्रतिबंधों को देखते हुए राज्य और केन्द्र दोनों स्तरों पर इन परियोजनाओं के वित्त प्रबंधन के लिए मिली-जुली पहुंच अपेक्षित है और अधिकांश संसाधन उपभोक्ता प्रभारों से आने चाहिए।

मेगा शहरों के अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत अत्यधिक पूंजी लागत वाली इस परियोजना को सहायता देना संभव नहीं है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा मुंबई शहरी अवसंरचना परियोजना के विभिन्न घटक इस प्रकार सृजित किए गए हैं:-

(क) एयरपोर्ट, सांताक्रुज इलेक्ट्रानिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन तथा एमआईडीसी क्षेत्र तक अत्यधिक क्षमता वाला अविच्छिन्न संपर्क उपलब्ध कराना;

(ख) ग्रेटर मुंबई में आसानी से आवागमन और संपर्क के लिए यातायात विकेन्द्रीकरण प्रणाली तैयार करना;

(ग) ग्रेटर मुंबई में उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम संपर्क को सुदृढ़ करना/बढ़ाना;

(घ) बस प्रणाली को प्राथमिकता देना और इसकी कार्य कुशलता, क्षमता और उत्पदाकता को बढ़ाना;

(ङ) पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित, आसान और कार्यक्षम आवागमन (सबवे एफओबी/फुटपाथ) उपलब्ध कराना जिसमें स्टेशन एरिया ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट स्कीम भी शामिल है;

(च) मुंबई में रेलवे लेवल क्रासिंग समाप्त करना; तथा

(छ) एकीकृत सुविधाओं के साथ बस टर्मिनल/डिपो उपलब्ध कराना।

(घ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि का दुरूपयोग

2809. **श्री निखिल कुमार:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकारें, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित राशि का उचित प्रयोग नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और धनराशि के दुरूपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा पुलिस बलों के लिए खरीदे गए हथियारों तथा उपकरणों का वास्तविक सत्यापन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) जी नहीं, श्रीमान। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए जारी कई गई निधियों के दुरूपयोग पर कोई विशिष्ट रिपोर्ट गृह मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ स्कीम) की योजना के तहत जारी की गई निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्यों में अनुमोदित आधुनिकीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए केन्द्रीय प्रबोधन टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें, समय-समय पर, विभिन्न राज्यों का दौरा करती रही हैं तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुवर्ती कार्रवाई के लिए राज्यों को भेजी जाती हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी), नई दिल्ली को एम पी एफ योजना के कार्यान्वयन का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने के लिए नामित किया गया है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) गृह मंत्रालय राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकता अनुसार आर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड से हथियार आवंटित करता है। संबंधित राज्यों की निरीक्षण टीमों द्वारा संबंधित आर्डनेंस फैक्ट्रियों में हथियारों का सुपुर्दगी पूर्व निरीक्षण किया जाता है। प्राप्त किए गए हथियारों और गोला-बारूद का रख-रखाव करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है।

राज्यों के आवास बोर्डों द्वारा हडको से लिया गया ऋण

2810. **श्री अनन्त नायक:** क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों के आवास बोर्डों ने आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) से अब तक कितनी राशि का ऋण लिया है;

(ख) क्या राज्य आवास बोर्डों ने ऋण को वापस कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो आज की स्थिति के अनुसार राज्य आवास बोर्डवार बकाया राशि कितनी है; और

(घ) बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) हडको द्वारा राज्य आवास बोर्डों को स्वीकृत ऋण और जारी ऋण के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) दिनांक 30.6.2004 की स्थिति के अनुसार आवास बोर्डों की चूक की स्थिति दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) हडको द्वारा असम, बिहार तथा छत्तीसगढ़ के आवास बोर्डों के साथ चूक समाधान पैकेज तैयार किया गया है। उपर्युक्त पैकेज की आंशिक राशि प्राप्त हो गई है और शेष राशि के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

गुजरात भूमिहीन श्रमिक आवास बोर्ड, जम्मू व कश्मीर आवास बोर्ड तथा हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड भुगतान कर रहे हैं। अन्य आवास बोर्डों के लिए हडको के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ऋण लेने वाली एजेंसी और गारंटीदाता राज्य सरकारों के स्तर पर बकाया राशि की वसूली के लिए मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

विवरण I

दिनांक 31.7.2004 की स्थिति अनुसार आवास बोर्डों को स्वीकृत और जारी ऋण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य कोड	एजेंसी का नाम	मंजूर ऋण राशि	जारी राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश आवास बोर्ड	253.94	253.94
2.	असम	असम राज्य आवास बोर्ड	67.93	54.65
3.	बिहार	बिहार आवास बोर्ड*	136.70	80.02
4.	चंडीगढ़	चंडीगढ़ आवास बोर्ड	77.32	77.32
5.	छत्तीसगढ़	आवास बोर्ड	65.05	58.48
6.	गोवा	गोवा आवास बोर्ड	3.09	3.09
7.	गुजरात	गुजरात आवास बोर्ड	294.43	294.43
8.	गुजरात	गुजरात भूमिहीन श्रमि व आवास बोर्ड	44.81	44.81
9.	गुजरात	गुजरात ग्रामीण आवास बोर्ड	67.09	67.09
10.	हरियाणा	हरियाणा आवास बोर्ड	182.75	180.75
11.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड	436.67	325
12.	जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर आवास बोर्ड	20.78	20.78

1	2	3	4	5
13.	कर्नाटक	कर्नाटक आवास बोर्ड	1382.19	1336.21
14.	केरल	केरल राज्य आवास बोर्ड	16724.06	1500.90
15.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश आवास बोर्ड	451.27	262.99
16.	मेघालय	मेघालय राज्य आवास बोर्ड	35.97	35.19
17.	उड़ीसा	उड़ीसा राज्य आवास बोर्ड	129.52	129.52
18.	पांडिचेरी	पांडिचेरी आवास बोर्ड	16.09	15.94
19.	पंजाब	पंजाब आवास और विकास बोर्ड**	245.65	225.65
20.	राजस्थान	राजस्थान आवास बोर्ड	461.92	461.92
21.	सिक्किम	सिक्किम आवास और विकास बोर्ड	46.55	46.55
22.	तमिलनाडु	तमिलनाडु आवास बोर्ड	946.37	946.37
23.	त्रिपुरा	त्रिपुरा आवास बोर्ड	5.41	4.31
24.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश आवास और विकास बोर्ड***	334.97	334.97
25.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश ग्रामीण और आवास बोर्ड***	135.23	135.23
26.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल आवास बोर्ड	112.56	112.56
	कुल		7580.32	7108.67

*झारखण्ड योजनाएं भी सम्मिलित हैं।

**अब पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण है।

***उत्तरांचल की योजनाएं भी सम्मिलित हैं।

विवरण II

क्र.सं.	राज्य	एजेंसी का नाम	30.6.2004 की स्थिति अनुसार कुल चूक 30.7.2004 तक समीक्षा (अर्थात् भूल-चूक और चूक पर ब्याज)
1	2	3	4
1.	असम	असम राज्य आवास बोर्ड	959417990
2.	बिहार	बिहार राज्य आवास बोर्ड	2249766
3.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ आवास बोर्ड	31702211
4.	गोवा	गोवा आवास बोर्ड	652874
5.	गुजरात	गुजरात भूमिहीन श्रमिक व आवास बोर्ड	1056

1	2	3	4
6.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल आवास बोर्ड	145338
7.	जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर आवास बोर्ड	15047
8.	कर्नाटक	कर्नाटक आवास बोर्ड (कुल)	121492042
9.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश आवास बोर्ड	87846825
10.	मेघालय	मेघालय राज्य आवास बोर्ड	214896902
11.	उड़ीसा	उड़ीसा राज्य आवास बोर्ड	562054963
12.	राजस्थान	राजस्थान आवास बोर्ड	388228
13.	तमिलनाडु	तमिलनाडु आवास बोर्ड (कुल)	143165829
14.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास बोर्ड	415431890
15.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल आवास बोर्ड	11810037
		कुल	2551270998

इस्पात संयंत्रों का लाभ/हानि

2811. **श्री दुष्यंत सिंह:**
श्री रूपचन्द मुर्मू:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी तथा निजी, दोनों क्षेत्रों में एकीकृत इस्पात संयंत्रों एवं लघु इस्पात संयंत्र की लाभ/हानि क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रचालन लाभ कुल लाभ शुद्ध लाभ सहित लाभांश तथा विभिन्न करों के रूप में सरकार को दी गई कुल धनराशि का यूनिटवार ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना से आज तक इन संयंत्रों का वर्षवार कार्य-निष्पादन क्या रहा;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान उत्पादन में अचानक गिरावट आई;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा के कस्बों में केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएं

2812. **श्री चंद्रशेखर साहु:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के छोटे और मध्यम कस्बों में केन्द्र सरकार द्वारा इस समय कुल कितनी केन्द्रीय सहायता प्राप्त विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त में से किसी योजना को धनराशि के अभाव में बंद कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा कितना अंशदान किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) उड़ीसा के छोटे तथा मझौले कस्बों में निम्नलिखित केन्द्रीय सहायताप्राप्त विकास स्कीमें कार्यान्वयनाधीन हैं:

(1) छोटे तथा मझोले कस्बों का एकीकृत विकास (आईडीएसएमटी)

(2) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)

(3) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)

(4) वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे)

(5) शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ वासियों के लिए आश्रय और सफाई सुविधाएं।

(ख) धन की अनुपलब्धता के कारण कोई स्कीम रोकी नहीं गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उड़ीसा सरकार ने अभी तक आईडीएसएमटी के अंतर्गत 1251.76 लाख रु., एयूडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत 1400.16 लाख रु., एसजेएसआरवाई के अंतर्गत 565.00 लाख रु. तथा वाम्बे स्कीम के अंतर्गत 107.60 लाख रु. जारी किए हैं। राज्य सरकार आश्रय व सफाई स्कीम के अंतर्गत केवल भूमि/स्थल मुहैया कराती है अथवा मौजूदा भवनों का नवीकरण करती है।

[हिन्दी]

आपराधिक गतिविधियों में शिक्षित युवाओं की संलिप्तता

2813. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जुलाई, 2004 के 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित समाचार "आपराधिक गतिविधियों में शिक्षित युवाओं की संलिप्तता" की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने आपराधिक गतिविधियों में उनकी संलिप्तता को रोकने हेतु कोई कार्य योजना बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) उक्त समाचार के अनुसार 2003 में तिहाड़ जेल में उच्च शिक्षा प्राप्त कैदियों में वकील (6), डाक्टर (14), इंजीनियर (62), वास्तुकार (1), प्रबंधन कार्यपालक (1), अध्यापक (10) आदि शामिल थे। इन उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के जेल में कैद होने के अलग-अलग कारण हैं।

(ग) और (घ) भारत के संविधान के अधीन, "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। अत: शिक्षित युवाओं द्वारा किए गए अपराधों सहित अपराधों को रोकना और उन पर नियंत्रण रखना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्यों को सलाह देती रहती है कि वे अपराध रोकने और उन्हें नियंत्रित करने पर अधिक ध्यान केन्द्रित करें।

[अनुवाद]

बालिका समृद्धि योजना

2814. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बालिका समृद्धि योजना लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कतिपय राज्यों द्वारा केन्द्र सरकार को बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 हेतु प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए आवश्यक उपयोग प्रमाण-पत्र सौंप दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर आंध्र प्रदेश के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को निधियों की प्रतिपूर्ति और वर्ष 2003-04 के लिए निधियां जारी कब की जाएंगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) जी, हां। स्कीम का एक उद्देश्य स्कूलों में बालिकाओं द्वारा शिक्षा को जारी रखना तथा उनके प्रवेश में सुधार करना है।

(ख) यह स्कीम 15 अगस्त, 1997 को आरम्भ की गई थी। इस स्कीम का वृत्तिका घटक वित्तीय वर्ष 2003-04 से शुरू किया गया। स्कीम के प्रारम्भ से लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या (प्राप्त

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के आधार पर) संलग्न विवरण-I में दर्शायी गयी है।

(ग) जी, हां।

(घ) आंध्र प्रदेश राज्य के विवरण सहित ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) चूंकि, इस स्कीम को राज्यों को अंतरित करने के संबंध में योजना आयोग की एन.डी.सी. उप-समिति द्वारा अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, अतः निर्मुक्तियां अंतिम निर्णय पर निर्भर करेंगी।

विवरण I

बालिका समृद्दि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या (30.6.2004 तक की स्थिति)

क्र.सं.	राज्य का नाम	लाभार्थियों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	138742
2.	अरुणाचल प्रदेश	3654
3.	असम	87388
4.	बिहार	101422
5.	गोवा	3282
6.	गुजरात	87889
7.	हरियाणा	43056
8.	हिमाचल प्रदेश	18972
9.	जम्मू व कश्मीर	31294
10.	कर्नाटक	178508
11.	केरल	48634
12.	मध्य प्रदेश	318798
13.	महाराष्ट्र	138242
14.	मणिपुर	4360
15.	मेघालय	5258
16.	मिजोरम	3744
17.	नागालैंड	1369
18.	उड़ीसा	282133
19.	पंजाब	22780
20.	राजस्थान	158524
21.	सिक्किम	1133
22.	तमिलनाडु	70080
23.	त्रिपुरा	16640
24.	उत्तर प्रदेश	327308
25.	पश्चिम बंगाल	138044
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	113
27..	चंडीगढ़	765
28.	दादर व नगर हवेली	990
29.	दमन व दीव	117
30.	दिल्ली	5615
31.	लक्षद्वीप	116
32.	पांडिचेरी	2012
33.	छत्तीसगढ़	40000
34.	झारखंड	12121
35.	उत्तरांचल	20000
	कुल	2313112

विवरण II

अगस्त, 2004 तक की स्थिति के अनुसार बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांगें

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मांग (रुपये लाखों में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	443.83 (प्रतिपूर्ति के रूप में) 687.00
2.	छत्तीसगढ़	393.90
3.	हिमाचल प्रदेश	20.00 11.00 (दूसरे घटक के लिए)

1	2	3
4.	कर्नाटक	262.00
5.	उड़ीसा	500.00
6.	राजस्थान	89.47
7.	उत्तरांचल	150.00
8.	हरियाणा	40.00
9.	गुजरात	1500.00
	कुल	4097.2

सफदरजंग विमानपत्तन को भूमि का आवंटन

2815. **श्रीमती निवेदिता माने:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफदरजंग विमानपत्तन को आवंटित भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने भूमि लौटाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस पर प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) लौटाये जाने के पश्चात् इस भूमि का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) सरकार ने सफदरजंग हवाई अड्डे के अंतर्गत आने वाली भूमि के वर्तमान प्रयोग से संबंधित वितरण मांगे थे क्योंकि इस भूमि का विमानन प्रयोजनों के लिए उपयोग न किये जाने की सूचना मिली थी। तथापि नागरिक विमानन मंत्रालय ने बताया है कि हवाई अड्डे का विमानन प्रयोजनों के लिए सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है और इसका प्रयोग वीपीआईपी तथा वीआईपी हवाई जहाजों के लिए किया जा रहा है जिसमें अनेक राज्य सरकारों के हवाई जहाज सभी सिविल हवाई अड्डों के नेविगेशन एड्स के व्यासमापन (केलिब्रेशन) के लिए प्रयुक्त भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण के हवाई जहाज तथा मैसर्स पवन हंस द्वारा उपयोग करना शामिल है।

मुम्बई जलमल व्ययन परियोजना हेतु विश्व बैंक सहायता

2816. **श्री गुरुदास कामत:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से मुम्बई जलमल व्ययन परियोजना-चरण-2 के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु विश्व बैंक से बातचीत करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाई की गयी है; और

(ग) विश्व बैंक ने केन्द्र सरकार की पहल का क्या उत्तर दिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत संकल्पना नोट के आधार पर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक से ऋण सहायता लेने की संभावनाएं तलाशने के लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग से प्रस्ताव की सिफारिश की है। इसके साथ-साथ, महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि परियोजना अव्यवहार्यता रिपोर्ट तथा वित्तपोषण प्रणाली एवं राशि में पर्याप्त हिस्सेदारी मुहैया करने की राज्य सरकार की वचनबद्धता प्रस्तुत करें ताकि लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन (सीपीएचईईओ) तथा योजना आयोग से क्रमशः तकनीकी और वित्तीय वृद्धि से मंजूरी हासिल की जा सके। आर्थिक कार्य विभाग ने भी व्यय विभाग से अनुरोध किया है कि राज्य सरकार के प्रस्ताव की ऋण सुस्थिरता दृष्टि से जांच करे।

(ग) आर्थिक कार्य विभाग द्वारा परियोजना को विश्व बैंक के समक्ष नहीं रखा गया है। इसलिए वर्तमान में विश्व बैंक की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता।

इंग्लैंड और फ्रांस में भारतीय पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण

2817. **श्रीमती मनोरमा माधवराज:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण हेतु इंग्लैंड में स्कॉटलैंड यार्ड और इंटरपोल प्रशिक्षण हेतु फ्रांस भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आर्थिक अपराधों और साइबर अपराधों की जांच में पुलिस कर्मियों के कौशल को आधुनिकतम बनाने हेतु उनको क्या विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) और (ख) पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण के लिए नियमित आधार पर स्कॉटलैंड यार्ड यू.के. तथा इंटरपोल, फ्रांस नहीं भेजा जाता है। प्राप्त प्रस्तावों तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता के मद्देनजर भारतीय पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, विदेशी पुलिस प्रशिक्षक प्रशिक्षण देने के लिए भारत आते हैं। वर्ष 2002 के दौरान स्कॉटलैंड यार्ड, यू.के. के पुलिस प्रशिक्षकों की सहायता से सी.बी.आई. अकादमी में दो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।

(ग) पुलिस कार्मिकों के लिए साइबर तथा आर्थिक अपराधों की जांच-पड़ताल हेतु पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों जैसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के सैंट्रल डिटेक्टिव ट्रैनिंग स्कूल, सीबीआई अकादमी, सरकार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आदि में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। पुलिस कार्मिकों को विभिन्न प्रकार के आर्थिक तथा साइबर अपराधों अपराधों की जांच पड़ताल की तकनीकें सिखाई जाती है।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में दुर्घटनाएं

2818. श्री जुएल ओराम: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं तथा इनमें से प्रत्येक दुर्घटना में हुई मौतों का संयंत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दुर्घटनाओं के संयंत्रवार क्या कारण बताए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में इस्पात संयंत्रों में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में हुई दुर्घटनाओं और उनमें हुई मौतों की संयंत्र-वार संख्या निम्नानुसार है:

संयंत्र का नाम	दुर्घटनाएं								
	2001		2002		2003		2004 (जुलाई तक)		मौतों की कुल संख्या
	कुल	घातक	कुल	घातक	कुल	घातक	कुल	घातक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)									
भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी)	9	2	11	4	9	5	3	1	12
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी)	30	4	21	4	14	1	10	2	11
राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी)	26	0	28	6	36	4	31	1	11
बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल)	62	2	60	7	42	2	17	2	13
मिश्र इस्पात संयंत्र (एएसपी)	3	1	4	2	2	0	2	0	3
सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी)	6	0	6	0	4	0	1	0	0
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआईएसपी)	26	0	29	0	54	9	16	0	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को)	9	2	9	1	17	5	2	0	8
2. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)									
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र	20	3	107	0	86	5	29	0	8

(ख) दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं:

* ऊंचाई से गिरना
* वस्तुओं अथवा मशीनरी से टकरा-जाना/उनके नीचे दबना/उनमें फंसना
* गरम पदार्थों में संपर्क में आना
* विस्फोटक
* गैस का फैलना और दम घुटना
* रसायनों के संपर्क में आना
* बिजली का झटका आदि
* जलना।

(ग) और (घ) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नानुसार उपाय किए गए हैं:

* सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी मानकों में सुधार करने के लिए ओ एस एच ए एस-18001 के अनुसार व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को कार्यान्वित किया गया है।
* सभी छोटी-बड़ी दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए उनकी जांच की जाती है और सभी मामलों में उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं।
* असुरक्षित स्थितियों और असुरक्षित पद्धतियों का पता लगाने के लिए संयंत्र का नियमित तौर पर निरीक्षण किया जाता है। उपचारात्मक कार्रवाई करके इन्हें दूर किया जाता है।
* सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किये जाते हैं।
* सभी कार्य वर्क परमिट सिस्टम के तहत किये जाते हैं। गैस सुरक्षा के लिए नयाचार प्रणाली का इकाई से पालन किया जाता है।
* विद्युत संबधी कार्यों के संबंध में "करें" और "न करें" का प्रकाशन किया जाता है और उनका कड़ाई से पालन किया जाता है। वर्क परमिट और शट-डाउन सिस्टम का पालन किया जाता है।
* पूरे संयंत्र का वर्ष में एक बार बाह्य सुरक्षा ऑडिट और वर्ष में दो बार आंतरिक सुरक्षा ऑडिट किया जाता है और सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाता है।
* सुरक्षित प्रचालन और अनुरक्षण के लिए खतरनाक कार्यों के संबंध में कार्य सुरक्षा विश्लेषण किया जाता है और इसे कार्यान्वित किया जाता है।
* ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों की भागीदारी सहित ई डी (वर्क्स) की अध्यक्षता में केन्द्रीय सुरक्षा समिति की आवधिक बैठकें होती हैं जिनमें संयंत्रों की सुरक्षा की समीक्षा की जाती है।
* मासिक विभागीय सुरक्षा समिति की बैठकें नियमित रूप से की जाती हैं।

[हिन्दी]

पन बिजली परियोजनाओं हेतु जापानी सहायता

2819. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान सरकार ने देश में कुछ पन बिजली परियोजनाएं स्थापित करने हेतु कोई निधियां प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उक्त परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं तथा इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ग) जी, हां। देश में, जापान की ओर से वित्तीय सहायता वाली 5 जल विद्युत परियोजनाएं वर्तमान में निष्पादनाधीन हैं। स्थिति, अधिष्ठापित क्षमता, ऋण सीमा और भौतिक प्रगति सहित इन परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	ऋण राशि (मिलियन जापानी येन)	वास्तविक प्रगति
1.	धौलीगंगा एचईपी	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन	उत्तरांचल	280	16020	परियोजना पूरी होने वाली है और मार्च, 2005 तक शुरू की जानी निर्धारित है।
2.	तुरियल एचईपी	नार्थ-इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन	मिजोरम	60	11695	बड़े ठेके दे दिए गए हैं। परियोजना जुलाई, 2006 तक शुरू की जानी निर्धारित है।
3.	पुरुलिया पंप्ड स्टोरेज स्कीम	प. बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	पश्चिम बंगाल	900	20520	बड़े ठेके दे दिए गए हैं। सिविल कार्य प्रगति पर हैं। परियोजना मार्च, 2007 तक शुरू की जानी निर्धारित है।
4.	घाटघर पम्पड स्टोरेज प्रोजेक्ट	सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार	महाराष्ट्र	250	11414	जापानी सहायता जनवरी, 2004 में समाप्त हो गयी है। विद्युत घर उपकरण का उत्थान प्रगति पर है। पीएफसी ने बांध के निर्माण हेतु परियोजना को 400 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी है। परियोजना को मार्च, 2005 तक शुरू किये जाने की संभावना है।
5.	कारबी लांग्पी एचईपी	एएसईबी	असम	100	1490	जापानी सहायता की अवधि 1995 में समाप्त हो गयी है। असम सरकार ने परियोजना के पुनरुत्थान के लिए अभी तक आवश्यक कार्रवाई नहीं की है।

[अनुवाद]

कैमरे पर रुपये लेते हुए पकड़े जाने से पुलिस की छवि पर आंच

2820. श्री राजेन्द्र कुमार:
श्री जी.वी. हर्ष कुमार:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जुलाई, 2004 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में कैश ऑन कैमरा चार्जेज हिट पुलिस, प्रोब आर्डर्ड, शीर्षक से छपी खबर की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें छपी खबर के तथ्य क्या हैं;

(ग) घूस लेने वाला पथभ्रष्ट दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का विचार है; और

(घ) पुलिस बल के ईमानदारीपूर्वक और सुचारू रूप से कार्यकरण को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। शराब के अवैध धंधे में लिप्त दिल्ली पुलिस के कार्मिकों से संबंधित मीडिया रिपोर्टों के आधार पर पुलिस आयुक्त ने दिल्ली पुलिस की सतर्कता शाखा से इस मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। 'कैश ऑन कैमरा चार्जेज हिट पुलिस, प्रोव आर्डर्ड' शीर्षक से छपी खबर के संबंध में मामले के तथ्यों के बारे में जांच पूरी होने पर ही मालूम होगा।

(ग) इस मामले में एक निरीक्षक, पांच हैड कांस्टेबल और 18 कांस्टेबल सहित जिन कुल 24 पुलिस कार्मिकों पर इसमें

संलिप्त होने का संदेह था उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई जांच के परिणामों पर निर्भर करेगी।

(घ) दिल्ली पुलिस के कार्मिकों का ईमानदारीपूर्वक और सुचारू रूप से कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) मानवाधिकारों के उल्लंघन, मामले दर्ज न करने, पुलिस स्टेशन में अनधिकृत रूप से रखने की जांच करने और पुलिस कार्मिकों के आचरण पर नजर रखने के लिए सतर्कता शाखा के अधिकारियों द्वारा पुलिस स्टेशनों के अचानक दौरे करना;

(2) दिल्ली पुलिस के कार्मिकों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए नौ में से प्रत्येक जिले में लोक शिकायत कक्ष स्थापित करना;

(3) क्षेत्र के संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय/थाना स्तरीय समिति की नियमित अंतरालों पर बैठकें आयोजित करना। इन समितियों में क्षेत्र के विधान सभा, विधान परिषद के सदस्य और सिविल निकायों के अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे;

(4) रिहायशी कल्याण संघों और बाजार व्यापारी संघों के साथ बैठकें आयोजित करना;

(5) सभी जिलों/यूनिटों के अधिकारियों के ई-मेल पते प्रकाशित करना और शिकायत बॉक्स स्थापित करना ताकि आम आदमी अपनी शिकायतें दर्ज कर सके;

(6) प्रत्येक पुलिस स्टेशन में समय-सारणी लगाना जिसमें यह बताया गया हो कि स्टेशन हाऊस आफीसर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए किस समय उपलब्ध रहेंगे;

(7) भ्रष्टाचार, असहयोग, बर्बरता और दुर्व्यवहार से संबंधित शिकायतों को पुलिस आयुक्त द्वारा स्वयं निपटाना ताकि पुलिस में जनता का विश्वास बहाल किया जा सके।

(8) गुप्त शिकायतें प्राप्त करने के लिए पोस्ट बॉक्स संख्या 171 स्थापित करना; और

(9) ऐसे बाक्स प्रदर्शित करना जिनमें टेलीफोन संख्या आदि लिखी हो और विनिर्दिष्ट तारीखों पर पुलिस अधिकारियों की उपलब्धता के बारे में बताया गया हो।

भाखड़ा नांगल पनविद्युत परियोजना से विद्युत की हिस्सेदारी

2821. सुश्री महबूबा मुफ्ती: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भाखड़ा नांगल पनविद्युत परियोजना से विभिन्न उत्तरी राज्यों को प्राप्त होने वाली विद्युत की हिस्सेदारी कितनी-कितनी है तथा प्रत्येक राज्य से बिजली की क्या दरें वसूली जाती हैं;

(ख) क्या जम्मू-कश्मीर के साथ विद्युत बंटवारे में भेदभाव बरता गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और इसके कारण क्या हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) भाखड़ा नांगल परियोजना को तत्कालीन पंजाब और राजस्थान राज्यों द्वारा संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना द्वारा तैयार विद्युत को विभिन्न राज्यों, यथा राजस्थान, पंजाब एवं इसके उत्तरवर्ती राज्य यथा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ केन्द्र शासित क्षेत्र द्वारा आपस में विभाजन किया जाता है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य के लिए परियोजना से प्राप्त विद्युत की कोई दर नहीं तय की गई है, क्योंकि ये राज्य परियोजना के स्वामी होने की वजह से इससे प्राप्त लाभ के बदले परियोजना के खर्चे की प्रतिपूर्ति कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश भी तदर्थ आधार पर परियोजना से प्राप्त लाभ के अनुपात में इसके खर्च की प्रतिपूर्ति कर देता है। केन्द्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के नाम परियोजना में इसके हिस्से के लिए पारेषित ऊर्जा हेतु लगभग 34 प्रति कि.वा. घंटा की बिलिंग हुई है। भाखड़ा नांगल परियोजना में विभिन्न राज्यों के हिस्से निम्नानुसार हैं:

सामान्य पूल उपभोक्ताओं के खपत को छोड़कर पारेषित ऊर्जा

राजस्थान	-	ए का 15.22 प्रतिशत
शेष	-	ए का 84.78 प्रतिशत अर्थात् बी
पंजाब	-	बी का 54.5 प्रतिशत
हरियाणा	-	बी का 39.5 प्रतिशत
हिमाचल प्रदेश	-	बी का 2.5 प्रतिशत
केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़	-	बी का 3.5 प्रतिशत

(ख) जी नहीं, महोदय।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

[हिन्दी]

पोटाश के आयात में धोखाधड़ी

2822. श्री सीताराम सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में उर्वरक माफिया द्वारा पोटाश का आयात किय जाने की जानकारी है, जैसा कि 23 जून, 2004 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में खबर छपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) पोटाश के आयात की वजह से सरकार को कितनी हानि हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा उर्वरक माफिया के विरुद्ध क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) देश में एमओपी का आयात स्वतंत्र रूप से किया जाता है। सरकार एमओपी का आयात नहीं करती है, तथापि, प्रत्यक्ष रूप से कृषि प्रयोग के लिए एमओपी की बिक्री करने पर आयातकों को रियायत योजना के अंतर्गत रियायत दी जाती है। इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एमओपी के मूल्य में भारी वृद्धि हुई, इसलिए आयात अधिक मूल्य पर हो रहा है। इससे एमओपी पर रियायत/राजसहायता अदायगी में वृद्धि हो रही है।

[अनुवाद]

बिल्डरों द्वारा फ्लैटों का अवैध निर्माण

2823. श्री के.एस. राव: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिल्डर दिल्ली में सरकारी प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अथवा समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त किए वगैर ही सीधे-सादे खरीददारों को अवैध फ्लैट बेच रहे हैं जैसाकि 21 जुलाई, 2004 को 'दी टाइम्स ऑफ इंडिया' में खबर छपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्या क्या है;

(ग) उन कालोनियों का ब्यौरा क्या है जहां ये फ्लैट बनाये गये हैं तथा संबंधित बिल्डरों के नाम क्या हैं;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन बिल्डरों तथा सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है अथवा किए जाने की संभावना है जो इन निर्माणों को नजरअंदाज करते हैं; और

(ङ) सीधे-सादे लोगों के हितों के रक्षार्थ क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) स्थानीय निकायों ने यह सूचित किया है कि दिनांक 21 जुलाई, 2004 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया'' में प्रकाशित समाचार के बारे में उनके पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं है। तथापि, जब कभी कोई अनधिकृत निर्माण अथवा स्वीकृत भवन योजनाओं का कोई उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है। आम जनता के हितों की रक्षा की सुरक्षा के लिए दिल्ली नगर निगम ने भी दिनांक 26.7.2004 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की है जिसके माध्यम से आम जनता को सलाह दी गई है कि ऐसी कोई भी संपत्ति न खरीदें जो गैर-कानूनी/अनधिकृत हो या स्वीकृत भवन योजनाओं के उल्लंघन में हो या जिसके लिए पूर्णता प्रमाणपत्र जारी न किया गया हो।

[हिन्दी]

गैस और कोयला आधारित संयंत्रों की स्थापना

2824. श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री पारसनाथ यादव:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में गैस और कोयला आधारित कितने संयंत्र हैं, तथा उन क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जहां इन संयंत्रों द्वारा उत्पादित यूरिया बेचा जाता है;

(ख) क्या सरकार देश में ऐसे नए संयंत्रों को स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे संयंत्रों को विशेषकर उत्तर प्रदेश में स्थापित करने से किसानों को क्या लाभ होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) वर्तमान में देश में 14 यूरिया संयंत्र गैस आधारित हैं तथा देश में कोयला आधारित कोई यूरिया संयंत्र नहीं है।

वर्तमान में प्रत्येक यूरिया उत्पादन इकाई के 50 प्रतिशत उत्पादन पर भारत सरकार का वितरण नियंत्रण है तथा उत्पादनकर्ता बकाया 50 प्रतिशत उत्पादन को देश में कहीं भी खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। जिन राज्यों में इन संयंत्रों द्वारा उत्पादित यूरिया बेचा जाता है उनकी सूचना संलग्न विवरण में है।

(ख) और (ग) जी नहीं, फिलहाल, केन्द्र सरकार द्वारा नए उर्वरक संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उत्तर प्रदेश में यूरिया की वार्षिक औसत खपत 45-46 लाख मी. टन रही है तथा उत्तर प्रदेश में स्थापित और संचलन क्षमता पहले ही 57.3887 लाख मी. टन है जो पहले से ही राज्य की आवश्यकता से अधिक है।

विवरण

गैस आधारित संयंत्रों से उत्पादित यूरिया की बिक्री के कंपनीवार क्षेत्रों/राज्यों का ब्यौरा

कंपनी	राज्य
1	2
चंबल फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स लि. गडेपान-1	दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल
गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कारपोरेशन, बड़ौदा	आंध्र प्रदेश, दमन और दीव, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और दादरा और नगर हवेली
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन (एचएफसी) लि., नामरूप	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल
इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर	बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तरांचल
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लि., आंवला	बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लि., आंवला-2	बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लि., कलोल	गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान
कृषक भारती कोऑपरेटिव लि.	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल
नागार्जुन फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स लि.	आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पांडिचेरी, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़
नेशनल फर्टिलाइजर लि., विजयपुर	आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल
नेशनल फर्टिलाइजर लि., विजयपुर-2	आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा

1	2
ओसवाल कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.	बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तरांचल
राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि., थाल	आंध्र प्रदेश, बिहार, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल
टाटा कैमिकल्स	बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तरांचल।

[अनुवाद]

एन.आई.पी.सी.सी.डी. द्वारा आयोजित जागरूकता शिविर

2825. श्री वी.के. दुम्मर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (एन.आई.पी.सी.सी.डी.) ने बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं अपराध के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु शिविर आयोजित किये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे लाभान्वित हुए व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा ऐसे शिविरों के आयोजन हेतु एन.आई.पी.सी.सी.डी. को कितनी निधियां आवंटित की गयीं तथा उनका कितना उपयोग किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) जी, हां। राष्ट्रीय जन-सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने विगत दो वर्षों के दौरान महिलाओं के साथ हिंसा एवं अपराधों के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु शिविरों का आयोजन किया है। तथापि, बच्चों के लिए ऐसे किसी शिविर का आयोजन नहीं किया गया।

(ख) निपसिड ने 21 राज्यों के 87 अपराध सम्भावित जिलों का अभिनिर्धारण किया, जिनमें 1,07,752 व्यक्तियों के लाभार्थ ऐसे शिविरों का आयोजन किया गया। इन जागरूकता शिविरों में चलाये जाने वाले कार्यकलापों में भाषण, पोस्टर बनाना, प्रदर्शनी, मेले, रैलियां, प्रतियोगिताएं तथा नुक्कड़ नाटक शामिल हैं। इन शिविरों के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) भारत सरकार ने 100 लाख रुपये निर्मुक्त किये, जिनमें से 47.30 लाख रुपये वर्ष 2002-03 में तथा 12.97 लाख रुपये वर्ष 2003-04 में निपसिड द्वारा ऐसे शिविरों के आयोजन पर व्यय किये गये।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	260
2.	असम	2	1700
3.	बिहार	2	779
4.	छत्तीसगढ़	3	2600
5.	दिल्ली	2	897
6.	गुजरात	6	6380
7.	हिमाचल प्रदेश	1	1056
8.	झारखण्ड	1	598
9.	कर्नाटक	5	906

1	2	3	4
10.	केरल	5	1789
11.	मध्य प्रदेश	13	19412
12.	महाराष्ट्र	14	28767
13.	मणिपुर	1	6200
14.	मिजोरम	1	500
15.	नागालैण्ड	2	3600
16.	पंजाब	1	525
17.	राजस्थान	16	15991
18.	तमिलनाडु	5	10480
19.	त्रिपुरा	1	1280
20.	उत्तरांचल	1	700
21.	उत्तर प्रदेश	4	3332
	कुल	88	1,07,752

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां

2826. श्री सुनील खां: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने के मामले में क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) 1.1.1999 से 31.12.2003 के बीच केन्द्रीय विद्यालय संगठन बोर्ड में श्रेणी-3 और 4 के पदों हेतु अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां के लिए आवेदनों की वर्षवार और राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) उनमें से अब तक कुल कितनी नियुक्तियां की जा चुकी हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन का विचार शेष उम्मीदवारों की नियुक्ति करने का है;

(ङ) यदि हां, तो ये नियुक्तियां कब तक किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुसरण करता है।

(ख) वर्ष-वार और राज्य-वार प्राप्त आवेदनों की संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1999	2000	2001	2002	2003	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उत्तर प्रदेश	4	3	14	7	6	34
2.	दिल्ली	1	1	2	-	3	7
3.	कर्नाटक	2	-	4	1	3	10

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	मध्य प्रदेश	4	–	6	1	4	15
5.	असम	–	–	3	–	4	7
6.	गुजरात	1	–	3	–	3	7
7.	उड़ीसा	–	–	5	–	–	5
8.	राजस्थान	3	2	5	2	3	15
9.	उत्तरांचल	4	–	6	–	2	12
10.	बिहार	3	1	5	1	2	12
11.	पश्चिम बंगाल	–	–	6	2	2	10
12.	महाराष्ट्र	4	1	8	2	1	16
13.	आंध्र प्रदेश	2	–	3	4	1	10
14.	केरल	4	1	2	–	1	8
15.	तमिलनाडु	–	–	1	–	–	1
16.	हरियाणा	–	–	3	1	4	8
17.	मणिपुर	–	–	1	1	–	2
18.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	1	–	–	1
19.	पंजाब	2	–	1	5	–	8
20.	जम्मू व कश्मीर	1	–	1	1	–	3
21.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	1	1
22.	मेघालय	1	–	–	1	–	2
23.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	1	1
24.	त्रिपुरा	–	–	–	1	1	2
25.	चंडीगढ़	–	1	–	–	–	1
	कुल	36	10	80	30	42	198

(ग) प्राप्त आवेदनों में से की गई नियुक्तियों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिन्हें अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जा सकती है	प्रदान किए गए पद	
			अवर श्रेणी लिपिक	समूह 'घ'
1999	36	15	–	15
2000	10	1	–	1
2001	80	5	5	–
2002	30	–	–	–
2003	42	–	–	–
कुल	198	21	5	16

(घ) से (च) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने का मामला इस संबंध में मौजूदा निर्देशों के अनुसार अनुकम्पा आधारित नियुक्ति के लिए उपलब्ध होने वाली रिक्तियों पर निर्भर होगा।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत उत्पादन

2827. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत की प्रति यूनिट कीमत सरकारी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत की प्रति यूनिट कीमत की अपेक्षा अधिक होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार दोनों क्षेत्रों हेतु एक समान मूल्य नीति तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट लागत स्थायी तथा परिवर्तनशील लागत पर निर्भर करती है। अधिकांश संयंत्र निजी क्षेत्र में अभी हाल ही में स्थापित हुए हैं जिनके लिए पूंजी निवेश अधिक होता है, इसलिए इनकी स्थायी लागत अधिक है। इस प्रकार विद्युत उत्पादन की लागत सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों की तुलना में अधिक हो सकती है।

(ग) और (घ) विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार किसी विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा वितरण लाइसेंसधारी को की जाने वाली विद्युत आपूर्ति के लिए टैरिफ का निर्धारण विद्युत विनियामक आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारण संबंधी शर्तों व निबंधनों के विनियमों के अनुसार किया जाता है।

[अनुवाद]

हडको द्वारा स्वीकृत ऋण

2828. श्री तापिर गाव: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड द्वारा अरुणाचल प्रदेश को स्वीकृत किए गए ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य में मलिन बस्ती विकास, गरीब लोगों हेतु आवास तथा विभिन्न सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए खर्च की गयी/की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हडको द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्वीकृत ऋण का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	कुल स्वीकृत ऋण
2001-2002	0.00
2002-2003	0.60*
2003-2004	7.63*

*स्वीकृत सभी ऋण शापिंग/वाणिज्यिक परिसरों के विकास के लिए हैं।

(ख) वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के लिए एक स्कीम स्वीकृत की गई थी जिसमें 1600 स्लीम वासियों के लाभार्थ रिहायशी यूनिटों के निर्माण के लिए 360.00 लाख रु. की भारत सरकार सब्सिडी थी। तथापि, सब्सिडी जारी नहीं की गई थी क्योंकि राज्य सरकार वाम्बे बैंक खाते में समतुल्य राज्य अंश जमा करने के लिए तैयार नहीं हुआ।

चालू वित्त वर्ष अर्थात 2004-05 के दौरान वाम्बे के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को 17 लाख रुपए की भारत सरकार सब्सिडी आवंटित की गई है। तथापि, अभी तक कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है। हडको ने पुलों तथा सड़कों के लिए कोई ऋण राशि मंजूर नहीं की है क्योंकि राज्य सरकार से ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

कुंगला फोर्ट को खाली करना

2829. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री नकुल दास राई:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मणिपुर की जनता असम राइफल्स द्वारा कुंगला फोर्ट को खाली किए जाने की लगातार मांग करती रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) नये स्थान पर निर्माण कार्य अंतिम अवस्था में है और इसके शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है। नई जगह पर बुनियादी सुविधाएं जैसे पहुंच मार्ग, विद्युत और जल आपूर्ति राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि असम राइफल्स को वहां स्थानांतरित किया जा सके।

मध्याह्न भोजन योजना का क्रियान्वयन

2830. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:
श्री पी. करुणाकरन:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री गुरुदास कामत:
श्री कैलाश बैठा:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आज तक सरकार द्वारा विद्यालय में पढ़ने वाले छह से चौदह वर्षीय विद्यार्थियों हेतु मध्याह्न भोजन पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत शामिल विद्यालयों और विद्यार्थियों की वर्षवार, श्रेणीवार और राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या कतिपय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों विशेषकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा पके भोजन कार्यक्रम (कूक्ड मील प्रोग्राम) के क्रियान्वयन के लिए निधियों की मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) मध्याह्न भोजन योजना में पहली से पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को शामिल किया जाता है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (14.8.2004 तक) के दौरान किए गए व्यय का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

(रु. करोड़ में)

वर्ष	व्यय
2001-2002	1030.27
2002-2003	1099.03
2003-2004	1375.00
2004-2005	473.79

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) पका-पकाया भोजन प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक राज्यों ने अतिरिक्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है।

योजना आयोग ने राज्य सरकारों से यह कहा है कि वे वर्ष 2004-05 से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत भोजन पकाने की लागत को वहन करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का कम से कम 15 प्रतिशत निर्धारित करें।

(ङ) राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे किचन शैडों के निर्माण तथा स्कूलों में पेयजल सुविधाओं के सृजन, मध्याह्न भोजन को पकाने के लिए महिला स्व-सहायता समूहों को यथासंभव शामिल करने तथा भोजन को स्वच्छतापूर्ण ढंग से पकाने, परोसने तथा उपयोग करने के सुनिश्चयन हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का अधिकतम उपयोग करें।

विवरण

मध्याह्न भोजन योजना के तहत वर्ष 2001-02 से 2004-05 के दौरान शामिल किए गए स्कूलों तथा छात्रों (श्रेणीवार) की वर्षवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03				2003-04				2004-05			
		स्कूल	कुल छात्र	स्कूल	कुल छात्र	अ.जा.	अ.ज.जा.	स्कूल	कुल छात्र	अ.जा.	अ.ज.जा.	स्कूल	कुल छात्र	अ.जा.	अ.ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	61246	7758454	68730	7456254	1698536	829847	71749	7717673	1157639	69458	80207	9081299	544878	1362195
2.	अरुणाचल प्रदेश	1771	143500	1289	168637	292	82641	1729	181606	217	27774	2824	177984	0	135870
3.	असम	30650	3057221	30650	314936	उ.न.	उ.न.	42199	3210526	273534	457439	34136	3387583	322894	572240
4.	बिहार	48943	7252547	50405	8095780	1425051	93450	62399	8868044	1502612	96766	91049	9791760	1778580	572240
5.	छत्तीसगढ़	28988	2717758	29122	2889116	429410	866761	29662	2828582	414658	890657	29662	2828582	414658	890657
6.	गोवा	1200	80284	1126	68878	816	15	1160	69647	998	8	1143	68489	976	8
7.	गुजरात	32347	4856615	29391	3259341	354239	73651	29131	3004496	357236	707964	30048	3011034	321816	740841
8.	हरियाणा	8840	1617412	804	1538006	597117	0	8995	1578538	508733	0	8629	1627834	502841	0
9.	हिमाचल प्रदेश	10517	668604	10282	639974	287525	70458	10599	614847	202601	31129	10712	590351	194827	30577
10.	जम्मू और कश्मीर	9345	716592	9730	821890	12178	40428	9730	738777	12178	40428	9730	738777	12178	40428
11.	झारखण्ड	5127	2085571	19436	2254066	उ.न.	उ.न.	19436	2254066	0	0	32165	3280001	448096	940848
12.	कर्नाटक	52088	5585159	44108	5621960	1177411	442924	44036	5349540	1129913	441635	46400	5126042	1139271	437249
13.	केरल	11265	2334680	11514	2355686	239,908	28126	11330	2166510	234520	34751	10441	2116354	233618	33561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	मध्य प्रदेश	78653	7482769	79836	7579750	1438571	1620062	86191	7729652	1589610	1840828	83343	7649784	1479824	1833917
15.	महाराष्ट्र	71056	10125032	74591	9930938	1445355	1378455	82941	9721167	1476344	1131515	84659	9665382	1418494	1160544
16.	मणिपुर	3007	279648	2992	287506	7182	114317	3027	296211	8038	146380	3035	305695	7366	158586
17.	मेघालय	4451	419112	5662	434702	उ.न.	उ.न.	6213	485980	26511	460469	6705	502573	उ.न.	N.A.
18.	मिजोरम	181	98239	1175	93608	11	93597	1266	94042	9	94033	911	91105	0	91105
19.	नागालैंड	2177	159664	2177	159664	उ.न.	उ.न.	1654	173598	0	173598	1654	173598	0	173598
20.	उड़ीसा	41467	4423250	42655	4621934	983144	1047250	51931	4631826	984064	1141792	55170	5151346	1051628	1435962
21.	पंजाब	13084	1659750	13129	1620811	868429	0	13237	1559682	874903	0	13237	1498697	874903	0
22.	राजस्थान	55042	6221663	73061	7177718	1359431	950869	73708	7678153	1813451	1070116	74719	7662192	1575546	1232137
23.	सिक्किम	740	80670	745	77033	4621	8487	739	76828	0	0	885	83602	4009	9172
24.	तमिलनाडु	36533	5800543	36620	5401644	1544513	87262	38174	5529945	1352853	65439	35646	4305932	1140228	68831
25.	त्रिपुरा	3018	474655	2951	459981	88780	152630	3039	453854	86333	150507	4727	458020	85156	172182
26.	उत्तरांचल	10944	763093	11368	821507	83411	20344	11331	787193	218805	16449	12112	811204	205636	31287
27.	उत्तर प्रदेश	83557	15837747	86173	14855697	4683007	7223	98205	16374892	5562959	15990	93187	16996916	5726035	16806
28.	पश्चिम बंगाल	58595	9581419	53377	10563148	2329642	540608	62410	10268683	2656265	693260	43145	10290761	2319204	583196
29.	अंडमान और निकोबार	314	38461	313	35886	0	3088	313	35179	0	2949	361	35186	0	3332
30.	चंडीगढ़	36	18662	214	41720	उ.न.	उ.न.	106	42520	11562	0	106	42366	11562	0
31.	दादर व नगर हवेली	177	25807	190	26004	उ.न.	उ.न.	209	29480	558	24338	209	30176	587	24472
32.	दमन व दीव	93	15124	82	15214	618	2427	82	15163	580	2126	82	15187	601	2091
33.	दिल्ली	2232	1010533	2282	1010919	191244	203	2305	1036711	166773	2760	2403	1078241	178069	180
34.	लक्षद्वीप*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.	पांडिचेरी	411	62349	411	62349	24046	0	366	62349	13803	0	337	53221	13438	0
	कुल	769095	103452587	803928	103594682	21272488	9244723	879602	105665960	22638260	9830558	903778	108727254	22004919	12268881

*संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप अपना मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चला रहा है।

स्रोत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार।

●2002-03 से पहले मंत्रालय द्वारा श्रेणीवार (अ.जा./अ.ज.जा.) आंकड़े तैयार नहीं किये गये।

[हिन्दी]

रसायनों और उर्वरकों पर कर

2831. श्री नीतीश कुमार:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ताओं को रसायनों और उर्वरकों पर केन्द्रीय कराधान के अलावा राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए करों का भुगतान करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में देश के प्रत्येक राज्य में रसायनों और उर्वरकों पर किन दरों से कर लगाया जा रहा है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले करों की संपूर्ण धनराशि का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2003-2004 के दौरान यह धनराशि रसायनों और उर्वरकों की औसत उत्पादन लागत का कितना प्रतिशत है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) वर्तमान में यूरिया एकमात्र ऐसा उर्वरक है जिस पर मूल्य नियंत्रण है जबकि फॉस्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त उर्वरक नियंत्रणमुक्त हैं। नियंत्रित उर्वरक होने के कारण यूरिया का मूल्य सरकार द्वारा सांविधिक रूप से अधिसूचित किया जाता है और नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये जाते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) के अधिकतम खुदरा मूल्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट किये जाते हैं। अधिकतम खुदरा मूल्यों/निर्दिष्ट खुदरा मूल्यों में केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य बिक्री कर और अन्य स्थानीय कर जहां कहीं लगाये जाते हैं, शामिल नहीं होते हैं।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा लगाये गये बिक्री कर तथा अन्य करों की दरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) चूंकि केन्द्र सरकार उर्वरकों पर बिक्री कर नहीं लगाती है अत: केन्द्र सरकार द्वारा उर्वरकों पर लगाये गये कर की राशि शून्य है। जहां तक राज्य सरकारों द्वारा लगाये गये करों की राशि का संबंध है, ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता क्योंकि इन करों की अदायगी इन उर्वरकों के उपभोक्ताओं अथवा उत्पादकों द्वारा की जाती है।

विवरण

उर्वरकों पर बिक्री कर तथा अन्य स्थानीय कर
(1 अक्तूबर 2003 की स्थिति के अनुसार)

राज्य का नाम	कर का नाम	दर
1	2	3
पूर्व		
असम	बिक्री कर	4 प्रतिशत
	बिक्री कर पर अधिभार	10 प्रतिशत
	कारोबार कर	शून्य
	प्रवेश कर	शून्य
बिहार	बिक्री कर	6 प्रतिशत
	बिक्री कर पर अधिभार	10 प्रतिशत
	कारोबार कर	शून्य
	प्रवेश कर	शून्य
	कोई अन्य कर	1 प्रतिशत मल्टी प्वाइंट
झारखंड	बिक्री कर	4 प्रतिशत
	बिक्री कर पर अधिभार	10 प्रतिशत
	कारोबार कर	शून्य
	प्रवेश कर	शून्य
उड़ीसा	बिक्री कर	4 प्रतिशत
	बिक्री कर पर अधिभार	15 प्रतिशत
	कारोबार कर	शून्य
	प्रवेश कर	शून्य
पश्चिम बंगाल	बिक्री कर	4 प्रतिशत
	बिक्री कर पर अधिभार	15 प्रतिशत
	कारोबार कर	शून्य
	प्रवेश कर	शून्य

1	2	3
मणिपुर	बिक्री कर	4 प्रतिशत
	बिक्री कर पर अधिभार	शून्य
	कारोबार कर	शून्य
	प्रवेश कर	शून्य
मेघालय	बिक्री कर	4 प्रतिशत
	बिक्री कर पर अधिभार	1 प्रतिशत
	कारोबार कर	शून्य
	प्रवेश कर	शून्य
नागालैण्ड	बिक्री कर	4 प्रतिशत
	बिक्री कर पर अधिभार	शून्य
	कारोबार कर	शून्य
	प्रवेश कर	शून्य
त्रिपुरा	बिक्री कर	4 प्रतिशत
	बिक्री कर पर अधिभार, प्रवेश कर, कारोबार कर आदि	शून्य
उत्तर		
हरियाणा	बिक्री कर	शून्य
	प्रवेश कर, कारोबार कर आदि	शून्य
दिल्ली	बिक्री कर	4 प्रतिशत
	बिक्री कर पर अधिभार, प्रवेश कर, कारोबार कर आदि	शून्य
जम्मू एवं कश्मीर	बिक्री कर	4 प्रतिशत निर्गम मूल्य पर 5 प्रतिशत
	बिक्री कर पर अधिभार	रु. 401.11/टन उर्वरक
	प्रवेश कर	सामग्री
पंजाब	बिक्री कर	शून्य
	प्रवेश कर, कारोबार कर आदि	शून्य
उत्तर प्रदेश	व्यापारकर (नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों और केवल एनपी/एनपीके मिश्रितों के नाइट्रोजन घटकों पर लागू)	6.5 प्रतिशत
	अन्य कोई कर	शून्य

1	2	3
उत्तरांचल	व्यापार कर (नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों और केवल एनपी/एनपीके मिश्रितों के नाइट्रोजन घटकों पर लागू)	6.5 प्रतिशत
	अन्य कोई कर	शून्य
दक्षिण		
आंध्र प्रदेश	बिक्री कर*	4 प्रतिशत
	बिक्री कर पर अधिभार	शून्य
	कारोबार कर	शून्य
	प्रवेश कर	शून्य
कर्नाटक	बिक्री कर*	4 प्रतिशत
	बिक्री कर पर अधिभार	शून्य
	कारोबार कर	शून्य
	प्रवेश कर	शून्य
केरल	बिक्री कर*	4 प्रतिशत
	बिक्री कर पर अधिभार	15 प्रतिशत
	कारोबार कर	शून्य
	प्रवेश कर	शून्य
तमिलनाडु	बिक्री कर*	4 प्रतिशत
	बिक्री कर पर अधिभार	5 प्रतिशत
	कारोबार कर: कर योग्य कारोबार की निम्नलिखित स्लैब्स के अनुसार सभी उर्वरकों पर लागू	शून्य
	10 करोड़ रुपए तक	शून्य
	10 से 25 करोड़ रुपए तक	1.0 प्रतिशत
	25 से 50 करोड़ रुपए तक	1.5 प्रतिशत
	50 से 100 करोड़ रुपए तक	2.0 प्रतिशत

1	2	3
	100 से 300 करोड़ रुपए तक	2.5 प्रतिशत
	300 करोड़ रुपए	3 प्रतिशत
	प्रवेश कर	शून्य
पांडिचेरी	बिक्री कर*	1 प्रतिशत
	बिक्री कर पर अधिभार	शून्य
	कारोबार कर	शून्य
	प्रवेश कर	शून्य
पश्चिम		
गुजरात	बिक्री कर	6 प्रतिशत (केवल नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों पर)
	बिक्री कर पर अधिभार	10 प्रतिशत
	कारोबार कर	शून्य
	प्रवेश कर	शून्य
	अन्य कोई स्थानीय कर (चुंगी)	अलग-अलग स्थान पर 1 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न
मध्य प्रदेश	वाणिज्यिक कर प्रवेश कर कारोबार कर आदि	शून्य
छत्तीसगढ़	बिक्री कर	4 प्रतिशत
	बिक्री कर पर अधिभार	15 प्रतिशत
	कारोबार कर	शून्य
	प्रवेश कर	शून्य
महाराष्ट्र	बिक्री कर	4 प्रतिशत
	बिक्री कर पर अधिभार	शून्य
	कारोबार कर	शून्य
	प्रवेश कर	अलग-अलग स्थान पर भिन्न-भिन्न
	अन्य कोई स्थानीय कर (चुंगी)	1 प्रतिशत से 3 प्रतिशत अलग-अलग स्थान पर भिन्न-भिन्न
राजस्थान	बिक्री कर	4 प्रतिशत
	बिक्री कर पर अधिभार	15 प्रतिशत
	कारोबार कर	शून्य
	प्रवेश कर	शून्य
गोवा	बिक्री कर	4 प्रतिशत
	बिक्री कर पर अधिभार	10 प्रतिशत
	कारोबार कर	शून्य
	प्रवेश कर	शून्य

*प्रथम बिक्री प्वाइंट पर केवल प्वाइंट बिक्री कर

टिप्पणियां:

1. रसायन उर्वरकों के अन्तः राज्य संचालन पर दिनांक 1.1.75 प्रपत्र 'ग' और 'घ' में शामिल होने की स्थिति में 4 प्रतिशत अन्यथा 10 प्रतिशत की दर से बिक्री कर लागू है।
2. जिन राज्यों में कोई बिक्री कर नहीं है, उन्हें शामिल किया गया है।

(स्रोत: उर्वरक सांख्यिकी 2002-03, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया)

[अनुवाद]

पोर्ट ब्लेयर में जल आपूर्ति

2832. श्री मनोरंजन भक्त: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से धानीखरी बांध की ऊंचाई को बढ़ाकर पोर्ट ब्लेयर और अन्य क्षेत्रों में जल आपूर्ति से संबंधित कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन का विचार पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका क्षेत्र और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक और किस रूप में मंजूरी मिलने की संभावना है और उस पर क्या कार्यवाही की जायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव की जांच की गई और तकनीकी टिप्पणियां इस संघ शासित प्रदेश प्रशासन को अप्रैल, 2004 में भिजवा दी गई थी। उपर्युक्त प्रस्ताव पर मंत्रालय की इन टिप्पणियों का उत्तर अभी इस संघ शासित प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। इस संघ शासित प्रदेश सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा जल संसाधन की दृष्टि से जल संसाधन मंत्रालय से अनुमोदन अभी नहीं लिया है जो प्रशासनिक और तकनीकी अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवश्यक है। तकनीकी टिप्पणियों का उत्तर भी इस संघ शासित प्रदेश सरकार द्वारा अभी भेजे जाने हैं।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) इस प्रस्ताव का अनुमोदन अंडमान व निकोबार प्रशासन द्वारा इस मंत्रालय के सुझावों के अनुपालन पर निर्भर है। इस स्थिति में कोई समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

सीमा पर बाड़ लगाना

2833. श्री संतोष गंगवार: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार सीमा पर बाड़ लगाने से संबंधित योजना के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां बाड़ लगाने का कार्य पूर्ण हो गया है और जहां अभी पूर्ण किया जाना बाकी है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूर्ण किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) सरकार ने भारत-पाकिस्तान तथा भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर बाड़ के निर्माण का कार्य हाथ में लिया है। बाड़ लगाने के पूरे कर लिए गए कार्य तथा शेष कार्य के पूरा होने की समय-सारणी का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	अब तक सीमा पर निर्मित बाड़ की लम्बाई (किलोमीटर में)	लगाई जाने वाली शेष बाड़ की लम्बाई (किलोमीटर में)	कार्य पूरा होने का सम्भावित वर्ष
भारत-पाकिस्तान सीमा			
पंजाब	457	कार्य पूरा कर लिया गया	-
राजस्थान	1048	कार्य पूरा कर लिया गया	-
जम्मू और कश्मीर	147*	33	2005
गुजरात	36	274	2005
भारत-बांग्लादेश सीमा			
पश्चिम बंगाल	1029.93	498.07	2006
असम	153.294	70.516	2006
मेघालय	226.14	172.92	2006
त्रिपुरा	142.13	593.87	2006

*जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगाई गई बाड़

भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा में विभिन्न क्षेत्रों में निष्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में है। बाड़ लगाने का सम्पूर्ण कार्य वर्ष 2006 तक पूरा कर लिए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की रिक्तियां

2834. श्री विजय कृष्णा:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को नये शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने से पूर्व शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की रिक्तियों को भरने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अभी भी बहुत से पद रिक्त पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को नये शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने से पूर्व शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की रिक्तियों को भरने के लिए कोई विशेष निर्देश जारी नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) संसद अधिनियमों द्वारा स्वायत्त निकायों के रूप में स्थापित और शामिल किए जाने के कारण केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पदों सहित विभिन्न पदों पर नियुक्तियां संबंधित सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत गठित चयन समितियों की सिफारिशों पर संबंधित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की कार्यकारी परिषद्/प्रबंधन बोर्ड द्वारा की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि आयोग द्वारा वित्तपोषित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुछ पद रिक्त पड़े हैं (सूची विवरण के रूप में संलग्न है)। विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समितियों में विजिटरों के लिए नामतियां भेजने में मंत्रालय की भूमिका सीमित है। इस उद्देश्यार्थ संबंधित प्रस्तावों पर पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है।

विवरण

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की रिक्तियों की सूची

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	31.3.2004 की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत शिक्षण रिक्त पदों की कुल संख्या					31.3.2004 की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत गैर-शिक्षण रिक्त पदों की कुल संख्या				
		प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरर	अन्य	कुल	समूह-क	समूह-ख	समूह-ग	समूह-घ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	22	46	शून्य	13	81	13	18	200	107	338
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	215	228	288	–	731	140	146	900	903	2089
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	88	138	146	11	383	74	37	247	173	531
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	19	22	24	8*	73	12	6	35	60	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	जामियां मिलिया इस्लामिया	2	17	22	15*	56	14	4	55	64	137
6.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	46	56	39	-	141	36	52	65	91	244
7.	पूर्वोत्तर हिल्स विश्वविद्यालय	25	29	13	-	67	6	शून्य	60	22	88
8.	पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय	12	8	22	1	43	15	4	37	55	111
9.	विश्वभारती	13	21	42	6*	82	15	21	82	183	301
10.	असम विश्वविद्यालय	15	17	58	1	91	6	-	3	3	12
11.	तेजपुर विश्वविद्यालय	9	12	10	-	31	3	1	4	शून्य	8
12.	नागालैंड विश्वविद्यालय	12	शून्य	11	शून्य	23	4	5	1	1	11
13.	मिजोरम विश्वविद्यालय	8	14	37	शून्य	59	11	10	62	15	98
14.	बी.एस.ए. विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	शून्य	1	शून्य	3
15.	एम.जी.ए. हिन्दी विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	1	शून्य	शून्य	3
16.	एम.ए.एन. उर्दू विश्वविद्यालय	शून्य	1	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	486	609	712	55	1862	353	305	1752	1677	4087

*स्कूल शिक्षक

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन

2835. श्री देविदास पिंगले: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन सुविधा नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए महाराष्ट्र से प्राप्त आवेदनों की संख्या और निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) शेष मामलों को अभी तक न निपटाए जाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (घ) जी नहीं, श्रीमान। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के प्रावधानों के अधीन मृतक स्वतंत्रता सेनानी पेंशनरों की विधवाएं उनकी मृत्यु अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो, तक परिवार पेंशन पाने की हकदार हैं। पेंशन वितरण प्राधिकारियों को स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु होने पर विधवा(ओं) के पक्ष में पेंशन का अंतरण करने की शक्तियां दी गई हैं। स्वतंत्रता सेनानी विधवा(ओं) के पक्ष में पेंशन का अन्तरण करने के लिए इस मंत्रालय से कोई अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों के अंतर्गत सहायता में वृद्धि

2836. श्री छत्तर सिंह दरबार:
श्री पी. करुणाकरण:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को आंगनवाड़ी केन्द्रों के एक रुपये के निर्धारित भोजन प्रति दिन प्रति लाभ प्राप्तकर्ता को बढ़ावा का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों की राय मांगी है;

(ग) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्यों को अतिरिक्त अनुदान राशि प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) आज की स्थिति के अनुसार रसोई घर और खाना पकाने हेतु शेड के निर्माण के लिए प्रदत्त अनुदान का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.4.2004 के अपने आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

"हमने यह देखा है कि वर्ष 1991 में प्रत्येक बच्चे के लिए 1 रुपये के पोषक भोजन की आपूर्ति का मानक निर्धारित किया गया था। सरकार को एक रुपये के मानक में संशोधन पर विचार करना चाहिए तथा अपने सुझाव को शपथ-पत्र में शामिल करना चाहिए।"

(ख) जी, हां।

(ग) राज्यों से प्राप्त सुझावों में समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषण हेतु 1.75 रुपये से 5.00 रुपये तक प्रतिदिन प्रति लाभार्थी मानकों का उल्लेख किया गया है।

(घ) से (च) आई.सी.डी.एस. स्कीम के पैटर्न के अंतर्गत, मानकों के अनुसार पूरक पोषण प्रदान करने का दायित्व राज्यों का है।

(छ) आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत भोजन पकाने के लिए किचन शेडों के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, विश्व बैंक सहायता-प्राप्त परियोजना के अंतर्गत 8816 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है। इन आंगनवाड़ी केन्द्रों की अनुमानित लागत 1.25 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र है। यह लागत केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75 : 25 के अनुपात में वहन की जाती है।

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में भी विशेष मामले के रूप में, आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण I

विश्व बैंक सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत निर्माणार्थ संस्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्माणार्थ आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या जिनके लिए निधियां निर्मुक्त की गई हैं
1.	केरल	1600
2.	महाराष्ट्र	4453
3.	राजस्थान	3333
4.	तमिलनाडु	82
5.	उत्तर प्रदेश	4548
6.	बिहार	1430
7.	छत्तीसगढ़	405
8.	झारखंड	581
9.	मध्य प्रदेश	1445
10.	उड़ीसा	1863
11.	उत्तरांचल	950
12.	गुजरात	800
13.	पश्चिम बंगाल	983
14.	कर्नाटक	650
15.	हरियाणा	408
16.	जम्मू व कश्मीर	425
17.	पंजाब	500
18.	आंध्र प्रदेश	8816

विवरण II

पूर्वोत्तर राज्यों में निर्माणार्थ संस्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्य-वार संख्या तथा निर्मुक्त निधियां

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 में निर्माणार्थ संस्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	निर्मुक्त निधियां
1.	अरुणाचल प्रदेश	910	1900.00
2.	असम	7090	11535.00
3.	मणिपुर	1315	2053.125
4.	मेघालय	700	1118.75
5.	मिजोरम	420	800.00
6.	नागालैंड	710	1275.00
7.	त्रिपुरा	1160	2250.00
8.	सिक्किम	95	140.625

डी.डी.ए. कालोनियों में टैंकरों द्वारा जलापूर्ति

2837. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित विभिन्न कालोनियों में विशेषकर कोण्डली-घरौली, मयूर बिहार, फेज-3 में स्वच्छ पेयजल की कमी के कारण टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो टैंकरों द्वारा जलापूर्ति को कब तक बन्द कर दिया जायेगा और सामान्य पेय जल की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) दिल्ली जल बोर्ड ने यह सूचित किया है कि मयूर विहार फेज-3 तथा कोंडली-घरोली आवास स्कीम में पानी की आपूर्ति नलकूप के जरिए की जा रही है तथा टैंकरों के जरिये आपूर्ति को बढ़ाया भी जा रहा है।

(ख) टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति पानी की उपलब्धता पर निर्भर है जो सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र के चालू होने के बाद बढ़ जाएगी।

रिहायशी क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों में बदलना

2838. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार दिल्ली में 70 प्रतिशत कुटीर उद्योग वाले क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में कुछ प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) 70 प्रतिशत से अधिक संकेन्द्रण वाले रिहायशी तथा गैर-नियोजित क्षेत्रों में स्थिति उद्योगों के स्वस्थाने नियमितिकरण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से एक प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से फरवरी, 2002 में केन्द्र सरकार को प्राप्त हुआ था सिविल रिट याचिका सं. 4677/1985-एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 7 मई, 2004 को आदेश पारित किया है जिसमें पहली अगस्त, 1990 को या उसके बाद दिल्ली के रिहायशी/गैर-नियोजित क्षेत्रों में बनी सभी औद्योगिक इकाइयों को आदेश में निर्धारित सारणी के अनुसार छह माह की अवधि के भीतर बंद करने का निर्देश दिया गया है।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों को मताधिकार

2839. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के समक्ष अनिवासी भारतीयों को मताधिकार प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

समुद्र तटीय/सीमा क्षेत्र विकास

2840. श्री दिन्शा पटेल:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न समुद्र तटीय/सीमा राज्यों से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत समुद्र तटीय/सीमा क्षेत्र विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष योजना-वार विभिन्न राज्यों को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

हिरासत में मौतें

2841. श्री नकुल दास राई:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हिरासत में मौतों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् देश में राज्य-वार दर्ज की गई हिरासत में मौतों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार बढ़ती हुई हिरासत में मौतों को रोकने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) को सूचित न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत में हुई मौतों के मामले में कुल संख्या निम्न प्रकार है:

वर्ष	समस्त राज्य/संघ शासित क्षेत्र
2002-03	1340
2003-04	1462

वर्ष 2002-03 और 2003-04 (31.7.2004 तक) के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार को सूचित की गई हिरासत में हुई मौतों की राज्यवार संख्या दर्शाते हुए विवरण संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पांच मामलों में दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 1.4.2002 से 31.7.2004 तक की अवधि के दौरान न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के 17 मामलों में 13,05,000 रु. और पुलिस हिरासत में हुई मौतों के 14 मामलों में 12,65,000 रु. के कुल मुआवजे की अदायगी की भी सिफारिश की है।

(घ) और (ङ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। तथापि, केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करती रही है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं को रोकने हेतु समुचित कदम उठाए जाएं।

विवरण

वर्ष 2002-2003 से 2003-2004 (31.7.2004 तक) के दौरान राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सूचित न्यायिक हिरासत में हुई मौतों को दर्शाते हुए एक विवरण

राज्य	2002-2003			2003-2004			2004-2005 (31.7.2004 तक)		
	पु.हि.	न्या.हि.	कुल	पु.हि.	न्या.हि.	कुल	पु.हि.	न्या.हि.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	10	112	122	10	114	124	3	36	39
अरुणाचल प्रदेश	2	2	4	2	1	3	—	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
असम	15	13	28	6	18	24	1	3	4
बिहार	4	153	157	9	139	148	1	56	57
गोवा	—	1	1	—	—	—	—	1	1
गुजरात	17	34	51	20	37	57	4	18	22
हरियाणा	6	41	47	2	49	51	1	20	21
हिमाचल प्रदेश	—	2	2	—	2	2	—	3	3
जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कर्नाटक	16	49	65	4	52	56	3	11	14
केरल	4	50	54	4	51	55	1	24	25
मध्य प्रदेश	1	36	37	3	30	33	2	12	14
महाराष्ट्र	26	117	143	32	148	180	6	34	40
मणिपुर	—	1	1	—	—	—	—	—	—
मेघालय	3	3	6	3	3	6	1	2	3
मिजोरम	—	2	2	—	2	2	—	—	—
नागालैंड	—	—	—	—	0	0	—	—	—
उड़ीसा	1	41	42	1	52	53	—	18	18
पंजाब	9	65	74	7	81	88	3	19	22
राजस्थान	6	55	61	5	45	50	—	14	14
सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	17	51	68	12	106	118	3	37	40
त्रिपुरा	1	1	2	—	—	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	16	169	185	18	199	217	2	65	67
पश्चिम बंगाल	16	49	65	13	43	56	5	17	22
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	1	1
चंडीगढ़	—	3	3	—	4	4	—	1	1
दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दिल्ली	2	30	32	3	22	25	2	14	16
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	1	—	1	1	—	1	—	—	—
छत्तीसगढ़	3	29	32	2	42	44	1	9	10
झारखण्ड	6	41	47	3	53	56	2	18	20
उत्तरांचल	1	7	8	2	7	9	1	4	5
कुल मामले	183	1157	1340	162	1300	1462	42	438	480

शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावासों को अनुदान

2842. श्री मंजुनाथ कुन्नूर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शैक्षणिक संस्थानों में अधिवास और छात्रावास की सुविधाओं को आरंभ करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत वर्ष 2002-2003 के दौरान कर्नाटक को प्रदत्त अनुदान सहित राज्य में ऐसे संस्थानों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2002-03 और 2003-04 हेतु अनुदानों को जारी करने के लिए कर्नाटक के लम्बित आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) केन्द्र सरकार की प्रायोजित चालू योजना के तहत अनुदानों को जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) अधिवास और छात्रावास की सुविधाओं को आरंभ करने के लिए केन्द्र सरकार की प्रायोजित चालू योजना के तहत कर्नाटक से प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(ङ) इनकी मौजूदा स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) वर्ष 2002-2003 के दौरान समानता सहित सुलभता योजना के अंतर्गत माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर छात्राओं को भोजन तथा आवास की सुविधाएं प्रदान करने के लिए कर्नाटक राज्य स्थित गैर-सरकारी संगठनों को लगभग 1.61 करोड़ रु. की राशि निर्मुक्त की गई थी।

(ख) और (घ) वर्ष 2002-2003 तथा 2003-04 के दौरान, 78 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से 41 लम्बित हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान, कर्नाटक राज्य सरकार की सिफारिशों सहित गैर-सरकारी संगठनों के 27 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (ङ) यह योजना समीक्षाधीन है और नए प्रस्तावों की जांच अपेक्षित है। यह विलम्ब गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत अपर्याप्त दस्तावेजों के कारण हुआ और नए प्रस्तावों की दिशा-निर्देशों के संदर्भ में जांच करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावों पर विचार करना एक सतत प्रक्रिया है।

आजीविका केन्द्रित पाठ्यक्रमों के लिए वित्त आवंटन

2843. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2003-2004 के दौरान स्नातक स्तर पर आजीविका केन्द्रित पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए महाविद्यालयों/संस्थानों को कोई धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या ये पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिए गए हैं अथवा अभी आरम्भ किये जाने हैं;

(ग) आरम्भ किये गए अथवा आरम्भ किये जाने वाले पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इन पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने के पश्चात् छात्रों को रोजगार प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार वर्ष 2003-04 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 368 कालेजों और 2 विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की तथा कैरियर उन्मुख स्कीम के अंतर्गत 2320.00 लाख रु. की राशि प्रदान की। वर्ष 2003-04 के दौरान अनुमोदित पाठ्यक्रम, कालेजों/संस्थाओं द्वारा शैक्षिक वर्ष 2004-05 से आरम्भ किये जा सकते हैं। ऐसे पाठ्यक्रम कला/सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य आदि जैसे विषयों में आरम्भ किये जा सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कैरियर उन्मुख स्कीम में इस प्रकार के पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् छात्रों को रोजगार की गारंटी नहीं दी जाती है।

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के उत्थान हेतु अनुदान

2844. श्री महावीर भगोरा:
श्री धनसिंह रावत:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के उत्थान हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु किन-किन मानदंडों का अनुपालन किया जाता है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) और (ख) जी, हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु अनेक केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इस मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इन योजनाओं के अधीन अनुदान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों की विस्तृत जांच के पश्चात, संगत योजनाओं की पात्रता की शर्तों को पूरा करने और निधियों की उपलब्धता पर प्रदान किये जाते हैं।

विवरण

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय की मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम

1. कोचिंग और सम्बद्ध योजना सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान
2. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
3. कम साक्षरता वाले पॉकिटों में शैक्षिक परिसर
4. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) को निवेश/मूल्य समर्थन
5. लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान
6. ग्राम अन्न बैंक
7. आदिम जनजातीय समूहों का विकास
8. राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों को समर्थन
9. अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक तथा प्रतिभा उन्नयन की स्कीमें
10. अनुसूचित जनजातीय लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की स्कीमें
11. जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल
12. अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार तथा अन्य
13. जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता
14. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता-अनुदान।

[अनुवाद]

अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु स्पेशल क्रैक फोर्स

2845. श्री तथागत सत्पथी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केवल अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए स्पेशल क्रैक फोर्स की स्थापना करने पर विचार कर रही है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अतिविशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा उपलब्ध करवाने के मानदण्ड क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में कितनी धनराशि व्यय किये जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) इस समय, अतिविशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा या तो केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए गए खतरे की आशंका के मूल्यांकन के आधार पर या संबंधित अतिविशिष्ट व्यक्तियों के स्थितीय आधार पर प्रदान की जाती है।

(घ) स्पेशल क्रैक फोर्स के गठन पर व्यय किये जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। चूंकि संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के सुरक्षा कर्मचारी, संचार उपकरण, परिवहन, आसूचना एकत्र करने और समग्र पर्यवेक्षण आदि पर होने वाले व्यय शामिल होता है इसलिए अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर होने वाले व्यय की सही-सही राशि ज्ञात करना कठिन है।

ट्राइफेड द्वारा निष्पादित कार्य

2846. श्री विक्रम केशरी देव: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ द्वारा निष्पादित कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जनजातीय लोगों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से छोटे-मोटे वन उत्पादों की खरीद करने के लिए कोई संग्रहण केन्द्र स्थापित किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में जनजातीय लोगों को प्रदत्त सहायता कितनी है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) संलग्न विवरण में ब्यौरा दिया गया है।

(ख) और (ग) जैसाकि प्रश्न के भाग (क) में पहले बताया गया है ट्राईफेड ने वर्ष 2002-03 के बाद से अपने कार्यकलापों को व्यापार गतिविधियों से हटाकर विपणन विकास के अपने बुनियादी अधिदेश की ओर लगाया है। तथापि, अपने अधिदेश के रूप में प्रापण कार्यकलाप ट्राईफेड के सदस्य संगठन अर्थात जनजाति विकास सहकारी निगमों एवं वन विकास निगमों द्वारा किये जा रहे हैं। नई भूमिका के अधीन ट्राईफेड की भूमिका सेवा संभरक और विपणन विकासक के रूप में कार्य करने तक सीमित है।

विवरण

उड़ीसा में ट्राईफेड द्वारा किये जा रहे काय

प्रारंभ से संघ ने जनजातियों को लाभकारी मूल्य दिलाने और सदस्य सोसायटियों को जनजातियों से प्राप्त अपने स्टाकों के निपटान में मदद करने के उद्देश्य से जनजातीय उत्पाद के प्रापण में अपना ध्यान केन्द्रित किया है।

गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में ट्राइफेड द्वारा किये जा रहे प्रापण का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	लघु वन उत्पाद		एसएपी		कुल	
	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (लाख रुपए)	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रुपए)	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रुपए)
2000-01	2421	16.58	268.6	37.00	2689.6	202.9
2001-02	100.1	6.789	381.4	42.14	481.4	48.93
2002-03	-	-	403.2	67.9	403.2	67.9

संपूर्ण समीक्षा के बाद, ट्राइफेड ने वर्ष 2002-03 में अपने कार्यकलापों का पुन: अनुस्थापन किया और प्रत्यक्ष व्यापार कार्यकलापों से ध्यान लघु वन उत्पाद एवं कृषि उत्पाद की ओर, जनजाति उत्पाद के विपणन विकास के अपने बुनियादी अधिदेश की ओर, ध्यान केन्द्रित किया। ट्राइफेड ने 2.4.2003 से लागू नए बहु राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 तथा उसके अधीन बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार, अपने उपनियमों को संशोधित/आशोधित किया। उपनियमों के अनुसार ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य जनजातीय उत्पादों का विपणन विकास करने के लिए स्वयं सहायता एवं पारस्परिक सहकारिता के माध्यम से अपने कार्यों को व्यावसायिक, लोकतांत्रिक और स्वायत्तशासी तरीके से संचालित करके अपने सदस्यों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी के लिए एक से अधिक राज्यों में अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड्कपुर के सहयोग से शुरू की गई ग्रामीण प्रौद्योगिकी के माध्यम से साल के पत्तों से मौल्डिड डोना पत्तल के निर्माण के लिए एक जनजातीय उद्यमी परियोजना उड़ीसा राज्य में कार्यान्वित की जाएगी। परियोजना के अधीन सुंदरगढ़ जिले के गुरुंडिया ब्लॉक में पंकाधी पंचायत का क्षेत्र आएगा। इस परियोजना से 56 जनजातीय परिवारों को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार की परियोजना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों में दोहराई जा रही है।

बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीआई) के अधीन ट्राइफेड कारीगरों की पहचान के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण करने, जनजातीय कारीगरों के स्वयं सहायता समूह बनाने और उन्हें आवश्यक कौशल प्रशिक्षण देने और उड़ीसा राज्य में क्षमता निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने हेतु एक प्रस्ताव उपायुक्त (एच) को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। इस परियोजना से जनजातीय शिल्पकारों की उद्यमिता विकास और आय सृजन की संभावना है जो ट्राइब्स दुकान के जरिए उनके उत्पादों के विपणन हेतु ट्राइफेड की सप्लाई लाइन में संश्लेषित होगा।

ट्राइफेड के पास उड़ीसा राज्य में सबाई घास रस्सी बनाने के लिए पायलट परियोजनाएं स्थापित करने के प्रस्ताव भी हैं।

ट्राइफेड द्वारा जनजातियों को मुफ्त में कृषि और शहद रियरिंग में प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2002-03 के दौरान शहद बॉक्स (प्रत्येक 850 रुपए लागत) स्मोकर्स (प्रत्येक 150 रुपए लागत) शहद एक्सट्रेक्टर्स (प्रत्येक 90 रुपए लागत) मधुमक्खी रानी सहित मधुमक्खी कालोनियां (प्रत्येक 445 रुपए लागत) और शहद कृषि पुस्तक (प्रत्येक 40 रुपए लागत) 48 जनजातीय परिवारों को उपलब्ध कराई गई हैं। पायलट परियोजना की व्यवहार्यता जांच के बाद व्यापक पैमाने पर परियोजना दोहराई जाएगी। अब तक इस परियोजना पर 1.45 लाख रुपए की धनराशि खर्च की गई है।

जनजातियों की क्षमता निर्माण और कौशल विकास के उपाय के रूप में ट्राइफेड ने उड़ीसा राज्य में जनजातियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	प्रशिक्षण का ब्यौरा	प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्थान	प्रशिक्षित जनजातियों की संख्या	प्रशिक्षण पर व्यय धनराशि (रुपए में)
1.	जनजातीय उत्पादों के संवर्धन एवं विपणन पर कार्यशाला	क्योंझर, उड़ीसा	125	51,000
2.	शहद की कृषि	उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में लहुनीपारा	38	80,000

ग्राम अन्न बैंक योजना के अधीन ट्राइफेड ने अन्न बैंकों की स्थापना के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को निधियों की निर्मुक्ति की गई है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	निर्मुक्त धनराशि	स्थापित किए जाने वाले लक्षित अन्न बैंकों की संख्या	लाभार्थी परिवारों की संख्या	स्थापित अन्न बैंकों की संख्या	प्राप्त उपयोगिता	अन्न बैंकों की संख्या जिनकी रिपोर्ट प्रतिक्षित है	अपेक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र
2000-01	184.96	281	33132	263	172.94	18	12.02
2001-02	100	157	15700	102	82.42	55	17.58

वर्ष 2002-2003 और 2003-04 के दौरान कोई धनराशि स्वीकृत या निर्मुक्त नहीं की गई क्योंकि उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए।

शिक्षकों के रिक्त पद

2847. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि लगभग सभी राज्यों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण स्तर पर शिक्षकों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों से राज्यों में केन्द्र सरकार की प्रायोजित योजना को कार्यान्वित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को नियुक्त करने और शिक्षकों की अपेक्षित संख्या की भर्ती का अनुरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 2002-03 के दौरान प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, वरिष्ठ माध्यमिक/माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी की सूचना दी है उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

स्कूल का प्रकार	शिक्षकों की कमी बताने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम
प्राथमिक	बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
उच्च प्राथमिक	बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और दादरा और नगर हवेली
वरिष्ठ माध्यमिक/माध्यमिक	बिहार और पश्चिम बंगाल

(ग) से (ङ) सर्व शिक्षा अभियान के तहत निम्नलिखित मानदंडों का पालन करने के लिए शिक्षकों के अतिरिक्त पदों हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है:

(1) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की स्कूल शिक्षा में प्रत्येक 40 बच्चों के लिए एक शिक्षक।

(2) प्राथमिक स्कूल में कम से कम दो शिक्षक।

(3) उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नवाचारी योजना कार्यान्वित करने के लिए प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों की सेवाएं लेने का भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे शिक्षा के सभी स्तरों पर पर्याप्त शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के वास्ते निम्नलिखित पर तत्काल कार्रवाई शुरू करें:

(1) जिस जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के बारे में अभी तक मान्यता नहीं ली गई है उसके बारे में मान्यता के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की संबंधित क्षेत्रीय समिति से संपर्क करना।

(2) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में दाखिलों की सीमा अधिकतम 200 सीट तक बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव लाना और अतिरिक्त दाखिला के संबंध में अनुमोदन के लिए संबंधित क्षेत्रीय समिति से संपर्क करना।

(3) जिन राज्यों में शिक्षकों की भारी आवश्यकता और संस्थाओं की कमी जैसा असंतुलन है उन्हें यह सलाह दी गई है कि वे सेवाकालीन प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण में विश्वसनीय अनुभव रखने वाले गैर-सरकारी संगठन क्षेत्रों के अन्य संगठनों और संस्थाओं को प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करें।

(4) परिषद ने पहले ही एक विनियम अधिसूचित कर रखा है जिसके तहत प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त मौजूदा बी.एड. संस्थाओं और पहले से प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चला रही संस्थाओं को अपने दाखिलों की संख्या में वृद्धि करने के संबंध में 3 वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता से छूट दी गई है।

(5) जिन राज्यों में प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की कमी है लेकिन बी.एड. उम्मीदवारों का अतिरेक है उनसे अनुरोध

किया गया है कि वे 3 से 6 माह की अवधि का राज्य विशिष्ट कार्यक्रम लाए ताकि ऐसे बी.एड. उम्मीदवारों को प्राथमिक/प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ाने का प्रबोधन प्रदान किया जा सके। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से परामर्श करके अतिरेक बी.एड. उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए 6 माह की अवधि का एक विशेष बी.टी.सी. कार्यक्रम तैयार किया है ताकि वे प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने में सक्षम हो सकें। गुजरात सरकार ने भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के परामर्श से ऐसा ही कार्यक्रम तैयार किया है।

टी. और डी. प्रणाली में निजी भागीदारी

2848. **श्री सुग्रीव सिंह:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय ऊर्जा ग्रिड निगम ने नई संवितरण सुविधाओं की स्थापना करने के लिए निजी क्षेत्र से भागीदारी करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे क्षेत्र कौन से हैं जहां नई संवितरण प्रणाली स्थापित किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या उड़ीसा स्थित 16 घाटी ताप ऊर्जा स्टेशन निजी क्षेत्र द्वारा अधिगृहीत किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित निबंधन और शर्तें क्या हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी, नहीं।

(ख) पीजीसीआईएल ने ताला एचईपी के विद्युत को सिलीगुड़ी के पूर्वी क्षेत्र के संघटक राज्यों को तथा पूर्वी क्षेत्र के अधिशेष विद्युत को उत्तरी क्षेत्र को अंतरित करने के लिए गठित "ताला एचईपी से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली, पूर्वी उत्तर इन्टर कनेक्टर तथा उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली" के अंतर्गत कुछ पारेषण लाइनों को सक्रिय बनाने के लिए मैसर्स टाटा पावर के साथ संयुक्त उद्यम गठित किया गया है।

पीजीसीआईएल ने निजी निवेशकों के साथ संयुक्त उद्यम के जरिये कुछ लाइनों को सक्रिय बनाने के लिए उत्तरी क्षेत्र में कोल डैम एचईपी तथा पार्वती एचईपी, पूर्वी क्षेत्र में मैथन विद्युत परियोजना से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली तथा पश्चिम क्षेत्र के लिए प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम की पहचान की है।

(ग) और (घ) उड़ीसा में 16 वैली थर्मल पावर स्टेशन मौजूद नहीं है। यद्यपि उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार आईबी वैली ताप विद्युत संयंत्र का प्रबंधन उड़ीसा विद्युत उत्पादन निगम (ओपीजीसी) द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार का 51 प्रतिशत हिस्सा है तथा शेष 49 प्रतिशत हिस्सा दो कंपनियों, यथा एईएस (मॉरीशस) प्राइवेट लिमिटेड तथा एईएस (भारत) प्राइवेट लि. के पास है। ओपीजीसी का प्रचालन एवं प्रबंधन शेयरधारक समझौता, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और विद्युत क्रय समझौता में निर्धारित नियमों एवं शर्तों द्वारा शासित हैं। राज्य सरकार अब ओपीजीसी का आगे निजीकरण नहीं करना चाहती है।

हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में सीमा विवाद

2849. **श्रीमती प्रतिभा सिंह:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के बीच कोई सीमा विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विवादग्रस्त क्षेत्र कौन-से हैं;

(ग) ऐसे विवादों की वजह से ग्रामीणों को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) इस विवाद के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) उत्तरांचल की सरकार ने सूचित किया है कि हिमाचल प्रदेश के साथ लगे उत्तरांचल में देहरादून जिले के क्षेत्रों नामत: पंडरानू, स्नरन जंगल, कथांग गध, सिलासु खड्ड, पाताला जंगल, पशीधार और लोकलंग पिलर का हिमाचल प्रदेश के साथ विवाद चल रहा है।

(ग) इस सीमा विवाद के कारण ग्रामीणों के सामने आ रही समस्याओं के संबंध में केन्द्र सरकार के पास कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) किसी भी राज्य सरकार ने अपने सीमा विवाद सुलझाने के लिए केन्द्र सरकार से सम्पर्क नहीं किया है। अनिवार्य रूप से यह संबंधित राज्य सरकारों का काम है कि वे विचार-विमर्श और आपसी सहमति से अपने मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं।

अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का विकास

2850. **डा. पी.पी. कोया:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा कुछ दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो मिनीकॉय द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के लोगों द्वारा बोली जाने वाली महाल और धीवेही भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए अब तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) भारत सरकार देश में अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं के प्रति वचनबद्ध है। इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के अधीन अनेक संस्थान और संगठन स्थापित किए गए हैं। इन संगठनों में से केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर आदिवासी तथा अल्पसंख्यक भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं (हिन्दी, उर्दू, सिन्धी तथा संस्कृत, जिनके लिए पृथक संगठन मौजूद हैं, के अतिरिक्त) के विकास के लिए कार्य करता है। इस संस्थान की गतिविधियों में इन भाषाओं में अनुसंधान, सामग्री उत्पादन, अध्यापक प्रशिक्षण आयोजित करना तथा कार्यशालाएं, सेमिनार तथा सम्मेलन आदि आयोजित करना हैं। सीआईआईएल, मैसूर ने महाल भाषा में एक प्राइमर तैयार किया है तथा भाषा प्रशिक्षण विधियों तथा एप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में अनुकूलन कार्यक्रमों के जरिए महाल बोलने वाले समुदाय के अध्यापकों को प्रशिक्षित किया। संस्थान ने महाल में प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एक फिल्म भी तैयार की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

सेक्स वर्करों को लाइसेंस

2851. **डा. राजेश मिश्रा:**
श्री डी. विट्टल राव:
श्रीमती जयाबहन वी. ठक्कर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सेक्स वर्करों को लाइसेंस प्रदान कर वेश्यावृत्ति को वैध बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा उसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इनके परिवार के सदस्यों विशेषकर बच्चों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इस बारे में अब तक देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश एवं बिहार में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) महिलाओं, जो अंडरवर्ल्ड के प्रभाव में अवैध देह व्यापार, अवयस्कों को शोषण, असहाय सैक्स वर्करों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यों में शामिल हैं, के विरुद्ध क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महिलाओं एवं बच्चों का अवैध व्यापार तथा व्यावसायिक यौन शोषण निवारण कार्य योजना में यह परिकल्पित है कि राज्य सरकारें वेश्यावृत्ति वाले क्षेत्रों में आंगनवाड़ियों की स्थापना करें, व्यावसायिक यौन शोषण पीड़ितों के बच्चों को सरकारी/नगर निगम के स्कूलों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें, तथा उन्हें निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, वर्दियां भी प्रदान करें। किसी भी स्कूल अथवा छात्रावास में प्रवेश के लिए पिता का नाम लिखवाने का आग्रह नहीं किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, शिक्षा विभाग, श्रम मंत्रालय आदि की स्कीमों के अंतर्गत सतत् शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भी परियोजनाएं संस्वीकृत की जा रही हैं।

(घ) उत्तर प्रदेश तथा बिहार सहित सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु अपने कार्यक्रमों तथा स्कीमों के माध्यम से प्रयास किये हैं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण के लिए मुख्य सचिवों/अपर मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सलाहकार समितियों का गठन भी किया है। राज्य सरकारें केन्द्र सरकार को कार्य योजना के कार्यान्वयन के संबंध में तिमाही तथा द्विवार्षिक प्रगति रिपोर्टें भेज रही हैं।

(ङ) भारत ने वेश्यावृत्ति पर महिलाओं एवं बच्चों की अवैध व्यापार निवारण संबंधी दक्षेस कन्वेंशन की पुष्टि की है तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध विरोधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। अवैध व्यापार में प्रवृत्त अपराधियों के विरुद्ध मामले अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दर्ज किये जाते हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण

2852. श्री सुदाम मरन्डी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सम्पदा निदेशालय दुकानों/कियोस्क/स्टालों आदि के आबंटन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण देता है;

(ख) यदि हां, तो उसमें आरक्षण का प्रतिशत कितना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्तमान तिथि तक बकाया रिक्तियों का ब्यौरा दें;

(ङ) मंत्रालय तथा राज्य मंत्री के कार्यालय में 30 अक्टूबर, 2003 से 30 जून, 2004 तक "आल इंडिया एसोसिएशन फॉर एससीज/एसटीज एण्ड फिजिकली हैण्डीकैप्ड पीपुल्स अपलिफ्टमेंट" से प्राप्त पत्रों की संख्या एवं वे किस संबंध में थे; और

(च) इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (च) जी हां। 22.5 प्रतिशत दुकानें अनु. जाति/अनु. जनजाति और 3 प्रतिशत "शारीरिक रूप से विकलांगों" के लिए आरक्षित हैं। इस समय कोई बैकलॉग उपलब्ध नहीं है और इस अवधि के दौरान इस संगठन से न तो कोई पत्र प्राप्त हुआ तथा न ही कोई लंबित है।

राज्य को हुडको से ऋण

2853. श्री मानवेन्द्र सिंह: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) द्वारा दिए गए ऋण का वर्षवार एवं राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यवार लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना में विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों को प्रदान किये जाने वाले प्रस्तावित आवास ऋणों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से आवास क्षेत्र के लिए ऋण प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को आवास निर्माण के उद्देश्य से उपरोक्त बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋणों में से प्रत्येक राज्य को कितना ऋण प्रदान किया गया?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) (शहरी) और ईडब्ल्यूएस (ग्रामीण) श्रेणियों के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत ऋण तथा रिहायशी यूनिटों का राज्यवार (उत्तर प्रदेश सहित) तथा वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान हडको का आवास ऋण समझौता ज्ञापन लक्ष्य 3800 करोड़ रु. का था जिसमें से 1300 करोड़ रुपए ऋण स्वीकृति लक्ष्य प्राथमिक क्षेत्र श्रेणी के लिए था। वर्ष 2003-04 के लिए हडको का समग्र आवास ऋण स्वीकृति समझौता ज्ञापन लक्ष्य 3300 करोड़ रुपये का था जिसमें ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत स्वीकृतियां शामिल हैं। वर्ष 2003-04 के लिए 10.4 लाख के कुल रिहायशी यूनिट स्वीकृति समझौता ज्ञापन लक्ष्य में से 7.3 लाख रिहायशी यूनिटों का लक्ष्य ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणियों के तहत था। वर्तमान वर्ष 2004-05 में हडको ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए स्वीकृतियों सहित आवास ऋण स्वीकृति लक्ष्य 35.00 करोड़ रुपए का है। 2004-05 के दौरान स्वीकृति की जाने वाली कुल रिहायशी यूनिटों में से हडको का कुल रिहायशी यूनिटों में से 85 प्रतिशत समझौता ज्ञापन स्वीकृति लक्ष्य ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणियों के लिए है।

(घ) से (च) हडको द्वारा विश्व बैंक से कोई ऋण नहीं लिया गया है। तथापि, हडको ने वित्त वर्ष 1997-98 से 2002-2003 तक आवास परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से धन लिया था। एशियाई विकास बैंक ने अपने ऋण सं. 1550-आईएनडी आवास वित्त परियोजना-1 के तहत 100 मिलियन अमरीकी डालर का लाइन ऑफ क्रेडिट मंजूर किया था।

एशियन विकास बैंक और हडको के बीच करार के अनुसार एशियन विकास बैंक द्वारा दी गई राशियों का 50 प्रतिशत अल्प आय वर्ग परिवारों हेतु आवास परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु खर्च किया गया। स्कीमवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान ईडब्ल्यूएस (ग्रामीण तथा शहरी) श्रेणी के अंतर्गत राज्यवार स्वीकृत आवास ऋण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2001-2002				2002-2003				2003-2004			
	ग्रामीण		ईडब्ल्यूएस		ग्रामीण		ईडब्ल्यूएस		ग्रामीण		ईडब्ल्यूएस	
	ऋण	रिहा. यूनिट	ऋण	रिहा. यूनिट	ऋण	रिहा. यूनिट	ऋण	रिहा. यूनिट	ऋण	रिहा यूनिट	ऋण	यूनिट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
आंध्र प्रदेश	124.68	124681	41.65	4000	129.88	129879	29.42	46267	300.15	200079	0.00	19066
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	1600	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
असम	0.10	50	0.00	0	0.00	0	0.20	0	0.00	0	5.58	111
बिहार	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	128	0.00	0	0.00	512
चंडीगढ़	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
छत्तीसगढ़	0.00	0	24.45	10000	0.00	0	24.20	11000	0.00	0	24.20	10100
दादरा और नगर हवेली	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
दमन और दीव	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
दिल्ली	0.00	0	0.13	2016	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
गोवा	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
गुजरात	0.50	123	1.88	2304	0.00	0	0.00	18136	0.00	0	23.14	9259
हरियाणा	0.00	0	0.00	0	0.00	0	6.85	3263	0.00	0	0.00	0
हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
जम्मू और कश्मीर	0.00	0	0.00	557	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	894
झारखण्ड	0.00	0	1.00	500	0.00	0	0.00	10531	0.00	0	40.00	20000
कर्नाटक	115.30	107796	110.67	43679	161.00	161004	217.45	84595	143.56	2652342	85.23	43122
केरल	86.10	24600	2.00	1330	0.00	0	47.00	56540	55.13	15750	8.38	10586
लक्षद्वीप	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
मध्य प्रदेश	0.00	0	5.50	2200	0.00	0	7.25	4664	0.00	0	0.86	1983
महाराष्ट्र	0.00	0	0.00	4989	0.00	0	0.00	7166	0.00	0	4.50	33588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मणिपुर	0.00	0	0.00	80	0.00	0	10.00	780	0.00	0	0.00	940
मेघालय	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
मिजोरम	4.00	379	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	2.00	115
नागालैंड	0.00	0	0.00	40	0.00	0	4.0	323	0.00	0	0.00	603
उड़ीसा	0.00	0	0.00	905	20.00	5000	0.00	0	25.00	6259	0.00	377
पांडिचेरी	0.00	0	0.00	170	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	408
पंजाब	0.00	0	20.00	10000	0.00	0	12.56	4050	0.00	0	0.00	0
राजस्थान	2.80	2000	20.82	8280	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	800
सिक्किम	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
तमिलनाडु	56.69	46586	17.68	34712	69.38	37686	28.00	14915	67.07	0	0.00	11314
त्रिपुरा	0.00	0	1.92	462	0.45	100	0.54	801	0.00	0	0.00	1076
उत्तर प्रदेश	0.00	0	252.63	125000	0.00	0	0.00	5711	0.00	0	5.27	9709
उत्तरांचल	2.40	600	4.59	2167	0.00	0	2.14	890	0.00	0	3.89	2085
पश्चिम बंगाल	101.82	26298	8.71	8858	0.00	0	0.00	6468	0.00	0	0.00	4340
कुल	494.38	333113	513.62	263849	380.71	333669	389.61	276228	590.91	4873134	203.03	181988

विवरण II

एडीबी लाइन आफ क्रेडिट के तहत शामिल स्कीमें (ऋण सं. 1550-आईएनडी)

स्लम सुधार स्कीमें (लाख रु. में)

क्र.सं.	स्कीम सं.	राज्य	एजेंसी	स्कीम का नाम	परियोजना लागत	ग्रामीण	ईडब्ल्यू एस	एलआई जी	एमआई जी	एचआई जी	अन्य	कुल	रिहायशी यूनिटों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	16164	महाराष्ट्र	जेएमसी	जलगांव महाराष्ट्र में एस सं. 337/3ए/30 में एलआईजी के तहत 808 टी/एस का निर्माण	796.46	0.00	0.00	565.60	0.00	0.00	0.00	565.60	808
2.	16165	महाराष्ट्र	जेएमसी	जलगांव महाराष्ट्र में आर सं. 142, जी.सं. 1 में एलआईजी के तहत 480टी/एस का निर्माण	430.41	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	480
3.	14278	गुजरात	एसएसएनएल	गुजरात में एलआईजी आवास स्कीम	2315.97	0.00	0.00	1968.57	0.00	0.00	0.00	1968.57	3
4.	14347	कर्नाटक	केएससीबी	होलनरसीपुरा फेज-1 में स्लमवासियों के लिए एलआईजी आवास	22.13	0.00	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00	17.92	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	14348	कर्नाटक	केएससीबी	होलनरसीपुरा फेज-1 में स्लमवासियों के लिए एलआईबी आवास	33.20	0.00	0.00	26.89	0.00	0.00	0.00	26.89	50
6.	14349	कर्नाटक	केएससीबी	होलनरसीपुरा में स्लमवासियों के लिए एलआईबी आवास	38.35	0.00	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00	31.05	58
7.	14350	कर्नाटक	केएससीबी	अंबेडकर नगर में स्लमवासियों के लिए एलआईबी आवास	33.20	0.00	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00	26.88	50
8.	14351	कर्नाटक	केएससीबी	गांधीनगर में स्लमवासियों के लिए एलआईबी आवास	36.50	0.00	0.00	29.54	0.00	0.00	0.00	29.54	55
9.	14373	गुजरात	एसएसएनएल	सरदार सरोवर द्वारा लोगों के पुनर्वास के लिए आवास कार्यक्रम	4868.69	0.00	0.00	3906.08	0.00	0.00	0.00	3906.08	5581
10.	14377	तमिलनाडु	टीएनएससीबी	चित्रनगर चेन्नई फेस-2 में एलआईबी टेनामेंट	186.82	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00	168
11.	14443	तमिलनाडु	टीएनएससीबी	माउंटरोड त्रिपलीकेन में एलआईबी आवास	263.41	0.00	0.00	190.40	0.00	0.00	0.00	190.40	272
12.	14552	तमिलनाडु	टीएनएससीबी	पाथीनगर थंजावुर में एलआईबी आवास	163.37	0.00	0.00	106.78	0.00	0.00	0.00	106.78	144
13.	14553	तमिलनाडु	टीएनएससीबी	पाथीनगर थंजावुर में एलआईबी आवास	178.91	0.00	0.00	123.80	0.00	0.00	0.00	123.80	150
14.	14691	गुजरात	एसएमसी	सूरत में स्लम उन्नयन	176.50	0.00	158.84	0.00	0.00	0.00	0.00	158.84	50
15.	14692	गुजरात	एसएमसी	सूरत में स्लम उन्नयन	204.48	0.00	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00	171.92	50
16.	14705	अंडमान निको.	एएनएससीबी	पोर्ट ब्लेयर में एलआईबी आवास स्कीम	179.40	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	90
17.	14725	तमिलनाडु	टीएनएससीबी	एलआईबी आवास एससीएच सेलमम्पती, फेस-1 सलेम	237.95	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	240
18.	14728	तमिलनाडु	टीएनएससीबी	चेन्नई में स्लमवासियों के पुनर्वास के लिए एलआईबी आवास	119.78	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	96
19.	14759	तमिलनाडु	टीएनएससीबी	एलआईबी आवास एससीएच सेलमम्पती, फेस-1 सलेम	597.74	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	600
20.	14829	तमिलनाडु	टीएनएससीबी	चित्रनगर फेस-3 मद्रास में एलआईबी आवास	199.45	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	160
21.	14830	तमिलनाडु	टीएनएससीबी	कोयम्बटूर में राजीव गांधी नगर फेज-1 में एलआईबी आवास निर्माण	75.50	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	72
22.	15287	तमिलनाडु	टीएनएससीबी	चेन्नई वेल्लूर में एलआईबी आवास	136.82	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	112
23.	15401	हरियाणा	एचबीएच	फरीदाबाद सेक्टर 55 में एलआईबी आवास	375.78	0.00	0.00	210.29	0.00	0.00	0.00	210.29	426
24.	15402	हरियाणा	एचबीएच	फरीदाबाद सेक्टर 55 में एलआईबी आवास	368.76	0.00	0.00	217.30	0.00	0.00	0.00	217.30	420
25.	15513	मध्य प्रदेश	एमपीएचबी	बरेसिया रोड भोपाल में झुग्गी के लिए सीएचएस	159.52	0.00	0.00	48.48	53.57	0.00	0.00	102.05	274
26.	15979	केरल	केएसएचबी	शहरी क्षेत्र जीआर 16 में मैत्री ईडब्ल्यूएस सीएसएचएस	472.50	299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.25	1575
27.	15980	केरल	केएसएचबी	शहरी क्षेत्र जीआर 17 में मैत्री ईडब्ल्यूएस सीएसएचएस	472.50	299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.25	1575
28.	16108	केरल	केएसएचबी	केरल जीआर 4/99 में मैत्री ईडब्ल्यूएस (आर) आवास	472.50	299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.25	1575
29.	16109	केरल	केएसएचबी	शहरी क्षेत्र जीआर 16 में मैत्री ईडब्ल्यूएस सीएसएचएस	472.50	299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.25	1575
30.	16159	महाराष्ट्र	जेएमसी	खंडेर नगर जलगांव में 1912 एलआईबी आवासों का निर्माण	1776.35	0.00	0.00	1338.40	0.00	0.00	0.00	1338.40	1912
31.	16161	महाराष्ट्र	जेएमसी	इमरून जलगांव में 916 एलआईबी आवासों का निर्माण	2165.99	0.00	0.00	1673.00	0.00	0.00	0.00	1673.00	2390
32.	16162	महाराष्ट्र	जेएमसी	हरविठ्ठलनगर जलगांव में 234 एलआईबी आवासों का निर्माण	2016.70	0.00	0.00	1563.00	0.00	0.00	0.00	1563.00	2234
				कुल	20048.14	1197.00	330.76	13582.98	53.57	0.00	0.00	15144.31	26272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आवास बोर्ड तथा स्थानीय निकाय स्कीमें													
1.	9152	कर्नाटक	केएचबी	हूटगल्ली मैसूर जीआर 1 में एमआईजी आवास	236.49	0.00	0.00	236.49	0.00	0.00	0.00	236.49	204
2.	14211	आंध्र प्रदेश	एपीएचबी	श्रीकाकुलम फेज-5 में एलआईजी आवास	49.12	0.00	0.00	0.00	36.84	0.00	0.00	36.84	28
3.	14212	आंध्र प्रदेश	एपीएचबी	नालपाडु गुन्टुर जिले में सामु. आवास स्कीम	111.22	0.00	0.00	0.00	30.46	42.37	0.00	72.83	45
4.	14365	आंध्र प्रदेश	एपीएचबी	मेडक जिले, सिद्दीपेट में फेस-3 के तहत एमआईजी आवास	117.42	0.00	0.00	0.00	11.75	76.31	0.00	88.06	45
5.	14337	गुजरात	जीएचबी	खम्भात खेड़ा में एलआईजी आवास	25.57	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	30
6.	14338	गुजरात	जीएचबी	देहगाम अहमदाबाद में एलईजी आवास	26.67	0.00	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00	19.60	28
7.	14411	तमिलनाडु	टीएनएचबी	हुसूर धर्मपुरी फेज-4, साईट 2 में विकसित प्लाट पर एमआईजी आवास	169.35	0.00	0.00	0.00	127.02	0.00	0.00	127.02	65
8.	14428	केरल	केएसएचबी	ऑन स्पॉट कोट्टायम एचएफ एमआईजी आवास	590.93	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	72
9.	14429	केरल	केएसएचबी	ऑन स्पॉट इरनाकुलम एचएफ एमआईजी आवास	590.93	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	64
10.	14430	केरल	केएसएचबी	त्रिवेन्द्रम में एमआईजी सीएचएचएस	502.39	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	164
11.	14431	केरल	केएसएचबी	कोलम में एमआईजी सीएचएचएस	502.39	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	148
12.	14432	केरल	केएसएचबी	अल्पुजा में एमआईजी सीएचएचएस	502.39	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	173
13.	14478	छत्तीसगढ़	एसएडीए	कोबरा में कम्पो. आवास	117.97	0.00	0.00	30.38	56.17	0.00	0.00	86.55	100
14.	14479	मध्य प्रदेश	जेडीए	जबलपुर में नवीकरण/मरम्मत के लिए कम्पो. सी/एल आवास	333.33	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	1135
15.	14481	हिमाचल प्रदेश	एचपीएचबी	बद्दी फेस-3 सोलन में साम्य आवास कालोनी	2192.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1235.66	0.00	1235.66	496
16.	14531	आंध्र प्रदेश	एपीएचबी	भीमवरम फेस-4 पश्चिम गोदावरी में कम्पो. आवास	420.96	0.00	0.00	0.00	112.44	116.33	0.00	228.77	117
17.	14625	राजस्थान	आरएचबी	सीएचएस फेस-1 में अम्बरा घाटिया, आबू रोड, सिरोही	252.20	0.00	11.25	51.30	84.90	0.00	0.00	147.45	202
18.	14659	केएल	केएसएचबी	एमआईजीसीएलएचएस, पातनमथिता	502.39	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	142
19.	14660	केएल	केएसएचबी	एमआईजीसीएलएचएस, कोट्टम	502.39	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	150
20.	14666	केएल	केएसएचबी	एलआईजीसीसीएलएचएस, एसपी, केरल ग्रेड-1	355.26	0.00	0.00	297.50	0.00	0.00	0.00	297.50	433
21.	14667	केएल	केएसएचबी	एलआईजीसीसीएलएचएस, एसपी, केरल ग्रेड-2	355.26	0.00	0.00	297.50	0.00	0.00	0.00	297.50	431
22.	14668	केएल	केएसएचबी	एलआईजीसीसीएलएचएस, एसपी, केरल ग्रेड-3	355.26	0.00	0.00	297.50	0.00	0.00	0.00	297.50	426
23.	14704	आरजे	आरएचबी	सीएचएसपीएच-4 सैक्टर, 18, प्रताप जेबीआर, सांगनेर, जयपुर	429.99	0.00	0.00	207.89	28.14	0.00	0.00	236.03	516
24.	14729	आरजे	यूआईटीएजेएमआर	एलआईजीएचएस, कटरा, अजमेर	49.93	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	50
25.	14776	एचआर	एचबीएच	एलआईजीएचएस, सैक्टर-3, फरीदाबाद	286.12	0.00	0.00	220.52	0.00	0.00	0.00	220.52	328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.	14777	एचआर	एचबीएच	एलआईबीएचएस, सैक्टर-3, फरीदाबाद	218.08	0.00	0.00	168.08	0.00	0.00	0.00	168.08	250
27.	14778	एचआर	एचबीएच	एलआईबीएचएस, सैक्टर-3, फरीदाबाद	282.63	0.00	0.00	212.45	0.00	0.00	0.00	212.45	316
28.	14779	एचआर	एचबीएच	एलआईबीएचएस, सैक्टर-3, फरीदाबाद	240.76	0.00	0.00	178.84	0.00	0.00	0.00	178.84	266
29.	14789	जेके	जेआरएचबी	10, एमआईजी, एचएचबी, नक्षत्रनकच्छ	13.35	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	10
30.	14791	जेके	जेआरएचबी	11, एमजी, सीएलएचएस, जोटनमेसाना	19.89	0.00	0.00	0.00	12.10	0.00	0.00	12.10	11
31.	14839	आरजे	आरएचबी	सीएचएसपीएच-1, पाली	365.15	0.00	0.00	41.93	144.99	64.48	0.00	251.40	201
32.	14840	आरजे	आरएचबी	सीएचएस, पीएच-2, सैक्टर-1, कुरुभगतसानी जोधपुर	389.19	0.00	0.00	47.60	152.64	63.99	0.00	264.23	193
33.	14841	आरजे	आरएचबी	सीएचएस, पीएच-3, गुरुभगतसानी, जोधपुर राजस्थान	426.21	0.00	0.00	72.80	180.68	42.67	0.00	296.15	238
34.	14897	एपी	एपीएसएचसी	ईडब्ल्यूएस(आर) आवास योजना, पूर्वी गोदावरी जिला	514.20	299.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.95	4285
35.	14898	एपी	एपीएसएचसी	ईडब्ल्यूएस(आर) आवास योजना, विजय ग्राम जिला	514.20	299.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.95	4285
36.	14901	एपी	एपीएसएचसी	ईडब्ल्यूएस (आर) आवास योजना, पश्चिम गोदावरी जिला, ग्रेड-2	514.20	299.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.95	4285
37.	14902	एपी	एपीएसएचसी	ईडब्ल्यूएस (आर) आवास योजना, पश्चिम गोदावरी जिला, ग्रेड-1	514.20	299.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.95	4285
38.	14906	एपी	एपीएसएचसी	ईडब्ल्यूएस(आर) आवास योजना, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी	412.66	250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.10	2501
39.	14907	एपी	एपीएचएससी	ईडब्ल्यूएस(आर) आवास योजना, करनूल अनन्तपुर कुडप्पा, सी.	396.49	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.30	2403
40.	14908	एपी	एपीएसएचसी	ईडब्ल्यूएस(आर) आवास योजना, गुंटूर जिला	514.20	299.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.95	4285
41.	14909	एपी	एपीएसएचसी	ईडब्ल्यूएस(आर) आवास योजना, प्रकासम जिला	514.20	299.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.95	4285
42.	14913	एपी	एपीएसएचसी	ईडब्ल्यूएस(आर) आवास योजना, चित्तूर जिला ग्रेड-1 ग्रेड-3	514.20	0.00	299.95	0.00	0.00	0.00	0.00	299.95	4285
43.	14918	एपी	एपीएसएचसी	ईडब्ल्यूएस(आर) आवास योजना, निजामाबाद जिला	514.20	299.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.95	4285
44.	14921	एपी	एपीएसएचसी	ईडब्ल्यूएस (आर) आवास योजना, गुंटूर जिला, ग्रेड-1 ग्रेड-3	514.20	0.00	299.95	0.00	0.00	0.00	0.00	299.95	4285
45.	14922	केरल	केएसएचबी	एचआईजी, सीएसएचएस, कोझीकोड	590.93	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	81
46.	14926	केरल	केसएचबी	एमआईजी, एचएस, वायकर	220.90	0.00	0.00	0.00	165.68	0.00	0.00	165.68	41
47.	14927	केरल	केएसएचबी	एमआईजी, एचएस, सीएच, ठोडुपुझा, केरल	210.23	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	30
48.	14981	आरजे	आरएचबी	सीएचएस, फेज-2, अकराभट्ट, आबू रोड, सिरोही राजस्थान	289.61	0.00	0.00	63.77	144.92	0.00	0.00	208.69	190
49.	14986	सीएच	एसएडीए	सीएचएस, रविशंकर शुक्ल नगर, फेज-2, कोरबा	145.17	0.00	0.00	31.25	57.67	0.00	0.00	88.92	100
50.	14995	जेके	जीएचबी	218, एलआईजी, एचएस, कमलांचलपल्लक्च	214.19	0.00	0.00	152.60	0.00	0.00	0.00	152.60	218
51.	15040	एपी	एपीएसएचसी	कुर्नूल में चक्रवात पीड़ितों के लिए ई.डब्ल्यू.एस. (आर), आवास योजना	495.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	3000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52.	15067	केएल	केएससीएचएफ	एलआईबी, सीएलएचएस स्कीम, ग्रेड-22, केरल	1119.49	0.00	0.00	800.10	0.00	0.00	0.00	800.10	1336
53.	15068	केएल	केएससीएचएफ	एलआईबी, सीएलएचएस स्कीम, ग्रेड-22, केरल	1119.49	0.00	0.00	800.10	0.00	0.00	0.00	800.10	1627
54.	15074	डब्ल्यूबी	डब्ल्यूबीएचबी	सीएचएस, राजापुर, कोलकाता	807.45	0.00	0.00	0.00	126.00	320.00	0.00	446.00	304
55.	15163	केएल	केएसएचबी	कोट्टायम अलीपी में छितरे भूखंडों के संबंध में व्यापक मरम्मत तथा शहरी क्षेत्र पुनर्वास योजना	490.85	0.00	0.00	61.25	112.50	125.00	0.00	298.75	300
56.	15164	केएल	केएसएचबी	कोझीकोड, तुन्नूर में छितरे भूखंडों के संबंध में व्यापक मरम्मत तथा शहरी क्षेत्र पुनर्वास योजना	490.85	0.00	0.00	61.25	112.50	125.00	0.00	298.75	300
57.	15166	केएल	केएसएचबी	एलआईजी, सीएलएचएस, एसपी, केरल, ग्रेड-4	355.26	0.00	0.00	297.50	0.00	0.00	0.00	297.50	431
58.	15227	एचपी	एचपीएचबी	पीएसएफएस, सीएचएस, वृन्दावन, फेज-2, पालमपुर	854.02	0.00	0.00	0.00	150.29	325.85	0.00	476.14	82
59.	15244	केए	केएचबी	कम्पोजिट हाऊसिंग योजना, पोखागल, रायपुर, वर्ग-3	645.41	0.00	0.00	80.50	372.29	23.31	0.00	476.10	309
60.	15249	केएल	केएसएचबी	एलआईजी, सीएलएचएस, एसपी, ग्रेड-5	355.26	0.00	0.00	297.50	0.00	0.00	0.00	297.50	443
61.	15250	केएल	केएसएचबी	एलआईजी, सीएलएचएस, एसपी, ग्रेड-7	355.26	0.00	0.00	297.50	0.00	0.00	0.00	297.50	441
62.	15301	एमएच	एनआईटी	696, एलआईजी का निर्माण, कंबरी, नागपुर, एनआईटी	578.75	0.00	0.00	438.48	0.00	0.00	0.00	438.48	696
63.	15325	एमपी	एमपीएचबी	पीडीएस, पहाड़पुर, भोपाल, मध्य प्रदेश	388.01	0.00	24.28	45.31	99.50	102.85	0.00	271.94	1008
64.	15349	टीएन	टीएनएचबी	एमआईजी, एचएस, स्कीम, तिरुवल्लिक्कम, चेन्नै	379.16	0.00	0.00	0.00	271.98	0.00	0.00	271.98	78
65.	15370	एपी	एपीएसएचसी	ईडब्ल्यूएस(आर), आवास योजना, नेल्लौर	525.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	3000
66.	15375	एपी	एपीएसएचसी	ईडब्ल्यूएस(आर), आवास योजना, कुरनूल	525.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	3000
67.	15399	एचआर	एचबीएच	एलआईजी आवास योजना, सैक्टर-55, फरीदाबाद	359.97	0.00	0.00	247.39	0.00	0.00	0.00	247.39	410
68.	15400	एचआर	एचबीएच	एलआईजी, सैक्टर-55, फरीदाबाद	365.24	0.00	0.00	208.24	0.00	0.00	0.00	208.24	408
69.	15403	एचपी	एचपीएचबी	एमआईजी, आवास योजना, रोहरू, फेज-3,	172.64	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	28
70.	15590	टीएन	टीएनएचबी	सीएचएस, विकसित भूखण्ड, पीएच-2, एस.टी. कुडिकलूर	709.85	0.00	0.00	0.00	446.28	68.87	0.00	515.15	300
71.	15625	केएल	केएसएचबी	एम.एस. हाऊसिंग स्कीम, एलक्कड	256.39	0.00	0.00	0.00	197.57	0.00	0.00	197.57	46
72.	15807	एमईजीएच	एचडीबीएम	शहरी क्षेत्र राज्य सरकार, ईएमपी के लिए व्यापक सीएलएचएस, एचबीए	6563.57	1000.00	0.00	2250.00	1750.00	0.00	0.00	5000.00	4096
73.	15965	केएल	केएसएचबी	ग्रामीण क्षेत्र ग्रेड-24 में मैत्री ईडब्ल्यूएस, सीएलएचएस	472.50	299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.25	1575
74.	15966	केएल	केएसएचबी	ग्रामीण क्षेत्र ग्रेड-25 में मैत्री में ईडब्ल्यूएस, सीएलएचएस	472.50	299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.25	1575
75.	15967	केएल	केएसएचबी	ग्रामीण क्षेत्र ग्रेड-26 में मैत्री में ईडब्ल्यूएस, सीएलएचएस	472.50	299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.25	1575
76.	15968	केएल	केएसएचबी	ग्रामीण क्षेत्र ग्रेड-27 में मैत्री में ईडब्ल्यूएस, सीएलएचएस	472.50	299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.25	1575
77.	16214	एपी	एपीएसएचसी	पंडारा जिले में ईडब्ल्यूएस(आर) आवास योजना	4375.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	25000
78.	16215	एपी	एपीएसएचसी	आंध्र प्रदेश के 5 जिलों में ईडब्ल्यूएस(आर) आवास योजना (2एमएचपी)	3601.15	2057.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2057.80	20578
				योग	46419.93	9944.85	932.43	8977.12	6644.31	3632.69	0.00	30131.40	124699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
कोआपरेटिव सैक्टर													
1.	13840	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एलआईबी गोआ, एचएस पद पुडुकोटई तथा पासुमपोन थेवर	202.13	0.00	0.00	171.50	0.00	0.00	0.00	171.50	245
2.	13938	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एमआईबीसीएल हाउसिंग एड मदुरई, मान्नेर, थिरूमलाई राम्मद	243.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	90
3.	14252	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एमआईबीसीएल हाउसिंग फेज-3 ग्रेड 2 एट मान्नेर, थिरूमलाई राम्मद	280.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	70
4.	14253	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एमआईबीसीएस हाउसिंग फेज 3 ग्रेड 2 एट मान्नेर, थिरूमलाई राम्मद	280.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	70
5.	14254	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एमआईबीसीएल हाउसिंग फेज 4 ग्रेड 2 एट मान्नेर, थिरूमलाई राम्मद	280.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	70
6.	14255	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एमआईबीसीएल हाउसिंग फेज 5 ग्रेड 2 एट मान्नेर, थिरूमलाई राम्मद	280.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	70
7.	14404	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एलआईबीसीएलएचएस एट एआरसीओब, रामास्वामी	120.00	0.00	0.00	90.55	0.00	0.00	0.00	90.55	165
8.	14405	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एलआईबी सीएलएचएस एट थीरन	141.50	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	200
9.	14406	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एलआईबी सीएलएचएस एट मान्नेर	106.77	0.00	0.00	90.55	0.00	0.00	0.00	90.55	151
10.	14407	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एलआईबी सीएलएचएस एट कोयम्बटूर	140.08	0.00	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00	118.80	198
11.	14415	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एलआईबी सीएलएचएस एट मान्नेर फेज 2 ग्रेड 8	202.13	0.00	0.00	171.50	0.00	0.00	0.00	171.50	245
12.	14416	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एलआईबी सीएलएचएस एट कमराजार फेज 2 ग्रेड 9	202.13	0.00	0.00	171.50	0.00	0.00	0.00	171.50	245
13.	14417	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एलआईबी सीएलएचएस एट चिदम्बरनार फेज 2 ग्रेड 10	202.13	0.00	0.00	171.50	0.00	0.00	0.00	171.50	245
14.	14418	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एलआईबी सीएलएचएस कोयम्बटूर फेज 2 ग्रेड 11	193.05	0.00	0.00	163.08	0.00	0.00	0.00	163.08	234
15.	14419	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एलआईबी सीएलएचएस अम्बेडकर फेज 2 ग्रेड 11	202.13	0.00	0.00	171.50	0.00	0.00	0.00	171.50	245
16.	14420	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एलआईबी सीएलएचएस धरमपुरी फेज 2 ग्रेड 13	202.13	0.00	0.00	171.50	0.00	0.00	0.00	171.50	245
17.	14421	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एलआईबी सीएलएचएस एट राजाजी फेज 2 ग्रेड 14	202.13	0.00	0.00	171.50	0.00	0.00	0.00	171.50	245
18.	14595	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एमआईबी सीएल कूप एट थंजावर फेज 4 ग्रेड 4	251.55	0.00	0.00	0.00	171.20	0.00	0.00	171.20	214
19.	14596	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एमआईबी सीएल एट कूप एट थीरन फेज 4 ग्रेड 5	251.55	0.00	0.00	0.00	171.20	0.00	0.00	171.20	214
20.	14597	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एमआईबी सीएल एट एचएस एट पुडुकोटई फेज 4 ग्रेड 6	251.55	0.00	0.00	0.00	171.20	0.00	0.00	171.20	214
21.	14598	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एमआईबी सीएल एट मदुरई फेज 4 ग्रेड 7	251.55	0.00	0.00	0.00	172.20	0.00	0.00	171.20	215
22.	14599	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एमआईबी सीएल एट मान्नेर थीरूमलाई फेज 4 ग्रेड 8	251.55	0.00	0.00	0.00	171.20	0.00	0.00	171.20	214
23.	14600	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एमआईबी सीएल कूप एट कमराजार फेज 4 ग्रेड 9	251.55	0.00	0.00	0.00	171.20	0.00	0.00	171.20	214
24.	14669	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	रूरल एचएस फार मारजिनल फार्मरस पद इन डिस्ट्रिक आफ एन अरकोट अम्बेडकर एससार 14 फेज 2 ग्रेड 6	203.50	142.45	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	1850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.	14670	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	रूरल हाउसिंग फार मार्जिनल फार्मर्स इन डिस्ट्रिक आफ त्रुची	170.00	119.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.35	1550
26.	14671	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	पेरुम्बाकर एसआर 14 फेज 1 ग्रेड 9	44.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80	400
27.	14672	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	रूरल हाउसिंग फार मार्जिनल फार्मर इन डिस्ट्रिक आफ पसुमपोन थेवर थीरमनगर एसआर 14 फेज 1 ग्रेड 20	143.00	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.10	1300
28.	14673	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	रूरल हाउसिंग फार मार्जिनल फार्मर इन डिस्ट्रिक आफ तिरूनलवेली कट्टाबोमन एसआर 14 फेज 2 ग्रेड 21	165.00	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.50	1500
29.	14689	केरल	हाउसफेड	सीओएमपीसीएलएचएस इन केरला	2133.68	0.00	0.00	799.40	651.00	0.00	0.00	1450.40	1359
30.	14827	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	रूरल हाउसिंग फार मार्जिनल फार्मरस इन डिस्ट्रीक्ट आफ कामराजर एसआर 14 फेज 2 ग्रेड 21	148.50	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.95	1350
31.	14828	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	रूरल हाउसिंग फार मार्जिनल फार्मर इन डिस्ट्रीक्ट आफ कन्याकुमारी एसआर 14 फेज 1 ग्रेड 23	44.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80	400
32.	14929	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	रूरल हाउसिंग फार मार्जिनल फार्मर्स इन डिस्ट्रीक्ट आफ थंजावुर एसआर 14 फेज 2 ग्रेड 4	203.50	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.45	1850
33.	14930	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	रूरल हाउसिंग फार मार्जिनल फार्मर्स इन डिस्ट्रीक्ट आफ रामनाथपुरम एसआर 14 फेज 2 ग्रेड 18	165.00	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.50	1500
34.	14931	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	रूरल हाउसिंग फार मार्जिनल फार्मर्स इन डिस्ट्रीक्ट आफ मदुरई एसआर 14 फेज 2 ग्रेड 16	200.20	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.30	1900
35.	14932	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	रूरल हाउसिंग फार मार्जिनल फार्मर्स इन डिस्ट्रीक्ट आफ डिंडीगुल अन्ना 181 अन्ना एसआर 14 फेज 2 ग्रेड 17	150.50	105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.95	1350
36.	14945	केरल	हाउसफेड	एसपीएमपी सीएसएचएस केरल	466.74	0.00	0000	0.00	351.00	0000	0000	351.00	197
37.	15023	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	ईडब्ल्यूएसआर (एलआईबी रेट) एमएफएट पेराम्बुर	140.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1000
38.	15024	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	ईडब्ल्यूएसआर (एलआईबी रेट) एमएफएब वेल्लूर	280.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2000
39.	15025	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	ईडब्ल्यूएसआर (एलआईबी रेट) एमएफएट तिरूनलवेल्ली	364.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	2600
40.	15026	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	ईडब्ल्यूएसआर (हाउसिंग स्कीम फार मार्जिनल फार्मर्स इन द डिस्ट्रीक आफ एसआर 15 ग्रेड 4	336.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	2400
41.	15029	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	ईडब्ल्यूएस(रूरल) एलआईबी हाउसिंग स्कीम फार मार्जिनल फार्मर्स इन द एच आर 15 ग्रेड 2	238.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	1700
42.	15031	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	ईडब्ल्यूएस(आर) (एलआईबी रेट) फार एमएफ एट त्रिची	169.80	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	1200
43.	15032	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	ईडब्ल्यूएस(आर) (एलआईबी रेट) फार एमएफ एट मदुरई	226.40	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	1600
44.	15033	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	ईडब्ल्यूएस(आर) (एलआईबी रेट) फार एमएफ एट थेनी	196.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	1400
45.	15034	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	ईडब्ल्यूएस(आर) (एलआईबी रेट) फार एमएफ एट एरोड	278.46	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	1989
46.	15069	केरल	केएससीएचएफ	एलआईबी सीएल एससीएच एट अरबन अफेयर इन केरल	1119.49	0.00	0.00	800.10	0.00	0.00	0.00	800.10	1143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47.	15157	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एमआईबी आईसीएल हाउसिंग आफ मदुरई एंड थेनी ग्रेड 4 डी	400.02	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	250
48.	15158	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एमआईबी आईसीएल इन दा डिस्ट्रिक आफ एरोड एंड कोयंबटूर 4डी	400.02	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	250
49.	15159	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एमआईबी का.आप केसलोन हाउसिंग स्कीम इन दा डिस्ट्रीक आफ सलेम नमक्कल ग्रेड 2	400.02	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	250
50.	15160	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एमआईबी कोआपरेटिव कैशलोन, हाउसिंग स्कीम, धर्मपुरी, तिरुवन्नामलई ग्रे वन	400.02	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	250
51.	15200	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	ईडब्ल्यूएस(शहरी) कोआपरेटिव कैशलोन हाउसिंग स्कीम, तिरुनमलाई, सम्भूवरायर, फेस-2, ग्रेड 13	168.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	600
52.	15215	मध्य प्रदेश	एमआरएसपीबीएम	ईमपूबी जबलपुर के लिए एलआईबी की मरम्मत/पुन: निर्माण	353.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	500
53.	15224	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	ईडब्ल्यूएससीएल हाउसिंग, कलकित्तचिन्नमा मलई ग्रेड-4	196.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	700
54.	15239	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	ईडब्ल्यूएससीएल हाउसिंग, ग्रेड 4 डी	224.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	800
55.	15235	बिहार	बीएससीएचएफ	बीसीएचएफएल(को-आप.) को लाइन आफ क्रेडिट	1000.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00	0.00	1000.00	—
56.	15253	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	ए-2 एनएचपी ईडब्ल्यूएस(मू)	224.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	800
57.	15255	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	कोआपरेटिव कैशलोन हाउसिंग स्कीम, ग्रेड 4	400.02	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	250
58.	15326	केरल	हाउसफेड	एमआईबी-1 कैशलोन हाउसिंग स्कीम, ग्रेड 4 सी	464.58	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	140
59.	15327	केरल	हाउसफेड	एमआईपी कैशलोन हाउसिंग स्कीम, ग्रेड सी केरल	464.58	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	162
60.	15334	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एलआईपी कैशलोन हाउसिंग स्कीम, ग्रेड बी केरल	141.80	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	995
61.	15341	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	ईडब्ल्यूएस(आर) हाउसिंग स्कीम, फेज-1 ग्रेड-17	122.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	875
62.	15354	प. बंगाल	डब्ल्यूबीएससीएआरसीई	रूरल हाउसिंग स्कीम ग्रोड, ग्रेड-24 फेज-1	240.93	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	350
63.	15390	केरल	केएससीएचएफ॰	एलआईवी कैशलोन हाउसिंग स्कीम, प. बंगाल	3330.02	0.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	1700.00	3400
64.	15415	जेएण्डके	जे.के.सी.एच.एफ.	एलआईबी कैशलोन हाउसिंग स्कीम, केरल	185.92	0.00	0.00	0.00	33.33	108.19	0.00	141.52	43
65.	15416	जेएण्ड के	जे.के.सी.एच.एफ.	कम्प. हाउसिंग स्कीम फेज-5 तवी विहार, डिवेट्स	248.35	0.00	0.00	0.00	62.00	128.14	0.00	190.14	55
66.	15499	तमिलनाडु	जे.के.सी.एच.एफ.	रूरल हाउसिंग स्कीम तूतिकोरिन, ग्रेड-19, फेज-4	122.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	875
67.	15553	तमिलनाडु	टीएन.सीएच.एफ.	एमआईबी-1 कैशलोन हाउसिंग स्कीम कुड्डालोर और विल्लुपुरम, ग्रेड-4	288.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	216.00	72
68.	15554	तमिलनाडु	टी.एन.सी.एच.एफ.	एमआईबी-1 कैशलोन हाउसिंग स्कीम चैन्नई कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, ग्रेस	240.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	120
69.	15555	तमिलनाडु	टीएन.सी.एच.एफ.	एमआईबी-1 कैशलोन हाउसिंग स्कीम तंजावूर तिरुवारूर नागापट्टनम, ग्रेड-3	240.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	120
70.	15618	तमिलनाडु	टीएन.सी.एच.एफ.	एलआईबी-1 कैशलोन हाउसिंग स्कीम	330.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	400
71.	15619	तमिलनाडु	टी.एन.सी.एच.एफ.	एलआईबी-1 कैशलोन हाउसिंग स्कीम, नामक्कल	185.63	0.00	0.00	0.00	157.50	0.00	0.00	157.50	225
72.	15620	तमिलनाडु	टी.एन.सी.एच.एफ.	एलआईबी-1 कैशलोन हाउसिंग स्कीम, पेरियार	288.75	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00	350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73.	15785	असम	ए.एस.सी.एच.एस.	अन्य कैशलोन हाउसिंग स्कीम, अर्बन एरिया, 2, एनएचपी के अंतर्गत, असम	4978.46	1347.00	0.00	1750.00	0.00	0.00	0.00	3097.00	10506
74.	15787	के.एल.	के.एस.सी.एच.एफ.	एलआईजी कैशलोन हाउसिंग स्कीम, अर्बन एरिया, केरल, ग्रुप-5	1119.49	0.00	0.00	800.10	0.00	0.00	0.00	800.10	1143
75.	15788	के.एल.	के.एस.सी.एच.एफ.	एलआईजी कैशलोन हाउसिंग स्कीम, अर्बन एरिया 2,	1259.55	0.00	0.00	900.20	0.00	0.00	0.00	900.20	1286
76.	15790	के.एल.	के.एस.सी.एच.एफ.	एलआईजी कैशलोन हाउसिंग स्कीम, अर्बन एरिया 2	1259.55	0.00	0.00	900.20	0.00	0.00	0.00	900.20	1286
77.	15876	तमिलनाडु	टीएनसीएचएफ	एमआईजी-1 कैशलोन हाउसिंग स्कीम	360.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00	90
78.	15877	तमिलनाडु	टी.एन.सी.एच.एफ.	एमआईजी-1 कैशलोन हाउसिंग स्कीम	360.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00	90
79.	15878	तमिलनाडु	टी.एन.सी.एच.एफ.	एमआईजी-1 कैशलोन हाउसिंग स्कीम	288.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	216.00	72
				कुल	33258.00	4366.05	725.00	10858.48	7334.83	236.33	0.00	23520.69	65156

वर्कशेड कम हाउसिंग स्कीम

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	14357	तमिलनाडु	टी.एन.एच.डब्ल्यू.सी.एस.	ईडब्ल्यूएस कम वर्कशेड आवास	22.95	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	11.73	51
				कुल	22.95	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	11.73	51

विभागीय संगठन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	14128	आर.जे.	ए.ए.जे.आर.	ईडब्ल्यूएस कैशलोन हाउसिंग स्कीम, राजस्थान	29.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	59
2.	14385	डब्ल्यूबी	एमईएसडब्ल्यूबी	ईडब्ल्यूएस कैशलोन हाउसिंग स्कीम, कलकत्ता	62.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50	250
3.	14412	एपी	शेयर	ईडब्ल्यूएस कैशलोन हाउसिंग स्कीम, हैदराबाद	45.00	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.75	500
4.	14584	जी.यू.जे.	सेवा बैंक	ईडब्ल्यूएस हाउसिंग स्कीम, अहमदाबाद	357.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	1610
5.	14585	डब्ल्यू.बी.	एस.ए.एस.	ईडब्ल्यूएस एण्ड एलआईजी कैशलोन हाउसिंग स्कीम, मिदनापुर	26.66	12.50	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	19.50	60
6.	14710	के.एल.	एस.ए.	एलआईजी स्कीम, केरला	12.69	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80	16
7.	14720	टी.एन.	पी.डब्ल्यूडी.एस.	डब्ल्यूएस कैशलोन हाउसिंग स्कीम, कन्याकुमारी	35.82	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	150
8.	14733	ए.पी.टी.	डब्ल्यूएसीएआरडीओ	ईडब्ल्यूएस कैश लोन स्कीम, मछलीपट्टनम	6.60	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	20
9.	14771	एमएच.	एसएससीएच	ईडब्ल्यूएस कैश लोन स्कीम, पुणे	16.80	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	56
10.	14874	टी.एन.	सीईडीएमए	ईडब्ल्यूएस कैश लोन स्कीम, चेन्नई	38.37	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100
11.	14894	के.एल.	एलआईडीए	एलआईजी कैश लोन हाउसिंग स्कीम कोट्टापल्ली	98.73	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100
12.	15128	मणिपुर	सीएचआईएल सीएचओएल	ईडब्ल्यूएस कैश लोन स्कीम, मणिपुर	11.22	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31	30
13.	15460	बिहार	एस.एम.बी.एम. एस.एस.एस.	ईडब्ल्यूएस कैशलोन हाउसिंग स्कीम, पटना	15.18	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	45
14.	15461	के.एल.	वी.डी.एस.	ईडब्ल्यूएस कैशलोन, हाउसिंग स्कीम, इडुक्की, केरल	98.26	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100
15.	15462	टी.एन.	सी.ए.आर.डी.	ईडब्ल्यूएस एसएसएससीएच, चेन्नई	5.73	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	35
16.	15464	के.एल.	वी.डी.एस.	ईडब्ल्यूएस कैशलोन हाउसिंग स्कीम, इडुक्की, केरल	16.40	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100
17.	15465	के.एल.	वी.डी.एस.	ईडब्ल्यूएस कैशलोन, हाउसिंग स्कीम, केरल	34.44	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	15525	के.एल.	सी.आई.डी.ए.	ईडब्ल्यूएस एसएसएससीएच, केरल	172.22	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	500
19.	15987	डब्ल्यूबी	टी.एस.डब्ल्यूबी	ईडब्ल्यूएस एलआईबी कैशलोन हाउसिंग स्कीम, कलकत्ता, प. बंगाल	57.80	0.00	25.00	24.50	0.00	0.00	0.00	49.50	135
20.	16004	के.एल.	कॉस्टफोर्ड	ईडब्ल्यूएस कैशलोन हाउसिंग स्कीम, केरल	164.59	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	500
				कुल	1305.51	223.96	570.87	180.30	0.00	0.00	0.00	975.13	4466
				कुल योग (समग्र भारत)	101054.62	15731.86	2570.79	33578.88	14032.71	3869.02	0.00	69783.26	220644

[अनुवाद]

दवाइयों का एक-समान अधिकतम खुदरा मूल्य

2854. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के समक्ष खुदरा रूप में बेची जा रही दवाइयों के लिए एक समान अधिकतम खुदरा मूल्य प्रणाली प्रारंभ किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिए सभी राज्यों के वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलायी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रस्ताव के अंतिम रूप से कार्यान्वयन के लिए कब तक तैयार हो जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ङ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) के प्रावधानों के तहत, अनुसूचीबद्ध और गैर-अनुसूचीबद्ध दोनों संपाकों के मूल्य "खुदरा मूल्य .... से अधिक नहीं .... स्थानीय कर अतिरिक्त"। के रूप में अंकित होते हैं। सभी दवाओं के खुदरा मूल्य सभी करों सहित अंकित करने हेतु डीपीसीओ, 95 में संशोधन के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। समस्या के समाधान के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, तथापि राज्यों/स्थानीय प्राधिकारियों के स्थानीय करों के दरों और प्रकारों में भिन्नताओं के कारण, कोई समुचित समाधान अब तक नहीं निकाल जा सका है। अन्य बातों के साथ-साथ दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य मामले पर विचार-विमर्श के लिए सभी राज्यों/संघ प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों की एक बैठक 18.8.2004 को निर्धारित है।

दवाइयों की उपलब्धता

2855. मो. मुकीम: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बाजार में नकली दवाओं की बिक्री की जानकारी है जैसाकि 4 जुलाई, 2004 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या दवाइयां वहनीय मूल्यों पर उपलब्ध नहीं हैं;

(ङ) क्या दवा कंपनियों, एपीपीए तथा बिक्री एजेंटों के बीच भी सांठगांठ है; और

(च) यदि हां, तो मामले की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली के 4 जुलाई, 2004 के अंक में "आजमगढ़ व्हेयर डाक्टर्स हैव ए पीस ऑफ ड्रग फर्म्सेस पी" के शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में किसी खास नकली दवाई के बारे में कोई शिकायत नहीं है।

(घ) समय-समय पर संशोधित की जाने वाली औषध नीति का लक्ष्य आम जन को वहनीय मूल्य पर उच्च गुणवत्ता की दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपरोक्त भाग (ङ) के जवाब के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

आयातित संपाकों पर मूल्य नियंत्रण

2856. मोहम्मद शाहिद:
श्री अतीक अहमद:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आयातित संपाकों का मूल्य नियंत्रित करती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की नीति क्या है तथा आयातित संपाकों के लिए कौन से उत्पादों को मूल्य अनुमोदन प्रदान किया गया है;

(ग) क्या कुछ दवा कंपनियों विशेषकर इलाई लिली, निकोलस, सन ने निर्मित संपाकों के मूल्यों के संबंध में पूर्णतया डीपीसीओ की अवज्ञा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन मामलों को आगे जांच के लिए सीबीआई को भेजा गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा दोषी कंपनियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) अनुसूचीबद्ध आयातित सूत्रयोगों के मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं। पैरा 7 के अनुसार बिक्री और वितरण व्यय को पूरा करने के साथ लैंडेड लागत इसका दर निर्धारित करने का आधार होगा जिसमें ब्याज और आयातक का लाभ भी शामिल होगी जिसे लैंडेड लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। गैर-अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों के मूल्य आयातक आयात लागत और तत्कालीन बाजार स्पर्धा के अनुरूप स्वयं निर्धारित करते हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर एनपीपीए नियमित रूप से गैर-अनुसूचित सूत्रयोगों (आयातित सूत्रयोगों सहित) की दरों में बदलाव की जांच करता है।

(ग) से (च) मेसर्स इलाई लिली, मेसर्स निकोलस और मैसर्स सन के संदर्भ में आयातित तैयार सूत्रयोगों के मामले में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 उपबंध/मूल्य उल्लंघन की अवज्ञा का कोई मामला एनपीपीए को प्राप्त नहीं हुआ है।

गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी सहायता

2857. श्री राजेन गोहेन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी सहायता की मांग करने वाले स्वैच्छिक संगठनों की राज्य-वार विशेषकर असम के संदर्भ में क्या संख्या और विवरण है तथा उन्होंने कितनी धनराशि की मांग की थी;

(ख) धर्म-आधारित उक्त संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि के उपयोग पर निगरानी रखने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के लिए विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों के तहत, उन संगठनों सहित, जो असम राज्य में हैं, संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत दर्ज संगठनों के स्वरूप को दर्शाते हुए राज्य-वार ब्यौरे गृह मंत्रालय की वेबसाइट mha.nic.in/fcra.htm में उपलब्ध हैं।

(ग) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत आने वाले संगठनों के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष में उनके द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोग की सूचना, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित हो, देना अपेक्षित है। संगठनों द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त विवरणियों के माध्यम से विदेशी अभिदाय का प्रबोधन किया जाता है। केन्द्र सरकार को भी इस अधिनियम के तहत ऐसे संगठनों के लेखों या रिकार्ड या लेखा परीक्षा पुस्तकों के निरीक्षण का आदेश देने की शक्तियां प्राप्त हैं।

विवरण

विदेशी अभिदाय की राज्य-वार प्राप्ति

राज्य	2000-01		2001-02		2002-03	
	संगठनों की संख्या	धनराशि (रु. हजारों में)	संगठनों की संख्या	धनराशि (रु. हजारों में)	संगठनों की संख्या	धनराशि (रु. हजारों में)
1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली	788	7630528	839	7944176	941	8807715
तमिलनाडु	2260	6494456	2443	6954934	2638	7749857
आंध्र प्रदेश	1692	5895161	1840	5595647	1985	6297627
महाराष्ट्र	1210	4669083	1340	4643501	1421	5051304
कर्नाटक	1191	4899558	1274	5049783	1347	4891241
केरल	1475	3603095	1521	4595355	1530	4090637
पश्चिम बंगाल	1314	2567907	1357	2561282	1401	2724839
गुजरात	649	2074186	706	3245702	761	2722564
उत्तर प्रदेश	829	1340881	739	1038600	758	1026337
उड़ीसा	771	1146126	819	1076179	843	876746
मध्य प्रदेश	454	940068	354	679910	338	743065
राजस्थान	223	525102	253	586235	269	678636
उत्तरांचल	4	692	159	583497	178	593709
बिहार	738	1119212	554	673027	611	590060
झारखंड	10	1485	263	526583	304	577701
हिमाचल प्रदेश	86	825042	85	741038	93	526906
पंजाब	79	367171	83	360098	80	481351
असम	162	233989	169	320648	186	376121
छत्तीसगढ़	7	377	135	279194	153	314383
मेघालय	100	303830	95	336755	102	314168
पांडिचेरी	43	90272	55	144459	56	182687
जम्मू और कश्मीर	28	102764	33	146666	36	177495
गोवा (दमण एवं दीव सहित)	102	104488	107	136567	107	144264
नागालैंड	41	91083	45	122406	56	142467

1	2	3	4	5	6	7
मणिपुर	200	149735	188	149826	217	141208
हरियाणा	69	71668	71	77302	85	104334
त्रिपुरा	11	23065	11	37048	19	45167
चंडीगढ़	20	38493	21	59193	24	43701
सिक्किम	5	13607	6	18391	7	22337
मिजोरम	12	16337	9	10419	14	11102
अरुणाचल प्रदेश	7	1514	8	1296	14	9036
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6	6158	6	3086	7	4067
दादरा एवं नागर हवेली	12	5155	10	6366	9	2244
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

2858. **श्री पी.सी. थामस:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पिछले पांच वर्षों में देश में विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार, विशेषकर केरल का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार केरल में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, स्कूलों की संख्या में राज्य-वार वृद्धि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

विवरण

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों की संख्या में राज्य-वार वृद्धि

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	0	1	3	0	4
2.	असम	3	6	4	7	9
3.	बिहार*	29	18	8	14	10

1	2	3	4	5	6	7
4.	गुजरात	3	4	3	10	6
5.	हरियाणा	31	27	30	31	45
6.	हिमाचल प्रदेश	3	6	4	2	13
7.	जम्मू और कश्मीर	4	0	1	1	3
8.	कर्नाटक	9	8	6	4	24
9.	केरल	45	45	58	40	54
10.	मध्य प्रदेश#	15	24	99	134	21
11.	महाराष्ट्र	10	6	4	1	9
12.	मणिपुर	1	1	0	3	0
13.	मेघालय	1	0	0	0	2
14.	उड़ीसा	8	10	0	5	3
15.	नागालैंड	1	0	1	3	3
16.	पंजाब	19	24	20	21	27
17.	राजस्थान	16	23	14	15	15
18.	सिक्किम	8	1	2	13	2
19.	तमिलनाडु	3	4	1	9	3
20.	त्रिपुरा	1	0	0	2	0
21.	उत्तर प्रदेश$	51	52	66	85	83
22.	अरुणाचल प्रदेश	9	5	7	9	6
23.	मिजोरम	0	0	0	0	0
24.	पश्चिम बंगाल	5	3	5	2	7
25.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7	4	1	1	1
26.	चंडीगढ़	0	0	11	7	1
27.	गोवा	0	0	0	0	0
28.	पांडिचेरी	0	0	0	1	0
29.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	1	0
30.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
31.	दमन और दीव	0	0	0	0	0
32.	दिल्ली	30	28	24	54	45
	योग	312	300	372	475	396

*झारखंड सहित

#छत्तीसगढ़ सहित

$उत्तरांचल सहित

राज्यों को शांति बोनस

2859. श्री अनवर हुसैन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्रोह, उग्रवाद एवं आतंकवाद से पीड़ित कौन से राज्य हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार किसी राज्य को आतंकवाद एवं विद्रोही गतिविधियों को नियंत्रित करने के प्रयासों के लिए शांति बोनस दिए जाने का है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं तथा ऐसे राज्यों की स्वीकृत धनराशि कितनी है;

(घ) किसी राज्य को शांति बोनस देने के लिए योग्य मनाने के लिए आधारभूत सिद्धान्त क्या हैं;

(ङ) क्या असम के मुख्यमंत्री आतंकवाद प्रभावित असम में विद्रोही एवं अलगाववादी गतिविधियों को दबाकर एवं विवादास्पद बोडो समस्या का हल कर शांति बहाल करने एवं हालत सामान्य करने में सक्षम रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो असम को शांति बोनस नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (घ) असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा तथा जम्मू और कश्मीर राज्य विद्रोही और आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित हैं। गत पांच वर्षों के दौरान, संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर मिजोरम को अपनी वित्तीय समस्याओं से निपटने और अपनी गैर-योजना देनदारियों को चुकता करने के लिए 182.45 करोड़ रुपए की गैर-योजना अनुदान सहायता प्रदान की गई और मार्च, 2003 में नागालैंड को जो 365.00 करोड़ रुपए का मध्य अवधि गैर-योजना ऋण मंजूर किया गया था उसे घाटे की पूर्ति के लिए वर्ष 2003-04 के दौरान एकबारगी अनुदान में परिवर्तित कर दिया गया। मिजोरम को वित्तीय सहायता, इस कारण से दी गई थी कि 30.6.1986 को मिजो समझौते पर हस्ताक्षर होने से लेकर राज्य में शांति बनी रही और राज्य को अपनी नाजुक वित्तीय स्थिति के मद्देनजर अनुदान सहायता की आवश्यकता है। नागालैंड को वित्तीय सहायता राज्य में शांति प्रक्रिया को गति देने और राज्य की वित्तीय स्थिति पर विचार करने के पश्चात दी गई थी।

(ङ) और (च) असम राज्य निरन्तर विद्रोह से प्रभावित रहा है असम में कानून और व्यवस्था की स्थिति यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सोलीडेरिटी (वार्ता विरोधी धड़ा) की हिंसक गतिविधियों के कारण बिगड़ी रही। पूर्वोत्तर राज्यों के बीच असम राज्य सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना के तहत 2003-2004 तक उन्हें जारी की गई वित्तीय सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। इसलिए, इस समय, असम को वित्तीय सहायता का कोई विशेष पैकेज प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

असम के चाय आदिवासी

2860. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पिछले वर्ष संसद सदस्यों के माध्यम से 60 लाख चाय आदिवासी जनसंख्या जो असम के चाय उद्योग को चलायमान रखने वाला बल है, को असम की अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दिए जाने हेतु प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या चंदा आयोग, लोकुर आयोग तथा पाकसरकर आयोग सभी ने इन आदिवासियों को असम में जनजाति का दर्जा प्रदान करने की अनुशंसा की है;

(ग) यदि हां, तो आदिवासियों को असम में जनजाति का दर्जा प्रदान करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देरी के क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) और (ख) जी, हां। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन की रिपोर्ट से संबंधित परामर्शदात्री समिति, जिसे लोकुर आयोग और चंदा समिति रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, ने चाय उगाने वाले जनजातीय श्रमिकों को अनुसूचित जाति के रूप में मनाने की सिफारिश नहीं की है।

(ग) और (घ) असम राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में चाय जनजाति को शामिल करने के असम सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार भारत के महापंजीयक को भेज दिया गया है।

इस मामले में अंतिम निर्णय के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें अनेक एजेंसियों से मंत्रणा अपेक्षित है।

[हिन्दी]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

2861. श्री कैलाश बैठा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली, कानपुर, मुम्बई, खडगपुर, चैन्नई तथा गुवाहाटी स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में कार्यरत तकनीकी तथा गैर-तकनीकी अधिकारियों की श्रेणी-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या आई.आई.टी. की सभी शाखाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कोटा भर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) आरक्षण कोटा कब तक भर लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

स्कूली बच्चों में खून की कमी

2862. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 50 प्रतिशत से भी अधिक प्राथमिक स्कूलों के बच्चे एनीमिया की बीमारी से ग्रसित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में एनीमिया से ग्रसित विद्यार्थियों की प्रतिशतता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों में रक्त की कमी को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा प्राथमिक स्कूलों के बच्चों में एनीमिया के मामले का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार के प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, समुदाय स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप-केन्द्रों आदि में वितरण हेतु राज्यों को पीडिअट्रिक आयरन तथा फोलिक एसिड की गोलियों की आपूर्ति की जाती है जो यथा समय स्कूली बच्चों की आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं।

आवासीय संपत्तियों का अवैध वाणिज्यिक उपयोग

2863. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में व्यापारियों द्वारा बड़ी संख्या में आवासीय संपत्तियों का अवैध वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है तथा न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने उन संपत्तियों का सर्वेक्षण कराया है जहां आवासीय संपत्तियों में अवैध वाणिज्यिक गतिविधियां चल रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा धनराशि का परिव्यय/उपयोग

2864. श्री अधीर चौधरी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष के दौरान नई परियोजनाओं और विद्यमान यूरिया पी.एस.यू./सहकारी समितियों के विस्तार के लिए कितनी धनराशि का परिव्यय रखा गया था;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों द्वारा उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया;

(घ) यदि हां, तो इसके सेक्टरवार कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों की नई/विस्तार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (घ) वर्ष 2003-2004 के दौरान असम में नामरूप स्थित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड की नामरूप पुनरुद्धार परियोजना के लिए बजट सहायता के रूप में 124 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय उपलब्ध कराया गया था तथा वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कम्पनी को पूरा परिव्यय निर्मुक्त कर दिया गया था। वर्ष 2003-04 में गुजरात में हजीरा स्थित कृभको की हजीरा यूरिया परियोजना, चरण-2 के लिए कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको) के आंतरिक संसाधनों में से 144 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय उपलब्ध कराया गया था। कृभको की हजीरा यूरिया विस्तार परियोजना वर्ष के दौरान कार्यान्वयन शुरू नहीं कर सकी क्योंकि सरकार द्वारा यूरिया की नई और विस्तार परियोजनाओं में किए गए निवेश के लिए मूल्य निर्धारण नीति बनाई जा रही थी और इसे जनवरी, 2004 में ही अधिसूचित किया गया था इसलिए, इस प्रस्ताव को स्थगित रखा गया था और इस परियोजना के लिए उपलब्ध कराए गए परिव्यय को कृभको द्वारा इस्तेमाल में नहीं लाया जा सका। राष्ट्रीय कैमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. की थाल यूरिया विस्तार परियोजना के लिए वर्ष 2003-04 में दिए गए 1 करोड़ रुपये के नाममात्र परिव्यय को भी इसी कारण से इस्तेमाल नहीं किया जा सका। वर्ष 2003-04 के दौरान अन्य किसी नए अथवा विस्तार यूरिया परियोजना प्रस्तावों के लिए योजना परिव्यय उपलब्ध नहीं कराया गया था।

(ङ) और (च) वर्ष 2003-04 के दौरान सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी समितियों की किसी नई/विस्तार यूरिया परियोजनाओं के लिए निवेश अनुमोदन नहीं किया गया था।

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954

2865. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के उपबंधों को प्रशासनिक आदेशों/मार्गनिर्देशों के माध्यम से संशोधित/प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो फार्म हाऊसों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/दिल्ली नगर निगम द्वारा सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देकर दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 को संशोधित/प्रतिस्थापित करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्व सहायकों को दिल्ली भूमि राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 81 के अंतर्गत ऐसे फार्म हाऊसों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने से रोका गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अवैध/गैर-कानूनी मार्गनिर्देशों को वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एन.टी.पी.सी. के अधिकारियों के दौरे

2866. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान एन.टी.पी.सी. के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक तथा निदेशकों ने कार्यालयीन उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दौरे किये हैं तथा उनका अलग-अलग वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान दौरा किये गये देश अवधि, दौरे का उद्देश्य, दौरे के दौरान खर्च की गई राशि तथा उन्हें भुगतान योग्य अन्य भत्तों तथा दौरे के लिए निधि के स्रोत का वर्षवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे देश को क्या लाभ हुआ?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी)/निदेशकों की गत तीन वर्षों में सरकारी प्रयोजन के लिए अंतरदेशीय यात्रा पर हुए खर्च के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी)/निदेशकों की गत तीन वर्षों में सरकारी प्रयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर हुए खर्च के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एनटीपीसी द्वारा जून, 2003 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में भाग लेने के लिए जेनेवा के दौरे के खर्च, जिसे श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया गया था, के अलावा उपर्युक्त दौरों का खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया गया था।

(ग) एनटीपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और निदेशकों के अंतरराष्ट्रीय दौरों से एनटीपीसी को व्यापार को अधिक कारगर रूप से चलाने में लाभ हुआ और इस प्रकार देश को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ।

विवरण I

वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2003-04 में अंतर्देशीय यात्रा पर व्यय

क्र.सं.	नाम	यात्रा व्यय (रुपये में) 2001-02	यात्रा व्यय (रुपये में) 2002-03	यात्रा व्यय (रुपये में)@ 2003-04
1	2	3	4	5
1.	श्री सी.पी. जैन, सीएमडी	7,11,826	6,04,467	7,43,945
2.	श्री के.के. सिन्हा निदेशक (एचआर)	6,16,671	7,67,735	7,70,976
3.	श्री पी. नरसिम्हारामुलू निदेशक (वित्त)	3,98,305	6,55,254	5,89,021
4.	श्री चंदन राय* निदेशक (प्रचालन)	-	-	2,18,838
	श्री बी.एन. ओझा कार्यकारी निदेशक (वाणिज्य)	4,50,431	3,43,908	3,37,802
5.	श्री एच.एल. बजाज* कार्यकारी निदेशक (वाणिज्य)	10,04,070	1,20,329	-
	श्री आर.डी. गुप्ता* कार्यकारी निदेशक (वाणिज्य)	-	-	14,80,591
6.	श्री टी. शंकरलिंगम निदेशक (प्रोजेक्ट)	8,52,145	11,28,503	10,81,363

1	2	3	4	5
7.	श्री एस.एल. कपूर निदेशक (टी)	-	3,78,905	6,95,971
	श्री ए. पालित* कार्यकारी निदेशक (टी)	5,13,228	1,84,545	-
	कुल	45,46,676	41,83,646	59,18,507
**	पार्ट टाइम निदेशक	20,000	2,25,000	2,60,000
	कुल जोड़	45,66,676	44,08,646	61,80,507

**अंशकालिक निदेशकों के लिए समेकित आंकड़े दिए गए हैं।

*श्री चंदन रॉय, 1.1.04 को निदेशक (ओ) नियुक्त

श्री बी.एन. ओझा, 31.12.2003 को निदेशक (ओ) के पद से सेवानिवृत्त।

श्री एच.एल. बजाज-1.7.02 को सीईए के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के बाद एनटीपीसी से चले गए।

श्री आर.डी. गुप्ता-29.4.2003 को निदेशक (वाणिज्य) नियुक्त।

श्री एस.एल. कपूर-1.6.2003 को निदेशक (टी) नियुक्त।

डा. ए. पालित-31.5.2002 को निदेशक (टी) के रूप में सेवानिवृत्त।

"यात्रा व्यय में टिकट की लागत और दिये जाने वाले अन्य भत्ते शामिल हैं।

विवरण II

अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर व्यय (वित्तीय वर्ष 2001-02)

नाम	जिस देश का दौरा किया	अवधि (अधिकतम-न्यूनतम) दिनों की सं.	उद्देश्य	यात्रा व्यय (रुपये में)	अन्य भत्ते (यूएस डॉलर)
1	2	3	4	5	6
श्री सी.पी. जैन, सीएमडी	सिंगापुर, यूएई, यू.के., यू.एस.ए., अर्जेंटीना, चीन	1-10 दिन	बिजनेस, डब्ल्यूईसी मीटिंग	11,56,597	14285
श्री के.के. सिन्हा निदेशक (एचआर)	अर्जेंटीना	5-8 दिन	बिजनेस, डब्ल्यूईसी मीटिंग	5,13,634	5490
श्री पी. नरसिम्हारामुलू निदेशक (वित्त)	यूएसए, सिंगापुर, यूएई, यूके, फ्रांस, बेल्जियम	1-4 दिन	बिजनेस	6,30,286	5236
श्री बी.एन. ओझा कार्यकारी निदेशक (ओ)	यूएसए	17 दिन	बिजनेस	2,80,710	7700
डा. ए. पालित कार्यकारी निदेशक (टी)	बांग्लादेश	2 दिन	बिजनेस	26,141	858
कुल				26,07,368	33569

1	2	3	4	5	6
		अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर व्यय (वित्तीय वर्ष 2002-03)			
श्री सी.पी. जैन, सीएमडी	यू.के., इटली, फ्रांस फिनलैंड, यूएसए, मिस्र, स्विटजरलैंड, द. अफ्रीका	4-12 दिन	बिजनेस	9,24,466	21941
श्री पी. नरसिम्हारामुलू निदेशक (वित्त)	यू.के., इंटली, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन	4-4 दिन	बिजनेस	2,56,329	3800
श्री बी.एन. ओझा कार्यकारी निदेशक (ओ)	फ्रांस	6 दिन	सम्मेलन (सीईजीआरई सम्मेलन में प्रपत्र प्रस्तुत करने)	1,19,619	2700
एस.एल. कपूर निदेशक (टी)	यूएसए	3-7 दिन	बिजनेस	3,98,969	5924
कुल				16,99,383	34365
		अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर व्यय (वित्तीय वर्ष 2003-04)			
श्री सी.पी. जैन, सीएमडी	यू.के., स्विस, फिलीपिंस, सिंगापुर, हांगकांग, यू.के.	2-10 दिन	बिजनेस, आईएलओ सम्मेलन, डब्ल्यूईसी मीटिंग	8,54,659	9001
श्री के.के. सिन्हा निदेशक (एचआर)	ब्राजील	3 दिन	बिजनेस	2,27,833	1878
श्री पी. नरसिम्हारामुलू निदेशक (वित्त)	यूएसए, यू.के., सिंगापुर, हांगकांग	2-7 दिन	बिजनेस	7,21,520	6133
श्री बी.एन. ओझा कार्यकारी निदेशक (ओ)	यूएसए	3 दिन	बिजनेस	2,57,565	1263.70
एस.एल. कपूर निदेशक (टी)	यूएसए, चेक, इटली, दुबई, ओमान, बहरीन और यू.के.	3-7 दिन	बिजनेस	6,50,292	11161
कुल				27,11,869	29436.7 अर्थात् 29437

*यात्रा व्यय में टिकट की लागत, वीजा प्रभार और चिकित्सा बीमा शामिल है।

[हिन्दी]

जल आपूर्ति परियोजना

2867. श्री चन्द्रशेखर दूबे: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार मैथन, दनबाद में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, द प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लि. और वाटर एंड पावर कन्सल्टेंसी सर्विसेज, पुणे द्वारा विकसित जल आपूर्ति परियोजना कार्यान्वित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए धनराशि कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी नहीं। जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इस समय, 20,000 से अधिक आबादी वाले कस्बों के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित स्कीम नहीं है।

[अनुवाद]

सीमा सुरक्षा बल पर नकली मुठभेड़ के आरोप

2868. श्री निखिल कुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 जुलाई, 2004 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार 'फेक इनकाउन्टर चार्ज हिट्स बी.एस.एफ.' की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को सियाचीन में नकली मुठभेड़ों के मुद्दे से पहले कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल कर्मियों द्वारा नकली मुठभेड़ों के विषय में सूचनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से प्रभावी कदम उठाए गए/उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) सियाचीन में नकली मुठभेड़ों का मुद्दा उठने से पहले कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों द्वारा नकली मुठभेड़ के संबंध में कोई भी घटना सूचित नहीं की गई है। घटना के 11 महीने बाद कांस्टेबल सुभाष राठौर द्वारा समाचार-पत्र में लगाया गया आरोप सीमा सुरक्षा बल प्राधिकारियों के ध्यान में जुलाई, 2004 में आया। अन्य किसी भी स्रोत से इस मामले में अन्य कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। किसी भी स्थानीय व्यक्ति द्वारा न तो कोई दावा किया गया है और न ही स्थानीय जनता की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया हुई है। जहां तक इस घटना के संबंध में कमांडेंट को वीरता के लिए मेडल देने का संबंध है, इसे महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा गुण-दोष के आधार पर रद्द कर दिया गया है। तथापि, आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल द्वारा न्यायालयी जांच (कोर्ट आफ इन्क्वायरी) के आदेश दे दिए गए हैं।

"ट्राईफेड" का गठन

2869. श्री अनंत नायक: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे राज्य कौन-कौन से हैं जिनमें ट्राइबल कॉपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन का गठन किया गया है;

(ख) ये फेडरेशन किस वर्ष से कार्य कर रही हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन फेडरेशनों के कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन फेडरेशनों की क्या उपलब्धियां रही हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) ट्राइफेड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संगठन अपने 11 शाखा कार्यालयों/क्षेत्र कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है जो अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जगदलपुर, जयपुर, नवी मुम्बई, नई दिल्ली (प्रीत विहार कॉम्पलैक्स में उत्तरी सेल) रांची और बंगलौर में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, जनजातीय हस्तशिल्पों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड का टाइब्स शॉप नामक एक एकांतिक रिटेल आउटलेट भी है, जो 9, महादेव रोड, नई दिल्ली में स्थित है।

(ख) ट्राइफेड ने अपना कार्य 6.8.1987 से प्रारंभ किया।

(ग) इस संगठन के कार्यों की इस मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

ट्राइफेड के निष्पादन की समीक्षा के फलस्वरूप, फेडरेशन ने अपना मुख्य ध्यान वस्तुओं के प्रत्यक्ष व्यापार से हटाकर जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास के मौलिक अधिदेश पर केन्द्रित किया है। इसी बीच 2.4.2003 से ट्राइफेड के उपनियमों को भी नई बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अनुरूप संशोधित किया गया।

उपनियमों के अनुसार ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य जनजातीय उत्पादों का विपणन विकास करने के लिए स्वयं सहायता एवं आपसी सहकारिता के माध्यम से अपने कार्यों का व्यावसायिकरण, लोकतांत्रिक और स्वायत्तशासी तरीके से संचालित करके अपने सदस्यों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी के लिए एक से अधिक राज्यों में अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना है। उपनियमों के अंतर्गत, प्राकृतिक उत्पादों के अतिरिक्त जनजातीय कला एवं शिल्प जैसे जनजातीय सांस्कृतिक उत्पादों को जनजातीय उत्पादों में शामिल किया जा चुका है।

अपनी नई भूमिका में राष्ट्रीय सहकारी समिति/संघ सहकारिता के रूप में ट्राइफेड को मूलत: सेवा प्रदाता/विपणन विकासकर्ता" की भूमिका निभानी है। जनजातीय उत्पादों के प्रापण एवं विक्रय का कार्य जनजाति विकास सहकारी निगम वन विकास निगम जैसे सदस्य समितियां/संगठन देखना जारी रखेंगे। ऐसे उत्पादों के विपणन विकास की दिशा में ट्राइफेड ऐसे सदस्य संगठनों को उपनियमों एवं नए बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में यथा निर्धारित वांछित सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

ट्राइफेड ने विभिन्न संगठनों से विकास की विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियां प्राप्त करने का प्रयास किया है जैसे विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) (4 राज्यों के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना कार्यक्रम के अंतर्गत 26.80 लाख रुपए एवं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, नई दिल्ली में हैंडीक्राफ्ट शॉप में ट्राइब्स शॉप का आउटलेट खोलने के लिए 11.75 लाख रुपए) औषधीय पादप बोर्ड (सफेद मूसली की खेती एवं विपणन विकास की प्रदर्शन परियोजना के लिए 20.00 लाख रुपए) खाद्य संसाधन मंत्रालय (ट्राइफेड के प्रस्तावित अनुसंधान एवं विकास के उन्नयन के लिए 20.00 लाख रुपए)।

वर्तमान समय में ट्राइफेड निम्नलिखित परियोजनाएं चला रहा है:

(1) अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, जो जनजातीय शिल्पकारों के बेसलाइन सर्वेक्षण और स्वयं सहायता समूह बनाने की परियोजना है (विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) से प्राप्त 26.86 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के अंतर्गत)।

(2) राष्ट्रीय औषधीय पादप विकास बोर्ड से प्राप्त 20.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के अंतर्गत जगदलपुर में सफेद मूसली की खेती एवं विपणन।

1. जगदलपुर से हिलब्रूम (पहाड़ी झाडू) का संग्रहण एवं विपणन (परियोजना लागत 12.2 लाख रुपए)।
2. उड़ीसा, जगदलपुर, मध्य प्रदेश में दोना, पत्तल मशीन की स्थापना (परियोजना लागत 4.00 लाख रुपए)।
3. ट्राइफेड की ट्रेड डायरेक्टरी-2004 का संकलन (परियोजना लागत 16.00 लाख रुपए)।
4. ट्राइफेड/ट्राइब्स की वेबसाइट का निर्माण (4.75 लाख रुपये)।
5. जगदलपुर में प्रशिक्षण केन्द्र (परियोजना लागत 7.00 लाख रुपए)।
6. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, डिपार्चर लाउंज, नई दिल्ली में उनके ड्यूटी फ्री शॉप पर एक दुकान की स्थापना के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम के साथ सहयोग (परियोजना लागत 11.58 लाख)।

नए उपनियमों के प्रभावी होने से पहले, संघ ने जनजातीय उत्पादों का प्रापण किया था, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए में)

वित्तीय वर्ष	प्रापण			
	लघु वन उत्पाद	अधिशेष कृषि उत्पाद	हस्तशिल्प	योग
2001-02	669.19	1113.33	25.73	1808.25
2002-03	30.51	688.09	24.48	743.08
2003-04 (अनंतिम)	7.90	-	18.30	26.20

इसके अतिरिक्त, ट्राइफेड ने पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में जनजातीय लोगों को प्रशिक्षण भी दिया है।

विश्वविद्यालयों को अनुदान

2870. **श्री दुष्यंत सिंह:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 और वर्ष 2004-05 के दौरान और आज तक देश में विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कितना अनुदान संस्वीकृत किया गया है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए वर्ष 2004-05 हेतु अनुदान में वृद्धि करने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, वर्ष 2004-05 के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय के आबंटन में वृद्धि पर विचार करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को राजस्थान सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रूग्ण उर्वरक संयंत्रों में विदेशी निवेश

2871. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी कम्पनियों ने रुग्ण और बीमार उर्वरक कम्पनियों में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीआईएफआर और आईडीबीआई द्वारा इस प्रस्ताव की अनुशंसा की गई है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक द्वारा मलिन बस्तियों को ऋण

2872. **श्री गुरुदास कामत:** क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई में मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक से अनुदान/ऋण प्राप्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव अग्रेषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में स्लम सफाई कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए विश्व बैंक से अनुदान/क्रेडिट/ऋण हेतु एक प्रस्ताव इस मंत्रालय को भेजा है। स्लम सफाई कार्यक्रम (चरण-2) में 4800 मिलियन रुपए लागत पर वर्ष 2010 तक की समयावधि की संकल्पना की गई है जिसमें अभिकल्पन हेतु इंजीनियरी सेवाएं, परियोजना प्रबंधन तथा वास्तविक एवं लागत आकस्मिकताएं शामिल हैं। परियोजना का उद्देश्य म्यूनिसिपल, निजी तथा सरकारी भूमियों में अवस्थित स्लम वासियों के हितार्थ मांग मूलक भागीदारी दृष्टिकोण के आधार पर सफाई परिदृश्य में सुस्थिर सुधार मुहैया कराना, स्लमों में तथा उसके आसपास पानी, सीवरेज, बरसाती पानी नेटवर्क मुहैया कराना तथा इस प्रणाली को शहरी नेटवर्क से एकीकृत करना और स्लम वासियों में से समुदाय आधारित संगठनों की मदद से कचरा एकत्रीकरण तथा निपटान स्कीम मुहैया कराना है।

(ग) प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

लौह अयस्क और कोयला खनन का आधुनिकीकरण/विस्तार

2873. **श्री जुएल ओराम:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में लौह अयस्क और कोयला खनन के आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक इस्पात संयंत्र द्वारा लौह अयस्क और कोयला खनन पर कितना निवेश किया गया है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इन इस्पात संयंत्रों ने इस मामले में संबंधित राज्य सरकारों से बातचीत भी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में से केवल सेल की निजी लौह अयस्क खानें हैं। सेल की सहायक कंपनी इस्को की झारखंड राज्य में चासनाला और जीतपुर तथा पश्चिम बंगाल राज्य में रामनगोर में निजी कोयला खानें हैं। झारखंड में तीसरा ओपन कास्ट परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहीत की जा रही है। तथापि, इन कोयला खानों के आधुनिकीकरण/विस्तार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। सेल ने बोलानी, मेघाहाताबुरू, किरीबुरू, तलडीह तथा ठकुरानी स्थिति अपनी लौह अयस्क खानों के आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए कार्रवाई शुरू की है। लौह अयस्क के लिए दिल्ली-राजहरा स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) की निजी खान बंद होने वाली है तथा यह 2010-2011 के बाद संयंत्र की समूची आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में नहीं होगी।

इसलिए, बीएसपी ने छत्तीसगढ़ में राजघाट लौह अयस्क निक्षेप को अभिज्ञात किया है तथा राज्य सरकार और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन एवं पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इन परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित निवेश निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	खान काम नाम	निवेश (प्रस्तावित)
1.	बोलानी विस्तार	25
2.	मेघाहाताबुरू सेंट्रल ब्लॉक	90
3.	किरीबुरू साउथ ब्लॉक	90
4.	तलडीह ब्लॉक	170
5.	ठकुरानी खान	150
	योग	525

बीएसपी ने राउघाट में गवेषण, पर्यावरण अध्ययन तथा किए जाने वाले दूसरे अन्य कार्यों पर 2.79 करोड़ रुपये का निवेश किया है। सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात बीएसपी का राउघाट में लौह अयस्क खान को चालू करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये का निवेश करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) सेल की निम्नलिखित खानों के संबंध में वानिकी संबंधी मंजूरी राज्य सरकारों के पास लंबित है:

क्र.सं.	खान का नाम	सरकार के पास लंबित अनुमति
1.	बोलानी विस्तार	उड़ीसा
2.	तलडीह ब्लॉक	उड़ीसा
3.	मेघाहाताबुरू सेंट्रल ब्लॉक	झारखंड

सेल ने ठाकुरानी ब्लॉक में अपेक्षित भूमि के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस (पीएल) के लिए आवेदन उड़ीसा सरकार के पास लंबित है। राउघाट के समूचे निक्षेप के संबंध में वानिकी संबंधी मंजूरी प्राप्त करने के लिए संशोधित आवेदन बीएसपी द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को प्रस्तुत किया गया है। इस परियोजना के लिए शीघ्र मंजूरी प्राप्त करने के लिए बीएसपी छत्तीसगढ़ सरकार के साथ बराबर संपर्क में है।

अर्ध-सैनिक बलों हेतु भर्ती केन्द्र

2874. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में विभिन्न अर्ध-सैनिक बलों हेतु कुछ भर्ती केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इनके कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने निकट भविष्य में उत्तरांचल के लोगों को भर्ती करने हेतु भर्ती शिविर स्थापित करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में सहायक कमाडेंटों, उप निरीक्षकों और कांस्टेबलों की भर्ती क्रमशः संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और संबंधित बलों के माध्यम से की जाती है। केन्द्रीय पुलिस बलों के लिए कोई स्थायी भर्ती केन्द्र नहीं है। बल द्वारा भर्ती शिविरों/केन्द्रों का निर्धारण क्षेत्र के उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया और शारीरिक क्षमता परीक्षा तथा चिकित्सा जांच आदि

करने के लिए अवसंरचना की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। कांस्टेबलों की भर्ती के लिए संबंधित बलों द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं।

आईएनए मार्किट का पुनरुद्धार

2875. **श्री के.एस. राव:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नई दिल्ली स्थित आईएनए मार्किट का पुनरुद्धार करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस प्रयोजन हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(च) क्या इस प्रयोजन हेतु दुकानदारों से भी परामर्श किया गया है;

(छ) यदि हां, तो दुकानदारों के क्या विचार हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ज) इस प्रयोजन हेतु किस प्रकार धन की व्यवस्था की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) आईएनए मार्केट के पुनर्विकास के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। तथापि, प्रारंभिक विचार-विमर्श के आधार पर डीडीए को मार्केट के पुनर्विकास के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

(ग) और (घ) जी हां। भूमि तथा विकास कार्यालय (एल एंड डीओ), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) तथा सम्पदा निदेशालय के अधिकारियों के एक दल द्वारा फरवरी, 2004 में वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए आईएनए मार्केट का एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण में कुछ दुकानों में अनधिकृत कब्जे व अनधिकृत निर्माण का पता चला था।

(ङ) चूंकि कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है, इसलिए कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाएं

2876. **श्री तापिर गाव:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में स्थापित और क्रियान्वित की जा रही जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक पूर्वोत्तर क्षेत्र एनईईपीसीओ और एनएचपीसी द्वारा संचालित जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले निवासियों के पुनर्वास हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नांकित केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र जल विद्युत परियोजनाएं पूर्वोत्तर राज्यों में निष्पादनाधीन/क्रियान्वयनाधीन हैं:

परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	क्रियान्वयक एजेंसी	राज्य
1. तुरियल	60	नीपको	असम
2. सुबानसिरी लोअर	2000	एनएचपीसी	अरुणाचल प्रदेश
3. मिंटू	84	एमईएसईबी	मेघालय
4. कारबी लांग्पी	100	एएसईबी	असम

(ख) नॉर्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको) ने अरुणाचल प्रदेश में रंगानदी एचईपी (405 मेगावाट) को जनवरी-मार्च, 2002 में और असम में कोपिली एचईपी चरण-2 (25 मेगावाट) को दिसंबर, 2003 में आरंभ किया है।

नीपको ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं अर्थात् मिजोरम में तुईवई एचईपी (210 मेगावाट), मणिपुर में तिपाईमुख एचईपी (1500 मेगावाट) तथा अरुणाचल प्रदेश में कामेंग एचईपी (600 मेगावाट) के विकास कार्य को चरण-2 (130 मेगावाट) तथा डिकारेंग (110 मेगावाट) को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) ने भी अरुणाचल प्रदेश में सियांग मिडिल एचईपी (1000 मेगावाट), सुबानसिरी मिडिल एचईपी (1600 मेगावाट) तथा सुबानसिरी अपर एचईपी (2000 मेगावाट) के विकास कार्य को भी हाथ में लिया है।

(ग) मौजूदा मानदंडों और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रतिनिधियों के परामर्श से भूमि आबंटन, रोजगार, विभिन्न स्थानों के लिए क्षतिपूर्ति पैकेजों के जरिए प्रभावित लोगों के पुनर्वास के उपाय किये जाते हैं।

विद्युत उत्पादन संबंधी लक्ष्य

2877. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री विजय कृष्ण:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अगले दस वर्षों में एक लाख अतिरिक्त मेगावाट विद्युत उत्पादन के लक्ष्य की घोषणा की है, जैसाकि दिनांक 18 जुलाई, 2004 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस प्रयोजन हेतु कितना धन उद्दिष्ट किया गया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन-कौन से हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (घ) जी हां। वर्ष 2012 तक विद्युत अभाव को दूर करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2012 तक 1,00,000 मे.वा. अतिरिक्त क्षमता तैयार करने की आवश्यकता बताई थी। इसमें से 10वीं योजना के दौरान सभी राज्यों के लाभ हेतु 41,110 मे.वा. क्षमता तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

* 10वीं योजना में क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य को राज्यों के साथ परामर्श करके तथा परियोजनाओं की पहचान के आधार पर अंतिम रूप दिया गया।
* मॉनीटरिंग तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया गया है। सीईए ने प्रत्येक परियोजना के लिए संकल्पना और क्रियान्वयन दोनों स्तरों पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसके अलावा विद्युत मंत्रालय में नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
* 10वीं योजना में आरंभिक लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई कमी की क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों/सीपीएसयू के परामर्श से बैक-अप परियोजनाएं अभिज्ञात की गई हैं।
* पावर फाइनैंस कारपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ने मिलजुलकर यह सुनिश्चित करने का कार्य शुरू किया है कि निधियों के अभाव में कोई भी अच्छी परियोजना का काम बाधित न हो।
* 9वीं योजना की तुलना में 10वीं योजना में केन्द्रीय योजना परिव्यय को तीन गुणा बढ़ा दिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र पर 10वीं योजना परिव्यय 270276.36 करोड़ रुपये तक निर्धारित किया गया है (केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 177050.634 करोड़ रुपये तथा राज्य क्षेत्र के लिए 93225.72 करोड़ रुपये)।

बैना बीच, गोवा की महिला पीड़ितों को वित्तीय सहायता

2878. श्री संतोष गंगवार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन महिला पीड़ितों को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है जिनका यौन शोषण किया गया था और जो गोवा में बैना बीच को ध्वस्त किये जाने के कारण अपने संबंधित राज्यों को वापस जाने की इच्छुक थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने बैना बीच की महिला पीड़ितों की समस्याओं के संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो आयोग द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ङ) क्या सरकार ने आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) और (ख) गोवा राज्य सरकार के अनुसार, बैना बीच में विध्वंस के कारण अपने-अपने राज्यों को वापस जाने को इच्छुक व्यावसायिक यौन कर्मियों को वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया गया। तथापि, राज्य महिला आयोग के कई बार सक्रिय परामर्श के बावजूद उनमें से कोई भी सहायता लेने को तैयार नहीं थी।

(ग) से (च) जी हां। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 3.7.2004 को गोवा का दौरा किया। उनकी रिपोर्ट 10.8.2004 को महिला एवं बाल जिकास निदेशालय, गोवा को प्राप्त हुई। रिपोर्ट में की गई अनुशंसाएं इस प्रकार हैं:

1. राज्य तत्काल विश्वास बहाली के उपाय करे।
2. यह सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्थ की जाए कि राज्य सरकार द्वारा किए गए वायदों का पालन हो तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित राहत एवं पुनर्वास उपायों को कार्यान्वित किया जाए।
3. इस बात का ध्यान रखा जाए कि लाभार्थियों को उनके लिए अभिप्रेत लाभों एवं प्रस्तावों की पूर्ण एवं पर्याप्त जानकारी प्रदान की जाए क्योंकि व्यावसायिक यौन शोषण पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को राज्य द्वारा प्रायोजित बैना बीच विध्वंस के कारण विस्थापित होना पड़ा है।
4. अभीष्ट लाभार्थियों, अर्थात व्यावसायिक यौन शोषण पीड़ित महिलाओं को विश्वास में लिया जाना चाहिए तथा पुनर्वास प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उन्हें परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए।
5. प्रभावित व्यक्तियों तथा राज्यों के बीच बेहतर संवाद, विचार-विमर्श तथा सुझावों के आदान-प्रदान हेतु संवाद माध्यम तैयार किए जाएं।
6. नोडल अधिकारियों के रूप में प्रभावित व्यक्तियों के साथ सम्पर्क में रहने के लिए किसी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी को नामित किया जो।
7. व्यावसायिक यौन शोषण की पीड़ित महिलाओं के बच्चों की शिक्षा एवं विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि दूसरी पीढ़ी में अवैध व्यापार एवं व्यावासयिक यौन शोषण को समाप्त किया जा सके।

ये अनुशंसाएं गोवा राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

टेक्नीकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्रॉम

2879. श्री अधलराव पाटील शिवाजी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी/विश्व बैंक की सहायता/ऋण से ''टेक्नीकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम'' आरंभ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे राज्य कौन-कौन से हैं जिनमें उक्त कार्यक्रम आरंभ किया गया है;

(ग) कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित प्रत्येक राज्य में वे महाविद्यालय कौन-कौन से हैं और इससे संबंधित मानदंड क्या हैं;

(घ) उक्त धन का किस प्रकार उपयोग किया गया है;

(ङ) उक्त धन का उपयोग करने के संबंध में बनाए गए/जारी किए गए दिशा-निर्देश क्या हैं; और

(च) विश्व बैंक और अन्य विदेशी संस्थाओं को किस प्रकार ऋण वापस करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ''भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम'' शुरू किया है। 10वीं योजना अवधि के लिए इस कार्यक्रम की कुल लागत 1550 करोड़ रु. है जिसमें 350 करोड़ रु. का केन्द्रीय घटक तथा 1200 करोड़ रु. का राज्य घटक शामिल है।

उपर्युक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक) 10वीं योजना के दौरान लगभग 1250 करोड़ रु. का ऋण देने पर सहमत हो गया है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की घोषणा 12 मार्च, 2003 से कर दी गई है।

यह कार्यक्रम दो चक्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रथम चक्र में छः राज्य अर्थात हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश भाग ले रहे हैं। द्वितीय चक्र में सात राज्य अर्थात आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तरांचल तथा पश्चिम बंगाल भाग ले रहे हैं।

(ग) प्रथम चक्र में 33 राज्य संस्थाओं (7 प्रमुख तथा 26 नेटवर्क) तथा 5 प्रमुख केन्द्रीय वित्त-पोषित संस्थाओं का चयन किया गया है। द्वितीय चक्र में अब तक 11 केन्द्रीय वित्त पोषित संस्थाओं (10 प्रमुख तथा 1 नेटवर्क) का चयन कर लिया गया है। इन संस्थाओं की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

केवल अच्छा कार्य करने वाली इंजीनियरी संस्थाएं इस कार्यक्रम के तहत चयन के लिए पात्र हैं। इस कार्यक्रम के तहत चयन के लिए अपनाए गए मानदण्ड संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) निधियों का उपयोग दो घटकों अर्थात (1) संस्थागत विकास, और (2) प्रणाली प्रबंधन क्षमता सुधार के लिए किया जा रहा है। संस्थागत विकास घटक के मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं: (1) शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, (2) गुणवत्ता वृद्धि तथा संसाधन भागीदारी के लिए संस्थाओं का नटेवर्क तैयार करना, (3) गुणवत्ता में वृद्धि और समुदाय में सेवाओं की पहुंच तथा अर्थव्यवस्था और (4) संस्थागत स्तर पर प्रणाली प्रबंधन क्षमता में सुधार। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर प्रणाली प्रबंधन क्षमता सुधार द्वितीय कार्यक्रम घटक के मुख्य मुद्दे हैं।

(च) विश्व बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। तथापि, 0.75 प्रतिशत का सेवा प्रभार ऋण को चुकाए गए भाग पर लगाया जाएगा। अदायगी 35 वर्षों में की जाएगी जिसमें 10 वर्ष की छूट की अवधि शामिल है।

विवरण I

भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम प्रथम चक्र के अंतर्गत चयनित संस्थाओं की सूची

राज्य की संस्थाएं:

मध्य प्रदेश

1. श्री गोविन्द राम सकसेरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर, मध्य प्रदेश
2. उज्जैन इंजीनियरी कालेज, उज्जैन, मध्य प्रदेश
3. जबलपुर इंजीनियरी कालेज, जबलपुर, मध्य प्रदेश
4. रीवा इंजीनियरी कालेज, रीवा, मध्य प्रदेश
5. विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश

केरल

6. इंजीनियरी कालेज, त्रिवेन्द्रम, केरल
7. इंजीनियरी कालेज, चेंगन्नुर, केरल
8. मॉडल इंजीनियरी कालेज, कोची, केरल
9. श्री चित्र तिरूनाल इंजीनियरी कालेज, त्रिवेन्द्रम, केरल
10. एम.ई.एस. इंजीनियरी कालेज, कुट्टीपुरम, केरल
11. एल.बी.एस. इंजीनियरी कालेज, कासरगोड, केरल

उत्तर प्रदेश

12. हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, उत्तर प्रदेश
13. इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
14. बुंदेलखंड इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
15. गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, कानपुर, उत्तर प्रदेश
16. मदन मोहन मालवीय इंजीनियरी कालेज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
17. श्री राम मूर्ति स्मारक इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, बरेली, उत्तर प्रदेश
18. बाबु बनारसी दास राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
19. कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश

महाराष्ट्र

20. राजकीय इंजीनियरी कालेज, पुणे, महाराष्ट्र
21. राजकीय इंजीनियरी कालेज, औरंगाबाद, महाराष्ट्र
22. के.ई.एस. राजाराम बाबु प्रौद्योगिकी संस्थान, सांगली, महाराष्ट्र
23. विश्वविद्यालय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई, महाराष्ट्र
24. डा. बाबा साहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र
25. वीरमाता जीजाबाई प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई, महाराष्ट्र
26. बालचन्द कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, सांगली, महाराष्ट्र
27. यशवन्त राव चव्हाण इंजीनियरी कालेज, नागपुर, महाराष्ट्र
28. श्री गुरू गोविन्द सिंह जी इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी कालेज, नांदेड़, महाराष्ट्र
29. श्री सन्त गजानन, महाराज इंजीनियरी कालेज, शेगांव, महाराष्ट्र

हरियाणा

30. सी.आर. स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मुरथल, हरियाणा
31. गुरू जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा
32. कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र
33. वाई.एम.सी.ए. इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, फरीदाबाद, हरियाणा

केन्द्रीय वित्त-पोषित संस्थाएं:

1. मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश
2. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट, केरल
3. मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
4. विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र
5. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र, हरियाणा

द्वितीय चक्र के अंतर्गत चयनित संस्थाओं की सूची

केन्द्रीय वित्त-पोषित संस्थाएं

1. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल, आंध्र प्रदेश
2. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु
3. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुरतकल, श्रीनिवास नगर, कर्नाटक
4. सरदार बल्लवभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत, गुजरात
5. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल
6. मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर, राजस्थान
7. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हजरतबल, जम्मू और कश्मीर
8. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर, झारखंड
9. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फौर्ज टेक्नोलॉजी, रांची, झारखंड
10. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर, पंजाब
11. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

विवरण II

टी.ई.क्यू.आई.पी. के तहत संस्थाओं का चयन करने के लिए अपनाया गया मानदण्ड

संस्था द्वारा मांगा गया दर्जा : लीड/नेटवर्क

भाग क : इच्छा व्यक्त करने संबंधी घोषणा

प्रत्यायन:

(क) इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली संस्थाओं के कार्यक्रम प्रत्यायित होने चाहिए अथवा उन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के एन.बी.ए. से प्रत्यायन करवाने के लिए आवेदन लिया हो।

कृपया निम्नलिखित ब्यौरा दें:

(1) आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख

(2) उस पाठ्यक्रम का नाम जिसके प्रत्यायन के लिए आवेदन किया है

1. ____________
2. ____________
3. ____________
4. ____________
5. ____________

(3) प्रत्यायन प्रक्रिया की स्थिति

नोट: प्रत्यायन के लिए आवेदन न करने वाली संस्थाओं को कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) अपनी इच्छा व्यक्त करने संबंधी घोषणा करने वाली संस्था निम्नलिखित मानदण्ड का अनुपालन करेगी:

(कृपया यथा-उपयुक्त 'हां' अथवा 'नहीं' लिखें। खाली छोड़े गए स्थान को 'नहीं' लिखा हुआ माना जाएगा)

क्र.सं.	पात्रता मानदण्ड	प्रत्युत्तर हां/नहीं
1.	सौंपे गए उत्तरदायित्व के साथ-साथ शैक्षिक स्वायत्तता स्वीकार करना	
2.	पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता स्वीकार करना	
3.	उत्तरदायित्व के साथ पूर्णत: प्रबंधन स्वायत्तता स्वीकार करना	
4.	उत्तरदायित्व के साथ पूर्ण प्रशासनिक स्वायत्तता स्वीकार करना	
5.	सांस्थानिक विकास घटक के सभी तीन उप-घटकों अर्थात शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ाने, नेटवर्क बनाने, समुदाय और अर्थव्यवस्था की सेवा में भाग लेना	
6.	विद्यार्थियों से शिक्षा लागत की वसूली में वृद्धि करना	
7.	ब्लॉक अनुदान आधार पर योजनेत्तर निधियन को स्वीकार करना (यह गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं पर लागू नहीं है)	
8.	राजस्व व बचत से जिला निधि, स्टॉफ विकास निधि, अवमूल्यन/नवीकरण निधि और अनुरक्षण निधि की स्थापना तथा इन निधियों के उपयोग हेतु केन्द्र/राज्य के दिशानिर्देशों को स्वीकार करना	
9.	प्रतियोगी अनुदान प्रदान करने हेतु प्रतिपादित प्रक्रिया के परिणामों को स्वीकार करना	
10.	समुदाय और अर्थव्यवस्था में सेवाएं प्रदान करने के लिए संकाय और विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सकारात्मक कदम उठाना	
11.	कार्यक्रम के अंतर्गत अभिकल्पित जनजातीय विकास योजना का कार्यान्वयन	

नोट: अग्रणी संस्था बनने की इच्छा रखने वाली संस्थाओं के लिए यह आवश्यक होगा कि कार्यक्रम के अंतर्गत चुने जाने के समय उन्हें उपरोक्त स्वायत्तताएं हासिल हों।

भाग ख: अकादमिक उपलब्धियां

1. नीचे दी गई तालिका में आवेदन करने वाली संस्थाओं की अकादमिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करने संबंधी मानदण्ड दिए गए हैं। प्रत्येक मानदण्ड हेतु रेखांकित मूल्य उपलब्धियों के न्यूनतम अपेक्षित स्तर की ओर संकेत करते हैं। आवेदक संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इन मूल्यों या इससे अधिक मूल्यों को पूरा करें।

2. प्रत्येक मानदण्ड हेतु उपलब्धि के स्तर का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाएगा:

   (क) रेखांकित मूल्य से कम उपलब्धि होने पर शून्य अंक

   (ख) रेखांकित मूल्य के बराबर उपलब्धि होने पर 2 अंक

   (ग) रेखांकित मूल्य से अधिक उपलब्धि होने पर 3 अंक

   (घ) 'नहीं' उत्तर के लिए शून्य अंक

   (ङ) 'हां' उत्तर के लिए 2 अंक

3. सैद्धांतिक रूप से संभावित अधिकतम अंक 68 हैं।

4. आवेदक संस्थाएं कुछ रेखांकित मूल्यों में कम, कुछ के बराबर तथा कुछ में अधिक हो सकती हैं।

5. प्रमुख संस्था की पात्रता प्राप्त करने के लिए आवेदक संस्था के 51 अथवा उससे अधिक अंक अवश्य होने चाहिएं।

6. नेटवर्क संस्था की पात्रता प्राप्त करने के लिए, आवेदक संस्था के कम से कम 34 अंक अवश्य होने चाहिएं।

7. 34 से कम अंक प्राप्त करने वाली आवेदक संस्थाएं वर्तमान चयन चक्र के लिए अयोग्य मानी जाएंगी। ऐसी संस्थाएं अपने में सुधार लाने के बाद पात्रता हेतु दूसरे चक्र में पुन: आवेदन कर सकती हैं।

8. संस्थाओं को यह पुरजोर सलाह दी जाती है कि वे पात्रता के लिए आवेदन-पत्र जमा करने से पहले अपनी योग्यता का स्व-मूल्यांकन कर लें।

क्र.सं.	शैक्षिक उपलब्धि मानदण्ड	रेखांकित मूल्य	संस्थागत प्रत्युत्तर	प्राप्त अंक
1	2	3	4	5
1.	इंजीनियरी में अवर स्नातक पाठ्यक्रमों की संख्या	6		
2.	इंजीनियरी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की संख्या	4		
3.	कर्मचारी छात्र अनुपात (पदस्थापित संकाय सदस्यों के आधार पर)	1:15		
4.	इंजीनियरी में पी.एच.डी. डिग्री वाले संकाय सदस्यों का प्रतिशत	20 प्रतिशत		
5.	संकाय में नियमित प्रोफेसर (कुल संकाय क्षमता का प्रतिशत)	10 प्रतिशत		
6.	संकाय में नियमित सहायक प्रोफेसर (कुल संकाय क्षमता का प्रतिशत)	20 प्रतिशत		
7.	पिछले तीन वर्षों में इंजीनियरी संबंधी शोध प्रकाशनों की संख्या	0.1×एन*		
8.	पुस्तकालय में शीर्षकों की संख्या	15000		

1	2	3	4	5
9.	इंजीयिनरी में भारतीय पत्रिकाओं की संख्या	प्रत्येक पाठ्यक्रम पर पांच (अवर स्नातक एवं स्नातकोत्तर**		
10.	इंजीनियरी में अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं की संख्या	प्रति स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पांच)**		
11.	कम्प्यूटरों की संख्या (पैंटियम-3 अथवा उससे उन्नत)	प्रति 50 विद्यार्थियों पर एक		
12.	संस्थाओं में पी.एच.डी. करने वालों की संख्या	10		
13.	पिछले तीन वर्षों में पूरी की गई प्रायोजित शोध परियोजनाओं की संख्या	10		
14.	पिछले तीन वर्षों में तैयार किये गये कुल डिजाइन/ढांचा (अनियमित, परिशुद्ध सामग्री इत्यादि) (उन्हें अभिनिर्धारित करें)	5		
15.	पिछले तीन वर्षों में पूरे किये गये परामर्शी कार्य	10		
16.	सतत् शिक्षा कार्यक्रमों की संख्या (3 दिन अथवा इससे अधिक की अवधि वाले)	25		
17.	उन संकाय सदस्यों की संख्या जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के रेफरी हैं	2		
18.	उन संकाय सदस्यों की संख्या जिन्होंने राष्ट्रीय समितियों में कार्य किया है	4		

*एन = मौजूदा संकाय की संख्या

**यह पत्रिकाओं की कुल संख्या को दर्शाता है, उदाहरण के लिए, यदि किसी संस्था में 8 अवर स्नातक कार्यक्रम और 7 स्नातकोत्तर कार्यक्रम हैं, तो भारतीय पत्रिकाओं के लिए रेखांकन (मानदंड सं. 9) (8+7) × 5 = 75 पत्रिकाएं होंगी। इसी प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के लिए रेखांकन (मानदंड सं. 10) 7 × 5 = 35 पत्रिकाएं होंगी।

क्र.सं.	शैक्षिक उपलब्धि मानदण्ड	रेखांकित मूल्य	संस्थागत प्रत्युत्तर	प्राप्त अंक
1	2	3	4	5
1.	आयोजित किये गये कार्यक्रमों में क्या कोई कार्यक्रम प्रत्यायित है?			
2.	क्या संस्था को शैक्षिक स्वायत्तता प्राप्त है?			
3.	क्या संस्था में प्रबंधकीय और प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण है?			
4.	क्या संकाय सदस्यों के लिए "सेबेटिकल अवकाश" की स्कीम है			

1	2	3	4	5
5.	क्या विद्यार्थियों द्वारा नियमित शिक्षक मूल्यांकन होता है?			
6.	क्या संकाय सदस्यों को अध्ययन अवकाश (पूरे वेतन और भत्तों के साथ) दिया जाता है?			
7.	क्या संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय और/अथवा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों और सम्मेलनों में शामिल होने के लिए प्रायोजित किया जाता है?			

अपवाद स्वरूप मामले:

केवल कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रमों को प्रदान करने वाली निर्धारित संस्थाओं के मामले, अथवा केवल एक या दो विषयों में कुछ पाठ्यक्रमों को चलाने वाले विश्वविद्यालय विभाग अपवाद स्वरूप मामले हैं, और मामले के गुण-दोष के आधार पर इन पर अलग से विचार करना होता है।

[हिन्दी]

मेगा सिटी योजना के अंतर्गत शहरों का चयन

2880. श्री देविदास पिंगले: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बड़े शहरों में अवसंरचना के विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत कुछ और शहरों को सम्मिलित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये शहर कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं के अंतर्गत नासिक को सम्मिलित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत चयनित शहरों को उपलब्ध कराये जा रहे लाभों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) जी, हां। मेगा शहरों में अवस्थापना विकास के लिए केन्द्र प्रवर्तित स्कीमों के तहत दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव है। स्कीम के ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा धन की वापसी

2881. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अग्रिम धनराशि को वापस न करने से संबंधित कई शिकायतों की सूचना मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने और आवेदकों को उनका धन शीघ्र वापस करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चोरी के वाहनों की बिक्री

2882. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपराधियों द्वारा दिल्ली एवं अन्य शहरों से चोरी की गई कारों एवं अन्य वाहनों की बड़ी संख्या में नेपाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और उसके पश्चात दिल्ली में ऐसे मामलों की संख्या कितनी रही; और

(ग) इस संकट की रोकथाम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और उपरोक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कितने लोगों को पकड़ा गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कुछ मामले हुए हैं जहां विभिन्न राज्यों से चुराए गए वाहन नये पंजीकरण नंबरों के साथ गुवाहाटी में दर्ज पाए गए।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में सूचित ऐसे मामलों के वर्षवार ब्यौरे और उसके पश्चात वे मामले जिनमें बरामदगियां कर ली गई हैं, इस प्रकार हैं:

वर्ष	मामलों की संख्या	नेपाल और पूर्वोत्तर राज्यों से बरामद किए गए वाहनों की संख्या
2001	3	3 (1 मेघालय, 2 असम)
2002	7	7 (3 असम, 1 मेघालय, 3 अरुणाचल प्रदेश)
2003	5	5 (5 असम)
2004 (31.7.2004 तक)	-	-

(ग) इस समस्या की रोकथाम हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक जिले में ऑटो चोरी रोधी दस्ते का गठन करना, सभी सीमाओं पर जांच-चौकियों की स्थापना करना, आसूचना एकत्र करना, पड़ोसी राज्यों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करना इत्यादि शामिल हैं। इस संबंध में कुल चार व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

विद्यालयों में पर्यावरण संबंधी अध्ययन का आरंभ किया जाना

2883. श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न राज्य सरकारों, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद को उनके नियंत्रणाधीन संस्थानों के पाठ्यक्रम में पर्यावरण को एक विषय के रूप में सम्मिलित करने से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों ने सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पर्यावरण संबंधी अध्ययन को एक अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और आज की तिथि तक इस विषय को लागू न करने वाले चूककर्ता राज्य और संघ शासित क्षेत्र कौन-कौन से हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) जी, हां। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 के अपने आदेश के जरिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को कक्षा 1 से 12 हेतु 'पर्यावरण अध्ययन' संबंधी विषय को शामिल करते हुए पाठ्यक्रम तैयार करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने सभी राज्यों तथा अन्य प्राधिकारियों को यह भी निर्देश दिया था कि वे इस बात पर ध्यान दें कि उनके नियंत्रणाधीन सभी शैक्षिक संस्थान आगामी शैक्षिक वर्ष अर्थात 2004-05 से पूर्ण रूप से इस पाठ्यक्रम को लागू करें, जैसाकि उन्होंने अपने हलफनामों में उल्लेख किया है। उच्चतम न्यायालय ने 22.4.2004 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किये गये पाठ्यक्रम को स्वीकार करते हुए सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों/राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किये गये पाठ्यक्रम के बारे में 8 सप्ताह के भीतर अपनी राय देने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने 13.7.2004 को यह निर्देश दिया कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा कक्षा 1 से 12 हेतु तैयार किये गये पाठ्यक्रमों को प्रत्येक राज्य द्वारा उनके यहां स्थित विद्यालयों में लागू किया जाए। इसके अलावा

न्यायालय ने अपने आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी देखरेख करने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश और अन्य संगठन जैसे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद उच्चतम न्यायालय के इस आदेश को मानने के लिए बाध्य हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा पर्यावरण शिक्षा पर तैयार किये गये पाठ्यक्रमों को सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में पहले ही परिचालित किया जा चुका है और वे इसे आगामी शैक्षिक सत्र अर्थात 2005-2006 से लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। अधिकांश राज्यों ने अपने-अपने विद्यालय पाठ्यक्रमों में पर्यावरण शिक्षा संबंधी विषय को शामिल कर लिया है। हालांकि, वे अब उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुरूप राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद द्वारा तैयार किये गये पर्यावरण संबंधी पाठ्यचर्या का कड़ाई से अनुसरण करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/कालेजों को शैक्षिक वर्ष 2003-2004 से इस नए पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से लागू करने हेतु ''पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम'' परिचालित किए हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने पहले ही एक पाठ्यक्रम तैयार किया है जिसमें पर्यावरण शिक्षा संबंधी विषय शामिल हैं और अब इसे अद्यतन बनाया जा रहा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 7.8.2004 को आयोजित सुनवाई में यह माना कि उक्त पाठ्यक्रम को आगामी शैक्षिक वर्ष से लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने भी यह कहा है कि पर्यावरण शिक्षा संबंधी विषय को शामिल करते हुए पाठ्यक्रम तैयार करने के संबंध में प्रारंभिक कागजात तैयार किये जा रहे हैं/अद्यतन बनाए जा रहे हैं।

छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा

2884. श्री बी. विनोद कुमार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित महाविद्यालय स्तर तक छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को कार्यान्वित करने के क्या तरीके होंगे और इस संबंध में राज्यों और विश्वविद्यालयों को क्या अनुदेश जारी किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण

2885. श्री चन्द्रशेखर दुबे: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अपने वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस्पात के बाजार मूल्य में तीव्र गिरावट के बावजूद तिमाही वित्तीय परिणाम में सतत् वृद्धि देखी गई है;

(घ) यदि हां, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के ऋण बोझ से कब तक मुक्त होने की संभावना है; और

(ङ) कुल कितना उधार है और इस पर अब तक कितना ब्याज जमा हो गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 2003-04 की प्रथम तिमाही के दौरान 255 करोड़ रुपए के निवल लाभ की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने प्रथम तिमाही के दौरान 1112 करोड़ रुपये का निवल लाभ दर्ज करके अपने वित्तीय निष्पादन में सुधार दर्शाया है।

(घ) वर्ष 2004-05 की प्रथम तिमाही के दौरान सेल के ऋण में लगभग 961 करोड़ रुपए की कमी हुई तथा दिनांक 30.6.2004 की स्थिति के अनुसार ऋण में 7728 करोड़ रुपये की कमी आई। ऋण /साम्या अनुपात दिनांक 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार ऋण/साम्या अनुपात 6.5 से कम होकर दिनांक 30.6.2004 की स्थिति के अनुसार 1.3 हो गया है। सेल के ऋण में बैंकों से कार्यशील पूंजी ऋण, बॉड आवधिक ऋण, विदेशी ऋण आदि जैसे विभिन्न घटक शामिल हैं जिनकी परिपक्वता/पुनर्भुगतान की तारीखें अलग-अलग हैं तथा यह किसी सक्रिय संगठन में चलती रहने वाली प्रक्रिया है।

(ङ) दिनांक 30.6.2004 की स्थिति के अनुसार कुल ऋण तथा ब्याज क्रमशः 7728 करोड़ रुपये तथा 191 करोड़ रुपए था।

अनुवर्ती शिक्षा योजना

2886. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विशेषकर उड़ीसा के ढेंकानाल, गंजम, झारसुड़ा, क्योंझर, मल्कान गिरि और संबलपुर जिले के लिए अनुवर्ती शिक्षा योजना के अंतर्गत मंजूरी प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में आवश्यक मंजूरी प्रदान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पूर्ण साक्षरता/उत्तर-साक्षरता परियोजनाओं के लेखाओं के अंतिम निपटारे और योजना संबंधी मानदण्डों के अनुसार राज्य के हिस्से के लिए राज्य सरकार की वचनबद्धता प्राप्त हो जाने के बाद सतत शिक्षा परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

उड़ीसा के ढेंकानाल, गंजम, झारसुगुड़ा, क्योंझर, मल्कानगिरि तथा संबलपुर जिलों के लिए अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है क्योंकि इन जिलों को संस्वीकृत पूर्ण साक्षरता/उत्तर साक्षरता परियोजनाओं के लेखाओं का अंतिम निपटारा नहीं किया गया है।

कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक पर राजसहायता

2887. श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फलों के लिए उपयोगी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (सी.ए.एन.) उर्वरक पर दी जाने वाली राजसहायता को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरकों पर राजसहायता पुनः शुरू करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (सी.ए.एन.) पर से दिनांक 10.6.94 से नियंत्रण समाप्त करने के पश्चात सी.ए.एन. पर कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। तथापि हिमाचल प्रदेश सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि यदि सरकार ने नेशनल फर्टिलाइजर लि., नंगल में सी.ए.एन. का उत्पादन बंद करने के लिए कोई निर्णय लिया है तो इस निर्णय की तत्काल समीक्षा की जाए क्योंकि सी.ए.एन. फलों के लिए उपयोगी उर्वरक है। सी.ए.एन. पर आर्थिक सहायता देने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

तिहाड़ जेल में अधिक खतरे वाला वार्ड

2888. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के अधीन तिहाड़ जेल और अन्य जेलों में खतरनाक कैदियों के लिए अधिक खतरे वाले वार्ड नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रत्येक जेल में अधिक खतरे वाला (हाई रिस्क वार्ड) बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा सामान्य कैदियों की खतरनाक कैदियों से रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के तहत जेल राज्य का विषय होने के कारण विभिन्न राज्यों में अवस्थित जेलें संबंधित राज्य सरकारों के तहत कार्य करती हैं।

पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव संघ शासित क्षेत्रों में स्थित जेलों में कोई उच्च जोखिम वाले

वार्ड नहीं हैं। अपराध दर कम होने तथा खतरनाक कैदी न होने के कारण इस समय इन संघ शासित क्षेत्रों में स्थित जेलों में उच्च जोखिम वार्ड बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। शेष संघ शासित क्षेत्रों की जेलों के बारे में स्थिति निम्नानुसार है:

संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़—तथापि, चंडीगढ़ की मॉडल जेल में विशेषतौर पर किसी उच्च जोखिम वार्ड का निर्माण नहीं किया गया है परन्तु खतरनाक कैदियों के लिए एक वार्ड को उच्च सुरक्षा वाले वार्ड का दर्जा दिया गया है। चंडीगढ़ जेल में एक उच्च सुरक्षा वार्ड के निर्माण का प्रस्ताव है।

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र—पोर्ट ब्लेयर जेल में एक उच्च जोखिम वार्ड है। तथापि, फिलहाल वार्ड में कोई दुर्दान्त/खतरनाक कैदी नहीं है। पोर्ट ब्लेयर जेल में कोई अन्य उच्च जोखिम वार्ड निर्मित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संघ शासित क्षेत्र—तिहाड़ जेल परिसर में पांच उच्च जोखिम वार्ड हैं—जेल नम्बर एक से पांच तक प्रत्येक में एक-एक। जेल नम्बर छह, जिसे फिलहाल महिला कैदियों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, में एक उच्च जोखिम वार्ड के निर्माण का प्रस्ताव है। जेल नम्बर सात, जिसमें कम सुरक्षा वाले कैदियों को रखा जाता है, में उच्च जोखिम वार्ड के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सामान्य कैदियों की सुरक्षा के लिए खतरनाक कैदियों को अलग किया जाता है और उन्हें उच्च जोखिम वार्डों में ही रखा जाता है तथा उनकी आवाजाही उच्च जोखिम वार्डों तक ही सीमित है; उन्हें अति आवश्यक व्यक्तिगत सामान रखने की ही अनुमति होती है; उच्च जोखिम वार्ड से किसी अन्य स्थान पर जाने के दौरान उनका विशेष ध्यान रखा जाता है; उनके आने-जाने के बारे में जेल प्राधिकारियों को पहले ही सूचना दी जाती है तथा किसी अन्य कैदी को किसी भी कार्य से उच्च जोखिम वार्ड में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है।

दिल्ली का विश्व स्तर के शहर के रूप में विकास

2889. श्री परसुराम माझी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार दिल्ली को विश्व स्तर का शहर बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से विभिन्न विकासात्मक उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) इसमें कितनी धनराशि का निवेश शामिल है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली में विकास की परिकल्पना समय-समय पर अधिसूचित मास्टर प्लान में यथा निर्धारित नियोजित तरीके से की गई है। सरकार ने दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 का प्रारूप तैयार करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में अपेक्षित अवस्थापना और सेवाओं सहित दिल्ली के इष्टतम नियोजित विकास की परिकल्पना की गई है। इसमें आधुनिक जीवन-यापन की अपेक्षाओं तथा पर्यावरण संबंधी स्वीकार्य पैरामीटरों के अनुरूप दिल्ली के उपयुक्त विकास के लिए किये जाने वाले प्रमुख प्रयासों का भी उल्लेख है। इसमें निम्नलिखित से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। भूमि असेम्बली, मिश्रित भूमि उपयोग, निर्मित क्षेत्रों का पुनर्विकास, आयोजना प्रक्रियाओं में अनधिकृत कालोनियों को उचित प्रकार से शामिल करना, स्लमों का पुन: स्थान निर्धारण और स्वस्थाने विकास का औचित्यपूर्ण मिश्रण, उच्च कोटि की अवस्थना का विकास, सेवाएं भूमि के निर्धारित उपयोगों से जुड़ी एकीकृत परिवहन प्रणाली, हाईटेक और प्रदूषण रहित उद्योगों का विकास तथा दिल्ली को उच्च शिक्षा सम्मलेन और खेलों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बनाना आदि। ठोस कचरे को उठाने, उसे ले जाने और उसका निपटान करने के आधुनिक तौर-तरीकों का इस्तेमाल करते हुए कुशल सफाई सेवाएं देना भी दिल्ली नगर निगम का कार्य है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि होने वाले निवेश का परिमाण इस स्तर पर बता पाना संभव नहीं है।

दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में रिक्तियां

2890. श्री विजय कृष्ण: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम को अपने विद्यालयों में रिक्तियों को न भरने पर फटकार लगाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) इन रिक्तियों को कब तक भरा जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय ने "सामाजिक विधिवेत्ता बनाम टी.टी. जोसेफ, अध्यक्ष, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और अन्य" नामक शीर्षक से 2001 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1611 में 2003 की सिविल अवमानना याचिका सं. 370 में 11 मई, 2004 को दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अन्य बातों के साथ-सात कहा कि वे पहली जुलाई, 2004 की स्थिति के अनुसार अध्यापकों की रिक्तियों के बारे में स्थित रिपोर्ट दायर करें। उक्त निदेशों के

अनुपालन में दिल्ली नगर निगम ने 22 जुलाई, 2004 को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थिति रिपोर्ट दायर की।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने अपने विभिन्न विद्यालयों में अध्यापकों के 3670 रिक्त पदों को भरने के लिए दिनांक 6 मई, 2002 और 3 दिसम्बर, 2004 को दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड को अपनी मांगें भेजी थी। इन मांगों के उत्तर में, दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब तक चुने गए 1915 उम्मीदवारों के नामों की सूचना दी है। चुने गए उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच और चरित्र तथा पूर्ववृत्त का सत्यापन करने जैसी आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने के बाद उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली नगर निगम ने लगभग 2500 अध्यापकों को ठेके के आधार पर भी पुनः नियुक्त किया है।

(घ) अध्यापकों की सभी रिक्तियों को भरने में लगने वाला समय, अन्य बातों के साथ-साथ, दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पर्याप्त संख्या में चुने गए उम्मीदवार नामित करने और चुने गए उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच तथा चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन करने जैसी आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने पर निर्भर करेगा।

विकास परियोजनाएं

2891. **श्री मणि कुमार सुब्बा:** क्या **पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री** 23.12.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3044 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक पैकेज और अन्य कार्यों के अंतर्गत कितनी सड़कों का निर्माण किया गया तथा दिग्भ्रमित युवकों के रोजगार के लिए क्या-क्या कार्य किये गये और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई;

(ख) प्रस्तावित 23 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है तथा इसकी लागत कितनी है और इससे कौन-कौन से क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान की जायेंगी; और

(ग) इस पैकेज के अंतर्गत प्रस्तावित अन्य अलग-अलग परियोजनाओं के संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) से (ग) संबंधित मंत्रालयों/विभागों से सूचना मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली के उपदंडाधिकारी के उत्तरदायित्व

2892. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के उपदंडाधिकारी के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व क्या हैं;

(ख) विभिन्न अधिनियमों और कानूनों के अंतर्गत उन्हें सौंपे गये अधिकारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी एस.डी.एम. के विरुद्ध उसके समक्ष लंबित अदालती मामले में जानबूझकर गलत फैसला सुनाने के लिए कोई कार्रवाई की जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो कानून के किस प्रावधान के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपदंडाधिकारियों को कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं और विभिन्न अधिनियमों/नियमों जैसाकि नीचे दर्शाया गया है, के तहत शक्तियां प्रदत्त की गई हैं:

(1) पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1997 के तहत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी;

(2) उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 के तहत सहायक समाहर्ता;

(3) दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी और राजस्व सहायक;

(4) उत्तरी भारत नहर और अपवहन अधिनियम, 1873 के तहत समाहर्ता;

(5) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के तहत सहायक समाहर्ता;

(6) पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी और खण्डकरण रोकथाम) अधिनियम, 1948 के तहत बंदोबस्त अधिकारी (चकबन्दी);

(7) दिल्ली भूमि जोत (परिसीमा) अधियिनम, 1960 के तहत सक्षम प्राधिकारी;

(8) अपराध दंड संहिता की धारा 107, 109, 110, 133, 145, 174 और 176 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की सांविधिक शक्तियां;

(9) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत समाहर्ता की शक्तियां;

(10) खान और खनिज अधिनियम, 1957 के तहत शक्तियां;

(11) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह पंजीकार की शक्तियां;

(12) घरेलू विद्युत उपकरण (नियंत्रण) आदेश, 1987 के तहत शक्तियां;

(13) ऑयल प्रेशर स्टोर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 1987 को लागू करने की शक्तियां;

(14) जनरल सर्विस इलैक्ट्रिक लैंप्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 1989 के तहत शक्तियां;

(15) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1955 के तहत शक्तियां;

(16) वाहनों को जब्त करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत शक्तियां;

(17) दिल्ली धूम्रपान निषेध तथा गैर-धूम्रपान (व्यक्ति) स्वास्थ्य संरक्षण अधियिनम, 1996 के तहत शक्तियां;

(18) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी;

(19) ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत शक्तियां; तथा

(20) बाल श्रम अधिनियम, 1986 के तहत शक्तियां।

(ग) और (घ) किसी उपदंडाधिकारी द्वारा किये गये निर्णय के विरुद्ध अगले उच्चतर प्राधिकारी/न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जा सकती है।

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954

2893. श्री रघुनाथ झा: क्या शहरी विकास मंत्री 30.11.1999 और 16.4.2002 के क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 236 और 3642 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधायिका द्वारा बनाए गए दिल्ली भूमि सुधार (डीएलआर) अधिनियम, 1954 के प्रावधानों को प्रशासनिक आदेश/अनुदेश/दिशानिर्देश जारी करके संशोधित/अधिक्रमित नहीं किया जा सकता;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 23 में दिए गए उपबंधों के अनुसार यदि औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अनुमति नहीं मिली है तो भूमिधर अथवा आसामी अपनी कृषि जोत अथवा उसके किसी भाग का कृषि उद्देश्यों से इतर उपयोग करने का हकदार नहीं होगा।

(घ) यदि हां, तो दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 23 के उपबंधों को लागू किये बगैर दिल्ली में कृषि भूमि पर "मोटेल" चलाने हेतु अनुमति/लाइसेंस देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का इस मामले में कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 23 में यह प्रावधान है कि भूमिदार खेतिहर की भांति अपनी भूमि अथवा उसके किसी हिस्से का औद्योगिक प्रयोजनों अथवा उक्त अधिनियम की धारा 22 में न आने वाले अन्य प्रयोजनों अर्थात कृषि, बागवानी अथवा मत्स्यपालन व मुर्गी पालन सहित पशुपालन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं कर सकता। तथापि, दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 53 में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त अधिनियम के प्रावधान तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम किसी अन्य कानून में उनके विपरीत प्रावधान होते हुए भी लागू होंगे। दिल्ली विकास अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए दिल्ली मास्टर प्लान 2001 में विशेष रूप से "सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले यात्री को ठहरने, विश्राम करने तथा तत्संबंधी अन्य जरूरतों को पूरा करने हेतु मोटल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में अनुमेय सुविधा" के रूप में परिभाषित किया गया है। इस मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी 2004 की सीपीडब्ल्यू सं. 2435 में विचार किया था जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 53(3) के प्रावधानों के आलोक में दिनांक 13.4.2004 के अपने आदेश में उक्त प्रयोग को बरकरार रखा है।

अन्तर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नीति

2894. श्री अधीर चौधरी:
श्री उदय सिंह:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 'भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नीति' तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अनेक विद्यार्थी प्रति वर्ष उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए देश छोड़कर चले जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नीति तैयार करने से इस प्रकार की प्रवृत्ति पर किस सीमा तक रोक लगेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए देश छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों का कोई डाटाबेस एकत्र करके नहीं रखा जाता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

2895. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री तापिर गाव:
श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री अवतार सिंह भड़ाना:
श्री डी.वी. सदानन्द गौडा:
श्री पी. करुणाकरन:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री तथागत सत्पथी:
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:
योगी आदित्यनाथ:
श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:
श्री गिरिधर गमांग:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं और दसवीं योजना अवधि के दौरान सरकार को विभिन्न राज्यों से जल विद्युत, ताप विद्युत, गैस आधारित और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना अथवा अतिरिक्त तकनीकी सहायता (टी.ए. ऋण) की मांग वाले राज्यवार अब तक कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव की स्थिति क्या है और उक्त अवधि के दौरान अब तक इस पर परियोजनावार और राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गयी तथा निर्धारित समय सीमा के पीछे चल रही परियोजनाओं के मामलों में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं पर अलग-अलग कुल व्यय, लागत वृद्धि और निर्धारित समय सीमा से कितना समय अधिक लगेगा;

(घ) दसवीं योजना के दौरान राज्यवार ऐसी कितनी परियोजनाओं को स्वीकृत किये जाने की संभावना है और इन्हें पूरा करने की समय सीमा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है और इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

क्रोम अयस्क के निर्यात की सीमा

2896. श्री जुएल ओराम: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्रोम अयस्क के निर्यात की सीमा की समीक्षा करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) क्रोम अयस्क के निर्यात की सीमा संशोधित करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महिलाओं के प्रति अपराध

2897. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्रीमती नीता पटैरिया:
डा. शफीकुर्रहमान बर्क:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गत छह महीनों के दौरान महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न महिला संगठनों ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों से कठोर कानून बनाने का आग्रह किया है ताकि अपराधियों से निपटा जा सके और ऐसे अपराधों को रोका जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) ऐसा कानून कब तक बनाये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों की समीक्षा

2898. श्री अधलराव पाटील शिवाजी: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यान्वित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं की प्रगति की आवधिक समीक्षा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इन कार्यक्रमों के अंतर्गत नौवीं योजना के दौरान और दसवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान निर्धारित और हासिल किए गए लक्ष्यों के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन में पर्याप्त क्षमता के बावजूद इस पर बहुत कम व्यय किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि का आबंटन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जी हां।

(ख) 9वीं योजना (1997-2002) और 10वीं योजना के पहले दो वर्षों (2002-2004) के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यवार वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां संलग्न विवरण-I, विवरण-II और विवरण-III में दी गई हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए उचित कार्यक्रमों, जो राष्ट्रीय विकास संबंधी प्राथमिकताओं, नीतियों और उद्देश्यों के साथ जुड़े हैं, के विकास के माध्यम से निधियों का पर्याप्त आबंटन सुनिश्चित किया जाता है।

विवरण I

नौवीं योजना (1997-98 से 2001-02 तक) के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यवार वास्तविक उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पवन विद्युत मेवा.	एसपीवी विद्युत किवा.	एसएचपी मेवा.	बायोमास विद्युत मेवा.	बायोमास गैसीफायर किवा.	अपशिष्ट से ऊर्जा मेवा.	बायोगैस संख्या	सीबीपी/आईबीपी एनबीपी संख्या	उन्नत चूल्हा सं. लाख में	एसपीवी पंप संख्या	पवन चक्की संख्या	एरोजनरेटर किवा.	सौर कुकर सं.	सौर प्रकाशवोल्टीय: एसएल एस सं.	सौर प्रकाशवोल्टीय: एचएल एस सं.	सौर प्रकाशवोल्टीय: एसएल सं.	सौर प्रकाशवोल्टीय: पीपी केडब्ल्यूपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	आंध्र प्रदेश	38.30	275.00	68.60	100.20	8720.00	9.20	101061	10.00	10.33	203	2	12.00	1011	559	418	23028	3.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	933	0.00	0.02	0	0	0.00	31	18	698	3419	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	722	2.00	0.08	0	0	0.00	0	0	1573	366	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	3211	0.00	019	38	12	0.00	0	106	776	24235	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745	0.00	0.19	1	0	0.00	209	39	20	443	0.00
6.	गुजरात	20.10	0.00	0.00	0.50	8175.00	2.45	48223	42.00	4.60	8	277	0.00	25463	312	2519	28665	0.00
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10667	0.00	2.76	100	0	0.00	1827	536	9097	23825	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	31.43	0.00	0.00	0.09	4005	0.00	0.65	5	0	0.00	3727	815	7914	12197	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1.16	2	0	0.00	0	30	8758	6477	40.00
10.	कर्नाटक	62.80	30.00	41.80	74.60	3170.00	1.00	96057	5.00	2.56	204	17	8.00	0	369	4158	7034	6.00
11.	केरल	0.00	25.00	23.00	0.00	105.00	0.00	6325	56.00	1.62	472	35	8.00	0	122	7633	17986	40.00
12.	मध्य प्रदेश	13.00	100.00	2.41	5.00	1000.00	2.70	67898	5.00	4.01	57	0	0.00	15271	305	87	2216	0.00
13.	महाराष्ट्र	393.80	75.00	31.71	15.50	1300.00	1.90	64666	154.00	5.67	50	22	54.30	6259	374	640	4888	0.00
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736	0.00	0.10	11	0	0.00	0	19	650	3116	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330	4.00	0.00	5	0	0.00	200	5	310	2720	3.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00	1489	0.00	0.18	4	0	0.00	0	82	385	5252	0.00
17.	नागालैंड	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	778	10.00	0.29	0	0	0.00	0	0	135	95	0.00
18.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	48224	11.00	7.93	2	0	0.00	531	3598	2430	5856	3.00
19.	पंजाब	0.00	100.00	9.30	2.00	40.00	0.75	28129	210.00	2.82	777	0	0.00	8383	1606	2520	13613	36.00
20.	राजस्थान	16.10	50.00	0.57	0.00	0.00	0.00	5166	22.00	3.26	110	150	4.00	1613	1607	27736	4925	25.80
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	1007	0.00	0.26	0	0	0.00	0	34	279	524	0.00
22.	तमिलनाडु	181.30	50.00	2.80	51.50	2020.00	0.23	9067	15.00	3.75	297	32	24.50	0	391	469	10307	10.00
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	815	0.00	0.44	0	0	0.00	40	512	1440	17260	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	100.00	9.10	40.00	1320.00	1.00	49249	359.00	8.79	146	0	0.00	11855	638	45557	40572	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	1.10	75.00	0.00	0.00	2715.00	0.00	66581	39.00	13.57	3	0	0.00	3052	534	24608	1542	240.00
26.	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12	0.00	0.06	0	2	0.00	0	43	15	536	0.00
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7	0	0.00	165	0	275	1675	0.00
28.	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.03	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
29.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	21.00	0.06	42	0	0.00	195	0	375	2184	10.0
31.	लक्षद्वीप	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	211	13	6053	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.21	7	0	5.00	14	0	0	422	0.00
33.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3000	8.00	0.18	0	0	0.00	0	363	1157	848	0.00
34.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.0
35.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634	15.00	0.00	1	0	0.00	0	0	2000	4500	0.00
36.	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210092	811.00	22.26	0	0	0.00	12469	0	476	19925	0.00
	कुल	726.50	1280.00	259.16	295.30	29695.00	19.23	829846	1799.00	98.03	2552	549	115.80	92315	13228	155119	296684	416.80

आईबीपी/सीबीपी/एनबीपी-संस्थागत/सामुदायिक/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र; एसएलएस - सड़क रोशनी प्रणाली; एचएलएस-घरेलू रोशनी प्रणाली; एसएल-सौर लालटेन; पीपी-विद्युत संयंत्र; एसपीवी-सौर प्रकाशवोल्टीय; एचएसपी-लघु पनबिजली; मेवा.-मेगावाट; केडब्ल्यूपी-किलोवाट पीक।

विवरण II

10वीं योजना (2002-04) के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यवार वास्तविक उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायोगैस संयंत्र (सं.)	दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण (सं.)	एसपीवी पंप (सं.)	जल पंपन पवन चक्की (सं.)	एरो जनरेटर (किवा.)	सौर प्रकाशवोल्टीय: एसएलएस सं.	एचएलएस (सं.)	एसएल (सं.)	पीवी (केडब्ल्यूपी)	पवन विद्युत (मेवा.)	लघु पनबिजली (मेवा.)	बायोमास विद्युत (मेवा.)	बायोमास गैसीफायर (किवा.)	अपशिष्ट से ऊर्जा (मेवा.)	सौर विद्युत (केडब्ल्यूपी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	44307	6	30	4	0	213	213	4445	0	6.2	13.55	96.55	0	10.15	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	494	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0	0	0	0
3.	असम	5798	36	0	0	0	0	450	0	4.5	0	0.11	0	0	0	0
4.	बिहार	2446	0	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	8306	182	9	0	0	910	3186	2344	0	0	5.8	0	500	0	0
6.	गोवा	153	0	0	0	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	15116	0	46	165	0	120	1200	0	0	35.125	0	0	1560	0.5	0
8.	हरियाणा	2694	0	354	0	0	0	0	0	0	0	14.4	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	582	0	0	0	0	175	1100	0	0	0	10.2	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	81	90	22	0	0	0	2798	0	0	0	9	0	0	0	0
11.	झारखंड	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	43157	0	92	2	0	144	1979	0	9	140.58	56.03	59.78	0	0	0
13.	केरल	20735	0	109	0	0	275	9990	0	0	0	15.1	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.	मध्य प्रदेश	24922	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	23937	0	68	0	153.06	103	104	3	0	8.25	3.75	0	0	0	0
16.	मणिपुर	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0	0	0	0
17.	मेघालय	1062	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0	0
18.	मिजोरम	429	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0	200	0	0
19.	नागालैंड	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	28233	18	2	0	0	57	251	975	0	0	6	0	0	0	0
21.	पंजाब	7353	0	956	0	0	100	350	500	0	0	5.2	10	0	0	200
22.	राजस्थान	375	0	30	0	0	78	6400	0	0	162.38	0	7.8	0	0	0
23.	सिक्किम	1374	0	0	0	10	25	9905	0	0	0	3	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	5207	0	79	4	0	0	0	732	0	504.015	2.5	44.5	100	1.75	0
25.	त्रिपुरा	675	4	25	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	24331	80	28	0	0	200	0	0	30	0	0	12.5	1015	7	0
27.	उत्तरांचल	2870	150	14	0	0	0	0	0	0	0	14.3	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	36110	557	1	0	18	0	974	0	110	0	3	0	3535	0	0
29.	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	अन्य	0	0	0	0	0	0	1400	1798	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	302193	1133	1914	175	220.36	2400	40300	13797	153.5	856.55	164.72	232.13	6915	19.4	500

एसएलएस-सड़क रोशनी प्रणाली; एचएलएस-घरेलू रोशनी प्रणाली;

एसएल-सौर लालटेन; पीपी-विद्युत संयंत्र; एसपीवी-सौर प्रकाशवोल्टीय; एसएचपी-लघु पनबिजली; मेवा.-मेगावाट; केडब्ल्यूपी-किलोवाट पीक

विवरण III

नौवीं और दसवीं योजना के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदान की गई राज्यवार वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नौवीं योजना रुपये (करोड़ में)	दसवीं योजना रुपये (करोड़ में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	81.0	36.16
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.3	22.92
3.	असम	6.0	4.18
4.	बिहार	7.8	0.21
5.	छत्तीसगढ़	0.6	15.43
6.	गोवा	29.7	0.76
7.	गुजरात	16.7	11.53
8.	हरियाणा	28.3	13.27
9.	हिमाचल प्रदेश	8.8	12.58
10.	जम्मू और कश्मीर	56.3	11.32
11.	झारखंड	24.2	13.24
12.	कर्नाटक	40.9	31.91
13.	केरल	51.7	4.00
14.	मध्य प्रदेश	5.2	8.15
15.	महाराष्ट्र	4.8	15.76
16.	मणिपुर	21.4	10.25
17.	मेघालय	6.2	6.37
18.	मिजोरम	34.0	5.30
19.	नागालैंड	40.0	3.08
20.	उड़ीसा	32.4	8.02
21.	पंजाब	21.4	30.40
22.	राजस्थान	23.7	13.82
23.	सिक्किम	8.5	16.08
24.	तमिलनाडु	76.2	11.36
25.	त्रिपुरा	65.9	15.74
26.	उत्तर प्रदेश	11.1	39.03
27.	उत्तरांचल	0.5	21.31
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	51.00
29.	अंडमान और निकोबार	0.1	6.28
30.	चंडीगढ़	3.6	0.36
31.	दादर और नगर हवेली	10.4	0.00
32.	दमन और दीव	0.6	0.00
33.	दिल्ली	10.8	4.02
34.	लक्षद्वीप	0.1	9.36
35.	पांडिचेरी	1.4	0.63
36.	अन्य	148.2	54.68
	कुल	903.7	508.47

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में अतिरिक्त छात्रावासों का निर्माण

2899. श्री देविदास पिंगले: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विशेषकर महाराष्ट्र के जनजाति बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निर्मित छात्रावासों की संख्या अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त छात्रावासों का निर्माण करने और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लड़कों/लड़कियों के छात्रावास के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता

मांगने के प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बनाकर भेजे जाते हैं। यही बात महाराष्ट्र राज्य सरकार पर भी लागू होती है। महाराष्ट्र सरकार ने गत वर्ष 36 छात्रावासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता मांगने के लिए प्रस्ताव भेजा था। लेकिन यह प्रस्ताव योजना के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था और इसलिए स्वीकार नहीं किया गया।

(ख) और (ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान यदि महाराष्ट्र राज्य सरकार से सभी रूपों में पूर्ण कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो निधियों की उपलब्धता के आधार पर उस पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार

2900. **श्री कैलाश मेघवाल:**
श्री नकुल दास राई:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् सी.बी.आई. द्वारा दिल्ली नगर निगम के कुल कितने पार्षदों को भ्रष्टाचार रिश्वत आदि के आरोपों में गिरफ्तार किया गया;

(ख) क्या सी.बी.आई. ने ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल कर दए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कुछ सुधार सुझाये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अन्य बातों के साथ-साथ, भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने के आरोपों पर दिल्ली नगर निगम के तीन पार्षदों को गिरफ्तार किया है। उपर्युक्त तीन पार्षदों में से एक के खिलाफ 11 अगस्त, 2004 को विशेष न्यायाधीश के न्यायालय (कोर्ट ऑफ स्पेशल जज), पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली में एक आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। शेष दो पार्षदों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल करना, उनके खिलाफ दर्ज मामलों में जांच-पड़ताल का काम पूरा होने पर निर्भर करता है।

(घ) से (ङ) दिल्ली नगर निगम ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा उनके अधिकारियों के साथ आयोजित विभिन्न बैठकों में दिए गए सुझावों के अनुसरण में, अन्य बातों के साथ-साथ, निगम में भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु बहुत से कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं:

(1) सभी जोनों में उपभोक्ता देख-रेख केन्द्रों/नागरिक सेवा ब्यूरो की स्थापना करना;

(2) निगम के वेबसाइट नामतः (www.mcdonline.gov.in.NITs) पर निविदा संबंध दस्तावेजों/प्रपत्रों को स्वयं अपलोड करने के लिए सभी डिविजनल अधिकारियों को इंटरनेट सुविधाओं का प्रावधान;

(3) अतिक्रमणों से छुड़ाई गई सरकारी भूमि की ब्योरेवार वीडियोग्राफी करने के लिए जोनल प्राधिकारियों और विभागाध्यक्षों को निदेश जारी करना;

(4) निगम की भूमि के संरक्षण हेतु जिम्मेवार अधिकारियों के ब्यौरे तैयार करना ताकि यदि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होता है तो जिम्मेवारी निर्धारित की जा सके; और

(5) संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनिक कार्रवाइयां करना और इस संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग को आवधिक स्थित रिपोर्टें प्रस्तुत करना।

मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एम.एफ.एल.), चैन्नई की क्षमता उपयोग

2901. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एम.एफ.एल.), चैन्नई में यूरिया, अमोनिया और अन्य उर्वरकों का उत्पादन इसकी क्षमता से कहीं अधिक कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. की क्षमता उपयोग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) जी हां। मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में अमोनिया, यूरिया और एन.पी.के. का उत्पादन और प्रतिशत क्षमता उपयोग निम्नानुसार है:

उत्पाद	स्थापित क्षमता	2002-03	2003-04	2004-05 (अप्रैल-जून)
अमोनिया	346500 मीट्रिक टन	265011	259622	78204
	प्रतिशत क्षमता उपयोग	76.5	74.9	90.3
यूरिया	486750 मी. टन	401249	387678	123889
	प्रतिशत क्षमता उपयोग	82.4	79.7	101.8
एन.पी.के.	840000 मी. टन	415044	428612	92645
	प्रतिशत क्षमता उपयोग	49.4	51.0	44.1

(ख) कम क्षमता उपयोग का मुख्य कारण पुनरुद्धार के बाद यूरिया प्रिल टावर में खराबी, पानी की कमी उपकरणों में बार-बार समस्याएं पैदा होना, दक्षिणी राज्यों में अप्रत्याशित सूखा, बिक्री में कमी, उच्च माल-सूची तथा धन के अभाव का संकट रहा है जिसके कारण पी2ओ5 और एमओपी जैसे कच्चे माल की प्राप्ति नहीं हो सकी।

(ग) सरकार ने संयंत्रों में लगे समस्या पैदा करने वाले उपकरणों के नवीकरण/प्रतिस्थापन के लिए कम्पनी को बजटीय सहायता उपलब्ध कराई है। इसके अलावा, भारत सरकार ने जुलाई, 2002 में 31.3.2002 तक के सरकारी ऋण पर 65 करोड़ रुपये के ब्याज को बट्टे खाते में डाल दिया था। जुलाई, 2003 में पुनः सरकार ने 31.3.2003 तक के भारत सरकार के ऋण पर 89.23 करोड़ रुपये के ब्याज और दण्डात्मक ब्याज को माफ कर दिया था। सरकार ने कम्पनी में धन के अभाव के संकट को दूर करने के लिए दिनांक 1.4.2003 से ऋण पर ब्याज की दर को घटाकर प्रति वर्ष 7 प्रतिशत भी कर दिया गया है।

गैर-सरकारी संगठनों की सहायता के लिए मानदंड

2902. **श्री बी. विनोद कुमार:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिलाओं और बच्चों के कल्याण तथा महिला शिक्षा प्रदान करने और इसके प्रसार के कार्य में लगे स्वयंसेवी संगठनों/एजेंसियों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक सरकार द्वारा इनमें से प्रत्येक संगठन के लिए राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गयी है;

(ग) ऐसे संगठनों की निगरानी और लेखा परीक्षा करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रमों को चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य अभिकरणों के चयन हेतु अपनाये जाने वाले बुनियादी मापदण्डों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) किसी प्रासंगिक सांविधिक अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो।

(2) पंजीकरण के पश्चात् कम से कम तीन वर्ष कार्य किया हो।

(3) पिछले तीन वर्षों के खातों का लेखा-परीक्षित विवरण हो।

(4) वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो

(5) राज्य सरकार/इस प्रयोजनार्थ गठित राज्य-स्तरीय अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत हो

(6) संबंधित कार्य का अनुभव हो।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन अभिकरणों को राशि निर्मुक्त की गयी, उनका राज्य-वार तथा स्कीम-वार ब्यौरा विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में दिया गया है। चालू वर्ष के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) से (ङ) मानीटरिंग अभिकरणों, समीक्षा बैठकों तथा संबंधित क्षेत्र अधिकारियों द्वारा राज्य सरकारों से प्राप्त आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से विभिन्न संगठनों के निष्पादन की समीक्षा की प्रणाली विद्यमान है।

विवरण

वर्ष 2004-05 (12.8.2004 तक) के दौरान संगठनों तथा निर्मुक्त राशि का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)
1	2	3
शिशु गृह		
1.	आदर्श यूथ एसोसिएशन, 12-438, नेमेंदकारा स्ट्रीट, चित्तूर-517001, (आंध्र प्रदेश)	36,960
2.	श्री कृष्णदेवराय युवजन संघम लक्ष्मी नरसिंह नगर, दोमरान्दयाल 516431, जिला कुड्डप्पा (आंध्र प्रदेश)	1,84,800
3.	नवोदय खादी एण्ड रूरल डवलपमेंट संस्था, 2/275-2, बालाजी नगर, चेम्मुनिया पेटा, जिला कुड्डप्पा-516003 (आंध्र प्रदेश)	1,84,800
4.	नारशिमला खादी रूरल डवलपमेंट एसोसिएशन, 21/46-6, थेरूरोड, जिला कुड्डप्पा, जम्मामलमुडुग-516434 (आंध्र प्रदेश)	1,84,800
5.	स्वामी विवेकानन्द यूथ एसोसिएशन, डी. नं. 12/320 ई, अशोक नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी के निकट, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)-515001	1,84,800
6.	सोसायटी फॉर वेलफेयर एण्ड एवेकनिंग इन रूरल इन्वायरनमेंट, कोसीरेड्डी पल्ली (5), गोरंतला-मंडल, जिला अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)-515231	5,54,400
7.	बापूजी खादी रूरल डवलपमेंट एसोसिएशन, 4/537, सुपर बाजार स्ट्रीट, प्रोदतूर-516360, जिला कुड्डप्पा (आंध्र प्रदेश)	1,84,800
8.	सर्वोदय वड्डे लेबर कान्ट्रेक्ट सोसायटी, डी नं. 2/58, चेन्नमपल्ली, बडवेल मंडल, चेन्नमपल्ली-516502, जिला कुड्डप्पा (आंध्र प्रदेश)	92,400
9.	स्वर्णलता महिला मण्डली, डी नं. 7/108, एनजीओ कालोनी, आंध्र प्रदेश-517002	1,84,800
10.	मेरी माता रूरल डवलपमेंट सोशल सर्विस ऑर्गेनाईजेशन, डी नं. 6/406, जेनिगला स्ट्रीट, नेहरू विद्या निकेतन स्कूल के सामने, स्टोन हाऊसपेट, नेल्लोर-524002	1,84,800
11.	श्री महबूब महिला मंडली, 4/206-ए, बुर्रासाधु मातम, सुपर बाजार रोड, प्रौदत्तूर-516360, जिला कुड्डप्पा, आंध्र प्रदेश	2,77,200

1	2	3
12.	श्री शक्ति डवलपमेंट सोसायटी, 4-67, एग्रीकल्चरल स्टाफ क्वार्टरों के सामने, तिरूपति, जिला चित्तुर-517502, आंध्र प्रदेश	92,400
13.	वकुला देवी महिला मंडली, ए, रंगमपेट, चन्द्रगीर (एम) जिला चित्तुर (आंध्र प्रदेश)-517102	3,69,600
14.	कोलोंग पार्क महिला विकास केन्द्र, हैबर गांव, जिला नगांव, असम	1,84,800
15.	बर्नीबारी युवक संघ, गांव एवं डाकघर बर्नीबारी, जिला नलबाड़ी, असम-781304	4,62,000
16.	भारत विकास संघ, 1674/22, श्रीनगर कालोनी, रोहतक-124001, हरियाणा	2,83,344
17.	हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद्, 650, सेक्टर-16 डी, चंडीगढ़, हरियाणा	15,25,434
18.	पीपुल्स आर्गेनाइजेशन इन डवलपमेंट एण्ड एक्शन, परशुरामपुरम, चेकलकेरे तालुक, चित्रदुर्ग जिला-577538, कर्नाटक	36,960
19.	श्री छत्रपति शिवाजी सार्वजनिक वाचनालय, गांव-एकुर्क, डाकघर कल्लूर, उदगीर, जिला लातूर, महाराष्ट्र	36,960
20.	खातून माइनारिटी विमेंस सोशल वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी, 534, एम एच बी कालोनी, मालेगांव-433203, नासिक, महाराष्ट्र	1,84,800
21.	एकता शिक्षण प्रशिक्षण प्रसारक मंडल, माडंवा, गुरुदेव नगर, तालुक दिसग्रास, जिला यवतमाल-445203, महाराष्ट्र	12,320
22.	पेराडाइज विमेंस एसोसिएशन, लेरिक यंगबाम लईकई, इम्फाल-795001, मणिपुर	1,23,200
23.	एजुकेशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 36, जीवा स्ट्रीट, बेथनीपुरम, मदुरई-625016, तमिलनाडु	92,400
24.	तमिलनाडु रूरल इनवायरनमेंट इकानामिक डवलपमेंट आर्गेनाईजन, प्लाट नं. 3, अरूल मालार कान्वेंट सेंट, के के नगर, मदुरई-625020, तमिलनाडु	92,400
25.	पूअर पीपुल वेलफेयर सोसायटी, 12, कान्वेंट बिल्डिंग, सब कलेक्टर ऑफिस रोड, डिंडिगुल-624001, तमिलनाडु	39,720
26.	सारांश शिक्षा संस्थान, गांव सेंढा, डाकघर मोहम्मदपुर, पथरा अवाला, बरेली, उत्तर प्रदेश	92,400
27.	बिक्रमनगर उदयन संघ, गांव बिक्रमनगर, डाकघर हरिया, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	92,400

1	2	3
28.	बराबरी श्रीकृष्ण सेवा संघ, गांव व डाकघर-बराबरी (दक्षिण), जिला मिदनापुर (प.बं.) 721430	1,84,800
स्वाधार		
29..	भारतीय विकासम ट्रस्ट, "अनंत", पेरमपल्ली शिवाली, उडुपी, जिला उडुपी, कर्नाटक	5,10,000
कामकाजी महिला होस्टल		
30.	एनएसएस एजुकेशनल कल्चरल एण्ड चेरिटेबल सोसायटी, चेलकुडी, केरल	2,00,553
31.	वी.एम.वी.वी. संघ, हंगुड, कर्नाटक	5,85,000
32.	न्यू जय भारत शिक्षण प्रसारक मंडल, नान्देड़, महाराष्ट्र	24,82,200
33.	फ्रेंड्स ऑफ दि डिपरेस्ड लीग, शेरगांव, महाराष्ट्र	4,03,200
34.	राजपालयम म्युनिसिपेलिटी, तमिलनाडु	18,00,000
35.	आल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस सी, एस टी एण्ड माईनारिटीज, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	13,86,000
स्वावलम्बन		
आंध्र प्रदेश		
36.	विलेज डवलपमेंट सोसायटी, वनस्थलीपुरम, आर आर जिला, हैदराबाद	1,77,500
असम		
37.	ग्राम विकास परिषद्, नगांव, असम	1,77,500
हरियाणा		
38.	अखिल भारतीय संत हरिदास समाज सेवा संघ, दिल्ली, रोहतक रोड, बहादुरगढ़	119355
हिमाचल प्रदेश		
39.	महिला विकास मंच, जिला चम्बा	77018
जम्मू व कश्मीर		
40.	मदर विमेन वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, बारामुला, जम्मू व कश्मीर	100100
41.	दुर्गा देवी एजु. ट्रस्ट, जम्मू, जम्मू व कश्मीर	77018
42.	गोसिया एम्ब्रोइडरी, आईसीएस लिमिटेड, श्रीनगर	100100
43.	सोशियो इकानामिक विमेन डवलपमेंट सोसायटी, जम्मू, जम्मू और कश्मीर	66000
44.	कश्मीर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड सोलर टेकनालाजी, अनंतनाग, जम्मू व कश्मीर	257500

1	2	3
45.	दिलनवाज सोजनी एम्ब्रोइडरी वर्क्स, आईसीएस लिमिटेड, श्रीनगर	64500
महाराष्ट्र		
46.	प्रतीक सेवाभावी संस्था, राहुल	35400
47.	नगर, परभनी, महाराष्ट्र	
48.	जय बजरंग बहुद्देश्यीय विकास	66000
49.	संस्था, वर्दा, महाराष्ट्र	
50.	सर्वोदय एजुकेशनल एण्ड वालेंटरी एसोसिएशन नान्देड़, महाराष्ट्र	35400
51.	संधी निकेतन शिक्षण संस्था, उदगीर, महाराष्ट्र	177500
मध्य प्रदेश		
52.	गंगा प्रसाद शिक्षा प्रसार समिति, भिण्ड	79150
53.	केशव बाल विकास समिति, इन्दौर	77018
मणिपुर		
54.	यूथ एडवेंचर रूरल डवलपमेंट, हेरोक पार्ट-2 खुनौड, वांगजिंग	44100
55.	आल मणिपुर विमेन वालेन्टरी सर्विसिज, इम्फाल	235080
56.	विमेन सोशल अपलिफ्टमेंट आर्गेनाइजेशन, इम्फाल	199800
57.	सोशल अपलिफ्टमेंट एण्ड रूरल एजुकेशन, इम्फाल	245900
58.	काचीन विमेन वेलफेयर एसोसिएशन, इम्फाल	263825
59.	सोशल अवेयरनेस एण्ड एजु. डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, इम्फाल	64500
60.	महिला सामाजिक-आर्थिक विकास समिति, इम्फाल	109988
61.	युमनाम लईकाई अवांग वुमेन वेल्फेयर एसोसिएशन, पश्चिमी इम्फाल	114018
62.	सहायता एवं विकास संगठन, इम्फाल	135680
63.	नोनगईचिंग वेल्फेयर एसोसिएशन, पश्चिम इम्फाल	44100
64.	सोसायटी फॉर वुमेंस एजुकेशन, एक्शन एण्ड रिफ्लेक्शन, अथोकपम, थाउबल	54975
65.	खुरखुल माखा आइडियल वुमेन सोसायटी, पश्चिमी इम्फाल	44100
मेघालय		
66.	सेंट जेवियर सोसायटी फॉर क्राईस जीसस, मेघालय	114018

1	2	3
नागालैंड		
67.	एल्हियो वुमेन वेल्फेयर सोसायटी, वोखा, नागालैंड	57847
उड़ीसा		
68.	मंगल ज्योति स्वैच्छिक संगठन, धेंकनाल, उड़ीसा	126000
69.	रतनाकर ग्रामीण एवं महिला विकास संस्थान, धेंकनाल, उड़ीसा	60700
70.	भुवनेश्वर गांधीपीठ सामाजिक संगठन, भुवनेश्वर	54975
71.	नवज्योति युवक संघ, खुर्दा	54975
राजस्थान		
72.	एकेडमी ऑफ कम्प्यूटर साईंस एप्लीकेशन, जोधपुर, राजस्थान	177500
73.	सोसायटी फॉर पब्लिक अफेयर्स, जयपुर	85300
तमिलनाडु		
74.	क्रिश्चियन फेलोशिप कम्यूनिटी हेल्थ सेन्टर, नामक्कल, तमिलनाडु	47500
75.	सोसायटी फॉर एजुकेशनल विलेज एक्शन एण्ड इम्प्रूवमेंट, त्रिची	47500
76.	इन्टीग्रेटिड वुमेन डवलपमेंट इंस्टीट्यूट, चैन्नई, तमिलनाडु	66010
उत्तर प्रदेश		
77.	ग्रामीण सेवा संस्थान, नर्स हॉस्टल के सामने टाऊन हाल, गोरखपुर	73448
78.	लालजी ग्रामोद्योग सेवा समिति, गांव व डाकघर धमेरा कीरा, बुलन्दशहर	209475
79.	श्री दुर्गा ग्रामोद्योग सेवा समिति, 195/4, विवेक विहार, जनकपुरी, बरेली	82749
80.	समाज सेवा संस्थान, 23/47, इलाहाबाद	64832
81.	पुष्पांजली, गांव डाकघर नरौरा, ब्लॉक बिचियो, उन्नाव	62511
82.	नारी निकेतन जन कल्याण समिति, गांव रामपुर, डाकघर सुगावन, हरदोइ	62511
83.	ब्राईट चिल्ड्रन्स एजुकेशन एण्ड कल्चरल कमेटी, ओल्ड फाजिल नगर, कैसिया, कुसी नगर	77018
84.	सेन्टर फॉर एजुकेशनल टेकनीलकल रिसर्च एण्ड एक्सटेंशन 283/4, शास्त्री नगर, कानपुर	191900
85.	आशीर्वाद सामाजिक सेवा संस्थान, गांव व डाकघर सिकन्दरा, इलाहाबाद	82749
86.	साधना महिला विकास सेवा, नौबस्ता, बिरगवा, कानपुर	191900

1	2	3
87.	सर्वांगीण महिला एवं समाजोत्थान सेवा संस्थान, कानपुर	62511
88.	बाबू सिंह विद्यालय माहम बनवारी, कन्नौज	62511
89.	आइशा ग्राम उद्योग समिति, मौहल्ला लोहानी डाकघर पिहानी, हरदोई	62511
90.	धर्मा ग्रामोद्योग शिक्षण संस्थान, मधुपुर, मिरनपुर, अम्बेडकर नगर	82749
91.	उपकार समिति, गांव सुभारनी, डाकघर मानधाता, प्रतापगढ़	39024
92.	बुंद्रेलखण्ड ग्राम विकास संस्थान, ग्राम मोदाहा, डाकघर रागोल, हमीरपुर	62511
93.	नवीन महिला शिक्षा प्रशिक्षण सेवा संस्थान, गांव धर्मपुर बुजुर्ग, डाकघर पाकरी बुजुर्त, कुशीनगर	62511
94.	सुभम सामाजिक सेवा समिति प्रयाग, गांव सिसई सिवई, डाकघर नरसरतपुर, इलाहाबाद	62511
95.	महिला एवं ग्रामोत्थान सेवा समिति, सिरसागंज, फिरोजाबाद	191900
96.	बाल विकास मॉडर्न मान्टेशरी स्कूल समिति, गांव कोदूरी, डाकघर धनवरवाडा, तहसील मिसरिख, सीतापुर	62511
97.	जे.पी. सेवा समिति, गांव फिरोजपुर, कन्नौज	191900
98.	कैलाश आश्रम, गांव थुलमा, डाकघर एशपुर, इलाहाबाद	82749
99.	जन विकास ग्रामोद्योग सेवा	82749
100.	स्वदेशी जनकल्याण सेवा समिति, 656, जवाहर विहार, मिल्कामू, रायबरेली	191900
101.	रानी अहिल्याबाई होल्कर विद्या पाणि, कानपुर नगर	191900
102.	महिला विकास समिति, बी-5/285, घाट, वाराणसी	177500
103.	जनकल्याण परिषद्, बड़ा बाजार, शमसाबाद, फर्रुखाबाद	70000
104.	राष्ट्रीय ग्रामोदय सेवा संस्थान, बाबू राम का चपरा, बलिया	82749
105.	आर्य कन्या विद्यालय समिति, सिरातु, कसौम्बी, इलाहाबाद	82749
106.	शांति ग्रामोद्योग विकास समिति, गांव फैजपुर, डाकघर असगरीपुर, बिजनौर	82749
107.	राष्ट्रीय धर्मार्थ कल्याण समिति, 198, पल्टन बाजार, प्रतापगढ़	62511
108.	मनीषी बाल विद्या मन्दिर, क्षयरोग अस्पताल के पास, जौनपुर	39024
109.	समाजोत्थान एवं शिक्षा प्रचारिणी संस्थान, दुर्वेश	88864
110.	पुर, मवाना, मेरठ नन्द खादी ग्रामोद्योग समिति, रामपति, अम्बेडकर नगर	82749

1	2	3
111.	ज्योति विद्या मन्दिर आनन्दपुरी, जेल रोड, गोंडा	62511
112.	अवध ग्रामोद्योग विकास जनकल्याण संस्थान, ग्राम	82749
113.	ग्राम विकास एवं समाज कल्याण संस्थान, बस्वारी, मोदाहा, मुस्कारा, हमीरपुर	62511
114.	दलित उद्धार समिति, एल-35, वीडीए कालोनी, चांदमारी, बरालपुर	57487
115.	शिक्षा महिला समिति, गांव मोहल मिश्रा, डाकघर थौरवापुर, बस्ती	82749
116.	उ.प्र. ग्रामीण महिला एवं बाल कल्याण समिति, आवास विकास कालोनी, बाराबंकी	82749
117.	सत्यमेव सेवा संस्थान, सी-8, सेक्टर पी, बेलीगारद क्रासिंग, अलीगंज, लखनऊ	82749
118.	श्री कामद नाथजी सेवा, कानपुर नगर	471360
119.	गीता प्रशिक्षण संस्थान, गांव डाकघर बांकेगंज, लखीमपुरखीरी	70050
120.	ग्रामीण महिला युवा एवं बाल जुन्सी, इलाहाबाद	49596
121.	सुशीला जन सेवा समिति, सहवारा, कायमगंज, फर्रुखाबाद	62511
122.	नारायण सेवा समिति, मन्ना पुरवा, लखनऊ रोड, हरदोई	82749
123.	इंडियन रूरल एण्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एसोसिएशन, शाहजादपुर, अकबापुर, अम्बेडकर नगर	62511
124.	महारानी लक्ष्मीबाई शिक्षा संस्थान, डाकघर रथ, हमीरपुर	177500
125.	ग्रामोत्थान महिला संस्थान, मोहल्ला महादेव (मास्टर कालोनी) धनौरा, जे.पी. नगर	82749
126.	लक्ष्मी विद्या मंदिर समिति, राजीव विहार, माचरिया रोड, नौबस्ता, कानपुर	191900
127.	कुटीर ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, गांव रौनिया, डाकघर खास बिनजौर	82749
128.	सामुदायिक शिक्षण शोध संस्थान (सेरी) गांव व डाकघर कोइरूना, संत रविदास नगर	62511
129.	अजीत सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समिति, बहतरा खुर्द, संत रविदास नगर	62511
130.	श्री सरनाम सिंह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सराम सिंह नगर, लेबर कॉलोनी, फिरोजाबाद	82749
131.	वातायन, 496/15 छोटा चांद गंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ	191900
132.	सर्वोदय सेवा संस्थान, दुबकी कलां, हांडिया, इलाहाबाद	82749

1	2	3
133.	हरदी ग्रामोद्योग सेवा	191900
134.	अखिल भारतीय समाजोत्थान संस्थान, 15 प्रीत विहार, डाकघर चिन्हट, लखनऊ	120630
135.	भारत सेवा संस्थान, गांव व डाकघर चिटसन, बुलन्दशहर	57487
136.	पूनम सेवा संस्थान, 2/1 संदवा कॉलोनी, नैनी, इलाहाबाद	302500
137.	बाबू राम ग्रामोत्थान संस्थान, गांव परमी, डाकघर फुलाइ, हरदोई	191900
138.	सनराइज एजुकेशनल एण्ड सोशल पैंठ, गली नं. 3, डा. जाकिर, मेरठ	191900
139.	अन्जना समाज कल्याण समिति, 53, आगरा गेट, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद	62511
140.	राज परीक्षण केन्द्र, 281/387, मिल रोड, मवैया, लखनऊ	135680
141.	डाक्टर लोहिया ग्रामीण सेवा समिति, गांव धनकेशरा	77018
142.	मैत्रेयी साक्षरता, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठन, 40/1, मोतीलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद	77018
143.	निर्मल ज्योति स्वयंसेवी समिति बिशनपुरा, खण्डसारा, बलिया	109988
144.	किसान पब्लिक स्कूल, गांव व डाकघर चान्दनगर, जे.पी. नगर	82749
145.	हिन्दु मुस्लिम एवं कल्याण समिति, 82/75 के, गुरू गोविन्द मार्ग, लाल कुआं, लखनऊ	188150
146.	श्रीमती सरोज देवी ग्रामीण शिक्षा जागरूकता सेवा कल्याणपुर, कानपुर	109988
147.	आरती ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, दूरसंचार कार्यालय के नजदीक, डाकघर जाखल रोड, तहसील केशरगंज, बहराइच	114057
पश्चिम बंगाल		
148.	श्री श्रीमहाप्रभु बालक संघ, 24 परगना (द.)	64500
149.	सुन्दरवन सर डेनियल आश्रम, दक्षिणी 24 परगना	59700
150.	सेवांजलि महिला समिति, दक्षिणी 24 परगना	64100
151.	खरदाह पब्लिक सांस्कृतिक कल्याण संघ, खरदाह, हावड़ा	209475
152.	नारायणतला जन संचार समिति, कोलकाता	177500
153.	धमकुरिया ग्रामीण एवं शहरी विकास संगठन, धमकुरिया, मिदनापुर	64500
154.	मुक्ति निवेश सोसायटी फॉर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट एण्ड एजुकेशन, चैतन्य लोक, हल्द्वानी	177500
155.	आइकातन संघ, गांव व डाकघर-दारा, दक्षिणी 24 परगना, पश्चिम बंगाल	209475

हिमधाव/भारी हिमपात

2903. श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तरांचल के कौन-कौन से क्षेत्र हाल ही में हिमधाव/भारी हिमपात से प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने उपरोक्त राज्यों में ऐसे स्थानों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कराये गये अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (घ) सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्त पद

2904. श्री चन्द्रशेखर दूबे:
डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य:
श्री विजय कृष्ण:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अधिकांश विद्यालयों में लगभग 650 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए औसतन केवल एक शिक्षक उपलब्ध हैं जबकि केन्द्रीय विद्यालयों में बड़ी संख्या में ऐसे पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो दिनांक 27 जुलाई, 2004 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार सभी विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए देश में केवल एक या दो शिक्षक वाले ऐसे कितने विद्यालयों की पहचान की गई है; और

(ग) तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन को ऐसे रिक्त पदों को भरने के लिए क्या-क्या निर्देश जारी किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं। केन्द्रीय विद्यालयों में एक शिक्षक औसतन लगभग 30 विद्यार्थियों की कक्षा को पढ़ाता है। 34725 शिक्षकों की कुल स्वीकृत संख्या में केवल 2985 पद रिक्त हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समूचे देश के सभी केन्द्रीय विद्यालय पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध हों, 2382 शिक्षकों को संविदा आधार पर नियुक्त किया गया है।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन का ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां केवल एक या दो शिक्षक सभी विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। रोहतक, नाहरा, भिवानी, पलवास सिरसा तथा झज्जर में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षाओं में अध्यापन हेतु पर्याप्त संख्या में शिक्षक हैं।

(ग) संगठन ने शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के लिए वर्ष 2004-05 की भर्ती प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली है।

[अनुवाद]

भारत-चीन सीमा पर बाड़ लगाना

2905. श्री अधलराव पाटील शिवाजी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत-चीन सीमा पर बाड़ लगाये जाने के संबंध में चीन की सरकार के साथ कोई वार्ता की है; और

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेयजल की आपूर्ति

2906. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)/दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) दिल्ली की कतिपय कॉलोनियों में विशेषकर सेक्टर 19, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली के एम.आई.जी. फ्लैटों में कुएं या ट्यूबवेल से पेयजल की आपूर्ति कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि द्वारका में जल और सीवेज के लिए एकल लाइन की व्यवस्था है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसी व्यवस्था के तहत लोगों द्वारा पिया जाने वाला यह जल सुरक्षित समझा जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो निवासियों के लिए सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली जल बोर्ड ने यह सूचित किया है कि द्वारका के लिए 6 मिलिग्न गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) की कुल आवश्यकता की तुलना में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा द्वारका के कमाण्ड टैंक नं. 2 में केवल 3 एमजीडी पानी सप्लाई किया जा रहा है। द्वारका सेक्टर 19 फेज-1 में एमआईजी फ्लैटों में दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड के पानी के साथ ट्यूबवेल का पानी क्लोरीनीकरण के बाद सप्लाई कर रहा है। ट्यूबवेल का जो पानी मिलाया जा रहा है, वह पीने के लिए उपयुक्त है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा द्वारका में पानी की सप्लाई, बरसाती पानी की नालियां तथा सीवरेज की अलग-अलग लाइनें उपलब्ध कराई गई हैं।

दिल्ली में पार्किंग संबंधी नीति

2907. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली में पार्किंग संबंधी नीति का पुनरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई नीति में किये गये परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे दिल्ली में पार्किंग की समस्या का किस हद तक समाधान हो जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (घ) उषा कुमार बनाम एमसीडी और अन्य नामक शीर्षक से 2000 की सिविल रिट याचिका संख्या 7301 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 22 अगस्त, 2003 के आदेश के अनुसरण में दिल्ली नगर निगम ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली यातायात पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ परामर्श करके पार्किंग नीति तैयार की थी जिसे कार्यान्वित करने के लिए 28 अक्तूबर, 2003 को सभी संबंधितों में परिचालित किया गया था। इस नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, बहु-मंजिली/भूमिगत पार्किंग का निर्माण करने, अलग-अलग पार्किंग क्षेत्रों/स्थलों के लिए भिन्न-भिन्न पार्किंग प्रभारों, मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन, चुने गए क्षेत्रों में उच्च क्षमता वाली बस प्रणाली और इलैक्ट्रिक ट्राली बस प्रणाली शुरू करने, इंटर-सिटी रेल नेटवर्क, बाजारों में पैदल खरीददारी की व्यवस्था करने, पार्किंग स्थान में वृद्धि करके भूमि का इष्टतम उपयोग करने तथा पार्किंग की समस्या का समाधान करने में लोगों का सहयोग प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। उक्त नीति में अब तक ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया है। तथापि, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली नगर निगम ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्णय लिया है कि क्रमिक पार्किंग उपकर शुरू किया जाए और ठेकेदारों को पार्किंग स्थलों का आवंटन करने के लिए शर्तों और निबंधनों में परिवर्तन किया जाए। उक्त परिवर्तनों के जरिए अव्यवस्थित/अवरोधक पार्किंग को न्यून किया जाएगा, सड़कों पर भीड़-भाड़ कम की जाएगी और लोगों को अपने वाहन का प्रयोग करने से हतोत्साहित किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 485/04]

(3) एमएसटीसी लिमिटेड तथा उसकी समनुषंगी फेरों स्क्रैप निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन पर शुद्धिपत्र* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 486/04]

[अनुवाद]

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 487/04]

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पर रखता हूं:

(1) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 488/04]

(2) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 489/04]

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड विनियम, 1997 की धारा 31 के अंतर्गत लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड (भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति) उप-नियम, 2003 जो 5 फरवरी, 2003 के लक्षद्वीप के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 13/2/2002-एलबीडीबी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 490/04]

(2) (एक) लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, कावारट्टी के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, कावारट्टी के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 491/04]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): महोदय, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) नागरिकता (दूसरा संशोधन) नियम, 2004 जो 26 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 219(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नागरिकता (तीसरा संशोधन) नियम, 2004 जो 19 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 456(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 492/04]

मानव संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन का प्रारूप, आवेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को मान्यता देने के लिए मानदंड और मानकों का अवधारण तथा नये पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को शुरू करने की अनुमति) (तीसरा

*एमएसटीसी लिमिटेड तथा उसकी समनुषंगी फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, कोलकता का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन 22.12.2003 को सभा पटल पर रखा गया।

संशोधन) विनियम, 2004 जो 5 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 53-3/2003-एनसीटीई (एन एंड एस) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 493/04]

(2) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 494/04]

अपराह्न 12.01 बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं 7 जून 2004 को सभा को सूचित करने के पश्चात् चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त तीन विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:

1. विनियेग (रेल) लेखानुदान संख्याक 2 विधेयक, 2004
2. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2004; और
3. विनियोग (लेखानुदान) संख्यांक 2 विधेयक, 2004

अपराह्न 12.02 बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

पहले से चौथा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी पहला प्रतिवेदन;

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी दूसरा प्रतिवेदन;

(3) कृषि मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी तीसरा प्रतिवेदन;

(4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): महोदय, मैं श्री शिवराज पाटिल की ओर से निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं:

मणिपुर अनेक वर्षों से विद्रोह एवं उग्रवाद का सामना कर रहा है।

इसे अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। सम्पूर्ण राज्य में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम लागू था।

राज्य में कुछ लोग सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को वापस लेने के लिए आंदोलन कर रहे हैं।

12 अगस्त, 2004 को केन्द्र सरकार के परामर्श के विपरीत राज्य सरकार ने इम्फाल नगर से अधिनियम को वापस ले लिया तथा इसे शेष राज्य में लागू रहने दिया।

राज्य सरकार का कहना है यह अधिनियम राज्य में लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है।

11 जुलाई, 2004 को हुई घटना, जिसमें कुमारी टीएच. मनोरमा देवी का शव गोलियों के जख्मों के साथ एक खेत में पाया गया था, के बाद आंदोलन जोर पकड़ गया। इस संबंध में आरोप यह लगाया गया कि उसकी हत्या असम राइफल्स ने की है।

आंदोलनकर्ता यह मांग कर रहे हैं कि असम राइफल्स को इस क्षेत्र से हटा लिया जाए।

सशस्त्र बलों ने उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है जो इस घटना के लिए उत्तरदायी बताए गए हैं।

राज्य सरकार ने भी इस मामले में न्यायिक जांच प्रारम्भ कर दी है।

इम्फाल नगर से अधिनियम के हटा लिए जाने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

केन्द्र सरकार स्थिति पर निगाह रखे हुए है। सरकार स्थिति से निपटने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करेगी।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): उपाध्यक्ष जी, मणिपुर में आग लगी हुई है और पिछले डेढ़ महीने से वहां उत्तेजित वातावरण है। ...*(व्यवधान)* हमने वक्तव्य को कृपापूर्वक आपकी आज्ञा से बड़े अनुशासित होकर सुना लेकिन मणिपुर हमारे देश का सुदूरवर्ती राज्य है और वहां पर बहुत ही उत्तेजित वातावरण है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: किंतु इस समय निवेदन नहीं किया जा सकता है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, इस पर आप चर्चा करा दें। ...*(व्यवधान)* इस पर कई नोटिस दिये गये हैं। ...*(व्यवधान)* यह कोई मामूली मामला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप नोटिस दे दें, उस पर विचार कर लेंगे।

श्री मोहन सिंह: हमने नोटिस दिया है। इससे अधिक गम्भीर बात नहीं हो सकती, दूसरा कश्मीर बनाने की कोशिश हो रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यमंत्रणा समिति इस पर निर्णय करेगी।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अलग-अलग वक्तव्य आने से हालत और खराब हो रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको प्रक्रिया की पूरी जानकारी है। आप मुझे सूचना दीजिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: हम आपकी आज्ञा मानते हैं। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि वक्तव्य पर बहस नहीं होती है। लेकिन मणिपुर की स्थिति के बारे में सदन के भीतर तुरंत चर्चा की आवश्यकता है। यह भारत की एकता और अखंडता से संबंधित विषय है। इस पर भारत सरकार उतनी गम्भीर नहीं है, जितना कि उसे होना चाहिए। इसलिए. सदन में हम इस पर चर्चा की मांग करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: रूल्स के मुताबिक अभी इस पर चर्चा नहीं हो सकती।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं 'शून्य काल' के दौरान आपको समय दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): पूरा सदन सहमत है कि मणिपुर पर चर्चा कराई जाए। हमारी आपसे प्रार्थना है कि मंत्री जी के वक्तव्य पर चर्चा की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: आप नोटिस दे दें।

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, हमने पहले भी निवेदन किया था। अब मंत्री जी का वक्तव्य आ गया है इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि इस पर चर्चा कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप नोटिस दे दें।

श्री रामजीलाल सुमन: मंत्री जी के वक्तव्य पर चर्चा कराई जाए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मणिपुर में स्थिति अत्यन्त गंभीर है। मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है। मणिपुर पर पूरी चर्चा होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री ाचार्य, यह तरीका नहीं है। आप सूचना दीजिए और कार्यमंत्रणा समिति को निर्णय करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि मणिपुर पर चर्चा कराए जाने के लिए सदन एकमत था। मंत्री जी का बयान हो गया है इसलिए इस वक्तव्य पर चर्चा होनी चाहिए। इसको आधार मानकर चर्चा होनी चाहिए। आप हमारा नोटिस स्वीकार करें और वक्तव्य पर चर्चा शुरू कराएं, क्योंकि यह सबसे गम्भीर सवाल है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री गुरुदास दासगुप्त (पन्सकुरा): महोदय, मैं, इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं। वह सभा को गुमराह कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं। इस वक्त रूल्स के मुताबिक कोई चर्चा नहीं हो सकती। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इस पर निर्णय लेगी।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली): भारत सरकार का हस्तक्षेप बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहां प्रतिदिन हालात खराब हो रहे हैं। सरकार विपरीत बयान देकर सदन को गुमराह कर रही है। इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री रामजीलाल सुमन: यह जो वक्तव्य दिया गया है, यह सही नहीं है। इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मणिपुर पर नोटिस दिया हुआ है। अब उस पर आपका नियमन चाहिए।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): महोदय, आपकी अनुमति से, मैं बताना चाहता हूं कि हम चर्चा करना चाहते हैं। इतना आवेशित होने की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे पर चर्चा होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय के आने पर, हम तिथि के बारे में निर्णय करेंगे और चर्चा की जाएगी। माननीय सदस्यों को अपना विचार व्यक्त करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप बैठ जाएं। सदन के नेता ने कहा है कि वे इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस बारे में हाउस में और डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाए। उनकी बात पर विश्वास किया जाए। अब श्री जायसवाल जी दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे।

(दो) असम के धीमाजी जिले में बम विस्फोट की घटना

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): महोदय, मैं श्री शिवराज पाटील की ओर से यह वक्तव्य देता हूं—

धीमाजी कॉलेज के मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल पर 15 अगस्त, 2004 को 0850 बजे एक शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ जिसमें 13 व्यक्ति (पाँच स्कूली बच्चों सहित सात पुरुष और छह महिलाएं) मारे गए और कुछ अन्य घायल हुए। ये सभी वे दर्शक थे जो समारोह में भाग लेने आए थे। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को असम मेडिकल कॉलेज, डिब्रूगढ़ में पहुंचाया गया है। प्रारंभिक जांच से यह पता चला है कि जनता के लिए बने आहाते के निकट मंच से 40/50 मीटर की दूरी पर लगाए गए आई.ई.डी. से यह विस्फोट हुआ था। यह विस्फोट उल्फा के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया प्रतीत होता है। उप आयुक्त ने इसी स्थल पर 0915 बजे ध्वजारोहण किया था।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर असम में दो और घटनाएं घटीं। एक घटना में, धकुआखाना नॉर्मल स्कूल फील्ड, नार्थ लखीमपुर जिले के धकुआखाना सब-डिवीजन में 0755 बजे आई.ई.डी. विस्फोट हुआ। इस घटना में फ्लैग पोस्ट के ठीक नीचे जमीन के अंदर आई.ई.डी. दबाया गया था। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यह विस्फोट पहले से लगाए गए टाइम्ड डिवाइस से किया गया था और इस कृत्य के पीछे उल्फा कार्यकर्ताओं का हाथ होने का संदेह है।

दूसरी घटना में, धुब्री जिले के गौरीपुर फील्ड में 1320 बजे स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद आई.ई.डी. विस्फोट हुआ। चूंकि प्रातःकालीन समारोह के बाद लोग पहले ही इस स्थल से जा चुके थे इसलिए इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

राज्य सरकार ने सुरक्षा संबंधी चूकों के लिए पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक को निलंबित कर दिया है। उपायुक्त को भी बदला जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को 3 लाख रु. और गंभीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 रु. का अनुग्रह अनुदान मंजूर करने की घोषणा की है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जो व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुए हैं उन्हें प्रत्येक को 10,000 रु. दिए जाएंगे। घायल हुए व्यक्तियों का पूरा चिकित्सा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

16 अगस्त को राज्य शोक मनाया गया और आज इस कायरतापूर्ण कार्य की निन्दा करते हुए और उग्रवादियों से हिंसा की घटनाओं को बंद करने को कहते हुए शांति यात्राएं तथा सार्वजनिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

भारत सरकार, उग्रवादियों द्वारा की जा रही हिंसा और विद्रोह के कृत्यों का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार को अपेक्षित सभी सहायता प्रदान करेगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार से क्या सहायता मांगी है और भारत सरकार ने क्या मदद की है, क्या सुविधा उपलब्ध कराई है, माननीय मंत्री जी हमें बताएं। *...(व्यवधान)* भारत सरकार ने वहां की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार से क्या पत्र-व्यवहार किया है, उसका खुलासा भी माननीय मंत्री जी करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह कोई तरीका नहीं है। आप अब कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा): महोदय, मैं सदन के नेता से इस विषय पर चर्चा हेतु सहमति देने की अपील करना चाहूंगा *...(व्यवधान)* प्रेस के कुछ हिस्सों में यह प्रकाशित हुआ है कि इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था में सेंधमारी की गई *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार (बंगलोर दक्षिण): महोदय, इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है *...(व्यवधान)* इस पर चर्चा की जानी चाहिए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसके लिए आप सूचना दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री एस. बंगरप्पा: महोदय, इस विषय पर विस्तृत चर्चा हेतु सहमति देने के लिए हम लोग सरकार से अपील कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप नोटिस दीजिए। नोटिस देने के बाद उस पर डिस्कशन के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री एस. बंगरप्पा: महोदय, यह कोई साधारण सा मामला नहीं है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इस पर कार्यमंत्रणा समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री एस. बंगरप्पा: महोदय, सरकार को इस विषय पर चर्चा करने हेतु सहमति देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। यह तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.15 बजे

समितियों का निर्वाचन

(एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 3(4)(ञ) और 4(3) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सदस्य के रूप में सभा द्वारा निर्वाचन की तारीख से 2.11.2004 तक की अवधि हेतु कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 3(4)(ञ) और 4(3) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सदस्य के रूप में सभा द्वारा निर्वाचन की तारीख से 2.11.2004 तक की अवधि हेतु कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31(2)(ट) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31(2)(ट) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

(तीन) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) के 6 जुलाई, 2004 के संकल्प संख्या एफ.सं. 2-24/93-पीएन. 1 के अनुबंध की मद संख्या 5(i) के साथ पठित उक्त संकल्प के पैरा 5 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों को निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) के 6 जुलाई, 2004 के संकल्प संख्या एफ.सं. 2-24/93-पीएन. 1 के अनुबंध की मद संख्या 5(i) के साथ पठित उक्त संकल्प के पैरा 5 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

सदस्य द्वारा निवेदन

अपराह्न 12.18 बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा वीर सावरकर के विरुद्ध की गई कथित टिप्पणी के बारे में

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): उपाध्यक्ष महोदय, हमने 15 अगस्त को आजादी की सालगिरह मनायी। देश को आजादी दिलाने वाले जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनमें से एक अग्रणी सेनानी वीर विनायक दामोदर सावरकर हैं। उपाध्यक्ष जी, जो हमारे राष्ट्र पुरुष हैं, उनमें से एक वीर सावरकर हैं। *...(व्यवधान)* इसलिए हमने संसद के सैंट्रल हॉल में सावरकर जी की *...(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, कृपया बैठ जाएं। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान) *

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: गीते जी के अलावा कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय: आठवले जी, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदयः रघुनाथ झा जी, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना है। केवल श्री गीते के वक्तव्य को छोड़कर और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीतेः उपाध्यक्ष जी, इसलिए राष्ट्र पुरुषों का जो सम्मान किया जाता है, उसके मुताबिक *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः मैं थोड़ी सी बात हाउस के माननीय सदस्यों को बताना जरूरी समझता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः नेताओं द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि श्री अनंतराम गीते एक वक्तव्य देंगे। तत्पश्चात्, सभा के माननीय नेता एक वक्तव्य देंगे। अतएव, शांति बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीतेः उपाध्यक्ष जी, देश के जो महापुरुष हैं, उनका सम्मान किया जाता है। उन्हीं में से एक स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का पोर्ट्रेट लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री मनोहर जोशी ने उनके सम्मान में संसद के केन्द्रीय कक्ष में लगाया था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यों, कृपया बीच में टीका-टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीतेः उनका फोटो लगाने से पहले लोक सभा की जनरल परपजेज कमेटी की बैठक में समिति के सदस्यों ने चर्चा की थी जिसमें सभी पार्टियों के नेता उसके सदस्य होते हैं। उस समिति में सभी नेताओं की एक राय से यह फैसला लिया गया कि वीर सावरकर का फोटो संसद के केन्द्रीय कक्ष में लगाया जाये। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): हमने विरोध किया था। *...(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): उपाध्यक्ष जी, उस बैठक में श्री मुलायम सिंह यादव और वर्तमान अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी भी शामिल थे। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री आठवले, कृपया समय व्यर्थ न गंवाएं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीतेः उपाध्यक्षजी, यह देश का दुर्भाग्य है कि भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर 9 अगस्त को ''क्रान्ति दिवस' पर सेलुलर जेल में स्वतंत्रता ज्योति का उद्घाटन करने के लिए गये थे। उस सेलुलर जेल में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को 10 साल की कैद हुई थी। जिस स्वतंत्रता ज्योति का निर्माण किया गया था, उसके लिए श्री राम नाईक, तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री ने इंडियन ऑयल कारपोरेशन को निर्देश दिया था कि उस ज्योति पर स्वतंत्रता सेनानियों के वचनों को उद्धृत किया जाये जिनमें स्वतंत्रता सेनानी नेता जी सुभाष चन्द्र बोस, वीर सावरकर, मदन लाल ढींगड़ा और शहीद भगत सिंह के नाम शामिल हों। केन्द्र में सरकार बदल जाने के बाद श्री राम नाईक पेट्रोलियम मंत्री नहीं रहे और उसके स्थान पर श्री मणि शंकर अय्यर पेट्रोलियम मंत्री हो गये। इसी 9 अगस्त को श्री अय्यर के हाथों उस स्वतंत्रता ज्योति का उद्घाटन हुआ। दुर्भाग्य से जिस स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने देश की आजादी के लिए सब से ज्यादा योगदान दिया, उनके वचनों को *...(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, ये लोग मेरी बात सुनना भी नहीं चाहते हैं। सारे अखबारों में इस तरह की खबरें आई और 'महाराष्ट्र टाइम्स' ने तो सम्पादकीय लिखा कि पेट्रोलियम मंत्री श्री मणि शंकर अय्यर ने इंडियन ऑयल कारपोरेशन को इस आशय का आदेश दिया है कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों के वचनों को उद्धृत करने का आदेश दिया गया था उनमें से वीर सावरकर के वचनों को हटाया जाये। इस तरह वीर सावकर के वचनों को हटा दिया गया। उपाध्यक्ष जी, इस प्रकार की खबर सब समचाार-पत्रों में आई है। अभी पेट्रोलियम मंत्री नहीं बैठे हैं लेकिन सरकार के नेता बैठे हुए हैं। मैं एक और बात का संदर्भ देना चाहूंगा कि जब श्री अय्यर पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में उद्घाटन करने गये, उसके बाद उनका एक वक्तव्य 'तरुण भारत' में आया *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः क्या इससे संबंधित बात है या कोई और बात है?

श्री अनंत गंगाराम गीतेः उपाध्यक्ष जी, यह उससे संबंधित है। श्री अय्यर ने उद्घाटन के बाद यह वक्तव्य दिया कि वीर सावरकर, जिनका संबध महात्मा गांधी की हत्या से है, उनके नाम से पोर्ट ब्लेयर एअरपोर्ट का नाम वीर सावरकर एअरपोर्ट कर दिया गया है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः जब आपके लीडर बोल रहे हैं, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीतेः उपाध्यक्ष जी, सदन के नेता यहां उपस्थित हैं। जिस राष्ट्र पुरुष का सम्मान के साथ सैन्ट्रल हॉल में पोरट्रेट लगाया गया है, जिसे सभी ने सहमति दी है, उस स्वतंत्रता सेनानी वीर सावकर जी का अपमान भारत सरकार के एक मंत्री द्वारा किया गया है और उसकी निन्दा हम इस सदन में कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार को उसकी निंदा करनी चाहिए और सरकार को इस संदर्भ में अपना वक्तव्य देना चाहिए। यह अपमान सावरकर जी का नहीं, यह अपमान सारे स्वतंत्रता सेनानियों का है, यह अपमान स्वतंत्रता संग्राम का है, यह अपमान देश की सौ करोड़ जनता का है। इसलिए मणिशंकर अय्यर जी को इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सरकार को इस संदर्भ में सदन में वक्तव्य देना चाहिए *...(व्यवधान)* और सावरकर जी के जिन वचनों को हटाया गया है, उन वचनों को फिर से स्वतंत्रता ज्योति पर लगाया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः अब श्री प्रणव मुखर्जी इसका उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झाः उपाध्यक्ष महोदय, हम मणिशंकर अय्यर जी को बधाई देते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीतेः इन्हें आजादी के बारे में क्या मालूम है *...(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, सावरकर जी का इन्होंने मजाक बना दिया। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः गीते जी, अब आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया आप सभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः आपको बोलने की अनुमति नहीं है। केवल वही बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः प्लीज, सिट डाउन।

श्री मोहन रावलेः इस सरकार ने पोस्टर निकाला था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः सभा के नेता बोलने जा रहे हैं। कृपया आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान) *

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः आचार्य जी, आप बैठ जाएं, आठवले जी, आप भी बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः सदन के नेता बोलने के लिए खड़े हुए हैं। केवल वही बोलेंगे। कृपया आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावलेः ये लोग जो नेताजी को नहीं समझ पाये, सावरकर जी को क्या समझेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः मैंने उनसे इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने को कहा है। कृपया आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, कृपया आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि सुबह प्रश्न काल को रोक देना पड़ा क्योंकि कुछ सदस्यों ने यह अनुभव किया कि कतिपय घटनाएं घटीं जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित होती हैं जिससे वे उत्तेजित हुए। तत्पश्चात्, हम आपके कक्ष में मिले तथा यह निर्णय लिया गया था कि श्री अनंत गंगाराम गीते घटना के संबंध में एक संक्षिप्त जानकारी देंगे कि वास्तव में हुआ क्या था। हमें इतिहास मंथन करने अथवा स्वतंत्रता संग्राम की तह तक जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार इतिहासकार भिन्न-भिन्न मत रखते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यक्तियों के मत भी अलग-अलग होते हैं। मैंने मा. सदस्य को कहा है कि सरकार इससे परिचित नहीं है कि क्या हुआ है तथा मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं इस तथ्य का पता लगाऊंगा कि क्या पेट्रोलियम मंत्री ने इस प्रकार का कोई अनुदेश जारी किया है या नहीं जिसे लेकर हम चिंतित हैं तथा तब मैं सभा को यह सूचित करूंगा। हम इतिहास में विभिन्न नेताओं की भूमिका के मूल्यांकन को लेकर चिंतित नहीं हैं तथा यदि हम उस पर लौटना चाहेंगे तो इसका अंत नहीं होगा।

अतएव, हाथ जोड़कर मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कक्ष में हुई सहमति का पालन होना चाहिए। मैं उनसे सभा में सामान्य कार्यवाही चलने देने के लिए अनुरोध करूंगा। हमें पीछे नहीं देखना चाहिए तथा भावनाओं को भड़कने नहीं देना चाहिए। इस अनुरोध के साथ मैं आपसे सभा की सामान्य कार्यवाही चलने देने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: उपाध्यक्ष जी, इस संबंध में स्टेंटमैंट सदन में आए वह ठीक है, लेकिन जो घटना हुई है, मणि शंकर जी ने जो स्टेटमैंट दिया है, उसके संबंध में हमने नोटिस दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि मणि शंकर अय्यर जी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वीर सावकर जी का अपमान किया है। हम उनकी निन्दा करते हुए सदन से बहिर्गमन करते हैं।

अपराह्न 12.34 बजे

(इस समय श्री अनंत गंगाराम गीते और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): सर, वीर सावरकर के बारे में इवैल्यूशन होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.36 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर में कथित रूप से की गई कमी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम कार्यसूची की मद संख्या-14 को लेते हैं। श्री गुरुदास दासगुप्त।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हम ध्यानाकर्षण के पश्चात् 'शून्य काल' लेंगे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप इत्मीनान रखें, 'जीरो आवर' जरूर होगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं श्रम और रोजगार मंत्री महोदय का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:

"कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज की दर को कथित रूप से 9.5 प्रतिशत से कम करके 8.5 प्रतिशत किए जाने से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

[हिन्दी]

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): उपाध्यक्ष महोदय, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सी.बी.टी.), ई.पी.एफ. की सलाह से किया जाता है।

केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, ई.पी.एफ. ने 30 जून, 2004 की बैठक में कार्य सूची के अन्य विषयों के साथ-साथ वर्ष 2004-2005 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर तय करने के मालमे में भी विचार किया। इस विषय पर निर्णय को केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,

[श्री शीश राम ओला]

ई.पी.एफ. की 13.7.2004 की बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इस विषय पर 13.7.2004 को पुनः बहस हुई। बहस लम्बी चली तथा 13.7.2004 को सभी न्यासी अपने विचार पूरी तरह नहीं रख पाए तथा यह निर्णय लिया गया कि बहस केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, ई.पी.एफ. को 20.7.2004 की बैठक में जारी रखी जाए। ब्याज दर पर सर्वसम्मति बनाने के प्रयास किये गये। दिन भर चली बहस के बाद बैठक को 9 अगस्त, 2004 को जारी रखने का निर्णय लिया गया। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, ई.पी.एफ. ने 9 अगस्त, 2004 की बैठक में वर्ष 2004-2005 के लिए अंतरिम ब्याज दर 8.5 प्रतिशत रखे जाने की सिफारिश की है।

चूंकि केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, ई.पी.एफ. की सिफारिशें अब उपलब्ध हो गई हैं अतः, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा इस विषय को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है। इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्तः उपाध्यक्ष महोदय, मैं हिंदी में नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन चूंकि माननीय मंत्री ने हिन्दी में अपना वक्तव्य दिया है इसलिए मैं हिन्दी में एक या दो वाक्य कहना चाहूंगा। मंत्री जी को मेहरबानी करके सच्चाई बतानी चाहिए थी।

मंत्री जी को सच-सच बताना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदयः मेरे विचार से, उन्होंने उस वक्तव्य का अंग्रेजी संस्करण दिया है जो उन्होंने अभी दिया है।

श्री गुरुदास दासगुप्तः मेरे साथ कोई समस्या नहीं है। वक्तव्य के अंत में माननीय मंत्री कहते हैं:

> ''दिन भर चली बहस के बाद बैठक को 9 अगस्त, 2004 को जारी रखने का निर्णय लिया गया। कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने अपनी 9 अगस्त, 2004 की बैठक में वर्ष 2004-2005 के लिए अंतरिम ब्याज दर 8.5 प्रतिशत रखे जाने की सिफारिश की है।''

महोदय, यह पूरी तरह से तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना तथा 'सच्चाई छुपाना' है। मैं अपनी भाषा में संसदीय होना पसंद करूंगा। मैं 'झूठ' शब्द का उपयोग नहीं कर सकता हूं क्योंकि इसे निषिद्ध कर दिया गया है। अतएव, मैं 'सच्चाई छुपाने' तथा 'तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने' की बात कर रहा हूं। मंत्री बैठक में कोई निर्णय लेने की अनुमति नहीं देते हैं। जब बैठक शुरू हुई तो मा. मंत्री ने एक भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ''मैंने निर्णय लिया है .....।'' यहां पर 'मैं' कौन है? वे श्रम मंत्री हैं। यहां पर 'मैं' कौन है? वे सरकार के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने बैठक में कहा: ''मैंने निर्णय लिया है कि ब्याज दर 8.5 प्रतिशत होनी चाहिए।'' कोई आम सहमति नहीं थी। गत 50 वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड ने बहुमत से एक बार भी कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बात को नोट करें। गत 50 वर्षों के दौरान उस अवधि जिसके दौरान योजना चलती रही-न्यासी बोर्ड में निर्णय हमेशा सर्वसम्मति से चलता रहा। यह हमेशा सर्वसम्मत था। यह पहली बार है कि मंत्री ने अपना निर्णय थोप दिया है।

इस बारे में पूर्ण सहमति नहीं हुई थी बल्कि बैठक में उपस्थित अधिकांश मजदूर संगठनों ने इस बात का यह कहते हुए सक्रिय एवं पुरजोर विरोध किया था कि उन्हें अपने आप ऐसा करने का अधिकार नहीं है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। ब्याज दर अलग होनी चाहिए। इसलिए, पहली बात यह है कि ऐसा निर्णय नहीं लिया गया था बल्कि माननीय श्रम मंत्री द्वारा लिए गए एकतरफा निर्णय को थोपा गया था। हो सकता है वह सरकार की तरफ से कार्य कर रहे हों। हो सकता है वह वित्त मंत्रालय के आदेशों को लागू कर रहे हों। यह वे बताएं कि वे किसकी बात मानकर कार्य कर रहे थे। अवश्य ही किसी ने उन्हें ऐसा करने को कहा होगा। वे तो केवल बोल रहे थे और उन्हें ऐसा कहने के लिए कोई और कह रहा था। इसलिए यह लिया गया निर्णय नहीं था। यह सर्वसम्मत निर्णय नहीं था। उन्होंने रिकार्ड तोड़ दिए हैं। मंत्री महोदय रिकार्ड तोड़ने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ओलंपिक चल रहा है ...*(व्यवधान)* कोई भारतीय खिलाड़ी न तो कोई रिकार्ड तोड़ पाया है न बना पाया है लेकिन मंत्री महोदय ने रिकार्ड कायम किया है। उस दिन रिकार्ड बनाने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

महोदय, एक सवाल उभरकर सामने आता है। क्या मैं सरकार से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? यह बहुदलीय सरकार है। यह सरकार उन पर निर्भर है जो सरकार में सम्मिलित हैं और उन पर निर्भर है जो सरकार से बाहर हैं। महोदय, क्या यह उचित है कि कोई बहुदलीय सरकार जो अन्यों पर निर्भर है एकतरफा निर्णय ले। क्या यह उचित है? कृपया इसके बारे में सोचिए ...*(व्यवधान)*। आप लोगों ने मुझे अनुमति दें। मेरे पास अपने विचार हैं। आप अपने विचार रख सकते हैं। बेहतर होगा कि आप लगातार बीच-बीच में न बोलें।

हम भाजपा के आभारी नहीं है। हम इस सरकार के एकतरफा निर्णय के भी आभारी नहीं हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि भविष्य निधि की ब्याज दर वर्ष 2001 में घटाई गई। यह उनके लिए एक मुद्दा है। ब्याज दर मेरे उन मित्रों ने घटाई जो

उस वक्त सरकार में थे और अब विपक्ष में हैं। वर्ष 2000 में ब्याज दर 12 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत उन लोगों द्वारा की गई जो अब विपक्ष में हैं। वर्तमान सरकार उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकार से उत्तराधिकार में प्राप्त (नीतियों) को ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। आपको भी धन्यवाद और उन्हें भी धन्यवाद ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): आप भी इस सरकार में एक भागीदार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बातचीत करना बंद कीजिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त: उन्हें आलोचना सुनने की आदत नहीं है। उनके अंदर धैर्य नहीं है।

मेरा कहना है कि वर्ष 2000 में पूर्ववर्ती सरकार ने ब्याज दर घटाई थी। वर्ष 2001 में घटाया गया। इस वर्ष 2003 में घटाया गया। चार वर्ष से कम अवधि में भी ब्याज दर घटाकर 12 प्रतिशत से 9.5 प्रतिशत उस सरकार द्वारा की गई जो अब सत्ता में नहीं है। इसका श्रेय उसे है। इसका श्रोय पूर्ववर्ती सरकार को जाता है। इसका श्रेय वर्तमान सरकार को भी है क्योंकि वह पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों को अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रही है। महोदय, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। अब प्रश्न यह है कि आपने यह कैसे कहा है। आपको स्पष्ट करना चाहिए। आपको संसद को स्पष्टीकरण देना चाहिए।

महोदय, कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत चार करोड़ लोग आते हैं। चार करोड़ परिवार का मतलब इससे लगभग 10 से 12 करोड़ लोग प्रभावित हैं। उनमें से प्रत्येक उच्च वेतनभोगी नहीं हैं। कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत आने वाले अधिकांश लोग ठेका मजदूर, नैमित्तिक श्रमिक दैनिक मजदूर हैं और उनकी मजदूरी 1,200 रुपये से 1,500 रुपये के बीच है। मैं यहां केवल उच्च वेतनभोगी लोगों की वकालत करने को नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मेरी बात पर ध्यान दीजिए। देश में सामाजिक सुरक्षा के तौर पर उपलब्ध योजना केवल कर्मचारी भविष्य निधि योजना है। देश की आजादी के 57 वर्षों के बाद और इतनी पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी भारत में सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि योजना ही है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वे 8.5 प्रतिशत से अधिक भुगतान नहीं कर सकते हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री से एक प्रश्न पूछता हूं। क्या आप यह स्पष्ट करेंगे कि आपको यह कैसे ज्ञात हुआ कि आप 8.5 प्रतिशत से अधिक भुगतान नहीं कर सकते? यह कैसे ज्ञात हुआ? गणना कैसे की गई?

महोदय, मेरे पास सूचना है कि जल्दबाजी में की गई यह गणना किसी वैज्ञानिक गणना प्रक्रिया पर आधारित नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत वैज्ञानिक गणना नहीं है। वहां दोहरी प्रविष्टि प्रणाली नहीं है। क्या आपने यह कभी सुना है? वहां दोहरी प्रविष्ट प्रणाली नहीं है। वहां आय और व्यय विवरण नहीं होता है।

महोदय, प्रश्न यह है कि वहां कोई उपयुक्त वैज्ञानिक गणना प्रणाली नहीं है। उन्हें यह बात स्वीकार करना चाहिए। उन्हें कहने दीजिए कि वहां दोहरी प्रविष्टि प्रणाली है। उन्हें कहने दीजिए कि वहां आय-व्यय लेखा है। उन्हें कहने दीजिए कि वहां कोई उपयुक्त वैज्ञानिक गणना प्रक्रिया है जिसका प्रयोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भविष्य निधि योजना का लेखा तैयार करते समय करता है। मेरे पास सूचना है। मंत्री महोदय को इसे अस्वीकार करने दीजिए। इनकी गणना प्रणाली में आय को कम करके दर्शाया जाता है। क्या मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान देंगे कि आय को कम करके दर्शाया जाता है?

[हिन्दी]

इनको जो इनकम होती है, उसे कम करके दिखाते हैं।

[अनुवाद]

आय को कम करके दिखाया जाता है। इस बात पर विचार कीजिए। भारत की संसद को यह जानना चाहिए कि यह कितना संदिग्ध, अवैज्ञानिक और आपत्तिजनक है ...*(व्यवधान)*। मुझे अपनी भाषा का प्रयोग करने दीजिए। मेरे पास अपनी भाषा है। मैं अंग्रेजी में बहुत कमजोर नहीं हूं ...*(व्यवधान)* आप अपनी भाषा का प्रयोग कीजिए। मैं अंग्रेजी में बहुत कमजोर नहीं हूं। मैं उचित शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात जारी रखें।

श्री गुरुदास दासगुप्त: यह संदिग्ध और अवैज्ञानिक प्रणाली है। इस प्रणाली से भविष्य निधि संगठन की आय-व्यय की सही स्थिति का पता नहीं चलता है। यह तो केवल एक बात हुई।

दूसरे, क्या आपने कभी सुना है कि किसी गणना प्रणाली में देयता को बढ़ाकर दिखाया जाता है और आय को कम करके दिखाया जाता है? देयता को बढ़ाकर बताया जाता है और आय को कम करके दिखाया जाता है। केवल इतना ही नहीं वहां तो वैज्ञानिक प्रणाली है ही नहीं।

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

[हिन्दी]

यह क्यों हो रहा है? कृपया आप यह बताइए कि आपके हिसाब का तरीका क्या है? आपको कैसे मालूम हो गया कि आप 8.5 परसेंट से ज्यादा नहीं देंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

चिकनी-चुपड़ी बातों से प्रभावित मत होइए। इसलिए, तथ्यों के आधार पर मैं इस तर्क के अभिप्राय पर सवाल उठाता हूं कि उनके पास भुगतान करने की क्षमता नहीं है।

सी एंड एजी ने एक टिप्पणी की है। हम यह जानने को हमेशा उत्सुक रहते हैं कि सी एंड ए जी क्या है। सी एंड ए जी है नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक उसने क्या कहा है? सी एंड ए जी ने एक वक्तव्य दिया है कि एक प्रकार का खाता होता है जिसे ब्याज उचंत खाता कहते हैं। सी एंड एजी के अनुसार गत वर्ष ब्याज उंचत खाता में 8,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त थे जिसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। उनके लेखा में कुछ गोपनीय धनराशि होती है, जिसका खुलासा वे नहीं करते हैं और उनके खाते में इसका आकलन नहीं रहता है। 8,000 करोड़ रुपये हैं। 8,000 करोड़ रुपये वहां क्यों हैं? वहां 8,000 करोड़ रुपये हैं क्योंकि अनुमानित आय और वास्तविक आय में सदैव अन्तर रहता है। सदैव ऐसा होता है कि वास्तविक आय अनुमानित आय से अधिक रहती है।

[हिन्दी]

पहले जब हिसाब करते थे तो उसे कम करके बताते थे लेकिन इनको ज्यादा मिलता है जो सरप्लस होता है।

[अनुवाद]

यह सरप्लस ही ब्याज उंचत खाते में जमा किया जाता है और इस खाते में इस समय 8000 करोड़ रुपये से अधिक हैं।

मेरा सवाल है कि उस 8000 करोड़ रुपये का भी निवेश क्यों किया गया है? उसका निवेश क्यों किया गया है? क्या मंत्री महोदय इस बात का जवाब देंगे कि अतिरिक्त धनराशि से अर्जित आय, जो अधिक आय होने से ब्याज उचंत खाते में जमा की जाती है, क्यों नहीं जोड़ी जाएगी और वह आय कामगारों के मध्य क्यों नहीं बांटी जाएगी? वह धनराशि कामगारों के बीच क्यों नहीं बंटी जाएगी? उन्हें यह बात स्पष्ट करनी चाहिए ...*(व्यवधान)* एक दूसरी बात है। यह केवल एक घोटाला ही नहीं है बल्कि यह घोटाले की तरह है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि यह एक घोटाला नहीं है बल्कि यह घोटाले की तरह है।

[हिन्दी]

इस स्कैम के साथ आप लोग भी जुड़े हुए हैं। आप हमें बोलने के लिए फोर्स मत कीजिए। इसमें आप लोगों की भी मदद है। यह सब मिला-जुला काम हो रहा है।

[अनुवाद]

चिन्ता मत कीजिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर): उपाध्यक्ष महोदय, मिले-जुले ये हैं। गुरुदासजी, यह बताइए कि इधर भी धन्यवाद, उधर भी धन्यवाद तो काफिला कहां लुट गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आठवले जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे साहसी महिला संसद सदस्य को धन्यवाद देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उन कार्यों की सच्चाई बयान करने में भी साहस का परिचय दीजिए जो कि किसी ने एक वर्ष पहले किए हैं। कृपया उसके लिए भी साहस का परिचय दीजिए। एक पक्षीय बात मत कीजिए। महिलाएं कभी भी एकपक्षीय बात नहीं करती हैं। वे अपनी उदारता के लिए जानी जाती हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें, किसी अन्य को संबोधित न करें।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुरुदास दासगुप्त: घोटाले जैसी एक दूसरी बात भी है। वे जब उपभोक्ताओं को भुगतान हेतु ब्याज की गणना करते हैं तो वे इसकी गणना अधिक शेष धनराशि के आधार पर करते हैं। मान लीजिए कि भविष्य निधि में कामगारों का अभिदान 50,000 करोड़ रुपये है तो देय ब्याज की गणना कामगारों द्वारा भुगतान की गई वास्तविक धनराशि पर की जानी चाहिए। वे ठीक इसका उल्टा कर रहे हैं। मैं यहां एक उदाहरण दूंगा। वर्ष 2003-2004 में जमाकर्ताओं को 55,816 करोड़ रुपये की वास्तविक शेष धनराशि पर ब्याज का भुगतान करना था। ब्याज देयता की गणना इसी पर की जानी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने ब्याज की गणना किस प्रकार की? वे अपनी ब्याज देयता को कैसे बढ़ाचढ़ाकर बता रहे हैं। वे देय ब्याज की गणना 64,763 करोड़ रुपये पर कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि वे जानबूझकर अपनी ब्याज देयता को अधिक बता रहे हैं क्योंकि इसकी गणना काल्पनिक धनराशि पर की जाती है जो कामगारों द्वारा किए गए अभिदान की वास्तविक धनराशि से अधिक होती है। इसलिए, वे कुल आय को दर्शा नहीं रहे हैं जिसके आधार पर उन्हें ब्याज का भुगतान करना चाहिए और वास्तव में वे अपनी देयता को अधिक बता रहे हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपने आधे घंटे का समय ले लिया है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं और दो-तीन मिनट लूंगा। आपको समझना चाहिए कि हमने कभी भी कर्मकारों के मुद्दे पर चर्चा नहीं की। यह अत्यन्त ही गम्भीर मुद्दा है।

प्रश्न यह है कि उनमें भुगतान करने की क्षमता है।

[हिन्दी]

मंत्री जी श्रम मंत्री होने के बाद भी मजदूरों का पैसा देना नहीं चाहते। वह इनकी जेब का पैसा नहीं है, वह मजदूरों का पैसा है। ये खुद पैसा नहीं देना चाहते। इनके पास पैसा देने की ताकत है।

[अनुवाद]

वे जानबूझ कर भुगतान करने का अपनी क्षमता को कम कर के बता रहे हैं।

अब दूसरा प्रश्न यह है कि भविष्य निधि में कुल जमाराशि का 72 प्रतिशत केन्द्र सरकार के अधीन स्पेशल डिपाजिट स्कीम (विशेष जमा योजना) में जमा रहता है। स्पेशल डिपाजिट स्कीम के अंतर्गत केन्द्र सरकार 12 प्रतिशत ब्याज दिया करती थी। पिछली सरकार के कार्यकाल में स्पेशल डिपाजिट स्कीम पर ब्याज दर 12 प्रतिशत से घटा कर 8 प्रतिशत कर दी गयी। पुनः वे उसी शासन व्यवस्था के पदचिह्नों पर चल रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने स्पेशल डिपाजिट स्कीम में कुल संचित राशि पर आठ प्रतिशत की दर से ब्याज दे रहा है। जरा सोचिए, यह राशि सरकार के पास तीस वर्षों तक रहती है। कोई भी इस पैसे को नहीं निकालता है। यह दीर्घकालीन जमा है। सरकार इस धन का प्रयोग देश के विकास के लिए करती है। इसलिए, सरकार उस जमा पर जो 30 वर्षों की दीर्घावधि के लिए है, बाजार दर के हिसाब से ब्याज क्यों देती है?

अपराह्न 1.00 बजे

बैंक पांच वर्षों के लिए ब्याज देते हैं। डाकघर छः वर्षों के लिए ब्याज देते हैं लेकिन यह 30 वर्षों के लिए है। सरकार बाजार स्थिति के अनुसार चलती है। बाजार अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। *...(व्यवधान)* सभी मंत्री अनुपस्थित हैं। क्या बात है। वे आलोचना सुनना पसंद नहीं करते। अच्छी बात है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए। संबंधित मंत्री जी बैठे हुए हैं।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं सिर्फ सच बता रहा हूं *...(व्यवधान)* मैं सिर्फ सच बता रहा हूं। *...(व्यवधान)* सरकार आठ प्रतिशत ब्याज पर सरकार को 30 वर्षों का दीर्घकालीन ऋण क्यों देती है? मैं इस नीति की निंदा करता हूं। मैं चाहता हूं कि स्पेशल डिपाजिट स्कीम पर ब्याज दर बढ़ायी जाए। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। *...(व्यवधान)* मैं आशा करता हूं कि दूसरी ओर बैठे मेरे मित्र मेरी आलोचना को सुनेंगे। *...(व्यवधान)* कोई विकल्प नहीं है। आप भी एक साथ शोर कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

मेरा कहना है कि जब शेयर दलालों ने हल्ला किया और शोर मचाया कि टर्नओवर टैक्स को 0.15 प्रतिशत से कम किया जाए और जब दलालों की ओर से धमकी दी गई। हमारे सर्वशक्तिमान वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम तुरन्त पिघल गए। उन्होंने तुरन्त समझौता किया और टर्न ओवर टैक्स घटा दिया। जब कर्मकारों ने विरोध किया, जब ट्रेड यूनियनों ने विरोध किया और जब हमने विरोध किया तो सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। सरकार शेयर दलालों के प्रति नरम है। मैं सरकार पर शेयर दलालों के प्रति नरम होने का आरोप लगाता हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि सरकार शेयर दलालों के प्रति नरम है और कर्मकारों के प्रति सख्त है। ऐसा चरित्र है पर यह चरित्र दुर्भाग्यशाली है। *...(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया): क्या बढ़िया चरित्र है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: अतएव, मेरी मांग है कि माननीय मंत्री इस सभा में आएं और वक्तव्य दें कि वह भविष्य निधि पर ब्याज दर बढ़ाने के मार्ग में क्यों बाधा बन रहे हैं। उन्हें इस सभा में आकर यह अवश्य बताना चाहिए।

टर्न ओवर टैक्स में कमी करने से उन्हें 6000 करोड़ रु. की हानि हुई। हम तो सिर्फ 600 करोड़ रु. चाहते हैं। उन्हें 6000 करोड़ रु. का घाटा हुआ क्योंकि उन्होंने टर्न ओवर टैक्स कम कर दिया किंतु भविष्य निधि पर ब्याज बढ़ाने से, वर्तमान ब्याज दर को बनाये रखने के लिए हमें सिर्फ 600 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। वह दलालों को 6000 करोड़ रु. दे रहे हैं। वह कम से कम 600 करोड़ रु. उसका सिर्फ दस प्रतिशत है। वह कर्मकारों को सिर्फ 600 करोड़ रु. दें ताकि कर्मकारों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हो। कृपया कर्मकारों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करें। ऐसा मत सोचिए हम आपकी सारी जायज एवं नाजायज बातें मान लेंगे। कृपया ट्रेड यूनियनों को हल्के ढंग से न लें। कृपया यह नहीं समझें कि आप जो चाहें वह कर सकते हैं। हम विरोध करेंगे, हम प्रतिरोध करेंगे, यदि आवश्यक हुआ तो ट्रेड यूनियनें ब्याज दर को घटाने की आपकी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हड़ताल भी होंगी।

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यसूची में कोई अन्य नाम नहीं है तथापि, मुझे श्री बसुदेव आचार्य, श्री रूपचंद पाल, श्री वरकला राधाकृष्णन और श्री शैलेन्द्र कुमार से सूचनाएं मिली हैं। विशेष मामला मानते हुए मैं इन माननीय सदस्यों को सिर्फ स्पष्टीकरण प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं। कोई भाषण नहीं होना चाहिए। यह मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है। सिर्फ स्पष्टीकरण प्रश्नों की अनुमति दी जाएगी।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): कृपया विपक्ष के कुछ सदस्यों को भी प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने नोटिस दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: हमें अचानक इसके बारे में पता चला। आप हमें भी कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने सूचना दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): यह एक मात्र सामाजिक सुरक्षा योजना है ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: उनके नाम उसमें नहीं हैं। यह कार्यसूची में सूचीबद्ध नहीं था। उन्होने अभी सूचना दी है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, उन्होंने सूचना अभी दी है हम भी आपको सूचना दे रहे हैं कृपया इस ओर से भी कम से कम एक-दो सदस्यों को मौका दें। ...*(व्यवधान)* आप कृपया हमें भी अवसर दें ...*(व्यवधान)*

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): आपने समय पर सूचना नहीं दी है ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह देश में चार करोड़ कर्मकारों के लिए एकमात्र सामाजिक सुरक्षा योजना है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया सिर्फ प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। पहले ब्याज दर 12 प्रतिशत थी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री खारबेल स्वाईं, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: किंतु राजग शासन काल के दौरान उन्होंने ब्याज दर 12 प्रतिशत से घटाकर 10.5 प्रतिशत और फिर 9.5 प्रतिशत कर दी ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: केवल श्री बसुदेव आचार्य की बात ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित की जाएगी।

...*(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाईं: आप जानते हैं कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने पश्चिम बंगाल में राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में क्या कहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हम यहां पश्चिम बंगाल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम भविष्य निधि पर ब्याज दर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुनील खां, आपने सूचना नहीं दी है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुनील खां: श्रमिकों के हितों का संरक्षण किया जाये। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: जब ब्याज दर 12 प्रतिशत था, उस समय मुद्रास्फीति की दर क्या थी ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, वे लोग कांग्रेस पार्टी पर दोषारोपण करते हैं ...*(व्यवधान)* आप सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं ले लेते हैं? ...*(व्यवधान)* आप सरकार से समर्थन वापस ले लीजिए।

श्री सुनील खां: हमें न बतायें ...*(व्यवधान)* आप देखिए कि कालाहांडी तथा आपके राज्य के अन्य भागों में क्या कुछ हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं: आप लोग पीयरलैस कम्पनी से लोन लेते हो, लेकिन उसका वैस्ट बंगाल में क्या हाल कर रखा है। हम नहीं चाहते कि हम भी ऐसा करें। इसी तरह से आप आईडीबीआई के नाम से लोन लेते हो और यहां दूसरी बात बोल रहे हो ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: जब ब्याज दर 12 प्रतिशत था तो मुद्रास्फीति दर केवल 2 प्रतिशत थी ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): कालिंग एटेंशन पर इधर से भी बोलने का मौका मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आपने सूचना नहीं दिया है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: केवल श्री बसुदेव आचार्य की बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित की जाएगी। श्री आचार्य, कृपया केवल प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)* *

श्री बसुदेव आचार्य: ब्याज दर में बाद में कमी लाई गई थी। इसकी जांच के लिए गठित की गई समिति ने सिफारिश की थी कि, ई.पी.एफ. के मामले में ब्याज दर को 12 प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए क्योंकि उस समय मुद्रास्फीति की दर केवल 2 प्रतिशत थी। आज ब्याज दर 8 प्रतिशत है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया केवल स्पष्टीकरण मांगें।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं स्पष्टीकरण पर आ रहा हूं। अब जबकि मुद्रास्फीति दर बढ़कर 8 प्रतिशत हो गई है, क्या ब्याज दर को 8.5 प्रतिशत तक कम करने का कोई औचित्य है? जब मुद्रास्फीति दर बढ़कर 8 प्रतिशत हो गई है, हम पूछ रहे हैं कि ईपीएफ के मामले में ब्याज दर को भी बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए जो स्थिति तीन वर्ष पूर्व थी।

सरकार वैश्वीकरण की बात कर रही है। हम कई देशों के उदाहरण ले सकते हैं। ओ ई सी डी देशों में लाभ दर 4.5 प्रतिशत है लेकिन ब्याज दर केवल 1 प्रतिशत है। मैं मा. मंत्री से जानना चाहता हूं कि ब्याज दर को 9.5 प्रतिशत से 8.5 प्रतिशत तक कम करने के पीछे क्या औचित्य है।

विशेष जमा निधि के बारे में यह अल्पावधि जमा नहीं बल्कि दीर्घावधि जमा है। विशेष जमा निधियों के मामलों में ब्याज दर केवल 8 प्रतिशत ही क्यों हो? इसे कम करने का कोई औचित्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्न पूछें।

श्री बसुदेव आचार्य: मैंने पहले ही अपना प्रश्न पूछा लिया। अब मैं और स्पष्टीकरण चाहता हूं।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह बताया कि इस संबंध में अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड में कोई आम-सहमति नहीं है। बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाना था लेकिन जब केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में कोई आम सहमति नहीं थी तो सरकार को आम सहमति पर पहुंचने के लिए प्रयास करना चाहिए था। श्रमिकों को अब तक उपलब्ध केवल एकमात्र सामाजिक सुरक्षा योजना से क्यों वंचित किया जा रहा है? मैं मांग करता हूं कि चूंकि मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई तो कर्मचारी भविष्य निधि के मामले में ब्याज दर को 12 प्रतिशत तक स्थिर रखा जाना चाहिए तथा इसे 8.5 प्रतिशत तक कम नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रूपचंद पाल।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): धन्यवाद, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय: आप केवल माननीय मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रूप चंद पाल: क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि को सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में जारी रखने पर विचार नहीं कर रही है? यदि ऐसा है तो सरकार इस निधि के रक्षित स्रोत के रूप में क्यों उपयोग कर रही है? लगभग 75 प्रतिशत जमा केवल एसडीएस को पूरा कर रहे हैं तथा लाभ की वास्तविक दर यदि आप बढ़ती मुद्रास्फीति दर तथा जमा की गणना करें—वह आजीवन के लिए है। इसे बैंक जमा तथा अन्य प्रकार के जमा जैसी अन्य जमा के साथ भ्रमित होकर नहीं देखा जाना चाहिए।

यह कैसे संभव है कि सभी विकसित देशों में अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं? एक दिन मंत्री महोदय कह रहे थे कि आर्थिक सुधार 10C से अधिक देशों में लागू किए गये हैं तथा यह हमारे देश में सफल क्यों न हो? अन्य देशों में श्रमिकों, वेतनभोगी वर्ग तथा वरिष्ठ नागरिकों हेतु कौन सी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं?

मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं कि गलत वादों तथा गलत गणनाओं पर कृत्रिम रूप से इसने जान-बूझकर सरकार के हितों को पूरा करने के लिए तथा सरकार के माध्यम से लोगों के एक वर्ग के हितों को पूरा करने के लिए ब्याज दर में कमी की है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न रखें।

श्री रूपचंद पाल: यह अस्वीकार्य है। मैं यह सरकार से जानना चाहता हूं। क्या यह सरकार इस तथ्य को महत्व दे रही है कि इस देश की जनसंख्या का 1/5 भाग से कुछ ही कम लगभग 5 व्यक्तियों के प्रत्येक परिवार जैसे लगभग 4 करोड़ परिवार, अर्थात्, लगभग कुल 20 करोड़ लोग सामाजिक सुरक्षा योजना द्वारा प्रभावित हो रहे हैं? ऐसी परिस्थिति में यूपीए सरकार को ऐसी आत्मघाती पहल नहीं करनी चाहिए। यह यूपीए सरकार से नहीं होना चाहिए जिसने लोगों से वादा किया था तथा यह एनडीए की सरकार जैसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने श्रमिक वर्ग तथा कर्मचारी वर्ग के साथ धोखा तथा अन्याय किया है। यूपीए सरकार तथा सीएमपी का श्रमिक वर्ग तथा कर्मचारियों के साथ किया गया वादा यह था कि श्रमिकों तथा कर्मचारियों के हितों को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए तथा एनडीए सरकार द्वारा की गई गलतियों में सुधार लाया जाना चाहिए।

मैं इस सरकार से इस पर पुनर्विचार करने हेतु अनुरोध करूंगा। मैं इस सरकार से यह जानना चाहता हूं। वह इस देश की 1/5 भाग से ज्यादा जनसंख्या की लगातार मांग को देखते हुए कौन सा अंतिम निर्णय लेना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, कृपया प्रश्न पूछें तथा किसी प्रकार के भाषण की अनुमति नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, यह प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि मेरे स्पष्टीकरण का उत्तर देने वाला व्यक्ति सभा में अभी उपस्थित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, कृपया दो मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: किसी भी प्रकार से मैं अपना प्रश्न रखूंगा।

श्रम मंत्री केवल एक मुहर की तरह कार्य कर रहे हैं। उनके पीछे एक और महानुभाव हैं जिन्हें वित्त मंत्री कहा जाता है। एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम है। यह सामाजिक क्षेत्र से संबंधित मामला है जिसमें करोड़ों लोग शामिल हैं। काफी सावधानीपूर्वक निर्णय लिया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश यह निर्णय इस मामले को देखते हुए भेदभावपूर्ण, अनौचित्यपूर्ण तथा बिना जरूरत का है। मैं माननीय श्रम मंत्री को याद दिलाना चाहूंगा कि वे श्रम मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। वे इस प्रथम कथन को याद रखें। वे श्रम मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक श्रम मंत्री का क्या दायित्व है? क्या यह श्रमिकों को प्रताड़ित करना है?

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछें। व्यक्तिगत आक्षेप में न पड़ें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: वे श्रम मंत्री के रूप में जाने जाते हैं लेकिन वे श्रमिक/श्रम विरोधी कार्य कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप इस सभा के काफी वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं। कृपया कोई व्यक्तिगत आक्षेप न लगायें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: वह श्रम मंत्री के रूप में व्यवहार कर रहे हैं ताकि कर्मकार वर्ग के हितों की रक्षा की जा सके। उनसे कर्मकार वर्ग के हित की रक्षा करने की आशा है। क्या वह अपनी अन्तरात्मा से इस सभा में कह सकते हैं कि वह श्रमिकों के हित में काम कर रहे हैं? वह उस पद पर रहने के अयोग्य हैं।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, यह क्या है? वह इस तरह से कैसे बोल सकते हैं?

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): महोदय, वह इस पर निर्णय नहीं कर सकते। आपको इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं यह कह सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: किसी भी व्यक्ति पर शंका करने का कोई प्रश्न नहीं है। यह सिर्फ नीतिगत मामला है। क या ख कोई भी हो, उपर्युक्त परिस्थितियों में, वहां जो कोई भी है जो इस तरह से काम कर रहा है, यह स्थिति उत्पन्न होगी। यह विश्वास का मामला है। किसी विशेष निधि का प्रबंध करने में कुछ विश्वास का होना जरूरी है।

सामान्य प्रक्रिया यह है कि सर्वसम्मति हो। इस मामले में यह नहीं है। कोई सर्वसम्मत हल नहीं निकाला गया। किन परिस्थितियों में उन्होंने बहुमत से निर्णय लिया जबकि सर्वसम्मति से निर्णय लेने का दृष्टान्त है? जब इस देश में कर्मकार संकट का सामना कर रहे हैं, उन्होंने इस मामले में बहुमत से निर्णय क्यों लिया? उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए।

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): महोदय, मुझे एक निवेदन करना है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिए। श्री शैलेन्द्र कुमार, आपने कोई सूचना नहीं दी है।

श्री सांताश्री चटर्जी: महोदय, मैं सिर्फ एक जानकारी देना चाहता हूं। कृपया मुझे अनुमति दीजिए। *...(व्यवधान)*

महोदय, मेरा निवेदन है कि मंत्री जी को यह मामला श्रम संबंधी स्थायी समिति को सौंपना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे श्री गुरुदास गुप्त जी द्वारा भविष्य निधि की ब्याज दर को कम करने के सवाल पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो माननीय श्री दासगुप्त जी लाए हैं, वह पूरे देश के कर्मचारियों और कामगारों से जुड़ा सीधा प्रश्न है। यही कर्मचारी देश के विकास की रीढ़ हैं। आज 20 करोड़ कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर कामगार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। यह श्रमिकों से जुड़ा सवाल है। पूर्व की सरकार ने भविष्य निधि की ब्याज दर को 12 से 11 परसेंट किया। हमें यह आशा थी कि वर्तमान यूपीए की सरकार कम से कम श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए कुछ करेगी लेकिन यह देखा गया कि उसने भविष्य निधि की ब्याज दर को 9.5 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया। यह देश के समस्त श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। महंगाई भी बढ़ रही है। यह पैसा ऐसा होता है जिसे श्रमिक बुरे वक्त में भविष्य के लिए रखते हैं और खर्च करते हैं। ब्याज दर ऐसे समय में कम की गई, जब मुद्रास्फीति की दर बढ़ती जा रही है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसे कम से कम 12 परसेंट किया जाए। माननीय मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें। हमारी समाजवादी पार्टी की यही सोच है कि कर्मचारियों और श्रमिकों को विशेष सुविधाएं दी जाएं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री खारबेल स्वाईं, आप सिर्फ स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: धन्यवाद महोदय, मैं सिर्फ प्रश्न पूछने जा रहा हूं। माननीय मंत्री ने कहा कि यह निर्णय *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या उन्होंने यह लिखित में दिया है? *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: मैंने आपकी ही तरह लिखित में सूचना दी है। *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: नहीं, हमने यह पहले दिया है। अभी नहीं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने मुझे लिखित में सूचना दी है।

श्री खारबेल स्वाईं: पहले या बाद का कोई प्रश्न नहीं है। श्री राधाकृष्णन, आप राज्य विधान सभा के अध्यक्ष थे। आप यह जानते हैं। आपने भी बाद में दिया और मैंने भी बाद में दिया है।

मंत्री महोदय ने कहा कि निर्णय अंतिम नहीं है। क्या सरकार भविष्य में ईपीएफ पर ब्याज दर और कम करने जा रही है? क्या माननीय मंत्री कृपया यह बताएंगे कि क्या माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि यदि ईपीएफ का ब्याज दर नहीं घटाया जाता है तो ईपीएफ का भी वही हश्र होगा जो यूटीआई का हुआ? इस विशेष जमा योजना पर सरकार कितना ब्याज दर देती है? विशेष जमा योजना का अंतिम उपयोग क्या है? जब पीपीएफ और ईपीएफ ब्याज दर सिर्फ 8 प्रतिशत है, आप अभी ईपीएफ पर 8.5 प्रतिशत ब्याज दर दे रहे हैं। क्या आप भविष्य में पीएफ और पीपीएफ पर 8.5 प्रतिशत या नौ प्रतिशत ब्याज दर देने पर विचार करेंगे। क्या आप यह करेंगे? मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने 'व्हाइट

[श्री खारबेल स्वाईं]

कॉलर्ड' कर्मचारी जिनकी आय प्रति माह 10,000 रुपए से अधिक है ने ईपीएफ में जमा किया है। सरकार को कितना ब्याज दर देना होता यदि वह बाहर से, अर्थात् बाजार से धन लेती है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): उपाध्यक्ष जी, मैं एक क्वैश्चन क्लैरीफिकेशन के लिए पूछना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुशील कुमार मोदी, आपने मुझे सूचना नहीं दी है? यह गलत प्रक्रिया है। यह गलत परम्परा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: उपाध्यक्ष जी, आपसे आग्रह करूंगा कि एक मिनट के लिए मुझे अपनी बात कहने दें *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। यह तरीका नहीं है, यह प्रक्रिया नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जैसा मंत्री जी ने बताया कि 85 प्रतिशत लोगों का 6 हजार से 30 हजार रुपये का डिपौजिट है, 6 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनका 5-6 लाख से ऊपर डिपौजिट है। क्या मंत्री जी इस बात पर विचार कर सकते हैं कि 85 प्रतिशत लोग, जिनका 6 हजार से 30 हजार का डिपौजिट है, उन्हें 9.5 प्रतिशत ब्याज दें और बाकी लोगों का जो कम कर दिया है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो।

श्री खारबेल स्वाईं: मुझे मालूम हुआ है और आपके आफिसर्स ने बताया है कि अगर मार्किट से पैसा लेते हैं तो उस पर ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, यह सही है या नहीं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: क्या माननीय सदस्य को कहने का हक है कि उस तरह क्या हुआ? क्या उन्हें सभा में इस तरह से बोलने का हक है। *...(व्यवधान)* मेरा अभिप्राय है कि कतिपय दृष्टान्त हैं, कतिपय रीति है कि संसद किस तरह से कार्य करेगी। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी यह ताज्जुब की बात है कि 6 साल बर्बाद करने के बाद ये लोग उस साइड में बैठकर ऐसी बात कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाईं: वे अधिक ब्याज नहीं दे रहे हैं। *...(व्यवधान)* जब ब्याज दर 1 प्रतिशत प्वाइंट कम हुई तो सरकार को 14,000 करोड़ रुपया तक का फायदा हुआ है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि यदि यह ठीक है कि सरकार को 14,000 करोड़ रु. का फायदा हुआ है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, प्लीज सिट डाउन।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: तोपदार जी, प्लीज सिट डाउन।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सिर्फ माननीय मंत्री का उत्तर कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: तोपदार जी, आप बैठिये, आपकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है। कृपया बैठिए। यह कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

श्री शीश राम ओला: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय गुरुदास गुप्त जी की यह बात मानूंगा। *...(व्यवधान)* मैं जानता हूं कि उनके नाम में दो बार गुरुदास लगता है, गुरुदास गुरुदास गुप्त। *...(व्यवधान)*

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): उनका नाम गुरुदास दासगुप्त है।

श्री शीश राम ओला: मैं उनकी इस बात को मानता हूं कि यह सर्वसम्मति का फैसला नहीं है। मैंने 30 जून को एक मीटिंग बुलाई, 13 जुलाई को अगली मीटिंग बुलाई, 20 जुलाई को भी मीटिंग बुलाई और 9 अगस्त को फिर से मीटगि बुलाई, इस तरह से मैंने चार मीटिंग्स बुलाई, ताकि किसी नतीजे पर माननीय सदस्य पहुंच सकें। यह भी सही है कि माननीय सदस्य नतीजे तक नहीं पहुंचे। यह भी सही है कि मुझे कोई अधिकार नहीं है। जो निर्णय सीबीटी मीटिंग में होता है, माननीय सदस्य जो निर्णय लेते हैं, उस निर्णय के मुताबिक कार्रवाई होती है और वित्त मंत्रालय से उस निर्णय को उनके पास भेज दिया जाता है। यहां पर बहुत चेष्टाएं करने के बावजूद किसी एक निर्णय *...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: मंत्री जी, यह आप सच नहीं बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए।

श्री शीश राम ओला: आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप मुझे झूठा कहें। एक शब्द भी मैं झूठ बोलूं तो मेरी जांच कर लें। आप क्या बात करते हैं, मैं इसके लिए नहीं हूं, मैं मजदूरों से ज्यादा मजदूर हूं। मैं 24 घंटे खेतों में काम करने वाला हूं। आपको झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री, आपको अध्यक्षपीठ को संबोधित करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शीश राम ओला: मैं यह कहूंगा कि बार-बार 'झूठ' शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं यह कह रहा हूं कि उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: जो भी अनपार्लियामेंट्री लफ्ज होगा, वह रिकार्ड से निकाल दिया जायेगा।

श्री शीश राम ओला: मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि हमने चार मीटिंग्स बुलाई। यही नहीं मैंने प्रत्येक माननीय सदस्य से व्यक्तिगत बात भी की। लेकिन व्यक्तिगत बात करने पर भी कोई नतीजा नहीं निकला। चार मीटिंग्स में सर्वसम्मति से कोई नतीजा नहीं निकला तो बहुमत से यह निर्णय लिया गया, जो मैंने हाउस के समक्ष प्रस्तुत किया। यह निर्णय फाइनल नहीं है, अंतिम नहीं है।

आप आठ हजार करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं। आठ हजार करोड़ रुपये बहुत बड़ी राशि है। अगर कुछ भी राशि मिली तो वह राशि मजदूरों को देने में हमें बहुत खुशी होगी कि मजदूरों को ब्याज के रूप में हम उसे दे दें। एक लाख साठ हजार कर्मचारी हर महीने रिटायर होते हैं। उनमें से कुछ का स्वर्गवास हो जाता है। यदि हम कोई निर्णय नहीं करते तो उनके फाइनल एकाउन्ट के वक्त उन्हें ब्याज आदि का पैसा नहीं मिलता है। इसलिए एक निर्णय लिया गया और फाइनैन्स कमेटी को कहा है कि कहीं भी ज्यादा पैसे की गुंजाइश हो तो साल के अंत में, मार्च के पहले-पहले बताये कि इतना रुपया सरप्लस है, वह रुपया हम मजदूरों को ब्याज में देने में कहीं कोई कोताही नहीं बरतेंगे।

यह फैसला फाइनल नहीं है। कहीं भी गुंजाइश मिली तो हम उनको निश्चित रूप से पैसे देंगे। लेकिन दो साल के पैसे 2002-2003 में 9.5 प्रतिशत एडहॉक बेसिस पर है। अभी तक उस पैसे को वित्त मंत्रालय से रैटीफाई नहीं किया गया है। इसी प्रकार से 2003-2004 में जो ब्याज दर तय की गई, वह 9 प्रतिशत ब्याज दर और 0.5 प्रतिशत बोनस कहकर तय की गई, लेकिन वह भी एडहाक बेसिस पर थी, फाइनल नहीं थी, क्योंकि आज भी उसे वित्त मंत्रालय ने रैटीफाई नहीं किया।

श्री गुरुदास दासगुप्त: क्यों?

श्री शीश राम ओला: अब ये मुझसे मत पूछिए। मैं जो कह रहा हूं वह सुनिये। मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मेहरबानी से मुझको सुन लीजिए।

मैंने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है कि इसे रैटीफाई करने की अनुमति दी जाए। अभी तक हमको अनुमति नहीं मिली। मैं

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शीश राम ओला]

कोई भी ब्याज दर घटाने या बढ़ाने का अधिकारी नहीं हूं। यह कार्य वित्त मंत्रालय का है। वित्त मंत्रालय ने यह कहा कि 8 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो। हमने सब मैम्बरों की सलाह लेकर बहुमत से यह निर्णय किया कि 8.5 प्रतिशत अंतरिम ब्याज दर की घोषणा करना उचित है और फाइनल साल के अंत में तय की जाए क्योंकि ज्यादातर माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि ब्याज दर साल के अंत में तय होनी चाहिए और वह इसलिए क्योंकि इस साल का क्या लाभ या नुकसान हुआ, उसका साल के अंत में ही पता लगता है। फिर भी यह परंपरा चलती आ रही थी, उस परंपरा का पालन करते हुए मैंने इसको अंतरिम तौर पर माननीय सदस्यों की सलाह के बाद निर्णय लिया। यह कहना उचित नहीं है कि पैसे सीबीटी के पास अधिक हैं और ब्याज दर कम की गई है। जो 8.5 प्रतिशत की घोषणा की है, इससे भी 206 करोड़ रुपये मूल धन से देने की स्थिति है। हमने अधिकारियों से कहा है, प्राविडैन्ट फंड कमिश्नर से कहा है कि जहां उधार बाकी है, उसकी वसूली करें और उस कमी की पूर्ति करें। उसके बावजूद एक पैसा भी अधिक मिला तो वह मजदूरों को दिया जाएगा। एक माननीय सदस्य फरमा रहे थे और 85 प्रतिशत कर्मचारियों की बात कर रहे ऐसा नहीं है। 85 प्रतिशत कर्मचारी हैं वे जिनके सालाना प्रोविडैन्ट फंड में 20,000 रुपये जमा हैं और उसमें से या तो लड़की की शादी है या और कोई जरूरत पड़ी तो वह रुपये विदड्रा कर लेते हैं। किसी कर्मचारी के 3000 रुपये तो किसी कर्मचारी के 3200 रुपये उसमें बेचते हैं। केवल 10 प्रतिशत ही ऐसे कर्मचारी हैं जिनके एक लाख रुपये तक जमा हैं। अगर हम एक प्रतिशत ब्याज दर बढ़ा दें तो जिनके 20,000 रुपये जमा होते हैं, उन्हें ब्याज में 28 से 32 रुपये सालाना लाभ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक लाख रुपये जिनके जमा हैं उनको 400-500 रुपये का फायदा होगा तथा सबसे ज्यादा लाभ पांच प्रतिशत लोगों को होगा। जो लोग इन्कम टैक्स बचाने के लिए प्रॉविडेंट फंड में पैसे जमा कराते हैं, उन्हें इसका फायदा होता है। *...(व्यवधान)*

महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि मैं हाउस में स्टेटमेंट दे रहा हूं। अगर इसमें कोई गलती हो, तो वे मुझे रिजाइन करने के लिए कह सकते हैं। पहले मेरी बात सुन लीजिए।

मैं कहना चाहूंगा कि मजदूर के हक की बात हम हमेशा करते रहे हैं। मजदूर को कैसे लाभ मिले, वह हम हमेशा देखते रहे हैं। स्पेशल डिपॉजिट स्कीम (एस.डी.एस.) को चालू रखने के लिए हमने वित्त मंत्री को लिखा है। उस पर ब्याज दर बढ़ाने के लिए भी कहा है। उस पर ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। जो बातें यहां तथ्यहीन कही गई हैं, वे सत्य नहीं हैं। मेरा इतना ही निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री गुरुदास दासगुप्त जी, श्री बसुदेव आचार्य जी, जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां प्रस्तुत किए हैं और जो नहीं बोले हैं, उन सभी से अर्ज कर रहा हूं कि ब्याज का यह फायनल फैसला नहीं है। सारे हिसाब को देखने के लिए फायनेंस कमेटी को कहा है। जो सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्ट (सी.बी.टी.) के मैम्बर्स हैं, वे ही फायनेंस कमेटी को भी मैम्बर हैं। उन्हीं से फायनेंस कमेटी बनाई गई है। वे ही इसमें निर्णय करेंगे कि कितने रुपये कहां हैं और कितने कहां हैं। कुछ भी रुपए यदि कहीं से मिलेंगे, तो हम निश्चित रूप से मजदूरों का ब्याज बढ़ाने में कोई संकोच नहीं करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महदोय, शून्य-काल शुरू कराइये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, मैं आपको समय दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अभी बैठ जायें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): उनके एकाउंट्स में गलती है। महोदय, उन्होंने मेरे आरोप का जवाब नहीं दिया है। *...(व्यवधान)* जो घोटाला हुआ है, उसका जवाब नहीं दिया है। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सबसे पहला नोटिस है।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे मालूम है। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको समय दूंगा। मैंने यह नोट कर लिया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः अब 'शून्य काल' शुरू होता है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः अब शून्य काल शुरू होगा कृपया बैठिए। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि जयपुर शहर में जितनी भी कच्ची बस्तियां हैं उनमें से कुछ बस्तियों में भारत सरकार के निर्णय के आधार पर पहले एक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया था। वह उन बस्तियों के लोगों को दवा देने तथा प्राथमिक उपचार करने के नाते बहुत मजबूती से और बहुत अच्छा काम कर रहा था। स्वास्थ्य उप केन्द्र में कार्यरत कर्मियों ने वहां मकान भी किराए पर ले लिए थे और कुछ अन्य व्यवस्था करके रह रहे थे। भारत सरकार ने अब निर्णय लिया है कि कच्ची बस्तियों के लिए चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रम को बन्द कर दिया जाए और ऐसे सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों को बन्द कर दिया जाए। इसके कारण कच्ची बस्तियों में चल रहे उप स्वास्थ्य केन्द्र बन्द किये जा रहे हैं। जो मकान स्वास्थ्य कर्मियों ने किराए पर लिए थे वे खाली कर दिए हैं तथा जो अन्य मकान थे उनसे उन्हें बेदखल किया जा रहा है।

उन कच्ची बस्तियों में वे ठीक प्रकार का उपचार कर रहे थे। वह उपचार भी बन्द हो गया है। मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि कच्ची बस्तियों में चल रहे उप स्वास्थ्य केन्द्रों को पुनः खोला जाए। स्वास्थ्यकर्मियों को मकान दिए जाएं। इससे कर्मचारी बेरोजगार होने से बचेंगे। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती परनीत कौर (पटियाला): महोदय, मैं पंजाब के पटियाला और संगरूर जिलों में आई विनाशकारी बाढ़ के बारे में बताने के लिए बोल रही हूं। यह बाढ़ 2 और 3 अगस्त 2004 को हुई अप्रत्याशित भारी वर्षा के कारण आई जिसके परिणामस्वरूप घघ्घर नदी में पानी का बहाव 2.55 लाख क्यूसेक हो गया। यह गत वर्षों में सबसे अधिक है। लगभग 352 गांवों की 30,000 एकड़ में खड़ी फसल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। लगभग आठ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दो के लापता होने का समाचार है।

लगभग 120 पशु मर गए और 800 जानवर लापता हैं। पटियाला की लगभग 20 प्रतिशत आबादी को बहुत नुकसान हुआ है। पुलों, आवासीय भवनों, विद्यालय भवनों, अस्पताल भवनों, पशु चिकित्सालयों, जल आपूर्ति प्रणाली, विद्युत स्थापनाओं, ट्यूबेलों और खेतों में पानी भरने वाली नालियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। घर, मारकण्डा और तांगरी नदियों में 113 दरारें पड़ गई हैं।

मेरा अनुरोध है कि चूंकि व्यापक अध्ययन किया गया है और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है इसलिए केन्द्र सरकार को इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने हेतु कम से कम 100 करोड़ रुपये देने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमनः उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलना है।

उपाध्यक्ष महोदयः मुझे पता है। मुझे यह अच्छी तरह पता है।

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): श्रीमन्, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली से बूचड़खाने को गाजीपुर के इलाके में ले जाने का निर्णय है, ऐसा अखबारों में आया है। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि गाजियाबाद की कई कालोनियां सूर्यनगर, कोशाम्बी, वसुंधरा, इंदिरापुरम, वैशाली और नोएडा से जो लोग आकर बस रहे थे, उनका पलायन शुरू हो जाएगा। वहां से छः किलोमीटर दूर हिंडन एयरबेस है और वहां फाइटर प्लेन आते हैं। वहां पर कानूनन प्रतिबंध है, जहां कोई एयरबेस है तो उसके पास के इलाके में कोई बूचड़खाना नहीं खोला जा सकता है। इसके बावजूद लोगों की भावनाओं की परवाह किए बगैर ऐसा किया जा रहा है। लोग कोशिश करते हैं कि उनका पड़ौस ठीक रहे, सम्पन्न रहे और मजबूत रहे और उनके काम आए, लेकिन दिल्ली के लोग, दिल्ली की सरकार पड़ौस में हमारे गाजियाबाद और उसके पूरे इलाके को उजाड़ने का काम कर रही है। इसके प्रति वहां की पूरी जनता में गंभीर असंतोष है। लोग आंदोलित हैं, सड़कों पर आ रहे हैं और वहां नौ-नौ, दस-दस घंटे जाम लगता है। ऐसी स्थिति आ सकती है कि वहां से न कोई आदमी दिल्ली आ सकता है और न ही दिल्ली से वहां जा सकता है, यह नौबत है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि दिल्ली से उसे उठा कर बाहर न ले जाएं, आबादी वाले क्षेत्र में न ले जाएं। जहां आबादी से दूर का इलाका हो, वहां ले जा सकते हैं, लेकिन जो बहुत ही बढ़िया एडवांस कालोनी है, जहां लाखों लोग रह रहे हैं वहां न ले जाएं। दिल्ली के अंदर आंख बंद करके, बिना देखे कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर कौन रह रहे हैं, कौन नहीं रह रहे हैं, ये सब हो रहा है, इस पर रोक लगाने का काम करें।

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब के काफी लोग इराक में मजदूरी करने के लिए, ट्रक चलाने के लिए जाते हैं। आपको मालूम है कि वहां तीन लोग अभी भी बंदी बने हुए हैं, जिसमें दो पंजाब के हैं। वहां एक ऐसी घटना हुई है, पंडोरीकद जिला होशियारपुर में पड़ता है, वहां का मंदीप सिंह सन ऑफ जोगिंदर सिंह एक ड्राइवर था, उसकी वहां हत्या कर दी गई। वहां न तो इराक सरकार ने और जिस कम्पनी में वह काम करता था, न ही उसने, न ही पंजाब सरकार और भारत सरकार ने उसे कम्पनसेशन देने की बात कही है।

इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो लोग रोजी-रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं, उनकी सुरक्षा का प्रबंध हो और काम के दौरान अगर उनकी मौत हो जाती है तो उन्हें कम्पनसेशन देने के लिए सरकार कदम उठाए, यह मेरा निवेदन है।

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कालिंजरा कस्बे में नौ सितंबर, 2002 को एक साम्प्रदायिक दंगा हुआ। उस साम्प्रदायिक दंगे में अल्पसंख्यक समुदाय के घरों में आग लगाई गई। *...(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): यह स्टेट का मामला है, यह यहां कैसे उठ सकता है? यह स्टेट मैटर है, यह लोक सभा में नहीं उठना चाहिए। राजस्थान में बिल्कुल शान्ति है, वहां बहुत अच्छा शासन चल रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों व अन्य समुदाय के लोगों के घरों में आग लगा दी गई और मस्जिद को तोड़ा गया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राजमीलाल सुमन के कथन के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में और कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, उसमें 50 से ज्यादा लोग नामजद हुए, जिनका संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिन्दु परिषद, वनवासी कल्याण परिषद और शिवसेना से था। जो प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज हुई, उसमें कुछ लोगों को सजा हो गई। विश्व हिन्दू परिषद और दूसरे संगठनों के लोग उसमें नामजद थे। राजस्थान सरकार ने उनके मुकदमे वापस ले लिये हैं और अल्पसंख्यक समुदाय *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.45 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.47 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.48 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.48 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेगी।

श्री एन.एस.वी. चित्तन।

(एक) तमिलनाडु में मदुरै और डिंडीगुल जिलों के नीलाकोट्टई तथा उसीलमपट्टी तालुकों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए पेरानाई रेगुलेटर के निकट एक नए पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): महोदय, 'पेरनाई हेड वर्कस' का निर्माण 1892 ई. में पेरियार बांध के नीचे वैगई नदी के पार 90 कि.मी. की दूरी पर किया गया था। इस रेगुलेटर का निर्माण वैगई नदी के पार डिडीगुल, मदुरै और शिवगंगा जिलों में 1,68,852 एकड़ 'एयाकुट' की सिंचाई करने के लिए वैगई नदी के जल बहाव को पेरियार मेन कैनाल में मोड़ने के लिए वैंगई नदी के पार किया गया है। रेगुलेटर से सटे होने के कारण यह पुल मदुरै और डिंडीगुल जिलों के नीलाकोट्टई और उसीलमपट्टी ताल्लुकों को जोड़ता है। संयुक्त मदुरै जिलों के दोनों तालुके बहुत पिछड़े हैं। चूंकि रेग्युलेटर से सटा यह पुल 112 वर्ष पुराना है इसलिए इस पर यातायात बन्द कर दिया गया है। इस रेग्युलेटर-सह-पुल के बन्द हो जाने के कारण नीलाकोट्टाई और उसिलमपट्टी ताल्लुकों के आसपास के क्षेत्रों की जनता को प्रतिदिन अपने सामाजिक-आर्थिक कार्यकलाप में काफी दिक्कत होती है।

यह अत्यंत आवश्यक है कि पेरानी रेग्युलेटर के पास एक नये पुल का निर्माण हो जिसमें कम से कम भूमि का अधिग्रहण हो और अन्य औपचारिकताएं भी बहुत कम हों। नदी की चौड़ाई लगभग 300 मीटर है। नये पुल के निर्माण पर लगभग 6 करोड़ से 6.5 करोड़ की लागत आयेगी। यदि नये पुल का निर्माण हो जाए तो इससे समय की बचत के साथ-साथ तमिलनाडु के दक्षिण भाग में जाने वाले सड़क यातायात की दूरी में 30 कि.मी. की कमी आएगी। मैं केन्द्र सरकार से इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आरंभ करने और इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त धन मंजूर करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जसुभाई दानाभाई बारड़—उपस्थित नहीं हैं।

(दो) उड़ीसा के गंजम जिले में क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत विशेष निधि जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रशेखर साहु (बरहामपुर-उड़ीसा): गत वर्ष के अभूतपूर्व चक्रवात में विशेषकर उड़ीसा के तटीय जिलों में भारी क्षति पहुंची थी। गंजम जिले में, विशेषत: ब्रह्मपुत्र संसदीय क्षेत्र में 7 वर्ष गुजर जाने के बावजूद अभी तक क्षतिपूर्ति नहीं की गई है। इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि पर्याप्त नहीं थी। अत: मैं केन्द्र सरकार से उन क्षतिग्रस्त भवनों का निर्माण करने के लिए जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, इंदिरा आवास योजना के तहत एक विशेष पैकेज की घोषणा करने का अनुरोध करता हूं। लघु एवं वृहत सिंचाई सड़क, छोटे तालाब आदि का कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाना है। अत: मैं अध्यक्ष महोदय से, केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालय को राज्य सरकार से अद्यतन सूचना प्राप्त करने और तदनुसार कार्यों को अविलम्ब शुरू करने हेतु विशेष निधियों की व्यवस्था करने हेतु, निदेश देने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री एम. अंजन कुमार यादव—उपस्थित नहीं हैं।

श्री जी.एम. सिद्दीश्वर—उपस्थित नहीं हैं।

[हिन्दी]

(तीन) फुलेरा-जोधपुर रेलवे खंड को स्वचालित सिग्नल प्रणाली से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आमान परिवर्तन के साथ ही ऑटो सिग्नल प्रणाली का कार्य हो जाता है लेकिन फुलेरा से जोधपुर 240 कि.मी. आमान परिवर्तन के साथ ऑटो सिग्नल प्रणाली का कार्य नहीं हुआ जिससे दिल्ली-जोधपुर एवं जयपुर-जोधपुर की ट्रेनों में 1 से 1.30 घंटे ज्यादा समय लग रहा है। सिर्फ 6.7 करोड़ रुपये के खर्च से जहां रेल मंत्रालय को बहुत ज्यादा फायदा होगा वहीं पर यात्रियों को भी उससे बहुत लाभ होगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से निवेदन करूंगा कि फुलेरा जोधपुर ऑटो सिग्नल प्रणाली शीघ्र ही शुरू करके आम जनता को इसका लाभ पहुंचाएं।

(चार) बिहार के कटिहार जिले में दूरदर्शन-2 के कार्यक्रमों का प्रसारण किए जाने की आवश्यकता

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार): उपाध्यक्ष जी, बिहार राज्य के कटिहार जिले में पूर्व से ही दूरदर्शन का उच्च शक्ति प्रेषित केन्द्र अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्यरत है। यहां उत्तरी बिहार का सबसे शक्तिशाली ट्रांसमीटर है जो पूरी तरह से नई तकनीक पर आधारित है। विकास के इस दौड़ में यहां मैट्रो चैनल पर डी.डी.-2 के कार्यक्रमों का प्रसारण करने की आवश्यकता है ताकि ज्ञान-विज्ञान का संवर्धन एवं मनोरंजन का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। कटिहार उत्तर पूर्व बिहार का अति पिछड़ा इलाका है जो कि गंगा, कोशी एवं महानन्दा नदी से घिरा हुआ है। सीमांचल का यह इलाका बंगलादेश एवं नेपाल की सीमाओं को भी स्पर्ष करता है। सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यावसायिक, भौगोलिक एवं मौलिक चीजों को ध्यान में रखकर स्टूडियो एवं पीजीएफ के निर्माण की आवश्यकता है ताकि क्षेत्रीय प्रसारण का पूरा लाभ सीमांचल से जुड़े इस क्षेत्र के लोगों को लिम सके। इसे विकास के कार्यक्रमों से जोड़कर इस क्षेत्र को राज्य एवं देश के नवनिर्माण में अपना महत्वपूर्ण स्थान मिल सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पी.एस. गढ़वी—अनुपस्थित।

[अनुवाद]

(पांच) बीड़ी उत्पादों पर उत्पाद शुल्क कम किए जाने और केरल में बीड़ी कर्मकारों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा किये जाने की आवश्यकता

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदय, मैं इस सभा का ध्यान केरल में बीड़ी उत्पादकों की गंभीर समस्याओं की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। बीड़ी उद्योग में लगे कुल श्रमिकों में 95 प्रतिशत महिला श्रमिक हैं। इन श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी मिलती है। इसके अतिरिक्त वर्ष-दर-वर्ष रोजगार दिवसों की संख्या भी घट रही है। माननीय केरल उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है। केन्द्र सरकार को बीड़ी उत्पादों पर लगाए गए उत्पादकर को कम करने हेतु अविलम्ब कदम उठाा चाहिए और केरल राज्य में बीड़ी कामगारों के लिए

[श्री पी. करुणाकरन]

किसी विशेष कल्याण योजना की घोषणा करनी चाहिए। केन्द्र सरकार को यथाशीघ्र संबंधित राज्यों में बीड़ी-सिगार अधिनियम को लागू करने हेतु अविलम्ब कदम उठाने चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रघुराज सिंह शाक्य—अनुपस्थित।

(छह) बिहार राज्य के पटना में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के तर्ज के समान संस्थान स्थापित किए जाने और इसे शीघ्रातिशीघ्र चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, बिहार राज्य के पटना में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की तर्ज पर फुलवारी विधान सभा के अंतर्गत बालमी में विगत वर्ष में महामहिम उप-राष्ट्रपति जी के द्वारा शिलान्यास किया गया था। लेकिन इतने दिन बीतने के बाद भी इस संदर्भ में प्रगति नहीं हुई है जिससे बिहार वासियों के अन्दर असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही है तथा बिहार से बाहर इलाज कराने में काफी परेशानी एवं आर्थिक हानि भी होती है।

अत: मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अविलम्ब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का केन्द्र चालू किया जाए।

(सात) झांसी-बांदा, बांदा-माणिकपुर और बांदा-कानपुर रेल मार्गों का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किये जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद (फतेहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद-फतेहपुर मेरा संसदीय क्षेत्र है जो दो जनपद में विभक्त है, बांदा और फतेहपुर। जनपद बांदा उत्तर प्रदेश के पिछड़े जनपदों में एक है जो बुन्देलखंड क्षेत्र में पड़ता है। आज के आधुनिक युग में भारत के नव निर्माण में आवागमन की सुविधा का होना आम नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो पूरा बुन्देलखण्ड हर मामले में पिछड़ा है ही लेकिन रेल भी इससे अछूता नहीं है। झांसी से बांदा, बांदा से माणिकपुर एवं बांदा से कानपुर रेल लाइन की कमी एवं रेल लाइन का दोहरीकरण नहीं होने के कारण समय से ट्रेन का परिचालन नहीं हो पाता है जिससे आम जन-जीवन पर गहरा असर पड़ता है।

अत: मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि पूरे बुन्देलखंड के विकास के लिए झांसी से बांदा, बांदा से माणिकपुर एवं बांदा से कानपुर रेल ट्रैक को दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण करने का कष्ट प्रदान करें जो जनहित में अति आवश्यक है।

अपराह्न 3.00 बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री ए. कृष्णास्वामी—उपस्थित नहीं हैं।

श्री अधलराव पाटील शिवाजी—उपस्थित नहीं हैं।

श्री बीर सिंह महतो—उपस्थित नहीं हैं।

(आठ) सामुदायिक स्वास्थ्य मार्गदर्शक कर्मकारों को संदेय मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री बीर सिंह महतो (पुरुलिया): उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य गाइड कर्मकार 1980 से कार्य कर रहे हैं। वे विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे पल्स पोलियो, परिवार नियोजन, मलेरिया उन्मूलन, तपेदिक, कुष्ठ इत्यादि से जुड़े हैं। सभी प्रकार के स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों को वे देखते हैं। किंतु उन्हें अनियमित रूप से अत्यन्त ही अल्प राशि अर्थात् 250 रु. प्रतिमाह मानदेय के रूप में मिलती है।

मेरा केन्द्र सरकार से उनका मानदेय बढ़ाने तथा इसका नियमित भुगतान करने का अनुरोध है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: चूंकि श्री शिवराज वि. पाटील राज्य सभा में व्यस्त हैं, यदि सभा सहमत हो, तो हम अगली मद ले सकते हैं। जब भी माननीय मंत्री लोक सभा आते हैं, हम देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति के संबंध में चर्चा का उत्तर शुरू कर सकते हैं। यदि सभा सहमत हो, हम अगली मद ले सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय: अब यह सभा मद संख्या-17 लेगी। श्री प्रबोध पाण्डा चर्चा शुरू करेंगे।

अपराह्न 3.02 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

(एक) देश में बिजली की कमी से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। इस विषय को लेने का प्रस्ताव कल का था।

अचानक, कार्यमंत्रणा समिति ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि श्री वघेला को गुजरात जाना था इसलिए, वह विषय जिसे आज लिया जाना था—अगले दिन लिया जाएगा। मूलतः, यह विषय—देश में विद्युत की स्थिति आज के बाद कल लिया जाना था। इसलिए मेरी आपसे यह अपील है। चर्चा हो जाने दीजिए लेकिन मंत्री जी का उत्तर कल अपराह्न में ही लिया जा सकता है। यह मेरा प्रस्ताव है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूं। आज सिर्फ चर्चा होगी। आपका उत्तर कल होगा।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, चर्चा शुरू करने के लिए मेरा नाम पुकारे जाने हेतु बहुत-बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले, मैं कार्यमंत्रणा समिति को चर्चा के लिए इस विषय को आज लेने के लिए धन्यवाद देता हूं। यह कार्य सूची में पहले ही है। इस चर्चा के लिए यह आज की तारीख में सूचीबद्ध है।

हमारे देश, भारत का ऊर्जा की मांग की दृष्टि से विश्व में छठा स्थान है। विद्युत आर्थिक विकास के मुख्य वाहकों में एक है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता। कई लोगों द्वारा यह कहा गया है—यहां तक कि हम, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी, लेनिन को उद्धृत करते हैं कि समाजवाद का अर्थ—सर्वहारा राज्य के नेतृत्व में ग्रामीण विद्युतीकरण है। यह सर्वहारा राज्य नहीं है। मैं इस राज्य को वैसा नहीं कह सकता। किंतु मैं यह जरूर कह सकता हूं कि ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए। विद्युत की उपलब्धता, सुगम्यता और लागत भी जनता के जीवन की गुणवत्ता के मुख्य निर्धारक हैं।

स्वतंत्रता के समय से ही, योजना परिव्यय के निर्धारण में इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। हम इसे स्वीकार करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1300 मे.वा. थी, आज बढ़ कर एक लाख मे.वा. से अधिक हो गयी है। यदि मैं गलत हूं तो माननीय मंत्री कृपया मेरे आंकड़े ठीक सकते हैं। तथापि, इन उपलब्धियों के बावजूद, विद्युत क्षेत्र मांग में वृद्धि के अनुरूप विकास नहीं कर सका है।

इसके परिणामस्वरूप, देश को हमेशा ऊर्जा के अभावों का सामना करना पड़ता है। विद्युत हमारे संविधान की सातवीं अनुसूची में अंतर्विष्ट समवर्ती सूची में सम्मिलित है और इससे केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों संबंधित हैं। इस क्षेत्र के तीन मुख्य अंग अर्थात् विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण है। इसलिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए स्वाभाविक है कि काम तीन गुना है। मांग पूरी करने के लिए हमें अधिक विद्युत का उत्पाद करना होगा, हमें उत्पादन केन्द्रों से इनका संप्रेषण करना होगा और समुचित तरीके से उपभोक्ताओं कों वितरित करना होगा।

महोदय, नौवीं पंचवर्षीय योजना में, आरम्भ में सरकार ने 48000 मे.वा. विद्युत उत्पादन का निर्णय किया था। किंतु लक्ष्य को घटाकर 28000 मे.वा. कर दिया गया और फिर इसे घटा कर 20,000 मे.वा. कर दिया गया। जहां तक दसवीं पंचवर्षीय योजना का संबंध है, विद्युत संबंधी कार्य दल की रिपोर्ट में योजना अवधि के दौरान 46.649 मे.वा. की अतिरिक्त क्षमता वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है। तथापि, परियोजनाओं को इस समय दी जा रही मंजूरी और शुरू होने वाली नई परियोजनाओं की स्थिति को देखते हुए, योजना आयोग 41,110 मे.वा. तक क्षमता वृद्धि और नई योजनाओं के अंतर्गत 13,205 मे.वा. क्षमता वृद्धि के प्रति आश्वस्त है।

महोदय, मैंने 3 मार्च 2001 को विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में पारित संकल्प को पढ़ा है और संकल्प कहता है कि ग्रामीण विद्युतीकरण को प्रधान मंत्री ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत बुनियादी-न्यूनतम सेवा माना जाए और ग्रामीण विद्युतीकरण दसवीं योजना के अंत तक अर्थात् वर्ष 2007 तक पूरा कर लिया जाए। इसे पहले ही राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। संकल्प में आगे कहा गया है कि 11वीं योजना के अंत अर्थात् 2012 तक सभी घरों का विद्युतीकरण हो जाना चाहिए। इसलिए ऐसी आशा है कि 2007 तक सभी गांवों में विद्युत उपलब्ध होगी और वर्ष 2012 तक सभी घरों तक बिजली पहुंच जाएगी। संकल्प में आगे कहा गया है कि पूर्ण विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए राज्यों को ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य पूरा करने के लिए जहां कहीं अपेक्षित हो, ग्राम और ब्लॉक पंचायतों की सहमति से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों के प्रयोग में राज्यों को नम्यता की अनुमति दी जा सकती है। यह सहमति हुई थी कि राज्यों के दूरस्थ गांवों में विद्युतीकरण के लिए अनुदानों के अलावा वित्तपोषण के विशेष तरीके की आवश्यकता होगी।

संकल्प बिल्कुल सही है। किंतु विद्युत उत्पादन की मांग को कैसे पूरा किया जाएगा? इसका समाधान क्या है? पिछली सरकार ने संयुक्त उद्यम की परियोजनाओं का प्रतिपादन किया था और उन्होंने निजी क्षेत्र को अधिक सुविधाएं देने पर भी विचार किया था। महोदय, इस विषय पर वाद-विवाद किया जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोला जाए अथवा क्या मुख्य जिम्मेदारी सरकार स्वयं लेगी।

हम सुधारों के बारे में बात कर रहे हैं। हम इस तरह के सुधारों के विरोध में नहीं हैं क्योंकि समाज के बेहतरी के लिए सुधार आवश्यक हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने यहां तक कहा है कि

[श्री प्रबोध पाण्डा]

हम मानवीय पक्षों को ध्यान में रखते हुए सुधार करें। इसका स्वागत है। इसलिए विद्युत क्षेत्र में सुधार इस तरह से हो जो आम जनता के हित में हो और देश की जनता के हित में हो। पिछली सरकार ने एक विधान—विद्युत अधिनियम—लागू किया था किंतु यह अधिनियम नहीं है जो जनता का हित करे।

महोदय, हमारे पास अनेक संभावनाएं हैं। सौभाग्यवश, हमारे लिए हिमालय क्षेत्र में, पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में ऐसे स्थल हैं जहां विद्युत के उत्पादन के लिए पानी का प्रयोग किया जा सकता है। हमें उन स्थलों का क्यों नहीं प्रयोग करना चाहिए? यह सच है कि ताप विद्युत उत्पादन की तुलना में जल-विद्युत उत्पादन की परिपक्वता अवधि अधिक है। मैं समझता हूं संभवतः इसके लिए अधिक धन की आवश्यकता है किंतु जल विद्युत ताप विद्युत की अपेक्षा सस्ती है। हम इसे क्यों नहीं अपनाते? यदि हम इसे अपनाएं, तो हमारे पास न सिर्फ औद्योगिक विकास के लिए विद्युत होगी अपितु सिंचाई और पीने के लिए भी जल उपलब्ध होगा। इसलिए जल का उपयोग करते हुए विद्युत सृजन की योजना तथा नीति पर व्यापक दृष्टि डालने की आवश्यकता है।

महोदय, अभी मैं विधान के अधिनियमन का उल्लेख कर रहा था। यह अधिनियम पूर्ववर्ती तीन अधिनियमनों से प्रतिस्थापित करता है। जहां तक मेरा मत है वह अधिनियमन निगमित तथा निजी क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने, न कि आम जनता के लिए, स्वीकृत किया गया था। इसलिए वह अधिनियमन, अर्थात् विद्युत अधिनियमन, 2003 को निरसित किया जाना चाहिए।

हम ग्रामीण गरीबों को विद्युत प्रदान करने के संबंध में, न केवल उन्हें विद्युत प्रदान करने बल्कि उचित मूल्य पर विद्युत प्रदान करने की बात कर रहे हैं। यदि हम निजी क्षेत्र को और अधिकार क्षेत्र प्रदान करते हैं तो यह और भी अराजकता को बढ़ाएगा। इसके तीन हिस्से हैं। एक उत्पादन, दूसरा पारेषण तथा तीसरा वितरण। यदि सब कुछ निजी क्षेत्र को दे दिया गया अथवा एक या इससे ज्यादा क्षेत्र निजी क्षेत्र को दिए जांच को समन्वयन किस प्रकार किया जाएगा?

जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है उनका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना है। उनकी प्राथमिकता आम जनता तथा कृषकों की आवश्यकताओं को पूरा करने की नहीं है। इसलिए वे ऐसा सोचते हैं तथा इस प्रकार की पद्धतियां अपनाते हैं जिससे उन्हें आसानी होती है तथा जिसके द्वारा वे और पैसा कमा सकें। चर्चाओं के दौर के दौरान श्री शिवराज पाटील भी उस समय विपक्ष के उपनेता थे, ने सही उल्लेख किया था कि यदि वितरण प्रणाली निजी क्षेत्र को दे दी जाए तो वे टैरिफ को अपने हिसाब से तय करने लगेंगे। अतएव, शुल्क 10 रु. प्रति यूनिट तक जा सकता है। आप 'इनरोन' के भविष्य के विषय में जानते हैं। इनरोन प्रकरण पहले से चल रहा है। हमें मालूम है कि उड़ीसा में क्या हुआ, जहां तक कि निजी क्षेत्र का संबंध है। इसके अलावा, विद्युत प्रमुख क्षेत्र का हिस्सा है। अतएव, इस क्षेत्र का संरक्षण किया जाना चाहिए। सरकार को इस क्षेत्र पर ज्यादा बल देना चाहिए। कई तरह के आश्वासनों की घोषणा की गई है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी है। हम यह भी सोच रहे हैं कि 2007 तक हमारे देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। मैं समझता हूं कि 80,000 से ज्यादा गांवों को छोड़ दिया गया है। उन्हें ये सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो रही हैं। अतएव, हमारे पास राष्ट्रीय विद्युत नीति होनी चाहिए। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए। इसके लिए, उन्हें संबद्ध व्यक्तियों तथा प्रतिनिधियों के साथ वार्ता प्रारंभ करनी चाहिए। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि हम दसवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन इस पर न तो गत सत्र में और न ही पिछली संसद में चर्चा की गई। अतएव,. इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

इसके अलावा, हमें ग्रामीण गांवों, गरीब लोगों, सीमांत किसानों तथा छोटे किसानों पर ध्यान देना है। उनके पास ऊंची दरों पर विद्युत प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता है। अतएव, इसे किस प्रकार वहन कहने योग्य बनाया जाए? इसके अलावा, चूंकि यह समवर्ती सूची का एक विषय है, इसलिए सभी राज्य सरकारों से परामर्श किया जाना चाहिए। वे राज्य विद्युत बोर्डों को भंग करने जा रहे हैं। यदि आप राज्य विद्युत बोर्ड को समाप्त करते हैं—इस समय तक इसे कुछ राज्यों में किया जा चुका है तो मुझे नहीं मालूम कि आम-सहमति होगी या नहीं। मुझे नहीं मालूम कि इस संबंध में आम सहमति बनी है या नहीं तथा क्या सभी राज्य सरकारों से इस संबंध में परामर्श किया गया है या नहीं? यदि कोई आम सहमति नहीं हो तो केन्द्र सरकार को ऐसा करने के लिए कोई विधान नहीं थोपना चाहिए। महोदय, मैं केवल यह चर्चा शुरू कर रहा हूं। यह काफी महत्वपूर्ण मामला है।

मंत्री महोदय, श्री पी.एम. सईद जो यहां उपस्थित हैं, एक कुशल मंत्री हैं। पहले वे उपाध्यक्ष थे। मेरे मन में उनके प्रति बहुत आदर है। वे हमें इन मामलों पर जानकारी देंगे। मुझे आशा है कि वे पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की गई भूलों को सुधारेंगे। कम-से-कम उन्हें हमें बताना चाहिए कि विद्युत अधिनियम, 2003 को निरसित किया जाएगा। राज्य सरकारों की अनुमति के बिना, इन प्रावधानों को एकतरफा ढंग से थोपा नहीं जाना चाहिए।

मैंने यह चर्चा आरंभ की है। मेरे विचार में, इस चर्चा का परिणाम निकलेगा तथा उस आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): माननीय उपाध्यक्ष जी, पावर शॉर्टेज पर बोलने का मुझे मौका मिला है। आज हमारे देश में और प्रांतों में पावर की स्थिति बेहद खराब है। इस ओर जितना ध्यान केन्द्र तथा राज्य सरकारों को देना चाहिए, उतना ध्यान इस ओर नहीं दिया जा रहा है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में देखें, यह बहुत चिंता का विषय है। शहरों में उपभोक्ता परेशान हैं, उद्योगपति परेशाम हैं, व्यावसायिक संस्थान परेशान हैं। कहीं भी बिजली नहीं मिलती है। मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा लोक सभा संसदीय क्षेत्र से आता है। देहातों में आठ-आठ, दस-दस घंटे बिजली नहीं मिलती है। कई बार क्षेत्र में भ्रमण करके आया हूं, वहां मुझे बताया गया कि बीस-बीस घंटे बिजली नहीं आती है। आज चारों तरफ सूखे की स्थिति है और बिजली किसानों को नहीं मिल रही है। ट्यूबवैल चलते नहीं हैं, वर्षा नहीं हो रही है। प्रभु की लीला भी आज कुछ विचित्र सी महसूस हो रही है। आज हर नागरिक और किसान परेशान है। आज सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि बिजली का जो उत्पादन बढ़ना चाहिए, वह दिन-प्रतिदिन घटता जा रहा है। उद्योगों और व्यावसायियों को बिजली न मिलने से वे जनरेटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस पर भी सरकार की पाबंदियां हैं। उन्हें जनरेटर भी चलाने नहीं दिये जाते। पर्याप्त मात्रा में बिजली न मिलने से उद्योग सफर कर रहे हैं। किसान बेहद परेशान हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, शहरों की स्थिति इससे भी ज्यादा खराब है। गर्मियों में 10-10, 12-12 घंटे बिजली नहीं आती है, आप सोच सकते हैं कि वहां रहने वालों की क्या स्थिति है। अभी दस मिनट पहले लोक सभा में आपने देखा होगा कि यहां भी बिजली चली गई। लोक सभा देश का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जहां पर सारे हिन्दुस्तान तथा सारे विश्व की निगाहें होती हैं, वहां बिजली का जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक स्थिति है।

जहां तक जनरेशन का सवाल है, वहां पर आज आवश्यकता है कि केन्द्र सरकार इस पर ज्यादा ध्यान दे। मेरे पास कुछ डेटाज हैं, जिसमें लिखा है—रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। उसमें उन्होंने 1984 में सातवीं योजना में कम्पलीशन के बारे में लिखा है:

[अनुवाद]

> "इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया गया था तथा अपेक्षित लाभ प्राप्त कर लिए गए थे...."

[हिन्दी]

जो उन्होंने कहा है, उसमें सातवें प्लान में फेज-2 प्रोग्राम में आर एंड एम. प्रोग्राम के अंतर्गत उन्होंने लिखा:

[अनुवाद]

> "सातवीं योजना के दौरान चरण-एक आर एण्ड एम कार्यक्रम के कार्यान्वयन से प्राप्त उत्साहवर्धक परिणामों को देखते हुए ताप विद्युत गृहों संबंधी आर एण्ड एम हेतु चरण-दो कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1990-91 में लिया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 20869 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 198 ताप विद्युत इकाइयों को शामिल करके 44 ताप विद्युत गृहों पर कार्य शुरू किया गया था।
>
> इस कार्यक्रम की कुल अनुमानित लागत 2383 करोड़ रु. थी तथा इस कार्यक्रम को पूरा किए जाने के पश्चात् 7864 एम यू/वर्ष के अतिरिक्त सृजन का अनुमान लगाया गया था।"

इसमें आगे लिखा है:

> "तथापि लगभग 50 प्रतिशत कार्य आठवीं योजना के अंत तक पूरा किया जा सका... 1997 में 5000 एम यू/वर्ष प्राप्त किया गया था। चार इकाइयों (300 मेगावाट) पर जीवन विस्तार कार्य पूरे कर लिए गए थे।"

[हिन्दी]

ये जो इसमें लिखा है वह तो ठीक है मगर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह पूरा हुआ? आज आवश्यकता है कि हम इस थर्मल पावर जनरेशन को और अधिक बढ़ाएं। इसके अलावा इन्होंने रेनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की बात भी की है जिसमें हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर जनरेशन में हम बहुत पीछे हैं। भारत सरकार डैम नहीं बना पाई, उसमें हाइड्रोइलैक्ट्रिक नहीं लग पाया। इसको बढ़ाया जाना चाहिए। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर स्टेशन्स को बढ़ाया जाना चाहिए। इसमें इन्होंने आंकड़े भी दिये हैं जिनको पढ़ने की आवश्यकता मैं नहीं समझता क्योंकि इसमें सारा उन्होंने लिखा हुआ है। मगर इस ओर ध्यान देने की जरूरत यह है कि हम हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर स्टेशन्स की तादाद को बढ़ाएं। इस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा गैस टर्बाइन की बात भी कई बार मैं कह चुका हूं। मैं पहले भी संसद सदस्य रह चुका हूं। यहां लोक सभा में कई बार डिसकसन हुआ है। मेरे यहां मथुरा में एक रिफाइनरी है। मैं देखता हूं कि दिन-रात वहां गैस को जलाया जाता है। पैट्रोलियम मंत्री भी यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि पैट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ विचार-विमर्श करने के बाद इसमें पावर टर्बाइन्स जो चलती हैं, इस प्रकार के गैस के पावर स्टेशन्स का शुभारंभ अधिक से अधिक होना चाहिए जिससे अधिक पावर जनरेशन हमको मिले।

[कुंवर मानवेन्द्र सिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इनके कार्यक्रम के अंतर्गत बी.एच.ई.एल. और सीमैन्स के साथ एक संस्था पीपीआईएल (पावर प्लांट परफॉर्मैन्स इम्प्रूवमैंट लिमिटेज) बनाया गया था। पिछले छः या सात वर्ष पूर्व इसको बनाया गया और इन्होंने लगभग अठारह यूनिटें अपने हाथ में लिये जो मुझे बताया गया। आंध्र प्रदेश में इन्होंने चार प्रोजैक्ट लिये जिनको 110 मेगावाट से 120 मेगावाट में अपग्रेड किया गया। वैस्ट बंगाल में पांच प्रोजैक्ट लिये। इसमें 30 तथा 77 मेगावाट यूनिटों को रिनोवेट किया है। छत्तीसगढ़ में कोरवा थर्मल पावर स्टेशन को लिया। इसमें 120 मेगावाट रिपेयर किया गया। मुझे बताया गया कि इनकी रिपेयर कॉस्ट बहुत कम आती है। 100 मैगावाट के संयंत्र जो नए लगाते हैं, उसका खर्चा 400 करोड़ रुपये के करीब आता है जबकि जो रिनोवेशन करते हैं उसका खर्चा करीब 1 मेगावाट पर 100 लाख रुपये है। इसकी जो कैपेसिटी है, जो तैयारी ये करते हैं, उसकी भी समयावधि बहुत कम है। ये जो नये यूनिट्स हैं, इसमें 1 मेगावाट पर चार करोड़ रुपये खर्च होता है और उसका पीरियड 30 महीने का है। मुझे बताया गया कि यह 1 मेगावाट का अपग्रेडेशन जो होता है, वह पीपीआईएल, बीएचईएल और सीमैन्स मिलकर एक करोड़ रुपये में पूरा करते हैं। इसको कंप्लीट करने में करीब पांच महीने लगते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से पी.पी.आई.एल. और बी.एच.ई.एल. को आर्डर्स नहीं मिले रहे हैं जबकि माननीय विद्युत मंत्री जी ने आदेश दिये थे कि बी.एच.ई.एल. को प्राथमिकता के आधार पर प्रोग्राम्स देने चाहिए और अधिक से अधिक प्रोजैक्ट्स देने चाहिए जिससे कम कीमत पर पुराने पावर हाउसेस को अपग्रेड किया जा सके। ऐसा करने से कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। पावर हाउसेस में सुधार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी पता लगा है कि जो सीमेन्स कंपनी है वह यह चाहती है कि बी.एच.ई.एल. का सीमेन्स के साथ जो पैक्ट है वह उसे छोड़कर चली जाए। मेरा निवेदन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि मैं चाहता हूं कि सीमेन्स और बी.एच.ई.एल. के अधिकारियों को बुलाकर दुबारा से उनमें कोआर्डीनेशन कराया जो और स्टेट गवर्नमेंट्स को यह कहा जाए कि उनके यहां जो खराब यूनिट्स हैं या जिन पावर हाउसेस में कम विद्युत का उत्पादन हो रहा है उन्हें पी.पी.आई.एल. और बी.एच.ई.एल. को दिया जाए ताकि वे पुराने पावर हाउसेस को कम कीमत पर ज्यादा उत्पादन करने योग्य बना सकें।

महोदय, विद्युत मंत्री जी ने देश भर के 106 पावर हाउसेस को बी.एच.ई.एल. को देना स्वीकार किया था ताकि उनकी जो वर्तमान क्षमता है उसे बढ़ाया जा सके, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली है। यदि बी.एच.ई.एल. और सीमेन्स का आपस में कोआर्डीनेशन कराया जाए और इन कार्यों को आगे बढ़ाया जो, तो मैं समझता हूं कि इससे कम कीमत पर ज्यादा बिजली का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है।

महोदय, प्रधान मंत्री योजना के अंतर्गत एक मिनीमम नीड्स प्रोग्राम, विलेजेज के इलैक्ट्रीफिकेशन का है जिसके लिए काफी रुपया रखा गया है। मुझे जो आंकड़े मिले हैं उनके अनुसार दिनांक 31.2.2004 तक 74,982 ग्राम, यानी देश के 81 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत बताए हैं। मैं समझता हूं कि यदि मौके पर देखा जाए तो इतने गांव विद्युतीकृत नहीं हुए होंगे। नॉन इलैक्ट्रीफाइड विलेजेज, दिनांक 31.3.2004 तक 1 लाख 12 हजार, 401 बताए गए हैं। ये वे विलेज हैं, जो रैवेन्यू विलेजेज कहलाते हैं। इतने विलेजेज में अभी तक विद्युत नहीं पहुंची है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि 1984 से 1991 तक, जब मैं मैम्बर आफ पार्लियामेंट था, तब सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना मौजूदा थी। मुझे बताया गया है कि वह योजना अब भी है, लेकिन जो स्वरूप इस योजना का अब है, उसमें पैसा ही नहीं है जबकि इस योजना का उस समय जो रूप था, उसके अनुसार एक ब्लॉक के ग्रामीण विद्युतीकरण में चार गांवों को मुफ्त में गवर्नमेंट की ओर से बिजली दी जाती थी। इसमें हरिजन, पिछड़ा वर्ग या आदिवासियों के घरों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली दी जाती थी, लेकिन जो योजना आज है, उसमें ऐसा नहीं है। हालांकि, मुझे बताया गया है कि अब ऊर्जा मंत्री महोदय ने ऐसे निर्देश दिए हैं। आपके निर्देशों के अनुसार मुझे पिछले दिनों ही पता चला है कि वे ऐसे गांवों का सर्वेक्षण कर रहे हैं जहां बिजली नहीं है।

महोदय, जब हम गांवों के विद्युतीकरण हेतु बिजली अधिकारियों को कोई पत्र लिखते हैं, तो वे सीधा सा एक ही उत्तर भेज देते हैं कि आप इन गांवों को विद्युतीकृत करने के लिए अपनी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.लैड) से धन स्वीकृत कर दें, तो उन्हें विद्युतीकृत कर दिया जाएगा। प्रधान मंत्री योजना के अंतर्गत इस बजट में स्पष्ट कहा गया है कि जिन गांवों में बिजली नहीं है, उनको मुफ्त में बिजली दी जाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पुरजोर आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे देश में, हमारे संसदीय क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने का काम सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। हम इस पवित्र सदन में, सारे देश के चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं। उन सबके समक्ष मैं अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करना चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रकार का निर्णय लें और सख्त निर्देश दें।

महोदय, मेरा एक निवेदन और है, विद्युत विभाग के अधिकारी कहते हैं कि रैवेन्यू के विद्युतीकरण को ही विलेज का विद्युतीकरण मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके साथ लगते हुए उपगांव और होते हैं, जिन्हें विद्युतीकृत करने की बात अधिकारीगण करते ही नहीं हैं। उन्हें विद्युतीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। जबकि अधिकतर गांव ऐसे हैं, जिनमें बिजली नहीं है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे एक सख्त आदेश प्रदान करें और माननीय मुख्य मंत्रियों को बुला कर, उनके साथ विचार-विमर्श करें। इस योजना को क्रियान्वित करने के भरसक प्रयास करें कि देश के हर गांव में विद्युतीकरण होना चाहिए, क्योंकि जब मुख्यमंत्रियों और संबंधित मंत्रियों की बात होती है तो वे कहते हैं कि हम शार्टेज ऑफ फंड की वजह से इन योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सकते। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में फंड अलाट करें। माननीय प्रधान मंत्री जी और कांग्रेस की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया जी, हमारी पार्टी की जो एक नीति है कि हम हर गांव में हर व्यक्ति को बिजली पहुंचाएंगे, उसे साकार करने के लिए यह आवश्यक है कि आप सभी प्रांतों के, देश के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुला कर, उसमें गहन विचार-विमर्श करके यह प्रस्तावित करें और फंड का आबंटन करें तथा देश के हर जिले और ग्रामीण अंचलों की पूरी सर्वे रिपोर्ट लें, जिससे कि वहां बिजली दी जा सके।

महोदय, आज वहां ट्रांसफार्मर्स की कमी है, जहां लोड बढ़ा है वहां ट्रांसफार्मर्स नहीं पहुंचे हैं और फ्यूज उड़ने की वजह से वहां बिजली चली जाती है। आए-दिन ट्रांसफार्मर्स सैंकड़ों की तादाद मे एक-एक जिले में जलते हैं, उन्हें रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आज आवश्यकता है कि आप उन ट्रांसफार्मर्स और बिजली की व्यवस्था, विशेषकर प्राथमिकता के आधार पर देहातों और ग्रामीण अंचलों में करा कर उनको पहुंचाएं तथा विद्युत के प्रोग्राम एवं प्रोडक्शन को बढ़ाएं, जिससे कि शहरों और गांवों में बिजली का लाभ उपभोक्ता ले सकें। सब लोग परेशान हैं। आपकी बिजली शहरों में नहीं जाती, वहां पानी की टंकियां नहीं भरती। इस गर्मी में भीषण अकाल की स्थिति में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाता, क्योंकि शहरों में बिजली नहीं आती। गांवों में पेयजल योजनाएं ठप्प हैं, वहां बिजली नहीं पहुंचती, पानी की टंकियां नहीं भरती। ग्रामीण अंचलों में पानी की कमी है, बहुत से गांवों में बिजली नहीं है, कुएं सूख रहे हैं। वहां के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच किलोमीटर से अपने सिर पर पानी लेकर आना पड़ता है या वे लोग ट्रैक्टर से दूसरे गांवों से पानी लाते हैं, जहां सुविधा उपलब्ध है। वहां से पानी लाकर अपना काम चलाते हैं।

महोदय, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। यहां दिल्ली गवर्नमेंट ने प्राईवेट सैक्टर में बिजली को दे दिया। यहां आप पूछें, माननीय मुख्यमंत्रियों को बुलाएं, संबंधित बिजली के अधिकारियों को बुलाएं और उनसे पूछें कि किस तरह यहां बिलिंग बहुत गलत तरीके से हो रही है। दिल्ली में रहने वाला आदमी बिजली के बिल से परेशान है। हम यह समझते थे कि इसका प्राइवेटाइजेशन होने के बाद कुछ बिजली की सुविधा में सुधार होगा, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है। आपका ट्रांसमिशन खराब है, सब लाइनें वीक हो चुकी हैं। आपकी रिपोर्ट में यह दिया गया है, आपने इसे स्वीकार किया है कि ट्रांसमिशन और लाइनें खराब होने की वजह से हम बिजली देने में असमर्थ हैं।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति खराब है। वितरण क्षेत्र में, पारेषण तथा वितरण हानियां काफी ज्यादा रहती हैं जिसका कारण पुरानी भौतिक अवसंरचना है।

[हिन्दी]

आप इसे मानते हैं तो इन्फ्रास्ट्रक्चर को क्यों नहीं ठीक से तैयार किया जाता, क्यों नहीं उसके लिए पैसा दिया जाता। मैं आपको बताऊं कि मेरी अपनी कांस्टीट्यूएंसी में तारों की दुर्दशा है। वहां तार लटक रहे हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं और कई बच्चे मर जाते हैं। वहां पैसा नहीं है, जिससे कि आप सुचारू रूप से केबल्स डाल कर नये ट्रांसमिशन, नयी लाइनें प्रदान कर सकें। आप इसे स्वीकार करते हैं, यह सही है। आपको नयी लाइनें लेनी पड़ेंगी, नया ट्रांसमिशन और पावर स्टेशन को बढ़ाना होगा।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके माध्यम से पुनः माननीय मंत्री जी को इस सदन की ओर से कहना चाहता हूं कि बिजली पर, पावर सैक्टर पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और युद्ध स्तर पर कार्य करने की जरूरत है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): नार्थ एवेन्यू में जो एम.पी. लोग रहते हैं, फ्लैट नं. 1 से 56 में, वहां फ्रीक्वेंट पावर कट हो जाता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः यह एक व्यक्तिगत समाचार है। इसे आप संबद्ध मंत्री के ध्यान में ला सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अनिल बसु (आरामबाग): वहां फ्रीक्वेंट पावर कट हो जाता है, वहां क्या काम एन.डी.एम.सी. करती है, क्या अर्बन डवलपमेंट मिनिस्ट्री करती है, क्या बिजली वाले करते हैं, कोई नहीं जानता। असिस्टेंट इंजीनियर और चीफ इंजीनियर वहां से एकदम गायब हो जाते हैं। जब एम.पी. लोगों की दिल्ली में यह दुर्दशा है तो गांवों की बात तो छोड़ ही दीजिए।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाण्डा जी को धनय्वाद देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा मांगी। भारत विकासशील देशों की पंक्ति में है और विकासशील देशों की पंक्ति में है और विकासशील देशों की पंक्ति में से निकलकर हम विकसित देशों की पंक्ति में कैसे पहुंचें, यह प्रयास करना हर सरकार का दायित्व है, चाहे वह एन.डी.ए. की सरकार हो, चाहे यू.पी.ए. की सरकार हो।

1994 में इसी उद्देश्य को लेकर कैरों में हमने अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हस्ताक्षर किये। हमारे साथ-साथ बहुत से विकासशील देशों ने भी हस्ताक्षर किये हैं। हमारे सामने एक मिलेनियम डवलपमेंट गोल है। हमें 2015 तक विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा होना है, एक विकसित देश हम कहलायें, यह हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर हमने हस्ताक्षर किये हैं। विद्युत विधेयक, 1910 में आया था या विद्युत विधेयक, 2003 पूर्व की एन.डी.ए. सरकार लाई थी। यह विद्युत विधेयक लाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रतिस्पर्धा बढ़े, पारदर्शिता बढ़े, जिसके अभाव में यह स्थिति बन गई थी कि हमारे देश में कृषि प्रभावित हो रही थी। हमारे छोटे और मझोले उद्योग बन्द हुए जा रहे थे और बेरोजगारी बढ़ती जी रही थी। इन सब को नियंत्रित करने के लिए इन सब पर काबू पाने के लिए विद्युत विधेयक, 2003 संसद में पारित किया गया। विद्युत के अभाव में जो हमारे पिछड़े प्रदेश हैं, वहां 6 से 7 प्रतिशत बेरोजगारी बढ़ी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में यह हुआ। हमारे साथ-साथ और भी बहुत सारे देश, जो हमसे पीछे थे, वे आगे निकल गये। आप चीन को देखिये, श्रीलंका को देखिए। आज ह्यूमन डवलपमेंट रिपोर्ट जब प्रकाशित हुई तो उसमें हमारा स्थान 114वां है।

अपराह्न 3.44 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* **हुए]**

इस सबसे उबरने के लिए आवश्यक है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनमें विद्युत एक महत्वपूर्ण विषय है, उस पर ध्यान देना चाहिए और इस बात को ध्यान में रखते हुए विद्युत सुधार के संबंध में त्वरित विकास कार्यक्रम योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत जो पारेषण का व्यय होता था, ट्रांसमिशन लॉस होता था, जो 50 प्रतिशत से अधिक पहुंच गया था। इस योजना से उस पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया गया है और उसे 50 प्रतिशत से अधिक से घटाकर 15 परसेंट के अन्दर लाने का प्रयास किया गया है। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनको हमने पिछड़े राज्यों का दर्जा दिया है, स्पेशनल स्टेट का दर्जा दिया है। यह बहुत अच्छी बात है, उन्हें यह दर्जा देना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ और भी बहुत सारे पिछड़े प्रदेश हैं, जिनको स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया है, जिनमें बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा हैं। आज इन प्रदेशों में जाकर देखिए, विद्युत प्रदाय की क्या दशा है। ये राज्य इसलिए पिछड़े हैं, क्योंकि यहां पर अभी इन्हें स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया है।

जो धन राज्यों को आबंटन किया जाता है, वह अक्सर समय पर वहां नहीं पहुंच पाता है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो पिछड़े राज्यों या किसी भी राज्य को आबंटन दिया जाता है, वह वहां समय पर पहुंचे, जिससे उसका सदुपयोग वहां किया जा सके। उदाहरणस्वरूप आपने मध्य प्रदेश को 84.87 करोड़ का जो आबंटन दिया है, उसमें से वह केवल 41.75 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कर पाया है। उत्तर प्रदेश को आपने 80.12 करोड़ रुपये दिये हैं, लेकिन वह राशि देर से पहुंची है, इसलिए केवल 0.30 करोड़ का ही उपयोग वे कर पाये हैं। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है और पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि सार्क ग्रिड का निर्माण होना चाहिए, सार्क सम्मेलन में जब हम गये तो वहां पर हमने इस बात पर बल दिया कि भारत चूंकि दक्षिण एशियाई देशों के मध्य में है, इसलिए भारत सार्क ग्रिड को चलाने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। सार्क के जितने देश हैं, वे अगर मिलकर विद्युत समस्या पर विचार करें तो एक दूसरे की विद्युत समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं।

भूटान में 21 हजार मेगावाट पनबिजली का उत्पादन होता है। नेपाल में 83 हजार मेगावाट पनबिजली का उत्पादन होता है। बंगलादेश में 40 हजार पीसीएफ प्राकृतिक गैस उपलब्ध है। अगर आज हम सार्क ग्रिड की ओर जोर लगाते हैं, सार्क ग्रिड बनवाते हैं तो हम बहुत सारी समस्याएं हल कर सकते हैं। विदेश मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि इस पर बल दिया जाये और सरकार यह प्रयास करे कि भारत उसमें एक अहम भूमिका निभाये। इस बारे में सरकार संसद को भी अवगत कराती रहे तो अच्छा होगा। ...*(व्यवधान)*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): लक्ष्मण भाई, हम भी मौजूद हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सिंह: मुझे हमेशा आपका ध्यान रहता है। चिंता मत कीजिए। मैं आपके मंत्रालय के संबंध में भी बोलूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: मैं प्राकृतिक गैस पर भी आऊंगा। नेशनल एनर्जी कन्जर्वेशन अवार्ड 2003 है। इस अभिनव योजना के अंतर्गत विद्युत की जो बर्बादी होती थी, उस पर नियंत्रण पाया गया। एक शिविर लगाया गया जिसमें 191 औद्योगिक इकाइयों ने भाग लिया। इन उद्योगों ने इससे लगभग 5,394 करोड़ रुपये की बचत एक वर्ष में हासिल की। यह तभी संभव हुआ जब हमने संसद में विद्युत विधेयक, 2003 पारित किया। अगर सभी उद्योगों के ऊपर यह दायित्व सौंप दिया जाये, यह नियम बना दिया जाये कि यदि आपको विद्युत की बचत करनी है तो हम बहुत सारी बिजली पैदा कर सकते हैं। नेशनल एनर्जी कन्जर्वेशन अवार्ड के माध्यम से प्रेरित होकर 191 औद्योगिक इकाइयों ने बचत की। उसमें लगभग 1260 लाख मीट्रिक टन कोयले की बचत हुई और 73,181 लाख क्युबिक औद्योगिक गैस की बचत हुई। हमें इस तरह के अवार्ड को प्रोत्साहित करना चाहिए।

इसी तरह सैंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथारिटी है। टेक्नो इकोनोमिक क्लीयरेंस में वर्षों लग जाते थे। विद्युत की इकाइयां, विद्युत के संयंत्र जो पिछड़े प्रदेशों में लगने थे, वे नहीं लग पाते थे। इस विधेयक के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया गया कि विद्युत उत्पादन की अगर कोई इकाई लगती तो उसे लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसमें 100 परसेंट विदेशी पूंजी निवेश किया गया है। इस बात पर छूट दी गयी है कि आपको 250 मेगावाट का कैपटिव पावर प्लांट लगाना है तो उसके लिए आपको केन्द्र सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अब प्रदेश सरकार 250 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट लगाने की अनुमति दे सकती है।

महिलाओं की जो नियुक्तियां हुई हैं यानी मंत्रालय द्वारा महिलाओं को जो रोजगार दिया गया है, उसमें बहुत कमी है। किसी भी देश के विकास में, किसी भी विभाग के विकास में महिलाओं की भागीदारी बहुत आवश्यक है। चूंकि यह सरकार एक महिला के इशारे पर चल रही है इसलिए महिलाओं को रोजगार देने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

वर्तमान में ए-ग्रुप में 37 में से केवल 3 महिलाओं को रोजगार दिया गया है। बी-ग्रुप के कर्मचारियों में 97 में से केवल 19 महिलाओं को रोजगार दिया गया है। सी-ग्रुप में 108 में से केवल 18 महिलाओं को रोजगार दिया गया है और डी-ग्रुप में 69 में से केवल 2 महिलाओं को रोजगार दिया गया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विभाग में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं।

एनटीपीसी—एनटीपीसी की श्रमिक श्रेणी में केवल 4.86 प्रतिशत महिलाएं हैं। कर्मचारियों की श्रेणी में केवल 8.22 प्रतिशत महिलाएं हैं, अधिकारियों की श्रेणी में केवल 3.05 प्रतिशत महिलाएं हैं। इसी तरह विकलांगों को भी विभाग द्वारा जो रोजगार देने के अवसर दिए जाने चाहिए, वे नहीं दिये जा रहे हैं। ग्रुप-ए में आपके यहां 37 जगह खाली हैं। उसमें एक भी विकलांग को रोजगार का अवसर नहीं दिया गया है। ग्रुप-बी में 97 स्थान रिक्त हैं और एक भी विकलांग को आपने वहां रोजगार का अवसर प्रदान नहीं किया। एनटीपीसी ने एक कारपोरेट प्लान बनाया है जिसके अंतर्गत एनटीपीसी का कुल उत्पादन 46 हजार मेगावाट है जिसमें 42 हजार मेगावाट कोयला और गैस पर आधारित है। आज कोयले के भंडार खाली होते जा रहे हैं। गैस के भंडार भी हम नए खोज रहे हैं लेकिन उतने संसाधन हमारे पास नहीं हैं जितने अन्य देशों में हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम पन बिजली का लक्ष्य बढ़ाएं। इसलिए आवश्यक है कि हम परमाणु बिजली का उत्पादन करें। आज बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जिनमें यूरेनियम की मात्रा बहुत अधिक है। मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। मध्य प्रदेश में पर्याप्त यूरेनियम है, झारखण्ड में पर्याप्त यूरेनियम है, उड़ीसा में भी यूरेनियम है और यूरेनियम पर आधारित आपने जो परमाणु विद्युत संयंत्र का लक्ष्य रखा है, वह केवल 2720 मेगावाट का है। इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। आपने मध्य प्रदेश का हिस्सा केवल 70 मेगावाट रखा है। मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के 70 मेगावाट के लक्ष्य को बढ़ाएं। जिससे वहां भी परमाणु विद्युत गृह लग सके।

1,000 मेगावाट अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के लिए रखा गया है। उसमें भी बहुत सारी विसंगतियां हैं। उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। नान-प्लान कन्वैंशनल ऐनर्जी का जो मामला *...(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु: उसे हटा दिया गया है। *...(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह: हटाया नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु: आपने 5-6 सालों में क्या काम किया। *...(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह: आप करिए, आपको कौन रोक रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का जो 1,000 मेगावाट का लक्ष्य है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए।

बायो-गैस प्लांट 120 लाख लगने थे, साढ़े छत्तीस लाख लगे हैं। इम्प्रूव्ड चूल्हे 1200 लाख लगने थे, 339 लाख लगे हैं। विंड एनर्जी-45 हजार मेगावाट की क्षमता हमारे देश में है। हम केवल 2,483 मेगावाट उत्पादन कर रहे हैं। स्मॉल हाइड्रो-15,000 मेगावाट का उत्पादन हम अपने देश में कम कर सकते हैं लेकिन 1603 मेगावाट कर रहे हैं। इस तरह नान-कन्वैंशनल ऐनर्जी का 1,000 मेगावाट का जो टारगेट है, उसे बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अभी पांडा जी जो कह रहे थे कि दूरदराज विद्युत अंचलों में विद्युत का अभाव है, उसे पूरा करने में अपारंपरिक ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु: एमपीलैड से नान-कन्वैंशनल एनर्जी स्कीम हम कर सकते हैं। मिनिस्ट्री 50 प्रतिशत दे दे, हम एमपीलैड से 50 प्रतिशत दे देंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सिंह: मैं आपसे सहमत हूं।

सभापति महोदय: श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा दिए गए भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: नेशनल पावर अफोरस्टेशन सोसाइटी—जब विद्युत परियोजनाएं लगती हैं तो बहुत सारे लोगों के घर उजड़ जाते हैं, गांव के गांव खाली हो जाते हैं, उनकी जमीनें जाती हैं। उसमें वनीकरण की योजना नेशनल पावर अफोरस्टेशन सोसाइटी के माध्यम से होता है, इसके लिए कोई ठोस काम अभी नहीं किया गया है। अभी तक चूंकि मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमैंट एंड फॉरेस्ट के बीच उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, इसकी वजह से यह काम अभी चल नहीं पाया। यह बहुत आवश्यक है कि जिन लोगों को वहां से हटाया जाए, जिस जगह को उजाड़ा जाए, आप जो अन्य भूमि देते हैं, उस पर वनीकरण की योजनाएं लाई जाएं। आपने उत्तरांचल में अभी तक केवल 500 हेक्टेयर में वनीकरण की योजना लागू की है। इसके लिए भी आवश्यक है कि आप कुछ पहल करें।

पुनर्वास की समस्या खड़ी होती है। आज जो अंत में और औरैया में पॉवर प्लांट लगा है, वहां पुनर्वास का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पुनर्वास के काम में विशेष रुचि लेकर इसे पूरा करें। अभी मणिशंकर जी कह रहे थे कि मैं उनका स्मरण नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा कि मैं हमेशा आपका स्मरण करता हूं, करता रहूंगा। मैने आपके साथ काम किया है। आगे भी आपका सहयोग लेंगे। यहां बैठकर लेंगे। राजीव गांधी जी का यह सपना था कि एचबीजे पाइपलाइन बिछाई जाए, बिछाई गई। उस गैस पाइपलाइन के जरिए उद्योग लगाये जाएं, पॉवर प्लांट लगाए जाएं। आज 15-20 साल हो गये लेकिन केवल पिछले चार-पांच सालों में ठोस पहल हुई है। वहां हजीरा के पास प्लेटफॉर्म बनाया गया है। सीएनजी इम्पोर्ट की गई है और पाइपलाइन में गैस दी गई है। मैं चाहूंगा कि आप इसमें पहल करें। जो विद्युत मंत्री हैं, उनसे राय लेकर इस पाइपलाइन के जरिए जितने विद्युत संयंत्र बड़े-बड़े लगाये जा सकते हैं, लगाएं जिससे कि विद्युत समस्या का हल हो और हमारा जनरेशन बढ़े। जो नेचुरल गैस पर आधारित कारखाने होंगे, वे सबसे सस्ती बिजली संभवतः देंगे।

श्री अनिल बसु: नैचुरल गैस पाइप लाइन पब्लिक सैक्टर में होनी चाहिए।

श्री लक्ष्मण सिंह: वह तो आप लोग तय करिए कि कहां होनी चाहिए। वह मेरा काम नहीं है। ...*(व्यवधान)* गैस पाइपलाइन बिछाने की दिशा में हम बहुत पिछड़े हैं। 70,000 कि.मी. कैनाडा में पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। 30,537 कि.मी. फ्रांस में बिछाई जा चुकी है। 73,000 कि.मी. जर्मनी में बिछाई जा चुकी है जबकि हमारे यहां केवल 6400 कि.मी. पाइपलाईन बिछाई गई है। कृपया इस ओर प्रयास करें। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत भी परेशानी रहती है। पिछड़े राज्यों को जो सहायता दी जाती है, वह बहुत कम दी जाती है। आज मध्य प्रदेश को आपने केवल 8 करोड़ रुपये दिये। आपने उत्तर प्रदेश को एक पैसा नहीं दिया। उत्तर प्रदेश को भी पैसा दिया जाए। राजस्थान को दो करोड़ रुपये दिये। इस तरह से मैं चाहूंगा कि पिछड़े प्रदेश इसीलिए पिछड़े हैं और इसीलिए वहां विद्युत की समस्या रहती है।

श्री मणिशंकर अय्यर: यह जो ग्रामीण इलैक्ट्रिफिकेशन का काम है, वह पंचायतों से जोड़ा जाए तभी कामयाब रहेगा।

श्री लक्ष्मण सिंह: पंचायतों से जोड़ा जाए और इसमें सहकारी क्षेत्र की भी भागीदारी रहे। वहां सहकारी विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए।

श्री अनिल बसु: इसमें समस्या यह है कि जितनी सैंक्शंस के बारे में आप बोल रहे थे, 2 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, वह मूक एडजस्टमेंट हो जाती है। फिजीकली कोई फाइनेंशियल हैल्प नहीं मिलती है और आउटस्टैंडिंग लोन का भी एडजस्टमेंट हो जाता है। एक पैसा नहीं मिलता है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): मैंने अभी समाप्त नहीं किया है, महोदय। मैं इसे अभी पूरा करूंगा।

सभापति महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन श्री लक्ष्मण सिंह, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की इंदिरा गांधी सागर परियोजना तथा मध्य प्रदेश की ही ओंकारेश्वर परियोजना जल्दी से जल्दी पूरी की जाएं जिससे कि वहां के विद्युत उत्पादन को 1500 मेगावाट तक हम ले जा सकें और वहां की विद्युत आपूर्ति पूरी कर सकें। आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): सभापति महोदय, हमारे देश के आर्थिक विकास में विद्युत एक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। यह हमारे औद्योगिक और आर्थिक विकास से निकटता के साथ जुड़ा हुआ है। आज हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसके हल के लिए अधिक ध्यान नहीं दिया गया है।

आज हम 1,02,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। वर्ष 1950-51 में भारत 1300 मे.वा. बिजली उत्पादन करता था। 1,00,000 मे.वा. से अधिक बिजली उत्पादन हमारी उपलब्धि है।

अपराह्न 4.00 बजे

इन 54-55 वर्षों के दौरान, हमारी उपलब्धि यह है कि पांच लाख से अधिक गांवों का विद्युतीकरण हुआ है। इसके बावजूद भी आज कमी है। व्यस्ततम अवधि में कभी लगभग 13 प्रतिशत है और सामान्यतया 8 प्रतिशत के लगभग विद्युत की कमी है। विगत में हम बिजली अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में पहुंचाने की समस्या का सामना कर रहे थे। उस समस्या का समाधान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, हमारे देश के कुछ भागों में बिजली की प्रचुरता है तो कुछ क्षेत्रों में बिजली की कमी है। राष्ट्रीय ग्रिड बनाने की योजना थी। इस समस्या का आंशिक तौर पर न कि पूर्णत: समाधान किया गया है। आज भी हमारे सामने यह समस्या है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत की पर्याप्त संभावना है अब तक दोहन किए गए जल विद्युत की प्रतिशतता क्या है? यह 15 प्रतिशत से भी कम है। आज पूर्वोत्तर में जल विद्युत उत्पादन की जो संभावना है उसका 15 प्रतिशत से कम दोहन किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, आज यदि ताप बिजली से तुलना करें तो पन बिजली उत्पादन का प्रतिशत घट गया है, और यह 24 प्रतिशत है। आज उत्पादित बिजली का 76 प्रतिशत ताप बिजली है जबकि पन बिजली सिर्फ 24 प्रतिशत है। आदर्श अनुपात 60 : 40 होना चाहिए। साठ और सत्तर और यहां तक कि अस्सी के दशक के दौरान भी हमारे यहां यह अनुपात था। नब्बे के दशक के दौरान स्थिति में गिरावट आई क्योंकि उस दशक में पन बिजली पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। भारत सरकार ने 1998 में पन बिजली नीति की घोषणा की थी। उस नीति में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता दी गई थी। उन्हें आज तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

हम जानते हैं कि ताप बिजली परियोजना की तुलना में पन बिजली परियोजनाओं के मामले में परिपक्वता अवधि अधिक है। पन बिजली का आरंभिक लागत ताप बिजली की तुलना में अधिक है। किंतु हमें पन बिजली संयंत्र से सस्ती बिजली मिलती है। आज की स्थिति क्या है? यद्यपि कि हमने 1,12,000 मेवा की उपलब्धि प्राप्त की है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एम. सईद: आप किस आंकड़े से उद्धरण दे रहे हैं?

श्री बसुदेव आचार्य: ये आंकड़े एक वर्ष पुराने हैं। अधिष्ठापित क्षमता 1,12,000 मेगावाट है, वास्तविक उत्पादन लगभग 75,000 मैगावाट होगा।

श्री पी.एम. सईद: किंतु अब नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: ऐसा है? फिर, अधिष्ठापित क्षमता कितनी है?

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): अधिष्ठापित क्षमता 1,20,000 मेगावाट है जबकि संयंत्र भार घटक 74,000 से 75,000 मेगावाट के लगभग है।

श्री बसुदेव आचार्य: यदि राष्ट्रीय औसत 74000 से 75000 मेगावाट है तो वास्तविक उत्पादन 80,000 मेगावाट होगा।

श्री पी.एम. सईद: वह कहते हैं कि व्यस्ततम समय में अधिकतम कमी 13 प्रतिशत है जबकि यह अभी 11 प्रतिशत है। वह कहते हैं कि ऊर्जा की कमी 8 प्रतिशत है जबकि यह सिर्फ 7.1 प्रतिशत है।

श्री बसुदेव आचार्य: हमारे देश में प्रति व्यक्ति खपत सबसे कम है। यह लगभग 350 किवा. है। क्या इसमें वृद्धि हुई है?

श्री पी.एम. सईद: अभी यह 585 मेगावाट है।

श्री बसुदेव आचार्य: किंतु, ब्राजील, जो एक विकासशील देश ही है, में प्रति व्यक्ति खपत 1783 किवा. है। बड़ी संख्या में गांवों तक बिजली नहीं पहुंची है। राजस्व गांव हैं। यहां तक कि छोटे-छोटे बसावटों और गांवों में बिजली नहीं पहुंची है। घरों के विद्युतीकरण का प्रतिशत 50 प्रतिशत या उससे भी कम हो सकता है। यदि हमें 2007 तक शत प्रतिशत विद्युतीकरण प्राप्त करना है तो जो लक्ष्य पूर्व विद्युत मंत्री श्री सुरेश प्रभु द्वारा तय किया गया और 2012 तक सभी घरों तक बिजली पहुंचाना है तो हमें योजना बनानी होगी और हमारी उत्पादन क्षमता आज के उत्पादन की अपेक्षा दोगुनी होनी चाहिए। इसे दो लाख मेवा जो चार वर्ष पहले अनुमान लगाया गया था से अधिक होना चाहिए।

आज हम किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं? बिजली उत्पादन की अपर्याप्त क्षमता है और विद्यमान उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग की कमी है। कतिपय क्षेत्रों में अधिशेष है, जबकि कतिपय दूसरे क्षेत्रों में इसकी कमी है। अधिशेष वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की समस्या का आज तक पूरी तरह से समाधान नहीं किया गया है। ग्रिड अनुशासन की कमी है। हम कतिपय राज्य में कतिपय क्षेत्र में वर्ष में कम से कम एक बार इस समस्या का सामना करते हैं। अपर्याप्त अंतर क्षेत्रीय पारेषण संपर्क की समस्या अभी भी है। त्वरित बिजली विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के बाद भी, आज तक अपर्याप्त और पुराने उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क की समस्या वर्तमान है। ...*(व्यवधान)* उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ पहल भी की है। पारेषण और वितरण हानियों का प्रतिशत क्या है? आज यह 33 प्रतिशत है। 2001-02 में राष्ट्रीय औसत 26 प्रतिशत या और यह बढ़कर 33 प्रतिशत हो गया। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के पारित होने के बाद भी अंतिम प्रयोक्ता द्वारा बिजली का अकुशल प्रयोग जारी है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अधिनियमन का मुख्य उद्देश्य कम से कम दस प्रतिशत बिजली और ऊर्जा की बचत करना था। यदि हम ऊर्जा का दस प्रतिशत बचा सके, तो हम करोड़ों रुपये बचा सकते हैं। यदि हम पारेषण और वितरण हानि में दस प्रतिशत की कमी कर सकते हैं तो हम अपना उत्पादन कम से कम 3000 मेवा. से 4000 मेवा. तक बढ़ा सकते हैं।

इसी प्रकार आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार का कार्यक्रम भी विलम्ब से शुरू हुआ। हमारी कुछ उत्पादन इकाइयां अत्यन्त पुरानी हैं। उत्पादन इकाइयों और ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना पचास के दशक में की गई थी। उनका पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण नहीं किया गया। वर्ष 1997-98 में ही जाकर व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके परिणामस्वरूप, हमारी उत्पादन क्षमता में वृद्धि न केवल नये उत्पादक संयंत्रों के कारण बल्कि अपने मौजूदा विद्युत संयंत्रों के कारण बल्कि अपने मौजूदा विद्युत संयंत्रों के आधुनिकीकरण और नवीकरण के कारण भी हुई थी। हमने अपने विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए बहुत अधिक धन का निवेश नहीं किया था। मौजूदा विद्युत संयंत्रों जिनकी स्थापना 20-25 वर्ष पहले हुई थी, के नवीकरण और आधुनिकीकरण संबंधी कार्यों के लिए संदर्शी योजना तैयार की जानी चाहिए।

हमने नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 46,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा था। यह घटाकर 32,000 मेगावाट कर दिया गया और उसके बाद घटाकर 22000 मेगावाट कर दिया गया। वास्तविक क्षमता उत्पादन संवर्धन केवल 18000 मेगावाट का था। जब हमने 42000 मेगावाट क्षमता की योजना बनाई थी तब हमने यह योजना पांच वर्षों की मांग के आधार पर बनाई थी। अब हमने दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अपनी योजनाएं तैयार की है। वर्ष 2012 के अंत तक विद्युत की मांग कितनी होगी? भारत सरकार को मांग के आधार पर उसकी योजना बनानी होगी। इसके लिए भारी निधियों की आवश्यकता है। ये निधियां कहां से आएंगी?

स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के बारे में हमें अनुभव है। हमने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दाभोल विद्युत संयंत्र के बारे में अनुभव लिया है। आज हमारे समक्ष अपर्याप्त विद्युत उत्पादन की नहीं है बल्कि समस्या विद्युत की बारम्बारता की है। हमें केवल आज की ही नहीं बल्कि भविष्य की मांग की भी पूर्ति करनी है। इसके परिणामस्वरूप समस्या बढ़ जाती है। मैंने देखा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत नीति संबंधी प्रारूप तैयार किया है और इसे राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया गया है। उस प्रारूप में ग्रामीण विद्युतीकरण पर बल दिया गया है। इस नीति में ग्रामीण विद्युतीकरण और सरकारी क्षेत्र की व्यापक भूमिका जैसी दो प्राथमिकताओं का सम्यक् रूप से समावेश किया गया है। इस नीति में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगले पांच वर्षों तक प्रतिदिन 490 करोड़ रुपये का निवेश करने का उल्लेख है। अब हमारे पास ताप, जल, परमाणु और अपारम्परिक प्रकार के विद्युत संयंत्र हैं।

महोदय, हम केवल दो प्रतिशत परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। अपारम्परिक क्षेत्र में भी हमारी उपलब्धि संतोषजनक नहीं है यद्यपि कि हमारे पास पर्याप्त क्षमता है। इसी प्रकार ताप विद्युत संयंत्रों को लेकर भी समस्या है। उत्पादन लागत कम करने के लिए "पिट हेड" पर विद्युत संयंत्र बनाने का प्रस्ताव है।

महोदय, कोयला भारत के पूर्व, मध्य और उत्तर में उपलब्ध है। यदि कोयला या ईंधन पर आधारित कोई ताए विद्युत संयंत्र उस क्षेत्र से दूर लगाया जाता है जहां कोयला उपलब्ध है तो उत्पादन लागत भी अधिक होगी। अत:, सरकार को ताप विद्युत संयंत्र की

स्थापना की एक योजना बनानी चाहिए क्योंकि हमारे पास पर्याप्त कोयला है। हमें अगले 100 वर्षों के लिए कोयला मिल जाएगा। समस्या केवल कोयले के दोहन की है। आज सरकारी क्षेत्र की कुछ कोयला कंपनियों ने अपना उत्पादन घटा दिया है और हम 24 मिलियन टन कोयले का आयात कर रहे हैं। आज हम केवल कोकिंग कोयला का ही नहीं बल्कि नान-कोकिंग कोयले का भी आयात कर रहे हैं और हम 24 मिलियन टन कोयले का आयात कर रहे हैं। अत: जहां उत्पादन लागत दुगुनी हो वहां ताप संयंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए। हमें उसके लिए योजना बनानी चाहिए।

लेकिन परियोजनाओं को मंजूरी देने में समस्या है। केवल जल विद्युत संयंत्रों के मामले में ही नहीं बल्कि ताप विद्युत संयंत्रों के मामले में भी, परियोजनाओं को मंजूरी देने में पर्यावरण और वन मंत्रालय में बहुत अधिक समय लगता है। मैंने देखा है कि कुछ परियोजनाओं के मामले में पर्यावरण और वन मंत्रालय में एक वर्ष से अधिक समय लगा और कुछ मामलों में दो वर्षों से अधिक समय लगा और कुछ परियोजनाओं को मंजूरी देने में तीन वर्षों से अधिक समय लगा। इसलिए इस विलम्ब को दूर करने के लिए कोई तंत्र बनाया जाना चाहिए।

हमें विद्युत संयंत्रों की आवश्यकता है। विद्युत का अधिक उत्पादन किया जाना चाहिए और इसके लिए अनेक विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए। कोई तंत्र बनाया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण और वन मंत्रालय से परियोजनाओं की मंजूरी जल्दी ली जा सके। परियोजनाओं को मंजूरी देने में विलम्ब से परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब होता है जिससे विद्युत उत्पादन में विलम्ब होता है। इसलिए इस समस्या पर उचित रूप से ध्यान दिया जाना है।

महोदय, जल विद्युत संयंत्रों के मामले में वे योजना क्यों नहीं बना सकते हैं? लगभग 3 वर्ष पहले एक स्तरीय अध्ययन किया गया था।

सभापति महोदय: अब, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपका समय पूरा हो गया है। आपकी समस्या बहुत अधिक समय तक बनी रहेगी। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, दो-तीन मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर लूंगा?

लगभग तीन वर्ष पहले एक स्तरीय अध्ययन किया गया था और प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में यह कहा गया था कि हमारे पास क्षमता कहां पर है और जल विद्युत उत्पादन के मामले में हम कहां उन क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। 40 प्रतिशत जल विद्युत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जल विद्युत उत्पादन पर पर्याप्त बल दिया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि जल विद्युत परियोजनाओं की परिपक्वता अवधि बहुत अधिक है। जल विद्युत परियोजनाओं में भी पर्याप्त निवेश किया जान्ग होगा।

सभापति महोदय: ठीक है। धन्यवाद।

श्री बसुदेव आचार्य: विगत में उत्पादन और पारेषण एवं वितरण में बेमैलता थी। यदि आप उत्पादन पर एक रुपये व्यय करते हैं तो पारेषण एवं वितरण पर भी एक रुपया व्यय करना चाहिए।

सभापति महोदय: पारेषण हानि तो सदैव होगी।

श्री बसुदेव आचार्य: पारेषण और वितरण हानि बढ़ रही है। महोदय, आपके राज्य में बिजली का संकट है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। केरल में बिजली का संकट है और वहां संकट बना रहेगा। कृपया, अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: सरकार को उत्पादन, पारेषण और वितरण पर समान धनराशि व्यय करनी चाहिए। यदि उत्पादन पर एक रुपया व्यय किया जाता है तो पारेषण और वितरण पर भी एक रुपया खर्च किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: लेकिन उत्पादन पर दो रुपये व्यय किये जाते हैं और पारेषण एवं वितरण पर एक रुपया। हमारे पास बिजली की कमी है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह केरल के लिए दलील दे रहे होंगे, किंतु मुझे उनसे भाषण समाप्त करने के लिए कहना होगा क्योंकि समय समाप्त हो गया है। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: आज हम अच्छी स्थिति में नहीं हैं, किंतु हमारे पास क्षमताएं हैं। हमारे यहां कमी है। हमारे यहां अच्छी गुणवत्ता वाली बिजली और बारंबारता की भी समस्या है।

मेरे जिले में, एक पम्प स्टोरेज योजना मंजूर की गई थी और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड के एक संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव था। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गये थे। आज तक, भारत सरकार या वित्त मंत्री ने संयुक्त उद्यम परियोजना को स्वीकृति नहीं दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने निर्माण शुरू कर दिया है और इसने एक प्रस्ताव भेजा है कि सत्तर प्रतिशत शेयर एनएचपीसी और 30 प्रतिशत शेयर पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड के पास होंगे।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: आज, पश्चिम बंगाल में पन बिजली उत्पादन सिर्फ 2 प्रतिशत है, 98 प्रतिशत ताप विद्युत उत्पादन है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह अपने लिए दलील दे सकते हैं। आप क्यों व्यवधान डाल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: जब यह परियोजना चालू हो जाएगी तो पन बिजली का हिस्सा बढ़ कर नौ प्रतिशत हो जाएगा।

दामोदर घाटी निगम की योजना दो विद्युत संयंत्र-एक मेरे चुनाव क्षेत्र में पंचेत हिल पॉवर प्लान्ट, और दूसरा दुर्गुर में-लगाने की है। मैं माननीय विद्युत मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन दो विद्युत परियोजनाओं जिन पर दामोदर घाटी निगम काम करना चाहती है को भारत सरकार मंजूरी दे ताकि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन दो ताप विद्युत संयंत्रों पर काम शुरू किया जा सके और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इन्हें चालू कर दिया जाए।

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा): गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में क्या कहना है?

सभापति महोदय: नहीं। प्रश्न ही नहीं है। कृपया समाप्त कीजिए। अब प्रोफेसर राम गोपाल यादव बोलेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: आप पहले ही उस पर मेरे विचार से अवगत हैं। मैं गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के विरोध में हूं।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: राष्ट्रीय विद्युत नीति को अंतिम रूप देते समय, इस सभा के विचार, सदस्यों के विचार पर ध्यान दिया जाए। हमें अपनी समस्याओं का समाधान करना है। हमें अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सुदृढ़ करके अपना उत्पादन बढ़ाना होगा और हमें ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तक एक लाख मे.वा. तक उत्पादन बढ़ाना होगा।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): श्रीमन्, आपने मुझे इस चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु: महोदय, वह हिन्दी में बोल रहे हैं।

प्रो. राम गोपाल यादव: मैं आंग्रेजी में बोल सकता हूं किंतु मैं हिन्दी में बोलूंगा।

श्री एस. बंगरप्पा: यदि आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो मैं इसका स्वागत करूंगा।

प्रो. रामगोपाल यादव: मैं कुछ समय बाद अंग्रेजी में बोलूंगा।

श्री पी.एम. सईद: मैं भी इसका स्वागत करूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: सभापति जी, बिजली की सारी दुनिया के विकास से सीधा रिश्ता है और अगर आप पर दुनिया भर में और भारत में बिजली की पर कैपिटा कंजम्पशन देखें तो पाएंगे कि जिस देश में या भारत के जिस राज्य में बिजली की पर कैपिटा कंजम्पशन ज्यादा है, उसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। दुनिया के जिस देश में बिजली की पर कैपिटा कंजम्पशन ज्यादा है, वह दुयिना का सबसे ज्यादा संपन्न देश है। यह बात साबित करती है कि बिजली का किसी भी देश के और किसी भी राज्य के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। दुर्भाग्य से हमारी नीतियां और हमारे कार्य करने का तरीका इतना डिफैक्टिव है या यों कहें कि हम इस तरफ से इतने उदासीन हैं कि जो रिजल्ट हमें मिलने चाहिए, वह नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे विद्वान साथियों ने बहुत सही और तथ्यात्मक बातें यहां रखीं। मैं केवल चार बिंदुओं पर बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रिब्यूशन और ग्रामीण विद्युतीकरण के विशेष उल्लेख के साथ।

जहां तक जनरेशन का सवाल है, जैसा आचार्य जी ने कहा था कि 1950 में हमारा जनरेशन कितना था और अब इंस्टाल्ड कैपेसिटी 31 मार्च 2004 के अनुसार 1,12,058 मेगावाट है। लेकिन जो एक्चुअल पीक डिमांड मैट है, वह केवल 75,066 मेगावाट है। प्लांट लोड फैक्टर अब कुछ इंप्रूव हुआ है। सच बात तो यह है कि एनर्जी शॉर्टेज 1998-99 में जो छ: प्रतिशत थी, वह बढ़कर सात प्रतिशत हो गई। अगर समय के साथ-साथ शॉर्टेज बढ़ती जाएगी तो हम जो योजनाएं बना रहे हैं, जो हम चाहते हैं कि इतना करेंगे, वह नहीं कर सकेंगे। जो दसवीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें 41,000 मेगावाट के एडीशन का लक्ष्य था। हमारा लक्ष्य पहले दो वर्षों में क्षमता में 41,000 मेगावाट वृद्धि करने का था, हम सिर्फ 6824 मेगावाट जोड़ सके। क्या हम यह लक्ष्य शेष तीन

वर्षों में प्राप्त कर सकते हैं? 41,000 मेगावाट में 6000 मेगावाट अगर दो वर्षों में बढ़ाया तो क्या शेष तीन वर्षों मं 35,000 मेगावाट ऐड कर सकते हैं? यह असंभव है। इसी तरीके से मैंने एक बुकलेट देखी मिशन-2012 जिसमें लिखा है कि 2012 तक हमारी जो पावर ऑन डिमांड होगी, उसके लिए हमें 1 लाख मेगावाट एडीशन चाहिए। अगर दो साल में 6000 मेगावाट बढ़ा पाए हैं तो क्या अगले छः सालों में हम 94,000 मेगावाट का एडीशन कर सकते हैं? अगर कर सकेंगे तो इसके लिए क्या योजना है? आपने कानून बनाया इलैक्ट्रिसिटी एक्ट 2003।

[अनुवाद]

धारा 4 में कहा गया है:

"केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों से परामर्श करके, राष्ट्रीय नीति तैयार और अधिसूचित करेगी।"

[हिन्दी]

अब आपने ड्राफ्ट भेजा है। एक साल हो चुका है। अब एक साल के बाद उसे सर्कुलेट किया गया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो जाएगी तब तक हम कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। एक्ट का पांचवां आर्टीकल कहता है:

[अनुवाद]

"केन्द्र सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बिजली की थोक खरीद हेतु राज्य सरकारों और राज्य आयुक्तों के परामर्श से राष्ट्रीय नीति भी तैयार करेगी।"

कहां है राष्ट्रीय नीति?

[हिन्दी]

इस पर कहीं कोई कार्य शुरू हुआ है? आपकी जो एनुअल रिपोर्ट है, उसके एक हैंडिंग के अंतर्गत लिखा हुआ है-महोदय, 16 राज्यों के लिए 162 परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं जिनमें से 103 योजनाओं को 311.50 मे.वा. के लिए अंतिम रूप दिया गया है। यह जो आपने 103 स्कीम्स को फायनेलाइज करने की बात लिखी है क्या वे फायनल हो गई हैं और यदि फाइनल हो गई हैं, तो इन पर काम कब से शुरू हो जायेगा। जब आप इस चर्चा का उत्तर दें, तब यह बताने की कृपा अवश्य कीजिए।

महोदय, जहां तक ट्रांसमीशन का सवाल है, वह इतना डिफैक्टिव है कि लाइन लॉसिस ही 30 परसेंट हैं और कहीं-कहीं तो 50 परसेंट तक हैं। अगर 10-12 परसेंट लाइन लॉसिस हों, तो पार पाया जा सकता है, लेकिन जब 18 प्रतिशत से ज्यादा लाइन लॉसिस हो जाते हैं, तो जो आप पुरानी लाइनें होने की बात कह कर, पुराने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर इस बात को डालकर टालने का प्रयास करते हैं, वह ठीक नहीं है। मेरा स्पष्ट कहना है कि बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी होती है। हमें प्रणाली को दोष नहीं देना चाहिए। बड़े पैमाने पर चोरी होती है। कई बार सी.ए.जी. ने अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है कि चोरी होती है। कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। कोई स्टैप नहीं उठाए गए हैं जिनसे चोरी रुक सके। हालांकि अब रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन करते समय एक सुझाव दिया जा रहा है कि हाई वोल्टेज पर बिजली सप्लाई की जाए और प्रत्येक खम्बे के पास एक छोटा ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए, जिससे कंटिया डाल कर खम्बे से बिजली चोरी करना रोका जा सके। यह एक एक्सपैरीमेंट किया जा रहा है कि खम्बे से जो बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी कंटिया डालकर होती है, उसे रोका जा सके। उसे उस प्रकार से ही समाप्त किया जा सकता है।

महोदय, जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, ट्रांसमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों ही मदों में बहुत सुधार की गुंजाइश है। इस मामले में आपको राज्य सरकारों की मदद करनी पड़ेगी। आपका जो ए.पी.डी.आर.पी. कार्यक्रम है, इसमें आपने 50 प्रतिशत धन देना स्वीकार किया है, लेकिन इस 50 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत लोन होगा और शेष 25 प्रतिशत ग्रांट होगी। बहुत सी राज्य सरकारें ऐसी हैं, जिनके पास धन की बहुत कमी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस 25 प्रतिशत ऋण को भी ग्रांट में बदल दें और इस प्रकार पूरी 50 प्रतिशत ग्रांट ही कर दें। कई राज्यों की स्थिति तो इतनी खराब है कि यदि आप उन्हें भी स्पेशल कैटेगरी राज्य में नहीं रखेंगे, तो हिन्दुस्तान के आधे गांव जो 56 वर्ष की आजादी के बाद भी अंधेरे में ही डूबे हैं, उन्हें इलैक्ट्रीफाई नहीं किया जा सकेगा। आप केवल इस पर मत जाइए कि केवल 1 लाख 12 हजार गांव ही इलैक्ट्रीफिकेशन के लिए बचे हैं। जिन गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है, उनकी संख्या मंत्री महोदय ने अभी 1 लाख 25 हजार बताई है। मैं जहां से आंकड़े बता रहा हूं, यह भी गवर्नमेंट की एक किताब के आंकड़े हैं।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि अविद्युतीकृत इन 1 लाख 12 हजार गांवों में से कुल 40,025 गांव उत्तर प्रदेश में हैं, 21,695 गांव झारखंड में हैं और 19,224 गांव बिहार में हैं। 1 लाख 12 हजार गांवों में से केवल उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में 80 हजार गांव ऐसे हैं जिनका इलैक्ट्रीफिकेशन होना है। कुछ ऐसे राज्य हैं, जिन्हें आपने स्पेशल कैटेगरी में रखा है जिनमें एंटायर नार्थ ईस्टर्न रीजन, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर आते हैं, जिनमें आप 90 प्रतिशत ग्रांट और 10 प्रतिशत सॉफ्ट लोन देते हैं। इसका परिणाम यह है कि जिन राज्यों को आपने स्पेशल कैटेगरी राज्य का दर्जा दिया है, उन राज्यों के गांवों के विद्युतीकरण में अच्छी प्रगति हुई। आप केवल संख्या के बल पर मत देखिए।

[प्रो. रामगोपाल यादव]
असली नक्शा संख्या के बल पर स्पष्ट नहीं हो सकता है। प्रत्येक सदस्य को जानना चाहिए कि भले ही गांव में एक कनेक्शन हो, फिर भी गांव को विद्युतीकृत माना जाता है।

स्थिति क्या है, कितने घरों में बिजली है, यह असली चीज है। हिन्दुस्तान में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जहां 94 प्रतिशत घरों में बिजली है, लगभग 90 प्रतिशत पंजाब में है, बिहार में पांच प्रतिशत है, वहां सबसे खराब स्थिति है। उत्तर प्रदेश में 19 प्रतिशत और झारखंड में नौ प्रतिशत है। इन राज्यों में पांच, नौ और 18-19 प्रतिशत घरों में बिजली पहुंची है। क्या आप यह महसूस नहीं करते कि इन राज्यों को विशेष कैटेगिरी में रख कर मदद देने की जरूरत है? क्या यह जरूरी नहीं समझते? जब संविधान बना था तब देश के उन लोगों के लिए, जो सबसे पीछे हैं उन्हें विशेष कैटेगिरी में रखा गया, उन्हें सुविधाएं दी गई। अब जो राज्य सबसे पीछे हैं, उन्हें आप उसी तरह सुविधाएं दीजिए, जिस तरह दलित और पिछड़े लोगों को आरक्षण देते हैं, वैसे ही हमारे राज्य को भी मदद दीजिए। अगर हिन्दुस्तान के बड़े हिस्से को ऐसे ही रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। कल श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव बोल रहे थे। उन्होंने दो स्टेटमेंट को-रिलेट किए थे, मुझे लगता है कि वह सही था।

[अनुवाद]

जब उन्होंने उत्पादन और उपभोग के बारे में एक अपर सचिव के वक्तव्य को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के वक्तव्य के साथ जोड़ा। उत्पादन कोई समस्या नहीं है। उपभोग एक समस्या है। किन्तु क्या उपभोग एक समस्या है।

[हिन्दी]

जिन राज्यों में अभी पांच, दस और 20 प्रतिशत घरों में बिजली हो, वहां कंजम्पशन की क्या समस्या है। अगर देश के प्रधानमंत्री कहें, बड़ा अधिकारी कहे, जो गांव को रास्ता नहीं जानता वह कहे कि कंजम्पशन की समस्या है, लेकिन जेनरेशन की कोई समस्या नहीं है, तब उन्होंने कहा था कि सोच की समस्या है और यह सही लगता है, मैं समझता हूं, वह बिल्कुल सही कह रह थे। जब उन्होंने कहा: "यह सोच का फर्क होता है।" जब बिहार के लोग बार-बार कहते हैं कि कोसी, कमला या बागमती पर पन बिजली बननी चाहिए। वहां थर्मल हाइड्रो मिक्स है, जिसके बारे में आचार्य जी ने कहा था कि 75 और 25 प्रतिशत, जब कि 60 और 40 होना चाहिए। इस वक्त 75 प्रतिशत थर्मल और 25 प्रतिशत हाईड्रो इलैक्ट्रिसिटी है, जब कि 60 और 40 होनी चाहिए। दुनिया भर में जो एनवायरमेंटल परेशानियां थर्मल से, धुएं सो हो रही हैं, जिस पर कंट्रोल नहीं है, इस कारण से दिक्कत हो रही है। इस धुएं की वजह से फलों का आना बंद हो गया है। यह हाइड्रो इलैक्ट्रिसिटी से नहीं होता है, भले ही यह शुरू में महंगी होगी, लेकिन सबसे चीप इलैक्ट्रिसिटी है। क्या आप अपने जवाब में आश्वासन देंगे, कहेंगे कि हम इन नदियों पर बांध बनवाएंगे। बिजली जेनरेट करेंगे तो बिहार और देश की समस्या भी हल हो जाएगी, अगर हाईड्रो इलैक्ट्रीसिटी पैदा हो जाए।

महोदय, मैं आपसे एक अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड सबसे पीछे हैं, उन्हें आप जो रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन में मदद करते हैं, इन राज्यों की बहुत बड़ी आबादी है, इन पर आपकी बहुत कृपा होगी। जिस तरह आप स्पेशल कैटेगिरी में स्टेट्स की मदद कर रहे हैं, उसी तरह इनके लिए मदद करें। आपने जो एक्ट 2003 वाला बनाया है, इसके सैक्शन तीन को रिपील करें। यह बहुत ही डिफेक्टिव है, इसमें सारी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी है। अगर आप इसे पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि सारी जिम्मेदारी रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन के लिए राज्यों पर है, केन्द्र का राज्यों के बगैर क्या मतलब है, आप बताएं? अगर राज्य बिल्कुल खत्म हो जाएं तो दिल्ली के शासन पर शासन करने का मन नहीं करेगा। तब गृह मंत्री जी आप चाहेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो जायें, क्या करेंगे, यहां रहकर क्या फायदा है। देश सबसे मिलकर बना है, दिल्ली टॉप पर है, अगर आपका नीचे का स्ट्रक्चर खराब हो गया तो फिर दिल्ली केवल दिखाने वाली चीज रह जायेगी। इस बिल में इन्होंने सारी जिम्मेदारी राज्य पर डाल दी है। इसमें यही है कि राज्य देखेंगे, लेकिन यह जिम्मेदारी केन्द्र ले, राज्यों की मदद करे और गांवों के इलैक्ट्रिफिकेशन पर जोर दीजिए। सारी व्यवस्था को, सारे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, सारे सब स्टेशंस को अपग्रेड करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत है, वह पैसा केन्द्र सरकार दे। राज्यों को इन्सेंटिव दे ताकि वे ठीक तरीके से सिस्टम को चला सकें और बड़े पैमाने पर लाइन लॉसेज हो रहे हैं, उनमें से चोरी की जा रही है, उस चोरी को भी रोकने का इन्तजाम करे। इसके लिए सख्त कानून बनाएं, काग्नीजेबल आफेंस बनायें कि अगर कहीं चोरी हो तो सीधे पुलिस उसमें दखलंदाजी कर सके, यह सब व्यवस्था होनी चाहिए।

अपराह्न 4.42 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

(दो) देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति—*जारी*

सभापति महोदयः श्री शिवराज पाटील सभा में हैं। जैसा कि पहले तय हुआ था, वह देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति पर हुई चर्चा का उत्तर देंगे। मैं उनसे उत्तर देने का अनुरोध करता हूं और उनके उत्तर के बाद बिजली की कमी पर चर्चा जारी रहेगी।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष और इस सभा के सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस प्रकार से सभा में उत्तर देने की सुविधा प्रदान की। वास्तव में मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं। यह अत्यंत आवश्यक हो गया था क्योंकि मैं दूसरी सभा में और वहां भी हुई बहस का उत्तर दे रहा था और इसलिए, मेरे लिए नियतिम रूप से यहां आना और बहस का उत्तर देना संभव नहीं था।

महोदय, यह जानकर स्वाभाविक रूप से बहुत दिलासा मिलती है कि देश में सूखा और बाढ़ की स्थिति पर कल और आज भी बहुत अच्छा वाद-विवाद हुआ था। यदि हमने इस विषय पर गत सत्र में चर्चा की होती तो संभवतः हम बाड़ की अपेक्षा सूखे पर अधिक बल देते लेकिन जब हम इस विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं तो अब सूखे की जगह बाढ़ पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार और कुछ अन्य राज्यों में भी बहुत अधिक लोगों की जान चली गई है।

सभापति महोदयः केरल में भी ऐसा हुआ है।

श्री शिवराज वि. पाटीलः जी हां, अन्य अनेक राज्यों में भी ऐसी स्थिति है।

कुछ माननीय सदस्यः गुजरात में यही स्थिति है।

श्री शिवराज वि. पाटीलः अन्य राज्यों में भी जहां बाढ़ आई है। लोगों की मौत हुई है। हम दुखी परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना एवं सहानुभूति व्यक्त करते हैं।

एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे हमें अपने ध्यान में रखनी है, यह है कि भारत एक विशाल देश है और प्रत्येक वर्ष कुछ राज्यों में जहां सूखा पड़ता है वहीं दूसरे राज्यों में लोग बाढ़ से पीड़ित होते हैं। इससे उन लोगों को जूझना ही पड़ता है जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं। ऐसा देश की भौगोलिक स्थिति और विशालता के कारण है।

महोदय, दक्षिण राज्यों में सामान्यतः सूखा पड़ता है और उत्तरी राज्यों में सामान्यतः बाढ़ आती है।

अरुणाचल प्रदेश, असम और बिहार ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बहुत अधिक नुकसान उठाया है। उत्तर प्रदेश भी इससे प्रभावित हुआ लेकिन उतना नहीं जितना बिहार। महाराष्ट्र और कर्नाटक को भी इससे हानि हुई लेकिन उतनी नहीं जितनी कि अरुणाचल प्रदेश, असम और बिहार को हुई। ब्रह्मपुत्र और नेपाल से आने वाली नदियां हमारे देश में बाढ़ के लिए जिम्मेदार हैं। वे बाढ़ ला रही हैं।

इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते समय हमें एक महत्वपूर्ण बात अपने दिमाग में रखनी है कि देश में बाढ़ और सूखे के कारण उत्पन्न समस्याओं एवं कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सकता है। यहां बोलने वाले अधिकांश सदस्यों ने अपने राज्य के लोगों की भावनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने अपना ध्यान मुख्यतः उनको आवश्यक राहत पर केन्द्रित किया। इसी के साथ-साथ उन्होंने इस समस्या के स्थायी समाधान के बारे में भी अपनी राय दी जिसे लागू किया जाना चाहिए। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बहस है। वे इस मुद्दे पर दलगत भावना से नहीं बल्कि समग्र रूप से विचार कर रहे थे। अपने निर्वाचकों और अपने राज्यों के लोगों की समस्याओं पर बोलते समय उन्होंने केवल अपने राज्य के बारे में ही टिप्पणी नहीं की बल्कि वे बाढ़ और सूखे के कारण उत्पन्न समस्याओं के अस्थायी और स्थायी समाधान के बारे में भी बोले। वास्तव में, यह बहुत प्रोत्साहन देने वाली बात है।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): क्या मंत्री महोदय एक मिनट के लिए अपनी बात रोकेंगे?

श्री शिवराज वि. पाटीलः हां।

श्री बिक्रम केशरी देवः सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि गत लोक सभा अर्थात् तेरहवीं लोक सभा में नदियों को जोड़ने के लिए एक कार्य बल का गठन किया गया था, जिसके जरिये बहुत लम्बे समय से चली आ रही सूखा और बाढ़ की समस्याओं का समाधान किया जाना था ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटीलः मैं इसके बारे में बोलूंगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः इस समय इस विषय पर बात नहीं हो रही है। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देवः यह देश हित में है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैं कहना चाहता था कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने वर्ष 1974 में एक रिपोर्ट दी थी जिसमें बिहार और यू.पी. की बाढ़ को रोकने के लिए 225 सजेशन्स दिए गए थे। दुःख की बात है कि वर्ष 1980 में जब यह रिपोर्ट पेश हुई ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मंत्री महोदय के उत्तर के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, माननीय सदस्य की बात एकदम सही है। उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण बात उठाई है। सदस्य महोदय इस बात से आश्वस्त रहें कि मैं उस बात के बारे में कुछ कहे बगैर अपनी बात समाप्त नहीं करूंगा लेकिन कृपया मेरी बात के बीच में व्यवधान न डालें। मुझे अपने तरीके से अपनी बात कहने दीजिए। मैं उस बहस का उत्तर दे रहा हूं जिसमें अनेक माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। मैं किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूं जैसाकि मैं प्रश्न काल में करता हूं। उस समय की बात अलग होती है। माननीय सदस्य को आश्वस्त होना चाहिए कि उन्होंने जो बात कही है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं उसके बारे में भी बोलूंगा। लेकिन मुझे यह बात जारी रखने दीजिए।

श्री बिक्रम केशरी देव: सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं *...(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री और इस सभा के सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह प्रश्न और उत्तर के रूप में नहीं है। वह केवल बहस का उत्तर दे रहे हैं। आपके प्रश्न का जवाब उनके उत्तर में मिल जाएगा। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: इस बहस में हमें एक या दो बातों पर स्पष्ट दृष्टि रखनी होगी। पहले मैं उन बातों का उल्लेख करना चाहता हूं।

आज हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं? क्या हम दी जाने वाली राहत के बारे में चर्चा कर रहे हैं? या, क्या हम पुनर्वास के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं? या क्या हम अवसंरचना की स्थापना से संबंधित मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं? क्या हम उन दीर्घकालिक योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे पास इन समस्याओं को हल करने के लिए होनी चाहिए। वास्तव में, यह मामला इस सभा में यह जानने के इरादे से उठाया गया था कि उन क्षेत्रों में लोगों को क्या राहत दी जा सकती है जहां सूखा पड़ा है या बाढ़ आई है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात थी। ऐसा नहीं है कि और बातें महत्वपूर्ण नहीं थी। लेकिन इस विषय में हमें अपना नजरिया अत्यंत स्पष्ट रखना होगा। राहत किसे कहते हैं, पुनर्वास किसे कहते हैं, अवसंरचना की पुनर्बहाली क्या है और देश में सूखा और बाढ़ को रोकने के लिए भावी योजना क्या है? हमें इस पहलू पर अत्यंत स्पष्ट नजरिया रखना है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इस सभा में अनेक माननीय सदस्यों ने एक मुहावरे का प्रयोग किया वह है—

[हिन्दी]

'ऊंट के मुंह में जीरा'।

हमारी मांग तो इतनी थी लेकिन आपने केवल इतना पैसा ही दिया। यह तो 'ऊंट के मुंह में जीरे' के समान है। क्या यह दुरुस्त है?

[अनुवाद]

वे एकदम ठीक कह रहे थे क्योंकि राज्य सरकारों की मांगें बहुत ज्यादा थी। वास्तव में, वे केवल राहत के ही बारे में चिन्तित नहीं थे वे पुनर्वास, अवसंरचना को पुनः बनाने और भावी योजना को लेकर भी चिन्तित थे। अतः इनमें से प्रत्येक राज्यों द्वारा मांगी गई कुल धनराशि बहुत अधिक थी। इतनी बड़ी धनराशि की मांग को पूरा करना गृह मंत्रालय के अधिकार से बाहर था।

इस मुद्दे पर चर्चा करते समय हमें यह समझना होगा कि राहत प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कार्य उस समय किया जाना चाहिए। जब उसकी आवश्यकता हो। यदि आप उसके बाद राहत देते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। कल्पना कीजिए कि बाढ़ आई है, भूकम्प आया है या सूखा पड़ा है। तो राहत उपलब्ध करानी होगी क्योंकि राहत मिलने से मनुष्य जिन्दा बच जाता है। यदि आप कुछ समय बाद राहत देंगे तो, हो सकता है वह राहत बेहतर हो लेकिन वह उपयोगी नहीं होगी। यह समय पर दी जानी चाहिए। राहत पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण समय पर कार्यवाही है। यदि भूकम्प आता है और यदि मकान ध्वस्त हो जाते हैं, तो कोई व्यक्ति खुले आसमान के नीचे नहीं रह सकता। उसे कोई शरण, सिर छुपाने के लिए कोई जगह चाहिए। यदि एक छोटा कमरा दिया जाता है, यह एक राहत है। एक बड़ा मकान बनाने का मुद्दा बिल्कुल अलग है और यह पुनर्वास है। किंतु एक कमरा उपलब्ध कराना राहत है।

क्या हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, असम और बिहार में भी बाढ़ आयी है। जब वहां बाढ़ आयी थी तो वास्तव में घर डूब गए थे। इनमें से अधिकांश लोग अपने घरों के छत पर बैठे या खड़े थे। यह अत्यन्त आवश्यक था कि उन्हें बचाया जाए। बचाव कार्य सबसे महत्वपूर्ण था। जब उनके घर पूरी तरह से डूब गए तो उनके लिए खाना पकाना संभव नहीं था। निःसंदेह, घर में

अनाज हो सकता है, किंतु खाना पकाना संभव नहीं था। इसलिए यह आवश्यक था कि कोई अन्य व्यक्ति खाना पकाए तथा उन्हें भोजन दे।

अब, जब वे उन दशाओं में थे, यह आवश्यक था कि उन्हें कुछ दवाइयां दी जाए। यह अत्यधिक आवश्यक है। मान लीजिए उनका बचाव किया गया, उन्हें वहीं और तारपोलीन के बने टेन्ट में रहना था। यह एक राहत है। हम, गृह मंत्रालय में मुख्य रूप से राहत और पुनर्वास से संबंध रखते हैं। यदि विकास संबंधी कार्यकलाप करने हैं, यदि बुनियादी संरचना को पुन: बहाल करना है तो गृह मंत्रालय इसका माध्यम नहीं है। गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधन देखता है और यही कारण है कि मैं इस वाद-विवाद का उत्तर दे रहा हूं। कभी-कभी, लोग महसूस करते हैं कि गृह मंत्रालय जिसे अपने हाथ में डंडा रखना होता है और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना होता है क्यों आपदा प्रबंधन की बात कर रहा है। विभिन्न मंत्रालयों जैसे जल संसाधन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय इत्यादि द्वारा गृह मंत्रालय के अधीन आपदा प्रबंधन किया जाता है। उनमें से अधिकांश आपदा प्रबंधन में योगदान करते हैं और चूंकि यह गृह मंत्रालय के अधीन किया जाता है, मैं इस वाद-विवाद का उत्तर दे रहा हूं।

इसलिए पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें राहत और पुनर्वास और स्थायी विकास के बीच अन्तर को समझना चाहिए। हम किस प्रकार का राहत दिया गया है, पर चर्चा कर सकते हैं कुछ लोगों का अस्थायी पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए गए, इस प्रयोजन के लिए हमारी नीतियां क्या होनी चाहिए, इस प्रयोजन के लिए किस प्रकार के तंत्र की आवश्यकता है इस उद्देश्य के लिए किस प्रकार से निधि की आवश्यकता होगी। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य के बीच किस प्रकार के सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है, इन परिस्थितियों में कौन वास्तव में कार्य कर सकते हैं, इत्यादि पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अर्द्ध सैनिक बल, सशस्त्र बल सिविलियन, गैर-सरकारी संगठन, व्यक्ति सभी एक साथ मिल कर काम करते हैं। किंतु यह किस तरह से करना है? इस अवधारा का विकास हो रहा है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह बहु विधि कार्यकलाप है। यह एक विभाग या मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाना है। इसे कई विभागों और मंत्रालयों द्वारा किया जाना है।

महोदय, यह बताने का कारण यह है कि मुझे यह स्पष्ट करना है कि उन्हें किस प्रकार की सहायता दी गई और हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि क्या यह पर्याप्त था अथवा नहीं। यदि यह पर्याप्त नहीं था, नि:संदेह जनता मालिक है, आप उनके प्रतिनिधि हैं और आप निश्चित तौर पर यह निर्णय कर सकते हैं कि किस प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए थी अथवा दी जा सकती है जब भविष्य में इस तरह की स्थिति आए। हमें यह निर्णय लेना होगा।

महोदय, हमारे पास दो प्रकार की निधियां उपलब्ध हैं। एक सी आर एफ है और दूसरा एन सी सी एफ है। सी आर एफ आपदा राहत निधि है। अब आपदा राहत निधि मुख्य निधि है जिसे 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थापित किया गया था। 11वें वित्त आयोग ने इस प्रयोजन हेतु पांच वर्षों के लिए लगभग 11000 करोड़ रु. का प्रावधान किया था। इस निधि में से, कतिपय राज्यों को कतिपय राशि उपलब्ध कराई गई है। वे इसका प्रयोग अपने राज्यों में आपदाओं के लिए कर सकते हैं। उन्हें केवल यह करना है कि सिर्फ यह कहना है कि उनके पास निधियां उपलब्ध हैं, इस प्रकार की आपदा आई है और हमें इस निधि के प्रयोग के लिए अनुमति मिलनी चाहिए। फिर, वित्त मंत्रालय निधि के प्रयोग की अनुमति देता है। आपदा राहत निधि इस प्रकार की है। किंतु बाद में यह पाया गया कि यह राशि बहुत कम है और यह आपदाओं का सामना कर रहे व्यक्तियों को आवश्यक सुविधाएं देने के लिए और लोगों की मांग पूरी करने हेतु पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि एक अन्य निधि एनसीसीएफ, नेशनल कालामिटी कन्टीन्जेंस फंड का सृजन किया गया। अब इस नेशनल कालामिटी कन्टीन्जेन्सी फन्ड का प्रयोग आपदा राहत निधि के अतिरिक्त किया जाता है।

जहां तक सी.आर.एफ. का संबंध है, राज्य सरकारों को यह धन प्राप्त करने में कोई कटिनाई नहीं हो मान लीजिए एक राज्य को 400 करोड़ रु. आवंटित किया गया है, उन्हें वित्त मंत्री को लिखना होगा और कहना होगा कि वे इन परिस्थितियों में इस धन का प्रयोग करने जा रहे हैं, धन हमारे पास भेजा जाए और हमें इसके प्रयोग की अनुमति दी जाए और बस इतना ही।

अपराह्न 5.00 बजे

उन्हें अनुमति दी जाएगी। नेशनल कालामिटी कन्टिजेन्सी फंड से इसके अतिरिक्त निधियां दी जा सकती हैं। यदि एक राज्य को 400 करोड़ रु. मिल रहा है, उदाहरण के लिए पाता है कि धनराशि अपर्याप्त है, यह केन्द्र सरकार के पास आएगा और कहेगा कि उसे एनसीसीएफ के अंतर्गत और धन दिया जाए। जो धन दिया जाता है वह राज्य में एक टीम के भेजे जाने, उसके द्वारा जांच किये जाने और रिपोर्ट देने के बाद इस प्रयोजन के लिए अधिक धन दिया जा सकता है। यह सीआरएफ के अतिरिक्त है। यह भी पर्याप्त नहीं होगा।

उदाहरण के लिए केरल का मामला लीजिए। केरल के मामले पर चर्चा की गई है मैं केरल के अपने माननीय सदस्य मित्रों को

[श्री शिवराज वि. पाटील]

आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम उनकी कठिनाइयों का ध्यान रखेंगे और हम निःसंदेह इस पर ध्यान देंगे। कोई कठिनाई नहीं होगी। यह सभी राज्यों पर लागू होता है चाहे वे किसी पार्टी के हों। कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए केरल में सूखा के कारण कुछ कठिनाइयां पैदा हो गई, मान लीजिए किसानों को क्षति हुई अथवा मान लीजिए कि कुछ विद्युत केन्द्रों को हानि हुई, इसके लिए आपको धन चाहिए तो इसका माध्यम कुछ अलग है।

आप यह कह सकते हैं कि आप मामले से संगत तथ्यों पर विचार करके फैसला कीजिए कि आपको केन्द्र सरकार से कितना धन चाहिए। फिर आप केन्द्र सरकार के पास आ सकते हैं और जब आप वार्षिक योजना के बारे में निर्णय करके केन्द्र सरकार के पास आ सकते हैं आप कह सकते हैं कि आपको सूखा के कारण इस प्रकार की क्षति हुई है और इसकी क्षतिपूर्ति के लिए आपको इस प्रकार के धन की आवश्यकता है, इसलिए आपको धन दिया जाना चाहिए। योजना आयोग आपको अधिक धन देगा और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रावधान आपके बजट में किया जा सकता है। इसका केन्द्रीय बजट में प्रावधान किया जा सकता है यदि कुछ व्यवस्था की जाए। मैं तकनीकियों में नहीं जा रहा है किंतु इसका माध्यम यह नहीं है। इसका माध्यम योजना आयोग है और वह होगा, आप निश्चिन्त रहिए। हम पूरी सहानुभूति से इस पर विचार करेंगे। ...*(व्यवधान)* हम सभी सवालों का उत्तर देंगे। हम उनसे प्रवाह नहीं रोकने के लिए कहेंगे। मैं उत्तर के बाद उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): जब केरल की बात आती है, वह क्यों कहते हैं कि यह सिर्फ योजना आयोग के माध्यम से हो सकता है।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं केरल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं माध्यम की बात कर रहा हूं जिसका अनुपालन होता है। मैं बाद में इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि मेरा प्रवाह नहीं रोकें। मेरा स्पष्ट करने का अलग तरीका है।

मैं जो कह रहा था कि सीआरएफ है। मैं स्पष्ट कह रहा था कि एनसीसीएफ है और मैं कह रहा था कि इसके अलावा आपको धन की पात्रता है और आप दूसरे माध्यम से धन पा सकते हैं। यह सिर्फ केरल पर नहीं लागू है यह महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार पर भी लागू है। हम उन्हें मना नहीं कर रहे हैं, किंतु हम कह रहे हैं कि वे इस तरीके का प्रयोग नहीं करें। आप अलग तरीके का प्रयोग करें और आपको धन मिलेगा। यदि आप हिमालय जाना चाहते हैं और यदि आप दक्षिण में यात्रा कर रहे हैं तो आप जब तक पूरी धरती का चक्कर नहीं काटेंगे तब तक वहां नहीं पहुंचेंगे। इसमें समय लगेगा। मैं कह रहा हूं कि रास्ता यह है।

मैं किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पैसा नहीं दिया जायेगा अथवा यह इस राज्य को दिया जायेगा और उस राज्य को नहीं दिया जायेगा। मैं यह कह रहा हूं कि स्थिति ऐसी ही है। हम सबसे पहले यह बात समझें और जब हम यह बात समझ लेंगे तभी हम ऐसा कर सकेंगे।

अब, यही रास्ता है। सी.आर.एफ. है और एन.सी.सी.एफ. है और इसके बाद योजना आयोग भी है। चौथे चरण में यह बात आती कि इसमें किस माननीय पूर्व मंत्री जी ने इसका उल्लेख किया है। उन्होंने अभी-अभी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। क्या आपने यह पता लगाया है कि देश में सूखे और बाढ़ की इन स्थितियों के कारण कितना पैसा बर्बाद हुआ है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर उन्होंने अपना दिमाग लगाया है। मैं यह कह सकता हूं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सौभाग्य से हमारे पास इस बारे में जानकारी है। मेरी जानकारी के अनुसार वर्ष 1953 से 2003 के बीच 69,786 करोड़ रुपये की धनराशि बाढ़ और सूखे के कारण बर्बाद हुई है। यह एक बड़ी धनराशि है। हम यह नहीं चाहते कि यह धनराशि बर्बाद हो। उन्होंने जो सुझाव दिया वह बहुत महत्वपूर्ण था। कई सुझाव दिये गये थे। लेकिन हम इन सुझावों को कैसे मानें? इस स्थायी समस्या पर काबू पाने के लिए जिस रास्ते का हमें अनुसरण करना है वह रास्ता सी.आर.एफ. अथवा एन.सी.सी.एफ. अथवा योजना आयोग का नहीं है। हमें राष्ट्रीय विकास परिषद् के जरिये इस रास्ते पर चलना होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद् के अलावा बुनियादी सुविधाओं का विकास भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विद्युत उत्पादन, शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन पर हमें धनराशि खर्च करनी चाहिए। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच आम सहमति होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि केवल केन्द्र सरकार ही इन परियोजनाओं को नहीं बनाती वरन् राज्य सरकारें भी इन्हें तैयार करती हैं। राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को एकजुट होकर काम करना होगा और योजनाएं तैयार करनी होंगी और हमें उन्हें कार्यान्वित करना होगा। लेकिन, इस प्रकार के निर्णय के लिए मंच कहां है? यहां, केन्द्र सरकार के मंत्री और संसद सदस्य बैठे हैं। लेकिन यहां पर राज्य सरकार के मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों को आने और चर्चा करने की अनुमति नहीं है। इस प्रयोजनार्थ एकमात्र मंच है वह राष्ट्रीय विकास परिषद है। एक बार, सिद्धान्ततः, यह निर्णय लिये जाने पर कोई समस्या नहीं रहेगी। योजना आयोग को जो निर्णय लेना है वह यह कि विकासशील

सिंचाई सुविधाओं, विद्युत उत्पादन, वनरोपण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक धनराशि खर्च की जाये। ये चीजें सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। यदि हम अधिक धनराशि खर्च करेंगे, यदि इस प्रयोजनार्थ अधिक और बेहतर आबंटन न करें तो यह अच्छी बात होगी। यही बात पंचवर्षीय योजना में भी कही गई है, यही बात बजट में भी कही गई है और हम यह कार्य कर सकते हैं। इसलिए, महोदय, मैं समझता हूं कि राहत, पुनर्वास, सुविधाएं देने और फिर बाढ़ और सूखे की समस्याओं से निपटने के लिए स्थायी समाधान ढूंढना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है।

इतना कहकर, अब मैं उन बातों पर आना चाहूंगा जो मैंने पहले कही थी कि किस प्रकार की राहत प्रदान की गयी थी। मैं उन राज्यों के बारे में बताता हूं जिन्हें सबसे अधिक नुकसान हुआ है। आप यह न समझें कि हम उन राज्यों की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं जिनका यहां उल्लेख नहीं हुआ है। सर्वप्रथम, मैं सभी राज्यों से संबंधित तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। तत्पश्चात् मैं सभी राज्यों के नहीं बल्कि केवल एक या दो राज्यों से संबंधित तथ्य आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। यदि इन सभी राज्यों से आने वाले सदस्य अथवा प्रभावित राज्यों से आने वाले सदस्य आंकड़े चाहते हैं तो ये आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं। मेरे पास एक ही चीज उपलब्ध नहीं है वह समय है। इसलिए मैं इसका उल्लेख नहीं कर पाऊंगा। इसलिए, कृपया भगवान की खातिर आप यह न समझें कि सभी राज्य उपेक्षित राज्य नहीं हैं। सर्वप्रथम, मैं आपको सभी राज्यों से संबंधित आंकड़े दे रहा हूं। वर्ष 2004 में सहायता की मांग की गयी थी। सहायता जो मांगी गयी और प्रदान की गयी वह 1359 करोड़ रुपए की थी। अब मैं उपलब्ध धनराशि और अन्य सभी चीजों पर आता हूं। 1082 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है। महोदय, राज्यों को 67 आर्मी कॉलम, 19 हेलीकॉप्टर, 2.5 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न, 50 लाख लीटर मिट्टी का तेल दिया गया था। सेटेलाइट टेलीफोनी के मामले में, 17 सेटेलाइट टेलीफोनी दी गयी थी। दवाइयों के मामले में, एक सौ लाख हैलोजन टैबलेट दी गयी, ओ.आर.एस. के 25 लाख पैकेट दिये गये, एक सौ मिलियन मीट्रिक टन ब्लीचिंग पाउडर दिया गया, सर्पदंश-रोधी 2000 विएल्स दी गयी। जहां तक सभी राज्यों का संबंध है, यही आंकड़े उपलब्ध हैं।

मेरे विचार से और आंकड़ों के अनुसार असम और बिहार सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश भी पीड़ित है। मैं इसके पूरे विस्तार में नहीं जा रहा हूं। किन्तु, मैं आपको केवल उनकी प्रदान की गई राहत का ब्यौरा दूंगा। चावल 3.76 लाख क्विंटल वितरित किया गया है। यह असम को प्रदान किया गया है।

दाल 33,539 क्विंटल, ज्वार 1401 क्विंटल, नमक 12,322 क्विंटल, गुड़ 483 क्विंटल वितरित किया गया था। 2000 पोलीथीन शीटें वितरित की गई थीं। यह काफी नहीं है। राहत कैम्पों की संख्या 386 थी। यह राज्य सरकार को प्रदान की गई है।

जहां तक बिहार का प्रश्न है, मैं आपको आंकड़े देता हूं। असम और बिहार सबसे अधिक प्रभावित राज्य थे। अरुणाचल प्रदेश भी प्रभावित हुआ। प्रदान की गई राहत कितनी थी? बिहार में 7840 नौकाएं तैनात की गई। 29,224 क्विंटल बना-बनाया तैयार भोजन वितरित किया गया। पांच लाख पोलीथीन शीटें वितरित की गई थी। हवाई जहाज द्वारा 816 मीट्रिक टन भोजन के पैकेट गिराये गए थे। पांच लाख मोमबत्तियां वितरित की गई थी। चार लाख माचिसें वितरित की गई थी। 1.89 लाख लीटर तेल वितरित किया गया था। 1.83 लाख क्विंटल गैस वितरित की गई थी। ये सभी वस्तुएं उन्हें प्रादन की गई थी। बिहार में बचाए गए व्यक्तियों की संख्या 5,262 थी। 8815 व्यक्तियों को चिकित्सीय राहत प्रदान की गई थी। 118.75 मीट्रिक टन राशन की आपूर्ति की गई थी।

मैं आपको सभी राज्यों का ब्यौरा दे सकता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि यह अनिवार्य नहीं है। इतना कहने के बाद *...(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वड़ोदरा): विशेषत: इस वर्ष प्रभावित हुए राज्यों की स्थिति क्या है? *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं उसके बारे में बताता हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): आपने अभी बिहार को दी जाने वाली सामग्री के बारे में बताया। आपने वहां चावल इत्यादि आवंटित किए। क्या केन्द्र सरकार बिहार सरकार से इसका चार्ज कर रही है? अगर चार्ज कर रही है तो क्या मार्किट रेट से चार्ज कर रही है? यह बात सही है या नहीं?

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: हमें राज्य और केन्द्र सरकार के बीच विभाजन नहीं करना चाहिए। अगर राज्य सरकार ने स्वयं ही कार्य किया है तो हम भी खुश हैं। यदि केन्द्र सरकार ने यह किया है तो उन्हें खुश होना चाहिए। यह केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का मामला नहीं है। मैं ये आंकड़े और तथ्य श्रेय लेने के लिए नहीं दे रहा हूं।

मैं जानता हूं कि जो भी प्रस्तुत किया गया है वह पर्याप्त नहीं है। कुछ और भी प्रस्तुत करना होगा। यदि आप नहीं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): मैं जानना चाहता हूं कि बिहार को केन्द्र सरकार ने कितनी सहायता दी है?

श्री शिवराज वि. पाटील: मैंने अभी केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को दी गई सहायता के बारे में बताया। बिहार सरकार ने जो किया, वह इससे ज्यादा है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: केन्द्र सरकार ने अपने स्तर से वहां कुछ चावल आवंटित किए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अब प्रश्न मत पूछिए। उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं निवेदन के साथ जानना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* आप मार्किट रेट पर पैसे चार्ज कर रहे हैं। आप गरीब लोगों को जो चावल चार रुपये किलो में आवंटित करते हैं, आप उसी रेट पर उन्हें देने के बारे में विचार करिए। दस रुपये किलो में देंगे तो राज्य सरकार करोड़ों-करोड़ रुपया कहां से देगी? बिहार पहले से ही गरीब है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं इसका वर्णन कर रहा हूं। सदस्य यह समझ लें कि जो भी प्रदान किया गया है वह उनकी आवश्यकताओं और मांग के अनुरूप नहीं है। यह भी राहत है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको जो मिला है वह आपकी मांग से अधिक है। हम एक-दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। परन्तु इसे समझना होगा। मैं आपको तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं और यह श्रेय लेने के लिए नहीं कह रहा हूं। किन्तु आप जानते हैं इन परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए।

उन्हें अपने आप पर, अपनी सरकार पर, बिहार सरकार पर, असम सरकार पर, केन्द्र सरकार पर और लोगों पर भरोसा होना चाहिए। उन्हें यह महसूस नहीं करना चाहिए कि उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जा सकता है। हम इतने कमजोर नहीं हैं। हम इन सभी चीजों को उपलब्ध करवा सकें। इतने भी अमीर नहीं हैं। यही कारण है कि मैंने ये तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत किये हैं और इससे अधिक आंकड़े प्रस्तुत किये हैं और इससे अधिक कुछ भी नहीं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब, हमें अन्य चर्चा आरम्भ करनी होगी।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि बिहार सब से गरीब राज्य है। माननीय सदस्य श्री राम कृपाल जी ने जो प्रश्न उठाया है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: बिहार या असम या दूसरे राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं, उन्हें जो गल्ला दे रहे हैं, उसका पैसा ले रहे हैं, क्या वह मार्किट के रेट से ले रहे हैं? उसके लिए सरकार को एक स्पष्ट नीति की घोषणा करनी पड़ेगी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: यह जनता की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। मैं यह भी समझ रहा हूं कि आपने कम दिया है। आपने चाहे जो दिया, वह पैसा रिलीफ का है या पैसे के बदले में गल्ला दे रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु: सभी संबंधित राज्यों द्वारा केन्द्र सरकार की भूमिका सराही गई है ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उनके उत्तर दूंगा। आप मेरे भाषण में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? ...*(व्यवधान)* मैं वर्णन करूंगा ...*(व्यवधान)*

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): बोडोलैण्ड क्षेत्र के लोगों का क्या हुआ? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया मंत्री जी को अपना उत्तर पूर्ण करने दीजिए। कृपया सहयोग करें। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: असम गवर्नमेंट जो राहत डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है उसमें बोडोलैण्ड अंचल के लोगों के प्रति भेदभाव किया जा रहा है।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार ने बाढ़ से प्रभावित सभी व्यक्तियों को समान न्याय देने के लिए असम राज्य सरकार को कोई दिशा-निर्देश क्यों नहीं दिए? बोडोलैंड क्षेत्र के लोगों के प्रति किया गया अन्याय वस्तुत: गम्भीर चिन्ता का विषय रहा है। महोदय, मैं काफी दु:खी हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, परन्तु आप मेरा भाषण समाप्त होने के पश्चात् ही अपना प्रश्न पूछें। यदि आपमें से प्रत्येक व्यक्ति खड़ा होकर मुझसे उत्तर देने के लिए कहने लगे तो यह कठिन हो जाएगा।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री महोदय, आपको कितना समय चाहिए?

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं उपलब्ध समय के अंदर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

एक बात और है। गुजरात के मुख्य मंत्री मेरे पास आए थे। वह प्रधान मंत्री के पास भी गए थे। उन्होंने बात की थी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री भी मुझसे मिले थे। अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने भी उनसे मुलाकात की थी। हमने बहुत ही धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी हैं। उनकी मात्रें काफी अधिक हैं। गुजरात के मुख्य मंत्री का कहना है कि उन्हें 3000 करोड़ रुपये की जरूरत है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि उन्हें काफी धनराशि की आवश्यकता है। उन्हें धन की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्हें धन की आवश्यकता नहीं है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह धनराशि सी.आर.एफ. और सी.सी.एफ. के माध्यम से जाएगी अथवा योजना आयोग या किसी अन्य माध्यम से? हमने कहा है कि जो भी मदद उन्हें शीघ्र दी जा सकती है, वह दी जाएगी।

सभी माननीय सदस्यों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। यदि आप यहां से कोई सहायता चाहते हैं तो आपको भारत सरकार को यह सूचित करना होगा कि यह आपदा की स्थिति है, आपको अमुक प्रकार की धनराशि की आवश्यकता है और यह धनराशि दी जाए। यदि यह राशि सी.आर.एफ. के माध्यम से दी जानी है तो कोई समस्या नहीं है। यदि इसे एन.सी.सी.एफ. के माध्यम से दिया जाना है तो हमें एक समिति भेजनी होगी। हम आपकी कठिनाइयों को समझते हैं। हम आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। हम इन तरीकों के माध्यम से यथासंभव आपकी सहायता करेंगे। यदि और अधिक धन की आवश्यकता होगी तो हम निश्चयपूर्वक इस पर निर्णय लेंगे।

जहां तक खाद्यान्नों के मूल्य का प्रश्न है, मुझे पता नहीं है कि ये सज्जन इसका पता लगाने में उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। हम खाद्यान्न दे रहे हैं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर वे इसे किस मूल्य पर बेच रहे हैं। मैं संबंधित सूचना हासिल करूंगा। परन्तु एक नीति के रूप में, मैं आपको बता सकता हूं कि यह मूल्य उस मूल्य से अधिक नहीं होगा जो हम अन्य सभी राज्यों से ले रहे हैं। अथवा यह उससे कम भी नहीं हो सकता है। अब यदि हम ऐसी स्थिति में हों तो हमने कुछ मामलों में मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराए हैं। वह गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि खाद्यान्नों को गोदामों में पड़े-पड़े सड़ने देने के बजाय उन्हें मुफ्त में उपलब्ध कराया जा सकता है।

मैं कोई वचन नहीं दे रहा हूं। मैं नीतिगत वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। गृह मंत्रालय के पास ली जा रही कीमत की जानकारी नहीं है। मैं इसे कृषि मंत्रालय से प्राप्त करूंगा और आपको सूचना दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम यथासंभव मदद करेंगे परन्तु इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रहा हूं।

[हिन्दी]

बिहार को आपने अभी तक 115 करोड़ दिया है और जो आप फूडग्रेन्स एफ.सी.आई. की मार्फत दे रहे हैं उसके 85 करोड़ रुपये मार्केट रेट से एफ.सी.आई. मांग रही है, रिलीफ की परिभाषा क्या है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए। माननीय मंत्री महोदय को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री महोदय के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: यह काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। कृपया सहयोग करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हम बाढ़ और सूखे की स्थिति पर काफी गम्भीरता से चर्चा कर रहे हैं। माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं। कृपया उन्हें अपना उत्तर समाप्त करने दें। कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठे जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं यहां श्रेय लेने के लिए नहीं खड़ा हूं। मैं न्यायालय में किसी मामले की वकालत नहीं कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

मेरे मित्र आश्वस्त रह सकते हैं क्योंकि इसका श्रेय उनको जाएगा। उन्होंने यहां चर्चा आरंभ की। मैं श्रेय नहीं ले रहा हूं। क्या मैं अन्य माननीय सदस्यों को भी यह बता सकता हूं कि यदि उनके मुख्यमंत्रियों को किसी चीज में कोई कठिनाई ...*(व्यवधान)*

यदि आप नहीं चाहते हैं कि मैं आपको इसका वर्णन करूं, तो मैं बैठ जाता हूं। मुझे बैठने में कोई कठिनाई नहीं है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा परन्तु मैं इस प्रकार के व्यवधानों का जवाब नहीं दे सकता। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री महोदय को अपना उत्तर पूरा करने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: मेरे समाप्त करने के बाद आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री महोदय के उत्तर के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री शिवराज वि. पाटील: मेरे बैठने के पश्चात आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं व्यावधानों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं यह उत्तर समाप्त करने के पश्चात् आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। मैं अपना उत्तर समाप्त कर रहा हूं। मैं एक के बाद एक प्रश्नों का उत्तर दूंगा परन्तु पहले मुझे अपना उत्तर पूरा करने दीजिए और बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, यह कुछ ज्यादा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री जी के उत्तर के अलग कार्यवाही-वृत्तांत/कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री शिवराज वि. पाटील: अपने बैठ जाने के पश्चात् मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। इसमें प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना है। ...*(व्यवधान)* मैं अपनी बात समाप्त करने के पश्चात् आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा परन्तु अभी नहीं। मैं सभी माननीय सदस्यों का जवाब दूंगा। मैं अपने जवाब को समाप्त कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे अपनी बात कहने के बजाय उनके प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

मैं यह कह रहा था कि कुछ राज्यों ने हमारे पास अपने अनुरोध भेजे हैं। उन अनुरोधों को पूर्णत: नहीं, बल्कि आंशिक रूप से पूरा किया है। कुछ राज्यों ने हमसे अनुरोध भी नहीं किया है। यदि वह हमसे अनुरोध करते हैं, तो हम निश्चित रूप से उनके अनुरोधों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और उनको सहायता देंगे। यदि यह उनको पूरी तरह सहायता देने का तरीका नहीं है, तो हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि हम उन्हें अन्य किन तरीकों से सहायता कर सकते हैं।

स्थायी समाधान ढूंढने के लिए एक या दो मुद्दों को उठाया गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक नदियों को जोड़े जाने से संबंधित है। मानीय सदस्य द्वारा इसे उठाया गया था। वह इसका जवाब चाहते हैं। मैं यह कहता हूं कि यह एक अच्छी परियोजना है। इसे काफी पहले वर्ष 1972 में कांग्रेस की सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। फिर इसे बाद में रोक दिया गया था और फिर इसे इस सरकार द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। चाहे इसे इस या उस दल द्वारा, इस या उस सरकार द्वारा आरंभ किया गया हो। यह एक अच्छी परियोजना है। हम निश्चित रूप से इन मामलों पर गौर करेंगे। वित्त, राजनीतिक मामलों और ऐसी अन्य चीजों से संबंधित कुछ कठिनाईयां हैं परन्तु इन समस्याओं पर काबू पाने में कुछ भी हमारे कौशल अथवा क्षमता से बाहर नहीं है। हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे। यहां सिंचाई परियोजनाओं पर चर्चा करना मेरे लिए संभव नहीं है। परन्तु जहां तक इस परियोजना का संबंध है, यह एक अच्छी परियोजना हैं। हम इस पर गौर करेंगे।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गयी दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात मौसम विभाग द्वारा दी गई सूचना के बारे में है। अब, क्या मैं आपको बता सकता हूं कि मौसम विभाग अनिश्चय की स्थिति में था जब हमारे पास सुपर कम्प्यूटर और उपग्रह इत्यादि नहीं थे? परन्तु, मोटेतौर पर, उनके 80 प्रतिशत पूर्वानुमान सही हो रहे हैं। अब, यदि उनके द्वारा दी गई सूचना में कुछ गलत होता है, तो यह देखना हमारा काम होगा कि इस प्रयोजनार्थ उपेक्षित प्रौद्योगिकी को अद्यतन किया जाएगा और उक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। परन्तु यह सच है कि किसानों को उचित रूप से सूचित किया जाना चाहिए और यदि उन्हें उचित रूप से सूचित नहीं किया जाता है तो यह अत्यधिक कठिन होगा।

अब, तीसरी बात, जिसका कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया था, उस प्रयोजन में लगाए जाने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण के बारे में है।

वस्तुत: हमने इस उद्देश्य हेतु प्रशिक्षण संस्थान शुरू किया है और हम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की आठवीं बटालियन तथा अन्यों को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि उन्हें सहायता दी जाए। जहां तक उन्हें सहायता दिए जाने का प्रश्न है हम इसकी जांच करेंगे।

चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे अधिकतर बिहार के माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया था, वह नेपाल, भूटान, चीन और अन्य देशों से संबंध के बारे में था। हिमाचल प्रदेश द्वारा सामना की जा रही समस्याओं में से एक कृत्रिम बांध तथा अन्य चीजें हैं और निश्चय ही हम उन पर भी ध्यान देंगे। किन्तु यह ऐसी बात है जिसके लिए समझौता होना चाहिए। यदि अन्य देश प्रस्तुत कतिपय प्रस्तावों पर सहमत नहीं हो पाते हैं तो यह बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम इन सब सवालों को निश्चय ही ध्यान देंगे।

मुझे नहीं लगता कि इस बारे में कुछ और कहने की आवश्यकता है। आप जो भी प्रश्न पूछेंगे मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब कोई प्रश्न नहीं पूछिए। चर्चा पूरी हो गयी है। हम अगली मद लेंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब चर्चा पूर्ण हो गयी है। यदि सभी माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हो जाएंगे तो बहुत कठिनाई होगी। अब और कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चर्चा पूरी हो गयी है। मैं अब अगली मद लूंगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: देश में बिजली की कमी से उत्पन्न स्थिति के बारे में नियम 193 के अधीन श्री राम कृपाल यादव चर्चा जारी रखेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दिए बिना सभा से नहीं जाऊंगा। कृपया एक-एक करके प्रश्न पूछिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री, एक प्रश्न है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि माननीय मंत्री सहमत होते हैं, तो मैं आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: सभापति जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है। मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार सरकार को प्रधान मंत्री जी ने 115 करोड़ रुपया देने की घोषणा की। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए। अब मैं एक या दो सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। वे इन प्रश्नों का इकट्ठा उत्तर देंगे, अलग-अलग नहीं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सभापति महोदय, मेरा सीधा प्रश्न है कि माननीय रघुनाथ झा ने जो सवाल पूछा है फूड ग्रेन के विषय में कि राहत कार्यक्रम की मद में जो फूड ग्रेन बाढ़ पीड़ितों को मुहैया कराया गया है उसका मार्केट रेट वसूल करने की बात केन्द्र सरकार की ओर से की जा रही है, इस प्रकार की सूचना हमें प्राप्त हुई है। मैं इस संबंध में केवल सफाई चाहता हूं।

माननीय रामकृपाल यादव जी की उत्तेजना और तकलीफ सही है कि यदि बाढ़ पीड़ित लोगों को बी.पी.एल. के दामों पर अन्न मुहैया नहीं कराके, मार्केट रेट पर मुहैया कराया जाएगा, तो यह रिलीफ के नाम पर अद्भुत है, अनप्रेसीडेंटेड है?

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी, विदेश मंत्री जी और जल संसाधन मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में कोई मॉनिटरिंग सेल बनाई गई है जिसके अंतर्गत नेपाल से संपर्क करके इस संबंध में बातचीत की जाए और क्या जल संसाधन मंत्रालय ने जिन नदियों के बारे में नेपाल से बात की जानी है उनके संबंध में कोई डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाई है और सी.आर.एफ., एन.सी.सी.एफ. और योजना मद में बिहार को कितनी-कितनी राशि मुहैया कराई है?

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, मैं माननीय मंत्री से केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उत्तर देते समय उन्होंने केरल से संबंधित मामले को सुना था और तब उसे स्पष्ट किया था। मैं उस संबंध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। केरल सरकार ने भारत सरकार से कुछ सहायता मांगी। लगातार गत दो वर्षों से केरल राज्य गंभीर सूखे तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। इसके बारे में बताते समय माननीय मंत्री ने उल्लेख किया था कि केरल सरकार द्वारा अपनाया गया रास्ता सही रास्ता नहीं है। केरल सरकार एनसीसीएफ से सहायता मांग रही है। केरल सरकार ने एक नोट तैयार किया और सब कुछ भारत सरकार के पास जमा किया है। जब माननीय प्रधान मंत्री और माननीय कृषि मंत्री तथा अन्य संबद्ध मंत्रियों से मिला गया तब उन्होंने उस समय इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। अब माननीय मंत्री स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि वह सही रास्ता नहीं था। इसी बारे में मैं माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि सही रास्ता क्या है। यद्यपि केरल सरकार द्वारा अपनाया गया रास्ता सही नहीं है, केरल के लोग परेशानी क्यों उठाएं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार केरल के लोगों की उचित तरीके से सहायता करने को तैयार हैं अथवा नहीं? मैं मात्र यही प्रश्न माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): सभापति महोदय, गृह मंत्री महोदय ने उनके दायरे में जो आता है, उसका जवाब दिया है, लेकिन जो लॉसिस हुए हैं, वे केवल एक क्षेत्र में नहीं बल्कि अन्यान्य सैक्टर्स में हुए हैं।

[अनुवाद]

प्रभावित महत्वपूर्ण क्षेत्र इस प्रकार हैं—विद्युत क्षेत्र में 361.17 करोड़ रु., सड़क और भवन में 345 करोड़ रु., कृषि में 153.95 करोड़ रु. और उद्योग तथा खान में 2,050 करोड़ रु. का हमें नुकसान हुआ है।

[हिन्दी]

महोदय, इस बार गुजरात के लोगों को जो लॉस हुआ है और बाढ़ का जो प्रॉब्लम झेलना पड़ा है, वह हर बार नहीं होता है। पहले वहां लोग ड्राउट की कंडीशन से जूझ रहे थे और उस समय उन्होंने जो बीज खेतों में बोया, वह जल गया, लेकिन उसके बाद अब फ्लड आ गया और इससे जो लॉस हुआ है, उसके अंतर्गत गुजरात राज्य को क्या असिस्टेंस मिलेगी, वह हम जानना चाहते हैं। जो पैसा आप दे रहे हैं, वह बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत कम है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): सर, गुजरात सरकार ने जो मेमोरेंडम केन्द्र सरकार को दिया है उसमें 3,500 करोड़ की मदद की मांग की है और समाचार-पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार 55 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो 55 करोड़ रुपये की मदद दी गई है वह एडहॉक है और प्रदेश सरकार की मांग 3,500 करोड़ रुपये की थी, उसके मुकाबले जो 55 करोड़ रुपये की राहत दी गई है, वह बहुत कम है, इसलिए क्या उसके लिए कोई क्राइटीरिया फालो किया जाएगा?

[अनुवाद]

मैं जानना चाहता हूं कि वह सब मानदण्ड के अनुसार जारी किया जा रहा है या यह राज्य के लिए तदर्थ रूप से जारी किया जाएगा। यह पैसा कब मुहैया कराया जाएगा, मैं यह जानना चाहूंगा? *...(व्यवधान)*

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, मैं उनसे अपने को संबद्ध करता हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में प्रारम्भ में ही दो बातें कही थीं। एक तो उन्होंने यह कहा था कि बाढ़ की समस्या का तात्कालिक क्या उपाय हो सकता है और दूसरा, इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है? बिहार में बाढ़ प्रतिवर्ष की एक परम्परा बनी हुई है। बिहार और झारखंड के बंटवारे के बाद बिहार की पूरी आर्थिक उन्नति कृषि पर निर्भर है। बाढ़ और सुखाड़ के कारण प्रतिवर्ष बिहार की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो स्थायी समाधान की चर्चा और बात आपने कही थी, चूंकि यह कहा जाता है कि उस पर नेपाल और बंगलादेश से वार्ता हो रही है, क्या सरकार ने उस पर कोई ठोस निर्णय लिया कि कैसे आगे बात बढ़ा कर उसके स्थायी समाधान की दिशा में पूरी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ा जा सकेगा?

[अनुवाद]

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस बार बाढ़ के कारण असम में कितना नुकसान और घाटा हुआ है और असम सरकार द्वारा सीआरएफ और एनसीसीएफ से कितनी राशि का दावा किया गया है और अब तक कितनी राशि जारी की गयी है।

मैं उनसे यह भी जानना चाहता हूं कि सीआरएफ के अंतर्गत धनराशि के आबंटन का मानदण्ड क्या है क्योंकि वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य के लिए निश्चित राशि के आवंटन हेतु कतिपय मानदण्ड निर्धारित किया है।

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

डा. अरुण कुमार शर्माः जी नहीं, महोदय, यह सभी सदस्यों के हित से जुड़ा हुआ सवाल है। सीआरएफ से धनराशि के आबंटन के लिए वित्त आयोग ने एक नियम परिभाषित किया है, जिस आधार पर खास राज्य के लिए धनराशि आबंटित की जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि आबादी के आधार पर यह आबंटन किया जाता है या नुकसान की सीमा के आधार पर। वित्त आयोग द्वारा संस्तुत आवंटन का आधार क्या है?

अंत में, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन योजना के बारे में उत्तर नहीं दिया है। मैंने यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक जिले में बचाव नौका, प्रशिक्षित कार्मिकों और अन्य उपकरणों के सुसज्जित एक आपदा प्रबंधन दल होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक वर्ष आपदा आती है। प्रत्येक जिले में कुछ क्षेत्र बाढ़-प्रवण होता है और हमें उन क्षेत्रों में बाढ़ का सामना करना पड़ता है। उन क्षेत्रों में स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या तैयारी की है? मुझे यह तीन प्रश्न पूछने हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूपः महोदय, केरल के लोगों की यह शिकायत है कि लगातार दो वर्षों तक सूखा पड़ने के बावजूद केन्द्र सरकार ने बहुत ही कम राशि आवंटित की है। केरल सरकार और सभी राजनैतिक दलों द्वारा बार-बार मांग किये जाने के बावजूद केन्द्र सरकार ने एनसीसीएफ से आवंटित की जाने वाली राशि को बढ़ाने पर विचार नहीं किया। हम केन्द्र सरकार से यह जानना चाहते हैं कि क्या वह केरल सरकार द्वारा बार-बार दिए गए ज्ञापन पर विचार करके सूखे की समस्या का सामना करने हेतु एनसीसीएफ से और अधिक धनराशि देगी। मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): महोदय, मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आपदा प्रबंधन के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई विश्वविद्यालय आपदा प्रबंधन का पाठ्यक्रम करा रहे हैं। हमारे देश में कई नौजवान आपदा प्रबंधन में डिग्री लेने के बावजूद भी बेरोजगार हैं। यदि इन नौजवानों को रोजगार देने के लिए कोई योजना बनाई जाती है जैसे कि वे बिहार या असम, जहां प्रति वर्ष बाढ़ आती है, जाकर वहां रहें तो वे एक व्यवस्थित तरीके से ऐसी प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन में स्थानीय लोगों की सहायता कर सकते हैं। यह केवल एक सुझाव मात्र है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादवः सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि बिहार की जैसे बड़े पैमाने पर चर्चा भी हुई, वहीं एक तरफ बाढ़ और एक तरफ सुखाड़ की स्थिति है। वहां 16 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां बिहारवासियों को बड़े पैमाने पर सुखाड़ की स्थिति से भी निपटना पड़ रहा है। मैंने अपने भाषण के दरम्यान यह निवेदन किया था कि सुखाड़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के स्तर से दल भेजा जाये, ताकि वहां का आकलन करके वहां के सुखाड़ग्रस्त लोगों को राहत देने की कोई व्यवस्था करे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी गये थे, वहां केन्द्रीय दल गया। केन्द्रीय दल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की होगी। बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं, उनको और केन्द्रीय सहायता देने जा रहे हैं, कृपया सुखाड़ और बाढ़, दोनों के विषय में बतायें।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया एक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जैसा अभी उन्होंने बाढ़ और सूखे की चर्चा पर जवाब दिया है, और अभी तक तो हम लोग यह सुनते चले आये हैं कि राहत का मतलब किसी की मदद करना होता है। यह नहीं कि आप उसमें बिजनेस करें। हमें राहत के तौर पर आप जो मदद दे रहे हैं, उसके बदले आप रिचार्ज कर रहे हैं, इससे तो अच्छा है कि हम प्राइवेट गोदामों से अन्य गोदामों से खरीदकर राहत पहुंचा देंगे। अगर आप रिचार्ज लेंगे तो राहत का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट पूछना चाहूंगा कि राहत का मतलब क्या है, इस पर केन्द्र सरकार की क्या नीति है, उसे स्पष्ट करें?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अभी उत्तर प्रदेश में सूखा भी पड़ा है, सूखे की स्थिति पर राज्य सरकार द्वारा जो मदद मांगी जायेगी, क्या माननीय मंत्री जी उस पर मदद करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। हम इस पर बार-बार चर्चा नहीं कर सकते हैं। हम इस मुद्दे पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर): महाराष्ट्र में कम से कम 11 जिलों में, 71 तहसीलों में सूखा था। जब एन.डी.ए. की सरकार थी तो एन.डी.ए. की सरकार से 1700 करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन अटल जी की सरकार ने केवल 50 करोड़ रुपये ही दिये थे, लेकिन अभी हमारी सरकार ने 500 करोड़ रुपये दे दिये हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, मैं केवल एक प्रश्न पूछूंगा ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग): आप एक और चर्चा की अनुमति क्यों दे रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री रामदास बंडु आठवले: बाकी के 1200 करोड़ रुपये जो बचे हुए हैं, वे 1200 करोड़ रुपये देने के बारे में केन्द्र सरकार को विचार करना चाहिए ताकि महाराष्ट्र में सूखे से जो लोग, किसान परेशान हैं, उनकी मदद हो सकती है। हमें 1200 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): महोदय, मुझे प्रश्न पूछने का मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

[हिन्दी]

मैं आपकी मार्फत एक सवाल पूछना चाहता हूं। भारत सरकार की तरफ से असम सरकार को फ्लड इफैक्टिड लोगों को राहत देने के लिए आज तक कितने करोड़ रुपया दिया गया। इसमें से हमारे बोडोलैण्ड टेरीटोरियल एरिया के लिए कितने करोड़ रुपया खर्च किया है? वहां एक सीरियस कम्पलेण्ट चल रही है। परसों मैं अपने एक असेम्बली सेगमेंट भवानीपुर में जाकर आया हूं, वहां इतना डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है कि एक आदमी को असम सरकार ने दिखाया कि 600 ग्राम चावल दिया गया है, लेकिन असलियत में किसी को सिर्फ 300 ग्राम और किसी को 200 ग्राम ही मिला है।

[अनुवाद]

असम में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री प्रदान करने में बोडोलैंड के लोगों के प्रति बहुत भेदभाव किया गया है ...*(व्यवधान)* हम बराबरी का न्याय चाहते हैं, और कम से कम बोडोलैंड एरिया के लिए एक हजार करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता देनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* यदि सरकार द्वारा बोडोलैंड के लोगों को बराबरी का न्याय नहीं दिया गया तो बोडोलैंड में शांति स्थापित नहीं होगी। इसे इस तरह जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, मैं माननीय मंत्री से केवल दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। वर्ष 2002-03 और 2003-04 में केरल सरकार द्वारा कितनी सहायता मांगी गई थी और केन्द्र ने कितनी सहायता प्रदान की? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एन.सी.सी.एफ. और सी.आर.एफ. से सहायता देने की नीति में कोई परिवर्तन किया गया है क्योंकि दी गई सहायता के बारे में यह संदेह व्यक्त किया गया है कि क्या यह सहायता दी जा रही है अथवा नहीं? इस सरकार द्वारा कामकाज संभालने के बाद क्या पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अपनायी गई नीति में कोई परिवर्तन किया गया है? ...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैं अंतिम आधे-घंटे की चर्चा के लिए अपना हाथ उठा रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन एस. डेलकर (दादरा और नगर हवेली): महोदय, आपने मेरे नाम का उल्लेख किया है। सभापति महोदय, केन्द्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली वैसे ही बैकवर्ड और ट्राइबल एरिया है। दादरा और नागर हवेली भयंकर फल्ड की वजह से 10 साल पीछे चला गया है। बाढ़ की वजह से वहां एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, ऐसी रिपोर्ट है। मैं माननीय गृह

मंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि आप दादरा और नागर हवेली को दुबारा मजबूत करने के लिए कोई बेनीफिट स्कीम जैसे टैक्स होलीडे एनाउंस करें। इसके अलावा आप वहां एक्साइज ड्यूटी को फ्री करने के बारे में भी एनाउंस करें।

श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल (दमन और दीव): सभापति महोदय, मैं दमन और दीव यूनियन टैरीटरी से आता हूं। वहां तीन अगस्त को मधुबन डैम से दमन गंगा में पानी छोड़ा गया जिसके कारण वहां बाढ़ आ गयी। उस पर नौ करोड़ रुपये की लागत से एक ब्रिज बनाया गया था जो डेढ़ महीने में ही टूट गया। हमने आपसे 200 करोड़ रुपये की राहत की मांग की थी। लेकिन अभी मंत्री जी ने जो जवाब दिया, उसमें दमन और दीव का कहीं नाम नहीं आया। मैं कहना चाहता हूं कि हमने 200 करोड़ रुपये की जो मांग की है, वह हमें दिया जाये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, श्री महताब अंतिम प्रश्न पूछ रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री पी.एस. गढ़वी: महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। गुजरात की बाढ़ की स्थिति के बारे में मेरे सहयोगियों श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर, और श्री मधुसूदन मिस्त्री ने जो कुछ कहा है मैं अपने आपको उससे सम्बद्ध करता हूं। इसके अतिरिक्त, मैं गुजरात के कतिपय भागों अर्थात् कच्छ जिला और उत्तरी गुजरात के कतिपय क्षेत्र और सौराष्ट्र में व्याप्त सूखे की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं। केन्द्र सरकार ने कच्छ में सूखे की स्थिति का अध्ययन करने हेतु एक दल भेजा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इन सब बातों पर विचार करेगी *...(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री का आपदा न्यूनीकरण नीति के बारे में उल्लेख करने के लिए आभारी हूं। मुझे दो प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए। एक है कि उन्होंने नदियों के तलकर्षण के बारे में ठीक ही कहा है। कल की बहस के दौरान मेरा प्रश्न यह क्या था कि "कौन सा तंत्र बनाया जा रहा है और केन्द्र कैसे वित्त पोषण करेगा और क्या वे नदियों के तलकर्षण हेतु राज्य के प्राधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे? मेरा दूसरा प्रश्न था: "नदियों के मुहानों को कैसे खोला जाएगा। यह कुछ विशिष्ट प्रश्न हैं जिनका मैंने उल्लेख किया था।

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मुझे मंत्री जी को एक सुझाव देना है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि यदि केन्द्र द्वारा अग्रिम धन जारी किया जा रहा है, यह एनसीसीएफ अथवा सीसीएफ से हो सकता है, तो केन्द्र इस पर ब्याज क्यों ले रहा है। बिहार के माननीय सदस्यों द्वारा एक बात उठाई गई है। यदि संकट का सामना करने हेतु कुछ लोग अधिक अग्रिम ले रहे हैं तो केन्द्र इस पर ब्याज क्यों ले रहा है।

सभापति महोदय: अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

श्री प्रबोध पाण्डा: मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु: माननीय मंत्री को उत्तर देने दीजिए *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: आज भी बोडोलैंड क्षेत्र में 200 से अधिक गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं और उनमें से अनेक गांवों को कोई राहत नहीं मिली *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री अब अपना उत्तर शुरू करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: मेरे संसदीय क्षेत्र के अधीन नदो सौ से ज्यादा गांव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। उनको बचाने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं श्री महताब के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं और माननीय मंत्री से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। उसके पश्चात् हम अन्य अल्पावधि चर्चाओं को जारी रखेंगे।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़): महोदय, असम में बाढ़ पीड़ितों को चावल के वितरण में राज्य सरकार द्वारा अनियमितताएं बरते जाने की रिपोर्टें मिली हैं। यह असम में गम्भीर चावल

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सर्वानन्द सोनोवाल]

घोटाला है। यह मामला असम विधान सभा के हाल ही में सम्पन्न हुए सत्र में भी चर्चा के लिए आया था। मैं माननीय मंत्री से इन रिपोर्टों की पूरी तरह जांच करने और यह सुनिश्चित करने कि दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए, का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मुझे केवल एक अनुरोध करना है। यह मेरा दुर्भाग्य है कि जब मैं कल बोल रहा था तो माननीय मंत्री उपस्थित नहीं थे। श्री भर्तृहरि महताब ने नदियों के तलकर्षण के बारे में जो कहा था मैं स्वयं को उससे सम्बद्ध करता हूं। मैंने अपने जिले में सुवर्ण रेखा नदी के तलकर्षण के बारे में बात की थी और केन्द्रीय सहायता मांगी थी। मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनिल बसु: छः साल कुछ नहीं किया, अब क्यों कह रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

*...(व्यवधान)**

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न बिहार से यह था कि बाजार कीमत क्यों और गरीबी रेखा से नीचे की कीमत क्यों नहीं। यह मूल्य निर्धारण दूसरे मंत्रालय में मेरे सहयोगी द्वारा किया जाता है। मैं यह मामला और आपकी भावनाएं उनके ध्यान में लाऊंगा। मैं आपको इस संबंध में अब यह जानकारी दे सकता हूं कि कीमत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है बल्कि यह एनसीसीएफ के माध्यम से किया जा सकता है।

जहां तक बिहार में सूखे का संबंध है तो हम निश्चय ही उस पर ध्यान देंगे। कुछ राज्य हैं जिनमें कुछ भाग सूखे से प्रभावित हैं और कुछ भाग बाढ़ से प्रभावित है। इसलिए, केवल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पर ही ध्यान देना और सूखा प्रभावित क्षेत्रों की अनदेखी करना सही नहीं है। हम इन चीजों पर ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): बिहार ने सूखे के लिए 258 करोड़ रुपये मांगे लेकिन आपने एक पैसा नहीं दिया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उन्होंने सूखे के लिए 258 करोड़ रुपये की मांग है। श्रीमती राबड़ी देवी ने सूखा राहत कार्यों के लिए 258 करोड़ रुपए की मांग करते हुए केन्द्र सरकार को एक ज्ञापन दिया है और मंत्री जी ने इसका जिक्र भी नहीं किया।

श्री शिवराज वि. पाटील: यह सही नहीं है मैंने केवल असम और बिहार की ही बात की है।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: आपने इतना कम पैसा दिया है, उसमें क्या होगा। आपने असम को ज्यादा पैसा दिया और बिहार को कम दिया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: जहां तक केरल का संबंध है तो एक मामला उठाया गया था कि केरल गत दो या इससे अधिक वर्षों से बाढ़ से पीड़ित रहा है। हम निश्चय ही इसे ध्यान में रखेंगे। हमने लोगों की मदद के लिए नियमों में परिवर्तन किए हैं। हमने निर्णय लिया है कि यदि राज्य एक वर्ष अथवा दो वर्ष अथवा तीन वर्ष से अधिक सूखा पीड़ित रहा है तो लोगों की मदद के लिए किस तरह के कदम उठाये जाएं। मदद देते समय इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा।

एक माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि क्या एनसीसीएफ के अंतर्गत बढ़ी हुई राशि दी जा सकती है। हम इस पर विचार करेंगे और यथासंभव प्रयास करने की कोशिश करेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: और प्रश्न नहीं। मंत्री महोदय को प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यह मामला समाप्त हो चुका है।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: उन सभी नियमों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जहां तक गुजरात का संबंध है, विद्युत क्षेत्र प्रभावित हुआ है। मैं यह जानता हूं। बाढ़ के कारण विद्युत उत्पादन स्टेशनों में पानी भर गया था। हम देखेंगे कि इस बारे में क्या किया जा सकता है। लेकिन इसके माध्यम से बल्कि अन्य उपायों के माध्यम से हम मदद करने की कोशिश करेंगे।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जहां तक सूखे का संबंध है, यह वास्तव में एक त्रासदी है। कुछ दिनों तक गुजरात में सूखा रहा था तथा उसके तुरंत बाद लगातार वर्षा होती रही। गुजरात बाढ़ से प्रभावित है। सहायता प्रदान करते समय यह दोनों बातें ध्यान में रखी जाएंगी। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: 56 करोड़ रु. पर सहमति हुई है ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: यह सी.आर.एफ.एम. के अनुसार है ...*(व्यवधान)* एक-एक करके सभी राज्यों के बारे में बोलना मेरे लिए संभव नहीं है। फिर आप कहेंगे कि आप महाराष्ट्र से हैं, आप महाराष्ट्र के बारे में क्यों नहीं बोले। श्री आठवले ने मुझसे प्रश्न किया कि मैंने महाराष्ट्र का कोई भी उल्लेख क्यों नहीं किया। परन्तु श्री आठवले की जानकारी के लिए तथा महाराष्ट्र के लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हमने महाराष्ट्र को लगभग 250 करोड़ रु. तथा लगभग तीन लाख टन खाद्यान्न दिए हैं। इसका अर्थ हुआ कि यह लगभग 500 करोड़ रु. हो जाता है ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन एस. डेलकर: दादरा और नागर हवेली के बारे में क्या हुआ?

श्री शिवराज वि. पाटील: हमने इसका ध्यान रखा है। मेरे पास जानकारी है और यदि आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको बाद में उपलब्ध करा दूंगा। मैं प्रत्येक राज्य की बात नहीं कर सकता।

श्री शैलेन्द्र कुमार: उत्तर प्रदेश के बारे में क्या हुआ?

श्री शिवराज वि. पाटील: उत्तर प्रदेश के लिए भी यही सिद्धान्त लागू होता है। जो सिद्धान्त बिहार और असम के लिए है, वही उत्तर प्रदेश पर भी लागू होगा। यदि आप बाढ़ से प्रभावित हैं, तो हम सहायता करेंगे। यहां ऐसे क्षेत्र हैं जोकि सूखे से प्रभावित हैं।

[हिन्दी]

सूखे की वजह से अगर कोई तकलीफ हो रही है तो उसमें भी हम मदद करेंगे। हमने परसों बैठकर कानून चेंज किये हैं, रूल्स चेंज किये हैं। उसमें ऐसा कानून चेंज किया है कि सूखे की वजह से लोगों को काम नहीं मिलता है तो हर घर में एक आदमी को पन्द्रह दिन के लिए काम देना ही है और पांच कि.ग्रा. के हिसाब से अनाज देना है। उसके साथ-साथ जो काश्तकार होते हैं, उनको अगर बीज बोने हैं और बीज नहीं है तो बीज के लिए पैसा देना है और उसके बाद समझो कि किसी ने नहीं बोया है तो उसके बाद हर काश्तकार को एक एकड़ के लिए एक हजार देना पड़ेगा। सारे कानून बने हुए हैं। सरकार की तरफ से जो डिमांड्स आयेंगी, उनको देखकर हम जितनी सहानुभूतिपूर्वक मदद कर सकते हैं, वह हम करेंगे। ...*(व्यवधान)* मध्य प्रदेश का जो सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है।

[अनुवाद]

श्री शैलेन्द्र कुमार: धन्यवाद।

सभापति महोदय: इसके बाद, मंत्री महोदय उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री शिवराज वि. पाटील: हम इसका ध्यान रखेंगे कि इस सुझाव को कैसे लागू करें। हम अपने भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य लोगों को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि किसी और चीज की आवश्यकता है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: सभापति महोदय, एक बात का उत्तर नहीं मिला है। आपने अपने उत्तर में भी कहा था कि स्थायी समाधान के लिए बिहार में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इस विषय पर चर्चा समाप्त हो चुकी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: बिहार के साथ अन्याय मत करिए। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, हमारी बात भी सुनी जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री राम कृपाल यादव बिजली की स्थिति पर अपना भाषण जारी रखेंगे।

इससे पहले, यदि सभा सहमत है तो सभा का समय बढ़ाया जा सकता है।

...*(व्यवधान)*

सायं 6.00 बजे

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: हमारे साथ अन्याय किया गया है। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार को कुछ नहीं मिला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): हमें चर्चा आज ही समाप्त करनी है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने चर्चा को शाम 7 बजे तक जारी रखने का निर्णय किया है।

श्री अनिल बसु: नहीं।

सायं 6.01 बजे

(इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

श्री विजय हान्डिक: माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के बाद चर्चा आज समाप्त हो जाएगी।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बिजली पर चर्चा जारी रहेगी। श्री राम कृपाल यादव अपना भाषण जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

सायं 6.02 बजे

(इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय: व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु: महोदय सभा का मूड सभा की कार्यवाई को कल तक के लिए स्थगित करने का है। ...*(व्यवधान)*

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा? बिजली पर चर्चा के लिए सभा का समय एक घंटे बढ़ाया जा सकता है ताकि कल अपराह्न 2.00 बजे तक उत्तर दिया जा सके। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री राम कृपाल यादव, अपना भाषण जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री राम कृपाल यादव अपना भाषण जारी रखेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: 115 करोड़ रुपये दिये और 85 करोड़ रुपये अनाज के नाम पर वापस ले लिए। इस तरह से बिहार के साथ केन्द्र की सरकार ने न्याय नहीं किया। बिहार के साथ अन्याय किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: आप इसमें राजनीति कर रहे हैं। इससे आपको सहायता नहीं मिलेगी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां तक खाद्यान्नों के मूल्य का संबंध है, हम इस पर ध्यान देंगे। इसके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्न का मूल्य नहीं दिया जाता, यह एनसीसीएफ द्वारा दिया जाता है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: गृह मंत्री जी, मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, आपने अपने जवाब में स्पष्ट कहा है कि बिहार को जो मिलेगा, वह हम तय नहीं करते, दूसरा विभाग प्राइस तय करेगा और वह एन.सी.सी.एफ. में शामिल हो जायेगा। वह पैसा उसी सिस्टम से जाएगा और इसीलिए आपने 115 करोड़ रुपये जो दिए, उसमें से 85 करोड़ रुपये ले लिए, इसका यही तो मतलब हुआ।

श्री शिवराज वि. पाटील: आपने जो कहा, उसको मैंने हां कह दिया। अगर आप नहीं लेना चाहें तो वह आपकी मर्जी है। मैंने यह भी कहा है कि यह जो प्राइस है इसको हम देखेंगे।

...*(व्यवधान)* गोदाम में सड़ने की बजाए कैसे आपको दिया जाए, इसको देखेंगे। इसके बाद भी अगर आप कहना चाहते हैं कि आपकी ताकत अनाज लेने की नहीं है तो आपकी मर्जी है। ...*(व्यवधान)* मैंने कहा है सीआरएफ और सीआरएफ के प्राइस हम देते हैं, स्टेट प्राइस नहीं देती है। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सीआरएफ, एनसीसीएफ से और योजना आयोग से कितना पैसा बिहार को दिया गया, यह बताएं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब मैं, देश में बिजली की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 193 के अधीन चर्चा के संबंध में बोलने के लिए श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु का नाम पुकारता हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: सर, हमने जो सवाल पूछा था, उसका उत्तर हमें अभी तक नहीं मिला। बोडोलैंड के 200 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हुए हैं, उनके लिए हिन्दुस्तान की सरकार क्या कर रही है। ...*(व्यवधान)* उसके लिए हिन्दुस्तान की सरकार की तरफ से कितना पैसा दिया गया ...*(व्यवधान)* आदमी कैसे जिंदा रहेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री राम कृपाल यादव, मैंने कई बार आपका नाम पुकारा था लेकिन आप नहीं बोले। इसलिए, अब, मैंने श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु का नाम पुकारा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आरजेडी आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है। ...*(व्यवधान)* बिहार भिखमंगा नहीं है, हम आपके पैसे के मोहताज नहीं हैं। बिहार की समस्या का स्थायी समाधान कीजिए। ...*(व्यवधान)* 10 साल, 20 साल, कितना समय लगेगा? आपकी लांगटर्म पॉलिसी क्या है? हम बिहार के हित के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। बाढ़-पीड़ितों की समस्या के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)* हम आपके जवाब का प्रतिकार कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* हम बिहार के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आप जवाब सही नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सायं 6.08 बजे

(इस समय डा. अरुण कुमार शर्मा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: एक तरफ 115 करोड़ रुपये दे रहे हैं और दूसरे हाथ से 85 करोड़ रुपये ले रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: हमें पैसा नहीं चाहिए। हम केन्द्र सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं ...*(व्यवधान)* हम पांच बार से एम.पी. रहे हैं। एमपी गुस्सा कर सकता है, लेकिन मिनिस्टर को गुस्सा नहीं आना चाहिए।

श्री राम कृपाल यादव: बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, हम सभा-पटल पर दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* हम माननीय गृह मंत्री को इस प्रकार के व्यवहार को सहन नहीं करेंगे ...*(व्यवधान)* सभा में पहली बार ऐसा हुआ है ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सायं 6.09 बजे

(इस समय डा. अरुण कुमार शर्मा और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए)

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': इसके बारे में स्थायी समाधान होना चाहिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: हमने पहले भी संसद का घेराव किया था और अब फिर बाढ़-पीड़ितों को बुलाकर संसद का घेराव करेंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं यह कहने जा रहा था कि जो अनाज दिया जाता है, उसका पैसा सीआरएफ और एनसीसीएफ से लिया जाता है। ...*(व्यवधान)* आप शांति से सुनिए। दूसरी बात मैंने यह कही, जो शायद आपने नहीं सुनी, वह यह है कि यदि हमारा गोडाउन में अनाज सड़ता है तो हम महंगा क्यों देंगे? लेकिन इसका फैसला होम मिनिस्ट्री नहीं करती है, फूड मिनिस्ट्री करती है, वही करेगी। तीसरी बात यह थी कि इसे मार्किट प्राइस पर देंगे या बी.पी.एल. पर देंगे या बिना पैसा लिए देंगे या सीआरएफ से लेंगे? हम इसके ऊपर सोचेंगे। इतना कहने के बाद यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं क्या कहूं जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: समस्या का समाधान नहीं हुआ इसलिए स्पीकर साहब ने नियम 193 के तहत इस पर चर्चा कराने के लिए एलाऊ किया। ऐसे समय में सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी थी। सभी संबंधित मंत्री यहां आते और सभी प्वाइंट्स पर क्लैरिफिकेशन देते। यह जवाब बिल्कुल अधूरा है। इसमें संशोधन करना चाहिए।

श्री सुशील कुमार मोदी: आपने 125 करोड़ रुपये दिए। आप अनाज के नाम पर पैसे काटेंगे। यदि काटेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि वह पैसा बिहार को नहीं मिला। आपको पांच लाख मीट्रिक टन मुफ्त अनाज देना चाहिए जिसके बदले में केन्द्र सरकार कोई पैसा न ले। अनाज के भंडार भरे पड़े हैं जहां अनाज सड़ रहा है। अगर आप एनसीएफ से पैसा काटेंगे तो क्या फायदा हुआ। हमारी मांग है कि बिहार को जितना अनाज चाहिए वह अनाज बिना पैसे के दिया जाए। एनसीसीएफ से न काटा जाए।

श्री शिवराज वि. पाटील: आप सही कह रहे हैं। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। मेरी बात शांति से सुनें। आपको सब बात पता चल जाएगी। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आप मार्किट प्राइस से ले रहे हैं या बीपीएल प्राइस से ले रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी: हमें मुफ्त अनाज चाहिए।

श्री शिवराज वि. पाटील: आपने जो कुछ कहा, क्या आप उसका जवाब सुनना नहीं चाहते हैं? क्या आपको केवल बोलने का अधिकार है? उनका कहना था कि मार्किट प्राइस से देंगे, बीपीएल प्राइस से देंगे? मैंने इस बात का विरोध नहीं किया है। क्या भाषण देते समय डिसिजन लिया जाता है। ऐसे डिसिजन कैबिनेट में लिये जाते हैं। आप सब मंत्रिमंडल में रहे हैं। मैंने यह भी कहा कि बीपीएल पर क्यों होगा, अनाज सड़ रहा है और यदि सड़ रहा अनाज लोगों के मुंह में जाता है तो बुरी बात नहीं है। मैं आपसे एक कदम आगे रहा हूं। क्या आप समझते हैं कि केवल एक मंत्री पूरे कैबिनेट की ओर से जवाब दे सकता है? ऐसा नहीं होता है। आपने जो बात कही, मैंने उसका जवाब दिया लेकिन आपने उसे ध्यान से नहीं सुना और उत्तेजित हो गए। इसका क्या फायदा है?

सायं 6.13 बजे

[**श्री अर्जुन सेठी** *पीठासीन हुए*]

आपने बाढ़ का परमानैंट सॉल्यूशन निकालने की बात कही। इसका परमानैंट सॉल्यूशन यह है कि डैम बनाए जाएं। असम में डैम बनने के लिए कार्रवाई शुरू हुई लेकिन कुछ लोग कोर्ट चले गए जिससे काम बंद है। इसका दूसरा परमानैंट सॉल्यूशन यह है कि रिवर लिंकेज करें लेकिन यह प्रश्न इतना बड़ा है कि उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं हो सकता। इसके बाद कोई स्टेट कहती है कि मेरी स्टेट का पानी उधर है जिसे हल करना है। तीसरी बात ड्रेनेज का काम है। ड्रेनेज का काम कुछ तरीके से गंगा की स्वच्छता से जुड़ा मामला है। इसके लिए जो पैसा रखा गया है, वह ज्यादा नहीं है। सिल्टिंग निकालने का जो काम है, वह बहुत ज्यादा नहीं हो पाया है। चौथी बात यह है कि फ्लड से नुकसान न हो, इसके लिए मैट्रोलॉजिकल इनफार्मेशन देने की बात है। इसकी भी यहां चर्चा हो गई। मैं शायद ये सब बातें हिन्दी में बोलता ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': यह नेपाल के साथ जुड़ा मामला है जो पॉलिटिकल लैवल पर आपकी सरकार को तय करना है। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: आप बैठिए। बार-बार उठने से मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। आपकी बात सही है। मैं खुद नेपाल गया था और नेपाल की सरकार से बात की थी।

मैं आज नहीं, 20 साल पहले नेपाल गया था मगर नेपाल सरकार तैयार नहीं होती तो क्या किया जाये? जब एक प्रान्त का दूसरे प्रान्त के साथ पानी के मामले में मतभेद हैं और जब

हिन्दुस्तान तथा नेपाल की सरकार की बात हो तो नेपाल की सरकार को तैयार होना चाहिए लेकिन वह तैयार नहीं है। नेपाल सरकार के मन में शंकाएं हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः लेकिन जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट बनना था?

श्री शिवराज वि. पाटीलः यह इरिगेशन मिनिस्टर बतायें, मैं नहीं बता सकता।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः जब इस मसले पर बहस हो रही थी तो सभी मिनिस्टर्स को रहना चाहिए था।

श्री शिवराज वि. पाटीलः सारी कैबिनेट यहां नहीं बैठ सकती।

प्रो. राम गोपाल यादवः सभापति महोदय, होम मिनिस्टर ऐसे नहीं कह सकते जब एक मंत्री बोलता है तो यह मानना चाहिए कि वह सरकार की ओर से बोल रहा है। जब वे पूरे हाउस में जवाब दे रहे हैं। आपको प्रत्येक मंत्रालय की ओर से उत्तर देना ही होगा। मुझे पहली बार पता चला है कि केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राहत, राहत नहीं है। जब एक जानवर सड़ा हुआ अनाज नहीं खा सकता तो क्यों नहीं हम निजी गोदाम से पैसे देकर अनाज खरीद कर खा सकते? क्या केन्द्र सरकार का अहसान है? ऐसा मैं पहली बार सुन रहा हूं। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या मुफ्त अनाज दिया जायेगा?

श्री शिवराज वि. पाटीलः आप इसका अर्थ गलत न निकालें। अगर आपको ऐसा लगता है कि गोदाम में जो अनाज है, वह नहीं लेना है और केवल आपको पैसा चाहिए तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है, मगर हमारे पास गोदाम में अनाज है।

[अनुवाद]

प्रो. राम गोपाल यादवः यह मुफ्त होनी चाहिए। सहायता का अर्थ है मुफ्त।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटीलः आप उन्हें बता सकते हैं। ...*(व्यवधान)* अगर आप मेरे कहे हुये हर वाक्य पर खड़े हो जायेंगे तो कैसे चलेगा? मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि यहां पूछा गया। आप लोग बी.पी.एल. की कीमत पर अनाज मांग रहे थे, यह बिहार के लोगों ने पूछा है, आप उनसे पूछिए। ...*(व्यवधान)* यह न आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है, न स्टेट गवर्नमेंट की प्रतिष्ठा का सवाल है, न सैंट्रल गवर्नमेंट की प्रतिष्ठा का सवाल है और न मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। यह लोगों की दिक्कत का सवाल है। सरकार की ओर से उसका मन खुला हुआ है। आप जितना बोल रहे हैं, मैंने पहले ही कह दिया है कि सारी बातों का जवाब मैं नहीं दे सकता। मगर आप लोगों ने जितना कहा है, उसे ध्यान में रखकर हम पौलिसी बनायेंगे। क्या एक मिनिस्टर पालिसी के बारे में स्टेटमेंट कर सकता है कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हम केवल कैबिनेट में आपकी बातों को ध्यान में रखकर पौलिसी बनाकर आपकी मदद कर सकते हैं, मगर आप इस तरह से बात कहें, उसका क्या फायदा है? आपने जो बातें कहीं, उन्हें मैंने ध्यान में रखा है।

श्री सुशील कुमार मोदीः सभापति महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि यहां सदन के सभी माननीय सदस्यों की एक ही भावा है कि जो अनाज दिया गया है, न वह बी.पी.एल. में न मार्किट के रेट पर बल्कि वह मुफ्त दिया जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया मेरी बात सुनें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदीः आप मंत्रिमंडल में इस पर विचार करें कि बिना पैसे लिये अनाज दिया जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः हम इस संबंध में पहले ही बहुत चर्चा कर चुके हैं। सदस्यों ने पहले ही अपने विचार रख दिए हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः सभापति जी, हमारे जीने-मरने का सवाल है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः मंत्री महोदय, क्या आप इन सदस्यों की बैठक बुलाकर इस पर चर्चा नहीं कर सकते?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः चर्चा पहले ही समाप्त हो चुकी है। यदि सदस्य अब भी असंतुष्ट हैं तो मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे संबंधित सभी सदस्यों से अपने चेम्बर में या कहीं और व्यक्तिगत रूप से पृथक-पृथक चर्चा करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः यदि इसी प्रकार की चर्चा जारी रही तो इसका अंत नहीं होगा।

श्री शिवराज वि. पाटीलः महोदय, मैं इससे सहमत हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मंत्री महोदय के चैम्बर में चर्चा करना बेहतर है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब हम अगले विषय को ले सकते हैं। श्री राम कृपाल यादव।

...*(व्यवधान)*

डा. अरुण कुमार शर्माः महोदय, असम के तीन माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाए हैं और माननीय मंत्री महोदय ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः हमने इस विषय पर काफी चर्चा की थी। माननीय सदस्यों ने एक बार से अधिक बार अपने विचार व्यक्त किए हैं। कृपया, बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारीः उन्हें हमारे प्रश्नों के भी उत्तर देने चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मानीय मंत्री महोदय आपको लिखकर उत्तर दे सकते हैं।

सायं 6.20 बजे

(इस समय श्री सनछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

सभापति महोदयः कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

सायं 6.21 बजे

(इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी अपने स्थान पर वापस चले गए)

[हिन्दी]

श्री सीताराम सिंह (शिवहर): यह परमानैन्ट सोल्यूशन पर बोलेंगे, अस्थायी सोल्यूशन पर नहीं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटीलः महोदय, मैं माननीय सदस्यों की पीड़ा को महसूस कर सकता हूं। वास्तव में, मैंने असम और बिहार संबंधी प्रश्नों के अधिक उत्तर दिए हैं और यदि फिर भी वे कुछ अधिक सूचना चाहते हैं तो मैं उन्हें सूचना दे दूंगा, यदि वे गलियारे अथवा मेरे चैम्बर में आएं। यदि आप मुझे समय दें तो मैं सभी प्रश्नों के उत्तर सभा में भी दे सकता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप उन्हें लिखकर उत्तर दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मैंने माननीय मंत्री महोदय को आपके प्रश्नों के संबंध में लिखने का सुझाव दिया है। हर बात पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती।

...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसुः महोदय, जल संसाधन के राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। उन्हें जरूर कुछ बोलना चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): जी हां, महोदय।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो): पचास वर्ष तक परमानैन्ट सोल्यूशन नहीं किया, अब क्या करेंगे?

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब उनकी बात सुनने दीजिए। वह स्थायी समाधान के बारे में बोलेंगे?

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादवः सभापति महोदय, बाढ़ और सुखाड़ की समस्या से निजात पाने पर चर्चा चल रही है और इसका क्या हल हो सकता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। वह आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। माननीय मंत्री महोदय बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: सभापति महोदय, एन.डी.ए. ने यह स्टैंड लिया हुआ है जो दागी मंत्री हैं, उनका हम बहिष्कार करेंगे। श्री जय प्रकाश नारायण यादव के ऊपर भी भ्रष्टाचार का मुकदमा है, इसलिए हम लोग सदन का बहिष्कार करते हैं।

सायं 6.23 बजे

(तत्पश्चात् श्री सुशील कुमार मोदी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने विस्तार से बाढ़ और सुखाड़ के विषय पर चर्चा में बताया कि सरकार किन-किन कामों के माध्यम से बाढ़ से बचाव करने का काम करेगी और कैसे सुखाड़ की समस्या का निदान करने का काम करेगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। उन्हें उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: श्री रामकृपाल यादव, श्री सीताराम सिंह तथा अन्य माननीय सांसदों ने जो सवाल यहां उठाये हैं कि बाढ़ का स्थायी निदान क्या हो सकता है। बाढ़ बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक राष्ट्रीय समस्या है और यह अंतरराष्ट्रीय समस्या भी है। इसके हल के लिए बड़े ही सुविचारित ढंग से नेपाल से समन्वय और वार्ता करके बेहतर प्रयास किये जा रहे हैं। इसके कुछ नतीजे भी सामने आये हैं। यह यू.पी.ए. सरकार की विक्ट्री है। लगातार प्रयास हो, इसके लिए चर्चा होती रहे। लेकिन कभी भी इसका ख्याल नहीं किया गया। जो बाढ़ की विनाशकारी लीला पूरे इलाके को बरबाद करते हुए समुद्र में चली जाती थी। आज 17 तारीख है, आज यू.पी.ए. सरकार की विक्ट्री है, क्योंकि नेपाल में कोसी, सप्तकोसी और सनकोसी के ऊपर हाई डैम बने, इसके लिए 30 करोड़ रुपये की स्वीकृति सरकार ने दी है और हमारे अधिकारी नेपाल पहुंच गये हैं और नेपाल में सप्तकोसी पर हाई डैम बनाने के लिए आज हमारा कार्यालय खुल गया है। इसी ढंग से कमला और बागमती में ज्यादा पानी आया और एक दिन में नियाजगढ़, जो नेपाल का इलाका है, वहां 440 मिलीमीटर वर्षा हुई और भयावह तथा प्रलयंकारी दृश्य उपस्थित किया। हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि कैसे हम नेपाल से वार्ता करके, समन्वय स्थापित करके गंडक, कमला, बागमती और अदवारा समूह को समेटकर इसके ऊपर हाई डैम बनाने की चर्चा करें।

इसके लिए भी विस्तार से विचार-विमर्श चल रहा है। समस्या का स्थायी समाधान हो, इसके लिए हाई डैम ही एक उपाय है क्योंकि सारी नदियां नेपाल से आती हैं। साथ-साथ जो कमला और बागमती नदियां हैं, कैसे उनको जोड़कर पानी को गंगा में ले जाने का काम करें यह भी स्थायी निदान है। इसके साथ-साथ रेजिंग, इरोजन और एम्बैम्कमैंट की मरम्मत के लिए 294 करोड़ रुपये गंडक बेसिन की सफाई के लिए, गाद निकालने के लिए दिये गये हैं। आगे भी अन्य ऐसी योजनाएं हैं उस पर 2-3 तारीख को विज्ञान भवन में मीटिंग हुई और सारे चीफ सैक्रेटरी और इरिगेशन सैक्रेटरी को बुलाया गया। उसका कार्यालय जल्दी खोला जाएगा। उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसी योजनाओं पर अमल करने के लिए वार्ता के लिए वातावरण का निर्माण किया जा रहा है।

इसके साथ-साथ असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल का जो इलाका बाढ़ से प्रभावित है, जहां ब्रम्हपुत्र से पानी आता है और उससे बरबादी होती है, उसके लिए भी गंभीरता से विचार हो रहा है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: भूटान सरकार के साथ भूटान से निकलने वाली नदियों के ऊपर विभिन्न प्रकार की योजना शुरू करने के मुद्दे पर क्या बातचीत चल रही है?

श्री जयप्रकाश नारायण यादव: प्रधान मंत्री जी जब असम और बिहार के दौरे पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी कि कैसे इसका इंतजाम हो। वह कमेटी रिपोर्ट देगी। उसके बाद उस पर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। बाढ़ का सवाल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है इसलिए इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसके साथ-साथ हमें तात्कालिक और दूरगामी राहत के उपाय करने होंगे। अभी तात्कालिक राहत के कार्यों में हम देख रहे हैं कि जो एम्बैंकमैंट टूटे हैं, कैसे उनको जोड़ा जाए। यानी बाढ़ का मैनेजमेंट हम करेंगे तो सुखाड़ का भी मैनेजमेंट होगा। ये दोनों विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेपाल से वार्ता और आपसी सहमति से सप्तकोशी पर डैम का डीपीआर बनाने की स्वीकृति दी गयी है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: वह कब तक तैयार होगी? कुछ समय तो बताइए।

श्री जयप्रकाश नारायण यादव: नेपाल के सप्तकोशी पर हाई डैम बने—इस कार्य के लिए 30 महीने में डीटेल्ड प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद आगे कार्यवाही होगी। इसका कार्यालय बनाने के लिए हमारे अधिकारी वहां गए हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: बिहार के बारे में बात रहे हैं लेकिन बोडोलैन्ड अंचल और असम की जो नदियां हैं, उन पर प्रकल्प बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताएं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: देश का कोई भी राज्य बाढ़ प्रभावित है या सुखाड़ प्रभावित, समेकित रूप से देखते हुए सबका स्थायी निदान करने का प्रयास किया जायेगा। बाढ़ और सुखाड़ दोनों विनाश और प्रलय लाते हैं और देश में भयावह स्थिति पैदा करते हैं। इसलिए दोनों पर विचार करके देखेंगे कि सूखे इलाकों में भी पानी का बेहतर प्रबंधन कैसे हो। अगर चैक डैम, डैम बनें, नहरों की सफाई हो तो पानी का बेहतर प्रबंधन होगा। भूजल का भी बेहतर प्रबंधन करना होगा। तालाब, पॉन्ड्ज, लिफ्ट इर्रिगेशन और दूसरी योजनाओं को पूरा करके बेहतर तरीके से सुखाड़ के क्षेत्रों में पानी पहुंचाकर हम खेतों को सिंचित कर सकेंगे।

महोदय, किसान इस देश की रीढ़ है। किसानों को सुविधा देना और उन्हें उचित साधन मुहैया करना हमारा फर्ज और कर्त्तव्य है। इसलिए बाढ़ और सुखाड़ का निदान स्थायी रूप से करना हमारा धर्म है। हम राज्य सरकारों से बात करके और समन्वय करके बेहतर तरीके से इस पर विचार करके काम करेंगे और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु: महोदय, इसमें आपका भी योगदान है।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, असम के हमारे कुछ मित्रों ने प्रश्न रखे हैं। उन्होंने अपने प्रश्न लिखित में दिए हैं। इसलिए मैं, अनेक प्रश्नों का भी उत्तर देना चाहूंगा।

इन प्रश्नों में से उनका एक प्रश्न 6 करोड़ रुपये की मांग के बारे में है। मैंने उन्हें धनराशि आबंटन किये जाने की प्रक्रिया के बारे में समझा दिया है। मैं इस बारे में जांच करूंगा कि इसे सी.आर.एफ. या एन.सी.सी.एफ. योजना एवं अन्य किसी माध्यम से दिया जा सकता है। हम इस बारे में जांच करेंगे कि क्या किया जा सकता है।

दूसरा प्रश्न आपदा प्रबंधन के बारे में है तथा क्या इसमें सुधार किया जा सकता है या नहीं। हां, इसमें सुधार किया जा सकता है।

डा. अरुण कुमार शर्मा: बाढ़ सम्भावित जिला मुख्यालयों में, एक आपदा प्रबंधन दल की व्यवस्था की जाए। यह इसलिए कि प्रत्येक राहतकर्त्ता दिल्ली से हेलीकॉप्टर से नहीं आ सकता है।

श्री शिवराज वि. पाटील: इस बिन्दु को मैं स्पष्ट करूंगा। आपदा प्रबंधन मुख्यत: राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अब, केन्द्रीय सरकार उनकी सहायता कर रही है। वस्तुत:, हमने सभी राज्यों से लोगों की सहायता के लिए मशीनरी सृजित करने को कहा है। उन्हें नीतियां बनानी होंगी। उन्हें कानून बनाने होंगे एवं लोगों की सहायता के लिए विशेषकर तंत्र बनाना होगा। उन्हें इस प्रयोजनार्थ धनराशि की व्यवस्था करनी होगी एवं उन्हें संचार प्रणाली की व्यवस्था करनी ही होगी। उन्हें सूचनाएं एकत्र करनी होंगी एवं नेटवर्क पर डालनी होंगी ...*(व्यवधान)* तब उन्हें सूचनाएं उपलब्ध होंगी। मेरे मित्र जानना चाहते हैं कि इन सभी प्रयोजनार्थ हम क्या कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से जोड़ने के लिए वही कर रहे हैं। राज्य सरकारों द्वारा इस एजेंसी के सृजन के बाद, ये जिला स्तर पर जाएंगी ...*(व्यवधान)* केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को मदद देगी एवं राज्य सरकारें जिला एवं जिला स्तर से नीचे भी मदद करेंगी। आपदा प्रबंधन की यह धारणा पूर्णत: नयी है। हम इसे कार्यान्वित कर रहे हैं एवं नीतियां, नियम, मशीनरी तथा संचार सुविधाएं सृजित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका सुझाव बहुत अच्छा सुझाव है। जिला योजना, जिला आपदा प्रबंधन एवं जिला कार्यान्वयन करना ही पड़ेगा। कुछ राज्यों में, जिला योजना प्रारम्भ हो चुकी है परन्तु जिला आपदा प्रबंधन प्रारम्भ नहीं हुआ है। हम इसे राज्य सरकारों पर छोड़ रहे हैं। इसे राज्य सरकार की एजेंसियों के जरिए करना होगा। इस स्तर से हम धनराशि उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रहे हैं। हम अनाज उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रहे हैं एवं हम वायुयान, औषधियां एवं मौसम संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराकर मदद कर रहे हैं। हम संचार प्रणाली से उनकी मदद कर रहे हैं। इसकी व्यवस्था उन्हें करनी ही होगी।

आपका विचार एक अच्छा विचार है। हमने राज्य सरकारों को भी यह सुझाव दिया है। अब तक, हम राज्य स्तर तब मदद पहुंचा चुके हैं एवं राज्य स्तर के नीचे हमें जिला स्तर तक मदद पहुंचानी होगी एवं उसे कार्यान्वित करना होगा।

बोडोलैण्ड के मेरे मित्र बोडोलैण्ड में रहने वाले लोगों के बारे में एवं उनके साथ हो रहे भेदभाव के बारे में चिंतित हैं। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो हम अवश्य इसकी जांच कराएंगे। हमारे पास एक मानिटरिंग एजेंसी है। यह मॉनिटरिंग एजेंसी राज्य सरकार के पास भी जा सकती है एवं बोडोलैण्ड में भी जा सकती है और यह पता कर सकती है यहां रह रहे लोगों को अन्य लोगों की तुलना में कम अनाज दिया गया। यदि ऐसी बात हो रही है एवं यह सच है, तो हम सुधारात्मक कदम उठा सकते हैं।

अब, हमारे लिए इन सभी के बारे में स्पष्ट करना सम्भव नहीं है क्योंकि यदि मुझे प्रत्येक बिन्दु स्पष्ट करना होगा तो यह बहुत मुश्किल है। आपने बहुत सी अच्छी बातें कहीं हैं और वस्तुतः आप सभी ने अच्छी बातें कहीं हैं। हमने उन्हें नोट कर लिया है। इसका रिकॉर्ड हमारे पास है एवं हम इन पर कार्रवाई करेंगे ...(*व्यवधान*)

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, मुझे एक बात पूछनी है।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी ने हर बात को विस्तार में स्पष्ट कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: सभापति महोदय, मेरे एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। मेरे दो असेम्बली सैगमेंट, सभौंग और भवानीपुर, ऐसे सैगमेंट्स हैं, जिनमें 200 से ज्यादा गांव आज तक भी पानी में डूबे हुए हैं। उसका कारण बेकी नदी है जो भूटान से निकलती है। उसने क्या किया जरा सोचिए। उसका जो ओरिजिनल कोर्स था, उसे छोड़ कर लेफ्ट बैंक में दूसरा कोर्स क्रियेट किया। उस नये कोर्स से सारा पानी पूर्व की तरफ जा रहा है और उससे 500 से अधिक गांवों को बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए उन गांवों को बचाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, इस बारे में मैं आपसे जवाब चाहता हूं? रिलीफ देने में डिसक्रिमिनेशन हुआ है, असम सरकार ने डेकलेरेशन दिया है, एक आदमी को एक दिन में 600 ग्राम अनाज देने के लिए कहा, लेकिन तीन-चार दिन के बाद 600 ग्राम की जगह कहीं पर सिर्फ 300 और कहीं पर सिर्फ 200 ग्राम ही दिया गया।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: इनकी सन्तुष्टि के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इसे नोट कर लिया है। यदि उनके पास और कोई सूचना है, तो वे इसे मुझे दे सकते हैं। मैं राज्य सरकार से बात करूंगा एवं यथासम्भव सीमा तक मैं उनकी मदद करूंगा।

जहां तक भेदभाव की बात है, इसकी जांच करने के लिए हमारे पास मशीनरी है एवं हम मशीनरी को इसे देखने एवं जांच करने के लिए कहेंगे। जो नाम आपने बताएं हैं, वे मुझसे निजी तौर पर बात कर सकते हैं एवं मैं इसे करवा दूंगा। मैं राज्य की मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दूंगा।

सायं 6.30 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

(एक) देश में बिजली की कमी से उत्पन्न स्थिति-*जारी*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय श्री प्रबोध पाण्डा के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज नियम 193 में महत्वपूर्ण विषय पर, बिजली के संबंध में जो संकट है, उसे चर्चा में लाने का काम किया है। बिजली के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिजली की महत्ता है, खास तौर पर भारत जैसे गरीब देश में बिजली के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर बेरोजगारी दूर करनी है तो बिजली की आवश्यकता है। बाढ़ और सुखाड़ से अगर हमें अपने आपको और देश को उबारना है तो हमें बिजली की आवश्यकता है। देस का उत्थान करना है तो बिजली की आवश्यकता है, एक-एक इंच पर बिजली की उपयोगिता एवं महत्ता है। एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है।

महोदय, आज कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी भावना रखने का काम किया है और कई महत्वपूर्ण सुझाव माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से दिए हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब बिजली की महत्ता है तो बिजली की उत्पादन क्षमता होनी चाहिए, अधिक से अधिक बिजली उत्पादन पर हमें विचार करना चाहिए। मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में यह तय किया कि हमें 46,000 मेगावाट उत्पादन करना है। आपने उत्पादन का लक्ष्य 46,000 मेगावाट रखा, वह घटते-घटते नौवीं पंचवर्षीय योजना में 20,000 मेगावाट हो गया। आप टारगेट 46,000 मेगावाट रख रहे हैं और उत्पादन की क्षमता 20,000 मेगावाट कर रहे हैं। आपने दसवीं पंचवर्षीय योजना में, जैसाकि माननीय श्री राम गोपाल यादव ने बताया, आप टारगेट लगभग 45,000 रख रहे हैं, अब आप इसमें लक्ष्य प्राप्ति कितनी करेंगे? श्री राम गोपाल यादव ने बताया कि आपने जो टारगेट दो वर्ष में एचीव किया है वह लगभग सात हजार मेगावाट है। आप देश में बिजली की उपयोगिता का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। उससे बहुत कम अगर आप बिजली का उत्पादन कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि आपने ध्यान रखने का काम किया है कि हम गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, आपका यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है और देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं खासतौर पर विद्युत उत्पादन के बारे में कहना चाहता हूं, आप कितनी क्षमता इसमें लगाते हैं, ट्रांसमिशन में कितनी अपनी क्षमता लगाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी क्षमता लगाते हैं। ये तीन क्षेत्र हैं। आप विद्युत उत्पादन कितना

[श्री राम कृपाल यादव]

करते हैं, विद्युत उत्पादन के बाद ट्रांसमिशन से कितनी बिजली ले जाते हैं और उपभोक्ता के पास कितनी बिजली पहुंचाते हैं। अगर आप नीति निर्धारित करने का काम नहीं करेंगे तो जो गांव के गरीब तक, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का सपना है, इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। माननीय मंत्री जी, आपने कहा है कि मैं 2009 तक 7.8 करोड़ ग्रामीणों के पास बिजली ले जाने का काम करूंगा। आपने यहा पर लक्ष्य दिखाया है कि देश के कुल 5,87,258 गांवों में से आपने 5,14,545 गांवों तक बिजली पहुंचा दी है, लेकिन लगता है कि यह सिर्फ कागजी आंकड़ा है।

सभापति जी, आप भी गांव से आते हैं, उड़ीसा के इण्टीरियर इलाके से आते हैं, जहां देहात मे गरीब लोग रहते हैं। ऐसे गरीब प्रदेशों मे झारखण्ड का जो इलाका है, उसमे 90 से 95 प्रतिशत गांवों में बिजली नहीं जा सकी है। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों के गांवों में 80 से 85 प्रतिशत गांवो में बिजली नहीं पहुंच पाई है। आज हम कहते हैं कि हम गांवो का सपना पूरा करेंगे। अगर 57 साल की आजादी के बाद भी गांव के गरीब तक बिजली पहुंचाने का काम हमने नहीं किया तो 57 साल की आजादी बेकार सी लगती है। ऐसा लगता है कि आजादी गांवों के लोगों तक नहीं पहुंच पाई है और जो सपना हमारे पुरखों ने देखा था और अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को आजाद कराया था, वहां तक उनका सपना पूरा नहीं हो सका है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, आप गांव के गरीब का सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। आजादी का जो मूल उद्देश्य था, वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका है। किन्हीं खास लोगों तक आजादी आ गई है, लेकिन गांव के गरीबों तक हम आजादी नहीं पहुंचा सके हैं।

मैं खास तौर पर ग्रामीण विद्युतीकरण की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, यह सहज उपाय है, कई माननीय सदस्यों ने हाईडिल के बारे मे चर्चा की है। ताप विद्युत उत्पादन की जो वर्तमान व्यवस्था है, आज हम ताप विद्युत उत्पादन के माध्यम से यहां राम गोपाल यादव जी ने ठीक कहा है कि उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, वहीं उत्पादन लागत भी करीब तीन रुपये यूनिट लग रही है। अगर हम हाइडिल से बिजली का उत्पादन करेंगे तो मात्र 25 पैसे प्रति यूटिन पर आपको बिजली उपलब्ध होगी और भारत जैसे गांव के गरीबों के लिए उससे सहूलियत होगी, यह मैं बताना चाहता हूं। मंत्री जी, आप क्यों नहीं इस पर विचार करते? यू.पी.ए. सरकार का कमिटमेंट भी है कि गांव और गरीब तक हम बिजली ले जाएंगे। उसके लिए क्या कोई कार्रवाई आपने की है? माननीय प्रधान मंत्री जी की भी सोच है कि हम गांव-गांव तक, गरीब किसानों तक बिजली ले जाने का काम करेंगे। वह सिर्फ भाषण करने से नहीं होता है। उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। खास तौर से हाईडल से उत्पादित क्षमता वाली बिजली की तरफ आप अपना ध्यान आकर्षित करके उस पर पैसा इन्वेस्टमैंट करने का काम करें।

इस संबंध में मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तर भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां बहुत बड़े पैमाने पर पानी निकलता है यानी बाढ़ आती है। अभी बाढ़ पर चर्चा हो रही थी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: सभापति महोदय, आर.जे.डी. की तरफ से बोलने वाला मैं पहला वक्ता हूं। आप मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त नहीं कर सकता इसलिए आप मुझे पांच मिनट दीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है, आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए। अभी इस विषय पर बहुत माननीय सदस्यों ने बोलना है। अगर इस तरह से सभी माननीय सदस्य टाइम लेंगे तो बहुत समय हो जायेगा। इसलिए आप संक्षेप में बोलिये।

....*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है इसलिए इस पर जितना भी समय लगे, वह आप दीजिए और सभी माननीय सदस्यों को एकमोडेट कीजिए। उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, हिमाचल आदि हिमालय से लगे हुए जितने राज्य हैं, उनमें व्यापक पैमाने पर पानी की उपलब्धता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप वहां हाईडल क्यों नहीं लगाते, जल विद्युत परियोजना क्यों नहीं पैदा करना चाहते? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप वह पैसा उपलब्ध कराइये। इसके साथ-साथ नेपाल से जो नदियां हमारे यहां आती हैं। ...*(व्यवधान)*

प्रो. राम गोपाल यादव: सभापति महोदय, सदन में कोरम का अभाव है। जब ट्रेजरी बेंचिस पर कोई बैठना पसंद नहीं करता तो कोरम के अभाव में सदन क्यों चले? ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, दो बड़ी पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी के लायक दोस्त माननीय मंत्री जी की मजबूरी है क्योंकि यह उनके मंत्रालय से सम्बद्ध विभाग है। श्री जय प्रकाश नारायण हमारे प्रिय मित्र हैं। इन तीन लोगो को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के कोई और सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं। श्री मधुसूदन मिस्त्री जी हमारे साथ बैठे हैं। मुख्य विरोधी पार्टी बीजेपी है। उसके सम्मानित सदस्य भी यहां नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और विषय की गंभीरता को देखते हुए कोरम का अभाव है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हम सायं 7.00 बजे तक कार्यवाही चलाने के लिए सहमत हुए हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: यह ठीक है कि सात बजे तक बैठना डिसाइज हुआ था लेकिन कोरम के अभाव में हम कैसे बैठेंगे? ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, सरकार को चाहिए कि वे कोरम पूरा करके इस पर बहस चलाये। कोरम के बिना हाउस कैसे चल सकता है? ...*(व्यवधान)*

प्रो. राम गोपाल यादव: सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में गणपूर्ति नहीं है।

सायं 6.49 बजे

सभापति महोदय: घंटी बजायी जा रही है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: चूंकि सभा में गणपूर्ति का अभाव है, अब सभा कल 18 अगस्त, 2004 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.53 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 18 अगस्त, 2004/27 श्रावण, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री निखिल कुमार श्री कैलाश बैठा	302
2.	श्री अनन्त नायक	303
3.	श्री अधीर चौधरी श्री उदय सिंह	304
4.	श्री दुष्यंत सिंह श्री सीताराम सिंह	305
5.	श्री निखिल कुमार चौधरी श्री सीताराम सिंह	306
6.	श्रीमती करुणा शुक्ला श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	307
7.	श्री बाडिगा रामकृष्णा	308
8.	श्रीमती निवेदिता माने श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख	309
9.	श्रीमती मनोरमा माधवराज श्री मणी कुमार सुब्बा	310
10.	श्री जुएल ओराम श्री मोहन सिंह	311
11.	श्री राजेन्द्र कुमार श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा	312
12.	श्री के.एस. राव श्री कैलाश मेघवाल	313
13.	श्री शैलेन्द्र कुमार	314
14.	श्री सुरेश चन्देल	315
15.	श्री वी.के. ठुम्मर डा. राजेश मिश्रा	316
16.	श्री हरिभाऊ राठौड़ श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी	317
17.	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर श्री पी. राजेन्द्रन	318
18.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी श्री देवन्द्र प्रसाद यादव	319
19.	श्री प्रबोध पाण्डा श्री किन्जरपु येरननायडु	320
20.	श्री रायापति सांबाशिवा राव	321

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2
आरून रशीद, श्री जे.एम.	2762
आदित्यनाथ, योगी	2895
अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2700, 2736, 2768, 2800, 2888
अहीर, श्री हंसराज जी.	2744
अहमद, श्री अतीक	2856
अप्पादुरई, श्री एम.	2705, 2798
आठवले, श्री रामदास बंडु	2730
बैठा, श्री कैलाश	2794, 2830, 2861
बारड, श्री जसुभाई दानाभाई	2706, 2799, 2895
बर्क. डा. शफीकुर्रहमान	2897
भडाना, श्री अवतार सिंह	2756, 2895
भगोरा, श्री महावीर	2729, 2844
भक्त, श्री मनोरंजन	2748, 2832
भार्गव, श्री गिरधारी लाल	2780
बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	2717
वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	2699
बोस, श्री सुब्रत	2713

1	2
बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर	2716, 2805
चुक्रवर्ती, श्री अजय	2895
चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	2765
चारेनामै, श्री मणि	2686
चटर्जी, श्री सांताश्री	2733
चव्हाण, श्री हरिचंद्र	2691, 2819
चौधरी, श्री निखिल कुमार	2813
चौधरी, श्री पंकज	2741
चौधरी, श्री अधीर	2790, 2809, 2864, 2894
चर्चील, श्री अलीमाऊ	2784
दरबार, श्री छतर सिंह	2836
दासगुप्त, श्री गुरुदास	2834
देव, श्री बिक्रम केशरी	2766, 2846
देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचन्द्र	2691
धोत्रे, श्री संजय	2736
दूबे, डा. चन्द्र शेखर	2707, 2803, 2867, 2885, 2904
गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	2736
गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2736
गमांग, श्री गिरिधर	2708, 2802, 2895
गंगवार, श्री संतोष	2711, 2833, 2878
गाव, श्री तापि	2685, 2828, 2876, 2895
गेहलोत, श्री थावरचन्द	2730, 2751
गोहेन, श्री राजेन	2715, 2857
गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	2758, 2895
गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	2895
गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर	2697
हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	2820

1	2
हसन, श्री मुनव्वर	2764, 2769
हुसैन, श्री अनवर	2710, 2859
जगन्नाथ, डा. एम.	2755, 2839, 2882
जयप्रदा, श्रीमती	2730, 2831
जेना, श्री मोहन	2782
झा, श्री रघुनाथ	2684, 2807, 2865, 1893, 2906
जोशी, श्री कैलाश	2687, 2797
कामत, श्री गुरुदास	2724, 2816, 2830, 2872
करुणाकरन, श्री पी.	2830, 2836, 2895
खैरे, श्री चन्द्रकांत	2703
खां, श्री सुनील	2740, 2826
खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	2830
खन्ना, श्री अविनाश राय	2704
खारवेनथन, श्री एस.के.	2690, 2795, 2830, 2862, 2901
कोल, श्री लालचन्द्र	2761
कोया, श्री पी.पी.	2773, 2850
कृष्ण, श्री विजय	2722, 2834, 2877, 2890, 2904
कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	2763, 2842
कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	2827
माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2817
महाजन, श्री वाई.जी.	2689, 2735
महतो, श्री बीर सिंह	2652
माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2695
महताब, श्री भर्तृहरि	2718
माझी, श्री परसुराम	2698, 2801, 2889
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	2735, 2783, 2834, 2877
माने, श्रीमती निवेदिता	2786, 2815

1	2
मरन्डी, श्री सुदाम	2776, 2852
मेघवाल, श्री कैलाश	2789, 2866, 2900, 2907
मेहता, श्री आलोक कुमार	2745, 2895
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2785
मिश्रा, डा. राजेश	2851
मिस्त्री, श्री मधुसूदन	2767
मोदी, श्री सुशील कुमार	2731
मुकीम, मो.	2738, 2764, 2855
मूर्ति, श्री ए.के.	2693, 2792
मुफ्ती, सुश्री महबूबा	2737, 2821
मुर्मू, श्री हेमलाल	2738
मुर्म, श्री रूपचन्द	2688, 2811
नायक, श्री अनन्त	2810, 2869
निखिल कुमार, श्री	2809, 2868
नीतीश कुमार, श्री	2747, 2831
ओराम, श्री जुएल	2818, 2873, 2896
ओवेसी, श्री असादुद्दीन	2696, 2793, 2814
पंडा, श्री ब्रह्मानन्द	2774
पाण्डा, श्री प्रबोध	2843, 2883
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2754, 2838
परस्ते, श्री दलपत सिंह	2683
पासवान, श्री राम चन्द्र	2787
पटेल, श्री दिन्शा	2759, 2840
पटैरिया, श्रीमती नीता	2723, 2897
पाटील, श्री प्रकाश वी.	2728, 2736, 2808
पिंगले, श्री देविदास	2752, 2835, 2880, 2899
प्रसाद, श्री अनिरुद्ध उर्फ साधु यादव	2732, 2735, 2834, 2877

1	2
प्रसाद, श्री हरिकेवल	2745
पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	2788, 2881
राधाकृष्णन, श्री वरकला	2779, 2854
राई, श्री नकुल दास	2735, 2760, 2829, 2841, 2900
राजेन्द्र कुमार, श्री	2735, 2755, 2820, 2874
रामदास, प्रो. एम.	2727
रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2814, 2871, 2895
राणा, श्री काशीराम	2692, 2738, 2749, 2739
राव, श्री के.एस.	2823, 2875
राव, श्री रायापति सांबासिवा	2719, 2750, 2768, 2847
राव, श्री डी. विट्ठल	2726, 2851
राठौड़, श्री हरिभाऊ	2689, 2895
रावत, श्री धनसिंह .	2844
रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2701
रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2692
साहु, श्री चन्द्रशेखर	2812
सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2768, 2777, 2841
सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	2742
शाहिद, मोहम्मद	2764, 2781, 2856
शैलेन्द्र कुमार, श्री	2824
सन्पथी, श्री तथागत	2845, 2847, 2895
सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2743
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	2692, 2738, 2757, 2840
शाक्य, श्री रघुराज सिंह	2714, 2837
शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	2709, 2770, 2904
शर्मा, श्री मदन लाल	2753
शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	2808, 2879, 2898, 2905

1	2
शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2717
सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2830
सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	2841
सिंह, श्री अजित कुमार	2725
सिंह, श्री बृजभूषण शरण	2738, 2757
सिंह, श्री चन्द्र भूषण	2772, 2883
सिंह, श्री दुष्यंत	2811, 2870
सिंह, श्री गणेश	2702
सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2786
सिंह, श्री मानवेन्द्र	2778, 2853
सिंह, श्री मोहन	2806
सिंह, श्री प्रभुनाथ	2682, 2734, 2796, 2863, 2892
सिंह, श्रीमती प्रतिभा	2771, 2786, 2849, 2887, 2903
सिंह, श्री सीताराम	2822
सिंह, श्री सुग्रीव	2770, 2848, 2879, 2886
सिंह, श्री उदय	2984
सुब्बा, श्री एम.के.	2791, 2860, 2891
सुमन, श्री रामजीलाल	2730

1	2
सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	2746
स्वाईं, श्री खारबेल	2768
स्वामी, श्री जी. वेंकट	2721
ठक्कर, श्रीमती जया बहन बी.	2759, 2851
थामस, श्री पी.सी.	2717, 2858
दुम्मर, श्री वी.के.	2739, 2825
त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2834, 2877
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	2735
वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	2692, 2759, 2775
वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2750
वर्मा, श्री राजेश	2715
वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2720, 2755, 2829, 2877, 2897
वर्मा, श्रीमती ऊषा	2755
विनोद कुमार, श्री बी.	2694, 2804, 2884, 2902
यादव, श्री एम. अंजनकुमार	2692, 2775
यादव, श्री पारसनाथ	2824
यादव, श्री राम कृपाल	2742, 2749
येरननायडू, श्री किन्जरपु	2882, 2883
जाहेदी, श्री महबूब	2712

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	305, 308, 314, 317
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	:	
गृह कार्य	:	304, 307, 311, 312, 318, 319
भानव संसाधन विकास	:	302, 306, 309, 315
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	:	
संसदीय कार्य	:	
विद्युत	:	310, 313, 316, 320, 321
इस्पात	:	
जनजातीय कार्य	:	303
शहरी विकास	:	
शहरी विकास और गरीबी उपशमन	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	2726, 2732, 2749, 2752, 2764, 2769, 2774, 2780, 2781, 2787, 2797, 2804, 2822, 2824, 2831, 2854, 2855, 2856, 2864, 2871, 2887, 2901
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	:	2699, 2891
गृह	:	2683, 2686, 2704, 2709, 2710, 2715, 2717, 2718, 2720, 2721, 2727, 2733, 2735, 2736, 2742, 2744, 2745, 2753, 2758, 2767, 2773, 2776, 2779, 2784, 2788, 2805, 2809, 2813, 2817, 2820, 2829, 2833, 2835, 2840, 2841, 2845, 2849, 2850, 2857, 2859, 2868, 2874, 2882, 2888, 2890, 2892, 2897, 2900, 2903, 2905, 2907
मानव संसाधन विकास	:	2691, 2694, 2696, 2697, 2701, 2702, 2705, 2706, 2723, 2725, 2729, 2746, 2747, 2755, 2761, 2763, 2765, 2768, 2770, 2772, 2777, 2778, 2792, 2794, 2795, 2798, 2799, 2814, 2825, 2826, 2830, 2834, 2836, 3842, 2843, 2847, 2851, 2858, 2861, 2862, 2870, 2878, 2879, 2883, 2884, 2886, 2894, 2902, 2904
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	:	2700, 2739, 2741, 2762, 2839, 2898
संसदीय कार्य	:	
विद्युत	:	2731, 2737, 2740, 2743, 2756, 2760, 2786, 2789, 2790, 2791, 2800, 2819, 2821, 2827, 2848, 2866, 2876, 2877, 2895
इस्पात	:	2707, 2719, 2725, 2782, 2785, 2806, 2811, 2818, 2873, 2885, 2896
जनजातीय कार्य	:	2685, 2688, 2690, 2698, 2703, 2708, 2716, 2750, 2759, 2771, 2801, 2802, 2844, 2846, 2860, 2869, 2899
शहरी विकास	:	2682, 2687, 2689, 2692, 2695, 2711, 2712, 2713, 2714, 2722, 2730, 2734, 2738, 2748, 2754, 2757, 2775, 2783, 2796, 2808, 2812, 2815, 2816, 2823, 2832, 2837, 2838, 2852, 2863, 2865, 2867, 2875, 2880, 2881, 2889, 2893, 2906
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	2684, 2693, 2724, 2751, 2766, 2793, 2803, 2807, 2810, 2828, 2853, 2872.

पी.एल.एस.–48/3/17/2004 (एन०)
280

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।